25 अगस्त, 1995

श्रवण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौदहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 5.7.96

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

दिनांक 25 अगस्त, 1995 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(11)	15	श्री शांताराम पोत दुखे	श्री शांताराम पोतदुखे
(11)	अंतिम	श्री नीतिश कुमार	श्री नीतीश कुमार
12	नीचे से 13	*325	*326
15 तथा 17	अंतिम पंक्ति 13, 30	गुलाब नबी आजाद	गुलाम नबी आजाद
26	नीचे से 11	बैंक आफ बड़ादी	बैंक आफ बड़ौदा
28	नीचे से 11	आधुनिकीरण	आधुनिकीकरण
69	अंतिम	अनुपति	अनुमति
100	8	3349	3379
130	7	डा॰ पी॰ वल्ललि पेरुमान	डा॰ पी॰ वल्लल पेरुमान
138	19	डा॰ बसंत पावार	डा॰ बसंत पवार
214	नीचे से 7	श्री अजुर्न सिंह	श्री अर्जुन सिंह
255	नीचे से 16	श्रीमती सरोज दूबे	श्रीमती सरोज दुबे
260	नीचे से 2	श्रीमती गिरीजा देवी	श्रीमती गिरिजा देवी
297	नीचे से 14	नौवी अनुसूची में संशोधन	(नौवीं अनुसूची में संशोधन)
353	नीचे से 14	श्री एम॰बी॰चन्द्रशेखर मूर्ति	श्री एम॰वी॰चन्द्रशेखर मूर्ति
354 355 356	6, 9, 15 4, 17, 18 12	श्री एम॰बी॰चन्द्रशेखर मूर्ति	श्री एम॰वी॰चन्द्रशेखर मूर्ति

विषय-सूची

दशम माला, खंड 44, चौदहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 15, शुक्रवार, 25 अगस्त, 1995/3 भाद्र 1917 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तरः	
*तारांकित प्रश्न संख्याः 321, 324 और 326	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तरः	
तारांकित प्रश्न संख्याः 322, 323, 325 और 327—340	21—34
अतारांकित प्रश्न संख्याः 3296—3525	34—214
राजीव गांधी की हत्या के पीछे साजिश का पता लगाने में कथित विलम्ब	214—225
श्री अर्जुन सिंह	214
श्री सोमनाथ चटर्जी	215
श्री शरद यादव	216
श्री जसवन्त सिंह	216
श्री राजेश पायलट	217
श्री पी०जी०नारायणन	218
श्री लोकनाथ चौधरी	218
श्री चन्द्रजीत यादव	219
श्री पी० चिदम्बरम	219
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	222
दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों के लाभ देने के बारे में	225—230
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	269—285
राज्य सभा से संदेश	285
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	285
कार्यवाही-सारांश- सभा-पटल पर रखा गया	
लोक लेखा समिति	285
एक सौ सातवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत	

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	286
बत्तीसवां और तैंतीसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	286—291
दूरदर्शन और टर्नर इन्टरनेशनल इनकारपोरेटेड (सी.एन.एन) एटलान्टा, यू. एस. ए. के बीच करार	
श्री के० पी० सिंह देव	286
विधेयक—पुरःस्थापित	
संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन (दूसरा संशोधन) विधेयक	292—294
श्री विद्याचरण शुक्ल	192
नियम 377 के अधीन मामले	295—297
(एक) अपर ताप्ती सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए समुचित धन-राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता	
ठाकुर महेन्द्र कुमार सिंह	295
(दो) महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली जिले में बेहतर दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्री शांताराम पोत दुखे	295
(तीन) हैदराबाद-विशाखापत्तनम-जेपोर-भुवनेश्वर विमान सेवा को पुनः आरंभ करने की संभावना का पता लगाने की आवश्यकता	
श्री के० प्रधानी	296
(चार) आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद और सिकन्दराबाद में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान करने की आवश्यकता	
श्री दत्तात्रेय बंडारू	296
(पांच) देहरादून और दिल्ली के बीच मुरादाबाद होकर एक सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी आरंभ करने की आवश्यकता	
डा० लाल बहादुर रावल	296
(छह) मणिपुर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री याइमा सिंह युमनाम	297
संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक	297—322
(नौवीं अनुसूची में संशोधन)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
डा० जगन्नाथ मिश्र	297
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी	299
श्री चित्त बसु	302
श्री विजय कुमार यादव	303
श्री नीतिश कुमार	304

विषय	पृष्ठ
श्रीमती गिरिजा देवी	307
श्री सुब्रत मुखर्जी	309
श्री पी० जी० नारायणन	311
श्री भोगेन्द्र झा	311
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	313
श्री हन्नान मोल्लाह	315
श्री बी०एन० रेड्डी	316
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	317
श्री तेजनारायण सिंह	318
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93	
तथा	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1995-96	327—354, 356—357
श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे	331
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	334
श्री रामपाल सिंह	336
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	339
डा० एस०पी० यादव	341
श्री जितेन्द्र नाथ दास	342
डा० रामकृष्ण कुसमरिया	344
श्री हरि किशोर सिंह	347
श्री चुन-चुन प्रसाद यादव	348
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	349
श्री मोहन रावले	350
श्री बी० राज रवि वर्मा	352
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	352
विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1995	355-356
विधेयक पुरः स्थापित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	

विषय	पृष्ठ
खंड 2, 3 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	355
विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1995	357—359
विधेयक पुरःस्थापित	357
विचार करने के लिए प्रस्ताव	357
खंड 2, 3 और 1	358
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	358
बक्फ विधेयक	359—378
राज्य सभा द्वारा यथापारित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सीताराम केसरी	359
श्री सैयद शहाबुद्दीन	362
श्री दत्तात्रेय बंडारू	366
श्री मोहन रावले	368
मोहम्मद यूनुस सलीम	369
सैयद मसूदल हुसैन	371
खंड 2, 3, 4, से 113 और 1	377
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सीताराम केसरी	378
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक	378—385
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सीताराम केसरी	378
श्री संतोष कुमार गंगवार	379
डा० वसंत पवार	379
श्री सैयद शहाबुद्दीन	380
श्री मोहन रावले	381
सैयद मसूदल हुसैन	382

विषय	पृष्ठ
मोहम्मद यूनुस सलीम	382
श्री सी० श्रीनिवासन	382
श्री भोगेन्द्र झा	383
खंड 2, 3 और 1	384
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सीताराम केसरी	384
बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के संबंध में सांविधिक संकल्प	
तथा	
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक	385-392
राज्य सभा द्वारा यथापारित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री संतोष कुमार गंगवार	385
श्री पी०ए०संगमा	386
श्री मोहन रावले	387
श्री बसुदेव आचार्य	387
डा. रमेश चन्द तोमर	388
श्री सैयद शहाबुद्दीन	389
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	389
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक	391
खंड 2 से 4 और 1	391
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पी०ए० सगंमा	391
नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन संबंधी प्रस्ताव	392
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	392
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विधेयक	
तथा	
अनुसंधान और विकास उपकर (संशोधन) विधेयक	392–409
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	392

विषय	पृष्ठ
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी	394
प्रो० आर०आर० प्रमाणिक	395
श्री सैयद शहाबुद्दीन	400
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	402
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विधेयक	
खंड 3, 4 से 23 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव, यथा संशोधित	
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	409
अनुसंधान और विकास उपकर (संशोधन) विधेयक	409-410
खंड 2 से 5 और 1	409
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	410
परिवहन तथा पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	410
अठारहवां प्रतिवेदन- सभा-पटल पर रखा गया।	

लोक सभा

शुक्रवार, 25 अगस्त, 1995/3 भाद्र 1917 (शक)

लोक सभा 11.02 म०पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सड़कों के किनारे पर्यटक केन्द्र

*321. श्री अनिल बसु : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से सड़कों के किनारे पर्यटक केन्द्र खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती सुखबंस कौर) : (क) और (ख) मार्गस्थ सुख-सुविधाएं स्थापित करने के लिए पर्यटन विभाग को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान नई परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा विभिन्न मार्गस्थ सुख-सुविधाएं स्थापित करने के लिए स्वीकृत की गई राशि निम्नानुसार है :-

वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1992-93	77.47
1993-94	77.45
1994-95	65.47

श्री अनिल बसु : उत्तर में मंत्री महोदया ने कहा है कि उन्हें राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुएं हैं लेकिन प्रस्तावों के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। फिर, उन्होंने स्वीकृत धनराशि के बारे में बताया है ओर उत्तर में जो आंकड़े दिए गये हैं उनसे पता लगता है कि स्वीकृत धनराशि वर्ष प्रतिवर्ष कम हो रही है, अर्थात यह राशि 77.47 लाख रुपयें से कम होकर 65.47 लाख रुपये रह गई है।

महोदया, यह समझना बहुत कठिन है कि जबकि सरकार घरेलू पर्यटन तथा हमारे देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों को इतना अधिक महत्व दे रही है, किन्तु पर्यटकों को जो सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं उसके लिए स्वीकृत धनराशि वर्ष प्रति वर्ष कम हो रही है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गये उत्तर को देखते हुए, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कि राज्य सरकारों से कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन प्रस्तावों का भविष्य क्या है? राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों के अनुसार राज्यबार कितनी धनराशि स्वीकृत्त की गई है? क्या उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यटन विभाग से हुगली जिले में, आराम बाग में दारमेश्वर नदी के किनारे एक पर्यटन स्थल बनाये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ तो उक्त प्रस्ताव का क्या होगा?

श्रीमती सुखबंस कौर : मैं माननीय सदस्य को उनके द्वारा लिखित धनराशि के बारे में स्पष्ट करना चाहती हूं। मैं दूसरे भाग का उत्तर पहले देना चाहती हूं। वास्तव में, यह जानकर हमें प्रोत्साहन मिला है कि निजी क्षेत्र भी इसमें पहल कर रहा है और मार्गस्थ सुविधाएं स्थापित कर रहा है, और यह धनराशि राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि है। राज्य सरकारों ने भी अपनी निधियों से मार्गस्थ सुविधाएं स्थापित की हैं। लेकिन आकड़ें मेरे पास नहीं है। मेरे पास इस संबंध में आंकड़े नहीं है कि प्रत्येक राज्य ने कितनी धनराशि व्यय की है। इसे किसी भी तरह से सरकार की ओर से उपेक्षा नहीं समझना चाहिए कि स्वीकृत धनराशि या आंकडे से ऐसा लगता है कि स्वीकृत धनराशि कम हो रही है। दूसरे, यहां मेरे पास वे कुल परियोजनाएं है जो हमने विगत तीन वर्षों में ली थी। वर्ष 1993-94 में आन्ध्र प्रदेश के लिए हमने एक मार्गस्थ सुविधा परियोजना स्वीकृत की थी। यदि आप चाहें तो मैं वह पढ़ कर आपको सुना सकती हूँ। अन्यथा मैं केवल पश्चिम बंगाल के आंकडे बताऊंगी। पश्चिम बंगाल के लिए हमने वर्ष 1993-94 में एक परियोजना स्वीकृत की थी। "मनुद्वीप" पर कुल लागत 14.99 लाख रुपए है। राज्य पर हमने जो कुल धनराशि व्यय की है, मैं वे आंकडे बाद में बता सकती हूँ लेकिन जो हमने मार्गस्थ सुविधाओं पर व्यय किया है उस बारे में पहले ही बता दिया गया है।

श्री अनिल बसु : मैने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में एक बहुत विशिष्ट प्रश्न पूछा था, कि क्या केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आपने उसका उत्तर नहीं दिया है।

श्रीमती सुखबंस कौर : मैं वे आंकडे बताऊंगी।

श्री अनिल बसु : आप वह मुझे भेज सकती हैं। अन्यथा, इसमें सभा का काफी समय लगेगा। यदि आप अनुमति प्रदान करें तो मैं अपना प्रश्न दो भागों में रखूगां।

मेर निर्वाचन क्षेत्र देश का एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां श्री विधासागर, रामकृष्ण देव, राजा राम मोहन राय आदि जैसे देश के महान व्यक्तियों का जन्म हुआ, मेरा यह सौभाग्य है कि ये महान पुरुष मेरे निर्वाचन क्षेत्र के थे। देश भर से लाखों तीर्थ यात्री अप्रैल से अगस्त माह के दौरान तारकेश्वर में भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, वे गंगा नदी के बैदयाबती घाट से गंगा जल लेकर 16 कि०

मी० का रास्ता तय कर तारकेश्वर पहुंचते हैं। मार्ग में उनके थोडी देर के लिए ठहरने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा तीर्थ यात्रियों के लिए मार्गस्थ ठहरने का स्थान प्रदान करने के लिए तारकेश्वर तथा बेद्‌याबती के बीच हनिपाल में एक पर्यटन स्थल बनाने की बहुत आवश्यकता है। वे वहां ठहर सकते हैं तथा भोजन कर सकते हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस प्रस्ताव की जांच करने के लिए और उसे तत्कालीन आधार पर स्वीकृत करने के लिए तैयार हैं।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस तरह के प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशों, राज्यों के बारे में पूछ रहे है। यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावित पर्यटन केन्द्रों के स्थानों के नाम क्या हैं?

श्री अनिल बसु : ये सभी पर्यटन पहलु से जुड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास जानकारी है, तो आप दे सकते हैं। अन्यथा, आप उन्हें इस बारे में लिख कर भेजिए।

श्रीमती सुखबंस कौर : महोदय, मै यह सूचना दे सकती हूँ।

श्री अनिल बसु : यह पर्यटन से जुड़ी है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने आठ समन्वित पर्यटन परियोजनाओं का पता लगाया है जिन्हें राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार तथा निजी पार्टियों द्वारा निधियां प्रदान की जानी हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अनिल बसु : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या इन दस परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी भारत को भी शामिल किया गया है। यदि नहीं तो उसके क्या कारण है।

श्रीमती सुखबंस कौर : मैं एक साधारण उत्तर दूंगी।

हमने क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है। 5 तथा 8 अगस्त को राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था जिसमें यह निर्णय किया गया था कि हम क्षेत्रीय सर्किट बनायेंगे ताकि तीन या चार राज्यों का संयुक्त रूप से एक सर्किट हो। हम ये बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल क्षेत्रीय सर्किट ही बनायेंगे। एक क्षेत्रीय सलाहकार समिति भी गठित की जा सकती है, जो सभी निर्णय करेगी किन क्षेत्रों में हम ये केन्द्र बनायेंगे। यह केवल एक क्षेत्र में ही नहीं होगा। जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, मै यह कहना चाहती हूँ कि हम यथासंभव वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 1992-93 में हमने 94 लाख रुपए दिए थे. वर्ष 1993-94 में 1.67 करोड़ रुपए तथा 1994-95 में हमने 1.45 करोड़ रुपए दिए थे।

जहां तक आपके निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है, यह एक राज्य का विषय है और मुख्तया राज्य सरकार ही हमें प्रस्ताव भेजती है। हम उस पर सहर्ष विचार करेंगे। मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे पास जितनी भी परियोजना प्रस्ताव हमारे पास आते हैं, यदि वे सभी शर्तो को पूरा करते हैं, तो हम उनके लिए धनराशि स्वीकृत करते हैं।

श्री अनिल बसु : धन्यवाद।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, अब पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जन का एक महत्वपूर्ण तथा प्रमुख स्त्रोत बन गया है। क्या माननीय मंत्री जी हमें यह बतायेगें कि भारत सरकार बजट का कितना प्रतिशत पर्यटन को बढावा देने के लिए व्यय करती है और केन्द्र सरकार इस प्रयोजनार्थ राज्यों के लिए बजट का कितने प्रतिशत का प्रावधान करती है?

श्रीमती सुखबंस कौर : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है; यद्धपि यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नही है, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगी। लेकिन इसका उत्तर देने से पूर्व, मैं कुछ कहना चाहती हूँ।

श्री पवन कुमार बंसल : यह पर्यटन से संबंधित है।

श्रीमती सुखबंस कौर : हां, यह पर्यटन से संबंधित है। पर्यटन आज विश्व में सबसे बडा बढता हुआ उद्योग है। पर्यटन से प्राप्तियां किसी भी अन्य वस्तु की अपेक्षा अधिक दर से बढ रही है। मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि पर्यटन से 12.7 प्रतिशत प्राप्तियां होती है और अन्य वस्तुओं से 11.5 प्रतिशत भारत में भी इसकी स्थिति कुल विदेशी मुद्रा अर्जन में तीसरी और निवल विदेशी मुद्रा अर्जन में दूसरी है।

दूसरा पहलू रोजगार सृजन है। मैं इसे श्रमिक पूजी अनुपात में बताना चाहती हूँ। मैं इस बारे में थोडा विस्तार से वताना चाहती हूं क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के लिए यदि आप कृषि पर 10 लाख रुपए व्यय करते हैं, तो उससे रोजगार सजृन 44.7 प्रतिशत होता है, निर्माण में यह 12.6 प्रतिशत है, खनन में तथा अन्य में यह 2.6 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह उत्तर वित्त मंत्री के लिए है?

श्रीमती सुखबंस कौर : नहीं, महोदय, पर्यटन में यह 47.5 प्रतिशत है; और यदि आप होटल तथा रेस्टोरेंट का भाग निकाल दे तो यह 89 प्रतिशत तक हो जाता है। दुर्भाग्य से पर्यटन को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना इसे मिलना चाहिए। मेरे पास पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों का ब्यौरा मेरे पास है।

अध्यक्ष महोदय : हमने इसे निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया है।

श्रीमती सुखबंस कौर : जी, हां।

यदि आप हिमाचल प्रदेश का उदाहरण लें, तो उनके 750 करोड़ रु० के बजट में से पर्यटन के लिए स्वीकृत धनराशि का प्रतिशत 1.03 है; मध्य प्रदेश के मामले में, यह केवल 0.17 प्रतिशत है, मंत्री महोदय ने बैठकें आयोजित कराई थी और हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे उनके बजट का कम से कम 10 प्रतिशत पर्यटन को देने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि पर्यटक केन्द्र खोलने के लिए बिहार सरकार से कितने प्रस्ताव आए है और उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? साथ-ही-साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि पर्यटक केन्द्रो के रख-रखाव के लिए सरकार की नीति क्या है?

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर : महोदय, मैं यह नहीं बता सकती कि कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। होता यह है कि प्रतिवर्ष राज्य सरकारें अपने प्रतिनिधि भेजती हैं, हम उनके साथ चर्चा करते हैं, तत्पश्चात् परियोजनाओं का चयन किया जाता है और उसके बाद ही हम उन्हें धनराशि प्रदान करते हैं। मैं आपको बिहार के बारे में ब्यौरा दे सकती हूं। यदि वे जानना चाहते हैं तो मेरे पास वहां उपलब्ध कराई गई मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का ब्यौरा उपलब्ध है, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जो कोई भी परियोजना हमारे समक्ष रखी जाती है, हम उसके लिए यथासम्भव धनराशि देते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां बटेश्वर उत्तर भारत का सबसे बड़ा तीर्थस्थल सौरीपुर बटेश्वर है। इसको पर्यटक केन्द्र घोषित कराने के लिए मैं मंत्री महोदया से तीन-चार बार मिल चुका हूं। मंत्रालय ने इस स्थल के विकास के लिए 40 लाख रुपया दिया है, तो मैं अब मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार उस धन का यूटीलाइजेशन ठीक ढंग से कर रही है या नहीं और आपने उसे पर्यटक केन्द्र घोषित करने के लिए जो 40 लाख रुपया दिया है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव आया है कि नहीं?

श्रीमती सुखबंस कौर : अध्यक्ष महोदय, यह जो 40 लाख रुपया दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिया गया है। माननीय सदस्य मुझे मिले हैं। यू.पी. गवर्नमेंट से कह कर हम काम शुरू करवा रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी - अनुपस्थित।

श्री गुमान मल लोढा - अनुपस्थित।

श्री जगजीत सिंह बरार - अनुपस्थित।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, नहीं हम अब तीसरे प्रश्न पर चले गये हैं। प्रश्न संख्या 324, श्री अन्ना जोशी।

[हिन्दी]

उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

\+
*324. **श्री अन्ना जोशी :**
श्री कुन्जी लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को उदार बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन वस्तुओं के उत्पादन में लगे स्थानीय उद्योगों, विदेशी मुद्रा के देश से बाहर जाने और बाजार में इन वस्तुओं के मूल्यों पर इस उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) स्थानीय उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(क) और (ख). चालू निर्यात और आयात-नीति के तहत, जो 31 मार्च, 1995 तक संशोधित की गई है, आयात लाइसेंस और सरकारी नोटिस की प्राप्ति के अलावा उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करने की अनुमति नहीं है। तथापि, निर्यात और आयात नीति (अध्याय पन्द्रह, भाग दो) में सूचीबद्ध उपभोक्ता वस्तुओं के स्वरूप की 75 वस्तुएं मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। इसके अतिरिक्त, नीति में सूचीबद्ध 75 वस्तुओं के (कार्य प्रणालियों की हैंड बुक-खण्ड-एक) मुक्त रूप से हस्तांतरण योग्य विशेष आयात लाइसेंसों की एवज़ में आयात करने की अनुमति है।

(ग) विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं के आयात से संबंधित, निर्यात और आयात नीति में हाल में किए गए संशोधनों के प्रभाव का समय पूर्व मूल्यांकन करना है।

(घ) स्थानीय उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में आय में वृद्धि और क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए आर्थिक सुधार नीतियां, उत्पादन और सीमा शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना, बड़ी संख्या में उपभोक्ता वस्तुओं पर मोडवेट प्रणाली का विस्तार करना, लघु उद्योग उत्पादन शुल्क छूट संबंधी योजना में वृद्धि करना, और लघु उद्योग क्षेत्र के बैंकिंग और वित्तीय संस्था प्रणाली से ऋण की उपलब्धता में सुधार करने के लिए कदम उठाना शामिल है।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में यह कहा गया है कि यथा संशोधित वर्तमान निर्यात और आयात नीति के अन्तर्गत, कुछ वस्तुओं को छोड़कर उपभोक्ता वस्तुओं की आयात की अनुमति नहीं है। नीति पुस्तिका के अनुबंध में दो सूचियां दी गई हैं जिनमें प्रत्येक में 75 मदों का उल्लेख किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या दोनों सूचियों में उल्लिखित 150 वस्तुएँ भारत में उपलब्ध नहीं हैं या वे अच्छी गुणवत्ता के स्तर की नहीं है? यदि नहीं, तो सरकार ने इस प्रयोजन हेतु उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए और उनके आयात को रोकने के लिए क्या प्रयास किए हैं?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, दोनो सूचियों में दर्शाई गई 75-75 मदें भारत के कुल उपभोग का केवल एक बहुत छोटा भाग है, कई मामलों में इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है और उनकी आपूर्ति

कम है। उदाहरण के लिए, दालों का ही उदाहरण लीजिये। भारत मे दालों की हमेशा कमी रही हैं, इसलिए, दालें खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आती हैं और उन पर 5 प्रतिशत का नाममात्र का शुल्क है।

सरकार ने साथ ही साथ दालों की घरेलू उत्पादकता में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर समेकित कार्यक्रम शुरू किया है।

इसी प्रकार, नारियल के तेल को छोड़ कर खाद्य स्तर के वनस्पति तेलों को खुली सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया हैं और जिन पर 30 प्रतिशत का रियायती शुल्क है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हम 1.5 लाख टन का वनस्पति तेल का आयात कर रहे हैं जिन पर 20 प्रतिशत का कम शुल्क है क्योंकि मूल्यों में वृद्धि हो गई है और घरेलू उत्पादन आपूर्ति की तुलना में कम है।

कई अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकता है क्योंकि वे रोजगार प्रदान करते हैं। हमारे देश में काजू उत्पादन का बड़ा उद्योग है, किन्तु कच्चीगिरी का घरेलू उत्पादन कम है, इसलिए हम बहुत अधिक मात्रा में कच्ची गिरी का आयात करते हैं। हम उन्हें पुनः संसाधित करते हैं। हम उनके जरिए रोजगार का सृजन करते हैं और तैयार माल का निर्यात करते हैं। सूची में उल्लिखित वस्तुओं का या तो देश में उत्पादन नहीं होता या उनकी आपूर्ति कम है।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा संरक्षण का वर्तमान 50 प्रतिशत का स्तर घरेलू उद्योग की आवश्यकताओं की देखरख के लिए पर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी : हम आपकी इस बात के आधार पर इसे स्वीकार करते हैं कि इन 150 वस्तुओं का भारत में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होता है। क्या यह सही है?

मैने यह पूछा है कि स्थानीय बाजार या स्थानीय उत्पादकों से इन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं। आपने इसका उत्तर नहीं दिया है।

उत्तर के भाग (क) में, आपने कहा है कि स्थानीय उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में आर्थिक सुधार नीतियां आदि भी शामिल हैं, इसे पढ़ने के बाद, हम समझते हैं कि कोई....

अध्यक्ष महोदय : इसे पढ़ने के बाद हमे पूरक प्रश्न पर आना चाहिए।

श्री अन्ना जोशी : मैं उसी पर आ रहा हूं। इससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने लघु उद्योग क्षेत्र को पूरा संरक्षण और सहायता दी है जो उचित नहीं है। नई आर्थिक नीति के कारण लघु उद्योग क्षेत्र खत्म होता जा रहा है।

श्री मनमोहन सिंह : यह बिल्कुल गलत है . . . . (व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी : इन सभी बातों का अभिप्राय है कि चूंकि आप लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करने के पक्ष में है, अतः उन्हें संरक्षण दिया जाए, आप लघु उद्योगों के उत्पादों को संरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह : यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी सरकार लघु उद्योगों को पर्याप्त संरक्षण नहीं दे रही है। सभी वस्तुएं जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित थी, ...

श्री अन्ना जोशी : लेकिन आपने उस सूची को छोटा कर दिया है।

श्री मनमोहन सिंह : यह सच नहीं है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित सभी वस्तुओं के लिए हमने ऋण देने के प्रावधान को बढ़ा दिया है और लाइसेंसिंग की आवश्यकता को कम कर दिया है। मैं उत्पाद शुल्कों में रियायत के बारे में भी बताना चाहता हूं।

श्री अन्ना जोशी : उत्पादन के बारे में आप क्या कहेंगे?

श्री मनमोहन सिंह : मैं उसी पर आ रहा हूं जहां तक उत्पाद शुल्कों में रियायत का सम्बन्ध है, इसकी सीमा को 2 करोड़ रु० से बढ़ाकर 3 करोड़ रु० कर दिया गया है। आपने उत्पादन के आंकड़ों के बारे में पूछा है। मुझे खेद है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी गलत सूचना दी गयी है . . . . (व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी : यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न कहां है? क्या आप कांग्रेस की ओर से बोल रहे हैं या भारत सरकार की ओर से, यह क्या है? मैं सभा के सदस्य की हैसियत से प्रश्न पूछ रहा हूं . . . . (व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, गैर राजनीतिज्ञ होते हुए भी वे राजनीति के बारे में बहुत अधिक बोल रहे हैं . . . . (व्यवधान) . . . . आप राजनीतिज्ञ नहीं हैं, राजनीति के बारे में बहुत अधिक मत बोलिए . . . . (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : मैं आंकड़े बताने जा रहा हूं। कृपया मुझे सुनिए।

श्री राम नाईक : हम आपकी बात सुनेंगे लेकिन इस तरह की टिप्पणी क्यों की जा रही है? मै समझता हूं कि यह आपको शोभा नहीं देता है, यदि किसी अन्य मंत्री ने यह बोला होता तो हम समझ सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी आपको इस तरफ से भी इसे सहन करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : सभा के सूचनार्थ, मैं उत्पादन के आंकड़ों को पढ़ता हूं। यह सब दुष्प्रचार जो किया जा रहा है कि आयात उदारीकरण के कारण उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र या पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को नुकसान हो रहा है, बिल्कुल गलत है। मेरं पास उपभोक्ता वस्तुओं के आंकड़े है और मैं इन आंकड़ो को पढ़ रहा हूं। 1994-95 में हमारे देश में उपभोक्ता वस्तुओं का कुल औद्योगिक उत्पादन 8.2 प्रतिशत बढ़ा है।

श्री राम नाईक : मूल्यों में वृद्धि कितनी हुई है। कृपया हमें उसके बारे में भी बताइये।

श्री मनमोहन सिंह : ये उत्पादन के वास्तविक सूचक आंकड़े हैं।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैने कुछ और पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको पूर्ण संरक्षण मिलेगा और वे आपको संरक्षण दे रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह : उपभोक्ता स्थायी वस्तुओं का उत्पादन 9.5 प्रतिशत बढ़ा है और गैर-उपभोक्ता स्थायी वस्तुओं का उत्पादन 7.9 प्रतिशत बढ़ा है।

आपका यह कहना कि लघु उद्योग शिथिल हो रहा है, लेकिन जो मैंनें बताये हैं वे 7.1 प्रतिशत की विकास दर दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, बहुत सी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं, जिनके आयात की सूची इन्होंने निर्धारित की है, की जब भारत में कमी होती है तो वे उसी अनुपात में निर्यात की जाने लगती हैं जिससे उनकी कीमत में वृद्धि होती है। जैसे अभी दाल का उदाहरण दिया। मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार जो दाल बाहर से आई, वह बहुत घटिया क्वालिटी की थी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत भारत की दाल के मुकाबले दुगनी थी। इसलिए वह इस नाम से यहां पर आई कि उसको प्रोसैस करके बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में पैदा हुई जो दाल होती है, उसको ही प्रोसैस करके बाहर भेजा गया जिसके चलते भारत में दालों के दाम इतने बड़े पैमाने पर बढ़े जो आवश्यक उपभोक्ता के लिए कठिनाई का कारण बने। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दाम भारत में बढ़ने लगे, उनपर निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाने और आयात की छूट देने की किसी नीति के बारे मे विचार करेंगे? यदि हां तो बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : माननीय सदस्य ने दालों के बारे में एक विशिष्ट मुददा उठाया है, मेरी जानकारी में दालें बहुत अल्प मात्रा में आयात की जाती हैं। दालों की कुल मात्रा जिन्हें भारत देश से 10,000 टन से अधिक मात्रा में दालें निर्यात करने की अनुमति नहीं है अब कोई व्यक्ति जो यह दावा करता है कि भारत में दालों की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि हम 10,000 टन तक दालें निर्यात की अनुमति दे रहें हैं, मुझे डर है कि, यह गलत है। कुल 14 लाख टन के कुल उत्पादन की तुलना में, हम केवल 10,000 टन निर्यात कर रहें हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : लेकिन दूसरे मंत्री कह रहे थे कि एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं। आज से एक हफ्ता पहले एक मंत्री ने इसी सदन में जबाब दिया था कि किसी भी दाल का निर्यात नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि हुआ है।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : ऐसा किसने कहा? मैने ऐसा कभी नहीं कहा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : आपने नहीं कहा लेकिन आपके सहयोगी मंत्री ने कहा।

श्री पीटर जी० मरबनियांग : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में दौकी से बांग्लादेश को निर्यात किया जाता है। अप्रैल से जून की अवधि में मैने पाया कि बांग्लादेश को उत्तम किस्म का हजारों टन चावल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल का भी निर्यात किया गया था। बांग्लादेश को चीनी का भी निर्यात किया गया था। ततपश्चात् जब मैं शिलांग में स्थानीय अधिकारी से मिला तो उन्होंने मुझे निर्यात की अनुमति की भारत सरकार की अधिसूचना दिखाई, मै यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मार्च से बांग्लादेश को चावल और चीनी का निर्यात किया जा सकता है?

श्री मनमोहन सिंह : इस वर्ष चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। मेरे विचार में देश के हित में चीनी का निर्यात किया जा सकता है। इसी प्रकार से इस वर्ष खाद्यानों का भण्डार भी अपने आप में एक रिकार्ड है और अगर निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है तो इनके सड़ने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए, राष्ट्रीय हित में, किसानों के हित में, जहां कहीं भी निर्यात के अवसर उपलब्ध हैं उनका पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मै सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि कुछ ऐसी उपभोक्ता वस्तुऐं है, जिनका उत्पादन हिन्दुस्तान में होता है और उन पर विदेशी लेबल लगाकर उन्हें यहां बेचा जाता है?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : यह प्रश्न नकल से संबद्ध है। मेरे विचार से मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य को संबद्ध मंत्रालय से स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहिये।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सीमा शुल्क की दरों को कम करने से कई घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मै इस संबंध में माननीय वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री से भेंट कर चुका हूं। 'फिलंट बटन' पर सीमा शुल्क की दर 80 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दी गई है और इसको प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर उदार श्रेणी में रख दिया गया है। इससे देश में दुर्गापुर स्थित भारत ओपथालमिक ग्लास फैक्टरी लिमिटड में उत्पादित फिलट बटन का मूल्य रूस अथवा चीन से आयातित फिलट बटन से कम हो गया है। इस इकाई को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया है। पुनरूज्जीवित किये जाने के पश्चात् भी यह इकाई घाटे में ही चलती रहेगी क्योंकि आयातित फिलंट बटन देश में बने 'फिलट बटन' से सस्ता ही रहेगा। आयात नीति के तैयार किये जाने के वक्त, मेरे अनुरोध पर, माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के हिसाब से 35 प्रतिशत भी ज्यादा है और इसलिये वाणिज्य मंत्री से सम्पर्क किया जाये। इसी प्रकार का अनुरोध उद्योग मंत्री ने भी किया कि 'फिलट बटन' को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा जाये। उपयुक्त को ध्यान में रखते हुये, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या देश की इस किस्म की एकमात्र फैक्टरी अर्थात भारत ओपथालमिक ग्लास फैक्टरी, दुर्गापुर को बचाने के लिये इस मद विशेष को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा जायेगा?

श्री मनमोहन सिंह : यह प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है। परन्तु, मैं कहना चाहता हूं कि देश की शुल्कदरों की नीतियों को बनाने के वक्त, आयात नीतियों और अन्य शुल्क की मदों को निर्धारित करने के वक्त उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन बनाए रखना पड़ता है। बीते वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी रही है कि इस बात की ओर हमने बिलकुल ध्यान नहीं दिया कि 50 वर्षों के पश्चात भी उपभोक्ताओं को उचित उत्पादन की लागत पर अच्छी गुणक्ता की वस्तुएं प्राप्त हो सकें।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सब घरेलू उद्योगों को नष्ट करके किया जायगा?

श्री मनमोहन सिंह : मेरे विचार में अत्यधिक संरक्षण देकर हम देश के हितों की मदद नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह : लघु उद्योगों के बारे में मंत्रीजी ने कहा कि कोई खतरा नहीं है। जो लघु उद्योग हैं उन पर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी या अन्य कर नीति में बढ़ोत्तरी नहीं की है, वह उसी रेट पर चली आ रही हैं। परिणाम यह हुआ है कि जो विदेशी कम्पनियां भारत आ रही हैं उनको छूट मिल गई है। अधिक एक्साइज ड्यूटी देने के कारण हमारे लघु उद्योग उनसे कम्पीटिशन में टिक नहीं रहे हैं। जो लघु उद्योगपति हैं जैसे साबुन निर्माता हैं, चप्पल निर्माता हैं या बिस्कुट निर्माता हैं, क्या उनको एक्साइज से मुक्त करेंगे?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, जैसा कि मैंने कहा है हमारी उत्पादन शुल्क नीति में लघु उद्योगों को विशेष संरक्षा प्रदान की गई है। अधिकांश मामलों में 30 लाख रुपए तक उनको पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। लघु उद्योगों को 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक बड़े उद्योगों की तुलना में 10 प्रतिशत कम की दर से उत्पादन शुल्क देना होता है। बड़े उद्योगों की तुलना में लघु उद्योग 50 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तक 5 प्रतिशत कम की दर से उत्पादन शुल्क देते हैं और ये रियायतें कुल विक्री पर भी दी जाती हैं। इस वर्ष के बजट तक यह सीमा 2 करोड़ रुपए थी और इसको बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

इसलिये, वर्तमान नीति में छोटे उद्योगों के हितों की संरक्षा हेतु समुचित प्रावधान हैं। इस वर्ष के बजट में मैने कहा था कि लघु उद्योगों की ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कई कदम उठाये जा रहे हैं जहां पर भी लघु उद्योगों का झुंड है वहां पर इनके हितों की पूर्ति के लिये 200 समर्पित शाखाएं खोली जा रही हैं।

महोदय, मै आगे कहना चाहता हूं कि आयात नीति का उदारीकरण और लाइसेंस प्रणाली को खत्म करने से सबसे अधिक लाभ लघु उद्योगों को मिला है। ये वे उद्योग हैं जो दिल्ली में लाइसेंस कार्यालय नहीं खोल सकते हैं। पुरानी लाइसेंस प्रणाली में हरेक चीज के लिये परमिट लेना होता था। लघु उद्योगों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा था और मेरे विचार में हमने लघु उद्योगों की सभी कठिनाईयों को दूर किया है।

[हिन्दी]

श्री रामानाथ प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस वस्तु का आयात किया जाता है, उसका भारत के अन्दर खासकर बिहार में दालें और तिलहन के लिये काफी स्कोप है। इसके लिये उस हिस्से को विकसित किया जा सकता है और किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें तो हम इनका आयात रोक सकते हैं। क्या सरकार ऐसा कोई कार्यक्रम बनायेगी जिससे बिहार के बहुत बड़े हिस्से में दालें और तिलहन पैदा किये जा सकें?

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार को कह दें।

[अनुवाद]

श्री उमराव सिंह : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ओ.जी.एल. के अंतर्गत और कम शुल्क पर घड़ियों तथा घड़ियों की 'मूवमेंट' का मुक्त आयात किया जा सकता है, और यदि हां, तो क्या यह सच है कि आयात के कारण हमारे स्थानीय निर्माताओं को नुकसान हो रहा है और वे अपनी निर्माण इकाइयों को बन्द कर रहे हैं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब लिखित रूप से जो पब्लिक डाक्युमेंट है उसमें मिल सकता है।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार स्थानीय उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कदम उठा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को केन्द्र सरकार ने क्यों उदार बनाया है और इसका क्या प्रतिशत है. . . .

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब पहले दे दिया है।

इंडियन एयरलाइन्स तथा एअर इंडिया द्वारा अर्जित राजस्व

+

*325. **श्री राजबीर सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स तथा एअर इंडिया ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितना राजस्व अर्जित किया;

(ख) इंडियन एयरलाइन्स तथा एअर इंडिया द्वारा खाड़ी के देशों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिये की जाने वाली उड़ानों से अर्जित राजस्व की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया द्वारा इस क्षेत्र से अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित कुल राजस्व और भारत-खाड़ी, भारत-बंगलादेश तथा भारत-पाकिस्तान सैक्टरों पर राजस्व अर्जन का प्रतिशत अनुपात नीचे दिए अनुसार है :-

एअर इंडिया

वर्ष	कुल राजस्व करोड़ रु. में	भारत-खाड़ी	भारत-बंगलादेश
1992-93	2583.19	33.9 प्रतिशत	0.1 प्रतिशत
1993-94	2767.96	30.6 प्रतिशत	0.2 प्रतिशत
1994-95	3102.18 (अनन्तिम)	28.6 प्रतिशत	कोई प्रचालन नहीं

इंडियन एयरलाइन्स

वर्ष	कुल राजस्व	भारत-खाड़ी	भारत-पाकिस्तान	भारत-बंगलादेश
1992-93	1578.83	4.50 प्रतिशत	0.81 प्रतिशत	0.31 प्रतिशत
1993-94	1816.37	6.00 प्रतिशत	0.21 प्रतिशत	0.37 प्रतिशत
1994-95 (अनन्तिम)	2040.75	7.40 प्रतिशत	0.14 प्रतिशत	0.31 प्रतिशत

(ग) एअर इंडिया तथा इंडियन एअरलाइन्स और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए और अपना राजस्व बढ़ाने के लिए अपने उत्पाद, छवि और समय पर कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए उपाय कर रही है। अतिरिक्त पात्रताओं और यातायात संबंधी मांग के आधार पर सेवाओं की संख्या में भी वृद्धि की जायेगी।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्षजी, मेरे पास उत्तर आया है उसमें इन्होंने हर वर्ष राजस्व की बढ़ोत्तरी दिखाई है। राजस्व की जो बढ़ोत्तरी हुई है क्या यह किराया बढ़ने के कारण से हुई है या यात्रियों के अधिक तादाद में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में जाने से हुई है?

दूसरा भाग यह है कि इतनी सब वृद्धि होने के बाद भी इंडियन एयरलाइन्स में और एयर इंडिया में कुल मिलाकर कितना घाटा हुआ है?

श्री गुलाम नबी आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक रिवैन्यु का संबंध है, दोनों इंडियन एयरलाइन्स और एयरइंडिया में यह बढ़ता गया, लेकिन इसके साथ-साथ घाटा ज्यादा हुआ है। इस घाटे के कई कारण है। एक कारण तो यह है कि एयर इंडिया में जहां दो साल में तकरीबन 333 करोड़ रु. का प्राफिट था, उसके दूसरे साल में 201 करोड़ हुआ और तीसरे साल इससे भी कम हुआ। जो नए जहाज हमने लिए हैं, उसका डैप्रिसिएशन पिछले दो सालों में तकरीबन 200 करोड़ रु. के करीब देना पड़ता है। इसके साथ-साथ पिछले साल हमारे देश में दुर्भाग्य से प्लेग फैला और इसकी वजह से भी एयर इंडिया को 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही पिछले साल एक और जहाज जो आया है, उसका भी 70 करोड़ डैप्रिशिएशन देना पड़ा। इस प्रकार यह कुल मिलाकर 370 करोड़ रुपए हो गया। यही इसका सबसे बड़ा कारण रहा है। जहां तक इंडियन एयरलाइन्स का सवाल है, इंडियन एयरलाइन्स 1990 तक प्राफिट बनाती थी और 1990 से उसका लास शुरू हो गया। सबसे पहला कारण यह हुआ।

एक माननीय सदस्य : आपके आने के बाद घाटा शुरू हो गया।

श्री गुलाम नबी आजाद : 1990 में 320 करोड़ था। इसको ग्राउन्ड किया गया और उसका नुकसान पहले साल में 197 करोड़ हुआ। इसके साथ-साथ पैसे का डिवैल्युएशन हुआ है, इसकी वजह से भी बाहर फारन एक्सचेंज में 70 करोड़ हमको पैसा देना पड़ा था। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, वह है रिडक्शन इन लोकल मार्केट में। हमारे यहां जो प्राइवेट एयरलाइन्स आ गई हैं, उनकी वजह से भी 545 करोड़ का हमारा मार्केट शेयर में नुकसान हुआ है और तकरीबन 47 करोड़ हमारे पायलट के एजीटेशन्स की वजह से नुकसान हुआ है। ये कुल मिलाकर इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के कारण है, जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है और हुआ है।

जहां तक पैसेन्जर्स का संबंध है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही थोड़ा फर्क पड़ा है। एयर इंडिया में 1992-93 में 2.2 मिलियन पैसेन्जर्स उठाए थे, 1.99 मिलियन 1993-94 में और जहां तक पिछले साल 1994-95 का संबंध है, उसमें 2.2 मिलियन पैसेन्जर्स उठाए थे।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है, इतना सब कुछ होने के बाद, नए जहाज लेने के बाद, डैप्रिसिएशन देने के बाद यात्रियों की संख्या नहीं बढ़ रही है और बहुत नोमिनल बढ़ रही है। बीच में एक साल तो घाटा रहा, जिसको दोबारा आपने ऊपर लाने की कोशिश की। आपकी इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में, खास कर इंडियन एयरलाइन्स में, एफिशियेंसी घटी है। मुझे मालूम है, और मैंने आपको एक दिन कहा भी था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मार्निंग फलाइट छः बजे की तय हुई, लेकिन Crew तय नहीं हुआ कि कौन उस जहाज को लेकर जाएगा। तीन-चार घन्टे तक लोग शोर मचाते रहे, तब जाकरCrew आया। एफिशियेंसी वीक होने के कारण, डाउन होने के कारण यात्री प्राइवेट जहाज कंपनियों में जा रहे है। इसलिए भी घाटा हो रहा है और यात्रियों की संख्या घट रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या आप अपनी इन कमजोरियों को दूर करेंगे और इस मैनेजमेंट के लिए आप स्वयं दंडित होंगे या दूसरों को दंडित करेंगे-कृपया जवाब दें?

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से सभी पार्टियों के माननीय सदस्य जानते हैं और इस बात को मानेंगे कि पिछले एकाध साल में विशेष रूप से इनफ्लाइट सर्विस बहुत अच्छी हुई है। . . . . **(व्यवधान)**

अब बरेली जहाज नहीं जाता, आप उपभोग नहीं करते तो आपको क्या मालूम। जो लोग रोजाना आते-जाते है, उनको पता है। . . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : कोई सुधार नहीं हुआ है। . . . . (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : मेरे विचार में माननीय सदस्य कह रहे हैं कि काफी सुधार हुआ है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया है। पिछले कई वर्षों से हम मंत्री जी को मिल कर कहते रहे हैं, मांग करते रहे हैं कि बरेली एक पर्यटन केन्द्र है, उत्तर के पहाड़ों पर जाने का रास्ता है, इसलिए वहां पर हवाई अड्डा दिया जाए। कई बार वादा करने के बाद भी आपके द्वारा यह काम नहीं किया गया और अब आप जले पर नमक छिड़क रहे है। एक तो हमारे क्षेत्र में हवाई अड्डा नहीं देते और मजाक भी करते है।

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे मित्र हैं, आप यदि ज्यादा जगह घूमेंगे तो महसूस करेंगे कि कितना परिवर्तन पिछले 2-3 वर्षों में आया है।

जहां तक ऑन टाइम परफारमेंस का सवाल है, उसमें भी परिवर्तन आया है। यह ठीक है कि कभी-कभी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। यह पूरे सदन को मालूम है कि पिछले 2-3 सालों में हमारे 146 के करीब पायलट्स विदेशी एअर लाइंस में चले गए। इतने कम पायलट्स में इतना बड़ा फ्लीट, जो पिछले 2-3 साल में काफी बढ़ गया है, आधे कमांडर्स से इतनी बड़ी फ्लीट हम चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसके लिए माननीय सदस्यों को हमें बधाई देनी चाहिए कि हम कितनी अच्छी तरह से इस फ्लीट को चला रहे हैं।

श्री राजवीर सिंह : स्टाफ घट गया, फिर भी घाटा बढ़ रहा है।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, उत्तर से मालूम चलता है कि एयर इंडिया का खाड़ी सैक्टर सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाला है। इस सैक्टर पर इंडियन एयरलाइन्स सिर्फ कुछ ही उड़ानें भरता है। हालांकि, यह सैक्टर अत्यधिक लाभप्रद है, परन्तु फिर भी त्रिवेन्द्रम से उचित संख्या में उड़ाने नहीं भरी जाती हैं। राज्य से निरंतर इसकी मांग की जा रही हैं और मुझे विश्वसनीय सूत्रों से मालूम चला है, कि एयर इंडिया ने इस सैक्टर में त्रिवेन्द्रम से एक दर्जन से अधिक उड़ाने भरने की अनुमति मांगी है। खाड़ी सैक्टर में कार्यरत कर्मचारियों को सीट के लिये एक हफ्ते तक इन्तजार करना पड़ता है। इसलिये, मै माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खाड़ी सैक्टर एक अत्यन्त लाभप्रद सैक्टर है, इस सैक्टर में एयर इंडिया की समुचित उड़ान भरने की मांग को स्वीकार कर लिया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न मूल प्रश्न का ही भाग है।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, हां।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, प्रश्न वास्तविक रूप से सिर्फ खाड़ी से संबद्ध है। इसलिये, मै समझता हूं कि यह प्रश्न का सबसे संगत भाग है।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि एयर इन्डिया का 30 से 33 प्रतिशत राजस्व अकेले खाड़ी के देशों से मिलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कल मैंने अधिकारियों से भेंट की थी और मैने उनसे अनुरोध किया कि जहां तक इन-फ्लाइट सेवा, समय की पाबन्दी, और कैबिन के सदस्यों के आचरण और व्यवहार का संबंध है, उसमें सुधार किया जाना है। हमने निर्णय लिया है कि खाड़ी के देशों के लिए विशिष्ट अधिकारियों की भर्ती करेंगे इसका कारण यह है कि यह ऐसा क्षेत्र है जिससे एयर इन्डिया को अपने कुल राजस्व का एक-तिहाई भाग प्राप्त होता है।

जहां तक खाड़ी के देशों का संबंध है, हमने मुम्बई, दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, मद्रास, हैदराबाद एवं कालीकट से उड़ान की व्यवस्था की हुई है। इन मार्गों में से, त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों को सबसे अधिक यात्री यात्रा करते हैं। वर्ष 1992-93 में, 1,37,000 यात्री और 1993-94 में लगभग 1,80,000 यात्री इस मार्ग से खाड़ी के देशों को गए। जहां तक दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद और कालीकट का संबंध है, इन मार्गों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत कम है। वास्तविकता यह है कि कालीकट से 44,000 और मद्रास से 7,000 यात्रियों की तुलना में त्रिवेन्द्रम से खाड़ी क्षेत्र पहुंचने वालों की संख्या 1,80,000 है, यह आंकडा स्वंय दर्शाता है कि त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के बीच अधिकाधिक विमान उड़ान भर रहे है।

महोदय, हम इस क्षेत्र में और अधिक विमानों को चलाना चाहेंगे लेकिन हमारे पास धावन-पथों की कमी है। हम धावन-पथों की संख्या को बढ़ाने की प्रक्रिया में है। हमारे पास टर्मिनल भवन की भी समस्या है। हम एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इस बीच जहां तक खाड़ी प्रदेश का संबंध हैं, त्रिवेन्द्रम को प्राथमिकता दी जाएगी।

डॉ० मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय नागर विमानन मंत्री जी ने बताया है कि इन्डियन एयरलाइन्स एवं एयर इंडिया की आय में कमी का एक प्रमुख कारण अवमूल्यन है। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं इस सिद्धांत को समझ नहीं पाया हूं क्योंकि अवमूल्यन, किसी भी कम्पनी/संस्था के लाभ-हानि खाते में नियमित रूप से शामिल किये जाने वाला प्रभार होता है। उन्होंने सदन में कहा कि चूंकि विदेश से नये विमान की खरीद की गई है इसलिए वे इन विमानों पर बहुत अधिक अवमूल्यन लेते हैं। मैं अवमूल्यन के सिद्धान्त के बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा। वे नये विमान पर किस प्रकार से बहुत अधिक अवमूल्यन लगा सकते हैं क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं यह एक नियमित व्यय है?

श्री गुलाम नबी आजाद : जब हम नया विमान खरीदते हैं तब हम विदेशी बैंको से ऋण लेते हैं। उस ऋण पर हमें ब्याज का भुगतान करना होता है। अतः हमें मूलतः ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।

डा० मुमताज अंसारी : महोदय, ब्याज को अवमूल्यन का एक भाग नहीं समझा जाना चाहिए। अवमूल्यन एक अलग मद है और ब्याज बिलकुल इस से अलग मद है।

श्री गुलाम नबी आजाद : इसलिए मैंने कहा है कि अवमूल्यन में ब्याज और सब कुछ शामिल होता है।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा : माननीय अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान में एयर-इंडिया और इंडियन एयर-लाइंस की सेवाएं मेरे हिसाब से बहुत खराब हैं और जो प्राइवेट एयर-लाइंस है वह कम किराया लेना चाहती हैं। लेकिन उसकी मोनोपली है और वह कम किराया करने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप कम किराया करने के लिए तैयार हों तो कई एयर-लाइंस किराया कम करके अच्छी सर्विस देना चाहती हैं। तो मेरी माननीय मंत्री जी से विनती है कि आप हिन्दुस्तान के लोगों के लिए, जनता के लिए कम किराया करने की इजाजत दे और हमारे जैसे पिछड़े स्थान में जैसे हमारा 20 साल से एयर-पोर्ट है भूतपूर्व मंत्री आपके गढ़वी जी ने उसका उद्घाटन किया था वह शुरू करने की इजाजत नहीं देते है तो क्या माननीय मंत्री जी उसके लिए कुछ सोचेंगे?

श्री गुलाम नबी आजाद : श्रीमान, यह बिल्कुल ठीक नहीं है कि प्राइवेट एयरलाइंस वाले कम किराए पर चलाना चाहते हैं बल्कि वह कहते हैं कि बहुत कम किराया है और खाली वही नहीं बल्कि इंडियन एयरलाइंस भी कहती है कि कम किराया है क्योंकि हमारे देश में बाकी देशों के मुकाबले में जहां तक हवाई जहाज के पैट्रोल का संबंध है वह 166 प्रतिशत ज्यादा है। तो उसके हिसाब से जहां तक हमारा किराया है वह दुनिया में सबसे कम है और हमारे पैट्रोल प्राइसिज दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इसलिए उसके कम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता हैं।

श्री हरिसिंह चावड़ा : दो तीन कंपनी कम करना चाहती हैं। मैं आपको बताऊं तो आप उसकी इजाजत देंगे।

श्री रतिलाल वर्मा : दो-तीन कंपनियों का किराया कम हैं। .... (व्यवधान)

श्री हराधन राय : मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि विदेशियों के चलते 70 करोड़ रुपए नफा हुआ है। विदेशियों के चलते 545 करोड़ रुपया दोनों में घाटा हुआ हैं। एक में 70 करोड़ रुपया और एक में 535 करोड़ रुपया। दोनों को मिलाकर 600 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। अगर घाटा ऐसे चलता जाएगा तो एयरलाइंस उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके संबंध में कौनसी नीति सरकार की है? विदेशी जहाजों को बंद करके सरकार खुद क्यों नहीं चलाए। इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा।

श्री गुलाम नबी आजाद : श्रीमान, यह गलतफहमी है। विदेशी कोई नहीं चला रहे है, यह सब हिन्दुस्तानी चला रहे है। .... (व्यवधान) आपको प्राइवेट और विदेशी में फर्क करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि एअर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस दोनों ही केवल पुराने मार्गों में, जहां अधिकांश यात्री भारतीय होते हैं, अपनी सेवायें उपलब्ध कराने की अपनी पूर्व नीति का अनुसरण कर रहे हैं। आरम्भ से ही इस नीति का अनुसरण किया जाता रहा है और मै नहीं जानता कि इसका क्या कारण है। हमारे समक्ष सिंगापुर और हांगकांग जैसे बहुत छोटे लेकिन सशक्त अर्थ व्यवस्था वाले देशों का जीता-जागता उदाहरण है। एक की जनसंख्या 27 लाख है और दूसरे की 50 लाख है। उनकी एयर लाइन्स कम्पनियां एयर इन्डिया से भी अधिक उडाने भर रही हैं क्योंकि वे अपने लोगों को इसमें लाते ले जाते नहीं है बल्कि वें अन्य लोगों को अपनी सेवायें दे रहे हैं। ये अपनी सेवा सारे विश्व को उपलब्ध करवा रहे हैं।

मैं महसूस करता हूं कि डा. मनमोहन सिंह जी की विश्व व्यापीकरण नीति उस दिशा में लागू नहीं की गई है, जिस क्षेत्र में जाने का जहां कोई विरोध नहीं होता हो। अन्य मामलों में जब भारतीय अर्थ-व्यवस्था विश्व-व्यापी स्तर पर होती है, तब हमारे हितों को नुकसान पहुंचता है और इसलिए हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। क्या एयर इन्डिया अथवा इन्डियन एयरलाईन्स अथवा मंत्रालय के पास इन सेवाओं का गैर-परम्परागत मार्गों तक विस्तार करने और यह सेवा सम्पूर्ण विश्व को उपलब्ध करवाने संबंधी कोई नीति है।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने कम से कम आखिर में विश्व-व्यापीकरण की बात तो की।

श्री अमल दत्त : केवल इसी क्षेत्र में।

श्री गुलाम नबी आजाद : आखिरकार, उन्होंने हमारी नीति को मान लिया है।

श्री अमल दत्त : आपके पास कोई नीति नहीं है और मैं यही बात कह रहा हूं।

श्री गुलाम नबी आजाद : यह सच है कि अभी भी हम अधिकांशतः अपने भारतीय यात्रियों की सेवा कर रहें हैं लेकिन हम निस्सन्देह उन क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहते हैं जहां हमने प्रवेश नहीं किया है।

श्री अमल दत्त : इसके पीछे क्या नीति है?

श्री गुलाम नबी आजाद : इसका कारण विमानों की कमी था। परन्तु गत कुछ समय पहले हमने कई क्षेत्रों में प्रवेश किया है। हमने एक लम्बे अर्से के बाद दक्षिण अफ्रीका एवं आस्ट्रेलिया में प्रवेश किया है। हम कुछ और विमान खरीद रहे हैं। जब भी ये विमान उपलब्ध हो जाएंगे तब हम अन्य क्षेत्रों में भी उड़ान भरना शुरू कर देंगे।

श्री अमल दत्त : आप विमान किराए पर लीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो आप चौबीस घण्टों में इन विमानों की संख्या को दुगुनी कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स की अन्तर्राष्ट्रीय रूट्स में खास तौर पर गल्फ कंट्रीज में जो उड़ान होती है उनमें होने वाली कठिनाइयों का एक कारण यह भी है कि दूसरी एअरलाइन्स निश्चित रकम से कम चार्ज करती हैं। इसकी वजह से भी पैसेंजर्स दूसरी एअरलाइन्स में ट्रैवल करना पसन्द करते हैं। इसलिए इंडियन एअरलाइन्स और एयरइन्डिया में वौल्यूम आफ ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा है। क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे जिससे इस तरह की प्राइस की अंडर कटिंग रोक दी जाये।

श्री गुलाम नबी आजाद : गल्फ के बारे में आपने खास तौर से पूछा है, जहां तक हमारी जानकारी है इंडियन एयरलाइन्स और गल्फ की जितनी भी एअरलाइन्स है उनमें यह एग्रीमेंट है कि सभी एअरलाइन्स चाहे वह इंडियन एयरलाइन्स, एअर इंडिया हो या दूसरी कोई हो, वे एक ही फेयर चार्ज करेंगी। इस एग्रीमेंट पर सभी चल रहे है।

डा०जी०एल० कनौजिया : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि कोई प्राइवेट एअरलाइन्स किराया कम करने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर ऐसी बात है तो क्या उसके लिये आप ऐश्योरेंस देंगे? आपके जितने भी रूटस है, वे प्राफिटेबल है और आप उनमें प्राइवेट एअरलाइन्स को एलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनको एलाऊ कर देंगे तो इडियन एअरलाइन्स को और भी घाटा होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना हैं?

श्री गुलाम नबी आजाद : अगर माननीय, सदस्य मुझे लिख कर दें कि कोई भी प्राइवेट एअरलाइन्स इंडियन एअरलाइन्स से कम किराये पर अपनी एअरलाइन्स को चलाने के लिये तैयार है तो मैं उनको 24 घंटे में अनुमति दे दूंगा लेकिन जिम्मेदारी माननीय सदस्य की होगी कि वह उसे इंडियन एअरलाइन्स से कम किराये पर चलायेगी। . . . (व्यवधान) . . . .अध्यक्ष महोदय वह धन के लिये प्रोमिस कर रहे है।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : मै प्रोमिस कर रहा हूं।

श्री राजवीर सिंह : आप उनका लाइसेंस तो रद्द नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार की नीति नहीं हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : अध्यक्ष महोदय, इन्डियन एयरलाइन्स को मुख्यतः दो कारणों से बहुत हानि हुई है। इसका एक कारण है ए-320 की उड़ान रद्द कर देना। मैं समझता हूं कि ए-320 की उड़ान रद्द कर देने के कारण 197 करोड़ रुपयों की हानि हुई हैं।

दूसरे, निजी एयरलाइन्स की ओर से प्रतिस्पर्धा के कारण इन सेवाओं को आरम्भ नहीं किया गया था। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अब यह जानना चाहता हूं कि क्या ए-320 विमान की उड़ान रद्द कर देने का निर्णय सही था अथवा उस समय उस निर्णय को टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि अब ये विमान समुचित रूप से उड़ान भर रहे हैं।

तीसरे, क्या उनके बीच कोई साठ-गांठ है क्योंकि ऐसे आरोप है कि इसी साठ-गांठ की वजह से हमारे कई पायलट सेवानिवृत होने के पश्चात अथवा इस्तीफा देने के बाद ऊंचे वेतन पर निजी एयरलाइन्स में भर्ती हो रहे है जिसके परिणाम-स्वरूप हमें हानि हो रही है? इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रतिस्पर्धा के कारण क्या कई एयरलाइन्स पायलटों को ऊंचे वेतन दे रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई विमान सेवा उपलब्ध नहीं है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन विमान सेवाओं को नियमित करने अथवा इन्हें युक्ति संगत बनाने के बारे में विचार कर रही हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : जहां तक उनके प्रश्न के भाग (क) का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजनैतिक कारणों से दुर्भाग्यवश ए-320 की उड़ान रद्द कर देनी पड़ी थी।

जहां तक उनके प्रश्न के भाग (ख) का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि सिर्फ निजी एयरलाईनों के प्रवेश से हमारे एयरलाईनों को हानि नहीं हुई है बल्कि जैसा कि मैंने पहले कहा है पायलटों की कमी आदि कारणों से भी हानि हुई थी।

जहां तक उनके प्रश्न के भाग (ग) का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी मार्गों को पहले ही युक्तिसंगत बना दिया गया है। सरकारी एवं निजी एयरलाइनों को लाभ प्रद एवं हानिप्रद, दोनों मार्गों में अपनी सेवायें उपलब्ध करनी होगी।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया घाटे में जा रही हैं, उसका कारण यह नहीं है कि अगर प्राइवेट एयरलाइन्स के आने की वजह से यह घाटा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई एयरलाइन्स किराया कम करना नहीं चाहती और हमसे ज्यादा किराया ले रही है तो उसको रोकने का हमारे पास क्या प्रबंध है या जो ज्यादा किराया इंडियन एयरलाइन्स ले रही है, क्या उसमें से मुनाफा हमें मिलता है? ज्यादा किराए को कम करने के लिए क्या प्रबंध है? जैसे बंबई से दिल्ली सेक्टर में दो एयरलाइन्स का किराया इंडियन एयरलाइन्स से ज्यादा है। हम उसमे आते है तो हमे डिफरेन्स देना पड़ता है। आप उसकी जांच करवा लीजिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : इसमें तो बहुत कांट्रिडिक्शन है। आपके साथी कह रहे है कि प्राइवेट वाले कम चार्ज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्राइवेट वाले ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि दोनों एयरलाइन्स घाटे में हैं, वह गलत है। इंडियन एयरलाइन्स घाटे में है और एअरइंडिया घाटे में नहीं है। जहां तक आपने कहा कि किसी प्राइवेट एयरलाइन्स में दिल्ली से बंबई तक किराया ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए कोई प्रावधान कानून में नहीं है। जो मार्केट बियर कर सकता है, वह एयरलाइन्स ज्यादा चार्ज कर सकती है और कम चार्ज भी कर सकती है।

[अनुवाद]

डॉ० बसंत पवार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के भाग (क) के संबंध में पूछना चाहता हूं। क्या सरकार ने विमान में बैठने की क्षमता व्यवस्था करने संबंधी नीति में कोई सुधार किया है ताकि नासिक-मुम्बई तथा मुम्बई-पुणे-नासिक जैसे उप-मार्गों की आवश्कताओं की पूर्ति हो सके।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, चूंकि माननीय सदस्य इसके बारे में बहुत चिंतित है इसलिए मैंने उनसे एक विमान की सेवा उपलब्ध करवाने का वादा किया था। अतः गत वर्ष हमने यह घोषणा की थी कि जब तक अवसंरचना की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम ए-737 और उससे बड़े विमानेां को उड़ने की अनुमति नहीं देंगे और हम बड़े विमानों को निजी एयरलाइनों के माध्यम से, जो कि अनुसूचित शिड्यूल्ड है। उड़ान भरने की अनुमति देंगे।

जहां तक नये विमानों का संबंध है, हम बड़े विमानों को तो अनुमति नहीं देंगे लेकिन 30 सीटर वाले विमान को उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी। पूर्व में हमारा यह अनुभव रहा है कि 30 सीटर वाले विमान या तो उड़ान भरने के लिए उपलब्ध नहीं थे या फिर यदि वे उपलब्ध थे तो भी लाभ अर्जित नहीं कर रहे थे। अतः हमने 30 सीटर से 50 सीटर वाले विमानों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पटसन का मूल्य

*322. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे पटसन के स्टाक के संबंध में प्रतिबंधात्मक उपाय करने के लिए पटसन लाइसेंस और नियंत्रण आदेश, 1961 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में टी डी-5 की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कदमों से पटसन की बढ़ती हुई कीमतों पर किस सीमा तक नियंत्रण पाने में सहायता मिली है; और

(ङ) कच्चे पटसन की मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ङ). मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन होने के मुख्य कारण से वर्ष 1994-95 के पटसन मौसम की अंतिम तिमाही के दौरान टी डी-5 ग्रेड के कच्चे पटसन सहित कच्चे पटसन की कीमतों में वृद्धि हुई थी। बुआई के समय प्रतिकूल मौसम होने के कारण वर्ष 1995-96 के दौरान अनिश्चित फसल संभावनाओं द्वारा स्थिति में और भी जटिलता तथा उसके फलस्वरूप बाजार में फसल की आवक में प्रत्याशित विलम्ब हुआ। उस समय कच्चे पटसन की कीमतों में वृद्धि होने की प्रवृति को रोकने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए जैसे :

1) 8 सप्ताह या उससे अधिक की खपत की आवश्यकता की माल-सूची रखने वाली मिलों को पटसन (लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण) आदेश, 1961 के अन्तर्गत निदेश दिया गया कि वे आगे खरीदारी आस्थिगित रखें।
2) 500 क्विंटल से अधिक का स्टाक रखने वाले कच्चे पटसन के व्यापारियों को कहा गया कि वे पटसन आयुक्त के कार्यालय में अपने स्टाक की घोषणा करें।
3) ओ जी एल के अन्तर्गत कच्चे पटसन के आयात की अनुमति दी गई, तथा
4) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि वह अपने लाइसेसिंग प्रवर्तन तंत्र को सक्रिय बनाए।

कच्चे पटसन की कीमतों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति को रोक दिया गया है तथा कीमतों में गिरावट आने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हो रही है।

[हिन्दी]

निर्यात दायित्वों के लिये वैधानिक जिम्मेदारी संबंधी खण्ड

*323. श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जून, 1995 के "आबजर्वर" में "लीगल अन्डरटेकिंग क्लाज फार एक्सपोर्ट आब्लीगेशन गोज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी दो वर्षों के दौरान निर्यातकों को इस प्रकार की सुविधाएं देने से हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग). जी हां। उक्त समाचार "दि आर्ब्जवर" के दिनांक 9 जून, 1995 के अंक में प्रकाशित हुआ था।

2. शुल्क छूट योजना और ई पी सी जी योजना के अंतर्गत बचाई गई शुल्क की राशि के संबंध में जब सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को जमानत और प्रतिभूति सहित एक बाण्ड प्रस्तुत करना होता है। जहां तक निर्यात की देयताओं को पूरा करने का संबंध है, प्रार्थी को इस योजना के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा/वचन देना होता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लाइसेंसिंग प्राधिकारी तथा सीमाशुल्क प्रधिकारी, दोनों के बैंक गारंटी देने की आवश्यकता समाप्त की जा सके। इससे निर्यात करना सुविधाजनक होगा।

[अनुवाद]

चाय के निर्यात हेतु संयुक्त उद्यम

*325. श्री राम कापसे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय उत्पादकों ने 1994-95 और 1995-96 के दौरान आज तक विश्व बाजार में अपनी चाय का हिस्सा सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त उद्यमों संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में असम के चाय उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उत्पादकों की शिकायतों के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) वर्ष 1994-95 के दौरान तथा जून 1995 तक, टाटा टी लिमिटेड और लायन्स टेटली ग्रुप आफ कम्पनीज की सहायक कम्पनी के बीच संयुक्त उद्यम के मात्र एक मामले की सूचना मिली जो विदेशों में भारतीय चाय को बढ़ावा दे रहा है। असम के चाय बागान मालिकों से कोई भी अभ्यावेदन सरकार या टी बोर्ड को नहीं मिला है जिसमें संयुक्त उद्यमों के बारे में शिकायत की गई हो। तथापि, भारतीय चाय संघ ने सरकार को यह सूचित करते हुए हाल ही में एक पत्र भेजा है कि रूसी बाजार में शुद्ध भारतीय चायों के एक ब्राण्ड को बढ़ावा देने के लिए इसने भारतीय चाय उत्पादकों का एक संघ बनाने का प्रस्ताव किया है तथा रूस में भारतीय ब्लेण्ड की चाय के विपणन के लिए यह मैसर्स आई टी सी ग्लोबल होल्डिंग्स (आई जी एच) के साथ बातचीत करेगा।

[हिन्दी]

मूल्य वृद्धि

*327. श्री बिलासराव नागनाथराव गूंडेवार :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान मुद्रास्फीति की दर तथा थोक मूल्य सूचकांक में कमी आने के बावजूद रोजमर्रा की तथा आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाने के लिये सरकार का विचार क्या ठोस कदम उठाने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). इस वर्ष मार्च के बाद मुद्रास्फीति की दर में काफी स्थिर कमी यह अन्तर्निहित करती है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक मूल्यों में वृद्धि काफी काम है। पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) में थोक मूल्य सूचकांक में पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 5.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 447 वस्तुओं, जिनके थोक मूल्यों का अनुवीक्षण किया जाता है, में से लगभग 109 वस्तुओं ने फरवरी, 1995 के बाद मूल्यों में गिरावट दर्ज किया। 30 अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में समग्र वृद्धि ने 5.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की, जो इस समूह द्वारा पिछले वर्ष समतुल्य अवधि में दर्ज 8.4 प्रतिशत की वृद्धि से कम है। इस समूह में थोक मूल्यों में पूर्ण गिरावट गेहूं, चना, सरसों तेल, वनस्पति, मछली, आटा, नारियल तेल, दियासलाई और काफी में दर्ज की गई।

अनिवार्य वस्तुओं के सूचकांक में वृद्धि में बड़े पैमाने पर अंशदान, सब्जियों, चावल, दालों, चाय और गुड़ जो आंशिक रूप से मौसमी स्वरूप में है, के मूल्यों में वृद्धि द्वारा हुआ है।

सरकार सतर्क है और अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। ये निम्ननुसार हैं :-

(1) बाजार मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए चालू राजकोषीय वर्ष से चावल और गेहूं की भा. खा. नि. की खुले बाजार में बिक्री जारी रखना।

(2) 30 प्रतिशत के घटे हुए शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन खाद्य तेलों (नारियल तेल को छोड़कर) के आयात की अनुमति देना।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति के लिए 20 प्रतिशत के रियायती शुल्क पर 1.5 लाख टन पामोलिन का आयात करना।

(4) चीनी के लिए खुले सामान्य लाइसेंस की आयात नीति जारी रखना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भंडार में वृद्धि करने के लिए आयात करने की अनुमति देना।

(5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी के आवंटन को 5 प्रतिशत बढ़ाना।

(6) शुल्क को 5 प्रतिशत घटाकर खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन दालों का आयात।

(7) आयातित अनिवार्य उत्पादों के लिए भण्डार सीमा में छूट।

(8) औद्योगिक उत्पादों की कीमतों में मुद्रास्फीति नियन्त्रित करने के लिए चालू वित्त वर्ष में व्यापार और शुल्क नीतियों में समायोजन।

(9) पिछले वित्तीय वर्ष में 6.7 प्रतिशत (संशोधित अनुमान) की तुलना में स.घ.उ. के 5.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य।

(10) मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को संतुलित करना।

सोने की तस्करी

*328. श्री राम टहल चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एयर लाइंस के कुछ अधिकारीगण सोने की तस्करी में शामिल पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है;

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ङ) वर्ष 1994 के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक सोने की तस्करी के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(च) क्या ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ज) : गत 12 महीनों में ऐसे दो मामलों का पता लगाया गया है जिसमें एयरलाइनों के कर्मचारी सोने की तस्करी में शामिल थे। 13-12-1994 को, विदेशी एयरलाइन के एक कर्मचारी से 2.10 लाख रुपए मूल्य का 466.6 ग्राम सोना उस समय बरामद किया गया था जब वह सहार हवाई अड्डा, बम्बई स्थित सीमा शुल्क से गुजर रही थी। 31-7-1995 को, इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली पर एक कैरियर से 8.01 लाख रुपए मूल्य का 2.14 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था जिसकी सहायता किसी एयरलाइन का एक कर्मचारी कर रहा था। पहले वाले मामले का सोने की जब्ती करके और दोषी व्यक्ति पर 25,000/- रुपए का व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगा कर पहले ही न्यायनिर्णयन कर दिया गया है। दूसरे वाले मामले में जांच-कार्य चल रहा है। देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पता लगाए

गए सोने की तस्करी के मामलों की कुल संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:-

1994	:	606 मामले
1995 (31-7-95 तक)		447 मामले

रिपोर्टों से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के जरिए सोने की तस्करी किए जाने के प्रयास में कमी आने का पता चलता है।

सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तस्करी-रोधी गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। संदिग्ध व्यक्तियों पर और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोक थाम में लगी सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जाता है।

[अनुवाद]

बैंक और करेंसी नोट पेपर की कमी

*329. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री एस०एस०आर० राजेन्द्र कुमार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न करेंसी नोटों मुद्रणालयों में बैंक और करेंसी नोट पेपर के अत्यधिक अभाव के कारण देश में कम मूल्य वर्ग के नोटों की कमी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

कपड़ा मिलों का बंद किया जाना

*330. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की अनेक कपड़ा मिले बंद कर दी गई हैं जिसके कारण दो लाख से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कपड़ा उद्योग के प्रमुख मजदूर संघों की संयुक्त कार्यवाही समिति ने सरकार से गैर-सरकारी क्षेत्र में कपड़ा मिलें बंद होने की समस्या का अध्ययन करने के लिये त्रिपक्षीय बैठक बुलाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध मे क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० बेंकट स्वामी) : (क) और (ख). आई डी अधिनियम के अंतर्गत कोई मिल बंद नहीं है। 31 सूती मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें सरकारी व्यासमापन के अंतर्गत बंद पड़ी हुई बतलाई गई हैं तथा 114 सूती मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें मुख्यतः वित्तीय समस्याओं, हड़ताल तथा तालाबंदी के कारण से अस्थाई रूप से बंद पड़ी हुई हैं। 145 मिलों के बन्द होने के कारण 190766 कामगार प्रभावित हुए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन

331. **श्री रवि राय :
डॉ० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाबार्ड" ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के पुनर्गठन हेतु गठित समिति में राज्यों को प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और प्रबंधन संबंधी मुद्दों की नियमित तौर पर जांच के लिए एक स्थाई समिति का भी गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। चार राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए समिति का व्यापक आधार बनाया गया है।

(ग) और (घ). वर्ष 1994-95 के दौरान शुरू किये गये तथा वर्ष 1995-96 में जारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधकीय और वित्तीय पुनर्गठन से संबंधित प्रमुख नीतिगत मामलों की जांच करने और उक्त कार्य की प्रगति की निगरानी करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक के एक-एक अधिकारी और गोरखपुर ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष इस समूह के सदस्य हैं।

निरंतर आधार पर नीतिगत मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के पास सिफारिशें भेजने और तिमाही अंतरालों पर पुनर्गठन के कार्य की प्रगति को रिपोर्ट देने के लिये इस समूह का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

पैकेजिंग की खराबी के कारण निर्यात की गई वस्तुओं का वापस किया जाना

*332. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
डॉ० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैकेजिंग की खराबी के कारण विभिन्न निर्यात वस्तुएं तथा इंजीनियरिंग उत्पाद विदेशों से काफी मात्रा में वापस भेजा जा रहा है अथवा मार्ग में क्षतिग्रस्त हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितने मूल्य के इंजीनियरिंग उत्पाद, सिले-सिलाए वस्त्र और खाद्य सामग्री को वापस किया गया अथवा ये परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त हुए; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग). 1. संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, उन्हें इस संबंध में अभी तक कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं मिली है।

2. निर्यात-उत्पादों को मार्ग में होने वाली क्षति से बचाने के लिए उनकी सही पैकेजिंग के महत्व को समझते हुए निर्यात संवर्धन परिषदें तथा अन्य संस्थाएं प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं के द्वारा भारतीय निर्यातकों को पैकेजिंग के स्तर में सुधार लाकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारतीय पैकेजिंग संस्थान पैकेजिंग के बारे में तकनीकी परामर्श तथा परीक्षण सेवाएं प्रदान करता है। विशेष रूप से पैकेजिंग संस्थान ने पपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल (ए.ई.पी.सी.) के सहयोग से पोशाकों के लिए पैकेजिंग सिस्टम तथा इण्डियन मशीन टूल्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के सहयोग से मशीन औजारों के निर्यात के लिए एक प्रथा संहिता तैयार की है। इसके अतिरिक्त, कृषि संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण ने अनेक ताजे फलों ओर सब्जी उत्पादों के लिए मानक पैकेजिंग विकसित की है।

3. विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं से भी नवीनतम पैकेजिंग उपकरणों तथा कच्चे माल को रियायती/शून्य शुल्क पर प्राप्त करने में समर्थ होते हैं जिससे निर्यात मदों की पैकेजिंग में सुधार हो सके।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अतिरिक्त भूमि

*333. **डॉ० महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र में विभिन्न राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा मिल-वार कुल कितनी अतिरिक्त भूमि बेची गई;

(ख) भूमि की विक्री के लिए क्या मानदंड अपनाए गए; और

(ग) उक्त भूमि की विक्री से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क). पिछले दो वर्षों के दौरान एन टी सी की मिलों द्वारा कोई भूमि नहीं बेची गयी है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एअर इंडिया द्वारा कारों की बिक्री

*334. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एअर इंडिया ने अपने सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों को अत्यधिक कम मूल्य पर कारें बेची हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एअर इंडिया द्वारा पुरानी कारों की बिक्री संबंधी नियम और प्रक्रिया क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). सेवा निवृत्त होने वाले कार्यपालकों द्वारा कारों को अपने पास ही रखने की अनुमति देने संबंधी एअर इंडिया बोर्ड के निर्णय को रोक दिया गया है। यदि किसी सेवा निवृत्त कार्यपालक को कार पहले ही दे दी गई है तो उसे वापस लेने के अनुदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

(ग) एअर इंडिया द्वारा पुरानी कारों के निपटान के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है :-

सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक बार कारों को बेकार घोषित करने का निर्णय ले लिए जाने पर भारत सरकार का उपक्रम, मै० मेटल्स स्क्रेप ट्रेड कार्पोरेशन जिसके साथ एअर इंडिया ने ठेका किया है, एअर इंडिया की पुरानी/प्रयुक्त कारों के निपटान के संबंध में कार्रवाई करती है। समाचार-पत्रों में सार्वजनिक विज्ञापन जारी किए जाते हैं और मै० मेटल्स स्क्रेप ट्रेड कार्पोरेशन द्वारा प्राप्त मुहरबन्द प्रस्तावों की एअर इंडिया द्वारा जांच तथा मूल्यांकन किया जाता है। कारें सबसे अधिक बोली देने वालों को मै० मेटल्स स्क्रेप ट्रेड कार्पोरेशन लि० के माध्यम से बेची जाती हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में विमान पत्तनों का आधुनिकीरण

*335. **श्री एन० जे० राठवा :**
श्री काशीराम राणा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और उस पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं;

(घ) क्या इस वर्ष कार्य पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ). गुजरात राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से, अहमदाबाद हवाई अड्डे के धावनपथ को 9000 फुट से बढ़ाकर 12000 फुट करने और सूरत हवाई अड्डे को, इसके स्तरोन्नयन के लिए, अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राज्य सरकार से धावनपथ विस्तार के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे पर लगभग 140 एकड़ भूमि प्राप्त करने का अनुरोध किया है।

सूरत हवाई अड्डा गुजरात राज्य सरकार का है। धन की उपलब्धता और शुरू की गई/की जाने वाली परियोजनाओं की अग्रता को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए इस हवाई अड्डे को, इसके स्तरोन्नयन के लिए, हाथ में लेना संभव नहीं है।

ऋण भार

*336. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** :
श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देशी तथा विदेशी ऋणों पर अलग-अलग ब्याज की कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष कितने देय ब्याज का समय पर भुगतान नहीं किया जा सका और इसके क्या कारण थे; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे ऋणों पर ब्याज के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि कम करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). केन्द्रीय सरकार द्वारा घरेलू और विदेशी ऋणों पर गत तीन वर्षों के दौरान किए गए ब्याज के भुगतान की राशि वर्षवार नीचे दी जाती है:

(करोड़ रुपए)

	1992-93	1993-94	1994-95 (संशोधित अनुमान)
घरेलू ऋण और ऋण देनदारियों पर ब्याज	27546	33016	39890
विदेशी ऋण पर ब्याज	3529	3724	4110
जोड़ :	31075	36740	44000

(ख) सरकार ने अपने उधारों पर देय ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ग) सरकार ऋण पर ब्याज और मूलधन की वापसी अदायगी के भारत को घटाने के प्रयत्नों के हिस्से के रूप में अपने राजकोषीय घाटे को कम करने की इच्छुक है। राजकोषीय घाटा जो वर्ष 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद का 8.4 प्रतिशत, वर्ष 1993-94 में सकल घरेलू उत्पाद का 7.7 प्रतिशत और वर्ष 1994-95 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद का 6.7 प्रतिशत था, वर्ष 1995-96 (बजट अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद के 5.5 प्रतिशत पर रखा गया है। इस कमी से सरकार की ब्याज देनदारी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुद्रास्फीति की दर में कमी से भी सामान्यतः ब्याज की दरें और नए सरकारी ऋण पर ब्याज की देनदारी कम करने में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी के मूल्यों में कमी

*337. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राजील में कॉफी की अच्छी फसल होने के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्यों में कोई कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार तथा देश के बाजार में भारतीय कॉफी के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) देश में कॉफी के मूल्य में प्रति किलो कितनी कमी हुई है;

(घ) क्या सरकार को आशा है कि कॉफी के मूल्य में और कमी आएगी; और

(ङ) यदि हां, तो कॉफी के मूल्यों में और कमी, जिसका लघु और मझोले किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ङ). ब्राजील में पाले की वजह से हुई बताई गई फसल की क्षति के परिणामस्वरूप वर्ष 1994 में काफी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई थी जो सितंबर, 1994 में अरेबिका के लिए 220.10 अमरीकी सेंट/पौण्ड की चरम सीमा तक पहुच गई थी जबकि जनवरी, 1994 में अरेबिका के लिए यह 71.21 अमरीकी सेंट/पौण्ड के स्तर पर रही थी। हालांकि प्रमुख कॉफी उत्पादक देशों में चालू मौसम में कॉफी उत्पादन के सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो भी उनमें से किसी भी देशों में कोई ज्यादा क्षति होने की रिपोर्टें नहीं मिली हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की नियमित सप्लाई होती रहने से जुलाई, 1995 के प्रथम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अरेबिका की कीमतें घटकर 129.92 अमरीकी सेंट/पौण्ड तक आ गई थी लेकिन अब उसमें संतुलित वृद्धि का रूप दिखाई देता है और वे इस समय अरेबिका के लिए कीमतें 140 से लेकर 150 अमरीकी सेंट/पौण्ड के बीच चल रही हैं। भारतीय कॉफी की घरेलू तथा निर्यात कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कीमत रुख का प्रभाव पड़ा है। पिछले चार महीनों में घरेलू बाजार में कॉफी बीजों की कीमतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

मासिक औसत कीमत	बागान "क"	अरेबिका चेरी (प्रति कि.ग्रा.)	रोबस्टा चेरी
अप्रैल	130	108	103

मासिक औसत कीमत	बागान "क"	अरैबिका चेरी (प्रति कि.ग्रा.)	रोबस्टा चेरी
मई	21	111	98
जून	109	103	91
जुलाई	97	89	85

यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की कीमत में तेजी से और गिरावट आने की कोई परिकल्पना नहीं की गई है, तथापि, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चल रहे कीमत रुख पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है ताकि आवश्यक समझे जाने पर उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

[हिन्दी]

अमरीका द्वारा पूंजी निवेश

*338. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :** क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत मे कितनी और किन-किन अमरीकी कंपनियों ने पूंजी निवेश किया है और उन्होंने राज्य-वार कितना पूंजी निवेश किया है;

(ख) क्या आगामी वर्षों के दौरान अमरीकी द्वारा पूंजी निवेश में वृद्धि किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि किए जाने की आशा है; और

(घ) अमरीका से अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सरकार ने 1.8.1991 से 30.6.1995 की अवधि के दौरान अमरीकी कंपनियों से प्राप्त 10,200 करोड़ रुपए से अधिक की इक्विटी भागीदारी वाले 627 विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

2. इन कंपनियों के नाम भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मासिक सूचना-पत्र के अनुपूरक के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। सूचना-पत्र की प्रतियां नियमित रूप से संसदीय ज्ञानपीठ को भेजी जाती हैं। विवरणों में भारतीय कंपनी का नाम, विनिर्माण की मद, विदेशी सहयोगी का नाम, विदेशी निवेश की मूलोत्पत्ति के देश एवं प्रत्येक प्रस्ताव में स्वीकृत निवेश की मात्रा शामिल है।

3. अमरीकी कंपनियों से विदेशी निवेश का राज्य-वार ब्यौरा दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

4. चूंकि उद्यमियों से आवेदन की प्राप्ति पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों हेतु स्वीकृतियां प्रदान की जाती हैं, अतः भावी प्रक्षेपण नहीं किया जा सकता।

5. विदेशी निवेश का आकृष्ट करने हेतु नीति उपायों का ब्यौरा 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में सभा-पटल पर रखे गए औद्योगिक नीति के विवरण में दिया गया है। सरकार विदेशी निवेश हेतु नीतिगत ढांचे की निरन्तर समीक्षा करती है ताकि इसे उत्तरोत्तर निवेशक के लिए मित्रवत् एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाया जा सके।

विवरण

अगस्त, 1991 से जून, 1995 की अवधि के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मामले

अगस्त 91-जून, 95
(करोड़ रुपए)

राज्य	संख्या	निवेश
अन्य	238	2799.87
महाराष्ट्र	94	2003.05
पं० बंगाल	20	1993.87
तमिलनाडु	56	1200.95
दिल्ली	47	631.44
आंध्र प्रदेश	19	425.29
गुजरात	30	260.58
मध्य प्रदेश	6	237.11
हरियाणा	21	133.84
कर्नाटक	40	124.48
उत्तर प्रदेश	17	98.83
पांडिचेरी	3	97.46
चंडीगढ़	4	69.51
बिहार	3	69.27
राजस्थान	7	33.15
गोआ	4	23.13
अरूणाचल प्रदेश	1	10.50
केरल	7	9.70
पंजाब	4	5.91
हिमाचल प्रदेश	2	1.87
दादर एवं नागर हवेली	1	0.84
असम	2	0.72
उड़ीसा	1	0.10
	627	10231.46

रूई का आयात

*339. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की रूई

का आयात किया गया और चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की रूई का आयात किये जाने की संभावना है;

(ख) इस आयात का घरेलू बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) रूई का कम से कम आयात करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आयात की गई कपास की मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	मात्रा (लाख गांठें)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1991-92	3.00	194.00
1992-93	1.15	90.00
1993-94	3.00	306.00
1994-95 (अनंतिम)	4.50	543.15

(ख) ओर (ग). वस्त्र मिलों द्वारा ओ जी एल के अंतर्गत कपास का आयात किया जा रहा है जिससे मांग के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता में सहायता मिलती है। चालू नीति कपास की मांग और पूर्ति तथा कीमतों पर आधारित है जिसकी बराबर पुनरीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

आई०सी०आई०सी०आई० द्वारा राज्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

*340. **श्री एस० एम० लालजान बाशा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया ने राज्य सरकारों की कुछ परियोजनाओं को आधारभूत सुविधाओं हेतु वित्तपोषण की पेशकश की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में ऐसी किसी परियोजना को स्वीकृति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी राज्यों को इन्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की पेशकश भेज दी गई है; और

(च) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च). भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि. (आई. सी. आई. सी. आई.) ने सूचित किया है कि उसने अभी तक किसी भी राज्य सरकार की आधारिक परियोजना को प्रत्यक्ष रूप से वित्त-पोषित नहीं किया है। उसने इस सम्बन्ध में किसी राज्य सरकार से कोई पेशकश भी नहीं की है। तथापि, आई. सी. आई. सी. आई. ने यह भी सूचित किया है कि उसने पश्चिमी बंगाल और केरल राज्य सरकारों के अनुरोध पर इन राज्यों में संयुक्त उद्यम कंपनियां बनाने के लिए पहल की है। इन कंपनियों से आशा की जाती है कि वे निजी भागीदारी के जरिए आधारिक विकास के संवर्धन को सुकर बनाने के लिए महतवपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। ऐसा आधारिक आवश्यकता के अध्ययन संभाव्यता अध्ययन, आधारिक परियोजनाओं की व्यावसायिक रूप से अर्थक्षम इकाइयों के रूप में संरचना करके तथा ऐसी परियोजनाओं में गैर-सरकारी पूंजी आमंत्रित करके किए जाने का प्रस्ताव है।

सिक्योरिटी प्रेस, मैसूर

3296. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सिक्योरिटी प्रेस, मैसूर अपना कार्य कब से करना प्रारम्भ कर देगी;

(ख) क्या अनेक किसानों ने इस प्रेस के लिए अपनी भूमि दी है;

(ग) क्या प्रस्तावित सिक्योरिटी प्रेस में भूमिहीन हो गए लोगों तथा स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) नए नोट प्रेस, मैसूर में उत्पादन का प्रथम चरण मार्च, 1996 तक प्रारम्भ होने का अनुमान है।

(ख) नए नोट प्रेस, मैसूर ने किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया था। परन्तु लगभग 328 एकड़ भूमि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के. आई. ए. डी. बी.) द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी और उसे नए नोट प्रेस, मैसूर, भारतीय रिजर्व बैंक को आबंटित कर दिया था और उनके द्वारा भूमि की लागत के रूप में 1.78 करोड़ रुपए की राशि भी अदा कर दी गई थी।

(ग) और (घ). नए नोट प्रेस में विभिन्न पदों पर भर्ती के मामले में भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाता है।

कताई मिलों द्वारा धागा लौटाया जाना

3297. **श्री संदीपन भगवान थोरात** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कताई मिलों ने हैंक यार्न दायित्वों के अंतर्गत धागे को लौटाने के संबंध में अपना लेखा प्रस्तुत किया है;

(ख) कितना धागा लौटाया गया और इसका मूल्य कितना है;

(ग) राज्यवार हैंक यार्न दायित्वों को पूरा न करने वाली चूककर्ता कताई मिलों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किये गए;

(घ) क्या सरकार का विचार हैंक यार्न दायित्व संबंधी नियम हटाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क). जनवरी-मार्च, 1995 तिमाही के दौरान कुल 428 कताई मिलों के हस्तान्तरण के द्वारा हैंक यार्न दायित्वों की पूर्ति की गई है।

(ख) कुल 203.64 लाख किलोग्राम हैंक यार्न लौटाया गया।

(ग) जनवरी-मार्च, 1995 तिमाही के दौरान जिन कताई मिलों ने हैंक यार्न दायित्व की पूर्ति का उल्लंघन किया है उनके संबंध में 16 जून, 1995 तक दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	दायर की गई एफ आई आर
1.	आन्ध्र प्रदेश	11
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	हरियाणा	2
5.	कर्नाटक	2
6.	केरल	1
7.	मध्य प्रदेश	16
8.	महाराष्ट्र	81
9.	उड़ीसा	4
10.	राजस्थान	3
11.	तमिलनाडु	38
12.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	161

(घ) जी नहीं।

(ङ) हथकरघा क्षेत्र में हैंक यार्न की मांग की पूर्ति करने और इसके मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सहकारी कताई मिलों सहित कताई मिलों और हैंक यार्न की पैकिंग के संबंध में लगाये गये अनुबंधों में छूट देना सम्भव नहीं है।

अनिवासी भारतीयों के लिए योजनाएं

3298. **श्री रामटहल चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवासी भारतीयों के लिए विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों का आकलन करने हेतु कार्यदल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यदल, अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत कर देगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14.10.1994 को भारतीय रिजर्व बैंक एवं सरकार के प्रतिनिधित्व से युक्त एक कार्यदल गठित किया गया था। भारत में निवेश हेतु अनिवासी भारतीयों (एन. आर. आईज.) को उपलब्ध विभिन्न योजनाओं तथा प्रोत्साहनों, प्रचालनात्मक प्रक्रिया विधियों की पुनरीक्षा करने तथा योजनाओं एवं प्रक्रिया विधियों में यथावश्यक समझे जाने सुधारों/संशोधनों की सिफारिश भारत सरकार से करने हेतु कार्यदल का गठन किया गया था।

(ग) कार्यदल ने मई, 1995 में भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं।

[हिन्दी]

खान दुर्घटनाएं

3299. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान देश की विभिन्न खानों में राज्य-वार कितनी दुर्घटनाएं हुई और इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति हताहत हुए; और

(ख) सरकार ने इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क). विभिन्न कोयला खानों और गैर-कोयला खानों में घटी दुर्घटनाओं की संख्या और उनमें जख्मी हुए/मारे गए व्यक्तियों की संख्या निम्मानुसार है:-

	दुर्घटनाओं की संख्या*		व्यक्तियों की संख्या*	
	घातक	गम्भीर	मारे गए	जख्मी हुए
कोयला खानें	142	760	169	822
गैर-कोयला खानें	67	261	98	283

*अनंतिम

(ख) खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन खानों में नियुक्त व्यक्तियों को सुरक्षा के संबंध में उपबंध समाविष्ट किए गए हैं। इन कानूनों की सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है और समय-समय पर इनमें संशोधन किया जाता है। वर्ष 1990 के दौरान कोयला खान, विनियम 1957 में व्यापक संशोधन किए गए थे। खान सुरक्षा महा निदेशक भी सुरक्षा में सुधार करने के लिए प्रबंधकों को परिपत्र के रूप में दिशा निर्देश जारी करते हैं। इन उपबंधों का खान प्रबंधकों द्वारा अनुपालन किया जाना अपेक्षित हैं। तीन सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी सुरक्षा उपबंधों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने, और चूक के मामले में खान अधिनियम, 1952 के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करने के लिए आवधिक रूप से खानों का निरीक्षण करते हैं।

विधायों उपायों के अलावा, सरकार बहुत से अन्य उपायों को बढ़ावा दे रही है, जो इस प्रकार हैं :-

(क) खानों-में-सुरक्षा से संबंधित सम्मेलन आयोजित करना,

(ख) प्रबंधनों द्वारा स्वतः विनियमन,

(ग) सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता,

(घ) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय समीक्षा,

(ङ) कर्मकारों का प्रशिक्षण,

(च) सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना और सुरक्षा अभियान चलाना,

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

[अनुवाद]

कागज उद्योगों पर उत्पाद शुल्क में छूट

3300. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व में गन्ने की खोई (चीनी मिलों) से कागज बनाने हेतु स्थापित औद्योगिक एककों को दस वर्ष के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत दी थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994 तक ऐसे कितने कागज एककों की स्थापना की गई तथा उन्हें उत्पाद शुल्क में छूट दी गई;

(ग) क्या खोई आधारित टिकाऊ पार्टिकल बोर्ड के निर्माण हेतु एककों की स्थापना के लिए उत्पाद शुल्क में छूट देने संबंधी अनुरोध विचारार्थ लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). लेखन और मुद्रण कागज, जिसमें वजन के आधार पर खोई से विनिर्मित लुगदी का अंश 75 प्रतिशत से कम न हो, को 8.12.80 से 28.2.94 तक उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी। अनकोटिडक्राफ्ट कागज के लिए भी 8.7.81 से 28.2.94 तक की अवधि के लिए इसी प्रकार की छूट उपलब्ध थी।

(ख) इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, यह सूचित किया गया है कि 300 से अधिक इकाइयों को वर्ष 1994-95 के बजट से पूर्व वजन के आधार पर धान की भूसी, गेहूं की भूसी, जूट (जूट अपशिष्ट सहित), मेहटा अथवा खोई से बनी लुगदी के कम से कम 75 प्रतिशत अंश वाले लेखन, मुद्रण कागज और अनकोटिड क्राफ्ट कागज पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट मिली हुई थी।

(ग) से (ङ). खोई पर आधारित पार्टिकल और फाईबर बोर्ड उद्योग को 5-10 वर्ष की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क छूट मंजूर करने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार किया गया है और उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

कॉफी बोर्ड द्वारा काफी की नीलामी

3301. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी बोर्ड ने 17 मई, 1995 के बाद से कॉफी की नियमित रूप से पाक्षिक नीलामी की कोई योजना बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या साप्ताहिक नीलामी का निर्णय 22 फरवरी, 1995 से लागू नहीं किया है तथा निर्णय बदलने के क्या कारण हैं;

(ग) कॉफी बोर्ड ने अब तक कितनी कॉफी इकट्ठी की है तथा वर्ष के अन्त तक कितनी कॉफी इकट्ठी किये जाने की संभावना है; और

(घ) पाक्षिक नीलामी का यह निर्णय कॉफी उत्पादकों के लिए कितना लाभकारी होगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी हां। कॉफी बोर्ड ने मुक्त बिक्री कोटा की शुरूआत के बाद कॉफी पूल की मात्रा में पर्याप्त कमी के कारण साप्ताहिक नीलामी के स्थान पर मई, 1995 से पाक्षिक नीलामी शुरू की है। काफी बोर्ड के पास स्टाक उपलब्ध न होने के कारण फरवरी 1995 से साप्ताहिक नीलामी आयोजित नहीं की जा सकी है।

(ग) 1994-95 मौसम की समाप्ति (दिनांक 30.6.95 को) पर कॉफी बोर्ड के पास काफी को कुल 10846 मी. टन मात्रा जमा थी। वर्ष 1995-96 के दौरान कॉफी की कितनी मात्रा जमा हो सकेगी यह नई फसल पर निर्भर करेगा और इसलिए इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(घ) साप्ताहिक या पाक्षिक नीलामी करना पूल में विपणन योग्य (अर्थात् उपचारि) उपलब्ध कॉफी के स्टाक पर निर्भर करता है। चूंकि कॉफी की बिक्री प्राप्ति से संपूर्ण बसूली का धन बोर्ड के विपणन व्यय को घटाकर उपजकर्ताओं के पास चला जाता है इसलिए नीलामी की आवृत्ति और कॉफी उपजकर्ताओं को होने वाले लाभ में कोई सीधा संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

करों से अर्जित आय

3302. **श्री सूरजभान सोलंकी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त आयोग करों और शुल्कों से अर्जित आय का केन्द्र और राज्यों के बीच वितरण के लिए कोई फार्मूला निर्धारित करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुशंसा की अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा प्राप्त धनराशि की भी उस फार्मूले के आधार पर गणना की जाती है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पिछड़े तथा निर्धन राज्यों द्वारा संस्तुत हस्तान्तरणीय धनराशि में हो रहे घाटे को पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). दसवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि आय कर की निवल प्राप्ति का 77.5 प्रतिशत संघ उत्पाद शुल्क की निवल प्राप्ति का 47.5 प्रतिशत राज्यों में वितरित कर दिया जाए। अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों के अंतर्गत संघ शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले अंश को छोडकर समस्त प्राप्तियां राज्यों में वितरित की जाती हैं। उक्त कर और शुल्क दसवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए प्रतिशतता शेयरों के अनुसार राज्यों में वितरित किए जाते हैं।

(ग) दसवें वित्त आयोग के निर्णयानुसार वर्ष 1995-2000 के लिए राज्यों को कुल अंतरण 2,26,643 करोड़ रुपए आकलित किया गया है जबकि नवें वित्त आयोग ने वर्ष 1990-95 के दौरान 1,06,036 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी। नवें वित्त आयोग की तुलना में दसवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी राज्यों को अंतरण में वृद्धि हुई है। अतः दसवें आयोग द्वारा पहले से ही सिफारिश किए गए अनुदान के अलावा राज्यों को अतिरिक्त गैर-योजना अनुदान देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीड़ी मजदूरों के कल्याण हेतु समिति

3303. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत किसी समिति ने बीड़ी मजदूरों के कल्याण संबंधी उपायों की जांच पड़ताल की है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने इस समिति के समक्ष साक्ष्य दिये हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अधिकारी बीड़ी की अपेक्षा सिगरेट का पक्ष लेते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन दलीलों को खंडित करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क). श्रम और कल्याण संबंधी लोक सभा स्थायी समिति (1994-95) ने बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के संबंध में पिछले वर्ष विस्तृत विचार-विमर्श किया।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण सहायता हेतु चयनित परियोजनाएं

3304. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1993-94 और 1994-95 के दौरान ऋण सहायता के लिए कितनी परियोजनाओं का चयन किया गया;

(ख) निजी निगमित क्षेत्र के वास्तविक विकास में निजी क्षेत्र के निवेश से कितनी सहायता मिली; और

(ग) निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों में ऐसा निवेश किए जाने की आवश्यकता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह किसी परियोजना को सीधे वित्तपोषित नहीं करता है।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने गैर सरकारी निजी क्षेत्र में वृद्धि पर गैर सरकारी क्षेत्र निवेश के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है। गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा किए गए निवेश का विवरण भी भारतीय रिजर्व बैंक के पास नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक का सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग, निगमित निवेश अनुमान पर वार्षिक अध्ययन आयोजित करता है और उसके परिणामों को भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में प्रकाशित करता है। 1993-94 के दौरान परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई वित्तीय सहायता पर आधारित अध्ययन को भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के जून 1994 के अंक में प्रकाशित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन की एक प्रति संसद भवन पुस्तकालय में रख दी जाएगी।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अधिकारियों को नौकरी से निकालना

3305. **श्री राम नाईक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें नौकरी से निकाले गए उच्च अधिकारियों के नाम दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं;

(ग) इस मामले में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के क्या कारण हैं और इन अधिकारियों पर क्या आरोप लगाए गए हैं;

(घ) क्या इन मामलों में विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि 4 जुलाई, 1995 को तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस प्रेस विज्ञप्ति में चार महाप्रबंधकों, एक मुख्य लेखाकार, एक कानूनी सलाहकार और एक प्रबंधक को नौकरी से हटाने की बात कही गयी थी। उपर्युक्त वर्णित अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में अन्य बातों के साथ-साथ, उत्तरपूर्व क्षेत्र में तैनाती से मना करना, प्रधान कार्यालय पर तैनाती की अनिच्छा दिखना और सिडबी स्टाफ विनियमों का उल्लंघन सम्मिलित है।

उपर्युक्त वर्णित अधिकारियों के मामलों की पुनरीक्षा के लिए, सिडबी के

अध्यक्ष ने दो कार्यपालक निदेशकों की समिति गठित की थी। बैंक में वापस आने के लिये, कुछ पीड़ित अधिकारियों द्वारा की गई अपीलों/आशयों सहित समिति की सिफारिशों पर सिडबी ने विचार किया था और यह निर्णय लिया गया था कि उपर्युक्त वर्णित अधिकारियों में से, दो को बैंक की सेवा में बहाल किया जा सकता है। यह भी निर्णय लिया गया था कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सिडबी के अध्यक्ष एक मामले में निर्णय ले सकते हैं।

घाटे में चल रही कम्पनियों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के शेयर

3306. **डा० आर० मल्लू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहुत सी बड़ी कम्पनियां जिनमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट के शेयर हैं, वे उस धनराशि को अन्य कार्यों में लगा रही हैं तथा विदेशी मुद्रा लेनदेन में घाटा दिखा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बागवानी उत्पादों का निर्यात

3307. **श्री ए० इन्द्रकरन रेड्डी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान बागवानी उत्पादों का देशवार कितनी-कितनी मात्रा में कितने-कितने मूल्यों का निर्यात किया गया तथा इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : पिछले तीन वर्षों 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान निर्यात किए गए पुष्पोत्पादों की कुल मात्रा और कीमत नीचे तालिका में दी गयी है :-

मात्रा : टन में
कीमत : करोड़ रु. में

1992-93		1993-94		1994-95	
मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
520015	386	484471	429	420426	430

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

पुष्पोत्पादों के निर्यात के देशवार आंकड़े डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार के मासिक सांख्यिकी में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रतियां पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम धनराशि

3308. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 1994-95 के दौरान कुल कितनी अग्रिम धनराशि और ऋण दिए गए;

(ख) डी.आर.आई. के अन्तर्गत कुल कितनी अग्रिम धनराशि और ऋण दिए गए;

(ग) सामाजिक समूह द्वारा लिये गए अग्रिम तथा ऋण के संबंध में उक्त भाग (ख) का ब्यौरा क्या है;

(घ) आर्थिक क्षेत्र द्वारा लिए गए अग्रिम तथा ऋण के संबंध में उक्त भाग (ख) का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 31 अप्रैल, 1995 तक डी.आर.आई. के अन्तर्गत कुल कितनी राशि बकाया थी और उक्त के संबंध में इसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च 1995 के अंतिम शुक्रवार तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 169037.54 करोड़ रुपए के निवल बैंक ऋण दिए गए थे।

(ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1994-95 के दौरान डी आर आई योजना के तहत संवितरित कुल राशि से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि वर्ष 1992-93 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान डी आर आई योजना के तहत 155.16 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई थी।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आंकड़े एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। आंकड़े एकत्र करने की प्रणाली से केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एस. सी/एस. टी.) के संबंध में ही सूचना प्राप्त होती है। डी आर आई योजना के तहत वर्ष 1992-93 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को 83.43 करोड़ रुपए के ऋण संवितरित किए गए।

(ङ). मार्च 1995 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार डी आर आई योजना के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंको की कुल 701.84 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी जिसमें से 420.79 करोड़ रुपए की राशि अ.जा./अ.ज.जा. के पास थी।

[हिन्दी]

चीनी मिलें

3309. **श्री मोहन सिंह (देवरिया) :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में चीनी मिलों ने चालू पिराई मौसम के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन किया है;

(ख) इसमें से कितनी मात्रा में चीनी बेची गई तथा कितनी गोदामों में रखी गई;

(ग) इन मिलों के विरूद्ध किसानों की कितनी राशि बकाया है; और

(घ) इस बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (घ). कोई भी शुगर कम्पनी इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन नहीं है। तथापि, कानपुर शुगर वर्क्स में 47 प्रतिशत शेयर धारिता होने के कारण बी आई सी इन मिलों का प्रबंध कर रही है। वर्ष 1994-95 के दौरान इनका उत्पादन 6.50 लाख क्विंटल था तथा 4.8.1995 की स्थिति के अनुसार बेची गई चीनी की मात्रा तथा स्टाक क्रमशः 3.04 लाख क्विंटल तथा 3.47 लाख क्विंटल था। किसानों को देय बकाया राशि 21.55 करोड़ रु. हैं।

चूंकि उपर्युक्त शुगर कम्पनी राष्ट्रीयकृत कम्पनी नहीं है, इसलिए सरकार सामान्यता इसे किसी भी प्रकार की बजटीय सहायता प्रदान नहीं करती हैं।

[अनुवाद]

एस० टी० सी० का कारोबार

3310. **डा० वसंत पवार :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश-वार कितनी-कितनी राशि का कारोबार किया;

(ख) क्या खाड़ी के देशों, रूस और कुछ यूरोपीय देशों के साथ राज्य व्यापार निगम के व्यापारिक कारोबार में कोई कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क). पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एस.टी.सी. का कुल कारोबार निम्नानुसार रहा है:

वर्ष	करोड़ रु.
1992-93	1013
1993-94	1117
1994-95	1801

वर्ष 1994-95 के दौरान हुए व्यापार के देशवार ब्यौरे को अभी संकलित किया जाना है, इसलिए वर्ष 1992-93 तथा 1993-1994 के निर्यात (एफ.ओ.बी. मूल्य) तथा आयातों (सी.आई.एफ. मूल्य) के ब्यौरे संलग्न हैं।

(ख) और (ग). खाड़ी के देशों, रूस तथा यूरोपीय देशों को एस.टी.सी. द्वारा 1992-93 में 260 करोड़ रु. का निर्यात किया गया था जो 1993-94 में बढ़कर 372 करोड़ रु. हो गया था। रूस के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए एस टी सी द्वारा किए जा रहे अतिरिक्त उपायों में ये उपाय भी शामिल हैं :-

(1) इस्को लेखाव्यवस्था के माध्यम से आदान-प्रदान व्यापार करना,

(2) खेप विक्री/स्टाक तथा चाय जैसी अधिक गतिशील मदों की बिक्री करना।

विवरण

देशवार निर्यात (एफ.ओ.बी. मूल्य करोड़ रु.)

क्षेत्र/देश	1992-93	1993-94
उत्तरी अमरीका		
कनाडा	5.40	2.71
यू.एस.ए.	80.08	61.20
लैटिन अमरीका		
अर्जेन्टीना	1.29	3.10
ब्राजील	0.92	10.16
चिली	0.05	0.06
कोलम्बिया	0.14	0.09
इक्वाडोर	-	0.01
गुवाटेमाला	-	0.14
मैक्सिको	0.86	3.04
पानामा गणराज्य	-	-
पराग्वे	-	0.56
पीरू	-	0.02
उरूग्वे	0.11	0.16
बेनेजुएला	-	0.05
अल साल्वाडोर	-	-
कोस्टा रीका	0.02	0.02
पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोप		
बुल्गारिया	0.23	-
चेकोस्लोवाकिया	-	0.75
हंगरी	0.57	0.06
पोलैंड	0.11	0.18
रूमानिया	-	0.55
युगोस्लाविया	0.41	0.41
स्लौवाकिया	0.40	-
क्रोशिया	-	0.08
बेल्जियम	10.92	8.76
डेनमार्क	2.06	0.45
जर्मनी	69.62	93.99

क्षेत्र/देश	1992-93	1993-94
फ्रांस	19.04	27.11
आयरलैंड	-	0.19
इटली	11.36	18.62
निदरलैंड	15.55	25.51
यूनाइटेड किंगडम	24.93	33.11
आस्ट्रिया	2.48	4.49
नार्वे	0.51	0.50
पुर्तगाल	0.65	1.73
स्वीडन	8.73	5.62
स्वीटजरलैंड	27.68	27.10
साइप्रस	0.11	-
फिनलैंड	0.32	0.76
ग्रीस	0.96	1.42
माल्टा	-	0.01
स्पेन	4.45	8.64
टर्की	10.79	3.99
रूस	14.46	24.07
सी.आई.एस.	-	23.19
अफ्रीका		
ए आर ई	1.33	1.32
अल्जीरिया	-	1.15
इथोपिया	-	0.35
घाना	0.52	0.04
जिबुति	2.22	-
केन्या	2.02	0.37
लिबिया	-	2.35
मारिशस	0.10	0.01
मोरक्को	0.68	0.14
मोजाम्बिक	-	2.62
नाईजीरिया	0.72	1.43
सेशेल्स	0.83	1.40
सुडान	-	0.12
तन्जानिया गणराज्य	0.05	1.11
ट्यूनिसिया	-	0.42
युगांडा	0.14	0.24
जाम्बिया	0.08	0.26
जिम्बाबवे	0.34	0.50
अफ्रीका	-	0.07
जमैका	-	-
	0.02	0.08
वेस्ट इंडीज	0.02	-
टोगो	-	0.07
दक्षिणी अफ्रीका	-	0.10
पश्चिम एशिया		
बहरीन	0.03	0.09
ईरान	8.57	10.89
इजराइल	-	0.16
जोर्डन	0.11	0.15
कुवैत	3.62	4.03
लेबनान	-	0.39
ओमान व मस्कट	0.24	-
कतर	0.12	0.05
सऊदी अरेबिया	12.57	17.21
सीरिया	1.91	0.52
यू ए ई	5.71	30.87
यमन अरब गणराज्य	0.78	1.31
पश्चिम एशिया को छोड़कर एशिया		
अफगानिस्तान	1.50	2.50
बंगलादेश	0.56	4.20
ताइवान	5.56	5.81
चीन जनवादी गणराज्य	-	19.10
हांगकांग	7.82	15.29
इंडोनेशिया	4.20	8.00
जापान	42.96	60.32
कोरिया गणराज्य	5.30	9.06

क्षेत्र/देश	1992-93	1993-94
मलयेशिया	10.53	7.46
मालद्वीप द्वीपसमूह	0.16	1.45
नेपाल	8.84	34.62
न्यू गिनी	-	-
पकिस्तान	1.95	1.60
फिलीपीन्स	9.34	0.11
सिंगापुर	19.43	35.30
श्री लंका	32.06	20.98
थाईलैण्ड	4.21	16.64
वियतनाम गणराज्य	0.04	0.43
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड		
आस्ट्रेलिया	11.21	15.91
न्यूजीलैण्ड	0.31	1.70
उत्तरी अमेरिका		
कनाडा	23.57	5.27
यू.एस.ए.	58.44	104.19
लैटिन अमेरिका		
मैक्सिको	-	-
पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोप		
चेकोस्लोवाकिया	-	0.49
हंगरी	-	0.91
पोलैण्ड	3.84	-
रूमानिया	-	-
बेल्जियम	0.11	-
जर्मनी	2.45	7.31
फ्रांस	-	-
इटली	-	0.54
यूनाइटेड किंगडम	0.63	0.82
ई ई सी	-	-

क्षेत्र/देश	1992-93	1993-94
पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोप		
आस्ट्रिया	-	0.08
स्वीडन	1.38	-
स्विटजरलैण्ड	-	0.12
फिनलैण्ड	0.01	-
टर्की	-	2.14
रूस	11.37	25.92
अफ्रीका		
तंजानिया गणराज्य	-	1.94
पश्चिम एशिया को छोड़कर एशिया		
बंगला देश	0.05	-
चीन जनवादी गणराज्य	-	-
हांगकांग	-	0.02
इंडोनेशिया	3.45	1.82
जापान	0.08	0.21
कोरिया गणराज्य	0.56	-
मलेशिया	40.71	49.19
सिंगापुर	-	0.01
पश्चिम एशिया को छोड़कर एशिया (महाद्वीप)		
श्रीलंका	-	0.09
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड		
आस्ट्रेलिया	-	6.75
न्यूजीलैण्ड	-	-
	146.65	207.82

बंगलादेश को चावल का निर्यात

3311. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल से बंगलादेश को चावल का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई परमिट/लाइसेंस दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो पश्चिम बंगाल से चावल का निर्यात बन्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ). एग्जिम नीति में चावल का निर्यात बिना किसी मूल्य और मात्रा के प्रतिबंध के करने की व्यवस्था है। भारतीय खाद्य निगम को भी सरकारी स्टॉक से 2.0 मिलियन टन उत्तम/सर्वोत्तम किस्म के चावल का निर्यात/बिक्री करने की अनुमति दी गयी है। इस प्रकार के निर्यात में बंगला देश को चावल का निर्यात भी शामिल है। राज्य वार निर्यात के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी

3312. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी संबंधी प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग). राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से संबंधित विषय पर विगत में विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया है। सितम्बर, 1985 में राज्यों के श्रम मंत्रियों के एक दल ने निर्णय लिया कि वर्तमान स्थिति में एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनायी जानी व्यवहार्य नहीं है। इस विषय पर नवम्बर, 1985 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में भी विचार-विमर्श किया गया था। भारतीय श्रम सम्मेलन में यह राय दी गई थी कि "राष्ट्रीय मजदूरी व्यवस्था व्यवहार्य होने तक क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था की जानी वांछनीय है जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार दिशा-निर्देश निर्धारित कर सकती है। न्यूनतम मजदूरी को निर्वाह-लागत में होने वाली वृद्धि से जोड़ा जाना चाहिए।" तदनुसार, सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जुलाई, 1987 में क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया कि वे न्यूनतम मजदूरी के एक हिस्से के रूप में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हुए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते, जिसे प्रत्येक छह माह के अंतराल में संशोधित किया जाए, की व्यवस्था करें। पूरे देश को छह क्षेत्रों में बांटा गया है जिनके नाम हैं पूर्वी क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र। क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति, जिसका नाम बदलकर क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों का सम्मेलन कर दिया गया है, की पहले दौर की बैठकें 1987 और 1992 के दौरान आयोजित की गई थीं। क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलनों का दूसरा दौर 1994 और 1995 में आयोजित किया गया था।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों में बदलना

3313. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित शहरी सहकारी बैंको को वाणिज्यिक बैंको में बदलने की अनुमति देने का विचार है जैसाकि दिनांक 6 जून, 1995 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड की स्थापना

3314. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख होटल प्रबंधनों ने केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड की स्थापना तथा देश में पर्यटन के विकास हेतु एक विशेष कोष के सृजन के लिये भी, अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क). जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

निजी बैंक

3315. **श्री शिवशरण वर्मा** :
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बड़े व्यापारिक घराने जो निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के इच्छुक हैं, रिजर्व बैंक पर अपने उस नवीनतम चयन मानदण्ड को, जो कि प्रतिष्ठित कंपनियों के बैंकिग क्षेत्र में प्रवेश को रोकते हैं, को बदलने के लिए दबाव डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के चयन के लिए एक तीन सूत्री फार्मूला तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निकट भविष्य में देश में निजी क्षेत्र में कितने बैंक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंक स्थापित करने हेतु आवेदनों पर विचार करने के लिए उसके द्वारा अपनायी

जा रही नीति के अनुसार आरम्भ में वित्तीय संस्थाओं को वरीयता दी गई थी। इसका कारण ऋण मूल्यांकन में उनकी सन्निहित विशेषज्ञता और प्रबंधकीय दक्षता तथा लाभप्रदता के संबंध में उनका अच्छा रिकार्ड होता है। इसके बाद गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को वरीयता दी गई थी। इसका कारण यह है कि वे निवेश सौदों, उपस्कर पट्टा, किराया खरीद और आवास वित्त, उपभोक्ता वस्तुओं का वित्तपोषण आदि जैसे व्यापक क्षेत्र के कार्य करते हैं। व्यावसायिक बैंकिंग पृष्ठभूमि वाले प्रवर्तकों को भी वरीयता दी गई थी। कम विकसित और कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में नए बैंक स्थापित करने और ग्रामीण विकास पर कारोबार केन्द्रित करने वाले प्रवर्तकों के समूहों को भी महत्व दिया गया था।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि वह स्थापित किए जाने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंको की संख्या निर्धारित करने पर विचार नहीं कर रहा है तथापि देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले बैंकों की संख्या बताना इस समय संभव नहीं है।

कलकत्ता से सिल्चर की उड़ानें रद्द करना

3316. **श्री द्वारका नाथ दास :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन एयरलाइंस की कलकत्ता से सिल्चर की उड़ानें प्रायः रद्द कर दी जाती हैं जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सिल्चर विमानपत्तन पर उड़ान और अवतरण सुविधाओं में सुधार नहीं किया गया हैं;

(घ) यदि हां, तो इन सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस उड़ान-मार्ग पर निजी एयरलाइंस सेवा शुरू करने की अनुमति देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जनवरी, 1995 से जुलाई, 1995 तक की अवधि के दौरान कलकत्ता और सिल्चर के बीच इंडियन एयरलाइंस की केवल 7 उड़ानें रद्द की गई थीं, 173 उड़ान अनुसूचित थीं, कुल संख्या में से 3 उड़ानों को विमान-चालकों के प्रदर्शन और 4 को कमांडरों के उपलब्ध न होने के कारण रद्द किया गया था।

(ग) और (घ). सिल्चर हवाई अड्डे पर पहले से ही सूक्ष्म पहुंच मार्ग सूचक और अति उच्चावृत्ति सर्वपरास उपकरण उपलब्ध हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक वर्ष के भीतर अवतरण और उड़ान भरने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के लिए भी योजनाएं बनाई हैं।

(ङ) और (च). एल.ई.पी.सी. एयरलाइन ने पहले से ही कलकत्ता इम्फाल-गुवाहाटी-सिल्चर सेक्टर पर सप्ताह में चार सेवाएं प्रचालित करनी शुरू कर दी हैं।

मुम्बई-कालीकट विमान सेवा

3317. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की मुम्बई-कालीकट घरेलू विमान सेवा को अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा में परिवर्तित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त उड़ान के घरेलू यात्री घोर कठिनाईयों और विलम्ब की समस्या का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). बम्बई से होकर कालीकट और अन्य देशों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कालीकट के लिए/से सम्पर्क प्रदान करने की दृष्टि से, इंडियन एयरलाइंस की बम्बई-कालीकट-बम्बई सेवा को बदलकर अंतर्राष्ट्रीय सेवा कर दिया गया है।

(ग) उपरोक्त प्रबंधों के लिए कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

बीड़ी और सिगार मजदूरों की मांगें

3318. **श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया बीड़ी एंड सिगार एंड टुबैको बर्कर्स फेडरेशन अहमदनगर (महाराष्ट्र) की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रमुख मागें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय सिगरेट कंपनियों तथा भारतीय शीर्ष सिगरेट कंपनियों को 1994 से बड़ी (मैक्रो) सिगरेट बनाने की अनुमति दी है तथा उन पर शुल्क भी 120 रुपए प्रति हजार से घटा कर 60 रुपए प्रति हजार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लाखों स्वदेशी बीड़ी मजदूर अधिकांशतः महिलाएं, बेरोजगार हो गये हैं और उनके परिवार भूखों मर रहे है; और

(ङ) यदि हां, तो देश के बीड़ी उद्योग को बचाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). जी, हां। उनमें उठाई गई प्रमुख मांगें बीड़ी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, मंहगाई भत्ता, कच्चे माल

की आपूर्ति, श्रम कानूनों का कार्यान्वयन, ठेका श्रम का उन्मूलन, पहचान-पत्र को जारी करना, पेंशन और बीमा योजना और तमिलनाडु से संबंधित उच्चतम न्यायालय के 1991 के निर्णय का सभी राज्यों में क्रियान्वयन आदि से संबंधित हैं।

(ग) से (ङ). सरकार को बीड़ी विनिर्माताओं और बीड़ी श्रमिक एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि उन बिना-फिल्टर वाली सिगरेटों, जिनकी लम्बाई 60 मि.मी. से अधिक नहीं है, पर लगाई गई विशेष शुल्क उत्पादन की वर्तमान दर बीड़ी उद्योग और श्रमिकों को प्रभावित कर रही है। चूंकि सिगरेटों पर लगाया गया उत्पादन शुल्क बीड़ियों पर लगाए गए उत्पादन शुल्क से काफी अधिक है, इस बात की संभावना नहीं है कि लम्बाई के आधार पर सिगरेटों पर लगाये जाने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की प्रणाली बीड़ी उद्योग और श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

होटल और रेस्टोरेंट चलाने के लिए परामर्श-सेवा

3319. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम भारत और विदेशों में होटल और रेस्टोरेंट चलाने के लिए "टर्न की" आधार पर परामर्श सेवा उपलब्ध करा रहा है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का प्रबंधन निगम के होटलों में रेस्टोरेंट चलाने के लिए निजी ठेकेदारों को आमंत्रित कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में कितने रेस्टोरेंट ठेके पर दिये गए या चालू वित्त वर्ष में दिए जाने का प्रस्ताव है और इन रेस्टोरेंटों के निर्माण और नवीकरण पर भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कितनी धन-राशि खर्च की गयी?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क). भारत पर्यटन विकास निगम, भारत तथा विदेशों में होटल तथा रेस्तरां चलाने के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है।

(ख) तथा (ग). उन विशिष्ट भोजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के विचार से रेस्तराओं को लीज पर दिया जाता है जिनके लिए या तो भारत पर्यटन विकास निगम के पास सुविज्ञता नहीं होती या उनके कार्यकलापों का प्रचालन ऊंची बंधी लागतों आदि के कारण किफायती नहीं होता है। गत तीन वर्षों के दौरान लीज पर दिए गए रेस्तराओं और उनकी निर्माण/नवीनीकरण लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम निम्नलिखित रेस्तराओं को भी लीज पर दिए जाने पर विचार कर रहा है :-

होटल का नाम	रेस्तराओं के नाम
1. अशोक होटल, नई दिल्ली	1. डिस्कोथेक
	2. मैक्सिकन क्यूसिन रेस्तरां
	3. कश्मीरी फूड रेस्तरां
2. होटल जनपथ, नई दिल्ली	साऊथ इंडियन रेस्तरां
3. होटल सम्राट, नई दिल्ली	साऊथ इंडियन रेस्तरां

विवरण

गत तीन वर्षों (1992-93, 1993-94, 1994-95) के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में निजी पार्टियों को लीज पर दिए गए रेस्तराओं/रेस्तराओं के लिए स्थान का ब्यौरा

होटल का नाम	रेस्तरां का नाम	निर्माण/नवीनीकरण पर खर्च की गई राशि (रुपए लाखों में)
1. अशोक होटल, नई दिल्ली	ज्वेल आफ दि इस्ट (चाइनीज रेस्तरां)	26.58
2. अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	बगिया-बार-बे-क्यू (अवधांडिसिज)	शून्य (रेस्तरां ठेके पर जैसा है जहां है आधार पर दिया गया था)
3. होटल जनपथ, नई दिल्ली	फूड प्लाजा (फास्ट फूड रेस्तरां)	16.16
4. होटल आगरा अशोक, आगरा	मेंडेरिन (चाइनिज रेस्तरां)	15.68
	ताज रेस्तरां (मल्टी क्यूसिन)	31.00
5. टेम्पल बे अशोक बीच रिसॉर्ट, मामल्लापुरम	अशोक रेस्तरां (स्नेक बार)	शून्य (रेस्तरां ठेके पर जैसा है जहां है आधार पर दिया गया था)

परिषद कोआपरेटिव बैंक में गबन

3320. **डॉ० लाल बहादुर रावल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1995 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "जूडिशियल कस्टडी फार 4 इन परिषद बैंक केस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने परिषद कोआपरेटिव बैंक को इसके जमाकर्ताओं और ऋण प्राप्तकर्ताओं को 30,000 रुपए तक का भुगतान करने का अधिकार दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपर्युक्त सुविधाएं उन जमाकर्ताओं के लिए भी लागू होती हैं जिन्हें परिपक्वता पर भुगतान आदेश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) उपर्युक्त भुगतान आदेशों की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). जी हां।

(ख) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आर्थिक अपराध

3321. **श्री एम० जी० रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कोई आर्थिक अपराध सेल है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के उदाहरण भी हैं जबकि सरकारी अधिकारियों या शेयरधारकों की शिकायत के बिना समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर सी. बी आई. कार्यवाही करती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सी.बी.आई. ने वहां धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार को उखाड़ने का काम किया है, जहां कि समाचार पत्रों ने निजी बड़ी कंपनियों की बड़ी धोखाधड़ी को उजागर किया था और जिन्हें आई. एफ. सी. आई. आदि जैसे वित्तीय संस्थानों से सहायता एवं अनुदान प्राप्त हुआ था; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान सी. बी. आई. द्वारा पकड़े गए अपराधियों जिन्होंने करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की है, का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) ने सूचित किया है कि सी बी आई में आर्थिक अपराध प्रभाग को उन अपराधों की जांच का कार्य सौंपा गया है जो भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विशेष अधिनियमों के अंतर्गत आते हैं जो मुख्यतः बैंकों में स्टाक एक्सचेंजों, वित्तीय संस्थाओं में गंभीर घोटालों, विदेशी मुद्रा, विनियमन अधिनियम; सीमा शुल्क अधिनियम आदि के अतिक्रमण से संबंधित हों।

(ग) से (ङ). सी. बी. आई. अपने कर्तव्य एवं कार्य पत्र द्वारा भारत सरकार, के नियंत्रणाधीन सरकारी कर्मचारियों के आपराधिक दुराचरण से संबंधित भ्रष्टाचार विषयक आपराधिक मामलों को दर्ज करता है और उनकी जांच करता है। इसी तरह सी. बी. आई. बैंको तथा भारत सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य वित्तीय संस्थाओं में घोटालों जैसे आर्थिक अपराधों की भी नियमित आधार पर जांच करता है। सीबीआई ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1992-94 के दौरान बैंक घोटालों के 911 मामले दर्ज किए थे। सीबीआई ने बताया है कि उसने पूर्णतया समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ब्याज

3322. **श्री ओस्कर फर्नान्डीज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष समाज के कमजोर वर्गों को विभेद्रक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत बैंक-वार तथा राज्य-वार कितने लोगों को तथा कितनी मात्रा में ऋण बांटा गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : विभेदक ब्याज दर (डी आर आई) योजना के सभी हिताधिकारियों को प्राथमिकता क्षेत्र में कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। मार्च 1991, मार्च 1992 और मार्च 1993 (नवीनतम उपलब्ध) को समाप्त वर्षों के दौरान सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा डी आर आई योजना के तहत बैंक-वार और राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार संवितरण की स्थिति क्रमशः विवरण I और II पर दी गई है।

विवरण-I

मार्च, 1991, मार्च, 1992 और मार्च, 1993 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त वर्षों के दौरान सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत खातों की संख्या और संवितरित राशि दोनों के संदर्भ में वितरणों की बैंक-वार स्थिति

(राशि लाख रु० में)

मार्च को समाप्त वर्ष

क्रम सं०	बैंक का नाम	खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की सं०	संवितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारतीय स्टेट बैंक	313166	2655.13	147290	2943.72	75379	1482.57
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	10611	276.98	3563	186.96	1985	540.40
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	10709	265.09	12963	233.43	20233	463.20
4.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	5422	231.14	2064	48.11	3136	63.97

(राशि लाख रु० में)

मार्च को समाप्त वर्ष

क्रम सं०	बैंक का नाम	खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की सं०	संवितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	6315	711.44	4209	868.38	4263	879.68
6.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4585	196.13	1702	35.16	6013	73.29
7.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	68511	1282.50	70311	1375.35	66946	1399.99
8.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	1182	32.31	498	24.39	1809	263.07
	ए) एस बी आई समूह	420501	5650.72	242600	5715.50	179764	5166.17
9.	हलाहाबाद बैंक	23288	941.93	11372	532.27	4959	437.81
10.	आंध्रा बैंक	11603	579.58	6177	461.35	4586	174.95
11.	बैंक आफ बड़ोदा	22628	557.91	10485	1465.49	5019	2411.93
12.	बैंक आफ इंडिया	22866	973.19	34735	1552.20	18265	582.50
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	3212	146.41	2286	952.13	175	103.63
14.	केनरा बैंक	65294	1284.96	54436	2083.45	49618	1362.95
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	20197	473.83	19618	426.54	576	18.39
16.	कारपोरेशन बैंक	6048	254.29	3579	97.10	4020	136.01
17.	देना बैंक	1020	39.39	1731	12.84	3994	119.81
18.	इंडियन बैंक	15996	547.30	85779	1888.50	45233	1248.73
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	21592	279.06	8835	302.62	5460	155.60
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	1501	105.41	583	23.18	509	17.73
21.	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	6108	284.10	5070	565.55	9518	589.95
22.	पंजाब नेशनल बैंक	33490	1575.07	23052	1618.21	16757	[illegible]
23.	पंजाब एंड सिंध बैंक	693	58.26	725	146.84	371	[illegible]
24.	सिंडिकेट बैंक	16987	280.08	4628	65.56	30[illegible]	[illegible]
25.	यूको बैंक	6218	129.13	2260	45.97	[illegible]	[illegible]
26.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	16821	382.45	7873	185.75	[illegible]	[illegible]
27.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	4822	134.50	17345	459.9[illegible]	[illegible]	[illegible]
28.	विजया बैंक	911	24.14	330	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	बी) राष्ट्रीयकृत बैंक	301295	9050.99	300849	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	सी) सरकारी क्षेत्र के बैंक	721796	14701.71	543449	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(राशि लाख रु० में)

मार्च को समाप्त वर्ष

क्रम सं०	बैंक का नाम	खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की सं०	संवितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	बैंक आफ मदुरा	305	2140	126	1.07	109	0.92
30.	बैंक आफ राजस्थान	197	2.74	12	0.50	28	1.46
31.	बैंक आफ कराड	55	1.78	18	0.66	-	-
32.	बरेली कार्पोरेशन बैंक	22	0.75	12	0.57	15	0.62
33.	बनारस स्टेट बैंक	52	1.32	1	0.05	-	-
34.	कैथलिक सीरियन बैंक	1226	36.08	1348	33.26	1132	38.83
35.	कुम्बकोनम सी. बैंक	50	15.99	51	15.57	55	15.61
36.	करुल वैश्य बैंक	303	15.09	303	15.08	2	0.10
37.	लक्ष्मी विलास बैंक	28	0.22	16	0.22	16	0.51
38.	नदुनगुडी बैंक	432	9.39	192	5.38	245	10.15
39.	रत्नाकर बैंक	7	0.18	1	0.06	-	-
40.	सांगली बैंक	366	12.77	298	11.46	169	6.82
41.	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक	1099	35.75	1000	30.45	712	24.08
42.	फेडरल बैंक	1433	30.90	673	16.54	627	20.19
43.	कर्नाटक बैंक	1265	29.12	376	9.19	174	4.22
44.	नैनीताल बैंक	17	0.69	16	0.69	13	0.55
45.	भारत ओवरसीज बैंक	878	23.72	408	10.11	870	25.19
46.	साऊथ इंडियन बैंक	1595	37.25	1114	27.76	884	24.76
47.	लाड कृष्णा बैंक	76	0.61	15	0.14	11	0.09
48.	वैश्य बैंक	1183	34.33	997	47.20	445	64.90
49.	जम्मू व कश्मीर बैंक	3261	112.52	3261	112.52	3261	112.52
50.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक	493	16.86	182	7.26	253	7.98
51.	पंजाब कोआपरेटिव बैंक	-	-	2	0.06	2	0.06
52.	धनलक्ष्मी बैंक	26	0.67	15	0.21	8	0.24
	(बी) इंडियन प्राइवेट बैंक	14369	421.13	10437	346.01	9031	359.80
	[illegible]णिज्यिक बैंक	736165	15122.84	553886	18955.06	379134	15515.62

विवरण-II

मार्च, 1991, मार्च, 1992 और मार्च, 1993 (नवीनतम उपलब्ध) को समाप्त वर्षों के दौरान सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको द्वारा विभेदक ब्याज दर (डी आर आई) योजना के तहत खातों की संख्या तथा वितरित धनराशि दोनों के संबंध में राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार वितरण की स्थिति

(राशि लाख रु० में)

क्रम सं०	क्षेत्र/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष					
		1991		1992		1993	
		खातों की संख्या	वितरित धनराशि	खातों की संख्या	वितरित धनराशि	खातों की संख्या	वितरित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र	**50487**	**1908.90**	**46180**	**2952.35**	**23544**	**2158.14**
1.	हरियाणा	10018	380.18	7286	185.65	3042	120.95
2.	हिमाचल प्रदेश	4531	154.13	3754	145.67	3153	126.84
3.	जम्मू व कश्मीर	3453	116.53	3368	116.35	3306	118.00
4.	पंजाब	11981	668.13	8326	486.51	6608	397.40
5.	राजस्थान	15621	423.83	16106	890.80	6412	285.50
6.	चण्डीगढ़	848	33.98	528	133.72	204	9.72
7.	दिल्ली	4035	132.12	6812	993.65	819	1099.68
पूर्वोत्तर क्षेत्र		**13145**	**282.06**	**7374**	**176.25**	**3498**	**94.50**
8.	असम	6063	123.02	3654	95.48	1220	30.38
9.	मणिपुर	472	10.68	258	6.53	743	15.13
10.	मेघालय	2400	54.11	798	17.28	423	13.65
11.	नागालैण्ड	620	25.44	451	14.24	418	3.39
12.	त्रिपुरा	1197	26.54	599	15.40	609	20.78
13.	अरूणाचल प्रदेश	248	5.14	179	2.77	21	0.60
14.	सिक्किम	1920	32.51	1259	20.80	64	0.50
15.	मिजोरम	225	4.62	176	4.85	-	-
पूर्वी क्षेत्र		**191555**	**2980.23**	**166047**	**3638.23**	**71858**	**1517.60**
16.	बिहार	25453	748.75	14733	563.96	17603	347.83
17.	उड़ीसा	154404	5812.92	103753	2158.12	41985	865.61
18.	पश्चिम बंगाल	60470	1045.05	47390	912.99	10358	287.84
19.	अण्डमान और निकोबार	228	3.51	171	3.16	1912	16.32
मध्य क्षेत्र		**61443**	**2273.27**	**72678**	**3708.90**	**30981**	**4223.05**
20.	मध्य प्रदेश	13426	423.18	6766	233.48	157	176.52
21.	उत्तर प्रदेश	48017	1850.09	65912	3475.42	6724	4046.53

(राशि लाख रु० में)

क्रम सं०	क्षेत्र/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष 1991 खातों की संख्या	1991 वितरित धनराशि	1992 खातों की संख्या	1992 वितरित धनराशि	1993 खातों की संख्या	1993 वितरित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
पश्चिमी क्षेत्र		**58034**	**1864.89**	**44789**	**1227.89**	**47138**	**1153.26**
22.	गुजरात	16337	670.52	9257	319.80	11564	358.47
23.	महाराष्ट्र	39313	1125.99	33738	860.26	34904	773.26
24.	दमन और दीव	105	2.58	10	0.22	19	0.26
25.	गोवा	2275	65.60	1784	47.61	651	21.27
26.	दादरा और नागर हवेली	6	0.20	-	-	-	-
दक्षिण क्षेत्र		**361501**	**6413.49**	**216818**	**7251.44**	**202215**	**6369.07**
27.	आन्ध्र प्रदेश	64123	1402.35	45738	2884.63	55411	2448.31
28.	कर्नाटक	52835	1353.69	30599	1468.64	23593	1212.66
29.	केरल	143590	2111.29	65227	1782.72	78211	1712.90
30.	तमिलनाडु	8655	1502.14	54814	1092.21	43980	973.95
31.	पाण्डिचेरी	2336	42.61	437	21.86	1009	20.67
32.	लक्षद्वीप	62	1.41	8	0.38	11	0.58
	कुल	736165	15122.84	553886	18955.06	379134	15515.62

बीड़ी और सिगार कर्मकारों का अभ्यावेदन

3323. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिगरेट कम्पनियों द्वारा किए जा रहे झूठे प्रचार विरोध करते हुए बीड़ी कर्मकार संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीड़ी के तुलनात्मक नुकसानों के बारे में इस भ्रामक रिपोर्ट को समाचार पत्रों में जानबूझ कर छपवाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने मामले की कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

मलेशिया के साथ व्यापार

3324. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारत और मलेशिया के बीच व्यापार संतुलन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा उस क्षेत्र को क्षेत्र-वार हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और मलयेशिया के बीच व्यापार संतुलन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(कीमत मिलियन अमरीकन डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
1992-93	187.04	405.23	(-) 218.19
1993-94	246.00	247.00	(-) 1.00
1994-95	284.83	486.68	(-) 201.85

स्रोत: डी जी सी आई एण्ड.एस

(ख) हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक व्यापार/व्यवसाय स्तर के शिष्टमण्डलों को मलयेशिया का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। शिष्टमंडलों द्वारा कवर किए गए उत्पादों में हैं — तेल एवं गैस, हथकरघा, दूरसंचार, बिजली का सामान एवं इलैक्ट्रोनिक्स, विद्युत, रंजक पदार्थ और मध्यवर्ती सामान, कॉफी इत्यादि। हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए भारतीय कम्पनियां मलयेशिया में विभिन्न प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भाग लेती रही हैं।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ड्राफ्ट की सुविधा

3325. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को ड्राफ्ट सुविधा आरंभ करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों को कब से यह अनुमति दी गई है;

(ग) उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने उपभोक्ताओं के लिए यह सुविधा शुरू की है;

(घ) क्या प्रायोजित बैंकों का सहयोग न मिलने के कारण अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस सुविधा को आरंभ करने में असफल रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 20 मई, 1980 के अपने परिपत्र द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को अनुमति प्रदान की थी कि वे अपने प्रायोजक बैंकों के परामर्श से तथा क्षेत्र की अपेक्षाओं और अपनी शाखा कर्मियों की दक्षता को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने दिनांक 22 दिसम्बर, 1993 के अपने परिपत्र के द्वारा सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहा था कि वे इस संबंध में अपने प्रायोजक बैंकों के साथ व्यवस्था करें नाबार्ड ने सूचित किया है कि 166 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सुविधा 34 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने प्रदान की है। अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उचित व्यवस्था करने के लिए प्रायोजक बैंकों से परामर्श कर रहे हैं।

सालबानी टकसाल

3326. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माणाधीन सालबानी टकसाल, पश्चिम बंगाल की इस समय क्या स्थिति है; और

(ख) यह टकसाल कब से कार्य करना शुरू करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). पश्चिम बंगाल के सालबानी में कोई टकसाल स्थापित नहीं की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिक्री एजेंटों को सुविधाएं/लाभ

3327. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विमान कम्पनियां अनुमोदित कमीशन के अतिरिक्त अपने बिक्री एजेंटों को कई अन्य लाभ/सुविधाएं प्रदान कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न विमान कम्पनियों के लिए इस समय विमान टिकटों की बुकिंग हेतु कौन-कौन सी एजेंसियां कार्य कर रही हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). एजेंसी कमीशन के अतिरिक्त, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस प्रत्येक एजेंट के पूर्णकालिक कर्मचारियों को प्रति वर्ष 75 प्रतिशत की रियायती दो टिकटें और साथ जाने वाले दम्पति को 50 प्रतिशत छूट देता है। इसके अतिरिक्त, एयर इंडिया उनके राजस्व निष्पादन के आधार पर कुछ क्षेत्रों में चुने हुए एजेंटों को 1 से 7 प्रतिशत उत्पादकता सम्बद्ध बोनस भी देती है। अन्य एयरलाइनों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारत पर्यटन विकास निगम में भ्रष्टाचार और कुप्रबंध

3328. **श्री लोक नाथ चौधरी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ से दिनांक 22 मार्च, 1994 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें भारत पर्यटन विकास निगम के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक ए.टी.टी. द्वारा भ्रष्टाचार के विभिन्न कृत्यों और कुप्रबंध की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त संघ द्वारा उल्लिखित शिकायतों/अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त शिकायत के आधार पर कोई जांच की गई है, यदि हां तो किसके द्वारा और आज तक इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) सरकार को अखिल भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम कर्मचारियों का दिनांक 22.5.94 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें भारत पर्यटन विकास निगम के अशोक टुअर्स एण्ड ट्रेवल्स डिवीजन के तत्कालीन महाप्रबंधक के भ्रष्टाचार आदि के कथित आचरण की जांच की गई थी। इस पत्र में लगाए गए आरोपों तथा उनकी स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रम सं०	आरोप	जांच के परिणाम
1.	भारत पर्यटन विकास निगम के होटल में भोजन का अनधिकृत उपभोग	अधिकारी से 646 रु. की राशि वसूल कर ली गई थी।

क्रम सं०	आरोप	जांच के परिणाम
2.	असंगत परिसम्पत्तियों को अधिकार में रखना	जांच-पड़ताल से पता चला है कि अधिकारी से कुछ प्रक्रियात्मक गलतियां हुई थीं तथा कुछ लेने-देनों से संबंधित तथा जेवरात की बिक्री संबंधी सूचना सक्षम अधिकारी को नहीं दी गई थी। इसलिए उन्हें भविष्य में और अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी।
3.	दोषपूर्ण रिकार्ड होने के बावजूद भी संबद्ध अधिकारी की पदोन्नति करना	यह पदोन्नति नियमों के मुताबिक हुई थी जिनमें व्यवस्था है कि पदोन्नति के समय अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक मामला लम्बित नहीं होना चाहिए।
4.	वे झूठे एल.टी.सी. टुअरों के मामले में शामिल थे।	अशोक टुअर्स एण्ड ट्रैवल्स के तत्कालीन महाप्रबंधक के विरुद्ध कोई विशिष्ट जांच-पड़ताल होनी लम्बित नहीं है।

कोलार सोने की खानें

3329. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोलार सोने की खानों में श्रमिक अशान्ति के बारे में अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कामगारों की प्रमुख मांगें क्या है; और

(घ) इनका समाधान करने हेतु क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग). जी हां। भारत स्वर्ण खान, कोलार के लगभग 6500 श्रमिकों ने 2.8.95 से हड़ताल कर दी। श्रमिकों की मुख्य-मुख्य मांगें हैं (1) अंतरिम राहत (2) मंहगाई भत्ते के डिफरेंस की अदायगी (3) अनुग्रह अनुदान/बोनस के डिफरेंस की अदायगी (4) उक्त लाभों के लिए प्रति श्रमिक 15,000 रु. (केवल पन्द्रह हजार रुपए) की अग्रिम अदायगी।

(घ) श्रम मंत्रालय के केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने मामले में हस्ताक्षेप किया और सुलह वार्ता करवाई और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

माननीय खान राज्य मंत्री ने भी श्रमिकों से हड़ताल जारी न रखने के लिए अपील की है।

नई नोट प्रेस परियोजना

3330. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक से नई नोट प्रेस परियोजनाओं का कार्य पूरा करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत "भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड" नामक एक कम्पनी शामिल की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब से अंतर्विष्ट किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1956 की धारा 24 और 25 का उल्लंघन करते हुए ऐसी कम्पनी बनाए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कम्पनी पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक इकाई है;

(घ) यदि हां, तो इस कम्पनी के प्रमुख शेयर-धारक कौन-कौन हैं और इसके पंजीकृत कार्यालय किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(ङ) इस कम्पनी के अधिकारियों के श्रेणी-वार वेतन भत्ते और सुविधाओं का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों की तुलना में इनकी क्या स्थिति है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) 3 फरवरी, 1995 । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 24 और 25 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) सभी शेयर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवंटित किए जाएंगे। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय बैंगलूर में स्थित है।

(ङ) कम्पनी के पदधारियों के श्रेणी-वार वेतनमान निम्नानुसार है :

पद		वेतनमान
सहायक प्रबन्धक		2075-100-2875-125-3750 रुपए
उप-प्रबन्धक		2400-125-3150-150-4200 रुपए
प्रबन्धक		3200-150-3650-175-5225 रुपए
सहायक महा प्रबंधक		4000-175-5750 रुपए
उप महा प्रबंधक		4800-175-6200 रुपए
महा प्रबंधक		6100-200-6900 रुपए
औद्योगिक कामगार		
ग्रेड	I	850-25-1000-40-1200 रुपए
ग्रेड	II	950-40-1150-ई.बी.-50-1500 रुपए

पद		वेतनमान
ग्रेड	III	1200-50-1500-60-1800-ई.बी.-80-2040 रुपए
ग्रेड	IV	1400-60-1640-80-2200-ई.बी.-100-2600 रुपए
ग्रेड	V	1640-80-2040-100-2540-120-2900 रुपए

वेतनमान से सम्बन्धित अन्य भत्ते जैसे मंहगाई भत्ता आदि भी सरकारी नियमों के अनुरूप हैं। अन्य सेवा शर्तों को कम्पनी के बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। उपर्युक्त वेतनमान भारतीय रिजर्व बैंक के वेतनमानों की अपेक्षा कम हैं।

अजमेर में हवाई अड्डा

3331. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राजस्थान सरकार से अजमेर में एक नया हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना को इस शर्त पर पूरा करने पर विचार कर रही है कि राज्य सरकार द्वारा बिना किसी मूल्य के भूमि का आवंटन किया जाये;

(ग) क्या ऐसी शर्त किसी अन्य हवाई अड्डे के संबंध में भी निर्धारित की गई है; और

(घ) अजमेर हवाई अड्डे से संबंधित कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और हवाई अड्डा कब तक चालू हो जाएगा?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क). जी, हां।

(ख) से (घ). अजमेर में एक हवाई अड्डे के निर्माण के प्रस्ताव को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसकी आर्थिक व्यवहार्यता की छानबीन करेगा और इसके बाद मामले पर एक अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

बिदेशों मे रोजगार

3332. **श्री सुरेशानन्द स्वामी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान कितने भारतीय श्रमिक विदेशों के लिए गए;

(ख) रोजगार कि लिए वे किन-किन देशों में गए; और

(ग) कितने श्रमिक विदेशों में अपनी नौकरी छोडकर भारत वापस आ गए?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). 1994-95 के दौरान, उत्प्रवास संरक्षी ने मुख्य रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और बहरीन में कार्य के लिए 4936 श्रमिकों को उत्प्रवास अनुमति प्रदान की है।

(ग) यह सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु अधिनियम से रुई को हटाना

3333. **श्री अमर पाल सिंह :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि में आने वाली वस्तु सूची में से वस्त्रों को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) फिलहाल आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत की वस्तु सूची में से वस्त्रों को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

वित्तीय संस्थाओं हेतु समिति

3334. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं द्वारा बुनियादी ढांचे के वित्त-पोषण के संबंध में चर्चा करने हेतु सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों के संबंध में ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या बुनियादी ढांचे के लिए वित्त-पोषण की इस आवश्यकता के कारण औद्योगिक वित्त पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस प्रकार की आवश्यकताओं के मूल्यांकन हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां : अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के व्यापारीकरण से संबंधित एक विशेषज्ञ ग्रुप की स्थापना अक्तूबर, 1994 में की गई, जिसमें केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय आवास और शहरी विकास निगम, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसिज, महानगर टेलीफोन निगम लि.० इंडस्ट्रियल क्रैडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि० से और निजी क्षेत्र से प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) और (घ). विशेषज्ञ ग्रुप संस्थागत प्रबन्धों से संबंधित समस्याओं, कानूनी ढांचे और विशिष्ट क्षेत्र प्रतिबंधों की जांच करेगा जो इस समय क्षेत्र में संसाधनों के प्रवाह को रोक रहे हैं और विशेष रूप से निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुकर बनाने के लिए उपयुक्त अर्थोपायों, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण में निजी-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी और अवसंरचनात्मक विकास के लिए निजी अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत प्रवाहों को काम में लाने के रास्तों की भी सिफारिश करेगा।

[हिन्दी]

हरिद्वार का सौंदर्यीकरण

3335. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से हरिद्वार के सौंदर्यीकरण हेतु वित्तीय सहायमा देने संबंधी कोई परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) तीर्थ यात्री केन्द्रों सहित पर्यटक स्थलों के विकास और सौन्दर्यीकरण की जिम्मेदारी मूलतः राज्य सरकारों की है। हरिद्वार के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 1992-93 के दौरान राज्य सरकार ने निम्नलिखित स्कीमें मंजूर की थी :-

(लाख रुपयों में)

स्कीमों के नाम	मंजूर की गई राशि
1. पर्यटक आराम गृह	29.25
2. साइनबोर्ड (गाइड मैप)	1.50
3. सुभाष घाट का नवीकरण	35.00
4. कंक्रीट सड़क अनुवाद का निर्माण	29.53

[अनुवाद]

तमिलनाडु तथा केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन का विकास

3336. **श्री एन० डेनिस :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु तथा केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). राज्य में तटवर्ती क्षेत्रों सहित पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी, मूलतः तमिलनाडु और केरल की राज्य सरकारों की है। तथापि, तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन विभाग, भारत सरकार, ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के लिए 89.21 लाख रु. की राशि की तीन परियोजनाएं/स्कीमें और केरल के लिए 159.90 लाख रु. की राशि की 6 परियोजनाएं/स्कीमें मंजूर की हैं। समुद्रतट पर्यटन के विकास हेतु मंजूर की गई परियोजनाओं/स्कीमों, उनकी राशि और मंजूरी के वर्ष का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(रुपए लाखों में)

परियोजना/स्कीम का नाम	मंजूरी का वर्ष	मंजूर की गई राशि
तमिलनाडु		
1. रामेश्वरम में यात्री निवास	1992-93	44.78
2. मुत्तुकाडु बैकवाटर और पुलिकट लेक के लिए जलक्रीड़ा उपकरण	1993-94	14.94
3. ट्रेंक्वेबार में पर्यटक स्वागत केन्द्र	1994-95	29.49
केरल		
4. परावूर में समुद्र-तट सैरगाह	1993-94	26.13
5. चेरथला में समुद्र-तट सैरगाह	1993-94	24.69
6. एलेप्पी में यात्री निवास	1994-95	38.93
7. कोवलम में होटल समुद्र का उन्नयन-व-विस्तार	1994-95	37.50
8. कोवलम और क्विलोन के लिए नावों की खरीद	1994-94	17.65
9. एरनकुलम में नावों की दौड़ के लिए सहायता	1994-95	15.00

नाबार्ड की ऋण-माफी योजना

3337. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने केन्द्र सरकार से उस प्रस्ताव की जांच करने का अनुरोध किया है जिसमें चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव-पूर्व ब्याज तथा ऋण-माफी योजनाओं की घोषणा को चुनावी कदाचार की संज्ञा दिये जाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). जी, हां।

(ख) मामला परीक्षणाधीन है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण

3338. **श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या विश्व बैंक मराठा वाड़ा क्षेत्र में चल रहे पुनर्वास कार्य के लिए

अपनी सहायता बंद कर रहा है;

(ख) विश्व बैंक द्वारा नीति के परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(ग) विश्व बैंक द्वारा उक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है और उससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(घ) इस परियोजना के लिए अन्य देशों में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विश्व बैंक ने 246 मिलियन अमरीकी डालर का एक आई.डी.ए. ऋण प्रदान करने की सहमति दी है। 30.6.1995 की स्थिति के अनुसार इसमें से 26.853 मिलियन अमरीकी डालर की राशि विश्व बैंक से प्राप्त हो चुकी है।

(घ) 56.54 करोड़ रुपए की राशि नगद प्राप्त हुई थी।

[अनुवाद]

रोजगार सृजन

3339. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बाद तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों में रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए; और

(ख) उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्होंने कुशल और अकुशल रोजगार के अत्यधिक अवसर उपलब्ध कराये हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). 31 मार्च, 1991, 1992, 1993 तथा 1994 की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र (सभी सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा 10 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के गैर-कृषीय प्रतिष्ठान) में रोजगार निम्न प्रकार था :-

वर्ष	रोजगार (लाख में)		
(31 मार्च को)	सरकारी	गैर-सरकारी	योग
1991	190.57	76.76	267.33
1992	192.10	78.46	270.56
1993	193.26	78.51	271.77
1994 (अ)	193.85	78.60	272.51

(अ) - अनंतिम

* यह हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

कुशल एवं अकुशल नौकरियों में वृद्धि संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि सरकारी क्षेत्र में रोजगार में पर्याप्त वृद्धि दृष्टिगत नहीं हुई।

दिल्ली-चण्डीगढ़ एवं अन्य उड़ानें

3340. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की चंडीगढ़-लेह सेक्टर में संचालित दैनिक उडानों और दिल्ली-चण्डीगढ़-लुधियाना मार्ग पर वायुदूत की दैनिक उडानों के अतिरिक्त दिल्ली-चण्डीगढ़, चंडीगढ-जम्मू-श्रीनगर उडानों को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन उड़ानों को पुनः शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क). जी हां।

(ख) कम भार गुणक और प्रचालन कर्मीदल की कमी के कारण सेवाएं रद्द कर दी गई थीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों के लिए वेंडरों का चयन

3341. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विमानपत्तन परिसरों में विभिन्न स्थानों के लिए वेंडरों के चयन हेतु मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या वेंडरों पर वस्तुओं की कीमतों तथा बिक्री हेतु माल की किस्मों के बारे में किसी का नियंत्रण नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा विमानपत्तनों पर वेंडरो पर बेहतर निरीक्षण पर्यवेक्षण हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ताकि शीतल पेयों तथा खाद्य पदार्थों का मूल्य सामान्य रहे तथा अंकित मूल्यों से अधिक मूल्य वसूल न किया जाए?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण निविदाओं के आधार पर वेंडरों का चयन करते हैं। कई बार प्रसिद्ध ब्रांड नामों के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाता है।

(ख) और (ग). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वस्तुओं को समय समय पर अनुमोदित दरों पर बेचने के लिए लाइसेंस करार में एक विशिष्ट प्रावधान है। हवाई अड्डों पर बेचे जाने वाली वस्तुओं की कीमतें प्रदान की गयी सुविधाओं और हवाई अड्डों पर उनकी अवस्थिति के अनुरूप नियत की जाती हैं।

पटसन क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानदंड

3342. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वृक्षारोपण संबंधी सम्मेलन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन के निर्णयों को पटसन क्षेत्र में कार्यान्वित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (पी० ए० संगमा) : (क) से (ग). अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, बागानों के संबंध में, 1958 में अभिसमय सं. 110 और 1982 में ऐ प्रोटोकॉल अंगीकार किया। यह मानक बागान कर्मकारों के नियोजन की शर्तें विनियमित करते हैं और अन्य बातों के साथ-साथ इनमें मजदूरी, वार्षिक अवकाश, साप्ताहिक अवकाश, प्रसूति प्रतिरक्षा, कर्मकार प्रतिकर, आवात, चिकित्सा देख-रेख, संगठित होने और सामूहिक सौदेकारिता का अधिकार, श्रम निरीक्षण आदि सम्मिलित हैं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जूट क्षेत्र के लिए विशिष्ट रूप से कोई मानक अंगीकार नहीं किया है परन्तु उपर्युक्त मानकों में अन्यों के साथ-साथ जूट जैसे रेशे भी शामिल हैं। भारत ने अभी तक उपर्युक्त अभिसमय और प्रोटोकॉल अनुसमर्थित नहीं किया है क्योंकि इनमें अंतर्निहित मानकों में बड़ी संख्या में कृषीय और बागवानी फसलें शामिल हैं जो इस समय भारतीय बागान श्रम कानूनों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

खाद्य वस्तुओं के निर्यात हेतु विमान भाड़े पर राजसहायता

3343. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए खाद्य और कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु विमान भाड़े पर राजसहायता देना शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क). जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एस्सार समूह का संयुक्त उद्यम

3344. **श्री लक्ष्मण सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री 4 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 761 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस इस पर सहमत हो गए हैं कि भारत द्वारा रूस को रुपए में ऋण अदायगी का एक भाग भारत के संयुक्त उद्यमों में रूसी निवेश के रूप में किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रूसी कम्पनियों से भारत के संयुक्त उद्यमों में निवेश हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने मैसर्स एस्सार गुजरात लिमिटेड से रूसी कम्पनियों के साथ किस उद्यम में निवेश हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या मैसर्स एस्सार गुजरात लिमिटेड द्वारा इटली में 80 मिलियन अमेरिकी डालर के संयुक्त उपक्रम की कम्पनी में भी निवेश करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). दोनों सरकार सिद्धान्त रूप से इस पर सहमत हो गई हैं। इस संबंध में ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) से (च). सरकार ने रुपया ऋण निधियों के प्रयोग को शामिल करते हुए मैसर्स एस्सार गुजरात लिमिटेड से भारत में संयुक्त उपक्रम के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त किया है। कुछ रूसी कंपनियों से भी प्रारम्भिक सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(छ) और (ज). जी हां। मैसर्स एस्सार गुजरात लिमिटेड ने इटली में एक इस्पात उपक्रम में 76.8 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश के लिए एक प्रस्ताव किया था।

[हिन्दी]

प्रतिभूति घोटाले से संबंद्ध औद्योगिक एकक

3345. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992 के प्रतिभूति घोटाले में संबंद्ध कई औद्योगिक कंपनियों ने कंपनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन औद्योगिक एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस घोटाले से संबद्ध कुछ अधिकारी अब भी इन कंपनियों में कार्यरत हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उपग्रह प्रौद्योगिकी के द्वारा वायु यातायात नियंत्रण

3346. **डॉ० अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन**

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपग्रह प्रौद्योगिकी आधारित वायु यातायात नियंत्रण प्रणाली विकसित करने हेतु कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में किन-किन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर यह प्रणाली शुरू की जायेगी?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क). जी, हां।

(ख) भारत विमानपत्तन प्राधिकरण ने उपग्रह आधरित हवाई यातायात नियंत्रण प्रणालियों के विकास के लिए आटोमेटिक डिपेंडेंट सरविलैंस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और स्वर और डाटा संचार हेतु सेटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क की परियोजनाएं शुरू की हैं।

(ग) बंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उक्त प्रणालियों की व्यवस्था की जानी है।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी

3347. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के पदों के लिए ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं जिन्होंने स्नातक की परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन ठुकराये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसे कई मामलों की जानकारी है जिनमें उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि स्नातक अथवा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वालों की वरीयता न देते हुए इस प्रयोजनार्थ न्यूनतम योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को परीक्षा की अनुमति दी जाए/के लिए बुलाए जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीड़ी कर्मकार

3348. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी कर्मचारों की अनुमानित संख्या कितनी है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत इनमें से कितने बीड़ी कर्मकार आते हैं;

(ख) बीड़ी कर्मकारों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितने अस्पताल और डिस्पेंसरियां कार्य कर रही हैं; और

(ग) बीड़ी कर्मकारों को कल्याण योजनाओं का लाभ देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क). बीड़ी श्रमिकों की संख्या लगभग 42.29 लाख है, जिसमें से 21.725 श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ख) पूरे देश में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अधीन विशिष्टतः बीड़ी श्रमिकों के लिए कुल मिलाकर 155 औषधालय और 3 अस्पताल स्थापित किए गए हैं।

(ग) बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी श्रमिकों के लिए शिक्षा, आवास चिकित्सा और मनोरंजन जैसी अनेक कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का पुनर्गठन

3349. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उद्योगों में रुग्णता को दूर करने के संबंध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विगत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 18 जुलाई, 1995 को नई दिल्ली में "भारत के औद्योगिक विकास की समीक्षा" विषय पर आयोजित संगोष्ठी के कार्यवाही वृतांत की ओर दिलाया गया है, जिसमे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कामकाज/कार्यकुशलता की कटु आलोचना की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त संगोष्ठी में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) ने सूचित किया है कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस आई सीए) के अन्तर्गत प्राप्त सन्दर्भों पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। सन्दर्भों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अपनी प्रक्रिया को युक्ति-युक्त बनाया है। सुनवाई में लगने वाले समय को कम किया है और कार्यवाहियों की समग्र अवधि को घटा दिया है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने आगे सूचित किया है कि दिनांक 30.6.1995 की स्थिति के अनुसार उसके पास 1703 सन्दर्भ दर्ज कराये गये थे। इन मामलों का ब्यौरा निम्मानुसार है :-

1.	दर्ज किये गये सन्दर्भ	1703
2.	रख-रखाव योग्य न मानकर रद्द कर दिये गये	359

3.	अनुमोदित/मंजूर पुनर्वास योजनाएं	483
4.	परिसमापन की सिफारिश वाले	383
5.	अन्य (न्यायालय से प्राप्त दो सन्दर्भ और ग्यारह मामलों में निवल क्षमता सकारात्मक पाई गई और दो मामले छोड़ दिये गये)	15
6.	निर्णय लिये गये (कुल 2 से 5 तक)	1240
7.	विभिन्न चरणों में लम्बित	463

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि मामलों के निपटान में अब कम समय लग रहा है। जबकि वर्ष 1987 से 1991 के दौरान बी.आई. एफ.आर. के पास दर्ज मामलों के निपटान में लगा औसत समय 739 दिन था। वर्ष 1992 और 1993 के दौरान दर्ज मामलों के निपटान में लगा समय क्रमशः 457 दिन और 196 दिन था। वर्ष 1994 के लिये अब तक निपटाये गये मामलों में लगा औसत समय 105 दिन था।

(ग) से (ङ). "भारतीय औद्योगिक विकास समीक्षा" (इंडिया इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट रिव्यू) नामक पुस्तक का विमोचन करने के लिए इकनामिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ई आई यू) और यूनाइटेड नेशन्स इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट आर्गनाईजेशन के सहयोग से 18 जुलाई, 1995 को भारतीय उद्योग परिसंघ (कनफेडेरेशन आफ इंडिया इन्डस्ट्री)(सी-II) द्वारा भारत के औद्योगिक विकास की समीक्षा (इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट रिव्यू आफ इंडिया) पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था। बी आई एफ आर के कार्यकरण सहित औद्योगिक विकास से संबंधित विभिन्न मामलों पर सेमिनार के दौरान कुछ टिप्पणियां की गई थीं।

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण एककों को पुनः अर्थक्षम बनाना

3350. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :**
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.आई.एफ.आर. ने हाल ही में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण एककों को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए किसी योजना को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बाईएफर) ने सूचित किया है कि उसने जनवरी, 1995 से जुलाई 1995 तक की अवधि के दौरान रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1995 की धारा 18 (4) के तहत निम्नलिखित चार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में पुनरुज्जीवन पैकेज मंजूर किए हैं:-

1. विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2. भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लिमिटेड
3. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मेस्यूकिल्स लिमिटेड
4. बंगाल इम्म्यूनिटी लिमिटेड

उपर्युक्त केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में पुनरुज्जीवन योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

नशीली दवाओं का अवैध व्यापार

3351. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से बहुत धन कमाया जा रहा है जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इसकी रोकथाम करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). स्वापक औषधों के अवैध व्यापार से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है जिसका इस्तेमाल प्रायः जघन्य क्रियाकलापों में किया जाता है।

(ग) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन डी पी एस एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अन्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान करा दिए गए हैं। भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है। एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक जो भूमि तथा समुद्र तट पर लगाए गए हैं को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके।

[हिन्दी]

नशीली दवाओं की खेप

3352. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की जानकारी है कि गुजरात के जामनगर जिले में दो माह पूर्व 5 करोड रुपए की नशीली दवाओं तथा मादक पदार्थों की खेप पहुंची और उतारी गई थी तथा यह दुबई-सोमालिया के रास्ते भेड़ एवं बकरियां ले जा रहे जहाज के द्वारा अमेरिका भेजी गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में पुलिस, सी आई डी, सी बी आई एवं अन्य गुप्तचर एजेंसियों के माध्यम से कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

यूरेनियम की तस्करी

3353. **श्री जगत बीर सिंह द्रोण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में 50 करोड़ रु. मूल्य के 10 किलोग्राम यूरेनियम तस्करी द्वारा बनारस-गाज़ीपुर (उत्तर प्रदेश) के रास्ते दुबई ले जाये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच करायी गयी थी;

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विरुद्ध शिकायतें

3354. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विरुद्ध अनियमितताओं और गड़बड़ी करने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन शिकायतों के आधार पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कुछ निवेश निर्णयों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि उनके प्रचालन यथाप्रयोज्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमों एवं सेबी के निर्देशों द्वारा निदेशित किए जाते हैं। इन विनियमों में विविध निवेशों के लिए विवेकपूर्ण प्रकटन मानदंडों और सीमाओं की व्यवस्था है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के सभी निवेश निर्णय न्यासी बोर्ड/कार्यकारी समिति के अनुमोदन के अधीन भी हैं।

(ग). ऊपर (क) और (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

हेरोइन की बरामदगी

3355. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान कितनी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई; और

(ख) देश में हेरोइन का प्रवाह रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). वर्ष 1994-95 के दौरान 887.000 कि.ग्रा. हेरोइन जब्त की गई।

(ख) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन डी पी एस एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान कर दिए गए हैं। भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है। एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल एवं तटरक्षक जो भूमि एवं समुद्र तट पर लगाए गए हैं को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई है ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके।

हेरोइन बनाने के लिए एसीटिक ऐन्हाइड्राइड एक प्रारंभिक रसायन है जिसे एन डी पी एस एक्ट के अधीन एक "नियंत्रित पदार्थ" घोषित किया गया है तथा एसीटिक ऐनहाइड्राइड के निर्माण, वितरण, आयात, निर्यात तथा उपभोग को नियंत्रित करने के लिए एक विनियमन आदेश जारी कर दिया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन रसायन के संचलन को भारत-पाक सीमा के 50 कि०मी० तथा भारत-म्यांमार सीमा के 100 कि०मी० के भीतर नियंत्रण में रखा गया है।

फाइनेंस एण्ड जनरल इन्वेस्टमेंट कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी

3356. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में कितनी "फाइनेंस एंड जनरल इन्वेस्टमेंट" कंपनियों को कार्य करने की अनुमति दी है;

(ख) क्या सरकार को इन कंपनियों द्वारा हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों की खून-पसीने की लाखों रुपये की कमाई की धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आने वाली सहकारी समितियां

3357. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदस्यों और अन्य स्रोतों से भारी धनराशि एकत्रित करने वाली सहकारी समितियां आयकर अधिनियम, 1961 की परिधि में आती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में सहकारी समितियों द्वारा वर्ष-वार और समिति-वार दिए गए आयकर का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली में कई सहकारी समितियां प्रतिवर्ष लाखों रुपये इकट्ठे करती हैं किन्तु किसी प्रकार का आयकर नहीं देती हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या आयकर अधिकारियों ने इन सहकारी समितियों द्वारा इकट्ठा किए गए धन और विशेष अवसरों/आयोजनों पर इन समितियों द्वारा किए गए खर्च की जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(छ) क्या सरकार का विचार दिल्ली में ऐसी समितियों के कार्यकलापों की पूरी जांच करने हेतु इन समितियों द्वारा जनता के धन के दुरुपयोग के मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अन्तर्गत सहकारी समिति सहित प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित फार्म में आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होती है और निर्धारित तरीके से उसे सत्यापित करना होता है यदि उसकी कुल आय कर न लगाने योग्य अधिकतम धनराशि से अधिक हो। सहकारी समिति की आय की संगणना अधिनियम के अध्याय-IV में निहित उपबंधों के अनुसार की जाती है। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 80-त के अधीन कुछ प्रकार की सहकारी समितियों की आय उक्त धारा में विनिर्दिष्ट सीमा तक कटौती के योग्य होती है। कटौती की स्वीकृति धारा में निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाती है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (च). जहां लागू हो वहां सहकारी समितियां विवरणियां प्रस्तुत करती आ रही हैं और करों का भुगतान भी करती आ रही हैं। सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत आय विवरणियों पर पहले अधिनियम की धारा 143 (1)(क) के अधीन कार्रवाई की जाती है और विनिर्दिष्ट प्रथम दृष्टया समायोजन करने के बाद देय अथवा वापसी योग्य धनराशि का उल्लेख करते हुए कर-निर्धारिती को एक सूचना भेज दी जाती है। यदि कर-निर्धारण अधिकारी यह सुनिश्चित करना आवश्यक या अनिवार्य समझता है कि कर-निर्धारिती ने किसी भी रूप में आय को कम करके बताया है अथवा अधिक घाटे की गणना नहीं की है या कर का कम भुगतान नहीं किया है तो वह मामले को विस्तृत संवीक्षा के लिए चुन सकता है। संवीक्षा कार्रवाईयों के दौरान विभिन्न प्राप्तियों एवं व्ययों सहित लेखों की विस्तृत जांच की जाती है। यदि प्राप्तियों को उचित रूप से न दिखाया गया हो या अदेय व्ययों की मांग की गई हो तो आयकर अधिनियम के विभिन्न दंडात्मक उपबंधो के अधीन कार्रवाई की जाती है।

(छ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

चावल के निर्यात के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर

3358. **श्री अनंतराव देशमुख :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चावल के निर्यात के लिए कितनी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) इन समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कुल कितना चावल निर्यात किया गया है और उक्त संविदाओं के अन्तर्गत शेष चावल का निर्यात करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). एग्जिम नीति के अनुसार, बासमती और गैर-बासमती दोनों प्रकार के चावल का मात्रा और मूल्य संबंधी बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है। निर्यातक के लिए ये भी आवश्यक नहीं है कि वे अपनी संविदाओं को किसी नामोद्दिष्ट एजेंसी में पंजीकृत कराएं। निर्यातकों द्वारा की जाने वाली निर्यात संविदाओं के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) मई 1995 तक, 486.82 करोड़ रुपए मूल्य के 5,89,139 मी. टन चावल (बासमती और गैर-बासमती) का निर्यात किया गया (स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)। निर्यात कारगो के संचलन में समन्वय के लिए भारतीय खाद्य निगम, भूतल परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय के साथ बैठकें की गई हैं।

वाशिंगटन के साथ विमान सम्पर्क

3359. **डॉ० के० वी० आर० चौधरी :**
डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा शुरू किए गए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वाशिंगटन के लिए सीधी उडान सेवा आरंभ करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया के उड़ानों और प्रबंधन में सुधार के कारण दोनों ही एयरलाइनों में घरेलू और विदेशी यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दोनों एयरलाइनें विदेशी एयरलाइनों के साथ प्रभावी रूप से प्रतियोगिता कर सकें, इसके लिए सरकार ने किस भावी योजना पर विचार किया है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क). 1994-95 के दौरान एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा आरंभ की गई अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग). अमेरिकी सरकार के साथ द्विपक्षीय हवाई परिवहन करार के अधीन, भारतीय विमानन कम्पनियों के लिए वाशिंगटन इस समय एक उदगम स्थल के रूप में उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ). एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वाहित यात्रियों

की संख्या निम्नलिखित है :

एअर इंडिया :

1992-93	2.2 मिलियन
1993-94	1.95 मिलियन
1994-95	2.2 मिलियन

इंडियन एयरलाइन्स (मिलियन में)

वर्ष	अंतर्देशीय यात्री	अंतर्राष्ट्रीय यात्री	कुल यात्री
1992-93	7.28	0.54	7.82
1993-94	7.23	0.65	7.88
1994-95	6.92	0.71	7.63

(च) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स अपने उत्पाद, छवि और समय पर कार्य निष्पादन में सुधार के लिए कदम उठा रही है जिससे और अधिक यात्रियों को आकर्षित किया जा सके और उनके राजस्व में वृद्धि की जा सके। अतिरिक्त हकदारी और यात्री मांग के आधार पर सेवाओं की संख्या में वृद्धि की जायेगी।

विवरण

1994-95 में आरंभ की गई नई उड़ानें

इंडियन एयरलाइन्स

अंतर्देशीय : वंबई-पट्टापार्थी-कोयम्वतूर-वंबई।

अंतर्राष्ट्रीय : 1) मद्रास-कुआलालम्पुर-सिंगापुर-मद्रास

2) वंबई-मद्रास-सिंगापुर

3) हैदराबाद-शारजाह

4) वंबई-अहमदावाद-शारजाह

5) कालीकट-कुवैत (शारजाह होकर)

एअर इंडिया :

1) वेरंटो के लिए अतिरिक्त उडान

2) हांगकांग के लिए तीसरी ए-310 टर्मिनेटर सेवा

3) रियाद के लिए उडानों की संख्या में वृद्धि

4) नैरोवी के लिए उडानों की संख्या में वृद्धि

5) दुबई के लिए अतिरिक्त सेवाएं

6) बंबई-वंगलौर-सिंगापूर-पर्थ सेवाएं आरंभ की गयी हैं।

7) बंबई-त्रिवेन्द्रम-सिंगापुर सेवाएं आरंभ की गयी हैं।

8) मद्रास-कुवैत-पैरिस-लंदन सेवाएं आरंभ की गयी हैं।

9) कुवैत को गोवा और त्रिवेन्द्रम से जोडा गया है।

10) पैरिस के लिए अतिरिक्त उडानें आरंभ की गयी हैं।

दक्षिण कोरिया के साथ औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग समझौता

3360. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग के लिए कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते के फलस्वरूप भारत को क्या लाभ प्राप्त होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). जी हां।

(ख). राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० भारत और लघु एवं मध्यम उद्योग संवर्धन निगम, कोरिया के बीच पारस्परिक सहयोग के एक करार पर 24.7.1995 को हस्ताक्षर किए गए। करार का उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं और भागीदारी/संयुक्त उद्यम संभाव्यताओं संबंधी सूचना के आदान-प्रदान और प्रसार के माध्यम से दोनों देशों के लघु और मध्यम आकार के उद्योगों का विकास, व्यापार-प्रदर्शनियों, मेलों, संगोष्ठियों के आयोजन तथा प्रौद्योगिकी अंतरण में सहायता करना और दोनों देशों के औद्योगिक मिशनों द्वारा दौरों का आदान-प्रदान करना हैं।

(ग) इसके परिणामस्वरूप लघु और मध्यम उद्योगों का विकास होने की संभावना है।

स्टार्क एक्सचेंज

3361. **श्री शरत पटनायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घोटाले रोकने हेतु उन कम्पनियों की प्रतिभूतियों की लेखा परीक्षा कराने का है जो स्टाक-एक्सचेंज की सूची में है अथवा सूची में लाए जा रहे है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कव तक कार्यान्वित हो जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग.) ऊपर (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठते।

बांड तथा कर मुक्त बांड

3362. **श्री सोमजीभाई डामोर :**
श्री छीतुभाई गामीत :
श्री दिलीपभाई संघाणी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीय बांड और कर मुक्त बांड जारी करने के लिए सरकार सरोवर नर्मदा निगम लि. का कोई प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित है;

(ख) यदि हां, तो यह सरकार के पास कब से लंबित हैं और इतने दिनों तक लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जी नहीं। सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि. (एस. एस. एन. एन. एल) ने अनिवासी भारतीयों को कर मुक्त बॉण्ड और प्रत्यावर्तनीय आधार पर बाण्ड जारी करने के लिए अनुमति मांगी थी। चूंकि इस समय कर मुक्त बाण्डों का निर्गम केवल उन उपक्रमों तक सीमित है, जो पूर्णतः अथवा अंशतः केन्द्र सरकार के स्वामित्व में है, अतः सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि. को यह परामर्श दिया गया था कि वह इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय वोर्ड के दिशानिर्देशों के अधीन घरेलू और अनिवासी भारतीय निवेशकों को कर योग्य बाण्ड जारी करने पर विचार कर सकता है।

प्रतिबन्धित हशीश का पकड़ा जाना

3363. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जनवरी 1995 को इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर दिल्ली सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दो बडी मात्रा में हशीश जब्त की गई थी तब जब जर्मनी की एक महिला और एक ब्रिटिश नागरिक करोड़ों रुपए की हशीश को ले जा रहे थे जो भारत से बाहर भेजी जानी थी;

(ख) क्या इस तरह का अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह भारत के विभिन्न भागों में सक्रिय है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). 2 जनवरी 1995 को ऐसी कोई जब्ती नहीं की गई। तथापि 31 दिसंबर 1994 को एअर कस्टम इन्दिरा गांधी विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली ने एक जर्मनी महिला से 56.624 किलोग्राम हशीश जब्त की। उसी दिन एक अन्य मामलें में एक ब्रिटिश नागरिक को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे में 6.905 कि.ग्रा. हशीश थी। हशीश का सही मूल्यांकन जो प्रायः अनिर्धारित क्षमता तथा मिश्रण की होती है संभव नहीं है। इन मामलों में की गई जांच पड़ताल किसी अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के शामिल होने को प्रकट नहीं करती है।

(ग) भारत स्वापक औषधों की समस्या के सभी पहलुओं का पता लगाने के क्रम में कई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों मे शामिल हुआ है। स्वापक औषधों के अवैध व्यापार का सामना करने में लगी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अच्छा सहयोग बनाया गया है। सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन डी पी एस एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता वरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कपास का निर्यात और आयात

3364. **श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दन :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, 1995-96 के दौरान कपास के निर्यात और आयात के बारे में अनुपालन की जाने वाली नीति का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : जब तक और परिवर्तन नहीं किए जाते तब तक कपास की घरेलू और अन्तर-राष्ट्रीय मांग और पूर्ति पर आधारित कपास की चालू एक्जीम नीति जारी रहेगी।

हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा

3365. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :**
डॉ० के० वी० आर० चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने हैदराबाद के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अचानक छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो पकडे गये माल का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि आने वाले यात्रियों को कस्टम अधिकारियों द्वारा तंग किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जी, हां। हैदराबाद में, अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर 20.7.95 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा गया था। 22,700 रु. की भारतीय मुद्रा और कुल 36,400 रु. (लगभग) के मूल्य की विभिन्न देशों की विदेशी मुद्राएं और कम मूल्य की कुछेक विविध वस्तुएं पकड़ी गई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड सहिता के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के संगत उपबंधों के अंतर्गत 25 जुलाई, 1995 को एक मामला दर्ज किया गया है।

(घ) और (ङ). छापे से पूर्व, पिछले वर्ष के दौरान एक सीमाशुल्क अधिकारी के विरुद्ध बाहर से आने वाले एक यात्री से केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की जांच की गई थी और इसे छद्मनाम से किया गया पाया गया था।

मदुरई का अन्य देशों से विमान संपर्क

3366. **डॉ० बी० राजेश्वरन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मदुरई हवाई अड्डे को खाड़ी के अन्य देशों कोलम्बों तथा सिंगापुर से विमान द्वारा जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क). जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मदुरै हवाई अड्डा इस समय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है।

सहकारी बैंकों की शाखाएं

3367. **श्री दिलीपभाई संघाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार सहकारी बैंकों में कितनी धनराशि जमा की गई और उनके द्वारा कितनी राशि के ऋण दिये गये;

(ख) देश में, विशेष रूप से गुजरात में खोली जाने वाली सहकारी बैंकों की शाखाओं का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इन बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेंट्रल काटेज इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया के शोरूम

3368. **श्री मेरू लाल मीणा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सेंट्रल काटेज इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा राज्य-वार कितने शोरूम चलाए जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेष रूप से बंगलौर में कितने शोरूम बंद किए गए हैं;

(ग) इन शोरूमों के बंद किए जाने के क्या कारण हैं और इन शोरूमों के बंद होने के कारण कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए;

(घ) क्या सरकार को इन्हें बंद करने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अभ्यावेदनों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क). केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि० (सी सी आई सी), नई दिल्ली वर्तमान मे पांच शोरूम, नई दिल्ली, बम्बई (महाराष्ट्र), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल), मद्रास (तमिलनाडु) तथा सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में एक-एक का संचालन कर रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में केवल एक शोरूम बंगलौर (कर्नाटक) में बन्द किया गया है।

(ग) बंगलौर (कर्नाटक) में शोरूम, कर्मचारियों के गैर-जिम्मेदाराना बर्ताव तथा अनुशासन के अभाव में बन्द कर देना पड़ा था। शोरूम बन्द होने के अनुसरण में 15 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं।

(घ) और (ङ). जी हां, सरकार ने सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए इस मामले को श्रम सचिव, कर्नाटक सरकार के सामने उठाया है।

उद्योगों के लिए ऋण पर रोक

3369. **श्री राम सिंह कस्वां** :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगपतियों ने उद्योग क्षेत्र में ऋण संबंधी विद्यमान रोक को हटाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि वर्ष 1995-96 के उत्तरार्ध के लिए ऋण नीति की घोषणा दिनांक 17 अप्रैल, 1995 को की गई थी। इस घोषणा के बाद भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की), एसोसिएटेड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) ने आशंका व्यक्त की है कि ऋण नीति में किये गये कड़ी मुद्रा नीति प्रावधान के कारण उद्योगों को ऋण देने मे रोक लगाई जाएगी और इस औद्योगिक विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आर बी आई ने सूचित किया है कि ऋण नीति इस तरह से बनाई गई है कि जिससे अर्थव्यवस्था की सभी वास्तविक ऋण आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। जमा राशियों में प्रत्याशित वृद्धि से बैंक, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ऋण-आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ होंगे।

रूसी ऋण

3370. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और रूस के बीच बकाया ऋणों के निपटारे के लिए हुए समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) 31 जुलाई, 1995 की स्थिति के अनुसार रूसी ऋण की कुल राशि रुपयों में कितनी है और रुपया-रूबल विनिमय दर के अनुरूप समझौते के अनुसार परिवर्तन योग्य राशि कितनी है;

(ग) इस समझौते को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का रूस से और ऋण लेने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). भारत को भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा दिए गए राष्ट्रीय ऋणों की वापसी-अदायगी जनवरी, 1993 में भारत और रूसी संघ के बीच हुए करार के अनुसार की जा रही है। करार के अधीन, दिनांक 1.4.1992 को रूबल में मूल्यवर्गित ऋण को 1978 के अन्तः सरकार नयाचार (1 रूबल = 19.9169 रुपए) के अनुसार दिनांक 1.1.90 को विनिमय दर का प्रयोग करके रुपए में रूपांतरित कर दिया गया था। यह अनुसूची और संगत ऋण करारों की शर्त के अनुसार वापस-आदायगी योग्य है। दिनांक 1.4.1992 को मूल ऋण की राशि को भी 1978 के नयाचार (1 रूबल = 31.7514 रुपए) द्वारा यथानिर्धारित दिनांक 1.4.1992 को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रुपए मे रूपांतरित कर दिया गया था और दोनों दरों पर रूपांतरित रूबल ऋण के रुपए मूल्य के बीच अन्तर को 45 वर्षों तक वार्षिक किस्तों में वापसी-अदायगी के लिए पुनः अनुसूचित कर दिया गया था। इस पुनः अनुसूचित हिस्से कोई ब्याज नहीं है। रुपए ऋण की वापसी-अदायगी भारतीय रिजर्व बैंक में विदेशी आर्थिक संबंध के रूसी बैंक (बी एफ ई आर) के केन्द्रीय खाते में की जाती है और शेष राशि का प्रयोग एकमात्र भारत से रूस को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए किया जाता है।

(ख) दिनांक 31 जुलाई, 1995 को रूस को बकाया रुपया ऋण की राशि 20669.34 करोड़ रुपए (बीस हजार छः सौ उनहत्तर करोड़ और चौंतीस लाख रुपए) है।

(ग) यह करार कार्यान्वयनाधीन है।

(घ) और (ङ). इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कानपुर की उड़ानें बन्द करना

3371. **श्री केशरी लाल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइंस ने गत पांच वर्षों के दौरान कानपुर के लिए अपनी सभी उड़ानें बन्द कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का कानपुर के लिए सभी उड़ानें पुनः शुरू करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). प्रचालन कर्मीदल की कमी के कारण, इंडियन एयरलाइंस ने 20 मई, 1992 से कानपुर के लिए अपनी सेवाएं हटा ली थीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का कार्यालय

3372. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का एक कार्यालय खोलने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). बिहार में अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा यूरिया के आयात हेतु बोली राशि

3373. **डॉ० मुमताज अंसारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड तथा भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा यूरिया तथा अन्य उर्वरकों के आयात के लिए बोली राशि तथा "बोली-बांडो" को सिर्फ डालरों में स्वीकार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बोली राशि को भारतीय मुद्रा अथवा प्रमुख भारतीय बैंकों द्वारा जारी की गयी बैंक गारंटियों को विदेशी बोली बांडों के समतुल्य नहीं मानने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बोली कर्ताओं से बोली राशि को भारतीय मुद्रा में तथा भारत के राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा जारी बैंक गारंटियों के विरुद्ध स्वीकार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ). जी, हां। यूरिया और अन्य उर्वरकों के आयात के लिए एम.एम.टी.सी. तथा एस.टी.सी. द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य वाणिज्यिक प्रथा निम्नलिखित कारणों से अमरीकी डालरों में ही बोली बांड स्वीकार करने की है:-

(1) संविदागत सामग्री की डिलीवरी के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से बेहतर वचनबद्धता को सुनिश्चित करना;

(2) इस प्रकार बिक्री की जोखिम विदेशी आपूर्तिकताओं की होती है।

(3) चूक के मामले में बोली के बांड की वसूली विदेशी मुद्रा में की जाती है।

गुजरात में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें

3374. **श्री महेश कनोडिया :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड द्वारा कितनी कपड़ा मिलें चलाई जा रही हैं और इनके नाम क्या-क्या हैं;

(ख) निजी क्षेत्र द्वारा ऐसी कुल कितनी कपड़ा मिलें चलाई जा रही हैं। इनके नाम क्या-क्या है और ये कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ग) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम और निजी क्षेत्र की मिलों की क्षमता और वास्तविक उत्पादन का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की क्षमता और उत्पादन निजी क्षेत्र के मिलों की अपेक्षा कम है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा राज्य में सरकारी क्षेत्र की मिलों की क्षमता और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में एन टी सी के अधीन 12 मिलें हैं जबकि 96 सूती/मानवनिर्मित वस्त्र मिलें निजी प्रबंधको के अधीन हैं। इन मिलों तथा उनकी अवस्थिति की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ). एन टी सी की 12 मिलों की क्षमता 275624 तकुवे तथा 5565 करघे हैं। जबकि निजी क्षेत्र की मिलों की संस्थापित क्षमता 3096970 तकुए, 17065 रोटर तथा 34084 करघे हैं। एन टी सी की मिलों में पिछले लगभग ढाई वर्षों से वस्तुतः कोई क्रियाकलाप नहीं हो रहा है तथा वर्ष 1994-95 के दौरान उनका उत्पादन मात्र 3.55 लाख किलोग्राम यार्न तथा 66.6 लाख मीटर कपड़ा रहा है। एन टी सी की मिलों में निम्न उत्पादन क्षमता और वस्तुतः उत्पादन का अभाव पुरानी मशीनरी, उच्च मानव मशीन अनुपात, कच्चे माल की अधिक लागत, अधिक कर्मचारी जैसे कारणों के अलावा कार्यकारी पूंजी की अत्यधिक कमी के कारण रहा है।

(च) सरकार ने गुजरात स्थित मिलों सहित एनटीसी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए एक संशोधित आमूल-चूल परिवर्तन की नीति को स्वीकृति दी है। उपर्युक्त तथ्य को मद्देनजर रखते हुए गुजरात की एन टी सी मिल सहित इसकी 9 सहायक शाखाओं मे से 8 के मामले औद्योगिक वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के विचाराधीन है। आधुनिकीकरण की योजना को क्रियान्वित करने से पहले स्वीकृति के लिए इसे औद्योगिक वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के पास भेजा गया है।

विवरण

गुजरात में एन टी सी मिलों की सूची

1. अहमदाबाद जुपिटर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद
2. अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद
3. हिमाद्री टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद
4. जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद
5. न्यू मानकचौक टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद

6,7. राजनगर टैक्सटाइल मिल्स, नं. 1 व 2, अहमदाबाद

8. महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स, भावनगर
9. पेटलेड टैक्सटाइल मिल्स, पेटलेड
10. राजकोट टैक्साइल मिल्स, राजकोट
11. वीरमगांव टैक्सटाइल मिल्स, वीरमगांव
12. फाइन निटिंग मिल्स, अहमदाबाद (दुबारा चालू नहीं हुई)

गुजरात में निजी मिलों की सूची

1. अहमदाबाद न्यू काटन मिल्स कं०, पी बी नं. 19 खोखरा अहमदाबाद, अहमदाबाद
2. अहमदाबाद जुबिली मिल्स लि., दरियापुर गेट, पी बी नं. 12, अहमदाबाद
3. अहमदाबाद श्री रामकृष्ण गोमतीपुर रोड, अहमदाबाद
4. अरुणा मिल्स लि०, पी बी नं. 1005, नरोदा रोड, अहमदाबाद
5. अरोदया गिनिंग एण्ड मैन्यु. मिल्स असरवा रोड, अहमदाबाद
6. अरोदया स्पि० एण्ड वी० कं० लि०, असवरा रोड, अहमदाबाद
7. अशोका मिल्स लि., नरोदा रोड रेलवेपुरा पी बी नं. 1050, अहमदाबाद
8. अहमदाबाद मैन्यु. कालिको प्रा० कं० पी बी नं. 12, जमालपुर गेट, अहमदाबाद
9. भारत सर्वोदय मिल्स कं. लि., दमारीवाडी रोड, अहमदावाद
10. बरोच टैक्सटाइल्स मिल्स नं. 1,2,3 महात्मा गांधी रोड, भरूच।
11. कमर्शियल अहमदाबाद मिल्स कं., ईदगाह चौकी, असरवा रोड, अहमदाबाद
12. कान्टीनेन्टल टैक्सटाईल्स मिल्स लि., नरोडा रोड पी बी नं. 1060, रेलपुरा, अहमदाबाद
13. गायकवाड़ मिल्स लि० बल्लीमोरा, बुलसाढ़
14. गांधीधाम स्पि० एण्ड० मैन्यु० कं० लि०, आदीपुर, गांधीधाम, कच्छ।
15. हतेसिंह मैन्यु. कं. लि., सरसपुर दरवाजा, रेलवेपुरा, अहमदाबाद
16. क्लोल मिल्स लि.

17. महाराना मिल्स लि० पी बी नं. 11, पोरबंदर, सौराष्ट्र
18. अरविन्द इन्टैक्स लि. पी बी नं. 36, राजपुर रोड, अहमदाबाद
19. नवज्योत टैक्सटाइल्स मिल्स लि., नार्थ गुजरात काडी
20. नवसारी काटन एण्ड सिल्क मिल्स विजालपुर रोड, नवसारी
21. न्यू गुजरात सिन्थेटिक लि., दरियापुर गेट, अहमदाबाद
22. निरंजन मिल्स लि. फाल्सावाडी, सूरत
23. ओमेक्स इन्वेस्टर लि., रायपुर गेट, अहमदाबाद
24. प्रसाद मिल्स लि., पी बी नं. 22, अहमदाबाद
25. दि पृथवी काटन मिल्स लि., महात्मा गांधी रोड, पी बी नं. 1, भरूच
26. पी जी टैक्सटाइल मिल्स लि., पी बी नं. 189, पाली गेट, बड़ौदा
27. राज प्रकाश स्पि. मिल्स लि., तारापुर रोड, लालबाग, काम्बे
28. रुस्तम मिल्स इण्ड. लि., पी बी नं. 131, दुधेश्वर रोड, अहमदाबाद
29. श्री अमरूरा मिल्स लि., सरसपुर गेट, गोमतीपुर पोस्ट, अहमदाबाद
30. श्री बंसीधर स्पि. एण्ड वी. मिल्स, नरोडा रोड, रेलवेपुरा, अहमदाबाद
31. विवेकानन्द मिल्स लि., रखेल रोड, अहमदाबाद
32. स्टार आफ गुजरात टैक्सटाईल्स मिल्स, पी बी नं. 143, गिरधर नगर, रेलवे क्रासिंग, अहमदाबाद
33. विजय मिल्स कं. लि., पी बी नं. 1049, नरोडा रोड, अहमदाबाद
34. श्री यमुना मिल्स लि., पी बी नं. 38, प्रताप नगर, बड़ौदा
35. अजित मिल्स लि., रखेल रोड, अहमदाबाद
36. गुजरात स्पि. मिल्स, रखेल रोड, अहमदाबाद
37. पटेल मिल्स कं. लि., पी बी नं. 5015, गोमतीपुर रोड, अहमदाबाद
38. श्री महुआ कोआप. स्पि. मिल्स, पी बी नं. 40, कण्डला रोड, महुआ, भावनगर
39. श्री अम्बिका मिल्स लि०, पी बी नं. 112, कंकड़िया रोड, अहमदाबाद
40. नूतन मिल्स लि., विया वारा रोजा अनिल रोड, अहमदाबाद
41. महेश्वरी मिल्स लि., शाहीबाग रोड, अहमदाबाद
42. सोमा टैक्सटाईल्स, रखेल रोड, रेलवेपुरा, अहमदाबाद
43. दि मानकलाल हीरालाल मिल्स, सरसपुर रोड, रेलवेपुरा, अहमदाबाद
44. नयू शराक मिल्स, असरवा रोड, पी वी नं. 2006, अहमदाबाद
45. दि मानकलाल हीरालाल मिल्स लि०, पी बी नं. 4, मिठीपुर खोखरा, महमदावाद, अहमदावाद
46. दि न्यू रायपुर मिल्स कं. लि., गोमती पुर रोड, अहमदाबाद
47. दि अहमदाबाद एडवांस मिल्स, दिल्ली गेट, पी बी नं. 18, अहमदाबाद
48. रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि., 1031106, नरोडा इंडस्ट्रियल एस्टेट, नरोडा, अहमदाबाद
49. दि अरविंद मिल्स लि., रायपुर गेट, पी बी नं, 42, अहमदाबाद
50. अरविंद पालीकाट लि., सरसपुर रोड, पी बी नं. 1061, अहमदाबाद
51. असरवा मिल्स लि०, असरवा रोड, अहमदाबाद
52. दि अरविंद मिल्स लि., नरोडा रोड, अहमदावाद
53. कनोरिया कैमीकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, रखेलपुर रोड, अहमदाबाद
54. दि रायपुर मैन्यु. कं० लि., सरसपुर गेट, अहमदावाद
55. दि बाम्बे डाइंग एण्ड मैन्यु० कं० लि०, पी बी नं.० 4, रणजीतसागर रोड, जामनगर यूनिट, जामनगर
56. अरुनोडिया मिल्स लि., पी बी नं. 40, बैजीटेबल रोड, मोरबी, सौराष्ट्र
57. शानूदीप लि., सूरत काटन नवाब वाडी बेगमपुरा, सूरत
58. दि मफतलाल फाइन स्पि. एण्ड वी० कोवेजालपुर रोड, नवसारी
59. श्री अमरसिंहजी मिल्स लि., वंकानेर, एस जे एस मार्ग, राजकोट
60. केटी काटसिंथ इण्डस्ट्रीज लि., चरनदवा वि., हलवाड ताल, सुरेन्द्रनगर
61. न्यू शराक स्पि० एण्ड मैन्यु० कं० लि०, कपडवंज रोड, नादियाद, कैरा
62. एल डी टैक्सटाइल इण्ड. लि. प्लाट नं. 280213, जी आई डी एस एस्टेट, अंकलेश्वर, भरूच।
63. गार्डन काटन एण्ड यार्न लि., वराछा रोड, सूरत
64. विशालदीप स्पि. मिल्स लि., 5, परशूराम सोसाइटी, लालपुर, मोरबी
65. पी बी एम पोलीटैक्स लि., स्टेशन पेटलेड, पी बी नं. 15
66. दि भारत विजय मिल्स लि., सैवन गरनोलस, क्लोल, महसाणा
67. दि महेन्द्रा मिल्स लि., क्लोल, नार्थ गुजरात
68. जी एस एल इण्डिया लि., अमलेथ्या विलेज, राजपिला तालुक, भरूच
69. श्री भगवती स्पि. एण्ड वी. खम्बालिया, जामनगर
70. श्री माण्डवी स्पि. मिल्स लि., मुज माण्डवी रोड, माण्डवी, पी बी नं. 4, रणजीत सागर रोड, कच्छ

71. सुकेतु टैक्सटाईल्स, 3-ए, सुन्दर नगर, जिला उद्योग साह संघ लि., वाधवान

72. एकसैल स्पिनर्स, ए-1, शैड नं. 11-12-13 तथा 28, वापी इंडस्ट्रियल एरिया, बलसाड़

73. बंगाल टी एण्ड फाईबर लि., 1402 जी आई डी सी एस्टेट, ढोलका, अहमदाबाद

74. संतराम स्पिनर्स लि., सर्वे नं. 1433, राजपुर बस स्टैंड, काडी (तालुक), महसाणा

75. सुनील मिल्स लि., पडरा रोड, बड़ौदा

76. मै. सिटिज़न यार्न प्रा. लि., 90411, जी आई डी सी छतराल, महसाणा

77. देवती फाईबर लि., पी बी नं. 5, बिन्दु सरोवर रोड, सिद्धपुर

78. मधु टैक्सटाइल अहमदाबाद लि., लक्ष्मीपुरा विलेज, नन्दगांव, काडी तालुक, महसाणा

79. मै. श्याम प्रकाश स्पि. मिल्स लि., स्टेशन रोड, पेटलेड, खेड़ा

80. मै. भगत टैक्सटाइल लि., 103, जी आई डी सी, खेराला, बावला, अहमदाबाद

81. मिहार टैक्सटाइल लि., खोखेड़ा महमदाबाद, अहमदाबाद

82. अहमदाबाद कैमरे-हिंद मिल्स, रायपुर गेट, अहमदाबाद

83. न्यू गुजरात सिंथेटिक लि., नरोडा रोड, रेलवेपुरा, अहमदाबाद

84. वाई एस सिंथेटिक प्रोजेक्ट लि., कंकड़िया रोड, अहमदाबाद

85. नवजीवन मिल्स लि., स्टेशन रोड, कलोल एन जी

86. दि अरविंद मिल्स लि. (ई ओ यू), नरोडा रोड, अहमदाबाद

87. श्री अरबुदा मिल्स लि., रखेल रोड, अहमदाबाद

88. रोहित मिल्स लि., मनीनगर पी ओ खोखा, मैमदावाद, अहमदाबाद

89. असरवा ओवरसीज़ वगोदरा ढोलका रोड, वालथरिया, अहमदाबाद

90. गुजरात अम्बीजा काटस्पिन लि., वि.-दालपुर ताप-परांतिज, सबरकांठा

91. जगरुती सिंथेटिक्स लि., 4211, गंगादेवी रोड, उमनेरगांव, बलसाढ़

92. हंजोर फाईबर लि., हिम माण्डवी रोड, भटकोल विलेज, सूरत

93. माडर्न टेरी टावल्स (ई ओ यू), पी बी बाक्स नं. 16, सनंद काडी रोड, सनद, अहमदाबाद

94. कामदगिरि सिंथेटिक्स लि., 3113, गंगादेवी रोड, उमवेरगांव, बलसाढ़

95. अशीमा डेनिम्स, अनुपम सिनेमा, खोखरा, मेमदाबाद, अहमदाबाद

96. पवारी स्पि. मिल्स लि., प्लाट नं. 1107, जी आई डी सी इंडस्ट्रियल एस्टेट, बामनबोर, सुरेन्द्रनगर।

[हिन्दी]

ताईवान द्वारा निवेश

3375. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताईवान के निवेशकों ने भारतीय उद्योग में पूंजी निवेश करने के प्रति रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और ताईवान के बीच उद्योग संबंधी कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इस समझौते को कब तक लागू कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय उद्योग ताईवानी निवेशकों से निवेश प्राप्त कर रहे हैं वर्ष 1991-95 की अवधि के दौरान दिए गए ताईवानी निवेशकों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ. डी.आई.) के लिए कुल प्रस्तावों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(रुपए मिलियन में)
(मार्च तक)

1991	1992	1993	1994	1995
4.5	180.0	100.1	102.0	25.8

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मोटा कपड़ा

3376. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक मोटे कपड़ों के उत्पादन में कार्यरत राज्य-वार कितने एकक बंद पड़े हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने बुनकर बेरोजगार हो गए हैं तथा ऐसे कपड़ों के उत्पादन में कितनी कमी आई है; और

(ग) इन एककों को फिर से चालू करने हेतु तथा मोटे कपड़ों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). चूंकि यह विकेन्द्रीकृत

उद्योग है इसलिए भारत सरकार आज तक मोटे कपड़ों के उत्पादन में कार्यरत राज्यवार कितने एकक बंद पड़े हैं। इसके आंकड़े नहीं रखती है। तथापि हथकरघा क्षेत्र में समूचे उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह उत्पादन वर्ष 1993-94 में 5857 मिलियन वर्ग मीटर था जो बढ़कर वर्ष 1994-95 में 6028 मिलियन वर्ग मीटर (अंतरिम) हो गया।

[अनुवाद]

न्यासियों हेतु आयकर में छूट

3377. **श्री सूरज मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यासियों हेतु आयकर में छूट के लिए विद्यमान मानदण्ड क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जुलाई, 1995 तक कितने न्यासियों को आयकर में छूट दी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत न्यासियों के लिये आयकर की कोई छूट उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

छोटे व्यापारियों को बैंक ऋण

3378. **श्री राम प्रसाद सिंह**
श्री मंजय लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंको के माध्यम से लोगों की मकानों, दुकानों का निर्माण या मरम्मत के लिए ऋण उपलब्ध कराने और दुकानदारों और व्यापारियों को कार्य पूंजी उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको द्वारा मकान निर्माण और उनकी मरम्मत करने तथा खुदरा व्यापार (जिसमें दुकानदार और व्यापारी शामिल होते हैं) को ऋण प्रदान किए जाने के वास्ते मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(I) प्रत्यक्ष आवास वित्त

क) मकान निर्माण के लिए दो लाख रुपए तक के ऋण।

ख) क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए सभी श्रेणी के ऋणकर्ताओं को 25,000 रुपए तक के ऋण।

(II) खुदरा व्यापार

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको द्वारा गैर-सरकारी खुदरा व्यापारियों (आवश्यक वस्तुओं का कार्य करने वालों को छोड़कर) और उपभोक्ता सहकारी स्टोरों को मंजूर किए गए दो लाख रुपए से अनधिक के अग्रिम प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण माने जाते हैं।

[अनुवाद]

प्राइवेट फर्मों को उपलब्ध इंडियन एयरलाइंस कोर की सेवाएं

3349. **डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
डॉ० बसंत पवार :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिनांक 26, जुलाई, 1995 के "इकोनामिक टाइम्स" में "आई ए कोर फैसिलिटीज ओपन्ड टू प्राइवेट फर्म" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) निजी फर्मों को इंजिन मरम्मत प्रभाग, जेट मरम्मत प्रशिक्षण केन्द्र तथा ग्राउन्ड सपोर्ट डिवीजनों में मुहैया कराई जाने वाली संभावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) निजी फर्मों को दी गई उक्त पेशंकश में सरकार की भागीदारी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार को इससे कितना प्रक्षिप्त लाभ अर्जित होने की संभावना है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क). जी, हां।

(ख) से (घ). इंडियन एयरलाइंस की निजी पार्टियों को सेवाएं प्रदान करके अपनी जेट इंजन ओवरहॉल शॉप, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थापन और भू-सहायक प्रभाग को लाभकारी केन्द्र बनाने की योजनाएं हैं। तथापि, स्कीम के ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

3380. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश पर इस समय कितना विदेशी ऋण बकाया है और इसमें से व्यापारिक ऋण का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या आठवें दशक की तुलना में वर्ष 1991-93 की अवधि में विदेशी ऋण में वृद्धि की दर में कमी आयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सितम्बर, 1994 के अंत में सम्पूर्ण बकाया विदेशी ऋण जिसमें सुरक्षा ऋण और अनिवासी भारतीय जमा राशियां भी शामिल हैं, 90.452 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान था। इस कुल बकाया में से वाणिज्यिक उधारों का प्रतिशत 13.08 होने का अनुमान था।

(ख) और (ग). विदेशी ऋण की वृद्धि दर में ह्रास हुआ है। उदाहरण के लिए 1990-91 में भारत के विदेशी ऋण के भंडार में 8 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। 1993-94 में यह वृद्धि केवल 740 मिलियन अमरीकी डालर की थी। वर्षवार बकाया ऋण भंडार निम्नलिखित हैं:-

(मिलियन अमरीकी डालर)

वित्तीय वर्ष के अंत में	बकाया ऋण भंडार
1989-90	75904
1990-91	83959
1991-92	85334
1992-93	89986
1993-94	90723
1994-95 (सितम्बर, 94 तक)	90452

[अनुवाद]

गुजरात में कृषि क्षेत्र को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करना

3381. **श्री हरिन पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान कृषि क्षेत्र में आज तक जारी की गई ऋण की कुल राशि कितनी है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान गुजरात में ऋण जारी करने के लिए कृषकों से प्राप्त ऋण के लिए आवेदनों की कुल संख्या क्या हैं;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान बैंकों द्वारा गुजरात के कृषि क्षेत्र को जारी की गई ऋण की कुल राशि क्या है;

(घ) समूचे राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में राज्य में कृषकों को प्रदान किए गए ऋण की प्रतिशतता क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

रूबल के एवज़ में रुपए की कीमत

3382. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी रूबल की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह जानने के लिए कोई अध्ययन किया है कि रूबल की कीमत क्यों गिर रही है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार रुपए और रूबल के मौजूदा बाजार भाव के अनुसार हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो आयात और निर्यात में व्यापार का अनुपात क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) रुपए को रूबल के संबंध में उद्धृत नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) भारत-रूस व्यापार मुक्त विदेशी मुद्रा में किया जा रहा है, इसके साथ ही, भूतपूर्व सोवियत संघ से प्राप्त ऋणों की भारत द्वारा रूस को वापसी अदायगी विशेष प्रबंधों को नियंत्रित करने के तहत रुपयों में की जा रही है।

(घ) हाल के वर्षों में रूस के साथ भारत के व्यापार से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं

(करोड़ रुपए में)

	निर्यात	आयात
1993-94	2037	807
1994-95	2541	1572
1995-96 (अप्रैल-मई)	525	536

राष्ट्रीय बाल-श्रम आयोग

3383. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न निजी कारखानों/उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय बाल-श्रम आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क). जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए पहले ही अनेक उपाय किये हैं। 1986 में एक व्यापक विधान अर्थात बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनिमयन) अधिनियम, अधिनियमित किया गया था। 1987 में बनायी गयी राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अनुसार, बाल श्रम की समस्या का (क) विधान; (ख) बालकों

के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों; और (ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से निपटान किया जा रहा है। सितम्बर, 1994 में, केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया था।

इसके अतिरिक्त, बालकों के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों, यथा कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, मोटर परिवहन (कर्मकार) अधिनियम, 1961 आदि में संरक्षात्मक उपबंध विहित हैं। सरकार का दृष्टिकोण बाल श्रम से संबंधित सभी कानूनी उपबंधों को सामंजस्य के साथ लागू करने का है। इन अधिनियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर प्रवर्तन तंत्र विद्यमान हैं। अधिनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने पर नियोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इन कानूनों के बेहतर प्रवर्तन के लिए प्रवर्तन कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मानवाधिकार आयोग बाल श्रम की समस्या की भी जांच-पड़ताल करता है। सरकार इस समय जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम, जो अनुमानतः 20 लाख है, के उन्मूलन के कार्य में लगी हुई है। योजना आयोग नें चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ 34.4 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही निर्धारित कर दी है। जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु सन् 2000 का लक्ष्य रखा गया है। अतः, यह समझा जाता है कि एक राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग गठित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ऋण पर ब्याज दरें

3384. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश पर कुल कितना ऋण है और ऐसे ऋण पर ब्याज की अलग-अलग दरें क्या हैं;

(ख) उस पर ब्याज के रूप में वार्षिक रूप से दी जा रही कुल धनराशि कितनी है;

(ग) देश में बैंकों द्वारा विभिन्न श्रेणियों में कुल कितना ऋण दिया गया है और ऐसे ऋणों पर ब्याज किस दर से वसूल किया जा रहा है; और

(घ) विदेशी बैंकों द्वारा वसूल की जा रही ब्याज की दर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). मार्च, 1996 के अंत तक सरकारी खाते में विदेशी ऋण को मिलाकर भारत सरकार का कुल ऋण एवं अन्य देयताएं (31.3.95 को प्रचलित विनिमय दरों पर) 691511 करोड़ रुपए होने की संभावना है। उधार राशियां ब्याज की अलग-अलग दरों की होती हैं, जिसकी औसत दर 1995-96 में लगभग 13.8 प्रतिशत होने की संभावना है।

(ख) 1995-96 के बजट में सरकार द्वारा ब्याज भुगतान के लिए 52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है।

आयकर की वसूली

3385. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आयकर की कुल बकाया राशि कितनी है;

(ख) उन दस व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सर्वाधिक राशि बकाया है; और

(ग) सरकार ने इसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). जून, 1995 तक आयकर/निगम कर की कुल बकाया मांग 22369 करोड़ रुपए (अंनतिम) की थी।

(ख) वांछित सूचना निम्न प्रकार है :

(रु. करोड़ों में)

कर निर्धारिती का नाम	31.3.1995 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया मांग
1. श्री हर्षद एस. मेहता	3647.93
2. श्री हितेन पी. दलाल	1271.33
3. श्री भूपेन्द्र सी. दलाल	724.53
4. मैसर्स भारतीय स्टेट बैंक	604.56
5. श्री अश्विन-एस० मेहता	608.17
6. श्रीमती ज्योति एच० मेहता	525.14
7. श्री ए. डी. नरोत्तम	485.39
8. मैसर्स दि पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लि०	439.42
9. मैसर्स ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट्स मैनेजमेंट लि०	290.89
10. मैसर्स धनराज मिल्स (प्रा०) लि०	267.46

(ग) कर-चूककर्ताओं के विरुद्ध आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न कार्रवाइयां की जाती हैं जैसे उनकी चल और अचल संपत्तियों की कुर्की करना, कर-चूककर्ता को जेल में रखना और कर-निर्धारिती की चल और अचल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए किसी रिसीवर (प्रापक) की नियुक्ति करना है। भुगतान न करने के लिए अर्थ-दण्ड लगाए जाते हैं तथा चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष (होटल्स) द्वारा भ्रष्टाचार

3386. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन को आल इंडिया आई.टी.डी.सी. वर्कर्स यूनियन की ओर से भारत पर्यटन विकास निगम के तत्कालीन उपाध्यक्ष (होटल्स) द्वारा भ्रष्टाचार के कुछ मामलों के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम में मानार्थ विमान टिकटों के दुरुपयोग के संबंध में भी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). जी, हां। अखिल भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम वर्कर्स यूनियन की दिनांक 16.8.93 की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो भारत पर्यटन विकास निगम के तत्कालीन उपाध्यक्ष (होटल्स) के भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में शामिल होने के आरोपों के संबंध में थी। आरोपों की जांच-पड़ताल कर ली गई है और वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	आरोप	वास्तविक स्थिति
1.	आगरा में प्राइवेट ट्रांसपोर्टरो के साथ मिलकर गैरकानूनी आय अर्जित करना	आरोप साबित नहीं हुआ।
2.	अपने संबंधियों की नियुक्ति/पदोन्नति करने में सरकारी पद का दुरूपयोग	आरोप साबित नहीं हुआ।
3.	ट्रांसपोर्ट यूनिट से होटल कॉडर में उसका स्थानांतरण गैरकानूनी था	पेशे से योग्य होटेलयर होने के नाते प्रबंधक वर्ग द्वारा उनके स्थानार्तरण पर विचार भारत पर्यटन विकास निगम के हित में समझ कर किया गया था।
4.	अपनी लड़की की शादी संबंधी व्यवस्थाएं प्राप्त करने की एक टैंट हाउस और रेस्तरां को पूरी अदायगी नहीं की।	उसे अब चेतावनी ज्ञापन जारी कर दिया गया है।
5.	अपने निवास स्थान में अनाधिकृत रूप से एक एअर कंडिशनर शिफ्ट करना।	जांच-पड़ताल से पता चला है कि एअर कंडिशनर पहले से ही उस फ्लैट में मौजूद था जो संबंधित उपाध्यक्ष को आवंटित किया गया था। यद्यपि उन्हें स्वयं ही इसे वापिस करना चाहिए था। उन्हें अब चेतावनी ज्ञापन जारी कर दिया गया है।
6.	उन्होंने "ग्रे सेल" नामक एक पार्टी को अनाधिकृत रूप से रियायत दी जिसके फलस्वरूप भारत पर्यटन विकास निगम को 30,000 रु. की हानि हुई।	जांच-पड़ताल से पता चलता है कि उपाध्यक्ष पार्टी को रियायत देने के लिए सक्षम अधिकारी था। पार्टी की ओर कुल बकाया राशि 28,920 रु. थी और 10,000 रु. पहले ही वसूल कर लिए गए हैं।
7.	फरवरी, 1993 में अशोक होटल में आयोजित की गई एक शादी की पार्टी के संबंध में कम बिल देना।	जांच-पडताल से प्रकट हुआ है कि उपाध्यक्ष (होटल्स) इस मामले में शामिल नहीं था। इसलिए, दो अन्य अधिकारियों को, जिन्हें इस मामले में शमिल पाया गया था आरोप-पत्र जारी कर दिए गए है।

(ग) और (घ). फरवरी, 1994 में अखिल भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम वर्कर्स यूनियन ने एक शिकायत की थी कि भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दिए गए काम के प्रति दमानिया एअरलाइंस द्वारा दिल्ली-बंबई-दिल्ली सेक्टर के लिए दिए गए 10 मानार्थ टिकटों का दरुपयोग हुआ था। मामले की जांच की गई थी और शिकायत सही सबित नहीं हो सकी थी क्योंकि टिकटों का उपयोग सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सरकारी उद्देश्य के लिए अशोक टुअर्स एण्ड ट्रैवल्स के स्टाफ द्वारा किया गया थां। तदनुसार मार्च, 1994 में यूनियन को उपयुक्त उत्तर भेज दिया गया था।

हिन्दुस्तान कम्प्यूटर लिमिटेड का अन्तरण

3387. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देहरादून स्थित हिन्दुस्तान कम्प्यूटर लिमिटेड को बंद करने तथा इसको अन्यत्र ले जाने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देहरादून में बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान कम्प्यूटर लिमिटेड देहरादून बंद करने तथा इसके अन्तरण को अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने कर्मचारियों की बड़ी संख्या को अन्याय से बचाने हेतु कोई कदम उठायें हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (छ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों के कार्य घंटों में वृद्धि

3388. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनेक शाखाओं ने अपने सामान्य कार्य घंटों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार तथा शाखावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य घंटों में वृद्धि करने के अनुदेश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचनानुसार उन्होंने अपनी शाखाओं के लिए सामान्य कार्य-समय में वृद्धि नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). बैंकों में ग्राहक सेवा के बारे में गोईपोरिया समिति की सिफारिशों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 1993 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको को कारोबार के बढ़े हुए समय के दौरान, अर्थात कार्य-समय की समाप्ति से 1 घंटे पहले तक, विशेष प्रकार के गैर-नकदी लेन-देन करने की सलाह दी थी।

श्रम संबंधी कानून

3389. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय श्रम कानूनों को अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क). भारत सरकार द्वारा अधिनियमित कुछ श्रम कानून जम्मू एवं कश्मीर और सिक्किम राज्यों पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) से (घ). इन राज्यों के अपने स्वयं के श्रम विभाग हैं जो इन राज्यों में श्रमिकों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, श्रम कानूनों और कल्याण उपायों का क्रियान्वयन कर रहें हैं।

[हिन्दी]

सहारा इंडिया एयरलाइंस द्वारा ''स्टैन्डबाई एडवान्टेज'' सुविधा

3390. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारा इंडिया एयरलाइंस ने स्टैन्डबाई एडवान्टेज की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त एयरलाइंस के साथ प्रतिस्पर्धा हेतु इंडियन एयरलाइंस एंव एयर इंडिया में भी ऐसी सुविधा प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क). जी, हां।

(ख) स्टैन्डबाइ एडवांटेज से यात्री आखिरी क्षण में रिक्त स्थान/टिकट रद्द होने के मामलों में मूल किराए के 25% की छूट पर पुष्टिकृत सीट प्राप्त कर सकेंगें।

(ग) और (घ). इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की उड़ानों पर इसी तरह की सुविधा शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों को ऋण

3391. **श्री लाईता उम्ब्रे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य सरकारों पर राज्य-वार कितना ऋण बकाया है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ राज्यों के ऋण माफ किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

शीशे की बोतलों के संबंध में मॉडवेट योजना

3392. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वापसी योग्य शीशे की बोतलों पर विशिष्ट शुल्क लगाते समय 'मॉडवेट' योजना उपलब्ध थी;

(ख) क्या 'मॉडवेट' योजना उक्त शुल्क के स्थान पर मूल्यानुसार उत्पाद

शुल्क लगा देने पर भी वापसी योग्य शीशे की बोतलों पर जारी रही थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1994 के नियम 57क के उपबंधों के अनुसार अधानों अथवा पैकेजिंग सामग्रियों पर मॉडवेट क्रेडिट की अनुमति है बशर्ते कि अंतिम उत्पाद पर निर्धार्य मूल्य में इनको लागत को शामिल किया गया हो।

शुल्क की मात्रानुसार दर के मामले में मॉडवेट क्रेडिट उपलब्ध था क्योंकि मूल्य को शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता था।

शुल्क को मात्रानुसार से परिवर्तित करके मूल्यानुसार करने पर, मॉडवेट क्रेडिट के लिए पात्रता इस तथ्य पर निर्भर करेगी कि क्या अंतिम उत्पाद, अर्थात् वातित जल से भरी बोतलों के मूल्य में कांच की वोतलों की लागत को शामिल किया जाता है अथवा नहीं। वास्तव में इस तथ्य का मॉडवेट के दावे के प्रत्येक मामले में पता लगाया जाना होता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की योजनायें

3393. **श्री तारा सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए हाल ही में अनेक योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से लघु उद्योगों को कितना लाभ हुआ है;

(घ) क्या लघु उद्योगों द्वारा वित्त की सुविधाओं के लिए समय-समय पर दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि लघु औद्योगिक क्षेत्र (एस एस आई) की पात्र इकाइयों को उनकी उत्पादन सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उनकी निर्यात क्षमताओं को मजबूत वनाने के वास्ते उन्नत तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने या तो ऋण या इक्विटी या दोनों के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए उसने हाल में प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण निधि (टीडीएमएफ) योजना शुरू की है।

सिडबी ने महानगरीय क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को छोड़कर अति लघु, औद्योगिक क्षेत्र की सभी इकाइयों को, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो, राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना भी प्रदान की है और विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विविधीकरण को कवर करने के लिए योजना के क्षेत्र को व्यापक बनाया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत सिडबी ने निम्नलिखित सहायता प्रदान की है :-

(करोड़ रुपए)

	मंजूरियां	संवितरण
1992-93	2908.4	2145.8
1993-94	3354.1	2671.3
1994-95	4699.3	3385.3

(घ) और (ङ). सिडबी ने सूचित किया है कि लघु औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों से समय-समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों पर तुरंत विचार किया जाता है। नयी योजनायें तैयार करते समय या वर्तमान योजनाओं में संशोधन करते समय सिडबी को प्राप्त हुए सुझावों पर उचित रूप से विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

श्रम मानक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग

3394. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष एक दो सदस्यीय श्रम मानक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;-

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस रिपोर्ट के संबंध में सदस्यों में मतैक्य नहीं था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(च) क्या सरकार ने इस आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है; और

(छ) यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए और इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क). जी, हां।

(ख) आयोग ने अभी तक सरकार को अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, हां।

(छ) आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए उसके कार्यकाल को 2.2.96 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

[अनुवाद]

गुजरात में गैर-सरकारी बैंक का खोला जाना

3395. **श्री अरविंद त्रिवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गुजरात में एक गैर-सरकारी बैंक खोले जाने की अनुमति दी है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी प्रबंध समिति के प्रमुख सदस्यों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि उसने बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए क्रमशः दिनांक 28.2.94 तथा 17.5.94 को यू टी आई बैंक लिमि. एवं आई सी आई सी बैंकिंग कार्पोरेशन लिमि. (जिनका पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद और बड़ौदा में है) को लाइसेन्स जारी किए थे। इन बैंकों के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :-

1. यू टी आई बैंक लिमि.

1. श्री सुप्रिय गुप्ता, प्रबंध निदेशक
2. श्री ए. के. दाम, कार्यकारी निदेशक
3. श्री एस. ए. दवे, निदेशक
4. श्री जे. एस. सकुंखे, निदेशक
5. श्री यू. एम. राव निदेशक
6. श्री बी. एल. परांजये, निदेशक
7. डा. आबिद हुसैन, निदेशक
8. डा. ए. सी. शाह, निदेशक
9. श्री के. जी. वासल, निदेशक
10. श्री शैर्दुए श्रौफ, निदेशक

2. आई सी आई सी आई बैंकिंग कार्पोशन लिमि.

1. श्री पी. वी. मैया, अध्यक्ष
2. श्री बी. वी. भार्गव, निदेशक
3. श्रीमती ललिता गुप्ता, निदेशक
4. श्री आर. बी. दत्तार, निदेशक
5. डा. अशोक गुलाटी
6. श्री आर. राजमणि

आर. बी. आई. ने यह भी सूचित किया है कि उसने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी लि. को दिनांक 27.1.94 को गैर-सरकारी क्षेत्र में एक नया बैंक खोलने का अनुमोदन सिद्धान्त रूप में दे दिया था, जिसे बैंक आफ गुजरात लि. के नाम से जाना जाएगा और जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा। प्रस्तावित बैंक के प्रवर्तक सिद्धांत रूप में दिए गये अनुमोदन की शर्तों को पूरा करने में लगे है।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

3396. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान विदेशी ऋण की कितनी राशि बढ़ने की सम्भावना है;

(ख) विदेशी ऋण और उसकी पुनर्अदायगी के बीच वर्तमान अनुपात क्या है; और

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान विदेशी ऋण चुकाने के लिए भारत द्वारा कितने प्रतिशत विदेशी ऋण व्यय किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). बकाया विदेशी ऋण में संभाव्य वृद्धि हमारे भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी दोनों खातों के बहुत से कारकों पर निर्भर करेगा जिसमें निर्यात की वृद्धि, विदेशी मुद्रा संबंधी आय, प्राप्त होने वाला नया ऋण, किया जाने वाला ऋण परिशोधन आदि शामिल हैं। इन खातों में अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, 1995-96 के दौरान विदेशी ऋण भंडार में संभाव्य वृद्धि को ठीक-ठीक दर्शाना संभव नहीं है।

(ख) और (ग). विदेशी संसाधन देश के योजनागत विकास के लिए उपलब्ध कुल निवेश व्यय और आंतरिक संसाधनों के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए जुटाये जाते हैं। इसका उपयोग देश की आवश्यकताओं और गैर-परियोजनागत विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि ऋण परिशोधन औसत साधारणतः ऋण परिशोधन अदायगी के आधार पर वर्तमान प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में अर्थात् वस्तुओं का निर्यात और अदृश्य आय के रूप में परिकलित किया जा सकता है (अर्थात् मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान)। 1992-93 और 1993-94 के लिए ऋण परिशोधन औसत क्रमशः 30.3% और 24.8% था। 1994-95 के लिए ऋण परिशोधन अनुपात संबंधी आंकड़े लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही निश्चित करके उपलब्ध हो सकेंगे।

[अनुवाद]

रोजगार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

3397. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सभी कार्यालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़कर रोजगार कार्यालयों को आधुनिक बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि रोजगार कार्यालयो को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु 1986-87 में आरम्भ की गई केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत 117 रोजगार कार्यालय कम्प्यूटरीकृत किए गए तथा यह योजना तत्पश्चात 1992-93 के वित्त वर्ष से केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित कर दी गई।

कम क्षमता वाली मिलों का आधुनिकीकरण

3398. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कम क्षमता वाली कपड़ा मिलों के चालू वित्तीय वर्ष

के दौरान आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य पर कितना खर्च होने का अनुमान है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क). जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान को ऋण सहायता

3399. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने लघु बचत योजना के अन्तर्गत प्राप्त कुल जमाराशि में से ऋण सहायता के रूप में राज्य सरकारों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का उक्त मांग को स्वीकार करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पटसन उद्योग

3400. **श्री चित्त बसु :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ अनुकूल परिवर्तनों के कारण पटसन उपयोग की संभावना व्यापक रूप से उज्जवल हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस बदली हुई स्थिति का लाभ उठाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश जारी किया है कि 1996 से भारतीय पटसन निगम को कोई बजटीय समर्थन नहीं दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ङ) पटसन उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). समस्त विश्व में पटसन के पर्यावरण संबंधी लाभ तथा अनेक मुल्यवर्धित विविधीकृत पटसन उत्पाद के विकास के बारे में जागरूकता बढ़ने से भविष्य में ऐसे पटसन उत्पादों की मांग में वृद्धि होने की आशा है। विशेषकर यू एन डी पी सहाययित राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विविधीकृत पटसन सामान के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाल ही में विविधीकृत पटसन मदों के उत्पादन के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक नयी योजना शुरू की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पटसन उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:-

1) पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 बना कर मांग बढ़ाना।

2) 1-11-1986 से 150 करोड़ रु. की पटसन आधुनिकीकरण योजना शुरू करना।

3) 100 करोड़ रु. की विशेष पटसन विकास निधि।

4) ओ. जी. एल. के अन्तर्गत अपरिष्कृत पटसन का शुल्क मुक्त आयात।

5) चुनिंदा निर्यात मदों पर निर्यात विपणन सहायता।

6) लागत जमा आधार पर खाद्यान्न की पैकिंग के लिए डी जी एस एण्ड डी के माध्यम से पटसन बोरों की खरीद, तथा

7) यू एन डी पी सहाययित राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा पटसन उद्यमी सहायता योजना शुरू करके विविधीकृत पटसन उत्पादों का विकास करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहन देना।

भारतीय स्टेट बैंक में आरक्षण संबंधी नियमों का उल्लंघन

3401. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक को विभागीय प्रोन्नति के मामले में आरक्षण संबंधी नियमों को लागू नहीं किए जाने के संबंध में संसद सदस्यों से कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने अभ्यावेदनों को निपटाया गया है;

(ग) कितने अभ्यावेदनों के संबंध में निर्णय अब तक लंबित हैं; और

(घ) आरक्षण नियमों को लागू नहीं किए जाने अथवा इसके उल्लंघन का

क्या कारण है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि विभागीय पदोन्नतियों में आरक्षण नियमों को कार्यान्वित न करने के संबंध में उसे पिछले एक वर्ष के दौरान केवल एक संसद सदस्य से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। बैंक शीघ्र ही माननीय सदस्य को उत्तर भेजेगा।

(घ) बैंक ने सूचित किया है कि आरक्षण संबंधी नियमों का सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार वे कार्यान्वयन करते हैं।

वस्त्र संबंधी तकनीकी उप-समिति की रिपोर्ट

3402. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र संबंधी तकनीकी उप समिति ने इकोमार्क के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर सूत, ऊन, पटसन, सिंथेटिक, बलेंडिड, कयर तथा रेशम से बने वस्त्रों के लिए मानदण्डों का एक मसौदा 16 जुलाई, 1992 को जनता की टिप्पणियों के लिए अधिसूचित किया गया था। प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इस समय तकनीकी उप-समिति मानदण्ड की पुनरीक्षा कर रही है।

सिगरेट पर लगाया गया उत्पाद शुल्क

3403. **श्री के० मुरलीधरन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिगरेट की लम्बाई के आधार पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने की व्यवस्था से बीड़ी उद्योग और श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो बीड़ी उद्योग और श्रमिकों को हानि न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सरकार से यह अभिवेदन किया गया है कि बिना फिल्टर वाली सिगरेटों पर विद्यमान उत्पाद शुल्क दर ढांचे से बीड़ी उद्योग और कामगारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इस समय, 60 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की बिना फिल्टर वाली सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 60 रु. प्रति हजार की दर से लगता है जो सिगरेटों पर शुल्क की निम्नतम दर है। दूसरी ओर, बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क 1 रु. प्रति हजार की दर से लगता है। इस प्रकार, सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क का भार बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क के भार से बहुत ज्यादा है और सिगरेटों पर उनकी लम्बाई के आधार पर, लगायें गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर बीड़ी उद्योग तथा कामगारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है।

दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें

3404. **श्री योगानन्द सरस्वती :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बावजूद दसवें वित्त आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 1996 से 2000 तक के वास्ते किन कारणों से अनुदानों की सिफारिश की गई है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1995-96 के लिए 102.61 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस राशि के कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). दसवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को वर्ष 1996-97 से जारी किए जाने वाले तदर्थ अनुदानों की सिफारिश की है क्योंकि आयोग के विचार से ग्रामीण और शहरी निकायों के वर्ष 1996-97 तक पूर्ण स्तर पर कार्यात्मक होने की संभावना है।

(ख) जी, हां।

(ग) दसवें वित्त आयोग द्वारा पहले से ही सिफारिश किए गए अनुदानों के अलावा राज्यों को अतिरिक्त अनुदान देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पिछड़े क्षेत्रों की पहचान

3405. **श्री छीतुभाई गांमीत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों की पिछड़े क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में कोई ताजा सर्वेक्षण कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने गुजरात

में पिछड़े क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की पहचान नहीं की है। तथापि, उसने गुजरात में जनजातीय जनसंख्या वाले आठ जिलों में चालू वर्ष (1995-96) से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डी सी सी बी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको (आर आर बी) को मौसमी कृषि परिचालनों के वित्तपोषण के लिए पृथक लघु अल्पकालीन ऋण सीमाएं मंजूर करने का निर्णय लिया है। ये जिले हैं बनसकंठा, भरुच, डांग्स, पंचमहल, साबरकंठा, सूरत, बड़ोदरा और बलसाद।

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र

3406. **श्री प्रमथेश मुखर्जी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हथकरघा उद्योग में कितने व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में हथकरघा उद्योग की वर्तमान स्थिति का आंकलन करने हेतु हाल ही में उच्चाधिकारयुक्त समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या देश में हथकरघा उद्योग कच्चे माल की कमी और भारी लागत के कारण समाप्ति के कगार पर है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में विशेष रूप से तमिलनाडु में, हथकरघा उद्योग के विकास हेतु और क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क). एक अनुमान के अनुसार इस समय देश में हथकरघा उद्योग में लगभग 128.60 लाख व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) सुश्री मीरा सेठ, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। जिसमें 12 सदस्य है इस कमेटी के कार्य विषय इस प्रकार हैं:-

(1) आंकलन करना कि हथकरघा क्षेत्र द्वारा वस्त्र नीति 1985 के उद्देश्यों की किस सीमा तक उपलब्धि हुई है। (2) आंकलन करना कि हथकरघा क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं को कितना लाभ हुआ हैं। (3) हथकरघा क्षेत्र द्वारा महसूस की जा रही कठिनाईयों तथा अवसरों का आंकलन करना तथा अवसरों का उपयोग करने के लिए उपाय निकालना विशेष कर निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करने के लए समुचित समर्थन सुझाना। (4) हथकरघा क्षेत्र के विकास के सभी क्षेत्रों जिनमें निवेश, आपूर्ति, क्रेडिट सहयोग, उत्पादन प्रोद्योगिकी, डिजाइन उपलब्धता, संगठनात्मक ढांचा, विपणन सहयोग, निर्यात आदि के विकास में आने वाली बाधाओं का विस्तृत मूल्यांकन करना और (क) हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए तेजी से वृद्धि करने (ख) आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके से इसके विकास के लिए उपाय सुझाना।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) हथकरघा क्षेत्र के लिए तैयार की गई योजनाएं किसी विशेष राज्य के लिए नहीं अपितु तमिलनाडु सहित सभी राज्य सरकारें इन योजनाओं के अंतर्गत सहायता ले सकती हैं। विभिन्न कार्यक्रमों जैसे--प्रोजेक्ट पैकेज योजना, विपणन विकास सहायता योजना, निवेश आपूर्ति की योजनाऐं, कल्याणकारी पैकेज योजनाऐं, हथकरघा विकास केन्द्र/उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की स्थापना आदि योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। वर्ष 1994-95 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों को प्लान योजनाओं के अंतर्गत 9,897.86 लाख रुपए और गैर प्लान योजनाओं के अंतर्गत 16,116.93 लाख रुपए की राशि जारी की गई जिनमें से तमिलनाडु राज्य की प्लान योजनाओं के अंतर्गत 1420.13 लाख रुपए और गैर प्लान योजनाओं के अंतर्गत 3303.80 लाख रुपए की राशि जारी की गई।

काफी और बीजों का निर्यात

3407. **श्री के० जी० शिवप्पा :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में देश में काफी के उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा काफी की फलियों के उत्पादन और आपूर्ति को सुप्रवाही बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में काफी उत्पादकों को प्रोत्साहन तथा ऋण सुविधाएं प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या काफी के उत्पादन में वृद्धि हेतु नई पौधों को विकसित किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विगत तीन वर्षों मे से प्रत्येक वर्ष के दौरान पाउडर और बीज के रूप में अलग-अलग काफी की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और इसके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी नहीं। काफी की घरेलू आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ने के बारे में हाल में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। काफी की औसत वार्षिक घरेलू खपत करीब 60,000 मी. टन है जबकि 1994-95 में कुल उत्पादन करीब 1,80,100 मी. टन था, जिसने निर्यात दायित्वों को पूरा किए जाने के बाद पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित की।

(ग) और (घ). काफी के छोटे उत्पादकों के लाभ के लिए काफी बोर्ड द्वारा अनेक ऋण तथा इमदाद योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये निम्नानुसार हैं :-

(1) ऋण योजनाएं :

1. गहन कृषि ऋण

2. पुनर्रोपण ऋण

3. व्यापक कृषि ऋण

4. फसल भाडा क्रांति ऋण

5. उपकरण/मशीनरी की भारा क्रांति के लिए ऋण

(2) इमदाद योजनाएं

1. ब्याज इमदाद

2. पुनर्रोपण इमदाद

3. ब्याज इमदाद योजना की अंतरीय दर

4. जल वृद्धि योजना

(ङ) और (च). जी, हां। उत्पादन सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत VIII योजना के एक भाग के रूप में, काफी बोर्ड ने 15,000 हेक्टेयर काफी के विस्तार पर विचार किया है जिसमें से 10,000 हेक्टेयर परम्परागत क्षेत्रों के अंतर्गत तथा 5,000 हेक्टेयर गैर-परम्परागत क्षेत्रों के अंतर्गत हैं। गैर-परम्परागत क्षेत्रों में राज्य एजेंसियों या अलग-अलग उत्पादकों द्वारा किए गए विस्तार कार्यक्रम के मामले में काफी बोर्ड बीज, अनुसंधान, विस्तार इत्यादि के रूप में आवश्यक बैंक आय समर्थन देता आ रहा है। आठवीं योजना अवधि के दौरान 15,000 हेक्टेयर के विस्तार के लक्ष्य की तुलना में प्रथम दो वर्षों के दौरान 13,836 हेक्टेयर का वास्तविक विस्तार होने का अनुमान है।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई काफी की कुल मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (मिलियन अमरीकन डालर)
1992-93	1,23,602	133.51
1993-94	1,36,690	186.90
1994-95	1,36,688	348.59

अशोक ग्रुप के होटलों का पुनः साज-सजावट संबंधी कार्यक्रम

3408. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का अशोक ग्रुप के होटलों का पुनः साज-सजावट करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनः साज-सजावट संबंधी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों को समसामयिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु उनका नवीनीकरण तथा उन्नयन करने के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान 14.75 करोड़ रु. की लागत से एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है।

उत्तर प्रदेश में तीर्थ-स्थान

3409. **डॉ० साक्षीजी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 1995-96 के दौरान विकसित करने के लिए तीर्थ-स्थलों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां विकास कार्यों के लिए धनराशि आबंटित की जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क). जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तीर्थयात्री केन्द्रों सहित पर्यटक केन्द्रों के विकास और सौन्दर्यीकरण की जिम्मेदारी, मूलतः राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की है। तथापि, केन्द्रीय वित्तीय सहायता विशेष और पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहारा की गतिविधियों की जांच

3410. **प्रो० प्रेम धूमल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2, जुलाई 1995 के 'इकानामिक टाइम्स' में सहारा फेस आर. बी. आई प्रोब, शीर्षक मे छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). जी हां।

(ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 25.7.95 को सहारा इंडिया-समूह की दो वित्तीय कंपनियों की जांच यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है कि ये कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन कर रही है या नहीं।

राज्य कर्मचारी बीमा योजना से छूट

3411. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के ऐसे सरकारी क्षेत्र के संस्थानों की संख्या कितनी है, जिन्हें राज्य कर्मचारी बीमा योजना लागू करने से छूट दी गयी है; और

(ख) इस योजना को लागू न करने की स्थिति में कर्मचारियों को दी जाने वाली विशेष सहायता संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क). सोलह।

(ख) क० रा० बीमा योजना में बीमारी, प्रसूति, नियोजन, चोट आदि जैसी आकस्मिकताओं में चिकित्सा सुविधा और नकद लाभ के भुगतान की व्यवस्था है। क.रा. बीमा योजना से छूट सामान्यतः नियोजक और कर्मचारियों दोनो के अनुरोध पर प्रदान की जाती हे बशर्ते कि नियोजक ने स्वयं ही क०रा० बीमा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं से पर्याप्त उत्कृष्ट अथवा समान सुविधांए 'कर्मचारी लाभ' के रूप में प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की हुई हो। छूट प्राप्त नियोजकों द्वारा मुहैया कराये जाने वाले लाभ/सहायता का स्वरूप प्रतिष्ठान दर-प्रतिष्ठान अलग-अलग होता है।

सोने की तस्करी

3412. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारवादी प्रक्रिया के पश्चात् देश में सोने की तस्करी में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार सोने की कितनी मात्रा बरामद की गई; और

(ग) देश में सोने की तस्करी रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). उपलब्ध रिपोर्टों से सोने की तस्करी में कमी का पता चलता है।

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में तस्करी का प्रयास करते समय पकड़े गए सोने की मात्रा निम्नानुसार है:-

	मात्रा किलोग्राम में
1992-93	2339
1993-94	1233
1994-95	1086

(ग) भारत में खपत के लिए वैध रूप से आयातित सोने की अधिक से अधिक मात्रा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने यात्री असबान स्कीम के तहत आयाल करने सहित सोने के आयात को उदार बना दिया है। सोने की तस्करी सहित तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए तस्करी-रोधी एजेन्सिया सतर्क हैं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ऋण

3413. **श्री पंकज चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से ऋण लेने वाले राष्ट्रों में भारत का स्थान क्या है;

(ख) भारत ने विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से आज तक कितना ऋण लिया; और

(ग) देश में उक्त संस्थाओं द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं के लिए वर्ततान में कितना ऋण लिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट, 1994 के अनुसार, कुल मिलाकर भारत, आई. डी. ए. सहित विश्व बैंक से एक सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश है।

(ख) अब तक भारत ने आई.डी.ए. सहित विश्व बैंक से रद्द किए गए ऋणों को घटाकर 40.5 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण/उधार करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) विश्व बैंक की सहायता से भारत में निष्पादित की जाने वाली विद्यमान परियोजनाओं में 13.5 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण/उधार की राशि शामिल है।

[अनुवाद]

निजी एयरलाइनों द्वारा प्रस्तावित वेतन

3414. **श्री मानवेन्द्र शाह** :
डॉ० वसंत पंवार :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इस बात की जानकारी है कि निजी एयरलाइन अपने विमान सेवा कर्मियों तथा अन्य कर्मचारियों को काफी आकर्षक वेतन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न निजी और सरकारी एयरलाइनों में विमान कर्मीदल और अन्य कर्मचारियों की वेतन संरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी एयरलाइनों के विमान कर्मीदल और अन्य कर्मचारियों के वेतन की इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया से तुलना की जा सकती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया के पायलटों में संभावित क्षोभ से बचने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ). राष्ट्रीय एयरलाइनों के उड़ान कर्मीदल के वेतन की निजी एयरलाइनों के उड़ान कर्मीदल को दिए जाने वाले वेतन के साथ तुलना संभव नहीं है क्योंकि निजी एयरलाइनों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये वेतन के संबंध में सरकार को ब्यौरे देना अपेक्षित नहीं है।

बिहार में बैंकों द्वारा कृषि कार्यों के लिए ऋण

3415. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंक देश में, विशेषतः बिहार में, भारतीय रिजर्व

बैंक द्वारा कृषि ऋण देने संबंधी निर्देशों का पालन कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो राज्य में उन राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान इन निर्देशों का पालन नहीं किया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक (आर वी आई) द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कृषि के लिए वित्त के रूप में निवल बैंक ऋण का कम से कम 18% प्रदान करें और पूरे देश में प्रत्येक बैंक द्वारा इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। यह प्रावधान नहीं है कि बैंको द्वारा लक्ष्यों का राज्य-वार या शाखा-वार अनुसरण किया जाना चाहिए। तथापि, बैंकों से कहा गया है कि वे यथासंभव व्यापक विसमताओं से दूर रहें। ग्रामीण ऋण के लिए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (एस ए ए) के तहत वार्षिक ऋण योजना (ए सी पी) के अंतर्गत बिहार मे बैंकों द्वारा ऋण निष्पादन निम्नलिखित रहा :-

(करोड़ रुपए में)

	लक्ष्य	उपलब्धियां
मार्च, 1993	533.11	185.62
मार्च, 1994	473.72	310.89

(ग) आर वी आई ने सभी बैंकों से कहा है कि वे कृषि ऋण सहित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। बैंको को यह भी कहा गया है कि लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहने पर उनके विरुद्ध बैंक विशेष के आधार पर नीतिगत उपाय किया जाएगा। आर वी आई ने हाल में कई उपाय भी किए हैं, जिनमें अच्छा कारोवार करने वाले किसानों के लिए ऐसे कृषि ऋण कार्ड शुरू करना जिससे वे उत्पादन ऋण तत्काल प्राप्त कर सकें, नकद ऋण सुविधा प्रदान करना, नवीन और उच्च तकनीकी वाली कृषि परियोजनाओं को वित्त पोषित करना तथा ग्रामीण आधारिक विकास निधि की स्थापना करना शामिल है, ताकि कृषि क्षेत्र के लिए ऋण में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों का विलय

3416. **श्री राम बदन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों का इसमें विलय करने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यू० टी० आई० द्वारा अदायगी आदेश जारी किया जाना

3417. **श्री मोहन रावले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 73 के अन्तर्गत 1500 रुपए मूल्य से अधिक राशि के आदेशों तथा शेयर सर्टिफिकेटों को पंजीकृत डाक से भेजा जाना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपने यूनिट धारकों को प्रमाण पत्र भेजने के लिए पंजीकृत डाक की बजाए साधारण डाक का प्रयोग करता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस प्रकार विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट से कितनी राशि बचाई है;

(ङ) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 73 से छूट प्रदान की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भारतीय यूनिट ट्रस्ट को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का पालन करने के संबंध में अनुदेश जारी करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). जी नहीं।

(ख) से (घ). कंपनी अधिनियम के उपबंध भारतीय यूनिट ट्रस्ट पर लागू नहीं होते। यूनिट सर्टिफिकेटों के प्रेषण के मामलों में ट्रस्ट के अपने आन्तरिक दिशानिर्देश हैं।

(ङ) और (च). भारतीय यूनिट ट्रस्ट संसद के एक अधिनियम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के तहत स्थापित एक निगम है और कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्य क्षेत्र के वाहर है, जिसके उपबंध केवल कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों पर लागू होते हैं।

[हिन्दी]

आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गए छापे

3418. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो माह के दौरान आयकर के कितने छापे मारे गए; और

(ख) इन छापों के दौरान वसूल की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). जून और जुलाई, 1995 महीनों के दौरान आयकर विभाग द्वारा 201 तलाशी वारंट कार्यान्वित किए गए।

(ख) कुल 2141.52 लाख रु. की बहुमूल्य वस्तुयें पकड़ी गई जिसमें अन्य वातों के साथ-साथ 356.71 लाख रु. की नकदी भी थी। पकड़ी गई नकदी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जून और जुलाई, 1995 के दौरान पकड़ी गई नकदी के राज्यवार ब्यौरे

(रु. लाखों में)

राज्य का नाम	नकदी का अभिग्रहण
आंध्र प्रदेश	12
बिहार	6
गुजरात	51.48
हरियाणा	31.55
हिमाचल प्रदेश	3.03
कर्नाटक	2.7
केरल	43.35
मध्य प्रदेश	16.78
महाराष्ट्र	81.09
पंजाब	63.1
राजस्थान	2.45
तमिलनाडु	52.18
कुल	365.71

हथकरघा से निर्मित कपड़े

3419. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज भी बुनकरों द्वारा हाथ से कपड़ा बुना जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार बुनकरों द्वारा किस-किस किस्म का कितना-कितना कपड़ा बुना गया; और

(ग) सरकार का बुनकरों को किस तरह की सहायता प्रदान करने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क). जी हां।

(ख) चूंकि हथकरघा उद्योग विकेन्द्रीकृत प्रकार का है और देश के कोने-कोने में फैले बुनकरों द्वारा अपने घरों में कपड़े का उत्पादन किया जाता है। इसलिए राज्यवार कपड़े के उत्पादन का विवरण नहीं रखा जाता।

(ग) भारत सरकार निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को सहायता देती है।

1. हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना।

2. जनता कपड़ा योजना।

3. विपणन विकास सहायता योजना।

4. प्रोजेक्ट पैकेज योजना।

5. एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना।

6. कार्यशाला-सह-आवास योजना।

7. थ्रिफ्ट फंड योजना।

8. समूह बीमा योजना।

9. स्वास्थ्य पैकेज योजना।

10. हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना।

11. मिल गेट मूल्य योजना।

विदेशी निवेशक

3420. **श्री बलराज पासी** :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 1995 के 'दैनिक जागरण' में 'भारत में निवेश के लिए अभी भी अनुकूल समय नहीं' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने और निवेश के रास्तें में आने वाली प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विदेशी निवेश पर भारत सरकार की वर्तमान नीति और उच्चतम प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में 51% तक विदेशी इक्विटी के लिए स्वतः अनुमोदन के लिए बनाई गई संबंधित अनुमोदन प्रक्रियाविधि विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए और परिहार्य प्रक्रियात्मक विलम्बों को समाप्त करने की दृष्टि से बनाई गई है।

[अनुवाद]

बाल श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी

3421. **डॉ० सुधीर राय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन बाल श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए विधेयक लाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन बाल श्रमिकों हेतु अनिवार्य शिक्षा शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) दस वर्षों के अंतराल में होने वाली जनगणना के दौरान बाल श्रमिकों के बारे में तथ्यात्मक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार, कामकाजी बालकों की संख्या 13.6 मिलियन थी। 1987-88 में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43 वें दौर में, बाल श्रमिकों की संख्या 17.02 मिलियन होने का आंकलन किया गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों से संबंधित आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं।

(ख). न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के विद्यमान उपबंधों में वयस्कों, किशोरों, बालकों और प्रशिक्षुओं के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को निर्धारित करने और उनमें संशोधन करने की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 —श्रम मंत्रालय की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के अधीन चलाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्रियांकलाप रोजगार से हटाए गए बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषाहार आदि जैसी मूल जरूरतें पूरी करने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना है। अनुदान-सहायता योजना के अधीन कामकाजी बालकों के लिए कल्याण परियोजनाएं चलाने हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों को 75% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के अधीन बारह परियोजनाएं, जिसमें बालकों के लिए विशेष स्कूल भी शामिल हैं, वर्तमान में 8 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं जिनमें लगभग 16,000 बालकों को शामिल किया गया है। यद्यपि शिक्षा से संबंधित बहुत से राज्य अधिनियम हैं जिनके उपबंधों के अधीन प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जा सकता है, वर्तमान में बालकों के एक वर्ग के रूप में बाल श्रमिकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को हानि

3422. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अप्रैल, 1995 के 'फाइनेंनसियल एक्सप्रेस' के 'इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स सफर लॉसेस आन ओवरसीज एकाउंट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी हानि को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे विदेशी शाखाओं के परिचालनों पर निकट से निगरानी रखें और उसकी समीक्षा करें तथा जहां पुनरुद्धार की कोई संभावना न हो वहां निरंतर रूप से हानि उठाने वाली शाखाओं को बन्द करने पर विचार करें। ऐसी समीक्षाओं के परिणामस्वरूप कुछ शाखाएं बन्द कर दी गई हैं या उनका विलय किया गया है।

[हिन्दी]

जूट से निर्मित वस्त्र

3423. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट का उत्पादन बढ़ाने और उससे कपड़ा बनाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को जूट का उत्पादन बढ़ाने और उससे कपड़ा तैयार करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). पटसन उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने तथा देश में फाईबर की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 8 प्रमुख पटसन/मिस्टा के उपजाने वाले राज्यों में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित विशेष पटसन विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ बीजों का विवरण तथा आवश्यक पौष्टिक मिनिकिट्स, कृषि उपकरणों की आपूर्ति करने, कच्चे/पक्के रैटिंग टैंक की खुदाई करने, कृषकों को प्रशिक्षण देने, रैटिंग टेक्नोलोजी का प्रवसन करने, यूरिया का फोलियर-स्प्रे करने तथा कवकी कृषि पैकटों का विवरण करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है।

विभिन्न मूल्य वर्धित पटसन आधारित विविधीकृत उत्पादों का विनिर्माण करने के एककों के स्थापना करने के लिए उद्यमियों को सहायता देने के उद्देश्य से पटसन उद्यमी सहायता योजना शुरू की गई है। जो बैंक तथा वित्तीय संस्थान ऋण प्रदान करेंगे उन्हें परामर्श दिया गया है कि वे योजना में स्वयं सक्रिय रूप से भाग लें।

सम्पत्तियों का हस्तांतरण

3424. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास चारों महानगरों में देश के किसी भी भाग की सम्पत्ति के हस्तांतरण की सुविधा के कारण अनियमितताओं के बारे में जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में संगत केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सरकार को इस संबंध में कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पंजीकरण

अधिनियम, 1908 की धारा 30 (2) को समाप्त किए जाने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन के अभिमत टिप्पणियां आमंत्रित की गयी हैं। अभिमत प्राप्त हो जाने के बाद ही प्रस्ताव पर कोई अन्तिम निर्णय लिया जाएगा। अतः इस स्थिति में यह बता पाना संभव नहीं है कि उक्त निर्णय कब तक ले लिया जाएगा।

[अनुवाद]

वी० ए० बी० ए० एल० योजना का दुरुपयोग

3425. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान और आज तक निर्यात का अधिक मूल्य दर्शा कर और हवाला कारोबार के माध्यम से मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस (वी० ए०बी०ए०एल०) योजना का दुरुपयोग करने से सम्बंधित मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस गुप्त हवाला बाजार को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में घाटा

3426. **श्री मंजय लाल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की दुकानों/स्टालों के आवंटन में की जा रही अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन अनियमितताओं की जांच हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में दुकाने नीलामी द्वारा आवंटित की जाती हैं। जब भी कभी कथित अनियमितताओं की शिकायतें/रिपोर्टें प्राप्त होती हैं तो आवश्यक जांच पड़ताल की जाती है।

[अनुवाद]

सिले-सिलाए वस्त्र की उत्पादन इकाइयां

3427. **श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र में सिले-सिलाए वस्त्र की उत्पादन इकाइयां स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विकास हेतु तमिलनाडु को सहायता

3428. **डॉ० पी० वल्लाल पेरूमान :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में पर्यटन विकास के लिए वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने तमिलनाडु में पर्यटन के विकास के लिए 655.59 लाख रु. राशि की 34 परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की हैं। परियोजनाओं/स्कीमों का तथा राशि एवं स्वीकृति के वर्ष का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1992-93 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों रु० में)
	तमिलनाडु	
1.	कोडैईकनाल में कुटीरें	30.40
2.	थिरूवक्काराई में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	11.25
3.	रामेश्वरम में यात्री निवास	44.78
4.	हैंग ग्लाइडिंग उपकरण की खरीद	4.13
5.	कुन्नूर और नीलगिरि के लिए चट्टानारोहण और ट्रेकिंग उपकरण	4.00
6.	चाय और पर्यटन उत्सव, कुन्नूर	6.10
7.	नाट्यांजलि उत्सव	3.63
8.	महाबलिपुरम नृत्य उत्सव	3.13
	कुल	107.42

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों रु० में)
	1993-94	
1.	पैराम्बरलूर में पर्यटक गृह	23.97
2.	नामक्कल में पर्यटक गृह	23.25
3.	विर्दूनगर में पर्यटक गृह	28.78
4.	कृष्णागिरि में पर्यटक-परिसर	33.54
5.	कोर्टलम में पर्यटक गृह	39.30
6.	समयापुरम में यात्री निवास	39.92
7.	सेलम में पर्यटक-परिसर	33.21
8.	कुम्बाकोनम में पर्यटक-परिसर	39.37
9.	पलानी में पर्यटक-गृह	22.73
10.	थिरूनेलवेल्ली में पर्यटक-गृह	39.97
11.	मद्रास और रामेश्वरम के मध्य चलाई गई पी ओ डब्ल्यू टाइप की विशेष पर्यटक ट्रेन का नवीकरण और आधुनिकीकरण	48.00
12.	मुत्तुकाडू बेकवाटर और पुलीकट झील के लिए जलक्रीड़ा उपकरण की खरीद	14.94
13.	कुन्नूर में चाय और पर्यटन उत्सव	3.30
14.	नाटयांजलि उत्सव	3.00
15.	समर उत्सव	3.98
16.	मदुरै में चित्रै उत्सव	5.19
	कुल	402.45

वर्ष 1994-95 के दौरान स्वीकृत परियोजनायें/योजनाएं

क्रम सं.	परियोजना/योजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों रु. में)
	तमिलनाडु	
1.	पुड्डोंकोटाई में पर्यटक गृह	18.78
2.	तन्जावुर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	26.30
3.	तिरूवनामलाई में यात्री निवास	39.10
4.	त्रान्क्वेंबर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	29.49
5.	विल्लूपुरम में पर्यटक-गृह	18.78
6.	चित्रै उत्सव	3.83
7.	नाट्यांजलि उत्सव	1.74
8.	मामल्लापुरम नृत्य उत्सव	2.70
9.	प्रचार साहित्य के उत्पादन के लिए सहायता	5.00
	कुल	145.72

घरेलू होटल उद्योग के लिए शुल्क

3429. **डॉ० डी० वेंकटेश्वर राव :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख टूर आपरेटरों तथा ट्रेवेल एजेंट्स ने सरकार को घरेलू होटल उद्योग के लिए प्रशासन-प्रशुल्क की शुरूआत करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को सहायता अनुदान

3430. **श्री सूरजभान सोलंकी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे वित्त आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के लिए निर्धारित सहायता अनुदान के नौवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश को आवंटित सहायता अनुदान में हुई कमी को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) नवें और दसवें वित्त आयोगों के अंतर्गत मध्य प्रदेश को सिफारिश की गई सहायता-अनुदान की राशि निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

		नवां आयोग 1990-95	दसवां आयोग 1995-2000
I.	गैर-योजना अनुदान		
	(क) राहत व्यय के लिए अनुदान	261.00*	201.67
	(ख) बढ़ा हुआ अनुदान	-	146.37
	(ग) विशेष समस्या अनुदान	-	60.00
	(घ) स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	-	410.43
	जोड़	261.00	818.47
II.	योजना घाटा अनुदान	1047.81	-

* इसमें भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के लिए 122.25 करोड़ रुपए शामिल हैं।

नोवें वित्त आयोग के लिए राज्यों और केन्द्रीय राजस्व लेखों (योजना और गैर योजना) संबंधी प्राप्तियों और व्यय के मूल्यांकन के उद्देश्य से एक मानकीय सिद्धान्त अपनाना अपेक्षित था। अतः इसमें मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों को योजना राजस्व घाटा अनुदानों की सिफारिश की थी। दसवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 2.27 में निम्न टिप्पणी की हैं:-

"लेकिन हमारे संदर्भ विषय में स्पष्टतः यह भी अपेक्षित है कि योजना भिन्न राजस्व व्यय का मूल्यांकन किया जाए। हमारी सिफारिशों की अवधि ने आठवीं योजना की सहवसानी न होते हुए भी विषय को अधिक जटिल बना दिया है। योजनागत परिव्यय के स्वीकार्य पूर्वानुमान तैयार करने में व्यावहारिक कठिनाइयां, जो कि योजना के शेष दो वर्षों में भी बनी रहीं, योजना आयोग के प्रतिनिधियों द्वारा हमारे ध्यान में लाई गई। अधिकांश राज्यों ने यह भी सोचा कि किसी भी अनुमान को परिवर्तित न किया जाए। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपने आयोजनाभिन्न राजस्व लेखे का पुनर्मूल्यांकन किया है।"

उपर्युक्त को देखते हुए दसवें वित्त आयोग द्वारा किसी भी राज्य को योजना राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश नहीं की गई है। दसवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को अनुदान राशि में कमी इसी कारण से हुई है।

(ख) 1990-95 के दौरान नौवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए 7,843 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1995-2000 की अवधि के लिए दसवें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार मध्य प्रदेश को कुल 16,094 करोड़ रुपए का अंतरण प्रदान करने का अनुमान है। दसवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राज्य के कुल अंतरण में पर्याप्त वृद्धि हुई है। दसवें वित्त आयोग द्वारा पहले से ही की गई सिफारिश के अलावा राज्य को अतिरिक्त गैर योजना अनुदान देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी आवासों को किराये पर देना

3431. **श्री प्रेम चन्द राम :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनेक कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने उन्हें आवंटित सरकारी आवासों को किराये पर चढ़ा रखा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं;

(ग) सरकारी आवासों को किराये पर देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) इस संबंध में सरकारी आवासों को किराए पर देने से रोकने हेतु सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). वर्ष 1995 में दिल्ली में सरकारी आवास किराए पर दिए जाने के एक मामले की सूचना दी गई थी।

(ग) कर्मचारी से आवास खाली करवा लिया गया और उसे नए सिरे से आवास आवंटित किए जाने से एक वर्ष तक वंचित रखा गया है।

(घ) आवधिक सतर्कता जांचें की जाती है और आवास किराए पर दिए जाने के बारे में आवंटितों को समय-समय पर चेतावनी के परिपत्र जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

बैंकिंग कारोबार

3432. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े व्यापारिक घरानों से बैंकिंग कारोबार में प्रवेश हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन विशिष्ट प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या निर्णय लिया गया है और इससे अर्थव्यवस्था के कौन-कौन से क्षेत्र ग्रामीण, शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्र लाभान्वित होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ गैर सरकारी क्षेत्र में नये बैंक स्थापित करने के लिए निम्नलिखित घरानों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

1. मैसर्स आई टी सी
2. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.
3. मित्तल समूह
4. डी सी एम समूह
5. श्री आदित्य वी. बिड़ला समूह
6. सालगांवकर समूह

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि उन्हें अभी इन व्यापारिक घरानों द्वारा पेश किए गये प्रस्तावों पर विचार करना है।

उत्तरी राज्यों में पर्यटन क्षमता

3433. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी राज्यों में, विशेष रूप से राजस्थान में, पर्यटन क्षमता का उपयोग करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और 31 मार्च, 1995 तक इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

भारत सरकार ने पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है जिसमें केन्द्रीय सहायता और राज्य सरकारों तथा निजी सेक्टर द्वारा निवेश के माध्यम से देश में पर्यटन सम्भावनाओं के विकास की नीति का ध्यान रखा गया है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 31 मार्च, 1995 तक उत्तरी राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता नीचे दिए अनुसार है:-

राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों की कुल संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)
हिमाचल प्रदेश	44	790.05
हरियाणा	30	503.17
जम्मू और कश्मीर	34	539.77
पंजाब	25	471.65
राजस्थान	46	1076.52
उत्तर प्रदेश	32	472.18
चण्डीगढ़	11	97.02
दिल्ली	15	243.88

प्रगति रिपोर्टों के आधार पर, लगभग 50 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष 187 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

विदेशों और भारत में स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालय फिल्मों, प्रचार ब्रोशरों के माध्यम से और विश्व ट्रेवल मार्टो और मेलों में भाग लेकर राजस्थान और अन्य गन्तव्य स्थलों का व्यापक रूप से संवर्धन करते हैं।

[हिन्दी]

पर्यटन उद्योग का निजीकरण

3434. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन उद्योग के निजीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). पर्यटन मुख्यतः एक निजी सेक्टर का कार्यकलाप है। पर्यटन विभाग ने अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना में पर्यटक आधारिक संरचना की तीव्र वृद्धि के लिए स्वदेशी और विदेशी दोनों ही के निजी निवेश को उत्साहित करने की नीति पर बल दिया है।

भारत सरकार ने होटल और पर्यटन से संबंधित अन्य उद्योग को विदेशी निवेश और राजकोषीय निवेश रियायतों के लिए उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों मे से ही एक उद्योग घोषित किया है। उसी संबंध में काफी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने निजी निवेशकों को लाभ और रियायतें देते हुए पर्यटन को एक उद्योग घोषित कर दिया है।

[अनुवाद]

मिट्टी के तेल का आयात

3435. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**
श्री एस० एस० आर० राजेन्द्र कुमार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 जुलाई, 1995 के "इकानोमिक टाइम्स" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार राज्य व्यापार निगम द्वारा मिट्टी के तेल का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आम जनता को उचित मूल्य पर मिट्टी के तेल की आपूर्ति करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). माह दिसम्बर, 1994 में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एस टी सी) ने आयातित बढ़िया किस्म के मिट्टी के तेल (एस के ओ) के भण्डारण के लिए इण्डियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) की भण्डारण सुविधाओं का उपयोग करने हेतु उनसे अनुरोध किया था। किन्तु आई ओ सी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की थी उनके पास बंबई तथा काण्डला में फालतू भण्डारण क्षमता नहीं थी जो एस टी सी को दी जा सके। तथापि, व्यापार कार्यकलापों के विविधीकरण के भाग के रूप में एस टी सी इस बात के प्रयास कर रहा है जिससे कि एस के ओ के भण्डारण एवं वितरण के लिए वह प्रमुख पत्तनों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पर्याप्त क्षमता के समुचित भण्डारण टैंकों का प्रबंध कर सकें। एस टी सी द्वारा आयात किया जाएगा बशर्ते कि उसके पास इस तरह की सुविधाएं और आर्थिक क्षमता उपलब्ध हो जाए।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की संचालित कीमत-निर्धारण नीति के अंतर्गत आम लोगों द्वारा प्रयुक्त मिट्टी के तेल जैसे उत्पादों की कीमतों के लिए इमदाद दी जाती है।

आर्थिक सुधार

3436. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 31 जुलाई, 1995 को चेम्बर्स आफ कामर्स के तीन अध्यक्षों जो शीर्ष उद्योगपति हैं, के साथ आर्थिक सुधारों में प्रगति और इसे आगे बढ़ाने संबंधी उपायों पर विचार-विमर्श हेतु भेंट की है;

(ख) यदि हां, तो इस चर्चा के क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारत के प्रधान मंत्री ने प्रमुख उद्योगपतियों, शीर्ष उद्योगपति और भारतीय

वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) के अध्यक्षों, भारतीय वाणिज्य और उद्योग सम्बद्ध मंडल (एसोचैम) तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सी सी आई) से 1 अगस्त, 1995 को भेंट की न कि 31 जुलाई, 1995 को सभा में मुख्य रूप से सामाजिक आधारिक संरचना के विकास और गरीबों के रहन-सहन के स्तर के सुधार से संबंधित मदों पर विचार किया गया। उद्योग ने इस विषय पर सरकार को समर्थन और सहयोग देने का सुझाव दिया।

(ग) समुचित सरकारी नीतियों को तैयार करते समय वैयक्तिक संघों और संगठनो के सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

राज्यों के उद्यमियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता

3437. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री कुन्जी लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को बिहार तथा राजस्थान के उद्यमियों से राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या कितनी थी तथा इन आवेदनों को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उक्त राज्यों में स्थापित उद्योगों को उक्त अवधि के दौरान यूनिट-वार तथा राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार और राजस्थान राज्यों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) की प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

	1992-93	1993-94	1994-95
बिहार			
प्राप्त आवेदन	29	14	19
स्वीकृत आवेदन	20	12	13
अस्वीकृत/वापस लिए गए/ बन्द किए गए आवेदन	1	-	-
राजस्थान			
प्राप्त आवेदन	72	89	137
स्वीकृत आवेदन	59	66	104
अस्वीकृत/वापस लिए गए/ बन्द किए गए आवेदन	-	1	1

आई डी बी आई ने सूचित किया है कि आवेदन परियोजनाओं की अनर्थक्षमता के कारण अस्वीकृत किए गए थे।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान बिहार और राजस्थान में उद्योगों को प्रत्यक्ष परियोजना वित्त योजना के अंतर्गत आई डी बी आई द्वारा स्वीकृत की गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

स्वीकृत सहायता

(करोड़ रुपए)

	बिहार	राजस्थान
1992-93	123.8	428.1
1993-94	60.9	394.3
1994-95	35.8	567.9

लेकिन, बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले उपबंधों और लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार एकक वार ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

एम.एम.टी.सी. द्वारा किया गया व्यापार

3438. डॉ० बसंत पावार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में विभिन्न देशों के साथ कुल राशि का व्यापार किया गया;

(ख) क्या भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम की व्यापारिक गतिविधियों में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी व्यापारिक गतिविधियों को व्यापक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इसकी बंद हो चुकी गतिविधियों को पुनः चालू किया जा सके?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान एम०एम०टी०सी० के कुल कारोबार का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(रु. मिलियन में)

वर्ष	कारोबार
1992-93	51224.4
1993-94	32173.5
1994-95	52625.9 (अंतिम)

एम०एम०टी०सी० वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1994-95 के दौरान किए गए देशवार निर्यात/आयात का ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है। व्यापार क्रिया-कलापों में आई गिरावट का कारण यह रहा कि अनेक उत्पादों का सरणीयन समाप्त कर दिया गया था।

(ग) अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए सरकार एम०एम०टी०सी० को खनिजों, धातुओं उर्वरकों, हीरों, रत्नों एवं आभूषणों तक अपने कार्यकलाप व्यवस्थित करने के अलावा कृषि/समुद्री उत्पादों, वस्त्रों, चमडा रसायनों, औषधि और भेषज सामग्री में भी विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एम०एम०टी०सी० भी चुनिन्दा आधार पर निर्यातोन्मुख संयुक्त उद्यमों में निवेश के जरिए सुदृढ़ आधार विकसित कर रहा है।

विवरण

प्रमुख देशों को निर्यात

(रु./मिलियन)

देश	*1993-94	1992-93	1991-92
जापान	4598	6054	5051
दक्षिणी कोरिया	1545	1724	1805
यू.एस.ए.	1270	1721	1994
चीन	1147	1174	1313
युएई	936	832	698
यू.के.	782	778	824
जर्मनी	643	874	961
चेक गणराज्य	448	1	2
पाकिस्तान	313	299	370
सिंगापुर	307	222	204
जार्डन	255	422	1138
स्वीटजरलैंड	207	292	331
निदर लैंड	177	177	158
हांगकांग	131	233	317
टूनेशिया	115	18	-
इंडोनेशिया	78	29	183
आस्ट्रेलिया	74	41	30
स्लोवाक गणराज्य	70	-	-
यू.एस.एस.आर./सी आई एस	64	16	3
फ्रांस	61	198	266
मलयेशिया	53	79	156
अन्य	439	1624	2161
योग	13713	16748	17865

प्रमुख देशों से आयात

देश	1993-94	1992-93	1991-92
स्वीटजरलैंड	4852	2452	775
सीआईएस	2886	5288	3801
लिबीया	2094	164	-
कतार	1579	753	807
साऊदी अरब	1470	1280	2150
यूएई	594	242	142
जांबिया	319	32	121
यू.के.	316	380	254
इंडोनेशिया	249	152	234
जार्डन	247	2587	3709
बंग्लादेश	237	44	-
रोमानिया	218	9	-
आस्ट्रेलिया	182	232	102
जर्मनी	136	2542	3956
जायरे	132	227	159
बैलजियम	116	48	95
कनाडा	84	1570	1384
मलेयेशिया	83	159	102
फ्रांस	82	1112	405
क्रोसिया	72	-	-
ब्राजील	70	194	1955
अन्य	289	10390	32066
योग	16307	29857	51217

स्रोत : एमएमटीसी

वर्ष 1994-95 के देशवार आयात-निर्यात के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं।

बीमा निगम (जी.आई.सी.) के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

3439. **श्री राम नाईक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना संख्या और उसे जारी करने की तारीख क्या है; और

(ग) साधारण बीमा निगम द्वारा योजना कार्यान्वित करने और पेंशन की देय राशि का भुगतान करने के लिए समयबद्ध निर्धारित योजना क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जी हां, इस संबंध में अधिसूचना संख्या 2(4) बीम – III 94 (II) दिनांक 28.6.1995 को जारी की गई थी और भारत के असाधारण राजपत्र में संख्या का.आ. 585 (ङ) दिनांक 28.6.1995 के तहत प्रकाशित की गई। पेंशन योजना के उपबंधों के अन्तर्गत लाभभोगी को इस प्रयोजन के लिए बनाई गई पेंशन निधि का सदस्य बनने के लिए अधिसूचित तारीख से 120 दिनों के भीतर लिखित रूप में विकल्प देना पड़ता है। साधारण बीमा निगम द्वारा पात्र व्यक्तियों द्वारा इन विकल्पों को दिए जाने के बाद ही देय पेंशन की राशि का भुगतान करने के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

गोस्वामी समिति रिपोर्ट

3440. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**
श्री हरिन पाठक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोस्वामी समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं;

(ग) कौन-कौन सी सिफारिशें अस्वीकार की गई हैं;

(घ) कौन-कौन सी सिफारिशें अभी भी विचाराधीन हैं; और

(ङ) कौन-कौन सी सिफारिशें लागू कर दी गई है और बाकि सिफारिशें कब तक लागू की जाएंगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). सरकार ने डा० ओंकार गोस्वामी की अध्यक्षता में मई, 1993 में औद्योगिक रूग्णता और कार्पोरेट पुनर्गठन समिति की नियुक्ति की थी। समिति की सिफारिशों में अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें शामिल थीं :-

(1) रूग्णता का शुरू में पता लगाना।

(2) पुनर्गठन को सुकर बनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 में परिवर्तन करना।

(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करना ताकि कार्यबल का पुनर्गठन किया जा सके।

(4) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करना ताकि रुग्ण कंपनियो के आंतरिक संशोधनों के निर्माण में सुधार किया जा सके।

(5) कंपनियों के विलय, समामेलन को सुकर बनाने के लिए कर-निर्धारण कानूनों में संशोधन करना।

(6) विदेशी पूंजी और इक्विटी को आकर्षित करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में संशोधन करना।

(7) रुग्ण कंपनियों को तुरंत बन्द करने के लिए पांच अधिकरण स्थापित करना ताकि मजदूर और प्रतिभूत ऋणदाता यथा शीघ्र अपनी देय राशियां प्राप्त कर सकें।

सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

भारतीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय होटल समूह की रुचि

3441. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय होटल समूह द्वारा दिखाई गई गहरी रुचि के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु शहरी भूमि अधिकतम सीमा संबंधी कानून का निरसन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने हालिडे इन्न वर्ल्डवाइड, नीदरलैण्ड से हॉलिडे इन्न के विपणन अधिकार के लिए भारत में एक 100% सहकारी कम्पनी स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त किया हैं। इसके अलावा, शेरटन इन्कार्पोरेटेड, यू. एस. ए.; केम्पेन्सकी, स्विटजरलैण्ड; रमडा इन्न इन्कार्पोरेटेड, यू.एस.ए.; लॉं मिरिडियन, फ्रांस; फोर सीज़न्ज़, कनाडा; हयात, हांगकांग; क्वालिटि इन्न इनकार्पोरेटेड, यू.एस.; एक्सर, फ्रांस आदि, भारतीय कम्पनियों के साथ तकनीकी सहयोग, विपणन अधिकार तथा विपणन करारों के अंतर्गत प्रचालित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के बैंकों में ग्राहक सेवाएं

3442. **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में देश में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में असन्तोषजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या इन बैंकों की विभिन्न योजनाओं से संबंधित पुस्तिकाएं उनकी शाखाओं में सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). राष्ट्रीयकृत बैंको के खिलाफ ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतें समय-समय पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए तरीके अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उनके भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय (जिसके क्षेत्राधिकार के अन्दर मध्य प्रदेश राज्य आता है) में पिछले 3 वर्षों के दौरान सभी वाणिज्यिक बैंकों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	बैंकों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की संख्या
1992	290
1993	296
1994	296

(ख) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक इन शिकायतों को उचित कार्रवाई/निवारण/टिप्पणियों हेतु संबंधित बैंको के पास भेजते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गंभीर प्रकृति वाली शिकायतों की जांच अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कराई जाती हैं।

(ग) और (घ). ग्राहक सेवा पर गोइपोरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1992 में बैंकों को यह परामर्श किया था कि वे अपने ग्राहकों को विभिन्न योजनाओं के ब्यौरे देने वाली पुस्तिकाएं/पैम्फलेट क्षेत्रीय भाषाओं/हिन्दी/अंग्रेजी में उपलब्ध कराएं। भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी 27 बैंकों ने इस सिफारिश को कार्यान्वित कर दिए जाने की सूचना दी है।

[अनुवाद]

देवनहाली में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

3443. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या येलाहांका, बैंगलोर में भारतीय वायु सेना का कोई हवाई अड्डा है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय वायु सेना के येलाहांका स्थित हवाई अड्डे को, देवनहाली में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार में लेने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) :(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान में रैगिंग

3444. **श्री ए० इन्द्रकरन रेड्डी** :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :
श्री भेरू लाल मीणा :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इंडियन एक्सप्रेस" के जुलाई 26,1995 के अंक में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान में रैगिंग के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अपमान को झेलने वाले छात्रों के अभिभावकों द्वारा जब राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान के अधिकारियों से मुलाकात की गई तो उनका रुख नकारात्मक था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे ऐसी घिनौनी घटनाओं को रोका जा सके?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वैंकट स्वामी) : (क) से (घ). जी, हां। रैगिंग की कथित घटना का समाचार "इंडियन एक्सप्रेस" सहित कुछ समाचार पत्रों में छापा गया है। सरकार ने मामले के तथ्यों की जांच करने तथा जहां कहीं भी आवश्यक हुआ वहां जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा साथ ही यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करने कि भविष्य में राष्ट्रीय फैशन टैक्नालाजी संस्थान के परिसर में विद्यार्थियों के साथ ऐसी रैगिंग न हो, दो सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति की स्थापना की थी।

समिति के निष्कर्ष के अनुसार रैगिंग की कथित घटना की पुष्टि नहीं हो सकती है।

[हिन्दी]

गुजरात में यू. टी. आई. और एल. आई सी. द्वारा निवेश

3445. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और जीवन बीमा निगम के द्वारा इंदिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र के माध्यम से एकत्रित की गई राशि को राज्य में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में निवेश हेतु गुजरात सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). सरकार को अभी हाल ही में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्टाम्प कागज की कमी

3446. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 के दौरान केरल से विभिन्न मूल्य वर्ग की रसीदी टिकटों, न्यायालय शुल्क टिकटों और स्टाम्प कागज़ की अनुपलब्धता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मदों की कमी पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). पूर्ति क्षमता संबंधी दबावों के कारण प्रतिभूति मुद्रणालय पूरे देश में राजस्व स्टॉम्पों, अदालती शुल्क स्टॉम्पों और स्टॉम्प पेपरों की मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं।

(ग) सरकार ने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उपाय शुरू किए हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में लघु उद्योगों को बैंक ऋण

3447. **श्री कुन्जी लाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में लघु उद्योगों से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या इन बैंकों ने प्रार्थियों/लघु उद्योगों को रुग्णता से बचाने के लिए समय पर ऋण प्रदान किए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क).भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये-अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान राज्य में मार्च, 1991, मार्च, 1992 और मार्च, 1993 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को मंजूर किये गये ऋण निम्नानुसार थे :-

(रु. करोड़ में)

अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	खातों की संख्या	बकाया राशि
मार्च, 1991	116533	420.21
मार्च, 1992	114147	440.8
मार्च, 1993	114229	475.5

(ख) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम यह अनुदेश जारी किया है कि 25,000 रु. तक की ऋण सीमा वाले आवेदनों को एक पखवाडे के भीतर और 25,000 रु. की अधिक ऋण सीमा वाले आवेदकों को आवेदन प्राप्ति के 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए। बैंकों को यह भी कहा गया है कि ऋण सीमाएं बढ़ोत्तरी के अनुरोध पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए और किसी भी हालत में निर्णय 6 सप्ताह के भीतर लिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985

3448. **श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे :**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा द्वारा उत्पादन हेतु आरक्षित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1995 को लागू करने के संबंध में विशेषरूप से महाराष्ट्र के बिजली करघा उद्योगों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाई की है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क). हथकरघा द्वारा उत्पादन हेतु आरक्षित वस्त्र मदों का एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) हथकरघा और पावरलूम की उत्पादन क्षमता आदि के आंकड़े प्राप्त करने तक इस अधिनियम के कार्यान्वयन को रोक दिया जाए।

(घ) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम 1985 में इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

आरक्षित मदों की सूची :-

1. साड़ी

2. कोटा डोरिया साड़ी।

3. टाई व डाई साड़ी और सामग्री।

4. धोती।

5. गमचा व अंग वस्त्र।

6. लुंगी।

7. शर्टिंग

8. क्रेप वस्त्र

9. तौलिया

10. खेश, बेड शीट, बैड कवर, पलंग पोश, और साज सामान

11. टेबल क्लाथ, टेबल चटाई व नैपकिंस

12. डस्टर, बस्ता

13. चादर

14. मशरू वस्त्र

15. लो रीड पीक क्लाथ

16. जमक्कलम दरी या डरेट

17. बुकरम क्लाथ

18. रेशम

19. कंबल का कंबलिज

20. वारिक बलैंक कैट

21. शाल, लोई, मफलर, पंखी इत्यादि।

22. ऊनी कपड़ा।

भारत पर्यटन विकास निगम के बोर्ड सदस्यों के विरुद्ध सी बी आई के मामले

3449. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन को अखिल भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ की ओर से भारत पर्यटन विकास निगम के बोर्ड के कुछ सदस्यों के विरुद्ध सी.बी.आई का मामला लम्बित होने के बारे में दिनांक जुलाई, 1995 का कोई शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों के विरुद्ध गंभीर आरोपों और सी.बी.आई./सी.बी.सी. द्वारा जुलाई, 1991 में कड़ी कार्यवाही की सिफारिश किए जाने के बावजूद ये दोषी अधिकारी पदों पर 1990 मे कार्यरत्त हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे दोषी कर्मचारियों के पद पर बने रहने, उनके विरुद्ध आज तक विभागीय जांच शुरू न किए जाने और इस संबंध में सी.बी.आई/सी.बी.सी. की सिफारिशों को लागू न किए जाने का क्या औचित्य है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी भारी चूकों के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). अखिल भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ से दिनांक 22-7-95 का एक पत्र भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन वर्ग को प्राप्त हुआ था जिसमें अनुरोध किया गया था कि मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उपाध्यक्ष (इंजी) के विरुद्ध चेतावनी पूर्ण कार्यवाही की जाए। इस मामले में कार्यवाही कर ली गई है और संबंधी अधिकारी को 2.1.95 को आरोप पत्र तामील कर दिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

3450. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को संसद सदस्यों से गत एक वर्ष के दौरान कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने पत्रों का उत्तर दिया जाना शेष है तथा ये पत्र उत्तर हेतु कब से लंबित हैं; और

(ग) इन पत्रों के उत्तर नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं और इनका उत्तर कब तक दे दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिल्पग्राम परियोजना

3451. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुणे में करोड़ों की लागत वाली "शिल्पग्राम" परियोजना की स्थापना में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत परंपरागत लोक शिल्पियों और कारीगरों को प्रोत्साहन देने हेतु एक गांव की स्थापना की जानी है;

(ख) इस परियोजना के कार्यान्वयन में बिलंब के क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस परियोजना के लिये किसी अन्य स्थल का चयन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थल-परिवर्तन के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क). परंगरागत लोक शिल्पियों और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए पुणे में कोई भी "शिल्पग्राम" स्थापित करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रूसी पर्यटकों का भारत का दौरा

3452. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने रूसी पर्यटकों ने भारत का दौरा किया;

(ख) क्या इस वर्ष रूसी पर्यटकों की संख्या में कमी आयी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या रूसी पर्यटकों से स्वीकार की गयी मुद्रा डालर/पौंड अथवा रूबल है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) विगत में रूस के लिए अलग से पर्यटक आगमन के आंकड़े संकलित नहीं किए गए थे। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान रूस समेत सी आई एस देशों से पर्यटक आगमन निम्नानुसार था :-

वर्ष	पर्यटक आगमन
1992	39409
1993	48644
1994	56387

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

असम के चाय बागान

3453. **श्री द्वारका नाथ दास :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण असम विशेषकर बराक घाटी में अनेक रूग्ण और अलाभकारी चाय बागान हैं और एक-एक कर उनसे चाय का उत्पादन करना बन्द किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा ऐसे रुग्ण और अलाभकारी चाय बागानों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी के चाय बागान श्रमिकों को दी जा रही दैनिक मजदूरी में कोई अन्तर है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) रुग्ण चाय बागानों के पुनरूद्धार और विशेषकर रुग्ण चाय बागानों में काम कर रहे श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाओं को लागू करने कि लिए क्या कदम उठाए गये?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (च). चाय बोर्ड द्वारा अप्रैल, 1994 में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक बराक घाटी में स्थित 113 चाय बागानों में से 27 को रुग्ण/दुर्बल चाय बागानों के रूप में अभिज्ञात किया गया है। तथापि चाय बागानों का परित्याग किए जाने के बारे में चाय बोर्ड को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। रुग्ण/दुर्बल चाय बागानों द्वारा झेली जा रही समस्याएं काफी जटिल रही है जिसमें प्रबंधकीय/वित्तीय कुप्रबंध से लेकर दीर्घकालिक मुकदमें शामिल हैं। चाय बोर्ड ने पहले ही इस प्रकार की रुग्णता के कारणों का पता लगाने की कार्यवाई की है। चाय बोर्ड ने वाणिज्यिक बैंकों और संबंधित चाय बागानों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर लिया है ताकि एक व्यापक पुनर्वास पैकेज के जरिए इन बागानों को पुनर्जीवित करने के उपायों का पता लगाया जा सके। चाय अनुसंधान संगठन से भी अनुरोध किया गया है कि यह रिसायती अंशदान की दरों पर दुर्बल बागानों को अपनी सदस्यता प्रदान कर इनके जीर्णोद्धार के लिए तकनीकी जानकारी दें। चाय बोर्ड इस प्रकार के रूग्ण चाय बागानों समेत चाय बागानों के रोपण कामगारों के लाभ के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाएं भी चलाता है। इन कार्यक्रमों में उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जो रोपण-श्रमिक अधिनियम, 1951 और इसके तहत बनाए गए नियमों से कवर नहीं होते है और जो क्षेत्र पूरक स्वरूप के हैं। चाय बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं—प्राथमिक स्तर से ऊँची शिक्षा ग्रहण करने के लिए चाय बागान कामगारों के बच्चों को अनुदान, देना और चाय बागानों के कामगारों और उनके परिवार वालों के लाभार्थ स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण करने, शिक्षा का विस्तार करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विशेषीकृत उपचार सुविधाओं के लिए शिक्षा संस्थाओं, अस्पतालों इत्यादि को वित्तीय सहायता देना।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत (द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय) के जरिए निर्धारित की जाती है। जहां तक दैनिक मजदूरी की दरों और असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में कार्यरत रोपण कामगारों के लिए चाय तोड़ने की दरों का संबंध है, इस बारे में 10 जनवरी, 1993 को कर्मचारी संघ और असम चाय मजदूर संघ के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे। यह करार 31 मार्च, 1996 तक वैध रहेगा। जहां तक असम की बराक घाटी के बागान कामगारों की दैनिक मजदूरी का संबंध है, इस बारे में 3 फरवरी, 1993 को कर्मचारी संघ और कछार चाय श्रमिक संघ के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे। कथित करार 31 अक्तूबर, 1996 तक वैध रहेगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों घाटियों में मजदूरी की दरों में भिन्नता है और औसतन बराक घाटी में यह दर कम है।

रियायती विदेशी ऋण

3454. **डॉ० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या वित्त मंत्री 4 अगस्त, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान रियायती विदेशी ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई तथा विदेशी ऋणदाता एजेंसियों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक एजेन्सी द्वारा कितनी धनराशि विदेशी ऋण के रूप में दी गई और उन पर ब्याज की दर क्या है अथवा ब्याज मुक्त धनराशि कितनी है;

(ख) 1994-95 के दौरान प्राप्त कुल रियायती विदेशी सहायता का प्रतिशत क्या है और इसमें से कितनी राशि पिछले ऋण की अदायगी हेतु वितरित की गई; और

(ग) भारत सरकार द्वारा प्राप्त रियायती विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). वर्ष 1994-95 के दौरान सरकारी खातों में प्राप्त किए गए रियायती विदेशी ऋण और अदा किए गए ब्याज की दर को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) बाह्य संसाधन देश के योजनाबद्ध विकास के लिए उपलब्ध कुल निवेश के परिव्यय और आंतरिक संसाधनों के अंतर को पूरा करने के लिए जुटाये जाते हैं। इसका उपयोग देश की परियोजनागत तथा गैर-परियोजनागत विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि ऋण शोधन अनुपात की संगणना साधारणतया चालू प्राप्ति (अर्थात् माल के निर्यात एवं अदृश्य आयों) और ऋण शोधन भुगतान (अर्थात् मूलधन का पुनर्भुगतान तथा ब्याज का भुगतान) की प्रतिशतता के आधार पर की जाती है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्राप्त रियायती विदेशी ऋण चालू कीमतों पर जी०डी०पी० का 0.65 प्रतिशत होने का अनुमान है।

विवरण

1994-95 के दौरान सरकारी खातों में रियायती विदेशी ऋण की राशि और इस पर अदा किए गए ब्याज की दर को दर्शाने वाला ब्यौरा

अनन्तिम (करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	स्रोत/देश	वर्ष 1994-95 के दौरान प्राप्त किया गया ऋण	ब्याज की दर
1.	आई.डी.ए.	3149.88	कोई ब्याज नहीं (सेवा प्रभार 0.75 प्रतिशत)
2.	आई.एफ.ए.डी.	27.33	कोई ब्याज नहीं (सेवा प्रभार 1 प्रतिशत)
3.	ओ.पी.ई.सी.	1.96	0.5 से 3 प्रतिशत तक
4.	आस्ट्रेलिया	15.94	1.625 प्रतिशत
5.	बेल्जियम	4.11	0 से 3 प्रतिशत तक
6.	फ्रांस	48.59	2 से 3.7 प्रतिशत तक
7.	जर्मनी	357.51	0.75 प्रतिशत
8.	जापान	2126.84	2.5 से 4.5 प्रतिशत तक
9.	कुवैत फंड	3.92	4 से 4.5 प्रतिशत तक
10.	साऊदी फंड	1.31	3 से 4 प्रतिशत
11.	स्वीडन	99.99	1.5 से 2 प्रतिशत तक
12.	स्विट्ज़रलैंड	30.13	1.5 से 2 प्रतिशत तक

रोजगार समाचार में विज्ञापन

3455. **डॉ० रमेश चन्द तोमर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ संस्थाओं द्वारा रोजगार समाचार में दिये गये ऐसे विभिन्न विज्ञापनों की जानकारी है जिनमें उन्होंने व्यावसायिक और इंजीनियरी पाठ्यक्रम पढ़ाने की पेशकश की है;

(ख) क्या सरकार ने रोजगार समाचार में इन विज्ञापनों को छापने से पूर्व इनकी सत्यता की जांच कर ली है;

(ग) क्या सरकार को इन विज्ञापनों के संबंध में इस आधार पर कोई शिकायत मिली है कि ये विज्ञापन जाली संस्थाओं के हैं और बेरोजगार युवकों को गुमराह करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क). जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). उत्तर प्रदेश की एक संस्था के बारे में कुछ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के विषय में एम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, तथा संबंधित विज्ञापन ऐजेन्सी, जिसके माध्यम से यह विज्ञापन प्राप्त हुआ है उसे इस संस्था के विज्ञापन की प्रमाणिकता हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है।

एअर इंडिया की उड़ानों में व्यवधान

3456. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान विमानों की सरकारी मांग के कारण एअर इंडिया की कितनी उड़ानों में व्यवधान पड़ा;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान 1993-94 में विमानों की सरकारी मांगों के कारण एअर इंडिया की कितनी नियमित उड़ानों में व्यवधान पड़ा, और

(ग) उड़ानों को भविष्य में इस प्रकार अस्त-व्यस्त न होने देने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). वर्ष 1993-94 के दौरान विमान की सरकारी मांग के कारण एअर इंडिया की 114 एकतरफा उड़ानें रद्द की गई थीं।

(ग) केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही एअर इंडिया के विमान की चार्टरिंग की जाती है और ऐसे उपाय किए गए हैं कि उड़ानों में बाधा, यदि कोई हो तो न्यूनतम हो।

अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र

3457. **डॉ० आर० मल्लू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांविधिक संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या उनकी धनराशि सहित क्या है जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका;

(ग) क्या सरकार ने सूचना एकत्र करने वाले संगठन के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पुनरीक्षा के परिणाम क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में उपयोगिता प्रमाण मत्र अनुदान लेने वाली संस्थाओं द्वारा देने अपेक्षित है। तथापि, ऐसे प्रमाण-पत्र उन मामलों में देने की आवश्यकता नहीं होती, जिनमें अनुदान कतिपय पूर्वापेक्षित शर्तें पूरी होने के बाद मंजूर किए जाते हैं।

(ख) से (घ). उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति के बारे में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा निगरानी रखना आवश्यक है जो उपयोगिता-प्रमाणपत्र अभी आने बाकी हैं और उनमें शामिल राशि के बारे में सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

वस्त्र आयुक्त

3458. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के कार्यकरण का व्यापक पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक सदस्यीय समिति की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति की रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र आयुक्त के कार्यालय का व्यापक पुनर्मूल्यांकन करने के लिए श्री के० एन० अर्दनारीश्वरन के अंतर्गत एक सदस्यीय समिति की स्थापना की है। समिति की स्थापना अप्रैल, 1995 में की गई जिसका उद्देश्य वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के कार्य चालन की पुनरीक्षा करना तथा उद्योग के अनियंत्रण तथा उदारीकरण की मौजूदा नीति के परिप्रेक्ष्य में उसकी भावी भूमिका के बारे में सिफारिश करना है। समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा यूरिया का आयात और निर्यात

3459. **श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**
डॉ० मुमताज अंसारी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया तथा अन्य उर्वरकों के आयात के लिए भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि. और भारतीय राज्य व्यापार लिमिटेड द्वारा विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ख) यदि हां, तो 1994 और 1995 के दौरान आज तक का अलग-अलग तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल कितना यूरिया आयात किया जाना है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(घ) क्या सबसे कम बोली देने वाले को जिसने निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा किया है उक्त अवधि के दौरान ठेका नहीं दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(च) इन संगठनों में ऐसी अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गएँ हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). यूरिया एवं अन्य उर्वरकों के आयात के बारे में एक विवरण संलग्न है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयातों के अनुमान अनेक बातों पर निर्भर करते हैं जिनमें वर्षा, देशी आपूर्तियों की उपलब्धता इत्यादि शामिल है। इस समय इसकी मात्रा बताना संभव नहीं है।

(घ) से (च). एस. टी० सी० और एम०एम०टी०सी० दोनों ही सामान्यतया सबसे कम बोली बोलने वाले उन लोगों को ही ठेका देते हैं जो सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करते हो। तथापि, उद्धृत कीमतों पर समय पर सुपुर्दगी करने के बारे में विदेशी आपूर्तिकर्ता की विश्वसनीयता संदिग्ध होने पर इस स्थिति में कुछ अपवाद हो सकता है।

विवरण

वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान एम.एम.टी.सी. द्वारा जारी की गई निविदाओं के बारे में विवरण-पत्र

यूरिया	टी-11/93	21/01/1994
	टी-1/94	22/02/1994
	टी-2/94	22/04/1994
	टी-3/94	17/05/1994
	टी-4/94	12/08/1994
	टी-5/94	01/09/1994
	टी-6/94	28/12/1994
	टी-7/94	17/01/1995

	टी-8/94-95	21/02/1995
	टी-1/95-96	02/03/1995
	टी-2/95-96	01/07/1995
	टी-3/1995-96	10/08/1995
डी.ए.पी.	टी/2/95	18/05/1995
सल्फर	निविदा/1995	07/07/1995

वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान एस.टी.सी. द्वारा जारी की गई निविदाओं के बारे में विवरण-पत्र

	1994	शून्य
यूरिया	1/1995	15/05/1995
	2/1995	19/07/1995

हस्तशिल्पी

3460. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार को देश के हस्तशिल्पियों की दयनीय दशा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा देश में शिल्पियों की दशा में सुधार करने हेतु कार्य-योजना बनाई गई है अथवा बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में भारतीय संस्कृति से संबंधित हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्पियों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). जी, हां। देश में हस्तशिल्प का विकास करने तथा शिल्पकारों की जीवन दशाओं में सुधार लाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है जिनमें प्रशिक्षण, विपणन, डिजायन तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन, शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना करना, प्रदर्शनी आदि शामिल हैं। हाल ही में सरकार ने अनेक कल्याणोन्मुख योजनाएं शुरू करके शिल्पकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है जिनमें पेंशन, कार्यशाला-सह-आवास, समूह बीमा तथा चिकित्सा लाभ शामिल हैं।

(घ) और (ङ). जी नहीं। वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कृषि बैंक (नाबार्ड) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस आई डी बी आई) की पुनर्वित्त पोषण योजनाओं के अंतर्गत ब्याज की रियायती दरों पर हस्तशिल्प कारीगरों को ऋण प्रदान कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उच्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम

3461. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मनी ने बंगलौर में एक शीर्ष उच्च-प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के अलावा कुछेक केन्द्रीय और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों में उच्च-प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों के नाम क्या हैं और संपूर्ण परियोजना लागत संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत शामिल करने के लिए पता लगाए गये संस्थानो का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क). जी हां।

(ख) और (ग). संस्थानो के नाम दिए गए है।

केन्द्रीय संस्थान :

1. शीर्षस्थ उच्च-प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर (नए संस्थान की स्थापना की जानी है)।
2. उच्च प्रशिक्षण संस्थान (ए टी आई), बम्बई।
3. उच्च प्रशिक्षण संस्थान (ए टी आई), कलकत्ता।
4. उच्च प्रशिक्षण संस्थान (ए टी आई), मद्रास।
5. उच्च प्रशिक्षण संस्थान (ए टी आई), कानपुर।
6. उच्च प्रशिक्षण संस्थान (ए टी आई), हैदराबाद।
7. उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन ए टी आई (ई पी आई), हैदराबाद।
8. उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना।
9. राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एन वी टी आई) नोएडा (उ. प्र.)
10. क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर।

राज्य संस्थान :

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर।

2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद।

3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पुणे।

4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास।

5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालामसेरी।

6. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विशाखापत्तनम।

7. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोपड़।

8. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मेरठ।

9. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धनवाद।

10. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़ोदरा।

उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विनिर्माणकारी उद्योग को आवश्यक संख्या में, सक्षम रूप से प्रशिक्षित तकनीशियन उपलब्ध कराने हेतु उद्योगों के उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों के आधुनिक संचालनात्मक और कार्यकारी कर्मिकों को नए किस्म के कौशल तथा ज्ञान की जानकारी देने के उद्देश्य से उच्च-प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण योजना तैयार की गई है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही वर्तमान व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के तहत इस योजना के लिए वित्त की व्यवस्था विश्व बैंक द्वारा की जाएगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना की लागत 441.58 करोड़ रु. (1988 आधार) है, जिसके लिए विश्व बैंक के साथ जून, 1989 में करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

कपास की वस्तुओं का बीमा

3462. **श्री एस० एस० आर० राजेन्द्र कुमार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु काटन गिनिंग प्रेसिंग एण्ड ट्रेडर्स फेडरेशन ने हाल ही में केन्द्र सरकार से साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनियों द्वारा कपास एवं कपास की वस्तुओं के बीमे के लिए ली जाने वाली प्रीमियम के मामले में "बीमा दर का उचित मूल्यांकन" करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि तमिलनाडु काटन गिनिंग प्रेसिंग एंड ट्रेडर्स फेडरेशन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

यूरेनियम की तस्करी

3463. **श्री लक्ष्मण सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में यूरेनियम की तस्करी के कितने मामले प्रकाश में आये;

(ख) तस्करी के कितने मामलों में आई.एस.आई. का हाथ पाया गया; और

(ग) सरकार द्वारा यूरेनियम के तस्करों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गयी/किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

3464. **श्री एस० एम० लालजान बाशा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बाल श्रम को समाप्त करने हेतु उड़ीसा के कितने स्वयंसेवी संगठनों को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों ने सरकार को अपने विधिवत् लेखा परीक्षित तुलना-पत्र प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ). गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एक गैर-सरकारी संगठन, रूचिका स्कूल सोशल सर्विस विंग, भुवनेश्वर को उनकी "नॉन-इन्स्टीट्यूशनल केयर फॉर वर्किंग चिल्ड्रन" नामक परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

रूचिका स्कूल सोशल सर्विस विंग ने वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए अपने तुलन पत्र प्रस्तुत कर दिये हैं। उन्हे वर्ष 1994-95 के लिए अपना तुलन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

सोयाबीन का आयात

3465. **श्री राम कापसे :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दस लाख टन तक सोयाबीन आयात करने की अनुमति दी हैं;

(ख) यदि हां, तो संरक्षित तिलहन क्षेत्र बनाने संबंधी प्रथम प्रयोगात्मक प्रयास देश के किसानों का संरक्षण करने दबाव में कृषि मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित कर दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह आयात 15 जुलाई, 1995 के पश्चात् ही करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ). जी, हां। आयात-निर्यात नीति के उपबन्धों के अनुसार दिनांक 20.2.1995 की सार्वजनिक सूचना सं० 273 (सा. सू.)/92/97 द्वारा अधिसूचित विशेष योजना के अधीन जारी 33 अग्रिम लाइसेंसों पर आयात हेतु 9.23 लाख मी. टन सोयाबीन की अनुमति दी गई है।

यह योजना बनाते समय अन्य बातों के साथ साथ यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संरक्षण किए गए हैं कि इस योजना के तहत आयातित सोयाबीन का प्रयोग केवल तेल उत्पादन और सोयाबीन निस्सारण के लिए हो, इसे रोपण प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाए तदनुसार, लाइसेंस धारकों को यह निर्देश दिए गए थे कि आयात केवल दिनांक 15 जुलाई, 1995 के बाद ही किया जाए और आयात दिनांक 30 सितंबर, 1995 तक पूरा कर दिया जाए।

भारतीय तम्बाकू कम्पनी में साम्य पूंजी

3466. **श्री प्रकाश वी० पाटील** :
श्री एम० जी० रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थाओं से भारतीय तम्बाकू कम्पनी को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के संबंध में कुछ बातचीत की है:-

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थाओं से भारतीय तम्बाकू कम्पनी जैसी निजी कम्पनियों में अपनी पूंजी का हिस्सा बढ़ाने के लिए कहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

"टैफको" को फिर से चालू करना

3467. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा "टैनरी एण्ड फुटवीयर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टैफको) को फिर से चालू करने के संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बी आई एफ आर का इस संबंध में निर्णय प्रचालन करने वाली एजेंसी के उचित रिपोर्ट पर आधारित नहीं था क्योंकि इसने तीन वर्षों के दौरान व्यापक पुनरुद्धार योजना तैयार नहीं की थी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार कम्पनी की स्थिति कैसी है तथा क्या इसे फिर से चालू किए जाने की कोई संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि टैनरी एण्ड फुटवीयर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टैफको) को दिनां 30.6.1992 को उसके पास पंजीकृत किया गया था और उसे दिनांक 25.11.1992 को एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित किया गया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ सी आई) को कम्पनी की अर्थक्षमता की जांच करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए संचालन अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था। परन्तु ऐसी कोई अर्थक्षमता पुनरूज्जीवन योजना नहीं बनाई जा सकी। अतः बाइफर ने दिनांक 21.12.1993 को हुई अपनी सुनवाई में कम्पनी को बन्द करने के लिए अपनी प्रथम दृष्टया राय बनाई। बाइफर ने 14.2.1995 को अपनी सुनवाई के दौरान एक अन्य समूह द्वारा प्रस्तुत पुनरूज्जीवन प्रस्ताव पर विचार करने के बाद अपनी इस राय की पुष्टि की कि कम्पनी को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सिका) की धारा 20(1) के तहत बन्द कर दिया जाना चाहिए। बाद में, कम्पनी के अधिकारी संघ ने बाइफर द्वारा दिए गये आदेश के विरुद्ध दिनांक 19.4.1995 को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकारी (एएआईएफआर) को एक अपील दायर की।

पटसन का उत्पादन

3468. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन के उत्पादन और पटसन उद्योग के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो योजना/कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). भारत सरकार ने पटसन क्षेत्र की वृद्धि तथा विकास के लिए जून, 1992 में यूएनडीपी के साथ एक करार किया हैं। इस करार के अंतर्गत यू एन डी पी द्वारा 23 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार समकक्ष आवक मुहैया कराएगी।

इस कार्यक्रम में पटसन कृषि, नए उत्पादों का विकास, रोजगार सृजन, पटसन मशीनरी क्षेत्र का विकास, अनुसंधान एवं विकास, संगठन निर्माण, निजी क्षेत्र का विकास, निर्यात संवर्द्धन, मानव संसाधन विकास तथा समन्वय की प्रभावी पद्धतियों का परिचय के क्षेत्र शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पटसन वस्तुओं के कुल उत्पादन में विविधीकृत उत्पादों के भाग में वृद्धि करना है।

विदेशी मुद्रा का देश से बाहर जाना

3469. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा 1993-94 और 1994-95 के दौरान भारत में वाहनों के निर्माण और बिक्री के कारण कितनी विदेशी मुद्रा बाहर गई; और

(ख) सरकार द्वारा देश से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सूती धागे की कीमतें

3470. **श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार महीनों के दौरान तमिलनाडु में सूती धागों की कीमतों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे राज्य के हथकरघा/विद्युतकरघा और हौजरी उद्योग को किस सीमा तक मदद मिली है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क). जी, हां।

(ख)

अवधि	(रु./किग्रा.) हैंक यार्न	भारित औसत कोन यार्न	होजरी कोन यार्न
अप्रैल '95	97.23	119.91	106.86
अगस्त '95 12.8.95 तक	94.23	114.94	99.25

(ग) कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आने से तैयार उत्पाद के विनिर्माताओं को लाभ होगा।

कच्चे पटसन की खरीद

3471. **श्री अनिल बसु :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पटसन निगम को चालू वित्त वर्ष के दौरान कच्चा पटसन खरीदने के लिए कोई निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितना धन उपलब्ध कराया गया है; और

(ग) भारतीय पटसन निगम द्वारा स्थापित खरीद केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां अवस्थित हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क). जूट करपोरेशन आफ इंडिया का इस आशय के निर्देश जारी किए गए है कि वह कीमतों के न्यूनतम समर्थन स्तर से नीचे गिर जाने की स्थिति में अपरिष्कृत पटसन के लिए मूल्य समर्थन प्रचालन शुरू करने के लिए तैयार रहे।

(ख) जे सी आई को बजट प्रावधान तथा उसकी आवश्यकताओं के अनुसार निधियां प्रदान की जाती हैं। अब तक जे सी आई को 6 करोड़ रु. की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) जे सी आई का पटसन उपजाने वाले 8 राज्यों में 208 क्रय केन्द्र तथा उप-क्रय केन्द्र का नेटवर्क है। विवरण नीचे दिए गए हैं:

राज्य	क्षेत्र	विभागीय क्रय केन्द्रों तथा उप केन्द्रों की कुल संख्या
पश्चिम बंगाल	1. बरासत	17
	2. शेओराफली	15
	3. कृष्णालर	16
	4. बेथुआदाहरी	13
	5. बरहामपुर	16
	6. माल्दा	11
	7. सिलिगुड़ी	13
	8. कूच बिहार	15
		116
बिहार/ उत्तर प्रदेश	1. पूर्णिया	12
	2. सहरसा	18
		30
असम/ मेघालय	1. नागाव	13
	2. धबरी	11
	3. गुवाहाटी	6
		30
त्रिपुरा	अगरतला	8
उड़ीसा	कटक	10
आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	14
	कुल योग :	208

महाराष्ट्र में सहकारी बैंक

3472. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कितने सहकारी बैंकों की स्थापना

के लिए स्वीकृति दी गयी है; और

(ख) उक्त अवधि में इन बैंकों की उपलब्धियां क्या रहीं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मई, 93 से जुलाई, 95 की अवधि के दौरान, महाराष्ट्र में 59 प्रस्तावों के संबंध में पंजीकरण के लिए "सिद्धांतरूप में अनुमोदन" दे दिया गया है। इनमें से 29 शहरी सहकारी बैंकों को, बैंकिंग कारबार प्रारंभ करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। अब तक 20 बैंकों ने कारबार प्रारम्भ कर दिया है।

(ख) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन बैंकों में से 11 ने 940.18 रुपए की जमाराशियां जुटाई हैं और 479.93 लाख रुपए के अग्रिम दिए हैं।

कपास का निर्यात

3473. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री शरत पटनायक :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास मिल महासंघ ने सरकार से आग्रह किया है कि वह 68,000 कपास की गांठों के निर्यात की अनुमति दिए जाने के अपने हाल ही के निर्णय पर पुनः विचार करे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने महासंघ के सुझाव को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का कपास की कितनी गांठों के निर्यात की अनुमति देने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क). जी, हां।

(ख) से (घ). सरकार ने कपास वर्ष 1994-95 में निर्यात के लिए अब तक रेशे वाली कपास की 1.856 लाख गांठें रिलीज की हैं। ऐसा कपास उपजकर्ताओं, वस्त्र मिलों के हित, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कपास की मांग तथा विश्व बाजार में एक स्थायी सप्लाईकर्ता के रूप में भारत की भूमिका को ध्यान में रखकर किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यम

3474. **श्री रबि राय :**
श्री लोक नाथ चौधरी :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ उधमों के पुनरूद्धार की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुनरुद्धार की अवधारणा त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति की बैठकों में हुए विचार-विमर्श के आधार पर तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के कई उधमों में श्रमिकों को उनके वैधानिक बकाया राशियों तक का और कुछ मामलों में तो मजदूरी तक का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ). रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार मामले को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित करे।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड प्रचालन एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट और प्रवर्तकों के रूप में श्रमिक और सरकार सहित अन्य संबंधित पधकारों द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर कंपनी के पुनरूज्जीवन संबंधी योजना को मंजूरी प्रदान करता है अथवा परिसमापन की सिफारिश करता है। रुग्ण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समीक्षा करने और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की कार्यवाही में सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण को अंतिम रूप दिये जाने के लिए मंत्रियों का दल गठित किया गया है। मंत्रियों के दल का निर्णय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किए गए निवेदनों पर आधारित होता है, जिसमें सामान्यतया श्रम मंत्रालय/व्यवसाय संघों की त्रिपक्षीय समिति का दृष्टिकोण शामिल होता है।

(ङ.) और (च) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ रूग्ण केन्द्रीय सार्वजनिक जैसे मै. जैसोप एंड कं., वर्न स्टैन्डर्ड क., एन.टी.सी. और एन.जे.एम.सी. ने कर्मकारों को मजदूरी और सांविधिक देय राशियों के भुगतान में चूक की है। श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय सहित संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ मामला उठाया है ताकि कर्मकारों को सांविधिक देय राशियों और वेतन तथा मजदूरी के समय पर भुगतान के लिए निधि उपलब्ध करवाई जा सके।

केन्द्रीय श्रम मंत्री ने, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मकारों को संविधिक देय राशियों के भुगतान और जहां आवश्यक हो बजटीय सहायता को तुरंत जारी करने की स्थिति की नियमित समीक्षा और मॉनीटरिंग के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में एक समन्वयन तंत्र बनाने का भी सुझाव दिया है।

[हिन्दी]

प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी

3475. **डॉ० महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जुलाई, 1995 के "बिजिनेस स्टैंडर्ड" में "स्टडी साज प्रोडक्टिविटी गेन फ्राम लेबर रोल इन मैनेजमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में दिए गए तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के परिणमस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कुछ निर्णय लिये है; और

(च) यदि हां, तो इन निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क). जी हां।

(ख) से (च). अध्ययन में इस बात को स्वीकार किया गया है कि श्रमिकों की सहभागिता औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में हो सकती है और यह कि इन दोनों रूपों को परस्पर पृथक नहीं किया जा सकता है। यह इस बात पर भी जोर देता है कि एक सहभागी प्रबंधन की सफलता के लिए प्रबंधन की बचनबद्धता और व्यवसाय संघों के सहयोग के साथ ही अनुकूल संगठनात्मक वातावरण बनाया जाना आवश्यक है।

सरकार यह मानती है कि उत्पादन और उसके साथ ही उत्पादकता में वृद्धि करने में श्रमिक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संविधान में 1975 में संशोधन किए जाने के पश्चात, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता के संबंध में एक के बाद एक योजनाएं बनाई गई। समय-समय पर क्रियान्वित की गई विभिन्न योजनाओं की कमियों और इस संबंध में प्राप्त अनुभवों को भी दृष्टि में रखते हुए, सरकार ने सहभागी प्रबंधन की धारणा को विधायी जामा पहनाने का निर्णय लिया। तदनुसार, मई, 1990 में प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया। यह विधेयक अभी पड़ताल और रिपोर्ट के लिए श्रम और कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति को संदर्भित है।

[अनुवाद]

कॉफी बोर्ड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3476. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लागू होने के समय से कॉफी बोर्ड के कितने कर्मचारियों ने इस योजना को अपनाया है;

(ख) क्या सरकार की इन कर्मचारियों को पुनर्नियोजित करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) दक्षिणी राज्यों से उत्तरी राज्यों एवं दिल्ली में स्थानान्तरित किए गए कॉफी बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(च) इतनी दूर स्थानान्तरित किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क). स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू करने के बाद स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए कॉफी बोर्ड के 1493 कर्मचारियों ने विकल्प दिया है। इनमें से 1373 कर्मचारी ही इसके लिए पात्र थे, और उनमें से 1322 कर्मचारियों के विकल्प स्वीकार कर लिए गए हैं तथा 51 आवेदन पत्र सतर्कता क्लीयरेंश के अभाव में स्वीकार किए जाने हेतु कार्याधीन पड़े हैं।

(ख) से (घ). स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना इसलिए लागू की गई थी ताकि मुक्त बिक्री कोटा लागू करने से बोर्ड के विपणन क्रियाकलापों में तेजी से गिरावट आने के परिणामस्वरूप काफी बोर्ड में बेशी हुई मानवशक्ति को कम किया जा सके। अनुमोदित पैमाने के अनुसार सेवान्त लाभों के भुगतान के अलावा अलग से किसी पुनर्वास योजना पर विचार नहीं किया गया है।

(ङ) और (च). जहां तक संवर्धन विभाग का संबंध है, दक्षिणी राज्यों से 7 सहायक बिक्री अधिकारियों और 30 समूह "क" कर्मचारियों को उत्तरी राज्यों में पुनः नियोजित किया गया जिनमें दिल्ली भी शामिल है, क्योंकि स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू हो जाने के बाद उत्तरी राज्यों में स्थित डिपुओं में दक्षिणी राज्यों की तुलना में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी हो गई थी।

[हिन्दी]

खदान श्रमिकों संबंधी कल्याण योजना

3477. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के खदान श्रमिकों के लिए कोई कल्याण योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खदान श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना आरंभ की है और सभी श्रमिकों को कर्मचारी राज्या बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों मे स्थित चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों, लौह अयस्क खानों, मैग्नीज अयस्क खानों, क्रोम अयस्क खानों और अभ्रक खानों में कार्यरत श्रमिकों को आवासीय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि, लौह अयस्क खान, मैग्नीज अयस्क खान, क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि और अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।

(ग) और (घ). इन खान श्रमिकों के लिए कोई समूह बीमा योजना चलाने अथवा उन्हें कर्मचारी राज्या बीमा अधिनियम की परिधि में लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ऐसी रोजगार जनित चोटों, जिनके कारण मृत्यु/अपंगता हो जाती है, के लिए खान श्रमिक कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं।

वस्त्र उत्पादन

3478. **श्री राजवीर सिंह :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान फाइबर तथा मिश्रित धागों से निर्मित वस्त्रों का अनुमानतः कितना उत्पादन किया गया;

(ख) वस्त्रों के उत्पादन आंकडों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के उत्पादन की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादनों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1994-95 के दौरान हथकरघा क्षेत्र को कुल कितनी राजसहायता दी गई?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क). अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1995-96 के दौरान वस्त्रों जिसमें यार्न, फाईबर और कपड़ा शामिल हैं का उत्पादन निम्न अनुसार है:-

1.	स्पन यार्न	374.20 मि. कि. ग्राम
2.	मानव-निर्मित फिलेमैंट यार्न	71.70 मि. कि. ग्राम
3.	मानव निर्मित फाईबर	79.33 मि. कि. ग्राम
4.	कपड़ा उत्पादन	4919.4 मि. वर्ग मीटर

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान अब तक विभिन्न क्षेत्रों में कपड़ा उत्पादन निम्न अनुसार है :-

	कपड़ा उत्पादन	मिलियन वर्ग मीटर
1.	मिल क्षेत्र	422.7
2.	विद्युत करघा क्षेत्र	3416.2
3.	हथकरघा क्षेत्र	1080.5

(ग) और (घ). वर्ष 1993-94 और 1994-95 के क्षेत्रवार कपड़ा उत्पादन की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कपड़ा उत्पादन में कोई प्रमुख अन्तर होने की प्रत्याशा नहीं है;

(ङ) वर्ष 1994-95 के दौरान हथकरघा क्षेत्र को 90 करोड़ रु. की कुल अर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

आप्रवास प्रक्रिया

3479. **श्री शरत पटनायक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आप्रवास संबंधी प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). उत्प्रवास प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से इसकी आवधि के रूप से समीक्षा की जाती हैं। कर्मकारों की छः अतिरिक्त श्रेणियां अर्थात् पर्यवेक्षक (सभी व्यवसाय), कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय), अर्ध-कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय), हल्के/मध्यम/भारी वाहन चालक, आशुलिपिकों, स्टोर कीपरों, टाइप कीपरों, टाइपिस्टों आदि सहित सभी श्रेणी के लिपिकीय कर्मकार और घरों में नियोजित रसोइयों को छोड़कर रसोईए, जिन्हें शुरू में उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं (ई सी एन आर) श्रेणी के अन्तर्गत 4 अक्तूबर 1991 से छः महीनों की अवधि के लिए लाया गया था, वे ई सी एन आर श्रेणी में बने हैं। इसका उद्देश्य श्रम शक्ति के उत्प्रवास को बढ़ाना और उत्प्रवास संरक्षकों की नियामक भूमिका को कम करना है।

एअर इंडिया द्वारा भारित पट्टे पर लिए गए विमान

3480. **श्री राम सिंह कस्वां :**
डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया द्वारा भारित पट्टे पर लिये गये विमान प्रतिदिन औसतन कितने घंटे चल रहे हैं;

(ख) एअर इंडिया के निजी विमान प्रतिदिन औसतन कितने घण्टे चल रहे हैं;

(ग) क्या पट्टे पर लिये गये विमान ने एअर इंडिया के निजी विमान से अधिक कार्य किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) एअर इंडिया के स्वामित्व वाले विमान के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). एअर इंडिया के दोनों वेट लीज ए-310-300 विमानों का औसत उपयोग 11.2 घंटे प्रतिदिन है। एअर इंडिया के बेड़े मे ए310-300 विमानों का औसतन उपयोग 8.21 घंटे प्रतिदिन है।

(घ) और (ङ). लीज के विमानों के मामलें में उपयोग की दर में प्रमुख अनुरक्षण/जांच के लिए अपेक्षित ग्राउडिंग समय को हिसाब में नहीं लिया जाता है क्योकि उस अवधि के दौरान प्रतिस्थापन विमानों की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार एअर इंडिया की उपयोग दर और लीज के विमानों के बीच तुलना सम-तुल्य नहीं है।

गैर-सरकारी एयर-लाइनों के सार्वजनिक इश्यू

3481. **डा० लाल बहादुर रावल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी एयर-लाइनों का विचार सार्वजनिक इश्युओं के माध्यम से धन जुटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गैर-सरकारी एयर-लाइनों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एन्टी डम्पिंग मामले

3482. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में आवश्यकता से अधिक आयात किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारत और विदेशों दोनों में "एन्टी डम्पिंग" मामलों की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारत में आयात केवल एक्जिम नीति के अनुसार ही किया जा सकता है। जिसे आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से ही तैयार किया जाता है।

(ग) और (घ). सरकार ने पाटन संबंधी मामलों के निपटान के लिए एक विनिर्दिष्ट प्रधिकारी को अधिसूचित किया है। भारत में शुरू किए गए पाटन-रोधी मामलों के अंतर्गत कार्यों की स्थिति विवरण-I के रूप में संलग्न है।

भारत के विरुद्ध विदेश में शुरू किए गए पाटन-रोधी मामलों का एक विवरण-पत्र विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

भारत में शुरू किए गए पाटन-रोधी मामले

(1)	(2) क्र.सं.	(3) मद	(4) देश	(5) लगाया गया शुल्क	(6) वर्तमान स्थिति
1. वे मामले जिनको अंतिम रूप दिया गया तथा लगाया गया शुल्क	1.	पी वी सी रेजिन	अर्जेन्टीना	2036 रु. प्रति मी. टन	शुल्क 18.1.94 को लगाया गया।
			ब्राजील	1619 रु. प्रति मी. टन	
			मेक्सिको	1253 रु. प्रति मी. टन	
			यू. एस. ए.	504 रु. प्रति मी. टन	
	2.	बिसफिनॉल-ए	जापान	7477 रु. प्रति मी. टन	शुल्क 11.3.94 को लगाया गया।
2. वे मामले जिनको अंतिम रूप दिया गया परन्तु शुल्क लगाने से संबंधित अधिसूचना जारी होनी है।	1.	आइसोबुटाइल बेंजीन	चीन लोकतांत्रिक गणराज्य	13809 रु. प्रति मी. टन(अं.)	अनंतिम शुल्क 20.9.94 को लगाया गया।
				10634 रु. प्रति मी. टन (अं.)	अंतिम निष्कर्ष 27.7.95 को जारी किए गए। शुल्क लगाने से संबंधित सूचना जारी होनी है।
	2.	3, 4, 5, ट्राईमिथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड (टी एम बी ए)	-वही-	237 रु. प्रति एम टी (अनं) 237 रु. प्रति एम टी (अं.)	अंनतिम शुल्क 20.3.95 को लगाया गया। अंतिम निष्कर्ष 24.7.95 को जारी किए गए। शुल्क लगाने संबंधी अधिसूचना जारी होनी है।
	3.	थियोफाइलिन ऐंड कंफीन	वही	108 रु. प्रति कि.गा. (अनं)/(अं) 101 रु. प्रति कि.गा. (अनं)/(अं)	अनंतिम शुल्क 20.3.95 को लगाया गया। अंतिम निष्कर्ष 26.7.95 को जारी किए गए। शुल्क लगाने संबंधी अधिसूचना जारी होनी है।
	4.	पोटासियम परमैंगनेट	वही	5992 रु. प्रति एम टी (अं.)	अंतिम निष्कर्ष 21.7.95 को जारी किए गए। शुल्क लगाने संबंधी अधिसूचना जारी होनी है।
3. जांच के अधीन मामले	1.	बिसफिनोल-ए	रूस एवं ब्राजील	—	जांच जारी है।

(1)	(2) क्र.सं.	(3) मद	(4) देश	(5) लगाया गया शुल्क	(6) वर्तमान स्थिति
	2.	एक्राइलोनाइट्राइल ब्युटाडीन रबर (एन बी आर)	जापान	-	वही
	3.	डेड बर्नट मैगनेसाइट (डी बी एम)	चीन लोकतांत्रिक गणराज्य	-	वही
	4.	निम्न कार्बन फेरो क्रोम (एल सी एफ सी)	रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान गणराज्य	-	वही

(अन.) : अनंतिम शुल्क

(अं) : अंतिम शुल्क

विवरण-II

यू० एस० ए० द्वारा भारतीय निर्यात पर पाटन-रोधी कार्रवाई

मद	वर्ष	शुल्क का प्रकार	शुल्क की दर (%)
1. स्टील पाइप्स और ट्यूब्स	1990	एडी	0. -87.39
2. स्टील तार रस्सी	1992	सीवीडी/एडी	5.6
3. एसएसतार रस्सी	1993	एडी	48.80
4. एसएस फ्लेंजेंज	1993	एडी	18.56 -210
5. सल्फर डाई	1992	एडी	यू एस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग ने नकारात्मक क्षति का पता लगाया है।
6. स्टेनलेस स्टील की छड़	1993	एडी	3.87% से 21.02% तक पाटन-रोधी शुल्क के आदेश जारी किए गए।
7. कार्बन इस्पात बट वेल्ड पाइप	1994	-	यू एस अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग ने कोई क्षति नहीं बतायी है।

यूरोपीय समुदाय द्वारा भारतीय निर्यात पर पाटन-रोधी कार्रवाई

वर्ष	उत्पाद	लगाया गया पाटन-रोधी शुल्क/टिप्पणियां
1. 1990	काटन यार्न	यूरोपीय समुदाय आयोग ने मामले को दबा दिया, प्रारम्भिक जांचों में कोई निष्कर्ष नहीं निकला।
2. 1990	पॉलीस्टर ब्लेन्डेड यार्न	4.4.1992 से 2% से 7.8% पुनर्निरीक्षण के बाद 8.12.1994 से शुल्क समाप्त कर दिया गया।

वर्ष	उत्पाद	लगाया गया पाटन-रोधी शुल्क/टिप्पणियां
3. 1990	ऑक्जैलिक एसिड	29.11.1991 से 4.4%
4. 1990	पॉलीस्टर स्टेपल तंतु	16.1.1993 से 0% से 7.2%
5. 1994	काटन रेशे	कोई क्षति नहीं, इकोफिन परिषद् ने यूरोपीय समुदाय आयोग के जांच को समाप्त करने के प्रस्ताव को रद्द किया। यथा स्थिति बनी रही।
6. 1994	संश्लिष्ट रेशे	वही
7. 1994	बेड लाइनिन	जांच के अधीन
8. 1994	पॉलीस्टर बुने फिलामेन्ट रेशे	वही
9. 1995	पॉली इथिलीन/ पॉली प्रोपीलीन बोवेन सैक्स और बैग्स	वही

यू० एस० ए० और यूरोपीय समुदाय को छोड़कर अन्य देशों में भारतीय निर्यातकों के खिलाफ की गई पाटन-रोधी कार्रवाई

क्रम सं.	वर्ष	उत्पाद	देश	टिप्पणियां
1.	1992	सौरबिटौल	आस्ट्रेलिया	जांच कर दी गयी।
2.	1990	कार्बन इस्पात वेल्डेड पाइप	कनाडा	25.11.1991 से 19.8%
3.	1992	कास्ट आयरन कास्टिंग्स	आस्ट्रेलिया	कोई शुल्क नहीं लगाया गया
4.	1992	संवर्द्धित क्रोम साफ किए हुए वोवाइन चमड़ा	आस्ट्रेलिया	वही
5.	1992	एच-एसिड	कोरिय गणराज्य	वही
6.	1992	सोडियम साइनाइड	आस्ट्रेलिया	वही
7.	1992	इस्पात छड़	न्यूजीलैंड	वही
8.	1992	ग्रेनाइट	कनाडा	0% - 45%
9.	1994	सिंगल स्पीड फ्री व्हील	ब्राजील	15.73% से 20% अनंतिम
10.	1994	साइकिल टायर	अर्जेन्टाइना	जांच चल रही है।
11.	1994	साइकिल टायर	मेक्सिको	जांच चल रही है।

सिक्कों पर तेलगु भाषा

3483. **श्री जे० चोक्का राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश शासनकाल से हाल तक सिक्कों पर तेलुगु भाषा में खुदाई होती थी;

(ख) यदि हां, तो हाल ही के समय में इन पर इस भाषा में अंकन समाप्त करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सिक्कों पर अंग्रेजी तथा हिन्दी के साथ-साथ तेलुगु भाषा में भी खुदाई करने का कोई प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

भारतीय निवेश केन्द्र

3484. **डॉ० मुमताज़ अंसारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली स्थित भारतीय निवेश केन्द्र की भूमिका और उसके औचित्य की समीक्षा कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) यदि नहीं तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय निवेश केन्द्र को मजबूत बनाने/बंद करने के संबंध में सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). भारतीय निवेश केन्द्र का पुनरीक्षण विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले निवेश सवंर्धक प्रयासों को सुमेलित करने की ओर लक्षित चालू प्रक्रिया का भाग है।

करेंसी का प्रचलन

3485. **डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जारी किये जाने वाले करेंसी नोटों के स्टाक में भारी कमी आ गई है और मुद्रणालय इनकी मांग पूरी करने में विफल रहे हैं, जैसा कि दिनांक 15 जून, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित है;

(ख) यदि हां, तो यह कमी कितनी आई है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोटों की ढुलाई हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). नासिक और देवास की विद्यमान दो नोट प्रिंटिंग प्रैसों की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 5725 मिलियन अदद है। इसके विपरीत, वर्ष 1994-95 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) की नोटों की आवश्यकता 14010 मिलियन अदद थी। इस प्रकार, विद्यमान दो नोट प्रिंटिंग प्रैसें भारतीय रिजर्व बैंक की नए नोटों के लिए मांग का केवल लगभग 41 प्रतिशत पूरा करने में समर्थ हैं।

मांग और आपूर्ति की दूरी को पूरा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं:

1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो नई प्रिंटिंग प्रैसें स्थापित की जा रही हैं एक पश्चिम बंगाल में सालवोनी में और दूसरी कर्नाटक में मैसूर में।
2. सरकार ने नासिक और देवास की विद्यमान नोट प्रिंटिंग प्रैसों का आधुनिकीकरण शुरू किया है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनः निर्गमनीय सड़े-गले नोटों के अधिकतम नम्बरों को उबारते हुए और उन्हें पुनः आवर्तित करते हुए फिर से परिचालित किया है।
4. 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए को सिक्कों में ढाला गया है और अब तक निर्मुक्त की गई क्षमता को उच्चतर मूल्यवर्गों के नोटों के उत्पादन की ओर परिवर्तित किया गया है।

(ग) नोटों के परिवहन के लिए रिजर्व बैंक मुख्य रूप से रेलवे की सेवाओं का उपयोग करता है। यह उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर के लिए नोटों के परिवहन के लिए इंडियन एयरलाइन्स के विमानों का भी उपयोग करता है। ऐसी प्रेषित धनराशि के मार्ग रक्षण के लिए राज्य पुलिस की सेवाएं ली जाती हैं।

(घ) जब कभी उपर्युक्त सेवाओं के माध्यम से करेंसी नोटों के परिवहन में भूतकाल में कोई आकस्मिकता उत्पन्न हुई, रिजर्व बैंक ने हमेशा वैकल्पिक व्यवस्था करके स्थिति को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास किया है।

आयकर में छूट

3486. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री काशीराम राणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर में छूट देने के लिए पिछड़े क्षेत्रों का चयन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) किन-किन पिछड़े क्षेत्रों को, पांच वर्ष तक नए औद्योगिक एकक स्थापित करने पर आयकर से छूट देने के लिए अधिसूचित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों का चयन करते समय राज्य सरकारों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). पिछड़े जिलों की पहचान संबंधी मामला पिछड़े जिलों की पंचायत संबंधी अध्ययन दल को सौंपा गया था। अक्तूबर 1994 में प्रस्तुत की गई अध्ययन दल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन हेतु विशेषज्ञ ग्रुप

3487. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की पुनर्सरचना से संबंधित मुख्य मुद्दों के परीक्षण के लिए एक विशेषज्ञ ग्रुप बनाया है जैसाकि 31 जुलाई, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में सूचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस ग्रुप के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके निदेश पद क्या हैं; और

(ग) यह ग्रुप अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जी, हां। 1994-95 के दौरान शुरू किए गए और 1995-96 में जारी रखे गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधकीय और वित्तीय पुनर्गठन संबंधी नीति के प्रमुख मुद्दों की जांच करने और उक्त प्रक्रिया की प्रगति की मानीटरिंग करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक विशेष समूह का गठन किया है। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक का एक-एक अधिकारी और गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष इस दल के सदस्य हैं।

नीति संबंधी मुद्दों पर निरंतर आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के पास सिफारिशें और पुनर्गठन की प्रक्रिया के संबंध में तिमाही अंतरालों पर प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिए दल का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

गया हवाई अड्डे का विकास

3488. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकाक स्थित एक कम्पनी का गया हवाई-अड्डे के विकास संबंधी प्रस्ताव गत एक वर्ष से भी अधिक समय से सरकार के पास निर्णय के लिए लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को अन्तिम रूप न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संम्भावना है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क). जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बीजों का निर्यात

3489. **डॉ० के० वी० आर० चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 के दौरान, देशवार, कुल कितनी मात्रा में विभिन्न किस्म के बीजों का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : वर्ष 1994-95 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान 19.36 करोड़ रु. मूल्य के 5155 एम टी बीजों का निर्यात किया गया था। इसके देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन/वार्षिकांक में दिए गए हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

बैंक शाखाओं का वर्गीकरण

3490. **श्री नीतिश कुमार :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक-नई योजना के अंतर्गत बैंक शाखाओं का हाल ही मे वर्गीकरण किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नई योजना की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अनेक अधिकारी फालतू हो जायेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे अधिकारियों को भली प्रकार नियोजित करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि उसने संशोधित मानदण्डों के अनुसार अपनी शाखाओं का पुनः वर्गीकरण करने के लिए बैंकों से कहा है जिस पर भारतीय बैंक संघ और बैंकों के अधिकारी परिसंघों के बीच सहमति हो गई है। शाखाओं के वर्गीकरण के लिए नए मानदण्ड निम्न हैं :-

शाखा की श्रेणी	गत दो वर्षों के दौरान औसत कुल जमाराशियां और अग्रिम	पदभार
लघु शाखाएं	2 करोड़ रुपए से कम	स्केल I
राज्य/जिला राजधानियों पर मध्यम/मुख्य शाखाएं	2 करोड़ रुपए और उससे अधिक परन्तु 15 करोड़ रुपए से कम	स्केल II
बड़ी शाखाएं	15 करोड़ रुपए और इससे अधिक परन्तु 50 करोड़ रुपए से कम	स्केल III
बहु बड़ी शाखाएं	50 करोड़ रुपए और उससे अधिक परन्तु 150 करोड़ रुपए से कम	स्केल IV
अपवादिक रूप से बड़ी शाखाएं	150 करोड़ रुपए और उससे अधिक	स्केल V

भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि बैंकों से उन पदों का मूल्यांकन करने को भी कहा गया है जो प्रत्येक ग्रेड/स्केल में अतिरिक्त हैं। उसने आगे सूचित किया है कि शाखाओं के पुनर्वर्गीकरण के कारण निम्न ग्रेड पदभार के लिए पात्र शाखाओं का कार्यभार संभाले हुए उच्च स्केल के अधिकारियों को उपयुक्त रूप से पुनः तैनात किया जाएगा और आगे आने वाले वर्षों में उनसे संबंधित स्केलों में होने वाली भावी रिक्तियों के बदले समायोजित किया जाएगा।

[अनुवाद]

बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

3491. **प्रो० सुशांत चक्रवर्ती :**

श्री राम कृपाल यादव :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने ऋण जमा अनुपात के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया और इसमें से कितना लक्ष्य पूरा किया है;

(ख) इसमें गिरावट आने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में ऋण-जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). मार्च, 1993, 1994 और 1995 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्यवार ऋण जमा अनुपात (सी डी आर) संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको को यह सलाह दी है कि उन्हें अखिल भारत स्तर पर अपने ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं के लिये अलग-अलग 60 प्रतिशत का ऋण-जमा अनुपात प्राप्त करना चाहिए। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि यद्यपि शाखा-वार, जिला-वार या क्षेत्र-वार अलग से यह अनुपात प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है, तथापि, बैंकों को ऋण के अभिनियोजन में असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच अनुपातों में व्यापक अंतर से बचना चाहिए। तथापि, किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में ऋण जमा-अनुपात राज्य/क्षेत्र की ऋण खपत-क्षमता पर निर्भर करती है जो कि बदले में सिंचाई, बिजली, रेल, रोड, परिवहन, बुनियादी और तकनीकी शिक्षा, उद्यमवृत्ति और अपेक्षित निवेश की उपलब्धता और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनों के लिये विपणन केन्द्र इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास जैसे मदों से निर्धारित व प्रभावित होते हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों सहित कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां ऋण जमा अनुपात कम है, भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्याओं की जांच करने और उपचारी उपाय सुझाने के लिये कृतिक बल का गठन किया है। अन्य राज्यों में, जहां ऋण जमा-अनुपात कम है और कोई कृतिक बल गठित नहीं किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रायोजक बैंकों को मामले पर विचार विमर्श करने और कम ऋण जमा अनुपात में सुधार करने के लिये उपयुक्त उपाय करने की सलाह दी है।

विवरण

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्य-वार ऋण जमा अनुपात

अंतिम शुक्रवार की स्थिति अनुसार

राज्य	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995
हरियाणा	55.5	50.3	46.7
हिमाचल प्रदेश	31.8	28.6	26.3
जम्मू और कश्मीर	44.5	45.7	42.8
पंजाब	42.5	42.0	41.4
राजस्थान	55.2	49.2	46.0

	अंतिम शुक्रवार की स्थिति अनुसार		
राज्य	मार्च	मार्च	मार्च
	1993	1994	1995
चंडीगढ़	50.6	83.8	115.8
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	88.9	73.8	74.6
अरुणाचल प्रदेश	13.8	13.1	11.3
असम	48.8	42.8	38.0
मणिपुर	84.3	72.1	55.6
मेघालय	16.9	15.7	15.8
मिजोरम	20.9	20.5	15.4
नागालैण्ड	40.4	41.5	35.4
त्रिपुरा	58.3	56.2	45.7
बिहार	38.8	36.1	33.2
उड़ीसा	66.7	64.0	54.1
सिक्किम	24.3	22.0	24.3
पश्चिम बंगाल	52.2	46.5	54.4
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	29.1	18.6	17.8
मध्य प्रदेश	62.3	56.0	53.3
उत्तर प्रदेश	42.4	37.2	35.0
गोवा	30.6	25.5	26.5
गुजरात	52.4	46.3	46.3
महाराष्ट्र	61.2	61.9	70.3
दादरा व नागर हवेली	29.1	20.5	15.5
दमन और दीव	17.7	15.4	14.5
आंध्र प्रदेश	80.0	71.5	75.7
कर्नाटक	75.1	70.1	67.8
केरल	48.7	44.3	44.9
तमिलनाडु	87.1	86.8	91.2
लक्षद्वीप	9.9	9.3	9.9
पांडिचेरी	44.8	42.2	44.0
अखिल भारत	60.5	56.6	59.2

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया को बाजार घाटा

3492. **श्री राम कृपाल यादव :** क्या नगर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण की योजना आरम्भ किये जाने के पश्चात इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया को क्रमशः 37 प्रतिशत और 21 प्रतिशत का बाजार घाटा हुआ है;

(ख) क्या अन्य देशों की सरकारों ने इस प्रकार के कदम उठाने से पहले अपनी राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को सुदृढ़ किया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु इन राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क). अन्तर्देशीय विमान यातायात सैक्टर के एकाधिकरण को समाप्त करने के बाद इंडियन एयरलाइन्स के मार्किट शेयर में उत्तरोत्तर रूप से वर्ष 1994-95 में 63.7% की गिरावट आई है। एअर इंडिया के मार्किट शेयर में वर्ष 1990 में 24.5% से वर्ष 1994 में 20.5% की गिरावट आई है।

(ख) विशिष्ट आर्थिक स्थितियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देशों की सरकारें कदम उठाती हैं।

(ग) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स अपने उत्पाद, छवि और समय प र कार्य-निष्पादन में सुधार द्वारा चुनौती का सामना करने के लिए कदम उठा रही है।

निजी विमान कम्पनियों से कर के माध्यम से आय

3493. **श्री दत्ता मेघे :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान सरकार को हवाई-सेवा-वार प्रत्येक निजी विमान कम्पनियों से कर के रूप में कितनी आय हुई है;

(ख) उन विमान कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने कर का भुगतान नहीं किया है; और

(ग) दोषी निजी विमान कम्पनियों के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क). निजी एयरलाइनों से 1994-95 के दौरान एकत्र किये गये अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण-I एयरलाइन-वार संलग्न हैं।

(ख) निजी एयरलाइनों के विरुद्ध बकाया राशि को दर्शाने वाला एक विवरण-II संलग्न है।

(ग) अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर नियम, 1989 के प्रावधानों के अधीन बकाया राशि को वसूल करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गयी है।

विवरण-I

1994-95 के दौरान एकत्रित अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर

क्रम सं.	निजी एयरलाइन्स का नाम	कुल अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर का योग (लाख रुपयों में)
1.	इंडियन इन्टरनेशनल	22.25
2.	ट्रांस भारत	3.3
3.	देहली गल्फ	4.5
4.	जगसन एयरलाइन्स	43.86
5.	ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	1114.55
6.	एरियल सर्विसिज	1.7
7.	उड़ान रिसर्च	0.06
8.	सहारा इंडिया	474.20
9.	मोदीलुफ्त	1405.32
10.	जेट एयरवेज	3684.64
11.	अर्चना एयरवेज	88.77
12.	सहारा एविएशन	0.32
13.	मेगापोड एयरलाइन्स	22.60
14.	एनईपीसी	363.54
15.	दमानिया एयरवेज	2084.76
	कुल	9318.46

विवरण-II

निजी एयरलाइनों के विरुद्ध बकाया अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर की राशि

	हवाई कम्पनी का नाम	बकाया राशि (लाख रु. में)
1.	जगसन एयरलाइन्स	16.48
2.	कान्टीनेंटल एविएशन	74.86
3.	सिटी लिंक एयरवेज	60.15 + 18.47 (दंड) (1992-93)
4.	दमानिया एयरवेज	155.00
5.	ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	97.73
6.	राज एविएशन	46.64
7.	एयर एशियाटिक	57.58
8.	गोवावेज	6.80
9.	मोदी लुफ्त	129.37
10.	अर्चना एयरवेज	26.99

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा का अर्जन और व्यय

3494. **श्री विजय एन० पाटील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित और व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार अनावश्यक खर्चों और विदेशी दौरों पर अंकुश लगाकर विदेशी मुद्रा का व्यय रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). भारत के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों से प्राप्त विदेशी मुद्रा के अंतर्प्रवाह और बहिर्गमन की स्थिति देश के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित मुद्रा भण्डार के निवल संचलन में परिलक्षित होती है। तदनुसार भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार (सोने व विशेष आहरण अधिकारों सहित) ने 1993-94 और 1994-95 में क्रमशः 9422 मिलियन अमरीकी डालर और 5932 मिलियन अमरीकी डालर की निवल वृद्धि दर्शायी है।

(ख) और (ग). भारत के विदेशी लेखे पर चालू खाते के संबंध में सरकार की नीति यह सुनिश्चित करती है कि विदेशी मुद्रा भण्डार, आयातित कच्ची सामग्री, संघटकों और पूंजीगत सामान तथा प्रौद्योगिकी के आयात के लिए अर्थव्यवस्था की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विदेश यात्रा करने सहित विदेशी दौरों के लिए विदेशी मुद्रा प्राधिकृत डीलरों द्वारा जारी की जाती है यदि वे आवेदन पत्र के प्रमाणिक होने तथा अनुरोधित स्तर पर विदेशी मुद्रा को जारी करने की जरूरत के बारे में संतुष्ट हों।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें

3495. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :**
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :
श्री विजय कृष्ण हाण्डिक :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रत्येक सप्ताह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चलाई जाने वाली उड़ानों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने पिछले एक वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उड़ानों की संख्या में कमी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस क्षेत्र के लिए इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में कमी के बाद निजी एयरलाइन्स ने अपने किराए बढ़ा दिए हैं;

(ङ) क्या सभी अनुसूचित एयरलाइन्स पूर्वोत्तर क्षेत्र में उड़ानों को आवश्यकता अनुसार चला रही हैं; और

(च) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र में विमान यात्रा सुविधा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). पूर्वोत्तर सैक्टर में अगस्त, 1994 और अगस्त, 1995 में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रचालित उड़ानों के ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिये गये हैं। प्रचालन कर्मीदल की कमी के कारण, सेवाओं में कटोती करनी पड़ी है।

(घ) निजी एयरलाइनें अपने स्वंय के वाणिज्यिक विवेक के आधार पर अपने किराये निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ङ) कुल मिलाकर सभी अनुसूचित एयरलाइनें श्रेणी-2 मार्गों पर पर्याप्त संख्या में उडानें प्रचालित करती हैं जिसमे पूर्वोत्तर क्षेत्र भी शामिल हैं।

(च) उपरोक्त (ङ) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पूर्वोत्तर स्टेशनों के लिए सेवाएं

ग्रीष्मकालीन अनुसूची

23.8.1995 की स्थिति के अनुसार

	सैक्टर	विमान की किस्म	प्रचालन के दिन
अगरतला			
आई. सी-741/742	कलकत्ता-अगरतला-कलकत्ता	ए-320	1,3
आई. सी-741/742	कलकत्ता-अगरतला-कलकत्ता	बी 737	4,6
आई. सी-743/744	कलकत्ता-अगरतला-कलकत्ता	ए-320	दैनिक
आई. सी-205/206	गुवाहाटी-अगरतला-गुवाहाटी	बी 737	4,6

23.8.1995 की स्थिति के अनुसार

	सैक्टर	विमान की किस्म	प्रचालन के दिन
डिब्रूगढ			
आई. सी-701/702	कलकत्ता-डिब्रूगढ-कलकत्ता	ए-320	1,4,6,7
दीमापुर			
आई. सी-257	कलकत्ता-इम्फाल-दीमापुर-कलकत्ता	बी-737	2,4
इम्फाल			
आई. सी--255/256	कलकत्ता-सिल्चर-इम्फाल-और वापसी	बी-737	3,5,7
आई. सी-257	कलकत्ता-इम्फाल-दीमापुर-कलकत्ता	बी-737	2,4
जोरहाट			
आई. सी-213	कलकत्ता-तेजपुर-जोरहाट-कलकत्ता	बी-737	3,7
तेजपुर			
आई. सी-213	कलकत्ता-तेजपुर-जोरहाट-कलकत्ता	बी-737	3,7
सिल्चर			
आई. सी-253/254	कलकत्ता-सिल्चर-कलकत्ता	बी-737	1,2,6
आई. सी-255/256	कलकत्ता-सिल्चर-इम्फाल और वापसी	बी-737	3,5,7
आई. सी-211/212	गुवाहाटी-सिल्चर-गुवाहाटी	बी-737	2,6
गुवाहाटी			
आई. सी-703/704	कलकत्ता-गुवाहाटी-कलकत्ता	ए-320	1,3,4,5,7
आई. सी-205/206	गुवाहाटी-अगरतला-गुवाहाटी	बी-737	4,6
आई. सी-879	दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दिल्ली	ए-320	1,2,4,7
आई. सी-229/230	कलकत्ता-गुवाहाटी-कलकत्ता	ए-300	दैनिक
आई. सी-211/212	गुवाहाटी-सिल्चर-गुवाहटी	बी-737	2,6

विवरण-II

पूर्वोत्तर स्टेशनों के लिए सेवाएं

ग्रीष्मकालीन अनुसूची 1994

8.8.94 की स्थिति के अनुसार

	सैक्टर	विमान की किस्म	प्रचालन के दिन
अगरतला			
आई. सी-741/742	कलकत्ता-अगरतला-कलकत्ता	ए-320	3,6
आई. सी-743/744	कलकत्ता-अगरतला-कलकत्ता	ए-320	दैनिक
आई. सी-705/706	गुवाहाटी-अगरतला-गुवाहाटी	ए-320	2,6
डिब्रूगढ़			
आई. सी-701/702	कलकत्ता/डिब्रूगढ़/कलकत्ता	ए-320	2,4,6,7
आई. सी.-703/704	कलकत्ता/गुवाहटी/डिब्रूगढ़ और वापसी	ए-320	3,5
दीमापुर			
आई. सी-257-258	कलकत्ता-गुवाहाटी-दीमापुर और वापसी	बी-737	4,7
इम्फाल			
आई. सी-707/708	कलकत्ता-गुवाहाटी-इम्फाल और वापसी	ए-320	1,4,7
आई. सी-253/254	कलकत्ता-सिल्चर-इम्फाल और वापसी	बी-737	2,6
आई. सी-255/256	कलकत्ता-सिल्चर-इम्फाल और वापसी	बी-737	3,5
जोरहाट			
आई. सी-213	कलकत्ता-तेजपुर-जोरहाट-कलकत्ता	बी-737	2,4,7
तेजपुर			
आई. सी-213	कलकत्ता-तेजपुर-जोरहाट	बी-737	2,4,7
सिल्चर			
आई. सी-253/254	कलकत्ता-सिल्चर-इम्फाल और वापसी	बी-737	2,6

8.8.94 की स्थिति के अनुसार

	सैक्टर	विमान की किस्म	प्रचालन के दिन
आई. सी-255/256	कलकत्ता-सिल्चर-इम्फाल और वापसी	बी-737	3,5
आई. सी-211/212	कलकत्ता-गुवाहाटी-सिल्चर और वापसी	बी-737	3,5
आई. सी-259/260	कलकत्ता-सिल्चर-कलकत्ता	बी-737	1,7
गुवाहाटी			
आई. सी-707/708	कलकत्ता-गुवाहाटी-इम्फाल और वापसी	ए-320	1,4,7
आई. सी-703/704	कलकत्ता-गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ और वापसी	ए-320	3,5
आई. सी-711/712	कलकत्ता-गुवाहाटी-कलकत्ता	ए-320	2,6
आई. सी-705/706	गुवाहाटी-अगरतला-गुवाहाटी	ए-320	2,6
आई. सी-879	दिल्ली-वडोदरा-गुवाहाटी-दिल्ली	ए-320	2,4,6,7
आई. सी-889/890	दिल्ली-गुवाहाटी-दिल्ली	ए-320	1,3,5
आई. सी-229-230	कलकत्ता-गुवाहाटी-कलकत्ता	ए-300	दैनिक
आई. सी-211/212	कलकत्ता-गुवाहाटी-सिल्चर और वापसी	बी-737	3,5
आई. सी-257/258	कलकत्ता-गुवाहाटी-दीमापुर और वापसी	बी-737	4,7

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापे

3496. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय की दिल्ली जोन इकाई ने कुछ समय पहले दिल्ली में कुछ छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले की पृष्ठभूमि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छापे के दौरान की गई जब्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आरोपी व्यक्तियों की कार्य-प्रणाली क्या थी; और

(ङ) इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 116 छापे मारे और परिणामस्वरूप 212 लाख रुपए (लगभग) के मूल्य की भारतीय मुद्रा, 72 लाख रुपए के मूल्य की विदेशी मुद्रा और अपराध आरोपणीय कागज़ात ज़ब्त किए। आरोपित व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की गई कार्य-प्रणाली में विदेशी पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की खरीद आदि और उसकी लाभांश पर बिक्री अथवा उसको भारत से बाहर भेजा जाना शामिल है। ऐसे लेन-देन पर लगातार कड़ी नजर रखी जाती है। निदेशालय के नोटिस में, जब कभी कोई ऐसी घटना आती है तो मामले के तथ्यों के अनरूप कार्रवाई की जाती है।

बाल श्रमिकों द्वारा निर्मित उत्पादों पर विदेशों में प्रतिबंध

3497. **श्री प्रभूदयाल कठेरिया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने बाल श्रमिकों द्वारा निर्मित उत्पादों का भारत से आयात बंद करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ देशों द्वारा व्यापार को बाल श्रम के साथ जोड़ने के लिए गैर-सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। वे विशिष्ट रूप से भारत में निर्मित उत्पादों के ही खिलाफ नहीं हैं। इस समय बाल श्रमिकों द्वारा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निर्मित उत्पादों का अमेरिका में आयात निषद्ध करने वाले दो विधेयक अमरीकी कांग्रेस में विचाराधीन लम्बित हैं। जर्मनी में गैर-सरकारी एजेन्सियां बाल श्रमिकों द्वारा निर्मित उत्पादों के विरुद्ध उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास कर रही हैं।

(ग) सरकार ने यह निश्चय किया है कि व्यापार कार्रवाई बाल श्रम की समस्याओं से निपटने का प्रभावोत्पादक तरीका नहीं है और गैट-डब्लयू टी ओ करार सामाजिक मसलों पर किसी देश की चिन्ता को हल करने के लिए व्यापार उपायों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए छोटे विमानों की खरीद

3498. **श्री लाईता उम्ब्रे :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 40-50 सीटों वाले विमान खरीदें जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क). प्राइवेट एयरलाइनें पहले ही से पूर्वोत्तर क्षेत्र में 40-50 सीट वाले विमान प्रचालित कर रही हैं। इंडियन एयरलाइन्स अपने कम दूरी के प्रचालनों के लिए 50 सीट वाले विमान खरीदने पर विचार कर रहा है।

(ख) और (ग). फिलहाल यह प्रस्ताव बाजार में उपलब्ध विमानों की किस्म के मूल्यांकन की प्रारंभिक स्थिति में है।

बीड़ी कामगार

3499. **श्री काशीराम राणा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी-कामगार के कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात राज्य को वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 के दौरान और चालू वर्ष में अब तक कितनी राशि जारी की गई; और

(ख) बीड़ी-कामगारों के लिये जारी की गई राशि को उपभोग में न लाये जाने के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क)

वर्ष	जारी की गई राशि
1993-94	रु. 36.24 लाख
1994-95	रु. 36.19 लाख
1995 से 7/95	रु. 5.66 लाख

(ख) मुख्यतया, चिकित्सा अधिकारियों के कुछ रिक्त पदों के कारण केवल थोड़ी ही धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

बैंकिंग ओमबड्समैन स्कीम

3500. **डॉ० चिन्ता मोहन :**
श्री नवल किशोर राय :
श्री सोमनाथीश्वर राव वाड्डे :
श्री शिवशरण वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए बैंकिंग ओमबड्समैन स्कीम की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत देश में अभी तक नियुक्त किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके कार्यालय कहां-कहां स्थित हैं और बैंक के ग्राहकों की शिकायतों के निराकरण हेतु अपनाई जाने वाली कार्य-विधि के संबंध में क्या विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). भारतीय रिजर्व बैंक ने 14.6.95 को बैंकिंग ओमबड्समैन योजना 1995 की घोषणा की और उसे लागू किया है।

(ख) बैंकिंग ओमबड्समैन योजना का उद्देश्य, बैंकों के विरुद्ध ग्राहक शिकायतों का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निपटान करना है। यदि किसी व्यक्ति की किसी बैंक के विरुद्ध शिकायत का निपटान दो महीने के अन्दर उसकी संतुष्टि के अनुरूप बैंक द्वारा नहीं किया जाता है तो वह बैंकिंग ओमबड्समैन से सम्पर्क कर सकता है बशर्ते कि शिकायत संबंधी मामला योजना में विनिर्दिष्ट हो।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक बम्बई, नई दिल्ली, भोपाल, बंगलौर और चंडीगढ में बैंकिंग ओमबड्समैन की नियुक्ति की है। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	नाम	स्थान	क्षेत्राधिकार
1.	श्री बी० एन० शेटे (पूर्व सचिव, महाराष्ट्र विधान सभा)	बम्बई	महाराष्ट्र और गोवा राज्य
2.	श्री ए० के० पाण्डया (पूर्व सचिव, भारत सरकार)	भोपाल	मध्य प्रदेश राज्य
3.	श्री बी० एल० चड्ढा* (पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सिंडिकेट बैंक)	नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा, जम्मू व कश्मीर राज्य
		चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़।
4.	श्री जे० सी० लिन, (पूर्व मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार)	बंगलौर	कर्नाटक राज्य

*श्री बी० एल० चड्ढा बैंकिंग ओमबड्समैन, चंडीगढ का कार्य भी सम्भाल रहे हैं।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों की सुरक्षा पर व्यय

3501. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तनों की सुरक्षा पर खर्च होने वाली धनराशि के मुद्दे की जांच पड़ताल के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). हवाई अड्डों पर सुरक्षा के लिए निधि ढांचे की संवीक्षा हेतु सितम्बर, 1994 में सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) की अध्यक्षता के अंतर्गत एक समिति की स्थापना की गई थी। कार्यपालक निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सदस्य (वित्त), भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और निदेशक (वित्त) नागर विमानन विभाग इस समिति के सदस्य थे।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अमरीका को ऊनी परिधानों का निर्यात

3502. **श्री सत्यदेव सिंह :**
डॉ० रमेश चन्द्र तोमर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत में निर्मित ऊनी परिधान के आयात पर एक-तरफा रोक की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन का इस संबंध में दोनों देशों के बीच एक बैठक आयोजित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्व व्यापार संगठन द्वारा दोनों देशों के बीच ऐसी बैठक का आयोजन कब तक किया जाएगा?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ). उरुगवे दौर के वस्त्र तथा क्लोदिंग पर करार (ए टी सी) तथा भारत—अमरीकी वस्त्र करार के प्रावधानों के अन्तर्गत अमरीकी सरकार ने 434 (पुरुष तथा बच्चों के ऊनी कोट), 435 (महिलाओं तथा लड़कियों के ऊनी कोट) तथा 440 (ऊन से बुनी कमीजे तथा ब्लाऊज) श्रेणियों में भारत के ऊनी परिधानों के आयात पर एक पक्षीय प्रतिबन्ध (कोटा) लगाए हैं।

ए टी सी के प्रावधानों के अन्तर्गत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के वस्त्र मानीटरी निकाय (टी एम बी) को ऐसी कार्यवाहियों की समीक्षा करनी

होती है। टी एम बी शीघ्र ही अमरीका द्वारा एक पक्षीय प्रतिबन्ध स्तरों के निर्धारण की समीक्षा करेगा तथा समीक्षा के दौरान सयुंक्त राज्य अमरीका और भारत दोनों ही अपने दृष्टिकोण टी एम बी के समक्ष रख सकते हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में विदेशी संस्थागत निवेशक

3503. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को परिरक्षक सेवा के रूप में तथा भुगतान के क्षेत्र में गम्भीर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन विदेशी निवेशकों को हो रही तकनीकी समस्याओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). विदेशी संस्थागत निवेशक केन्द्रीय रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत हैं और क्षेत्रीय आधार पर अथवा राज्यवार नहीं। चूंकि शेयरअंतरणों में पर्याप्त कागजी-कार्रवाई अन्तर्ग्रस्त थी और बहुत कम अभिरक्षक विदेशी संस्थागत निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे, अतः भारत में निवेश की प्रारंभिक अवस्थाओं में विदेशी संस्थागत निवेशकों को दक्ष अभिरक्षक सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई हुई। तथापि, सरकार तथा सेवी द्वारा शेयरों के थोक अंतरण का संचालन करने के लिए जम्बो अंतरण विलेखों की शुरूआत से तथा प्रपुंज लेनदेनों में बैंकर चेकों के द्वारा स्टॉम्प-शुल्क के समेकित भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के माध्यम से विस्तृत कागजी कार्य को कम करने के उपाय से स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। नए बाजार प्रवेशकों द्वारा अतिरिक्त अभिरक्षक सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

बैंक कर्मचारियों के लिए वेतन समझौता

3504. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 7 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ बैंक यूनियनों ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ वेतन समझौते के संबंध में हाल में हुई सहमति पर पुनर्विचार करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो वे प्रमुख कारण क्या हैं जिसके फलस्वरूप समझौते में संशोधन की मांग की गई है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि 14.3.1995 को हुए छठे द्विपक्षीय समझौते में शामिल चार कर्मकार यूनियनों अर्थात, अखिल भारत बैंक कर्मचारी परिसंघ (एआईबीईए)* भारतीय बैंक कर्मचारी परिसंघ (बीईएफआई) और भारतीय राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी परिसंघ (आई एन बी ई एफ) ने अधिकारी वेतन संशोधन की तुलना में "तटस्थीकरण" और "कार्यभार" के संबंध में कर्मकार कर्मचारियों के साथ हुए तथाकथित अन्याय और भेदभाव के आधार पर उपर्युक्त समझौते पर पुनः विचार करने की मांग की है। भारतीय बैंक संघ ने आगे बताया है कि उप मुख्य श्रम आयुक्त (ग), बम्बई ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 12 के अन्तर्गत समाधान की कार्रवाही आरम्भ कर दी है।

*राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी परिसंघ (एनसीबीई)

बागान उत्पादों का उत्पादन और निर्यात

3505. **डॉ० कृपासिन्धु भोई :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बागान और कृषि उत्पादों जैसे चाय, काफी और रबड़ के उत्पादन पर सरकार ने कितनी धनराशि का निवेश किया है और क्या-क्या उपलब्धि प्राप्त की है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की शेष अवधि के दौरान इन उत्पादों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकार द्वारा आठवीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों अर्थात 1992-93 से 1994-95 के दौरान चाय, काफी तथा रबड़ सहित बागान क्षेत्र पर किया गया व्यय इस प्रकार है:-

चाय	33.75 करोड़ रु.
काफी	16.61 करोड़ रु.
रबड़	85.91 करोड़ रु.

(इसमें नाबार्ड द्वारा विश्व बैंक रबड़ परियोजना के तहत दिए गए 8.47 करोड़ रु. शामिल हैं)

चाय, काफी तथा रबड़ के संबंध में वर्ष 1995-96 के दौरान किए गए योजना आवंटन निम्नानुसार है :-

चाय	22.00 करोड़ रु.
काफी	9.00 करोड़ रु.
रबड़	49.27 करोड़ रु.

उपलब्धियां :

आठवीं योजनावधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान चाय, काफी तथा रबड़ के उत्पादन में प्राप्त उपलब्धि के आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं:-

उत्पादन लक्ष्य और उपलब्धियां मी० टन में

वस्तु	1992-93	1993-94	1994-95
लक्ष्य	7,65,000	7,30,000	7,70,000

वस्तु		1992-93	1993-94	1994-95
चाय				
	उपलब्धि	7,44,570	7,53,540	7,37,390
	लक्ष्य	1,85,500	1,91,000	2,10,000
काफी				
	उपलब्धि	1,69,395	2,08,000	1,80,100
	लक्ष्य	4,05,000	4,40,000	4,75,000
रबड़				
	उपलब्धि	3,93,490	4,35,160	4,71,815

(ख) चाय तथा रबड़ के उत्पादन में वृद्धि के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं—उन्नत कृषि पद्धतियां, उपजकर्त्ताओं को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता, उच्च पैदावार वाली रोपण सामग्री का उत्पादन तथा वितरण परामर्शी तथा प्रशिक्षण सेवा प्रदान करना और अधिक उत्पादन तथा बेहतर प्रसंस्करण के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यान्वयन काफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपायों मे ये शामिल है—गहन खेती की पद्धतियां अपनाना, पुराने तथा मृतप्राय काफी पौधों के स्थान पर नई तथा अधिक पैदावार वाली किस्मों की काफी का पुनर्रोपण, कारगर जल व्यवस्था और बेरी बेरा बीमारियों सहित कीटों का जैविकीय नियंत्रण।

चाय तथा काफी का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों मे शामिल हैं—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेकर संवर्धनात्मक अभियान, प्रचार-माध्यम अभियान, बाजार सर्वेक्षण करना और विदेशी बाजारों में व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भेजना आदि।

इंडियन एयरलाइन्स की टिकट बेचने वाली एजेन्सियां

3506. **श्री अनादि चरण दास :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन एयरलाइन्स के टिकट बेचने वाली एजेन्सियों के आवंटन मे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आरक्षण की नीति का पालन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा आवंटित की गई टिकट बेचने वाली एजेन्सियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क). जी, हां।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं किया जाता है, टिकट बेचने वाली एजेंसियों के आवंटन की सूचना जाति/समुदाय के आधार पर नहीं रखी जाती है।

निर्यातकों को लाइसेंस हेतु लंबित आवेदन

3507. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी नये निर्यातकों को उनके द्वारा आवेदन देने के पांच दिनों के अन्दर लाइसेंस जारी करने की कोई योजना बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक कितने आवेदन लंबित है; और

(ग) इन आवेदनों को स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग). क्रिया विधि पुस्तिका खण्ड-I के पैरा 258 के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण और निर्धारित दस्तावेजों से युक्त लाइसेंस के आवेदन पत्रों का लाइसेंस अधिकारियों द्वारा शीघ्र निपटान कराने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। पांच दिन की समय सीमा केवल शुल्क मुक्त अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में निर्धारित है जंहा निवेश उत्पादन मानदण्ड अधिसूचित हैं और आवेदन पत्रों को क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिग समिति/अग्रिम लाइसेंसिग समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि निर्धारित समय सीमा के अन्दर ऐसे लाइसेंस जारी करना सुनिश्चित करने के लिए जाते है लेकिन कुछ मामलों में निर्धारित समय सीमा बढ़ायी गयी है। ऐसे मामलों की बारीकी से जांच की जाती है और उनका शीघ्रातिशीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाते है।

केरल ट्रेड यूनियन रिकग्निशन बिल, 1995

3508. **श्री के० मुरलीधरन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में "केरल ट्रेड यूनियन रिकग्निशन बिल, 1995" स्वीकृति के लिए लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से कतिपय मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

परियोजनाओं को काउन्टर गारंटी

3509. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री श्रीकान्त जैना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी भागीदारी से शीघ्र निष्पादित की जाने वाली परियोजना के लिये काउटर गारंटी की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी भागीदारी से चलने वाली किन परियोजनाओं को काउंटर गारंटी दी जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारत सरकार ने आठ शीघ्र निष्पादित की जाने वाली प्राइवेट क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के संबंध में प्राइवेट विद्युत उत्पादन करने वाली और सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा गारंटी शुदा कम्पनियों के प्रति राज्य बिजली बोर्डो की भुगतान संबंधी देयताओं के बारे में काउन्टर गारंटी प्रदान करने के लिए "सिद्धान्त रूप से" निर्णय लिया है। इनमें से छः प्राइवेट विद्युत परियोजनाओं के संबंध में भारत सरकार की काउन्टर गारन्टियां अभी जारी की जानी हैं। संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है।

विवरण

भारत सरकार की काउंटर गारन्टी के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमोदित शीघ्र निष्पादित होने वाली प्राइवेट क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं और उन परियोजनाओं में निर्दिष्ट करने वाला जिनके लिए ऐसी काउंटर गारन्टियां अभी जारी की जानी हैं, के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(क) और (ख) : उन शीघ्र निष्पादित होने वाली प्राइवेट क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे, जिनके लिए "सिद्धान्त रूप में" भारत सरकार की काउन्टर गारन्टी, अनुमोदित हुई हैं, निम्नप्रकार से हैं :-

1. डाभोल कम्बाइन्ड साइकल गैस टर्बाइन, फेज-I(695 मे.वा.) महाराष्ट्र
2. इब वैली थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 3 और 4 (2x210 मे.वा.) उड़ीसा
3. जगरूपाडु गैस बैसुड पावर प्लांट (216 मे. वा.), आन्ध्र प्रदेश
4. गोदावरी गैस बैसुड पावर प्लांट (208 मे. वा.), आन्ध्र प्रदेश
5. विशाखापट्टनम थर्मल पावर स्टेशन (1000 मे. वा.), आन्ध्र प्रदेश
6. जीरो यूनिट (250 मे. वा.), नेवेली, तमिलनाडु
7. मैंगलौर थर्मल पावर स्टेशन (1000 मे. वा.), कर्नाटक
8. भद्रावती थर्मल पावर स्टेशन (1072 मे. वा.), महाराष्ट्र

(ग) निम्नलिखित परियोजनाओं के संबंध में भारत सरकार की काउन्टर गारंटी अभी जारी की जानी है :-

1. जगरूपाडु गैस बैसड पावर प्लांट (216 मे. वा.), आन्ध्र प्रदेश
2. गोदावरी गैस बैसड पावर प्लांट (208 मे. वा.), आन्ध्र प्रदेश
3. विशाखापट्टनम थर्मल पावर स्टेशन (1000 मे. वा.), आन्ध्र प्रदेश
4. जीरो यूनिट (250 मे. वा.), नेवेली, तमिलनाडु
5. मैंगलौर थर्मल पावर स्टेशन (1000 मे. वा.), कर्नाटक
6. भद्रावती थर्मल पावर स्टेशन (1072 मे. वा.), महाराष्ट्र

इन दो परियोजनाओं अर्थात डाभोल कम्बाइन्ड साइकल गैस टर्बाइन, फेज-I (695 मे. वा.) महाराष्ट्र और इब वैली थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 3 और 4 (2x210 मे. वा.) उड़ीसा के संबंध में भारत सरकार के काउन्टर गारन्टी करार क्रमशः 15-9-1994 और 16-1-1995 को पहले ही निष्पन्न हो चुके हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यनिष्पादन

3510. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यनिष्पादन कितना था और गत वर्षों के दौरान इसके तुलनात्मक कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यनिष्पादन तथा इनकी लाभ देयता में वृद्धि करने हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अशोध्य ऋणों में गत पांच वर्षों के दौरान अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार, बैंकवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है और उनके लाभ एवं हानि के बारे में अलग-अलग ब्यौरा क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंको के कार्यनिष्पादन में पिछले वर्ष कि तुलना में सुधार दिखाई दिया। जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों को 31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिए समग्र रूप से 269.33 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ, वहीं 31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष के लिए उन्हें 4705.01 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई थी। निवल हानि उठाने वाले बैंको की 1993-94 में 12 से कम होकर 1994-95 में 8 रह गई।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीयकृत बैंकों को परामर्श दिया है कि वे पूनर्पूंजीकरण निधियों के आबंटन के समय अपने कार्यकरण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात आंतरिक लेखा संबंधी कार्य और आंतरिक नियंत्रण में सुधार करने, अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली, लाभप्रदता, उत्पादकता, सतर्कता तंत्र का मजबूत बनाने आदि के संबंध में कार्य योजना तैयार करें। व्ययों को कम करने और हानि उठाने वाली तथा अनर्थक्षम शाखाओं को बंद करने पर जोर दिया गया है।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके आधारभूत आंकड़ों से लाभ/हानि, अशोध्य ऋणों आदि के राज्य-वार आंकड़े प्राप्त नहीं होते। अलबत्ता, वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे-खाते डाले गए अशोध्य ऋणों और इन वर्षों के दौरान उनके लाभ और हानि का बैंक-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई राशि

(लाख रु० में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
1.	इलाहाबाद बैंक	93.67	127.28	3584.00

(लाख रु० में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
2.	आन्ध्रा बैंक	1015.30	8282.97	13163.33
3.	बैंक आफ बड़ौदा	14927.34	12027.43	48997.52
4.	बैंक आफ इंडिया	18882.12	17374.26	32846.78
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	147.42	102.01	142.01
6.	केनरा बैंक	5595.67	39548.26	15230.27
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3627.56	197.70	10557.27
8.	कारपोरेशन बैंक	2887.55	3273.36	6207.53
9.	देना बैंक	2677.79	8701.01	12371.73
10.	इंडियन बैंक	447.30	76.16	600.70
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	89.88	419.25	461.09
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	176.00	166.00	260.18
13.	पंजाब नेशनल बैंक	5144.75	19412.34	36550.00
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	673.43	11282.40	15139.45
15.	सिंडिकेट बैंक	141.06	118.55	857.70
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	3531.30	4412.62	8236.90
17.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	205.00	156.00	1182.00
18.	यूको बैंक	5593.56	27346.67	36866.35
19.	विजया बैंक	213.70	304.23	451.26
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	19.76	113.21	*

* पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय

नोट : आंकड़े में वास्तविक और तकनीकी बट्टे खाते को शामिल किया गया।

विवरण-II

राष्ट्रीयकृत बैंक के लाभ/हानि

(करोड़ रु० में)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
1.	इलाहाबाद बैंक	28.11	−105.89	−367.72
2.	आन्ध्रा बैंक	8.42	−141.08	−162.25
3.	बैंक आफ बड़ौदा	95.10	8.23	66.15
4.	बैंक आफ इंडिया	56.63	−331.12	−1089.15
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	4.04	−196.51	−296.93
6.	केनरा बैंक	156.59	26.07	120.35
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	30.49	−383.31	−711.93
8.	कारपोरेशन बैंक	5.20	4.12	27.04
9.	देना बैंक	9.10	−90.46	−69.84
10.	इंडियन बैंक	36.50	6.51	−390.65
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	9.05	−752.74	−351.18
12.	न्यू बैंक आफ इंडिया	−41.52	−75.79	*
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	26.78	20.50	32.11
14.	पंजाब नैशनल बैंक	112.44	38.01	74.52
15.	पंजाब एंड सिंघ बैंक	0.68	−195.19	−175.99
16.	सिंडिकेट बैंक	4.46	−670.08	−299.40
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	29.45	11.26	50.27
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	6.68	−279.36	−618.06
19.	यूको बैंक	−20.99	−444.19	−546.15
20.	विजया बैंक	1.84	−07.88	4.1

* पंजाव नेशनल बैंक के साथ विलय

– हानि दर्शाता है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंको में जमाराशि

3511. डॉ० लालीजी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंको में गत छः माह के दौरान जमाराशि में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा बैंक-जमाराशि में आ रही कमी को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक में जुलाई, 1994 से मई, 1995 तक जमाराशि का माहवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुजरात में असंगठित श्रमिकों की कार्य-दशा

3512. **श्री छीतु भाई गामीत :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गुजरात राज्य में असंगठित ग्रामीण श्रमिकों की कार्य-दशाओं और रहन-सहन की स्थितियों में सुधार के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). सरकार ने असंगठित ग्रामीण श्रमिकों, जिनमें गुजरात राज्य के श्रमिक भी शामिल हैं, की कामकाजी और रहन-सहन की परिस्थितियों को बेहतर बनाये जाने के लिए अनेक योजनाएं प्रारम्भ की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं नीचे दिए गए अनुसार हैं :-

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०)

इस योजना के अंतर्गत, आय सृजन करने वाली परिसम्पत्तियां प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है जिसके अतर्गत अ. जा./अ.ज.जा. और महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान सहित छोटे कृषकों, सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण दस्तकारों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएं और भिन्न दरों पर आवधिक श्रण प्रदान किये जाते हैं। 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (फरवरी, 95 तक) के दौरान गुजरात राज्य में इस योजना के अंर्तगत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या क्रमशः 61,842, 79,725 और 61,444 हैं।

(2) जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०)

इस योजना का उद्देश्य अतिरिक्त अर्थपूर्ण रोजगार का सृजन करना और उत्पादनशील सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। गुजरात राज्य में वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन क्रमशः 235.03, 210.55 और 195.68 लाख श्रम दिवस है। यह योजना देश के उन 120 पिछड़े जिलों में और तेज कर दी गई है जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार का संकेन्द्रण है। गहन जवाहर रोजगार योजना के अतंर्गत गुजरात में 62.80 लाख श्रम दिवसों का सृजन किया गया।

(3) स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवा प्रशिक्षण (ट्राइसेम)

इस योजना का उद्देश्य स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के कौशल का उन्नयन है।

(4) रोजगार आश्वासन योजना (ई० ए० एस०)

2 अक्तुबर, 1993 को "रोजगार आश्वासन योजना" नामक एक नई योजना देश भर के 1752 पिछडे ब्लाकों में चालू की गई और इसका उद्देश्य गैर-कृषीय मौसम में अकुशल दस्ती कार्य का 100 दिन का आश्वस्त मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। यह योजना मुख्यतः कृषि कर्मकारों को लाभ प्रदान करेगी इस योजना के अंतर्गत 1994-95 के दौरान वास्तविक उपलब्धि 20.25 लाख श्रम दिवस रही।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास नामक योजना भी है जिसे सामूहिक पहुंच का प्रयोग करके गरीबी से नीचे वाले परिवारों से संबंधित ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु उनके कौशलों और अभिरूचि के अनुरूप बढ़ाने वाले कार्यकलाप शुरू करने के लिए 1982-83 में संचालित किया गया था। इस योजना को ट्राइसेम और आई आर डी पी के सहयोग से संचालित किया जाता है।

(5) भूमिहीन कृषि कर्मकारों के लिए सामूहिक बीमा योजना

1.4.87 से, राज्य सरकारों ने 18-60 वर्ष के आयु वर्ग के बीच वाले लगभग 28 लाख कृषि कर्मकारों को शामिल करके भूमिहीन कृषि कर्मकारों के लिए एक सामूहिक बीमा योजना संचालित की है। इस योजना के अंतर्गत स्वाभाविक और दुर्घटना में मृत्यु हो जाने तथा पूर्ण एवं आंशिक विकलांगता के लिए मुआवजा दिया जाता है। पूरे प्रीमियम को राज्य सरकार और जीवन बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है। ऐसी सूचना है कि वार्षिक रूप से 2 करोड़ की धनराशि वाले लगभग 17,000 दावों को निपटाया जाता है।

(6) **इन्दिरा आवास योजना :** यह योजना मई, 1985 में प्रारम्भ की गयी थी और इसका उद्देश्य निर्धनतम व्यक्तियों के लिए निःशुल्क मकानों का निर्माण किया जाना है जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिको को प्राथमिकता दी जानी है। इस कार्यक्रम के लिए जवाहर रोजगार योजना के अंर्तगत राष्ट्रीय स्तर पर 10% संसाधन निर्धारित किये जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत गुजरात हेतु लक्ष्य 28,501 मकान बनाने का है जिसमें से अप्रैल, 1995 तक 414 मकानों का निर्माण किया जा चुका था और अन्य 3522 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर था।

पंजाबी बाग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

3513. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाबी बाग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, पंजाबी बाग अपने सदस्यों तथा अन्य स्रोतों से प्रतिवर्ष लाखों रुपये एकत्रित करती है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने गत तीन वर्षो के दौरान, वर्ष-वार कितना आयकर दिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस समिति द्वारा विभिन्न समारोहों तथा अन्य गतिविधियों पर विपुल धनराशि खर्च किए जाने के मामले की भी जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस सहकारी समिति द्वारा आयकर न देने, धनराशि के कुप्रबंधन तथा समारोहों में अत्यधिक धनराशि खर्च करने के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार आयकर के भुगतान को विनियमित करने तथा समिति द्वारा अत्यधिक धनराशि खर्च करने पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठा रही हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

हवाई जहाजों की देख रेख सम्बन्धी सुविधाएं

3514. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की विमान कम्पनियों के पास विमानों की देख-रेख संबंधी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विमान सेवा द्वारा इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजनाओं, सभी स्टेशनों, वित्तीय परिव्यय और दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इनके फलस्वरूप कम अवधि और लम्बी अवधि में मिलने वाले लाभ क्या हैं; और

(ग) गत दो वर्षों से प्रत्येक एयर टैक्सी आपरेटर इस आवश्यकता को किस प्रकार पूरी कर रहा था?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क). एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस लि० के पास उनके द्वारा प्रचालित विमानों के प्रकार के लिए पूरी अनुरक्षण सुविधाएं हैं।

निजी क्षेत्र के अनुसूचित एयरलाइन प्रचालकों ने नेमी और प्रमुख अनुरक्षण के लिए अनुरक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं। कुछ एयरलाइंने भारत और विदेश में उच्च किस्म की जांचो के लिए अनुमोदित अन्य एजेंसियों की सुविधाओं का उपयोग करती है।

(ख) ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस बी 737-200 विमानों पर लगाए जाने वाले संघटकों की ओवरहालिंग के लिए मद्रास में ओवरहाल सुविधाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में है। तथापि नागर विमानन महानिदेशालय को उनके अनुमोदनार्थ कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उपर्युक्त के अलावा इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया सहित किसी अन्य अनुसूचित प्रचालक ने विमानों के अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने का प्रस्ताव नहीं किया है। ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स के वित्तीय परिव्यय की सूचना नहीं है।

(ग) सभी अनुसूचित एयरलाइन्स प्रचालकों से उनके अपने ही बेसों पर फलाइट रीलिज निरीक्षण तक न्यूनतम अनुरक्षण सुविधाओं को स्थापित करने की अपेक्षा की गई थी जिसका पालन किया गया था। उच्चतर जांचो के लिए ये प्रचालक नागर विमानन महानिदेशालय के अनुमोदन से भारत अथवा विदेश स्थित एजेंसियों की सुविधाओं का उपयोग करते थे। तथापि हाल में अधिकतर प्रचालकों ने देश के भीतर उच्चतर निरीक्षणों के लिए कतिपय सुविधाएं स्थापित की हैं।

देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रमिकों के कल्याणार्थ योजनाएं

3515. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** :
श्री छेदी पासवान :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र और अन्य संगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रमिकों के कल्याणार्थ शुरू किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों को उपलब्ध सांविधिक लाभों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, विस्थापन और यात्रा भत्ता तथा विहित निःशुल्क चिकित्सा लाभ, प्रतिरक्षक कपड़े और समुचित रिहायशी आवास शामिल हैं। तथापि, कर्मकारों के लिए कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय और प्रवासी श्रमिक के मध्य कोई भेद नहीं किया जाता है।

अवैध आयात

3516. **श्री मोहन रावले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर में कार्यरत सीमा शुल्क अधिकारियों ने गत वर्ष अत्यंत कम आंकी गई कीमतों को ठीक मानकर डीजल इंजनों और पोस्त दाना सहित मसालों के भारी मात्रा में आयात की अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितने राजस्व का घाटा हुआ; और

(घ) इस जालसाजी में शामिल सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि बंगलौर सीमा शुल्क गृह में उन कुछेक वस्तुओं की नीकासी में कुछेक अनियमितताएं बरती गई हैं जिनके आयात पर प्रतिबंध है अथवा जिनके आयात के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के तहत लाइसेंस अपेक्षित है। सरकार कानून के तहत उपयुक्त कार्यवाही के लिए इन मामलों की समीक्षा कर रही है।

(ख) पुराने डीजल इंजनों की 22 खेपों, कैसिल की एक खेप, पोस्त बीजों की 9 खेपों और आरेंज ऑयल की 6 खेपों की सरकार को जानकारी है।

(ग) बंगलौर में लाइसेंस के बिना आयातों के मामले में अनियमितताओं का पता लगाया गया है और शुल्क, विमोचन जुर्माने और अर्थदण्ड की वसूली कर ली गई है।

(घ) लगाए गए जुर्माने और अर्थ दण्ड की पर्याप्तता का निर्धारण करने और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी, यदि कोई हो, निश्चित करने के लिए जांच कार्य जारी है।

[हिन्दी]

आरक्षित पद

3517. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंको, भारतीय जीवन बीमा निगम, सीमा शुल्क और आय कर विभाग में अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के लिये आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंको और वित्तीय संस्थाओं संबंधी आंकड़े निम्नलिखित हैं :-

(आंकड़े अनन्तिम)

संदर्भ	1.4.1995 की बकाया		30.11.1995 तक विशेष भर्ती अभियान 1995 के द्वारा पूरा करने के लिए पहचान किए गए	
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
अधिकारी	168	132	100	86
लिपिक	754	710	274	250
सब स्टाफ	331	778	50	298

प्रश्न में पूछे गए अनुसार अधिकारियों संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों मे भारतीय बैंक

3518. डॉ० परशुराम गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में देश वार कितने भारतीय बैंक कार्यरत हैं;

(ख) क्या विदेशों में इन बैंकों का पूंजी आधार अभी तक कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इसमें ऋण वृद्धि करने हेतु क्या उपाए किए जा रहे है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए अनुसार, विदेश में कार्यरत भारतीय बैंकों की देश वार संख्या नीचे दी गई है :-

देश का नाम	भारतीय बैंको की सं.	देश का नाम	भारतीय बैंको की सं.
यू.के.	6	बहामास	2
यू.एस.ए.	3	बेल्जियम	2
जापान	2	साउथ कोरिया	1
हांगकांग	4	चैनल द्वीपसमूह	1
फ्रांस	2	बांग्लादेश	1
जर्मनी	1	थाईलैण्ड	1
सिंगापुर	5	पनामा	1
फिजी द्वीपसमूह	1	मालद्वीप्स	1
मारीशश	1	केन्या	1
श्रीलंका	3	सिमान द्वीपसमूह	1
ओमान	1	(वेस्ट इंडीज)	
यू.ए.ई.	1	गुयाना	1
बहरीन	1	सिचेलूस	1

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विदेशी केन्द्रों पर भारतीय बैंको का पूंजी आधार मेजबान देश के विनियामक प्राधिकरणों की न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के आधार पर बनाए रखना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि जब कभी बैंको को पूंजी विदेश भेजना होता है, तो न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं के आधार पर उसे इसकी अनुमति दी जाती है। तथापि, बैंक विदेश में अपने पूंजी आधार को स्वतंत्र रूप से मजबूत कर पाने में समर्थ नही होंगे क्योंकि रुपया लेखा में परिवर्तनीय नहीं है। प्रधान कार्यालय स्तर पर बैंकों का पूंजी आधार सार्वभौमिक तुलन पत्र पर आधारित अपेक्षित स्तर पर बनाए रखना होता है।

(घ) विदेश में बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बैंको को विदेशी केन्द्रों पर अर्जित अपने लाभों को अपने पास रखने की अनुमति दी जाती है, जब कभी बैंको से ऐसे अनुरोध प्राप्त होते है।

[अनुवाद]

बैंकों में आपराधिक क्रियाकलापों पर रोक लगाना

3519. श्री बालराज पासी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह मांग की है कि संगठित अपराध गिरोहों के क्रियाकलापों को रोकने की दृष्टि से सभी भारी रकमों के लेन देन और संदिग्ध खातों संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य बैंक प्रबंधकों के दायित्वों के अंतर्गत रखा जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रूई का निर्यात

3520. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रूई के निर्यात की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1994-95 के दौरान रूई के नए तथा पुराने स्टाक के निर्यात हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं; और

(घ) घरेलू तथा विदेशी बाजारों में रूई का उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). वर्ष 1992-97 की एक्जिम नीति के अंतर्गत जारी दिनांक 31.3.93 की सर्वजनिक सूचना सं. 15 ईटीसी (पी एन)/92-97 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन अपरिष्कृत कपास स्वतंत्र रूप से निर्यात करने योग्य है। ऐसी वस्त्र उद्योग, हथकरघा और विद्युतकरघा के बुनकरों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में भारतीय बाजार में प्रचलित कीमतों तथा उपलब्धता, मांग और पूर्ति के अध्यधीन है।

(ग) निर्यातक जब कभी भी अनुमति दी जाती है निर्यात के लिए बाजार में कपास की नई आवकों अथवा पुराने स्टाक में से कपास की अधिप्राप्ति के लिए स्वतंत्र है।

(घ) प्रत्येक वर्ष सरकार घरेलू कपास उपजकर्ता के लिए उत्पादन की लागत तथा विभिन्न अन्य कारकों के आधार पर विभिन्न किस्मों की कपास के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की घोषणा करती है। भारत सरकार का विदेशी बाजार में कपास की कीमत पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है।

[हिन्दी]

भारत नेपाल सीमा पर तस्करी

3521. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए भारत और नेपाल के बीच निर्बाध युक्त व्यापार के संबंध में कोई सर्वेक्षण, जांच अथवा अध्ययन कराया गया है अथवा कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारत-नेपाल सीमा पर भारत और नेपाल के बीच व्यापार, भारत सरकार और महामहिम नेपाल सरकार के बीच हुई व्यापार तथा पारगमन सन्धि की शर्तों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट भू-सीमा शुल्क केन्द्रों के जरिये किया जाता है। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी की प्रवृत्तियों और इन्हें रोकने के लिए अपेक्षित उपायों का समय-समय पर मूल्याकंन किया जाता है ताकि तस्करी को रोकना तथा इसका पता लगाना सुनिश्चित हो सके।

[अनुवाद]

''कृषि व्यापार संघ'' की स्थापना

3522. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विकास को बढ़ावा देने और अधिक निर्यातों द्वारा विशेष रूप से छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ''कृषि व्यापार संघ'' की स्थापना संबंधी घोषण कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है और क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा 3 मार्च, 1995 की तिथि के अनुसार किसानों की सहायतार्थ कितनी धनराशि वित्तरित की गई है,?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). जी, हां।

(ख) ''लघु कृषक कृषि व्यापार परिसंघ'' (एस एफ ए सी) के लक्ष्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। दिनांक 31 मार्च, 1995 तक एस० एफ० ए० सी० के अधीन कोई स्कीम स्वीकृत नहीं की गई थी।

विवरण

''लघु कृषक कृषि व्यापार परिसंघ'' के लक्ष्य और उद्देश्य

(1) पारिस्थितिकीय अनवरता : आर्थिक दक्षता और सामाजिक समानता को सिद्धान्त पर आधारित देश के विभिन्न भागों में कृषि औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करना;

(2) प्रारम्भिक और संसाधित दोनों रूपों में कृषि उत्पाद के निर्यात और खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए रोजगार सृजन, कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के विकास और विविधीकरण के कार्यक्रम हाथ में लेना अथवा उन्हें हाथ में लेने के लिए सहायता करना;

(3) गैर-सरकारी संगठनों और किसानों के संघों को शामिल करते हुए प्रशिक्षण और विस्तार के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण आयोजित करना;

(4) विशिष्ट और संगत अनुसंधान परियोजनाएं और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रायोजित करना;

(5) सरकारी, निजी और सहकारी क्षेत्र के माध्यम से निविष्टियां, सामग्री आपूर्ति और उत्पादन सेवाएं आयोजित करना;

(6) सरकारी, निजी और सहकारी क्षेत्रों मे फसल-पश्च संसाधन/विनिर्माण इकाइयों का पता लगाना और उनका संवर्धन करना;

(7) देशी तथा निर्यात विपणन दोनों के लिए विपणन श्रृंखला के संगठन का संवर्धन करना;

(8) विकास प्रक्रिया के रूप में स्थापित की जा रही विभिन्न इकाइयों के कार्य का प्रबन्ध करने के लिए कुशल प्रबन्धकों का एक संवर्ग तैयार करना;

(9) वर्षापोषित, सूखा-प्रवण पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाना;

(10) मध्यम स्तर की भूमि के दक्षपूर्ण प्रयोग को प्रोत्साहित करना और कृषि तथा फार्म वानिकी के माध्यम से व्यापक स्तर पर जीव उत्पादन में वृद्धि करना;

(11) कृषि क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण/विकास प्रक्रिया के साधन के रूप में कृषि समुदाय की स्थानीय संस्थाओं को पुनरूज्जीवित और सुदृढ करना;

(12) सिचांई क्षमता का उपयोग बढ़ाने, जल संरक्षण और उसके दक्ष प्रबन्ध के लिए उपायों का संबर्धन करना;

(13) परिसंघ के उद्देश्यों की उपलब्धि से संबंधित क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए उपयुक्त समूहों में प्राथमिक उत्पादकों को संगठित/उत्प्रेरित करना;

(14) व्यापार की शर्तों को उन्हें कृषि के लिए अनुकूल बनाने हेतु सुधारने के लिए सरकारी नीतियों पर प्रभाव डालना और इस प्रकार कृषि क्षेत्र में संसाधनों के प्रवाह को बढ़ाना तथा पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करना;

(15) अग्र और पश्च संयोजनों सहित एकीकृत उत्पादक संगठनों की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करना;

(16) पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य के कार्यक्रमों की सहायता करना और उनका संवर्धन करना; और

(17) सोसायटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए लेख, आवधिक पत्रिकाएं, विनिबंध और पुस्तकें तैयार करना, मुद्रित करना और प्रकाशित करना।

उपयोग में न लाई गई विश्व बैंक की सहायता

3523. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में विश्व बैंक सहित विदेशी वित्तीय संस्थानों से प्राप्त वित्तीय सहायता के बड़े भाग का उपयोग नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विदेशी वित्तीय संस्थान द्वारा परियोजनाओं के विकास के लिए वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में स्वीकृत राशि का ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान स्वीकृत धनराशि में से कितने प्रतिशत का उपयोग किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न वित्तीय संस्थानों को अप्रयुक्त धनराशि के लिए वचनबद्धता शुल्क के रूप में भुगतान की गई धनराशि का वर्षवार और संस्थावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने बाह्य ऋण के उपयोग में सुधार और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को कार्यान्वित की दिशा में क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क). परियोजनाबद्ध विदेशी सहायता उपयोग के आधार पर प्रतिभूति के रूप में प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्राप्त की गयी राशि अप्रयुक्त नहीं बची है।

(ख) वर्ष 1992-93 से वर्ष 1994-95 के दौरान विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकारी खाते में, नए ऋण करारों के अनुसार स्वीकृत कुल राशि और उपर्युक्त स्वीकृत राशि में से उपयोग की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है। यह स्वीकृत राशि विभिन्न परियोजनाओं, जिन्हें 3-7 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, की परियोजना समयावधि से संबंधित है। संवितरण पिछले कई वर्षों से विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित हैं।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं सहित कुल अप्रयुक्त राशि के लिए विदेशी वित्तीय संस्थाओं को अदा किये गये कुल वचनबद्ध प्रभार वर्षवार और संस्थावार नीचे दिये गये हैं:-

(करोड़ रुपए)

	1992-93	1993-94	1994-95
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	40.18	34.79	24.25
एशियाई विकास बैंक	21.68	29.04	31.80

(घ) सरकार द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निवेश को सुनिश्चित करना, एसीए का 100 प्रतिशत वृद्धि के रूप में संवितरण राज्यों को एसीए का अग्रिम संवितरण, वांछित दस्तावेजों का मानकीकरण एवं प्रबन्ध प्रक्रियाओं को कारगर बनाना, केन्द्रीय सरकार से संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए विदेशी सहायता के प्रवाह में मध्यस्थों को हटाना, निवेश सूची को युक्तिसंगत बनाना और आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबन्ध एकक की स्थापना करना, सहायता के उपयोग में सुधार करने के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं।

विवरण-I

1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान विदेशी वित्तीय संस्थानों के संबंध में ऋण करारों द्वारा स्वीकृत राशि और उपयोग में लाई गई स्वीकृत राशि के प्रतिशत संवितरण।

संस्था	ऋण की राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि के दौरान उपयोग में लाई गई स्वीकृत राशि की प्रतिशतता
1. औद्योगिक विकास संघ		
1992-93	3353.04	52.56 प्रतिशत
1993-94	2213.73	8.64 प्रतिशत
1994-95	3668.70	5.36 प्रतिशत
2. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक		
1992-93	1538.98	8.77 प्रतिशत
1993-94	937.63	100.00 प्रतिशत (पूर्णतः संवितरित)
1994-95	1095.08	19.53 प्रतिशत
3. आई० एफ० ए० डी०		
1993-94	93.26	6.88 प्रतिशत
1994-95	86.83	6.49 प्रतिशत
4. एशियाई विकास बैंक		
1992-93	3243.18	31.85 प्रतिशत
1993-94	459.44	शून्य
1994-95	766.55	शून्य

इंडियन एयरलाइन्स का सहारा इंडिया एयरलाइन के साथ समझौता

3524. श्री अमर पाल सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारा इंडिया एयरलाइन्स और इंडियन एयरलाइन्स के बीच अन्तर्लाइन समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौता के कार्यकारी परिणामों संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क). जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

कर्मचारी भविष्य निधि के बकायादार

3525. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के कार्यालयों में कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान न करने के मामलों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है तथा दावों का निपटारा बहुत धीमी गति से किया जाता रहा है जिसके कारण कर्मचारियों को हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय आयुक्तों के कार्यालयों में गत तीन वर्षों के दौरान विलम्ब तथा भुगतान के न करने के मामलों की वर्ष-वार तथा क्षेत्र-वार संख्या कितनी है तथा उनके दावों के निपटारे में विलम्ब के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने चूक करने वाले कर्मचारियों तथा भुगतान में विलम्ब का शीघ्र पता लगाने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने का निर्णय भी लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार चूककर्त्ताओं द्वारा विलंबित भुगतान पर ब्याज की दर में वृद्धि करने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान क. भ. नि. चूक की घटना में मामूली वृद्धि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा देश के भिन्न-भिन्न भागों में स्थापित किए गए विभिन्न उप क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भविष्य निधि धनराशि संबंधी, कर्मचारियों के दावों का निपटान किया गया है। कर्मचारियों को भविष्य निधि देयों की अदायगी में विलम्ब के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। अंशदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए दावा-प्रपत्रों में चूक के कारण दावों के निपटान में कभी-कभी विलम्ब हो जाता है। विलम्ब संबंधी ऐसे मामलों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, क.भ.नि. अंशदाताओं को तुरंत सेवा मुहैया करवाए जाने के लिए क.भ.नि. संगठन में एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। दावों के निपटान और क.भ.नि. बकाया राशियों की उगाही के प्रबोधन के लिए एक केन्द्रीय कार्य-योजना भी प्रारूपित की गयी है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कर्मचारी भविष्य निधि चूक

(राशि) (लाख रुपए में)

क्षेत्र	1992-93 चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या	राशि	1993-94 चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या	राशि	1994-95 चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या	राशि
आन्ध्र प्रदेश	793	988.29	971	1618.22	647	1132.22
बिहार	1120	747.07	1139	1116.30	1304	844.03
दिल्ली	275	382.78	456	364.30	536	254.65
गुजरात	585	436.56	282	620.08	274	1036.12
हरियाणा	327	710.54	360	838.84	464	1389.07
कर्नाटक	330	370.50	409	508.80	412	688.99
केरल	145	356.83	503	350.35	388	411.28
मध्य प्रदेश	662	1893.32	993	1989.56	673	2476.00
महाराष्ट्र	887	2396.13	876	3137.41	768	3089.11
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	277	172.20	145	232.15	144	294.13
उड़ीसा	468	472.56	387	425.39	343	601.80
पंजाब	1081	687.71	1329	1595.54	1389	1909.84
राजस्थान	420	266.35	490	331.22	546	429.07
तमिलनाडु	1296	834.71	1316	923.92	1525	999.37
उत्तर प्रदेश	1011	1920.67	1230	3511.26	1352	3943.25
पश्चिम बंगाल	1223	14103.28	1232	18536.47	1216	17641.50 अनन्तिम

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इन मामलों को एक-एक करके लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इन्हें एक-एक करके लेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा।

12.01 म०प०

श्री राजीव गांधी की हत्या के पीछे साज़िश का पता लगाने में कथित विलम्ब

श्री अजुर्न सिंह (सतना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मुझे यह मामला आपके ध्यान में लाने का अवसर मिला है, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह न तो उग्र होने का अवसर है और न ही विवाद करने का। यह हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को दण्डित करने में हुए विलम्ब पर श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा प्रकट की गई चिन्ता और नाराजगी पर इस प्रभुत्व संपन्न संसद द्वारा गरिमापूर्ण और संवेदनापूर्ण अनुक्रिया व्यक्त करने का समय हैं।

महोदय, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा जिससे इस विषय पर कोई विवादपूर्ण चर्चा हो क्योंकि यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल यह है, जैसा कि मैंने कहा था और जैसा मैं महसूस करता हूँ, कि सभा इस बात से सहमत होगी कि हमें बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से इस अवसर पर सर्वसम्मत प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि इस पर चारों ओर अच्छी प्रतिक्रिया होगी।

मैंने एक प्रतिपादन तैयार किया है जिससे मैं समझता हूँ कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ता हूँ:

> "यह सभा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा अपने पति स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या के पीछे षडयंत्र का पर्दाफाश करने में हुए विलम्ब पर प्रकट की गई चिन्ता और नाराजगी को बहुत सहानुभूतिपूर्वक नोट करती हैं। यह सभा निर्देश देती है कि भारत सरकार को इस मामले में शीघ्रता और स्पष्टता से काम करना चाहिए ताकि दोषियों को तत्काल दण्डित किया जा सके।"

महोदय, मैं आप से और सभा से प्रार्थना करता हूँ कि उचित और मर्यादा पूर्ण बात यही होगी कि सभा इस अवसर पर इसे एक अनुक्रिया के रूप में स्वीकार करे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : बेशक हम सभी चिन्तित हैं कि दोषी लोगों से समुचित ढंग से तत्काल निपटा जाना चाहिए। हमारे देश के साथ एक त्रासदी हुई कि हमने अपने युवा नेता और भूतपूर्व प्रधान मंत्री को खो दिया। हमें इस बात की चिन्ता है कि ऐसे आयोग जांच कार्य में बहुत लम्बा समय लेते है और हम सरकार से यह पूछने में श्री अर्जुन सिंह जी की बात से सहमत हैं कि आयोग के माध्यम से जांच पूरी करने के लिए हर संभव कदम उठाये जाने चाहिए अन्यथा यह अधिक समय तक नहीं चल सकता हैं और लोगो के मन में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि इस मामले में कुछ टालमटोल की जा रही है।

अतः सरकार को इस काम में तेजी लानी चाहिए और लोगों को विश्वास में लेना चाहिए कि सभी संभावित कदम उठाए जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार को भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए और हमें बताना चाहिए कि इस संबंध में क्या किया गया है। आप हमें यह भी बताइए कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा।

मुश्किल यह है कि जब ऐसी महत्वपूर्ण और त्रासदीपूर्ण घटनाएं होती हैं तो सरकार कहती है कि वह इस संबंध मे सब कुछ कर रही हैं। लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है जैसा कि 1984 के दंगों के मामले में हुआ हैं।

अतः जहां तक सरकार की कार्रवाईयों का संबंध है उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। कदम उठाना और यह बताना सरकार का काम है कि जो कुछ किया जा रहा है वह उसके प्रति गंभीर हैं।

स्वाभाविक रूप से नाराजगी जाहिर की गई है और हम उस नाराजगी से सहमत हैं। जहां तक सभा का संबंध है, हम सरकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करने और बताने का अनुरोध करते हैं, कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आप यह भी बताइए कि यह जांच कितने लम्बे समय तक चलेगी और क्या यह सच्चाई की तह तक पहुंच पाएगी या नहीं क्योंकि हम चाहते हैं कि दोषी लोगों के साथ समुचित ढंग से निपटा जाए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, माननीय अर्जुन सिंह जी ने जो सवाल सदन में उठाया है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस देश के प्रधान मंत्री थे और उनकी जिस भयावह किस्म से, अमानवीय तरीके से हत्या हुई है, उसका हम सबको अफसोस है लेकिन दिवंगत प्रधानमंत्री की पत्नी ने जब उनकी हत्या के सवाल पर तकलीफ जाहिर की, उससे देश भर में ऐसा महसूस होता है कि इस सवाल पर सरकार को जितनी मुस्तैदी से काम करना चाहिये था, सरकार उसमें सफल नहीं रही है। मैं सोचता हूँ कि इस मामले में सरकार को सारे तथ्यों को सदन में रखना चाहिए। उनकी हत्या के कारणों की जांच के लिए जो कमीशन बैठाया गया है, उसमें जिस तरह से बयान हो रहे हैं, उनके आधार पर कमीशन अपनी अंतिम राय देगा लेकिन कमीशन में जो गवाहियां हुई हैं, उनमें कई लोगों के नाम सामने आये हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि अभी यह मामला कमीशन के सामने हैं। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी के बयान के बाद सरकार को इस सवाल से संबंधित सभी तथ्यों को देश के सामने साफ करना चाहिए। उनके मन में जो शंकाएं हैं, वे बहुत से लोगों के मन में हैं, जो उनके चाहने वाले है। इसलिए सवाल यह है कि सारी बातों को साफ-साफ किया जाये। सरकार इस मामले में कितनी मुस्तैद है, कितनी नहीं इस संबंध में होम मिनिस्टर साहब को तथ्यों सहित सारी बातें सदन के सामने और देश के सामने रखनी चाहियें कि कितनी ईमानदारी से इस मामले को डील किया जा रहा है। यह जरूरी है कि इस मामले पर सरकार बयान दें ताकि देश को पता चल सके क्योंकि राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, और इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का कत्ल हुआ है। इतना ही नहीं, साढ़े चार साल तक हम किसी अपराधी या कातिल को सजा नहीं दे पाये है या किसी कन्क्लूजन पर नहीं पहुंच पाये हैं, यह राष्ट्र के लिए अफसोस की बात है। इसलिए सरकार को इस मामले पर बयान देना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी सदस्य माननीय श्री अर्जुन सिंह, जो कुछ समय तक इस मंत्रिमंडल के दूसरे नम्बर के सदस्य थे, ने इस सभा की प्रस्तावित इच्छा के बारे में जो कुछ कहा वह मैंने बहुत ध्यान से सुना।

महोदय, मैं आरंभ में ही कह देना चाहता हूँ, कि हम शोक संतप्त परिवार के दुख में शरीक हैं। हमारा यह भी विश्वास है कि दोषी व्यक्तियों को शीघ्र दण्डित किया जाना चाहिए। तथापि मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ।

मैं सभा की भावनाओं और शोक संतप्त परिवार की भावनाओं का भी सम्मान करता हूँ। महोदय, इस संबंध में जो स्थिति उभर कर आ रही हैं यदि मैं ईमानदारी से इस के बारे में यह नहीं कहूं कि इसमें कांग्रेस दल के अंदरूनी राजनीतिक कलह की गंध नहीं आ रही है तो यह मेरे वंश, मेरे विश्वास के प्रति बेईमानी होगी और सभा में मेरा यह कहना भी ठीक नहीं होगा। हमें व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस दल के अंदरूनी कलह या अंशाति से कुछ लेना-देना नहीं है। इसका समाधान उन्हें करना है और यह पूरी तरह से उनका अपना मामला है कि क्या वें इसे चुनते हैं या राजधानी में पुराने एतिहासिक स्थलों के नाम बदले जाने के बेतुकेपन को चुनते हैं। इस सब में मुझे कांग्रेस पार्टी के आंतरिक कलह की झलक मिलती हैं। मैंने अपनी बात यह कहते हुए शुरू की थी कि हम शोकाकुल परिवार के दुख

में शरीक हैं। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की इस बात से भी सहमत हूं कि जब उच्च पदों पर आसीन लोगों जिन्होंने उत्कृष्टता से देश की सेवा की उन्हें कायरतापूर्ण अपराध से हमारे बीच से उठा लिया गया है, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या निःसंदेह एक कायरतापूर्ण अपराध है जिसकी केवल कड़ी निन्दा ही नहीं की जानी चाहिए बल्कि इसके लिए दोषियों को उचित दण्ड भी दिया जाना चाहिए। यह सब कहने के बाद सांसद या इस सभा का सदस्य होने के नाते मैं किन शब्दों एक दूसरे की शोकसंतप्तता की अपनी चिन्ता व्यक्त करूं।

मेरा विश्वास है कि इससे अधिक शोक हमें 1984 में हुआ था जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न भागों में नवम्बर 1984 में सिख समुदाय के 3000 नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, उस समय का शोक भी उतना ही महत्वपूर्ण था, मेरी जानकारी के अनुसार दण्डित करना तो दूर एक भी दोषी व्यक्ति पर आरोप तक भी नहीं लगाया गया हैं। मुझे उन 3000 व्यक्तियों के परिवार के दुख का भी ध्यान हैं। मैं समझता हूं कि सरकार दोषी है। यह सरकार अपना कर्तव्य पालन न करने की दोषी है। परवर्ती सरकारें पदच्युति की दोषी हैं।

यदि मैं देश पर हुए उस हमले का जिक्र न करूं तो वास्तव में बम्बई में मार्च 1993 में बम धमाके करना देश पर एक हमला था, जिसमें 360 नागरिक मारे गए थे, उन परिवारों के दुख का जिक्र नहीं करूं तो यह अपना कर्तव्यपालन करने में मेरी असमर्थता होगी। अतः मै एक बार फिर सरकार पर निष्क्रिय होने का आरोप लगाता हूँ।

अतः यदि मैं उस विख्यात महिला जो एक समय प्रथम नागरिक थी, उन्होंने अपनी नाराजगी उस स्थान पर जाहिर की जहां से उनके स्वर्गीय पति फिर से संसद सदस्य चुने गए और जिस संसद की उन्होंने उत्कृष्टता से सेवा की थी।

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या हम इसका प्रयोग वास्तव में कांग्रेस पार्टी की अन्तरिम राजनीति करने में नहीं कर रहे हैं।

कई माननीय सदस्य : कोई अन्तरिम पार्टी राजनीति नहीं है . . . . **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मुझे यह सुनकर राहत मिली है कि वे यह कहते है कि कोई अन्तरिम राजनीति नहीं हैं, उस मामले में सरकार के किसी प्राधिक्रत प्रवक्ता को खड़े होकर इन तीद मुद्दो पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक मुद्दा आपके मंत्रिमण्डल में एक समय नम्बर दो रहें व्यक्ति द्वारा इंगित किया गया है और अन्य दो मुद्दे, विपक्ष के एक सामान्य सदस्य के रूप मे मै आपके ध्यान में लाया हूँ। पहले सरकार को इसपर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। फिर हम भी पूरी गम्भीरता से उस में स्वंय को लगायेंगे क्योंकि जब तक हम यह नहीं जानते कि सरकार क्या करती हैं, तब तक मैने जो कुछ अभी कहा है उसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता. . . . **(व्यवधान)**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, दिल्ली दंगों के बारे मे कुछ कहा गया है। 1984 के दंगों के बारे मे माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसके बारे में मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कल सुबह मैं सभा पटल पर इस संबंध में पूरी रिर्पोट रख दूंगा कि हमने दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की हैं। यहां तक कि हमने एक संसद सदस्य के विरुद्ध भी जांच के आदेश दिए हैं, जो हमारे दल से संबंधित है, और हमने न्यायालय को अपनी कार्यवाही करने के लिए रास्ता साफ कर दिया है। हम इसे सभा पटल पर रखेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : आप इसे 12 साल बाद रख रहे हैं, इस पर बताईये . . . . . **(व्यवधान)** . . . . . . आपका गुनाह छुप नहीं सकता **(व्यवधान)** . . . . .

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : हमने कार्यवाही कर दी है **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपकी जांच के क्या परिणाम निकले हैं जो 11 वर्षो से चल रही है? कितनों को गिरफतार किया गया है और कितनो को दण्डित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : 1984 के दंगों में जिनके नाम थे, उनमे से कितने गिरफतार हुए . . . . **(व्यवधान)**

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिन्ता की बात है कि राजीव गांधी की चार वर्ष पूर्व हत्या हुई थी। लेकिन जांच प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा हैं, और जांच बहुत धीरे चल रही है। इससे पता चलता है कि सरकार इस जांच को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है। लोगों के दिमागों मे यह आंशका है कि सरकार इस मामले मे दोषी व्यक्तियों को बचा रही है। श्रीमती गांधी इस सरकार के इस रवैये से बहुत चिंतित है, इसलिए यथा संभव शीघ्र अपराधियों को गिरफतार कर सजा देने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगत सिंह पुर) : अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी की हत्या हमारे देश के लिए एक बड़ी त्रासदी थी, क्योंकि वे केवल हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं थे बल्कि वह एक दूरदर्शी भी थे, जो देश को एक विशेष समय में ले जाना चाहते थे - हो सकता है कि हम उनसे सहमत न हो - और वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर रहे थे। अतः ऐसे व्यक्ति की हानि - केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में ही नही - समस्त देश के लिए हानि है। मैं यही महसूस करता हूं। अब, चार वर्ष बीत गये है, और स्वाभाविक रूप से यह आंशका है कि शायद जांच में देरी की जा रही है और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया से यह और उजागर होती है।

इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि इस तरह कि प्रक्रियाओं में सामान्यता विलम्ब होता है। लेकिन जब भूतपूर्व सरकार अध्यक्ष की हत्या की गई है तो कतिपय प्रश्नों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए। यदि इस मामले पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की जाती है तो स्वाभाविक रूप से देश का नैतिक बल भी कम होगा। अतः यह मामलों का प्रश्न नहीं है। जैसा कि सोमनाथ जी ने कहा है, मामलें हो सकते हैं। क्योंकि वह सरकार के अध्यक्ष थे, स्वाभाविक रूप से जांच प्रक्रिया बहुत पहले तेज की जानी चाहिए थी और प्रक्रिया को तेज न करके, सरकार ने आंशका का आधार उत्पन्न कर दिया है। इसलिए सरकार को इस सभा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसने श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा टिप्पणियां किए जाने से पूर्व इस प्रक्रिया को तेज क्यों नहीं किया।

जैसाकि श्री जसवन्त सिंह ने कहा है कि श्री अर्जुन सिंह, जो पहले सरकार में नम्बर दो की हैसियत पर थे, ने आज सभा में यह प्रश्न उठाया था और क्या उन्होंने यह ईमानदारी पूर्वक उठाया है या राजनैतिक उद्देश्य से, उसपर भी शंका है और उससे प्रश्न की गंभीरता और महत्व कम हो जाता है।

अतः स्वाभाविक रूप से मैं यह मांग करूंगा कि सरकार को सभा को इससे अवगत कराना चाहिए कि क्या हुआ है और इसमे देरी क्यों की गई हैं ताकि सभा को विलम्ब के कारणों का पता लगे और लोगो के दिमागों से आशंका दूर हो। यदि सरकार हमारे समक्ष तथ्य स्पष्ट रूप से नहीं रखती है तो यह आंशका राजनैतिक आंशका बन जायेगी जो उन अपराधियों का पता लगाने के महत्व को कम कर देता है जिन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की थी। अतः स्वाभाविक रूप से सरकार को उठाये गये उपायों के संबंध में उत्तर देना है ताकि देश, श्रीमती सोनिया गांधी तथा यह संसद संतुष्ट हो सके।

यह शंका क्यों आ रही है? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होनें कहीं गलती की है जिसके कारण वे उन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विगत चार वर्षों के दौरान असफल रहे है जिन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की थी। यदि हत्यारों का पता नहीं लगता और यदि यह मामला इसी तरह से चलता रहा, तो इससे अवश्य ही लोगों का नैतिक बल कम होगा तथा देश की भी गरिमा कम होगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने अपनी चिन्ता पहले भी व्यक्त की थी कि स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की जांच में आवश्यकता से अधिक विलम्ब हो रहा है। कौन लोग उस षडयंत्र में शामिल थे, कौन लोग अपराधी थे, षडयंत्र का पता लगाना, अपराधियों को सजा देना जरूरी है। आज जो सदन के सामने फिर चिन्ता व्यक्त करने का प्रस्ताव है, उसमें मुख्य बात यह है कि सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह हर सम्भव कदम उठाए ताकि जल्दी से जल्दी षडयंत्र का और हत्या करने वालों का पता लगाया जा सके। इसपर पूरे सदन को चिन्ता हैं, देश को चिन्ता है और उनकी विधवा पत्नी तथा उनके परिवार को चिन्ता होना तो स्वाभाविक है। इसलिए मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और आग्रह करता हूँ कि सरकार सदन और देश की भावना को ध्यान में रखते हुए एक वक्तव्य दे कि किन कारणों से विलम्ब हुआ और जल्दी इस पर आवश्यक कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने में परिहार्य विलम्ब, जैसा कि उनका विश्वास है, पर अपनी क्षुब्धता व्यक्त कर दी है। महोदय, मैंने कल अमेठी में अपने भाषण में श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों को भी नोट किया है। उन्होंने कहा था, 'वेदना'। मेरे विचार से इसका अर्थ पीड़ा है। कुछ माह पूर्व उन्होंने एक प्राइवेट बैठक में अपनी यह पीड़ा व्यक्त की थी। मैं भी उनकी पीड़ा और चिन्ता से उतना ही व्यथित हुआ। वास्तव में मैंने यह पाया था कि सरकार में सभी प्रधान मंत्री, मंत्री तथा संसद सदस्य इससे चिन्तित हैं। क्योंकि मैं श्रीमती सोनिया गांधी की पीड़ा तथा चिन्ता से उतना ही व्यथित हूँ इसलिए मैंने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करने का कार्य, जो प्रधान मंत्री ने मुझे सौंपा था, स्वीकार किया था।

24 मई, 1995 से मैं उत्तरदायी हूं। सरकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। लेकिन मेरा एक विशेष तथा प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है। पिछले 90 दिनों में, सरकार ने जैन आयोग द्वारा सुनवाई तथा जांच की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई उपाय किए हैं। महोदय, आपकी अनुमति से, प्रत्येक जांच अथवा सुनवाई के चरण को बताने के लिए केवल दो या तीन मिनट का और समय लूँगा।

अतः इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के पश्चात, 3 जून 1995 को तीन अपराधियों को प्रत्यर्पण के लिए श्री लंका को एक औपचारिक अनुरोध भेजा गया था और मैंने उन घटनाओं तथा परिस्थितियों पर इस माननीय सभा के समक्ष एक व्यक्तव्य दिया था, जिनकी वजह से प्रत्यपर्ण के लिए यह अनुरोध करना पड़ा। पूनामाले मे नामनिर्दिष्ट न्यायालय के समक्ष या आरोपियों के बारे में सुनवाई की गई, इन 41 अपराधियों मे से 12 कर्मियो की मृत्यु हो चुकी है। तीन भगोडे है तथा 26 अपराधियों पर मुकदमा चल रहा है। 3 जून को संसद को दिए अपने व्यक्तव्य में मैंने उन अत्यधिक विधिक तथा प्रक्रियात्मक अड़चनों को इंगित किया था जो उस न्यायालय द्वारा सुनवाई करने में आ रही है। आपके बोध के लिए सुनवाई प्रारम्भ होने के बाद पिछले कुछ वर्षो में उक्त न्यायालय के समक्ष प्रक्रियात्मक तथा महत्वपूर्ण मामलों की 399 याचिकाएं, 25 याचिकाएं उच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय में तीन याचिकाएं चल रही हैं। सुनवाई के लिए तमिलनाडु सरकार के सहयोग के अत्यधिक प्रारम्भिक कार्य करना पड़ा था। जैसाकि एक विशेष न्यायालय तथा बहुत उच्च सुरक्षा आवश्यकता की व्यवस्था, क्योंकि वे अत्यधिक कठोर तथा बेरहम हत्यारे थे। तथापि, न्यायाधीश ने, जो बहुत साहसी, स्पष्ट तथा ईमानदार न्यायधीश हैं, ने इस मुकदमें में 222 दिन सुनवाई की है, 183 साक्षियों का साक्ष्य किया हैं, तथा अब तक 908 दस्तावेज तथा 557 वस्तुओं की पहचान कर ली गई है।

अभियोग की ओर से साक्ष्य के काम को निपटाने के लिए एक समय बद्ध कार्यक्रम निश्चित किया है। वरिष्ठ अभियोजक (सीनियर प्रोसिक्यूटर) बहुत अनुभवी वकील, एक बहुत प्रसिद्ध आपराधिक वकील हैं, और बहुत अधिक आयु के बावजूद, उसने इस मामले पर अपना पूरा समय लगाया हैं। मुझे विश्वास है कि दिसम्बर तक साक्ष्य पूरा हो जायेगा, दोषी व्यक्तियों के लिए दण्ड निश्चित है और दण्ड कठोर होगा। मै यह प्रार्थना करता हूँ कि मुकदमें के मार्ग में और कोई अड़चन न आये।

जहां तक जैन आयोग का संबंध है इसकी अब तक 65 बैठके हुई है। आज 66वीं बैठक हैं। जैन जांच आयोग को न्यायधीश वर्मा जिनकी रिर्पोट पहले ही सभा के समक्ष रखी जा चुकी हैं के क्षेत्राधिकार में न आने वाले विषयों की जांच करनी हैं। जैन आयोग के लिए स्वंय अपने आदेश तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा 29 जुलाई 1987 से पूर्व के मामलों की जांच करने का निषेध किया गया है। अतः जैन आयोग का आपराधिक मुकद्दमें से संबंध नहीं है, न ही यह न्यायाधीश वर्मा आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों की जांच कर सकता है। न्यायाधीश जैन ने कई अवसरों पर जानकारी तथा दस्तावेजों के अभाव, जो उन्होंने अथवा किसी अन्य वकील ने मांगे थे, के बारे में कुछ प्रसन्नता व्यक्त की थी। इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के पश्चात, मैंने यह सुनिश्चित किया हैं कि प्रत्येक दस्तावेज और प्रत्येक रिपोर्ट, जो न्यायाधीश जैन चाहते है अथवा चाहते थे, वह दो प्रतिबन्धो के साथ उपलब्ध करायी गई है अथवा उपलब्ध करायी जायेगी।

पहला प्रतिबंध यह हैं, जैसा कि आपराधिक कानून के प्रत्येक जानकार को पता है, मामले के रिकार्ड तथा मामले की डायरी को इस चरण पर न्यायाधीश जैन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विद्वान न्यायधीश ने इसको समझा है और इस तर्क को उचित ठहराया हैं। दूसरा प्रतिबंध बहुत थोड़े, बहुत कम दस्तावेजों के संबंध में है जिनमें विशेषाधिकार का दावा न्यायधीश श्री जैन द्वारा उचित ठहराया गया है अथवा दावा अथवा विशेषाधिकार का निर्णय न्यायधीश जैन द्वारा नहीं किया गया है। स्वंय न्यायाधीश के अलावा, अन्य वकीलों को उन दस्तावेजों तक पहुंचने का अधिकार नहीं दिया गया हैं। लेकिन यह एक बहुत छोटी संख्या हैं। न्यायमूर्ति श्री जैन को प्रत्येक अन्य दस्तावेज, प्रत्येक अन्य रिर्पोट उपलब्ध करायी गई है अथवा उपलब्ध करायी जायेगी।

महोदय, न्यायाधीश जैन एक सम्मानीय न्यायाधीश है। वे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश रहे है। मेरा विश्वास है कि, उन्हें इस बात की जानकारी है कि वे क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते है, क्या करना चाहेगें। आयोग के समक्ष कई लोगो ने जानकारी होने का दावा करके, आयोग का समय नष्ट किया है, न्यायधीश निःसंदेह असलीयत का पता लगा करके अपनी रिर्पोट देंगें, मैंने न्यायाधीश जैन को अपना कार्य पूरा करने और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक प्रकार की सहायता का वचन दिया है। निष्कर्ष रूप में, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि हम इस परिवार के दुःख में सरीक हैं। मेरे लिए यह एक गहन व्यक्तिगत हानि है। मैंने यह कार्य इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि मुझे विश्वास था कि प्रधानमंत्री को मेरे ऊपर विश्वास है और श्रीमती सोनिया गांधी को मेरे उपर विश्वास है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कार्य करूगां कि मुक्कदमा समय-सूची के अनुसार पूरा हो जिसके बारे में मैंने अभियोजक के साथ विचार विमर्श किया है और मैं इस रिर्पोट को यथा संभव शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए न्यायमूर्ति जैन की हर संभव सहायता करूंगा।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैंने माननीय मंत्री की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है और जैसाकि मैनें प्रारंभ में ही कहा था, और मैं अपनी प्रारम्भ की बात पर अड़िग रहूंगा कि यह कटुता अथवा विवाद का अवसर नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने कई ब्यौरे दिये है। यदि मैं उन ब्यौरों में जाऊँ तो उससे कटुता पैदा होगी और विवाद खड़ा होगा जिनसे मैं बचना चाहता हूं। इसलिए, मैं स्वंय को इस अवसर से वंचित करता हूँ।

जो कुछ भी कहा गया है कुछ योग्यता के साथ कहा गया है। हां मैं समझता हूँ माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, यह ठीक हैं। लेकिन प्रत्येक ने कहा है कि वह दुःख, पीड़ा और चिन्ता में भागीदार है। यदि आप शब्द चयन की तरफ ध्यान देते हैं जो मैंने पढ़े है, तो उसमें एक भी अल्प विराम, पूर्ण विराम या शब्द ऐसा नहीं हैं जो कि अवमानना सूचक हो, इस तरह की कोई बात नहीं हैं, जैसा कि अब ऐसी स्थिति प्रतीत होती है कि सभा में सभी पक्षों के सदस्य दुःख और पीड़ा में भागीदार हैं, ऐसे में मुझे इसमें कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती कि आपकी अनुमति से शब्दों में यह अभिव्यंजना जिसका मैंने आपको सुझाव दिया हैं, वह आमसहमति सभा की भी है।, मैं माननीय सदस्य श्री जसवंत सिंह को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अन्दरूनी बातों के बारे में उनकी शंकाए और संदेह सही नहीं है।

मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से भीतर ही भीतर कोई इस मामले मे सूत्र संचालन कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हर सदस्य किसी न किसी तरह इस बात को मानता है कि घर परिवार में दखलंदाजी करने वाली इन डोरों को जरूर हिलाया और खींचा जा रहा है। इसमे कोई राजनीतिक विवाद नहीं है। मैं पुनः यह अपील करता हूँ कि सभा स्वविवेक से सहमत हो ओर मुझे विश्वास है कि आप स्वंय भी इसकी तरफ अपना पूरा ध्यान देंगे ओर हमें बोलने का अवसर देंगें, जैसाकि यहां हर सदस्य चाहता है। . . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं सही समझता हूँ, तो श्री अर्जुन सिंह जी इस कोशिश में हैं कि उनकी सूचना को स्वीकार किया जाये और पारित किया जाए। क्या यह सही है?

श्री अर्जुन सिंह : स्वाभाविक रूप से, जब मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ तो किसी ढ़ग से . . . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या मेरी सोच सही है या नहीं?

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : इसे जिस ढंग से किया जाता है, यह तय करना पूर्णतः आपका विवेकाधिकार है ताकि सभा के विचार जाने जा सकें। मैंने एक फार्मूला सुझाया है। यह स्पष्ट है . . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : औपचारिक स्वीकृति का कोई आग्रह नहीं है, इसे अध्यक्षपीठ के लिए छोड़ा जाता है।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : प्रत्येक बात अध्यक्ष पीठ के लिए छोड़ दी जाती है लेकिन मुझे आशा है कि माननीय अध्यक्ष पीठ यह भी याद रखेंगे कि आपका विवेकाधिकार किस विधि से और किस रूप में है, लेकिन भावनाओं को इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए . . . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि इसे स्वाभाविक रूप से अध्यक्षपीठ के लिए छोड़ा जाता है तो अध्यक्षपीठ से न्याय करने की कोशिश की जायेगी। यदि इसके लिए आग्रह किया जाता है तो सभा की आम सहमति जानूंगा ओर तदंनुसार कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : मैं समझता हूं कि अध्यक्ष पीठ द्वारा जिस 'भाषा' में वे चाहें इसे तैयार किया जा सकता हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं 'भाषा' के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं 'रूप' के बारे में पूछ रहा हूं।

अर्जुन सिंह : मैं कह रहा हूँ जिस किसी भी 'भाषा' या 'रूप' में अर्ध्यक्षपीठ उचित समझें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, अर्जुन सिंह जी ने अभी-अभी कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है और जो चिन्ता प्रकट

की गई उनके इस प्रस्ताव में, जो प्रस्ताव वास्तव में सदन में औपचारिक रूप से नही आया, अभी-अभी उन्होंने अनौपचारिक रूप से प्रस्तुत किया है। सभी सदस्यों ने, चिदम्बरम जी सहित, सभी पक्षों ने चिन्ता से अपने को सम्बद्ध किया है। लेकिन प्रस्ताव में सरकार पर आरोप हैं, आरोप है डिले का।

[अनुवाद]

शब्द 'विलम्ब' का प्रयोग किया गया है।

[हिन्दी]

'मैं समझता हूँ कि उसी शब्द ने शायद सोमनाथ जी को, मेरे सहयोगी जसवन्त सिंह जी को प्रेरित किया होगा, सदन को यह स्मरण कराने के लिए कि कोई भी इस प्रकार का अपराध होता है और अपराधी को त्वरित दंड नहीं मिलता है, तो उससे देश का अहित होता है और मन की वेदना पीड़ा बढ़ती है। अगर 1991 में जो अपराध हुए, उसके बारे में आज तक अपराधियों को दंडित नहीं किया गया, तो उसके लिए चिन्ता स्वाभाविक है। लेकिन 1984 में जो अपराध हुए और कोई कम जघन्य अपराध नहीं थे, जिनमें तीन हजार लोग मारे गए या उसके दो साल के बाद 1993 में बम्बई में 300-350 लोग मारे गए.... **(व्यवधान)**

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में जो हुआ . . . . **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं तो उसकी भी बात कर रहा हूँ, जो अयोध्या में हुआ। लेकिन अपराध कहीं पर भी हो, किसी भी प्रकार का हो और अपराधी दंडित न हो, उसके कारण कानून और व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बारे में सदन चिन्ता प्रकट करे, तो समझ में आता है। अन्यथा, जो बात कही गई है और चिदम्बरम जी का वक्तव्य सुनने के बाद या तो उस पर चर्चा हो जाए कि उन्होंने जो कार्यवाई की है, वह पर्याप्त है या नही है। कम से कम मोटे तौर पर जो मैं सुन सका हूँ, उससे लगता है कि सरकार उस दिशा में भी बढ़ रही है। लेकिन वास्तव में प्रस्ताव जब तक औपचारिक रूप से न आए और अगर कोई प्रस्ताव आता है, तो मैं चाहूंगा कि प्रस्ताव में जो चिन्ता 1984 में प्रकट की गई, बम्बई के बम्ब विस्फोट के बारे में प्रकट की गई या मेरे सहयोगी कोई उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बारे में प्रकट करना चाहते हैं, . . . **(व्यवधान)** . . . . मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस प्रकार का जघन्य अपराध कहीं पर भी होता हैं, तो अपराधियों को यदि दंडित नहीं किया गया तो इसके कारण कुल मिलाकर देश के माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अर्जुन सिंह जी ने जो सुझाव दिया है, अब मैं उसपर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस दुःखद घटना पर सभा में व्यक्त की गई चिन्ता से हम सभी निश्चित रूप से सम्बद्ध हैं, दोषी व्यक्तियों का पता लगाने और सजा देने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं, वस्तुतः हमने अपने विचार व्यक्त कर दिये है और वे सब कार्यवाही-वृतात में दर्ज हैं।

महोदय, कई अन्य मुद्दे भी है। 1984, 1991, और 1992 की घटनाओं पर भी चर्चा होनी चाहिए, इसलिए यह उचित नहीं है कि हम केवल एक ही घटना पर चर्चा करें, हांलाकि यह महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जबकि चिन्ता दोषी व्यक्तियों को सजा देने में हुये विलम्ब के बारे में है। यदि ऐसा किया जाता है तो हर प्रकार के विवाद उठ खड़े होंगे। इसलिए इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाये और इस पर सरकार को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

[हिन्दी]

कितना मौनी बाबा रहोगे, ऐसे इशूज पर तो बोलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : सोमनाथ जी, मैं बोल चुका हूँ। आप बैठे नहीं थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें कहना चाहिए कि वे इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मेरे पास थी, उससे मैंने सभा को अवगत करा दिया है। मैं समझता हूँ कि जब मैं बोला था श्री सोमनाथ जी शायद बैठे नहीं थे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ किया जा रहा है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, माननीय सदस्य श्री अर्जुन सिंह ने एक विशेष कार्यवाही करने का सुझाव दिया हैं।

कोई दो शीशे हाथ में पकड़े एक तरफ सच्चाई है और दूसरी तरफ बोध, मैं समझता हूँ कि सच्चा होना ही काफी नहीं है लेकिन किसी की सच्चाई का बोध होना भी आवश्यक है। मैंने सच्चाई से मौजूदा स्थिति और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा पिछले तीन महीनों में उठाए गए कदमों के बारे में बता दिया है। मैं विनम्रतापूर्वक श्री अर्जुन सिंह और अन्य सदस्यों से यह अपील करता हूँ कि वे मेरे वक्तव्य को स्थिति के सच्चे विवरण के रूप में स्वीकार करें और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इस प्रक्रिया को जारी रखे।

महोदय, इस सभा के सभी सदस्यों ने पहले ही दुःख और पीड़ा की अभिव्यक्ति कर दी है। श्री अर्जुन सिंह द्वारा किसी संकल्प या किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाये, उसकी बजाए मैं आपसे यह अपील करता हूँ कि इस बात पर विचार करे कि यदि अध्यक्षपीठ सभा के भाव को सारांश में बतायें और मैं इसे सरकार के लिए और अपने लिए इस हिदायत के रूप में लूं कि मुकदमें और जांच की शीघ्र समाप्ति के लिए उपाय जारी रखे जायें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आप उचित समझते हो तो सभा के भाव के सारांश में व्यक्त कर दें।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैंने पहले ही यह अध्यक्षपीट पर छोड़ दिया है कि वे जिस तरह भी चाहें इसे सारांशित कर सकते हैं। मैं स्वयं बार-बार इस मामले के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि इससे विवाद खड़ा होगा और विवाद ही वह अंतिम चीज है जो मैं इस समय उठाना चाहता हूँ। श्री चिदम्बरम ने कहा है और मैं उनके इन शब्दों का प्रयोग करता हूँ कि विभाजन रेखा को भी निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए, अब मैं उस विभाजन रेखा में नही पड़ना चाहता हूं

कि किस तरफ बोध होना चाहिए और किस तरफ सफाई क्योंकि इस अवसर पर मैं इससे बचना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उनके वक्तव्य को चुनौती नहीं दी है, लेकिन तथ्य यह है कि कुछ ऐसी बातें है जिनको अनुभव किया जा सकता हैं लेकिन कुछ लोग इसे सच्चाई समझते हैं और मैं नही चाहता कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी विभाजक रेखा खींचने का अधिकार हो। मैं फिर कहता हूँ कि मैं किसी बात के लिए दबाव नहीं डाल रहा हूँ। अध्यक्षपीठ को स्वविवेक से इसे करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से इस विषय पर सभा में चर्चा हुई है, वह प्रंशसनीय हैं और समझने योग्य है और ऐसे अवसरों पर प्रतीत होता हैं कि सभा बहुत ऊंचे स्तर की ओर अग्रसर हैं, अतः मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। हमें अपराधियों का पता लगाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और अति शीध्र उन्हें देश के कानून के अनुसार सजा देनी चाहिए, यही अधिकाशं सदस्यों या मुझे कहना चाहिए सभा के लगभग सभी सदस्यों की इच्छा प्रतीत होती हैं। . . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह जो करती रही हैं, उसे सरकार ने स्पष्ट कर दिया हैं। सही और त्वरित कार्यवाही के लिए सभी सम्बन्धित पक्षों द्वारा इन सभी तथ्यों को नोट किया जाये। हम सभी इस हृदय विदारक और दुःखद घटना में सम्बद्ध दुःख और पीड़ा में ईमानदारी से भागीदार हैं। जो चर्चा हुई हैं उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : महोदय, आपने अध्यक्षपीठ से जो देखा है यह उस पर टिप्पणी नहीं हैं, और हम उस सबमें भागीदार हैं, लेकिन सभा की इस तरफ से हमारे द्वारा जो कुछ विचार व्यक्त किए गए थे शायद अनजाने में उन्हें जो आपने कहा हैं उसके स्थान नहीं मिला हैं। मैं इसे यहां पर ही छोड़ देना चाहता हूँ। . . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसी कारणवंश मैं आपके विचार सुनना चाहता था और मुझे लग रहा था कि हम केवल एक मुद्दा विशेष पर ही चर्चा कर रहे हैं, न कि सभी मुद्दों पर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मैं यह जरूर महसूस करता हूँ कि किसी व्यक्ति या कई अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गये अपराधों की समान रूप से उचित ढंग से जांच की जानी चाहिए और समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए। . . . . (**व्यवधान**)

12.49 म०प०

दलित ईसाईयों को अनुसूचित जातियों के लाभ देने के बारे में

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मै एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि वह भी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर है। भारत के संविधान में कहा गया है कि जो दलित हैं और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े है उनके लिए स्पेशल प्रावधान की व्यवस्था की जाएगी। उसी के तहत इस देश में जो संविधान की धारा है उस धारा के मुताबिक राष्ट्रपति के आदेश-1950 के पैरा 3 के तहत जो दलित लोग हैं जिन्होंने धर्म-परिवर्तन किया है और जो सिख थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। जब हम लोगो की सरकार आई तो हम लोगो ने जो बुद्धिष्ट थे जिन्होंने धर्म-परिवर्तन किया था उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उसी तरीके से जो दलित क्रिश्चियन है उनके लिए इस सदन मे बार-बार मांग की जाती रही है। मुझे खुशी है कि सीता राम केसरी जी यहाँ भारत सरकार के कल्याण मंत्री के रूप में बैठे हुए है। जब हमारी सरकार आई थी तब हमने बुद्धिष्ठों को आरक्षण दिया था। हमने कहा था कि जो दलित क्रिश्चियन है जिनकी आबादी टोटल क्रिश्चियन की 60 प्रतिशत है और जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए है उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। सीताराम केसरी जी जब मंत्री बने तो इन्होने बार-बार आश्वासन दिया था। कल्याण मंत्री की हैसियत से 21 नवम्बर 1992 को दलित क्रिश्चियन का विजयवाड़ा में जब सम्मेलन हुआ था।

उन्होंने यह कहा था कि अगले सैशन में इस सम्बन्ध में बिल लाने का काम करेंगें लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की कथनी और करनी में बिलकुल असमानता है। 1992 से 1995 हो गया है लेकिन वह अभी तक यह बिल पार्लियामेंट मे लाने में या आर्डर को निकालने में अक्षम रही है। यह कोई संविधान संशोधन का मामला नहीं है जिस में कि दो तिहाई बहुमत जुटाने की जरूरत पड़े। इसको साधारण बहुमत से पास किया जा सकता हैं। हम लोग उसके लिये पूर्ण रूप से समर्थन देने को तैयार है। आपको मालूम है कि चुंडूर, कर्मचेरू और निरूकोड़ा में जो घटना घटी, वे सारे के सारे दलित क्रिश्चियन थे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने जजमैंट में कहा कि

[अनुवाद]

> "धार्मिक मत या धर्म परिवर्तन के कारणों से ही अनुसूचित जातियों के लोगों को आरक्षण के संवैधानिक संरक्षण से वंचित करना, आरक्षण पर धर्मनिर्पेक्षता और धर्म की अवधारणा को ही खतरे में डालना हैं"

[हिन्दी]

इन सारी चीजों के कारण दलितों मे काफी रोष है। सभी पक्ष के लोगो ने सीताराम केसरी जी से आग्रह किया था कि 26 तारीख तक जो कि सैशन का आखिरी दिन हैं, इस बिल को चाहे तो आर्डर के जरिये लाकर पास करायें जिससे दलित क्रिश्चियन्स को दूसरों के समान न्याय मिल सके और उनमें पैदा हुए रोष को खत्म किया जा सके। सीताराम केसीर जी यहां बैठे हुए है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या मन बनाया हुआ हैं, सरकार अपने वायदे पर अटल है या नहीं और क्या वह इस सैशन में उसे लाने जा रही है या नही?

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, यह एक गम्भीर मुद्दा है जिसे

हम में से सभी ने कई बार सभा में उठाया है। आपने कृपा पूर्वक हमें अवसर दिया है और हमने इस सभा में कहा है। इसे सरकार ने सुना था और सरकार ने कई सुझाव दिये थे।

कल कुछ संसद सदस्य इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिले थे। हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री ने हमें बताया यह एक गम्भीर मुद्दा है और इसे सरकार ने गम्भीरता से लिया है और सरकार मूलतः अनुसूचित जाति के ईसाईयों को भी अनुसूची में लाने के लिए एक विधेयक लायेगी ओर उसके द्वारा 1950 के अनुसूचित जाति आदेश को संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जायेगा ताकि इस गम्भीर समस्या का समाधान हो सके।

अब केवल एक दिन शेष है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, मैं माननीय मंत्री महोदय सीता राम केसरी से अनुरोध करूंगा कि इस बिल को यदि आज नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो कम से कम कल अवश्य प्रस्तुत करें क्योंकि कल आखिरी दिन हैं।

मैं एक और बात कहना चाहता हूँ इसकी इतनी अधिक आवश्यकता थी कि इस सरकार ने देश के गरीबों ओर दलितो के लिए करोड़ो रुपये व्यय करने की घोषणा की है। ये करोड़ो रुपये इन दलित लोगों के लिए खर्च किये जाने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदयः कृपया संक्षेप में बोलिए। कई और सदस्यों को भी बोलना है।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। इन गरीब व्यक्तियों को, जिनका विभिन्न धर्मो में विश्वास हैं, इस अनुसूची के तहत लाने दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वर्तमान सत्र की समाप्ति का आज अंतिम दिन है, इसलिए मेरा विचार हैं कि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाये। अतः कृपया धैर्य रखिये। परन्तु, आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि कल सभा ने निर्णय लिया था कि वह आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी विषयों को निपटाये बिना नहीं उठेगी। कार्यसूची में कई विषय सम्मिलित हैं। इसलिये, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिये। जब कभी अनिवार्य हो केवल तभी बोलें, अन्यथा न बोले।

श्री पीटर० जी० मरबनिआंग (शिलांग) : महोदय, जनता सरकार के शासन में जब एक विधेयक--राष्ट्रपति आदेश - लाया गया था, तब मैंने खडे होकर उसमें दलित ईसाईयों को भी शामिल करने की मांग की थी। उन्होंने वायदा किया था लेकिन कुछ नहीं किया। वर्ष 1991 से, दसवीं लोक सभा में मेरे आने के समय से ही, मैं इस विषय को उठाता आ रहा हूँ। इस संबंध में मैं एक शिष्टमण्डल के साथ माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला था। हमको खुशी है कि श्री सीताराम केसरी, कल्याण मंत्री हैं। इस विषय पर हमको उनके विचार सुनने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० चाको (त्रिचूर) : खेद की बात है कि कुछ माननीय सदस्यों का विचार यह है कि हमें अपनी बात नहीं दुहरानी चाहिये। कई बार इस विषय को सभा में उठाया जा चुका है और विभिन्न सरकारों ने विभिन्न अवसरों पर इस विषय में आश्वासन भी दिये हैं।

(व्यवधान)

महोदय, कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए, विभिन्न सरकारों ने विभिन्न अवसरों पर इस विषय पर अपनी सहमति व्यक्त की है। पिदले 45 वर्षो से अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश लोगों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने का मौलिक अधिकार है। अपितु उन्हें इस मौलिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। इन जातियों के व्यक्तियों के लिये संविधान में कतिपय सरंक्षण प्रदान किये गये हैं। प्रारूप विधेयक पहले ही तैयार किया जा चुका है। सरकार उस विधेयक को इस सत्र में पुरःस्थापित कर सकती है। इसलिए, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इस सत्र में ही इस विधेयक को पुरः स्थापित किया जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य सदस्यों के कथन का अनुमोदन कर सकते हैं।

(व्यवधान)

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, माननीय सदस्य, श्री राम विलास पासवान, ने इस विषय को उठाते समय कहा था कि सिखों को आरक्षण दिया जा चुका है। मै रिकार्ड को सही करना चाहता हूँ। मेरे विचार में 1952 में अनुसूचित जाति के सिखों को सिर्फ चार राज्यों में आरक्षण दिया गया था। ये राज्य थे - पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली।

महोदय, मुझे खुद भी नुकसान हुआ था। जब मैने पंजाब से महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय बदला तो मुझे यह लाभ नहीं मिला क्योंकि महाराष्ट्र में सिखों के लिए आरक्षण नहीं था। इसलिए, इस सुविधा का विस्तार किया गया था, अगर मैं गलती नही कर रहा हूँ, तो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत चारो धर्मो अर्थात सिख, बौद्ध, और जैन को हिन्दु माना गया है। इसलिये, संविधान के इसी प्रावधान के तहत आरक्षण बौद्धों भी लागू कर दिया गया है। मेरे विचार से अगर किसी अन्य समुदाय या जाति को उन रियायतों का लाभ पहुँचाना है, जो अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मिल रहे हैं, तो संविधान में संशोधन करना होगा।

(व्यवधान)

हाँलाकि, मेरे विचार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातिंयो के धर्मान्तरण ईसाई बने व्यक्तियों को भी सामाजिक रूप से असुविधा हो रही हैं, लेकिन उसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। उनको निःसंदेह यह मिलना चाहिये, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। श्री सीता राम केसरी इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। मैंन पहले भी अनुरोध किया था कि अनुसुचित जाति के सिखों को इन चार राज्यों में जो आरक्षण की सुविधा प्राप्त हैं उसे उन्हें पूरे देश में दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्सः महोदय, अनुच्छेद 16 में निहित है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता हैं।

(व्यवधान)

मैं एक विशिष्ट सदस्य की टिप्पणी का जवाब दे रहा हूँ धर्म के आधार पर यह भेदभाव है। मैं माननीय केसरी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह सभा की सर्वसम्मति से अनुसूचित जातियों के हिन्दुओं को मिल रही सभी सुविधाओं को अनुसूचित जातियो के ईसाई व्यक्तियों को भी दें।

(व्यवधान)

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, मुझे आपको कष्ट देते हुये दुःख हो रहा है। मुझे मालूम है कि समय का अभाव है, फिर भी मैं इसलिए, बोलना चाहता हूँ क्योंकि ईसाई समुदाय के लिए यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। जिन व्यक्तियों को धर्म विशेष के कारण उसी प्रकार की आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा हैं, वे ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। इनको इन रियायतों से वंचित नहीं रखना चाहिए। इनकी हालत भी बेहतर नहीं हैं, कई स्थानों पर तो दूसरे धर्मो के लोगों से भी बदतर है।

(व्यवधान)

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : मैं भी उनके विचारों का अनुमोदन करता हूँ।

(व्यवधान)

1.00 म०प०

[हिन्दी]

श्री शिव शरण वर्मा (मछलीशहर) : अध्यक्ष महोदय, इस देश में लोकतंत्र बिलकुल बिगड़ चुका है। अधिकारी हावी हैं, अधिकारियों के अत्याचार को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं इसी हाउस का मेम्बर हूँ . . . . **(व्यवधान)**

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, जो प्रश्न सदन मे उठा है और हमारे चाक्को साहब, रामविलासजी, बूटासिंहजी और फैलीरो साहब ने उठाया है वह प्रश्न हमारी दृष्टि में है। जहाँ तक डिप्रेस्ड क्लास का प्रश्न है, अनुसुचित जाति के कन्वर्जन का प्रश्न है, वे जहां भी रहें, मेरी दृष्टि में ये आरक्षण के अधिकारी हैं। जो इन्होंने कहा कि आज ही लोकसभा में लाएं या कल ही लाएं। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी संभावना इसलिए नहीं है कि बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस बात को हम मानते हुए हम इतना ही सदन मे आश्वासन देते है कि अगले सदन तक हम इस चीज को जो प्रोसेस है उसके अन्तर्गत पार्ट करके यह विश्वास के साथ कहते हैं कि जहां तक डिप्रेस्ड क्लास के आरक्षण का प्रश्न है हम उसके पक्षधर है। इस आश्वासन के साथ . . . . **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : पक्षधर तो आप है, लेकिन करने क्या जा रहे हैं, यह बताइये।

श्री सीताराम केसरी : आप सुनते नहीं है। मैंने कहा कि इस आश्रवासन के साथ अगले सदन में हम इस चीज को लाने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : कोशिश क्या है, कल ही क्यों नही लाते हैं?

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : पिछली बार आरक्षण के और कई मुद्दे उठे थे और आपने उसमें इटरवीन किया था, विद्याचरणजी ने उसमे इंटरवीन किया था, आपने कहा था कि सदन को सरकार का आश्वासन है, किसी व्यक्तिगत मंत्री का नहीं है। इसके दूसरे पक्ष है। 50% सीमा समाप्त करने का या दूसरी और चीजों पर जो चर्चा हुई है तो अगली बार एक मुकम्मल बिल लाएं, एक कम्प्रिहेंसिव बिल लाइये . . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ कहा है आपने सुना होगा। अब मैं हिन्दी में कहूँ, आप बैठ जाइये। आज जितने भी लोग बोलना चाहते है उनको थोड़ा-थोड़ा बोलने का समय दिया जाएगा। मगर प्लीज, थोड़ा-थोड़ा बोलिएगा और एक विषय पर 4-4, 5-5 लोगो के बोलने की जरूरत जहां तक हो सके, नहीं हैं। ऐसा समझकर आप बोलिएगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मै आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूँ कि रेल संबंधी स्थायी समिति के कुछ माननीय सदस्यों के साथ मैंने फिरोजाबाद का दौरा किया था। मैं किसी भी जांचाधीन विषय को उठाना नहीं चाहता। निःसंदेह अब कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। परन्तु मैं कुछ एक मुद्दों को उठाना चाहता हूं, जिन पर सरकार विचार कर सकती हैं।

समन्वय की आवश्यकता के बारे में कुछ शिकायतें है। हम जानते है क्योंकि रेलवे, जी० आर० पी०—आधी राज्य सरकार के नियंत्रण में है और आधी रेलवे के नियंत्रण में है इनके अलावा राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन हैं। कोई लाशों की देखरेख का जिम्मेवार है, रेलवे वचाव कार्यो का जिम्मेवार है और कोई अन्य अधिकरण इलाज का जिम्मेवार है। इसलिए प्रभावित व्यक्तियों की उचित सहायतार्थ हमने अनुरोध किया था और मुझे आशा है कि उचित समन्वय हेतु कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में मै भारत सरकार तथा रेल मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि समन्वय कार्य में कुछ सक्षम अधिकारियों को विभिन्न एजेंसियों के साथ वहाँ भेजा जाये।

मैं इस समय किसी के भी खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। मै सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद अस्पताल में हमको बताया गया था कि साधनों की कमी के कारण दवाईयाँ उपलब्ध नहीं है और माँग के बावजूद कुछ यात्रियों को गम्भीर चोटें आने के कारण उनके निदान हेतु आवश्यक स्केनिंग मशीन भी उपलब्ध नहीं हैं। वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे है।

हमने अधिकांश रोगियों से भेंट की। वे सामान्यतः व्यवस्था से संतुष्ट हैं।

महोदय, एक दुखद घटना घटी। उड़ीसा से आ रहे एक दम्पति की मृत्यु हो चुकी हैं, परन्तु उनके तीन वर्ष के पुत्र जो कि अस्पताल में था और जिसे अस्पताल में भर्ती कराये जाने का रिकार्ड उपलब्ध है—उसका कोई पता नहीं है। इसलिए, समन्वित व्यापक कदम उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे हादसे मानव के लिए त्रासदी हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के इस अधिकारी की पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है, और उसके रिश्तेदार और साथी बच्चे को सर्वत्र ढूंढ रहे है क्योंकि वह अस्पताल में नहीं मिल पा रहा है। इससे दुखद पक्ष यह है कि इस बारे में दो दिन तक कोई जाँच पड़ताल नहीं की गई। जब हमने जिला मजिस्ट्रेट को सूचना दी तो उन्होंने कहा कि जाँच पड़ताल शुरू की जायगी।

महोदय, इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वर्तमान समन्वय के अलावा उचित समन्वय की व्यवस्था की जाये। लोग आ रहे हैं और घण्टो तक प्रतीक्षा भी कर रहे हैं लेकिन कुछ सामान उन्हें अभी भी लौटाया जाना है, वे लोग तीन चार दिन से इन्तजार कर रहे है। मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए भी घण्टों इन्तजार करना पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि अब तक कुछ कर लिया गया होगा। मुझे मालूम हुआ है कि तीन विभिन्न संगठनों -रेलवे, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के अधिकारी एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसके पूर्व वे अलग-अलग कार्य कर रहे हैं। मेरे अनुरोध पर उन्होंने मेरे टुंडला छोड़ने से पूर्व मुझे बताया कि कार्यवाही की जा चुकी है, मैं आशा करता हूँ कि सरकार वहां हो रहे कार्य की यहाँ से देख रेख करेगी। प्रशासनिक प्राधिकार के बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि वरीयता में कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों को लेकर आपत्तियाँ उठाई गई हैं बचाव कार्यो के समन्वय हेतु सक्षम अधिकारियों को वहां जाना चाहिए ताकि जो कुछ भी वहाँ किया जाना है उसे पूरा किया जा सकें।

मृतकों के संबंधियो द्वारा लाशों की पहचान कर लिये जाने के पश्चात भी अधिकारियों द्वारा लगभग 100 लाशों का दाह संस्कार कर दिया जाना अत्यन्त दुःखद है। कुछ लोगो ने बताया कि लाशों की पहचान करने के पश्चात जब तक वे पुलिस से मृत्यु प्रमाण पत्र ले कर लौटते, तब तक तो लाशों का दाह संस्कार भी किया जा चुका था। इस तरह की घटनाएं हुई है। हम मृतकों के उन लोगों के संबंधियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। इन लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमको हर संभव सहायता देने में सहयोग करना चाहिए ताकि उनका दुख बढ़े नही, अपितु कम हो सके।

महोदय, इसलिए हमारे लिए किए गए प्रबंधो के लिए आभार का अनुभव करता हुआ मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह कृपया इस ओर ध्यान दें कि उनका दुख बढ़े नहीं, यथासम्भव कम किया जाये। मैं अनुरोध करता चाहता हूँ कि इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाएँ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मृतकों की संख्या कितनी है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कल बताया गया था कि मृतको की संख्या 298 है।

1.09 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[हिन्दी]

श्री अमरपाल सिंह (मेरठ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में माननीय उच्च-न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश की तीन सरकारों ने - 1955 में श्री सम्पूर्णानन्द की सरकार ने, 1975 में श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने तथा 1980 में श्री बनारसी दास गुप्त की सरकार ने संस्तुति की थी तथा 14.4.1981 को लोक सभा में तत्कालीन न्याय मंत्री श्री शिव शंकर जी ने औरंगाबाद व मेरठ में एक-एक खंडपीठ स्थापित करने से संबंधित वक्तव्य दिया था। औरंगाबाद में तो खंडपीठ दे दी गयी लेकिन मेरठ में आज तक नहीं दी गई है। 21.7.1986 को लोक सभा में भारत सरकार ने मेरठ में खंडपीठ की स्थापना का आश्वासन दिया था। वर्ष 1994 के मानसून सत्र में 26 जुलाई को मैंने स्वयं नियम 377 के अंतर्गत मेरठ में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने की मांग की थी।

मेरे द्वारा नियम 377 के अधीन उठाये गये मामले के लिखित उत्तर में, माननीय विधि मंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ देने हेतु स्थान चयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को लिखना स्वीकार किया था।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अब 23 अगस्त को, यानी दो दिन पहले, उत्तर प्रदेश की सुश्री मायावती सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ की मेरठ में स्थापना के लिए विधान सभा में घोषणा की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ एक केन्द्रीय स्थल है और माननीय उच्च न्यायालय में सबसे अधिक और पुराने लंबित केस बहुत दिनों से पड़े हुए है। अतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपराधियों को लम्बे समय तक सजा नहीं मिलती है। इसी कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अपराध बढ़ रहे है। अतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को सस्ता, सुलभ एवं जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने हेतु मैं भारत सरकार से माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ मेरठ में स्थापित करने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम पुकारूंगा।

डॉ० मुमताज अन्सारी (कोडरमा) : महोदय, मुझे कहीं जाना हैं। कृपया मुझे अवसर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास उपलब्ध सूची में सभी नामों को पुकारा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे (वर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक जनहित के बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाते हुए सदन का ध्यान खींचना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की लांजी तहसील की ग्राम पंचायत देवरबेली सहित वनांचलों के ग्राम सायर, टेमनी, वरगुड़, घीरी, मुरूम, सेरपार एवं कोसमदेही तथा कटियापार तथा बैहर तहसील के बिरसा विकासखंड के अन्तर्गत दक्षिण बैहर की ग्राम पंचायत डाबरी, सोनगुड्डा, दुल्लापुर, धुमुर, घुनघुन वार्धा दड़कसा के अन्तर्गत 40 ग्रामों में बीमारी के कारण लगभग 100 बच्चों की अभी तक मृत्यु हो चुकी हैं। इन क्षेत्रों में ज्यादातर गौड़ और बेहर जाति के लोग रहते है। इनके 100 से अधिक बच्चों की मृत्यु अभी तक भुखमरी और गंदा पानी पीने की वजह से हो चुकी है। उनके पास खाने के लिए अनाज और पीने के लिए साफ पानी नहीं है वे कंदमूल खाकर जी रहे है। वहां जितने भी हैंडपम्प लगाए गए थे वे सब के सब एक साल पहले गर्मियो में बन्द हो गए है। वे लोग एक साल से गंदा, नदी नाले का पानी मजबूरी में पी रहे है। जिसके कारण उनमे बीमारी फैल गई है। ये बच्चे खासतौर से ऐसी बीमारी से पीड़ित होते है कि बीमार पड़ने के बाद दो-चार घंटे में ही मौत हो जाती है। यह सिलसिला अभी तक चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की भंयकर घटना घटने के उपरान्त भी बालाघाट जिले के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कोई ख्याल नहीं किया। लेकिन जब यह मामला ''जी टीवी'' ने दिखाया, तो भारत सरकार ने वहां पर अपनी एक टीम भेजी और वहां पर काम शुरू करने के लिए, उनकी दवा इत्यादि के लिए 3 करोड़ रूपये दिये। उन तीन करोड़ रूपयो का वहां

दुरूपयोग हो रहा है। सारा काम कागज पर हो रहा है, वास्तव में धन खर्च नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों ने बहुत सारा पैसा खा लिया हैं। वहाँ पर डाक्टर नहीं है, दवाखाने नहीं हैं, दवाएं नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह इस तरफ तुरन्त ध्यान दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, यह विषय राज्य का है। इस मामले को सभा में कैसे उठाया जा सकता है? राज्य से संबधित विषयों को सभा में नही उठाया जा सकता।

श्री विश्वनाथ शर्मा (हमीरपुर) : महोदय, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, अन्यथा मैं इसे यहाँ नही उठाता। परसों ही इस पर निर्णय दिया गया था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके सदस्यों के नाम बुलाऊंगा। अगर मैं इसमें कुछ फैर-बदल करता हूं तो इसकी आलोचना होगी।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शर्मा : उपाध्यक्ष जी, दिल्ली की अखबारों मे यह छपा है कि 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है कि किसी भी पब्लिक स्कूल में एक बार किसी भी क्लास में प्रवेश लेने के बाद उस विधार्थी का दाखिला अंत तक लेता है तो स्कूल के प्राचार्य को नियामानुसार ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह उस छात्र को 11वीं क्लास में दाखिला देने से मना करे। इसके पहले यही बात दिल्ली की हाई कोर्ट ने कही थी लेकिन झांसी में एक क्राइस दी किंग नाम का विद्यालय है जिसने अपनी 10वीं क्लास के प्रथम श्रेणी में पास हुए 32 बच्चों को 11वीं क्लास में दाखिला देने से मना कर दिया।......(व्यवधान) उन लोगों ने दूसरे विद्यालय के 40 परसेंटेज प्राप्त वाले बच्चों को एडमिशन दिया हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। ये सारी की सारी संस्थायें सैंट्रल आई.सी.एस.ई. व सी.बी.एस.ई. से रजिस्टर्ड है। सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट है, उनका पालन करायें।...(व्यवधान) इसमें विशेष बात यह है कि जब इसके लिए छात्रों ने वहां ऐजीटेशन किया तो वहां के 17 क्रिश्चियन्स स्कूलों ने अपने तरफ से सारे के सारे स्कूल बन्द कर दिये और पूरे जिले के 40 हजार बच्चों के अभिभावकों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की।

उपाध्यक्ष जी, अभी थोड़ी देर पहले हाउस में यह बात हो रही थी कि ये दलित क्रिश्चियन हैं, इनको ये देना चाहिए, वो देना चाहिए पर झांसी में पूरे जिले के 40 हजार बच्चों के अभिभावकों को इन्होंने ब्लैक मेल करने की कोशिश की। यह छपा हुआ है कि पीछे भी ये विधालय ऐसा ही करते रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ क्योंकि श्री मुमताज अंसारी को नमाज पढ़ने के लिए जाना है।

डॉ० मुमताज अंसारी : धन्यवाद, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले को बार-बार उठाता रहा हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोडरमा में अभ्रक उद्योग एक बड़ा उद्योग है। यह उद्योग प्रत्येक दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण उद्योग है। यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है। यह देश के लिए 70 करोड़ रूपये की विद्रेशी मुद्रा का अर्जन कर रहा था। लेकिन अब यह उद्योग बुरी तरह लड़खड़ा रहा है। इस उद्योग में कम से कम चार लाख कर्मचारी थे जिन्हे काम से निकाल दिया गया है। मैं इस मामले की ओर इस सभा तथा वित्त और वाणिज्य मंत्रियो का ध्यान आकर्षित करता हूँ। वे अभ्रक उद्योग को मात्र आश्वासन ही दे रहे है। महोदय, जैसाकि आप जानते है अभ्रक उद्योग मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोडरमा में गिरिडीह जिले में स्थित है। लेकिन सरकार ने इन सभी पहलुओ का अध्ययन करने के लिए एक भी विशेषज्ञ समिति नियुक्त नहीं की ताकि इस उद्योग को पुनः चलाया जा सके और लोगी को रोजगार दिया जा सके। हमारा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहाँ पर रोजगार की अत्यधिक कमी है और इन लोगो के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नही है। अतः मेरा सरकार से विन्रम निवेदन है कि इस मामले का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाये और इस उद्योग को पुनर्जीवित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : गंगवार जी, पढ़ना मना है। कृपया अपनी बात दो मिनट के अंदर रखिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, काशीनाथ सेठ बैंक लि. शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश निजी क्षेत्र का एक बैंक है। पूर्व प्रबन्धकों की अनियमितताओं के कारण इस बैंक की स्थिति खराब हो गयी है तथा पिछले करीब 24 माहों से रिजर्व बैंक द्वारा इनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया गया है। उक्त प्रतिबन्ध वी.आर.एक्ट की धारा 35 एवं 45 या 21 के अन्तर्गत लगाया गया है। इस कारण बैंक के जमाकर्त्ता के धन का व कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित हो गया है, जबकि इनका कोई दोष नहीं है।

उस बैंक में करीब ढाई लाख कार्यकर्त्ताओं का 80 करोड़ रुपया जमा है तथा 600 कर्मचारी कार्यरत है. . . . (व्यवधान) बैंक से संबंधित अनियमितताओं को रिर्जव बैंक के अधिकारियों ने पूर्व में समय-समय पर जांच के दौरान उजागर नहीं किया तथा अब जब स्थिति एकदम खराब हो गई तो मोरोटोरियम लागू कर दिया। इस समस्या को पूर्व में कई बार उठाया गया परन्तु अभी तक वित्त मंत्रालय द्वारा उपयुक्त समाधान नहीं किया गया। . . . . (व्यवधान) लोक सभा में विपक्ष के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : परशुराम गंगवार जी, अगर कोई सदस्य पढ़ेगा, तो मैं रिपोर्टरों से इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं करने के लिए कहूंगा। आप शून्य-काल के दौरान नहीं पढ़ सकते। अगर आप पढ़ना चाहते है तो इसके लिए नियम 377 है। मैं बार-बार आपको बता रहा हूं और आप जान-बूझकर नियम का उल्लंधन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : हम चाहेंगें इस ओर सरकार प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दें तथा जमाकर्ताओं के धन एवं कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त मोरोटोरियम समाप्त कर सामान्य काम-काज प्रारम्भ करने की दिशा में पहल करें तथा इस संबंध में यह भी उपयुक्त है कि उसका विलय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ करवा दें जैसा कि पूर्व में अन्य बैंको के साथ किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आप अपने हाथ बार-बार उठाकर क्यों इन्हे तकलीफ दे रहे हैं? अगर सूची में आपका नाम है तो मैं आपको बुलाउंगा। मेरे पास जो सूची है, मैं उसी के अनुसार नाम बुलाउंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, काशीनाथ सेठ बैंक में 558 कर्मचारी तथा अधिकारी कार्यरत हैं . . . . **(व्यवधान)** . . . . दो लाख 50 हजार खातेदार हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : फातमी जी, अगर आप भी नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपका नाम सूचीं में 21वें स्थान पर है।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार : वहां पर लोगों का 71 करोड़ रूपया जमा है और 49 करोड़ रूपये के ऋण है। . . . . **(व्यवधान)** वहां के डायरेक्टर, चेयरमैन, निर्देशिका ने इतना घोटाला किया कि वहां पर पहले धारा 35 लागू की गई और बाद में धारा 45(2) लगाई गई। . . . . **(व्यवधान)** . . . . वहां पर 15 सितम्बर, 1993 से रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंध जारी है। वहां पर सारे किसानों का पैसा जमा हैं, न ही उनको पैसा निकालने दिया जाता है और न ही पैसा दिया जाता है। वहां का लेन-देन 24 माह से बंद हो गया है क्योंकि धारा 35 के अनुसार केवल 5 हजार रूपये ही ले सकते है। धारा 45(2) के आधार पर एक भी पैसा नही दिया जा सकता। इससे अधिकारी परेशान हैं। . . . .**(व्यवधान)** विश्व में पहली बार दुवारा से धारा 45(2) लगा दी गई।

मेरा वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि आम जनता की समस्याओं के निदान हेतु एवं निर्दोष कर्मचारियों, अधिकारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस बैंक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विलय अविलम्ब घोषित करें। . . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : परशुराम जी, उद्धरण देने से पहले, आपको सभा के नियमों का पालन करना चाहिए। आपको सभा की मर्यादा बनाये रखनी चाहिए। यह सारे देश की शीर्षस्थ संस्था है। आपको यह बात नही भूलानी चाहिए। . . . . **(व्यवधान)**

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरया लगुड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र-प्रदेश के नालगौंड़ा जिले के मिरयालगुड़ा में नागार्जुन सागर कमान क्षेत्र के अन्तर्गत चावल उत्पादित करने वाले क्षेत्र के बीचो-बीच भारतीय खाद्य निगम की एक आधुनिक मिल स्थित है, जो अक्तूबर, 1993 में बन्द हो गई थी।

संबधित सरकार की पूर्व अनुमति लिये बगैर एन.आई.डी. अधिनियम की धारा 25 के अनुसार मिल का इस प्रकार बन्द होना बिल्कुल गैर-कानूनी है। इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त मिल में 255 से भी अधिक कामगार जो इस मिल में पिछले सत्रह वर्षो से काम कर रहे थे बेराजेगार हो गये है। भूखों मरते हुए ये मजदूर पिछले 600 दिनों से इस मिल को पुनः खोलने अथवा भारतीय खाद्य निगम में स्थायी रूप से रोजगार पाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से निंरतर भूख-हड़ताल करके आंदोलन कर रहे है।

अनेक प्रतिवेदनों के बावजूद भी केन्द्र ने कोई कार्यवाही नहीं की। कम से कम उन्हें उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण तो अपनाना चाहिये।

अब, मुझे एक चौंका देने वाला समाचार मिला है कि उन भूख हड़ताल कर रहे कर्मचारियों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक अन्य पागल हो गया है। रोजगार न मिल पाने की स्थिति में वे भूखों मर रहे हैं। कुछ अन्य कामगार जो इसमें शामिल हैं, की स्थिति खराब है।

अब, मैं सरकार से इस मिल को पुनः खोलने अथवा उन्हें भारतीय खाद्य निगम में स्थायी रूप से नियुक्त करने की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूँ और सैंकडो कामगारों का जीवन बचाने का अनुरोध करता हूँ।

मैं माननीय मंत्री से इसका कुछ जवाब देने का अनुरोध करता हूं। यह अति गंभीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : रेड्डी जी, शून्य काल के दौरान सभा में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। अगर मंत्री महोदय, स्वेच्छा से आना चाहें, तो ठीक है। इसके कुछ मानदंड होने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बाकुरा) : पिछले तीन वर्षो से सौ कामगार . . . . **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बसुदेव आर्चाय जी, आपकी बात ठीक है। लेकिन यह मंत्री महोदय पर निर्भर करता है वह चाहें तो जवाब दे सकते है। लेकिन आप उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह कोई तरीका नहीं है। आपको मानदंडो की जानकारी होनी चाहिए। आपको सभा की प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन

का ध्यान एक बहुत अहम मसले की तरफ ले जाना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि सरकार की तरफ से इसमें कुछ न कुछ जवाब आये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसे बिलकुल स्पष्ट कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : इस साल हम लोग साक्षरता दिवस मना रहे हैं और हमने क्लेम किया है कि सन् 2000 तक पूरा हिन्दुस्तान साक्षर होगा। इसके लिए हजारों करोड़ रूपये यू. एन. ओ. से भी आये हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान नवभारत टाइम्स के फ्रण्ट पेज न्यूज की तरफ ले जाना चाहता हूँ, 'दिल्ली की नाक तले एक अंगूठा टेक गांव', इस न्यूज आइटम के अन्दर अगर आप डिटेल्स में जायेंगें तो आपको पता चल जायेगा कि दिल्ली, जो कि पूरे हिन्दुस्तान की राजधानी है, वहां पर देश का दिल है, वहां पर आपके यहां एक गांव ऐसा है, जहां की आबादी 2000 हैं और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सड़क , बिजली, राशन की दुकान और पोलिग बूथ, इन सब चीजों को छोड़ दें तो 2000 की बस्ती के अंदर एक भी आदमी पढ़ा लिखा नही है।

आज हम क्लेम करने जा रहे है कि सन् 2000 तक पूरा हिन्दुस्तान साक्षर हो जायेगा, लेकिन दिल्ली जो कि कैपिटल है, इसके अन्दर एक गांव आपके यहां ऐसा है, जिस गांव का नाम बदरपुर खादर है। मैं जानना चाहता हूँ, मैंने बार-बार यहां पर इसे उठाने की कोशिश की है लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यह गांव मुसलमान यानि एक माइनोरिटी कम्युनिटी का गांव है। जब दिल्ली, कैपिटल के अन्दर आपके पास एक गांव ऐसा है जो पढ़ा-लिखा नहीं हैं, जिसमें एक भी आदमी पढ़ा लिखा नही है तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। आज हजारो करोड़ रूपये इस काम के लिए यू.एन.ओ. से आये है।, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ अगर आप बुलवा सकते हों तो बुलवाने की कोशिश करें कि इस मिशन में हम लोग कामयाब हैं . . . . (**व्यवधान**)

श्री कालकादास (करोलबाग) : वहां के लोग तहसीलदार भी है, वहां ब्लाक कमिश्नर भी हैं बदरपुर खादर मे तो शिक्षा बहुत है। आपकी जानकारी ठीक नही है। वहां बहुत पढ़े लिखे हैं। . . . . (**व्यवधान**) यह कोई बिहार का गांव होगा, दिल्ली का गांव नहीं है। . . . . (**व्यवधान**) उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर तो स्कूल हैं, वहां पर तो आफिसर्स है। . . . . (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आपको जानकारी नही हैं, आप क्यों बहस करते है? . . . . (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कालका दास जी, आपकी सरकार एक निर्णय पर पहुंची है। कोई अन्य दल वहां लम्बे समय से शासन कर रहा था। आप दोष अपने कंधों पर क्यों लेते है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सभा की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिए। मेरे विचार में, चूंकि मध्याह्न भोजन का समय नजदीक आ रहा है और आपको भूख लग रही है और इसीलिए आपको गुस्सा भी आ रहा है। बेहतर यही होगा कि मैं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलूं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : बंसल जी, माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर मिलना चाहिएं

(**व्यवधान**)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : हम उसका इंतजार कर रहे है। लेकिन आप बता रहे है कि आप निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहे है। कृपया उन पर नियंत्रण रखिये। हम शांतिपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहे है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूची के अनुसार नाम बुलाऊंगा। कुछ सदस्य नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहते थे इसलिए मैंने सभा की अनुमति से सूची में फेर-बदल किया था। मैंने उसमें अपनी मर्जी से काम नहीं किया।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : ये लोग इतना शोर कर रहे है और चांस भी इनको मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि सबको चांस दूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अति लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बिहार आबादी के हिसाब से पूरे देश में दूसरे नम्बर पर आता है। लेकिन उत्तरी बिहार में मधुबनी, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिले जोकि भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित है, ये तीनों जिले यातायात की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुए है। भारत सरकार की सघन रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत रोजगार योजनाओं को पूर्णरूपेण सभी प्रखंडो में नही लिया गया है। इन जिलों में रोजगार के अभाव के कारण कृषि पर प्रतिकूल असर पड़ा है। क्योंकि खेतीहर मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे है। यह एक राष्ट्रीय समस्या खड़ी हो गई है। इन तीनों जिलों मे अभी बाढ़ से तबाही मची हुई है। इसलिए इन जिलो में भारत सरकार की रोजगार योजनाओं को पूरी तरह से अमल में लाना चाहिए ताकि वहां के मजदूरों को साल भर रोजी-रोटी मिल सके और उनका पलायन रूक सके। वहां जो क्षेत्रीय विषमता खड़ी हो रही है वह भी रुक सके। इसके साथ ही जो कृषि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, वह भी नहीं पड़ेगा। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को इस सम्बन्ध में रिस्पांस देना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निश्चित रूप से इसी सूची के अनुसार चलूंगा जो मेरे सामने मौजूद है। मैं इसमें परिवर्तन नहीं करूंगा। आप अनावश्यक रूप से

हाथ क्यों उठा रहे हैं। मैं बार-बार यह बात बता रहा हूँ। आप क्यों अपने आप को थका रहे है? आखिरकार, यह आपके शरीर का अनिवार्य अंग है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० एस० पी० यादव (सम्भल) : मैं सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब भी अध्यक्षजी आसन पर बैठते है तो कोई नहीं बोलता है और जब उपाध्यक्ष जी, आप बैठते है और सबको टाइम देते है तो सब लोग डिस्टर्ब करते है। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे डिस्टर्ब न करे।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो मेरी वीकनेस है। वीकनेस के बारे मे मुझे थोड़ा सर्वे करना पड़ता हैं।

डॉ० एस० पी० यादव : मेरे क्षेत्र में गंगा नदी में बाढ़ आई हुई है। जिसके कारण वहां कटाव हो रहा है और पॉच-छः गांव जिनके नाम सिंघोली, समसपुर, दिबरा और रघुपुर हैं । ये गांव गंगा नदी के कटाव में आ चुके है। 1994-95 में 6500 करोड़ रूपयं की राशि जल संसाधन मंत्रालय को बाढ़ और कटाव से रक्षा करने के लिए दी गई थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमने इस सम्बन्ध में जो सवाल सदन में उठाए उनका भी उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि बदांयू जनपद की गुनौर तहसील में जो ये चार गांव कटे है वहां के लोगो को रहने के लिए जमीन और कृषि के लिए कुछ जमीन मुहैया कराई जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को बोलने का मौका दिया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्री का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र पटना की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। पटना में दानापुर में केंटोनमेंट है। जोकि देश के प्रमुख केटोनमेंट्स में से एक है। उसकी हालत बहुत ही दर्दनाक और जर्जर है। वहां सारी की सारी रोड़ टूटी हुई है, नाले टूटे हुए हैं और पूरा सम्पर्क टूटा हुआ है। पिछले दिनो वहां विकास का कोई काम नही हुआ है। जब मैंने अधिकारियों से सम्पर्क करने का काम किया, रक्षा मंत्रालय से सम्पर्क करने का काम किया, तो भी विकास के लिए कोई राशि नहीं दी गई है, जैसा कि अधिकारी बोलते है। जब इस संबंध में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराया, तो आश्वासन मिला कि इस ओर देखेंगे, मगर अभी तक रक्षा मंत्रालय की ओर से दानापुर कैन्टोनमेंट के विकास के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से वहां रोड्स, नाले टूटे हुए हैं और पानी जमा हो गया है। इस वजह से वहां भयंकर बीमारी फैलने की भी आंशका है। लोग मरने की स्थिति में है। वहां पर बड़े अधिकारी और सैनिक रहते है, जनता भी रहती है, आम नागरिक रहता है, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन हैं, वे सदन में बैठे हुए है, कि दानापुर छावनी की स्थिति में सुधार के लिए राशि उपलब्ध करायें ताकि वहां पर सड़क बन सके, ताकि लोगो को राहत मिल सके।

इसलिए मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यथाशीघ्र दानापुर छांवनी के विकास के लिए राशि उपलब्ध कराने का काम करें। वहां की जो स्थिति है, सड़कें नहीं है, नाले टूटे हुए हैं, जल जमा हो गया है, गन्दगी है, वह दूर हो और वहां का विकास हो सके।

माननीय रक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इसको गम्भीरता से लेने का काम करें। छांवनी के विकास के लिए फन्ड दिया जाए। वहां का विकास जल्दी हो सके, ताकि जनता का कल्याण हो।

श्री राजेश कुमार (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, बौद्ध गया एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थान है। दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, देश और विदेश से, लाखों लोग प्रतिवर्ष वहां जाते हैं। आज सूचना और प्रसारण मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी बातों को सुन नहीं रहे है। विभागीय मंत्री सदन में उपस्थित हैं। दुनिया में तीन बड़े धर्म हैं। पहला इस्लाम धर्म, दूसरा क्रिश्चियन और तीसरे नम्बर पर बौद्ध धर्म आता है। बौद्ध गया का अपना एक अलग महत्व है। मैं गुलामनबी आजाद जी को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने बौद्ध गया के महत्व को देखते हुए दो अक्टूबर से एयरलाइन जोड़ने की घोषण की है। वहां पर देशी और विदेशी दोनो टूरिस्ट आते हैं, लेकिन वहां पर कोई टी.वी. स्टेशन नहीं है। टी.वी. स्टेशन न होने के कारण देश-विदेश में जो घटनायें घटती हैं, जो अच्छा-बुरा देश में होता हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं हो पाती है। दुनिया से टूरिस्ट वहां आते है, सम्पर्क टूटा रहता है, टी.वी. ने होने के कारण। बौद्धगया बौद्धों का मक्का कहलाता है। और वहां टी.वी. स्टेशन न हो,यह आश्चर्य की बात है। मंत्री महोदय सदन में बैठे हुए है, मैं उनसे मांग करता हूं कि बौद्धगया में एक टी.वी. सैन्टर खोलने का काम करें। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आशा करता हूँ कि वे इस पर कुछ शब्द बोल दें। धन्यवाद।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, रसोई गैस, आज आम आदमी के लिए उपयोगी वस्तु बन गई है। गरीब आदमी अपने पेट की आग को बुझाने के लिए रसोई गैस का चूल्हा जलाता है। लेकिन मुझे बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि रसोई गैस के लिए जमा राशि जो पहले 450 रूपये थी, उसको बढ़ाकर 1000 रूपये कर दिया गया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चौहान जी, रसोई गैस का यह मामला पहले यहाँ कई बार उठाया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : 450 रूपये के स्थान पर एक हजार रूपये कर दी गई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, मंहगाई ने आज आम आदमी की कमर तोड़ दी हैं, इसलिए यह जो राशि बढ़ाई गई है, अनुचित है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि रसोई गैस एजेंसी और पैट्रोल पंप देने का जो विवेकाधीन कोटा है, उसका भी दुरूपयोग होता है। अखबारों मे भी इस तरह के आरोप लगाए गए है कि विवेकाधीन कोटे से प्रधानमंत्री जी ने कई गैस एजेंसीज आंबटित की है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पिछले दो वर्षो में जिन जिन लोगों को इस कोटे के तहत गैस एजेंसीज और पैट्रोल पंप दिए गये,

उनकी सूची सदन में प्रस्तुत की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आज विवेकाधीन कोटे का इसलिए दुरूपयोग हो रहा है, क्योंकि विवेक पर आज स्वार्थ का बोझ पड़ गया है। इसलिए विवेकाधीन कोटा समाप्त किया जाए तथा लोकतंत्र मे तर्क तथा योग्यता के आधार पर ही गैंस एजेंसीज तथा पैट्रोल पंप आंबटित किए जाने चाहिए तथा पिछले दो वर्ष की सूची सदन में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय , मैं भी यहीं मुद्दा उठाना चाहता हूँ। आज एक लाख लोग प्रतीक्षा सूची में है और सरकार ने गैस कनेक्शन के लिए डिपाजिट राशि को 450 रुपये से बढ़ाकर 900 रूपये कर दिया है, इसको तुरंत कम किया जाना चाहिए। आज रसोई गैंस अत्यंत आवश्यक वस्तु हो गई है, इसकी राशि बढ़ने से गरीब जनता पर दोहरी मार पड़ेगी। इस राशि को कम करने की सरकार द्वारा तुरंत घोषणा करनी चाहिए, यहीं मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : मेरा प्रश्न रेलवे विभाग से संबंधित है। दिल्ली हावड़ा जनता एक्सप्रेस बहुत पुरानी गाड़ी थी, जो लंबे समय से चल रही थी। इस गाड़ी पर पैंसिजर गाड़ी का किराया लगता था, लेकिन यह गाड़ी एक्सप्रेस की तरह चलती थी, जिसमें गरीब लोग यात्रा करते थे और दिल्ली से हावड़ा तमाम स्टेशनों से यह गाड़ी गुजरती थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि न जाने सरकार पर क्या आफत आ गई, रेल मंत्री या प्रधान मंत्री को क्या सूझा जो एक महीने पहले उस गाड़ी को बंद कर दिया गया। आज दिल्ली से हावड़ा तक तमाम स्टेशनो पर इस गाड़ी को पुनः चालू करने की मांग को लेकर धरने और प्रदर्शन हो रहे है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अभी ऐसी कोई आफत नही आई है और सरकार जाने का कोई खतरा नहीं है, इसलिए गरीबों की सुविधा के लिए दिल्ली-हावड़ा जनता एक्सप्रेस जल्दी से जल्दी चालू की जाए, जिससे देश के गरीबों को फायदा हो सके। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : तेज नारायण सिंह जी, अगर आपका नाम नहीं बुलाया जाता तो आप बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन जब अन्य सदस्य बोल रहे हों, तो आपको पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, स्वर्गीय देशमुख देश के महान सपूत समझे जाते हैं और औने वाली 18 जनवरी 1996 को उनकी जन्म शताब्दी आ रही है। श्री देशमुख कुशाग्र बुद्धि के महापुरुष थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गर्वनर रहे । अर्थ शास्त्र तथा वित्तीय विषयों के जगतमान्य विशेषज्ञ थे। पंचवर्षीय योजनाओं की नीति बनाने की उन्होंने नींव डाली, देशमुख जी बहुभाषाविज्ञ थे। उन्होंने संस्कृत में भी कई कविताएं लिखी, ऐसी उत्तग प्रतिभा के बहुत कम लोग देश मे पैदा हुए है। भाषाओं को लेकर जब राज्यों का पुनः गठन हो रहा था और जब उन्होंने महाराष्ट्र के साथ अन्याय होता देखा तो वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं।

इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उनकी जन्म शताब्दी सुयोग्य ढंग से मनानी चाहिए और इसके लिए सरकार को तैयारी करनी चाहिए और साथ ही साथ उसके एक हिस्से के तौरपर उनकी जन्म-शताब्दी की तिथि पर एक विशेष डाक-टिकट भी निकालना चाहिए। इसके बारे मे वित्त मंत्री और संचार मंत्री क्या करना चाहते हैं उसकी जानकारी सदन में दे। यही मेरी मांग हैं

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का अवसर मिलेगा। अगर आप सभी सहयोग करने के लिए तेयार हों तो मै आपका नाम बुलाऊंगा। आपको एक या डेढ़ मिनट ही बोलना चाहिए। आखिरकार, हम इसका समय और कितना बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ० महादीपक सिंह शाक्य (एटा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सन् 1989 में भारतीय खेल प्राधिकरण की एक मीटिंग हुई थी जिसमें खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए यह निश्चय किया गया था यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि 4 केन्द्रो की स्थापना की जाए। मान्यवर, पांचवां केन्द्र लखनऊ में मध्य-क्षेत्रीय केन्द्र के नाम से बनाने की योजना भी की थी। अन्य क्षेत्रों मे निर्माण हो चुका है। मध्य-क्षेत्र लखनऊ जिसका परपोजल विचाराधीन था उसका पैसा केन्द्र को देना था और जमीन उत्तर प्रदेश को देनी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 एकड़ जमीन अर्जित कर ली है। कई पंत्र केन्द्र सरकार को लिखे है लेकिन आज पांच वर्ष के बाद भी उसकी उपेक्षा की गई है और खेल केंन्द्र का निर्माण नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से साग्रह निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय पैसे को उत्तर प्रदेश सरकार को भिजवाया जाए ताकि मध्य-क्षेत्रिय केन्द्र उत्तर प्रदेश में स्थापित हो सके। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए और अधिक समय बढ़ाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। प्रक्रिया की दृष्टि से भी इससे कोई अच्छी धारणा नहीं बनती। अतः क्या अब इसे समाप्त करके मुझे नियमित कार्य शुरू करना चाहिये?

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम कुछ समय और जारी रखेंगें। इसे और कितनी देर तक जारी रखा जा सकता है? मैं एक-एक करके बुलाउंगा। कृपया इसमें सहयोग कीजिए ताकि किसी को भी इस अवसर से वंचित न रखा जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी इसे बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। कृपया अपने भविष्य को संक्षेप में रखिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : जब वे इलाहाबाद पर बोल रहे थे तो मुझे विरोध करने का मौका नहीं मिला था . . . . **(व्यवधान)** आपको मुझे विरोध करने का मौका देना चाहिए था। . . . . **(व्यवधान)**

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि लखनऊ से पुष्पक ट्रेन प्रतिदिन चलकर बम्बई जाती है उसमे हजारो यात्री शिरडी साई बाबा के दर्शनार्थ प्रतिदिन जाते है। शिरडी साई बाबा के पास मनमाद स्टेशन है, वहां पर यह ट्रेन नहीं रुकती है। इस कारण शिरडी साई बाबा के दर्शनार्थ जो यात्री इस ट्रेन में जाते हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि मनमाद स्टेशन पर पुष्पक ट्रेन को रोकने का आदेश देने का कष्ट करे।

दूसरा निवेदन यह है कि सन् 1922 के स्वतंत्रता आंदोलन मे चौरी-चौरा कांड समूचे भारत मे विख्यात है। उन दिनों चौरी-चौरा का थाना फूंक दिया गया था, जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर राख हो गये थे तथा उस समय उस क्षेत्र के 19 स्वतंत्रता सैनानियों को फांसी की सजा हुई थी। चौरी-चौरा कांड से संबंधित स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन नही मिल रही थी। बाद में उनके परिवार वालों को पेंशन की सुविधा दी गयी, जबकि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी चौरी-चौरा शहीद स्मारक का शिलान्यास करने गई थी और वर्तमान प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने गये थे तथा उन्होंने आश्वासन दिया जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन देना प्रारम्भ किया। इस तरह से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान उक्त कांड में जिन लोगो को फांसी की सजा हुई थी, उनके बचे 7 परिवारों को ही राज्य सरकार की ओर से पेंशन मिल रही है। और 19 लोगों में से 7 परिवार के लोग ही बचे हुए है, किन्तु उनको भी भारत सरकार के द्वारा पेंशन नही दी जा रही है।

उनको पेंशन दिलवाएं, यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : आपको सदस्यगण के नोटिसो पर चिहिनृत क्रम संख्या के अनुसार चलना चाहिये। मेरी संख्या 19 थी। मैंने नोटिस पर इसे देखा था। लेकिन अब सूची में मेरा 37 वां नम्बर है। इसमें कोई औचित्य नहीं है। कल पूरे दिन मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा करता रहा और आज भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने अध्यक्ष महोदय को आवेदन पत्र दिया था उसमें मेरा 19वां स्थान था। लेकिन अब मेरा नम्बर 37 पर है। मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूँ। यह सब क्या है? नम्बर किस प्रकार दिये जाते है? इसके लिए कोई युक्तियुक्त तरीका अपनाईये, चाहे वह ड्रा द्वारा हो या किसी अन्य तरीके द्वारा। मैंने कल भी यही निवेदन किया था। इसका अर्थ यह है कि आज भी मेरी बारी नहीं आयेगी। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि मेरा 19वां नम्बर है। लेकिन यहां सूची में मेरा नम्बर 19 नहीं है। अब यह 37वां है। मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मै इस विषय पर विचार करूंगा और यह काम हो जायेगा।

श्री पवन कुमार बंसल : आप कौन सी प्रक्रिया का अनुपालन कर रहें हैं। यह उचित नहीं है। मैं कल एक अति महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता था और आज भी वहीं उठाना चाहता हूं जो पत्रकारों को आवास प्रदान करने से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर उसमें किसी प्रकार की कोई चुक होगी तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल : सूची तैयार करने का यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। परेशानी में मत डालिये।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत इंतजार के बाद आपने बोलने की इजाजत दी, इसके लिये धन्यवाद। मैं देश की मर्यादा और डिगनिटी का सवाल उठाना चाहता हूं। 2-3 दिन पहले मैंने इस सम्बन्ध में स्पीकर साहब के साथ भी बात की। मैं नहीं जानता कि हमारी सरकार के मंत्री लोग देश के इंटरस्ट के बारे में क्यों इतने इनसेंसटिव हो गये है। दिल्ली की अमेरिकन ऐम्बैसी का मुख्य पत्र मेरे पास है। युनाइटिड स्टेट्स ऑफ अमरिका के ऐम्बैसैडर मिस्टर विजनर ने 8-10 पेज की एक भेंट वार्ता खास तौर से देश के अन्दरूनी मामलों के बारे में दी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्यों कि मै बात करने की पुनरावृति का आदी नहीं हूं। यहां साल्वे जी, सिंह देव जी, मल्लिकार्जुन जी और भाटिया जी बैठे हुए है। भाटिया जी लायक दोस्त हैं। उनकी सैनसिटिविटी और भारतीयता क्यों नहीं जगी। श्री बिजनर अपनी भेंट वार्ता में कहते हैं।

[अनुवाद]

"मेरा विश्वास है कि वस्तुस्थिति को देखते हुए कश्मीर की स्थिति के तीन भाग हैं—पहला भारतीय, दूसरा पाकिस्तानी और तीसरा स्वंय वे लोग जो वहां रहते हैं—उन सभी को शामिल किया जाना चाहिये। और घाटी के लोगों को इसमें शामिल होने का सहज अधिकार है क्योंकि यह उनके अपने अस्तित्व का सम्बन्ध है, जिसे सुलझाने की अन्य लोगों से आशा नहीं की जानी चाहिये।"

[हिन्दी]

आगे विजनर साहब कहते हैं

[अनुवाद]

"मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें इस बात की समझ है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता कैसे बनाये रखी जा सकता है। हम इस बारे में भारतीय पक्ष से बात कर रहे हैं।"

[हिन्दी]

आगे चल कर सबसे भयंकर चीज कहते हैं।

[अनुवाद]

"मेरे विचार में अमरीकन जिस वास्तविक दुविधा का सामना विश्व में करते है वह है कि हमारी पहुंच अधिक है। जबकि हम ऐसा नहीं समझते कि हम लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल रहें हैं, लेकिन वास्तव में हम ऐसा कर रहे हैं।"

[हिन्दी]

विजनर साहब को अपनी राय देने का अधिकार हैं।

[अनुवाद]

"वे भारत में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा नियुक्त मान्यता प्राप्त राजदूत हैं।"

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान में वह कश्मीर के बारे में कहते है कि वैली है और जम्मू तथा लद्दाख में जो हिन्दू और बौद्ध मेजौरिटी है, उससे अलग करके कहते हैं और मैं कहता हूं कि इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। हिन्दुस्तार में रहकर हिन्दुस्तान की भूमि पर आकर राजदूत के नाते हम उनका सम्मान करते है लेकिन हिन्दुस्तान का कोई देश-प्रेमी उनसे सहमत नहीं होगा। इतना ही नहीं है, ऐनरॉन डील का भी उन्होंने समर्थन किया है। सी एन एन और दूरदर्शन के समझौतों का भी उन्होंने समर्थन किया है। सी एन एन के पत्रकार की तरफ से "हिन्दू इंडिया" कहा गया और जो नौवें का नागरिक अल-फरान ने मारा, उनको वह मुस्लिम सेंपरेटिस्ट कहते हैं। उनको गुण्डे, मिलिटैण्ट या टैररिस्ट नही कहते हैं। इस तरह का कश्मीर के बारे में उनका बयान हिन्दुस्तान के खिलाफ है।

[अनुवाद]

उनके "माऊथपीस" कहे जाने वाले 'स्पैन' में श्री वाइज़नर द्वारा दिए गए अपत्तिजनक वक्तव्य के विरुद्ध अगर हम आवाज़ नहीं उठायेंगे तो यह आत्मघात होगा और अपने राष्ट्र के हित के साथ विश्वासघात होगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यहां भारत सरकार के विदेश मंत्री भी बैठे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि भारत सरकार को, उनको बुलाकर कहना चाहिए कि हिन्दुस्तान के इतिहास में कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है और जो बयान आपने दिया है, उसका हम प्रोटेस्ट करते हैं और सरकार को भी वाइज़नर के भारत विरोधी बयान का विरोध करना चाहिए। वरना दुनिया के सामने यह मैसेज जाएगा कि अमरीका जो हिन्दुस्तान का डोनोर देश है, इसलिए हम उससे डरते हैं और अपने राष्ट्र के हित में नहीं बोलते हैं। मैं खासकर भाटिया जी को बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में सारी दुनिया हिन्दुस्तान की तरफ देख रही थी। विश्व में हिन्दुस्तान का भी नेतृत्व था। आज वह घट रहा है क्योंकि हम सेन्सिटिविटी खो चुके हैं और हिन्दुस्तान के हित के लिए जो बात होनी चाहिए यह हम डर से नहीं कह रहे हैं। इसलिए वाइज़नर साहब जो हिन्दुस्तान में अमरीका के राजदूत हैं उनको इस तरह का बयान सेल्फ-इंट्रोस्पेक्टिव होकर देना चाहिए था क्योंकि वह हिन्दुस्तान में रहते हैं। हिन्दुस्तान के हित के खिलाफ और हिन्दुस्तान की पौलिसी के खिलाफ उनको नहीं बोलना चाहिए।

[अनुवाद]

ऐसा कहना संयुक्त राज्य अमरीका के राजदूत के लिए उचित नहीं है।

[हिन्दी]

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम उस बयान का प्रोटेस्ट करते हैं।

[2.00 म० प०]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री वी० धनंजय कुमार बोलेंगे। वे यहां उपस्थित नहीं हैं। मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी बोलेंगे।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) **:** महोदय, मैं यहां हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप यहां हैं? ठीक हैं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं।

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि यदि पीछे बैठे लोगों के लिए अध्यक्ष पीठ का यह रवैया है तो सरकार का रवैया कैसा होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय कुमार, आपने मुझे गलत समझा है। यह दोपहर के भोजन का समय है। सम्भवतः आप अपने दोपहर के भोजन के प्रति सावधान रहते हैं। धन्यवाद। यह बहुत अच्छी बात है कि आप यहां हैं। अब आप बोल सकते हैं।

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, मैं पिछले तीन महीनों से दक्षिणी कन्नड़ जिले के विभिन्न भागों में फैल रहे तीव्र मलेरिया ज्वर की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंगलोर नगर सहित दक्षिण कन्नड़ जिले में मलेरिया के बुखार से 25 लोग मर गए हैं। कुछ मामलों में दो, तीन तथा चार बार ज्वर हुआ। यह कहा जाता है कि यदि एक बार किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो उसमें उस बीमारी का स्थायी रोगाणु वाहक आ जाता है। यह भी कहा जाता है कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर डी डी टी इत्यादि के आदि हो गए हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह विशेषज्ञों का एक दल दक्षिण कन्नड़ भेजें और मलेरिया को और फैलने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाये। हाल ही में यह पता चला है कि जबकि एलोपैथी में किसी व्यक्ति पर मलेरिया संक्रमण की रोकथाम के लिए कोई दवा नहीं है फिर भी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां काफी प्रभावकारी साबित हुई हैं। हाल ही में इस संबंध में कुछ अध्ययन किए गए हैं। राजस्थान राज्य में **सिद्ध औषध** नाम की एक आयुर्वेदिक दवाई से मलेरिया की रोकथाम के लिए तथा मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए प्रयोग किए गए हैं। यह बहुत प्रभावकारी साबित हुई। मैं भारत सरकार से इस बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि वह तत्काल विशेषज्ञों का एक दल वहां भेजे और मलेरिया को फैलने से रोके। मैं चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसका उत्तर कम से कम शाम तक दे दें। कृपया उन्हें जवाब देने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य विषय है।

श्री वी० धनंजय कुमार : 25 लोग पहले ही मर चुके हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय कुमार, मैं बार-बार यही कह रहा हूं। क्या आप सभा में इसके उत्तर की अपेक्षा कर सकते हैं?

श्री वी० धनंजय कुमार : सरकार यह क्यों नहीं कहती कि वे एक दल भेजेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह है कि यह बात सरकार के ध्यान में है। क्या आप समझते हैं कि सरकार बाहरी है और वे अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते?

श्री वी० धनंजय कुमार : जब वे जवाब नहीं दे रहे है तो इस बात से ऐसा ही लगता है। अन्यथा, वे इस बारे में गंभीर नहीं है। यदि वे इस संबंध में गंभीर हैं तो उन्हें खड़े होकर इस बारे में बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र की सीमा तिब्बत के साथ लगती है और मेरे क्षेत्र के अंदर एक विवादग्रस्त क्षेत्र बारा होती के नाम से जाना जाता है। इसलिए वहां पर बहुत से सुरक्षा बलों की टुकड़ियां भी रखी गई है। इस क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र से जोड़ने के लिए एक स्टेट हाईवे बनाया गया है जो ऋषिकेष से श्रीनगर और बद्रीनाथ तक जाता है। यह सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित है इसलिए इसको डी० जी० बी० आर० को रख-रखाव के लिए दिया गया है। लेकिन बरसात के दिनों में यह सड़क बंद हो जाती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है कि एक दूसरी सड़क भी इसी प्रकार की हमारे पास होनी चाहिए ताकि कभी यह सड़क बंद हो जाए तो हमारी सुरक्षा सेनाओं को विवादग्रस्त क्षेत्र के रख-रखाव का जो बंदोबस्त है वह खराब न हो। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जो दूसरी सड़क इस क्षेत्र में है, कोटद्वार-पौड़ी-श्रीनगर, उसको भी डी० जी० बी० आर० को रख-रखाव के लिए दी जाए ताकि इन दोनों में से एक सड़क बंद होती है तो दूसरा रास्ता सुरक्षा सेनाओं के लिए उपलब्ध हो। इसलिए मेरा रक्षा मंत्रालय और भूतल परिवहन मंत्रालय से निवेदन है कि कोटद्वार-पौढ़ी-श्रीनगर को भी डी० जी० बी० आर० को रख-रखाव के लिए दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक छोटा सा सुझाव है। अब, दो बजे हैं। क्या हम बाकी नाम शाम को बोलने के लिए रखें?

एक माननीय सदस्य : नहीं, महोदय . . . . **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : आप अनुमति क्यों नहीं देते हैं? स्पीकर साहब ने कहा था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा करते हैं कि पत्रों को सभा पटल पर रखने दीजिए उसके बाद हम इस मामले पर चर्चा करेंगे। आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। आखिरकार, हमें प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : महोदय, मुझे एक छोटा सा वक्तव्य देना हैं। उसके बाद आप सभा स्थगित कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दोपहर के भोजन के लिए अवकाश नहीं होगा। हम सभा की कार्यवाही जारी रखेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुदयाल, सदस्यों ने बहुमत से निर्णय ले लिया है। आप इतने बड़े ग्रुप से अपने आपको अलग क्यों करते हैं, हमेशा ग्रुप में ही रहिए। अब सभापटल पर पत्र रखें जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : नहीं, महोदय।

यह तब ही होगा जब सभी नाम बुलायें जायेंगें, मेरे जैसे लोगों को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए। **(व्यवधान)** मैं यहां बैठूंगा। **(व्यवधान)** कृपया इसे चलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा। यह दूसरे को मौका देने की बात है।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : नहीं, आप उनके लिए कोई भी समय नहीं रख सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी, आपका सुझाव क्या है?

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : प्रत्येक नाम पढ़ा जाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मेरा अनुरोध है कि आप कृपया वक्तव्य न दें। कृपया बताइए कि मुद्दा क्या है और यदि कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। कृपया संक्षेप में कहिए ताकि सदस्य धैर्य से आपकी बात सुन सकें।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, कृपया आप सभी नाम बुलाइए।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सभा का ध्यान लोक महत्व के एक गंभीर मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जो कि स्थानीय सेना के लोगों द्वारा जबलपुर छावनी बोर्ड के 25,000 निवासियों के प्रस्तावित निष्कासन के संबंध में हैं। छावनी बोर्ड के ये लोग कई पीढ़ियों से छावनी क्षेत्र में रहते आ रहे है तथा सेना द्वारा की गई कार्यवाही पर

छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों ने आपत्ति की है। निर्वाचित सदस्यों ने केन्द्र सरकार से सहायता मांगने के लिए मुझसे कहा है। महोदय, जबलपुर छावनी में पीढियों से रह रहे लोगों को बसाने और उनके पुर्नवास की समस्या को पूर्णतः मानवीय आधार पर तथा तर्कसंगत आधार पर सुलझाने की आवश्यकता है न कि सेना कार्मिको की अपनी मरज़ी के अनुसार उसका समाधान होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केवल दो वर्ष पहले सेना के जवानों ने अनभिज्ञ नागरिकों पर देर रात्रि को एक छोटे से विवाद के कारण ज्यादतियां की थी। रक्षा मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस मामले पर गंभीरता से विचार करें और इस समस्या का सौहाद्रपूर्ण समाधान निकालें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया क्षमा कीजिए। मेरी अनुमति के बिना आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल मे सुन्दरबन क्षेत्र को रायल टाइगर परियोजना के लिए संरक्षित क्षेत्र नाम से जाना जाता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंडल जी , कृपया, पढिए नहीं।

श्री सनत कुमार मंडल : नहीं, महोदय मैं केवल दो मिन्ट लूंगा।

यह चीते बारबार गांव में घुस आते हैं और गरीब ग्रामीण वासियों के पशुओं को मार डालते हैं। जब यह चीते इन्सानों पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो गांव वाले इकट्ठे होकर आत्म रक्षा के लिए उन पर गोली चलाते हैं।

वन्य जीवन अधिनियम के अन्तर्गत गांववासियों द्वारा गोली चलाना मना है। महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए जिसमें यह मजबूर ग्रामीणवासी आत्म रक्षा के लिए ऐसा करते हैं। हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें चीतों द्वारा हमला करने पर ग्रामीण वासियां द्वारा आत्म रक्षा के लिए गोली चलायी गयी है जिसके लिए उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में हर वर्ष बाढ़ और सूखा दोनों रहते हैं। नेपाल सीमा से लगा रहने के कारण प्रतिवर्ष जब भी नेपाल की नदियां में बाढ़ आती है तो वे उनका पानी इधर छोड़ देते है जिससे हमारे जनपद की नौगढ़ तहसील बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। इस वर्ष भी ऐसा ही हुआ। जुलाई महीने में नौगढ़ तहसील में भयंकर बाढ़ आ गयी। बाढ़ की वजह से नौगढ़ तहसील का पूरा भाग पानी में डूब गया। अनेक सड़के टूट गयीं और किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ मेरे क्षेत्र का दूसरा हिस्सा सिंचाई के साधनों की कमी के कारण सूखे से प्रभावित रहता है। यहां पर एक सरजू नहर प्रणाली लगभग 15 वर्षों से निर्माणाधीन है लेकिन उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है जबकि किसानों से जमीन ले ली गयी है परन्तु अभी तक उसमें पानी नहीं दिया गया है।

अतः मेरी केन्द्र सरकार और जल संसाधन मंत्री से मांग है कि मेरे जनपद को बाढ़ से बचाने के लिये एक योजना बनाई जाये तथा सरजू नहर प्रणाली को शीघ्र पूरा कर सिंचाई सुविधायें प्रदान की जायें।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, असम के करीमगंज जिले का बदरपुर रेलवे जंक्शन दक्षिणी असम की रेल सेवा का मुख्य केन्द्र है। इस विस्तृत क्षेत्र में रेल सेवा उपेक्षित रहती है जहां रेलवे लाईनों में वृद्धि नहीं की गई है, रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मो की स्थिति में सुधार नहीं किया गया है और वहां पुराने डिब्बों के साथ खराब इंजिन चल रहे हैं और कर्मचारियों की भी कमी है। इससे भी अधिक कुछ भागों में रेल सेवा बहुत कम है असुविधाजनक समय है, और सभी भागों में रेलगाडियां देर से आती है। इन परिस्थितियों में दक्षिणी असम में रेल सेवा में सुधार के लिए बदरपुर रेलवे जंक्शन को रेल प्रभाग का दर्जा दिया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल असम के करीमगंज जिले के बदरपुर रेलवे जंक्शन का दर्जा रेलवे प्रभाग के रूप में बढ़ा दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इन्तज़ार करें। मुझे सूची के अनुसार नाम बुलाने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माफ कीजिए, मैं इस दबाव के आगे झुक नहीं सकता।

(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय इस महीने की 21 तारीख को हमारे देश के कॉलिजों और विश्वविद्यालयों के 1,000 से अधिक अध्यापकों ने संसद के सामने आल इण्डिया फैड्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलिज टीचर्स आर्गनाइजेशन (ए. आई. एफ. यू. सी. टी. ओ.) के झंडे के नीचे धरना दिया और केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी सात वैध मांगो को दोहराया। मै उन मांगो को पढ़ना चाहूंगा।

(1) विश्वविद्यालय तथा कॉलिज के प्राध्यापकों के वेतनमानों में शीघ्र संशोधन;

(2) सभी विश्वविद्यालय तथा कॉलिज के प्राध्यापकों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के समकक्ष अन्तरिम राहत;

(3) पिछले वेतन संशोधन से लंबित पड़ी समस्याओं का तत्काल निपटारा।

(4) उच्च शिक्षा के निजीकरण पर रोक।

(5) उच्च शिक्षा के लिए धनराशि के आवंटन में वृद्धि;

(6) विश्वविद्यालय तथा कॉलिजों में लोकतांत्रिक प्रशासन; और

(7) विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बनाए रखना।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इन मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें ताकि कालिजों तथा विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों की सभी वैध मांगों को शीघ्र पूरा किया जा सके।

***श्री हाराधन राय** (आसन सोल) : महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं। महोदय, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, एक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम है जो बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध कारखाना है। कुल्टी में दो संस्थाओं अर्थात इस्को कर्मचारी सहकारी स्टोर्स और एक कन्या विद्यालय अर्थात इंदिरा प्रियदर्शनी कन्या विद्यालय का संचालन इस्को के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह अधिकारी अर्थात श्री के.के. तिवारी एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन्हें इस्पात मंत्रालय का संरक्षण प्राप्त है, उन्होंने इस क्षेत्र में आतंक फैला रखा है; वह हेराफेरी कर रहे हैं और कर्मचारी सहकारी स्टोर्स से लाखों रुपए लूट रहे हैं। साथ ही उन्होंने विद्यालय से भी लाखों रुपए का दुर्विनियोजन किया है। दोनों स्त्रोतों से बहुत बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी करने के बाद उक्त अधिकारी ने कर्मचारी सहकारी स्टोर्स में कार्यरत एक लिपिक से कुछ वाउचरों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा ताकि वह अपनी बेइमानी को छिपा सके। जब लिपिक ने उन वाउचरों पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने उसे उसके गंभीर परिणाम होने की धमकी दी। उसे और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मार देने की धमकी दी गई दबाव डाले जाने और आतंकित किए जाने के बाद उस नौजवान के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। आत्महत्या करने से पहले वह एक नोट छोड़ कर गया था। उक्त नोट में दिए गए विवरण के आधार पर उस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था। उक्त अधिकारी को कलकत्ता में मुख्य कार्यालय में ग्रोथ डिवीजन में स्थानान्तरित किया गया था। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त अधिकारी की इस्को से गैर मौजूदगी के दौरान कारखाने में उत्पादन बढ़ा और कानून और व्यवस्था की समस्या भी नहीं रही।

उसके बाद राज्य सरकार पर उक्त अधिकारी को फिर से इस्को कुल्टी में स्थानान्तरित करने के लिए मंत्री, सचिव और अपर सचिव, इस्पात अध्यक्ष और अपर सचिव, भारतीय इस्पात प्राधिकरण का दबाव था। अब वह फिर कुल्टी आ गए हैं और वहां पर आतंक का राज फैला रखा है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि एक अधिकारी होने के नाते वह मजदूर संघ की गतिविधियों में कैसे शामिल हो सकता है। वह हेराफेरी करते रहे हैं और सहकारी स्टोर और विद्यालय निधियों से धन लूटते रहे हैं। अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं इस अत्याचारी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रधान मंत्री जी और इस्पात मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने इस क्षेत्र में आतंक फैला रखा है। उन्होंने सीमावर्ती बिहार राज्य से गुण्डे और असामाजिक तत्वों को एकत्र कर रखा है और इस्को में आतंक का राज कायम कर रखा है।

महोदय, मैं इस अधिकारी को फिर से कुल्टी में स्थानान्तरित करने के कार्य की भर्त्सना करता हूं और अनुरोध करता हूं कि उसे फिर से इस्को में स्थानान्तरित न किया जाए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उन्हें तत्काल निलंबित करके जेल भेज दिया जाए।

मैं यह मांग करता हूं कि इस अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और कड़ी सजा दी जाए। ताकि इस्को इस अधिकारी द्वारा लाए गए असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाए गए दूषित वातावरण से मुक्त हो सके।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलने से पहले चेयर को धन्यवाद देता हूँ और चेयर के प्रति आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि चेयर के माध्यम से जो सराहनीय कार्य हुआ हैं, उसके लिए मैं संसद और चेयर के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता, प्रतिभा के धनी और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में रहकर अपनी कार्य क्षमता का परिचय देने वाले स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी की सेन्ट्रल हाल के लॉबी में महामहिम राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा मूर्ति का अनावरण कराकर आपने जो सराहनीय कार्य किया हैं, वह काबिले तारीफ है। आपने बाबू जी को सम्मानित करके सम्पूर्ण भारत के दलित, प्रताणित, निरीह और विपणन जनता को सम्मानित किया है। इस पुनित कार्य से पूरे देश का जनमानस पुलकित है।

मैं नवीं और दसवीं लोक सभा में सासाराम का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अतः मैं अपने दल एवं सासाराम के सम्पूर्ण जनता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे को 24.08.95 को लिया गया था।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : मैंने जो नोटिस दिया हैं, वे समाज के ऐसे लोग हैं जिनकी सदा से उपेक्षा हो रही है। उनके संबंध में मैंने नोटिस दिया है। मैं दो मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को लगभग छः माह गुजर जाने के बाद हाल यह है कि इस आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा पांच सदस्यों को अभी तक न तो सरकारी आवास, उपयुक्त कार्यालय स्थान न ही उनका निजी स्टाफ अभी तक मिला है। जबकि सरकार का भी मुक्ति योजना का संकल्प 1997 तक देश से सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने का है।

आजादी के 48 साल बाद भी स्थिति संबंधित समाज की ज्यों की त्यों है तो क्या आयोग बगैर स्टाफ और कार्यालय के तीन वर्षो में इस लक्ष्य को पूरा कर पायेगा जबकि अन्य आयोगों जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग, अनु. जाति/जनजाति आयोग, महिला आयोग व अल्पसंख्यक आयोग को हर तरह की सुविधायें प्राप्त हैं जिससे वे अपने कार्यो को सही प्रकार से सरकार के सामने रिपोर्ट पेश कर सकते है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आखिर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? सरकार ने कहा है कि वह तीन सालों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त कर देगी जबकि उनको आज तक न तो आफिस दिया गया है, न स्टाफ दिया गया है तो फिर वह कैसे इन तीन सालों में अपने उद्देश्य को पूरा करेगी? इसके संबंध में मैं सरकार से एक वक्तव्य देने की मांग करता हूँ।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : देश के बड़े-बड़े शहरों में मादक द्रव्यों का व्यापार तस्करी के रूप में होता है। खासकर बम्बई में विशेष रूप से मादक द्रव्यो का व्यापार होता रहता है। मादक द्रव्यो की तस्करी करने वाले स्मगलरो

* मूलतः बंगाली में दिये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

से भारत के एनटी नारकोटिक्स विभाग के दो आला अफसर श्री राहुल राय सूद एवं श्री सलास्कर जैसे अफसरों से सम्बन्ध होने का आरोप है। 5 फरवरी दि डेली पाकिस्तान, लाहौर से प्रकाशित होती हैं उसमें राहुल राय सूद एवं श्री सलास्कर के संबंध अन्तर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य बेचने वाले तस्कर से हैं। इसका प्रमाण पाकिस्तान में पकडे गये दो स्मगलरों के पास जिनके नाम अबू दाऊद एवं उनके बेटे युनूस ने कहा है कि श्री राहुल राय सूद हमें सहयोग करते हैं। श्री राहूल राय सूद ने लगभग कुछ ही दिनों के दरम्यान 250 करोड़ रूपये की सम्पति अर्जित की है। इन्टरपोल और अमेरिकी इन्टेलीजेन्स एजेंसियो ने इस मामले मे खास दिलचस्पी ली है। बम्बई से प्रकाशित दि एशियन एज, 17 अगस्त 1995 में भी इस विषय मे प्रकाशित हुआ है।

उपरोक्त मामले अति संवेदनशील है। अतः इस विषय में केन्द्र सरकार से मॉग करता हूँ कि इसकी जाचँ अविलम्व सी.बी.आई. से करवा कर दोषी अधिकारियों को कठोर से कठोर सजा दिलायी जाये एवं जांचोपरान्त पूरे मामले की जानकारी सदन के सामने रखी जाये।

श्री रामनिहोर राय (रॉबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, राजभर महासभा, उत्तर प्रदेश और अखिल भारतीय राजभर महासभा के क्रमिक 17.08.95 से जन्तर-मन्तर पर अनशन चला रहे हैं। मैंने कल वहां जाकर कई हजार लोगों के साथ गिरफतारी दी जिसकी सूचना अभी सदन को नही दी है। हमें चार घंटे तक रखा गया, हमारे साथ 732 लोग थे। मैंने प्रधानमंत्री के पी. ए. को एक मांग पत्र भी दिया है। वे लोग केन्द्र सरकार द्वारा राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के संबंध में अनशन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 मई, 1982 को राजभर जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु केन्द्र सरकार को लिखा है, लेकिन आज तक उस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 148 (जी), 126-700 (5) 1956 दिनांक 26. 03.1962 के द्वारा क्रम 17 पर भर जाति को अनुसूचित जाति माना गया परन्तु उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा। इसके विरोध में 17 तारीख से अभी तक अनशन चल रहा है। भर जाति की उत्तर प्रदेश के वस्ती, जौनपुर, गाजीपुर, वलिया, देवरिया, सुल्तानपुर, गोंडा, प्रतापगढ़ नैनीताल, वहाराइच, हरिद्वार, ऋषिकेश, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गाजियाबाद, सीतारपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, लखनऊ, मऊ, सोनभद्र, वाराणसी, भदोही आदि में करोड़ों की संख्या है। अंग्रेज सरकार ने इन जातियों को विमुख जाति में रखा क्योंकि इन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी।

मैं कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण मंत्री तत्काल ध्यान दें और इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए।

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, 20 तारीख की काल रात्रि को फिरोजाबाद में हुई रेल दुर्घटना से उत्पन्न त्रासदी को श्री सोमनाथ चैटर्जी की अध्यक्षता में हम देखने गए थे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : इसलिए मैंने निवेदन किया था कि मेरा दूसरा इशू है, उसपर मुझे बोलने दिया जाए ....(**व्यवधान**) यह महीना आ रहा है जिसमें पितृ पक्ष के लिए हिन्दुस्तान के कोने-कोने से ही नही बल्कि पूरे विश्व के कोने-कोने से लोग गया में इकट्ठे होते है।

गया में इकट्ठे होने वाले एक ही धर्म के लोग नही हैं, बल्कि वहां पर बौद्ध धर्म के मतावलम्बी भी इकट्ठे होते हैं। मेरी जो हिन्दू की परिभाषा है, वह बहुत विस्तृत हैं, सूफियों के संत वहां पर पैदा हुए हैं, उनकी शान में भी नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठे होते है। इसलिए गया जिला पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं। गया स्टेशन और बोधगया का न रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा होना, न वायु मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा होना न केवल बिहार के पर्यटन के लिए, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के पर्यटन के लिए बड़ा ही शोचनीय विषय हैं। गया जिले में जो बोधगया का स्थान हैं, उसको अपने यहाँ पर पर्यटन का गेटवे कहा जाता है, लेकिन आजन्तक उसे रेल मार्ग से नही जोड़ा गया। गया में भी अच्छी-अच्छी ट्रेंने रूकती नहीं है, जो राजधानी एक्सप्रैस जैसी ट्रेंन रूकती हैं, उनमे एक भी टिकट की बुकिंग वहां नही होती है। राजधानी में यात्रा करने वाले केवल गया में उतर सकते हैं, गया स्टेशन से चढ़कर दूसरे गंतव्य तक जाने का उनको अधिकार नही हैं। यह बिहार के साथ घोर उपेक्षा और अवहेलना है।

महोदय, मैं आपके माध्यम मे सरकार से कहना चाहती हूँ कि केवल 24 करोड़ रूपये की लागत से बोधगया का विमानपतन ऐसा बन जायेगा, जिसमे विश्व का कोई भी हवाई जहाज वहां उतारा जा सके। जब तक वह नहीं बन रहा हैं, तब तक के लिए अविलम्ब पुरुषोतम एक्सप्रैस को वहां रूकने एवम् उसमे टिकट उपलब्ध होने की व्यवस्था की जाये। हावड़ा वाली जो राजधानी एक्सप्रैस हैं, वह प्रतिदिन रुकती हैं, लेकिन उसमे गया पर टिकट पाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए गया के लिए एक अतिरिक्त बोगी लगाई जाय और साथ ही वहां पर और भी कुछ तेज गाड़ियां शुरू की जायें। यदि पूरे वर्ष के लिए नहीं हो तो बुद्धिस्टों के लिए, हिन्दुओं के लिए और सभी धर्मावलम्बियों के लिए एक उत्तम महीना आ रहा है, जिसमें पर्यटन को भी अच्छा लाभ होगा, इसलिए इन कार्यो को यथासम्भव जल्दी शुरू कराया जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मेरे सामने जो नाम हैं, मैं उन्हें पुकार रहा हूं।

श्री बसुदेब आचार्य (बांकुरा) : महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मियों को जो वेतन और भत्ते दिए गए हैं, वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को नहीं दिए गए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा 1990 में दिए गय फैसले को स्वीकार कर लिया है। जिसमें उद्योग वार समझौते के अनुसार प्रायोजित बैकों को समान वेतन, भत्ते और लाभों का प्रावधान हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की कर्मचारी एशोसिएशन ने आज 25 अगस्त 1995 को हड़ताल का आह्वान किया है। मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के कर्मचारियों की एशोसिएशन का एक प्रतिनिधि मण्डल लेकर केन्द्रीय वित्त मन्त्री के पास गया और हमने यह मांग की कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के कर्मचारियों को वही वेतन और भत्ते मिल रहे थे जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हैं। अतः जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन पर समझौता हुआ तो वही वेतन, भत्ते और लाभ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलने चाहिए।

वित्त मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह इस पर विचार करेंगे और इसे कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। यह आश्वासन मिलने के बाद एशोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान वापस ले लिया है। मैं केन्द्र सरकार से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की उचित मांगों को स्वीकार करने का आग्रह करता हूं। साथ ही मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए जो वेतन समझौता हुआ है उसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए।

[हिन्दी]

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा (क्योंझर) : इतने सारे लोग एबसेंट हैं तो मुझे क्यों नहीं चांस देते?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि बहुत से सदस्यगण अनुपस्थित हैं : इसलिए आपकी बारी जल्दी आएगी।

[हिन्दी]

डॉ० रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पिलखुवा-मोदीनगर एक व्यापारिक केन्द्र है। पूरे भारतवर्ष के व्यापारी वहां व्यापार के लिए आते है। यहां के व्यापारियों को दिल्ली में व्यापार के लिए बार-बार टेलीफोन करना पड़ता है। इन दोनों स्थानों की एरियल दूरी दिल्ली से दादरी की एरियल दूरी से भी कम हैं, लेकिन दादरी से दिल्ली लोकल काल की सुविधा प्राप्त है। जबकि इन स्थानों की दूरी कम होने के बावजूद भी यहां के लोगों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। इसी तरह से फर्रूखनगर से दिल्ली की एरियल दूरी दादरी से दिल्ली की एरियल दूरी से कम हैं। मेरा आपके माध्यम से संचार मंत्री से अनुरोध हैं कि अनुरोध है कि पिलखुवा, मोदीनगर, फर्रूखनगर के निवासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जनहित में इन स्थानों को लोकल काल की सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

श्रीमती सरोज दूबे (इलाहबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी दो दिन पहले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मन्त्री ने विधान सभा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ मेरठ में शीघ्र स्थापित करने की घोषणा करके उत्तर प्रदेश को उद्वेलित कर दिया हैं, उसके सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विभाजन की तथा मेरठ में खंडपीठ स्थापित करने की घोषणा का कठोर विरोध करती हूँ। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और द्वार-द्वार तक सुलभ और सस्ता न्याय पहुंचाने के नाम पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विभाजित करके उसकी गरिमा को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको मालूम है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस देश का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी अपनी पुरानी महान परम्परायें हैं। उसके एतिहासिक और विशाल भवन का अपना एक अलग दबदबा हैं। वहां की बार और बैंच के बौद्धिक स्तर को उंचा बनाये रखने के लिए सुमज्जित लाईब्रेरी है। जिसकी सहायता से वहां के कानूनी विशेषज्ञ अपनी प्रतिभा का अनवरत विकास करते रहते है। ऐसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विभाजित कर उसको खंड-खंड करने की साजिश हो रही है। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय की खंडपीठ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ही स्थापित करने की मांग नही है, बल्कि बरेली, कुमाऊं, देहरादून, आगरा, गोरखपुर तमाम जिलो से ऐसी मांग आ रही हैं, तो क्या मेरठ बैंच की स्थापना करने के बाद सरकार इन जिलो की मांग को स्वीकार करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय को खंड-खंड करना चाहती है और उसकी गरिमा को समाप्त करना चाहती हैं? सरकार यदि सस्ता और सुलभ न्याय देना चाहती है तो क्यों नही सुप्रीम कोर्ट की भी खंडपीठ देश के अन्य राज्यों मे स्थापित करती हैं। क्योंकि मद्रास के लोगो को बिहार व बंगाल के लोगों को भी दिल्ली आने में काफी तकलीफ होती है। अगर सस्ता और सुलभ न्याय के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को खंडित किया जाता हैं तो सस्ते और सुलभ न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी खंडपीठ देश के कोने कोने में बनाई जानी चाहिए। मैं बड़े दुखी मन से और भावनात्मक ढंग से अपने आपको इलाहाबाद से जोड़ते हुए कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से इलाहाबाद को गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम से जुदा नही किया जा सकता हैं, उसी प्रकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जो न्याय की पवित्र सरिता बह रही हैं, उसको भी डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करती हूँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का विभाजन न किया जाए। इलाहाबाद की अस्मिता और उच्च न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के विभाजन को तुरन्त रोकने के लिए में केन्द्र सरकार से कारगर कदम उठाने के लिए आग्रह करती हूँ मेरठ खंडपीठ बनाये जाने का घोर विरोध करती हूँ।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, बनारस से वापस आने के बाद मैं पिछले दस दिन से इस मामले को उठाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। महोदय, मैंने बनारस में चकिया ब्लॉक में वैरत फार्म का दौरा किया है। महोदय, मुसाहार समुदाय के लोग जन जातीय लोग हैं और वे अनुसूचित जाति के लोग हैं। वे काशी के भूतपूर्व महाराजा द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा की गई लगभग 1600 बीघा भूमि पर खेती कर रहे हैं। हाल ही में प्रशासन की सांठ-गांठ से राजा के भाडे के आदमी उन्हें उस जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि काशी के राजा के पास भूमि का कोई रिकार्ड नहीं हैं, या भूमि पर उनका कोई अधिकार नहीं है वह लोग उस भूमि को हथियाए बैठे हैं और इन गरीब लोगों को उस भूमि से बेदखल कर रहे हैं। गरीब जनजातीय लोगों को पीटा जा रहा हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा हैं, उनपर हमला किया जा रहा हैं। उनके विरुद्ध झूठे मामले दर्ज किए जा रहे है। हरिजनों और जनजातीय लोगों पर हमले किए जा रहे है। उनमें से सभी खेतीहर मजदूर और गरीब लोग हैं। वहां पर ऐसी स्थिति है। महोदय, उत्तर प्रदेश प्रशासन और काशी के भूतपूर्व महाराजा की सांठ-गांठ से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खेतीहर मजदूरों पर इस तरह के हमलों को रोका जाना चाहिए। सरकार को इन हरिजनों की रक्षा करनी चाहिए। महोदय, मैं दस दिन से यह कहने की प्रतीक्षा कर रहा था।

मैं केवल एक मिनट में एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। यदि आप बाजार जाएं तो आप दिल्ली में कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। सभी दुकानें बंद हैं। किराएदार सड़को पर आ गए है। क्या आप जानते हैं क्यों? इसका कारण है दिल्ली किराया अधिनियम। अनेक विरोधों और प्रतिनिधि मण्डलों की उन से मुलाकात के बावजूद राष्ट्रपति ने इस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी हैं। प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने सभा में आश्वासन दिया है कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोल्लाह जी, आपने जो मुद्दा उठाया है उसके अलावा और किसी मुद्दे पर नहीं बोल सकते हैं। आपका मुद्दा खेतीहर मजदूरों से संबंधित है।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, गृह मंत्री जी को अपनी बात रखनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करते हुए, मैं फिरोजाबाद की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

इस सदन के अन्दर चार दफा नियम 377 के माध्यम से मैं इस बात को सदन में रख चुका हूँ। शिकोहाबाद स्टेशन से एक दिन के अन्दर 124 गाड़िया अप-डाउन होती है। वहाँ पर कई ऐसी घटनायें हो चुकी हैं और फिलहाल की घटना जबरदस्त हुई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, वहाँ एक ओवर ब्रिज बनाया जाए। इसके लिए मैं सदन में तीन-चार बार नियम 377 के अधीन और जीरो आवर में मामला उठा चुका हूँ। सदन में रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वहां ओवर ब्रिज बनाने की ओर ध्यान दें। वहां पर कई ऐसे डिलीवरी केसेज हो चुके हैं, जिनमें महिलाओं को चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण जाने तक जा चुकी हैं।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर ओवर ब्रिज बनाने की व्यवस्था अतिशीघ्र करायें, जिससे वहां की जनता को राहत मिल सके।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, शेक्सपीयर ने कहा है गुलाब को किसी नाम से पुकारा जाए, उसकी महक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको बदल कर यह कहा जा सकता है - बाजार को किसी नाम से पुकारा जाए, उसके नफे-नुकसान में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन आज जो दिल्ली में हो रहा है, मैं कोई दुकानदारों की हिमायत करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, उसके बारे में मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, नाम बदलने की जो लहर चली है, फैशन चला है, वह गलत है।

इतिहास इतिहास है, कोई कालीन नहीं है कि जहां चाहे बिछा दिया, जब चाहे लपेट लिया। हमने आज़ादी के बाद नेहरू प्लेस बनाया इसी तरह से सरकार को राजीव प्लेस, इंदिरा प्लेस बनाना चाहिए, लेकिन सरकार नाम बदल कर झूठी अकीदत पेश करना चाहती है, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती है। यह मुझे समझ में नहीं आता। मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि इससे देश में एक गलत लहर फैली है। नाम बदलने से इसको तकवियत मिली है। बंबई का नाम मुंबई किया गया, हमने इसकी हिमायत की, क्योंकि वह मामला अलग था। कौनपुर का नाम कानपुर किया गया, क्योंकि सही नाम कानपुर ही था। अब मोहल्लों, सड़कों के और शहरों के नाम बदले जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : कोई बाप का नाम भी बदल लेगा।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : जिसको शक हो, वह बदल सकता है। कुछ साथी अलीगढ़ का नाम बदल कर हरिगढ़ करना चाहते हैं। कुछ लोग औरंगाबाद का नाम बदल कर सांभाजी नगर करना चाहते हैं, जब कि सांभा जी का औरंगाबाद से कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। इस तरह से एक गलत हिस्टोरिक प्रिसिडेंट स्टेब्लिस होता है। मैं समझता हूँ कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है, प्राचीन है और इतिहास का आदर करना चाहिए, इसको दिल में बिठाना चाहिए, दिल में जगह देनी चाहिए। हम इतिहास के टुकड़े नहीं कर सकते, इसको बदल नहीं सकते, इतिहास को री-राइट नहीं कर सकते।

मैं दुवारा सरकार से कहूंगा कि कनाट प्लेस का नाम न बदला जाए। दिल्ली बहुत बढ़ गई है, इसलिए इंदिरा प्लेस और राजीव प्लेस कायम करना चाहिए।

جناب سید شہابُ الدین (کشنگنج) : جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، شیکسپیر نے کہا ہے گلاب کو کسی نام سے پکارا جائے۔ اسکی مہک میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کو بدل کر یہ کہا جا سکتا ہے ۔ بازار کو کسی نام سے پکارا جائے اس کے نفع نقصان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن آج جو دلی میں ہو رہا ہے۔ میں کوئی دکانداروں کی حمایت کے لئے نہیں کھڑا ہوں اسکے بارے میں میں سرکار سے کہنا چاہتا ہوں نام بدلنے کی جو لہر چلی ہے۔ فیشن چلا ہے وہ غلط ہے اِتہاس اِتہاس ہے کوئی قالین نہیں ہے کہ جہاں چاہے بچھا دیا جب چاہے لپیٹ دیا۔ ہم نے آزادی کے بعد نہرو پلیس بنایا۔ اس طرح سے سرکار کو راجیو پلیس اِندرا پلیس بنانا چاہئے لیکن سرکار نام بدل کر جھوٹی عقیدت پیش کرنا چاہتی ہے شردھانجلی ارپت کرنا چاہتی ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں اِس اعتماد پر کہہ رہا ہوں کہ اس سے دیش میں ایک غلط لہر پھیلی ہے۔ نام بدلنے سے اِس کو تقویت ملی ہے۔ بمبئی کا نام ممبئی کیا گیا ہم نے اس کی حمایت کی کیونکہ وہ معاملہ الگ کا تھا۔ کونپور کا نام کانپور رکھا گیا کیونکہ صحیح نام کانپور ہی تھا۔ اب محلوں سڑکوں اور شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں ایک مانیہ سدسیہ ۔ کوئی باپ کا نام بھی بدلے گا۔

جناب سید شہابُ الدین : جس کو شک ہو وہ بدل سکتا ہے۔ کچھ ساتھی علی گڑھ کا نام بدل کر ہری گڑھ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ اورنگ آباد کا نام بدل کر سانبھاجی نگر کرنا چاہتے ہیں جب کہ سانبھاجی کا اورنگ آباد سے کوئی سمبندھ نہیں ہے۔ اس طرح سے ایک غلط ہسٹری پریسیڈینٹ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اتہاس بہت پرانا ہے پراچین ہے اور اتہاس کا آدر کرنے اور دل میں بٹھانا چاہیئے۔ دل میں جگہ دینی چاہیئے۔ ہم اتہاس کے ٹکڑے نہیں کر سکتے اِس کو بدل نہیں سکتے اتہاس کو رد نہیں کر سکتے۔

میں دوبارہ سرکار سے کہنا چاہوں گا کہ نام
نہ بدلا جائے ۔ اس لئے اندرا پیلس اور راجیو پیلس
قائم کرنا چاہیئے ۔ دھنیواد ۔

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र रांची की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कुछ वर्षों से रांची के केन्द्रीय कार्यालयों को हटाने का काम चल रहा हैं और अभी भी प्रयास किया जा रहा है। वहां के केन्द्रीय सूचना कार्यालय को कानपुर ले जाया गया, फिल्म विकास निगम को पश्चिम बंगाल ले जाया गया, आकाशवाणी सिविल स्कंध को कलकत्ता ले जाया गया, सीबीएसई के अंचलीय कार्यालय को इलाहाबाद ले जाया गया। इस तरह से बहुत से केन्द्रीय कार्यालयों को रांची से स्थानांतरित किया जा रहा हैं। केन्द्रीय भूजल परिषद का कार्यालय रांची में पिछले 27-28 वर्षो से कायम हैं, जिसमें लगभग 500 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन अब इस कार्यालय को हटाने की भी कार्यवाही चल रही है। इसके विरोध में कर्मचारियों द्वारा धरने और प्रदर्शन किए जा रहे है और अन्य लोगों द्वारा भी यह कार्यालय रांची से न हटाए जाने की मांग की जा रही है। हमने भी मंत्री महोदय को लिखा हैं, लेकिन इस कार्यालय को हटाने का काम जारी हैं। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय भूजल परिषद कार्यालय को न हटा कर रांची में ही रहने दिया जाए, धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मणिपुर राज्य में सिर्फ उपद्रवियों को बाहर निकालने के लिए अर्ध-सैन्य बलों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कार्यवाहियों के दौरान कुछेक सैन्य कर्मचारियों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके सतीत्व को अपमानित किया। कुछ कर्मचारियों ने घरों की तलाशी लेते हुए निर्दोष नागरिकों को पीटा। उनके घरों की तलाशी लेते हुए कर्मचारियों ने कुछ कीमती वस्तुएँ भी उठा ली। हालांकि यह एक अच्छा मिशन था। लेकिन इसने लोगो में रोष उत्पन्न किया और महिला संगठन इसका विरोध करने जा रहा है। महोदय, ये अत्याचार इसी अनुशासित सैन्य बल ने किये।

अतः, महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन सैन्य बल कर्मचारियों को ऐसे अपराध करने से रोकने के लिए सकारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये। महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिये ताकि मणिपुर राज्य, जो उपद्रवी बहुल क्षेत्र हैं, मैं सैन्य बल के जवान ऐसे अपराध न करें और उस राज्य की महिलाओं में उत्तेजना न फैले।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, मैं प्रश्न काल के दौरान सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित मामले को उठाना चाहता हूँ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जनमत को अभिव्यक्त करने वाला शीर्षस्थ गैर-सरकारी निकाय इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफैयर्स (आई.सी.डब्ल्यू.ए.) वर्ष 1995 में स्वर्ण ज्यंती समारोह मना रहा हैं। पिछले चार दशकों के दौरान केवल पिछले दशक (1985-95) को छोड़कर आई. सी. डब्ल्यू. ए. का सकारात्मक उपलब्धियों के लिए उत्कृष्ट रिकार्ड रहा है। भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो पर अत्यधिक मात्रा में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सेमिनार, सभाषण और चर्चाएं आयोजित करने के बावजूद आई. सी. डब्ल्यू. ए. जन सहमति बनाने अथवा विदेश मंत्रालय को उपयुक्त सिफारिशें देने हेतु प्रभावी योगदान करने में असफल रहा है। खुले रूप से कहा जाये तो आई. सी. डब्ल्यू. ए. वास्तव में शैक्षिक और संस्थागत रूप से क्षय की और अभिमुख है। ग्रन्थालय का रख-रखाव बहुत खराब है और उपयोगी पुस्तको और पत्रिकाओं के नये प्रकाशनों का लगभग अभाव ही है। अन्य ग्रन्थालयों के कर्मचारियों के मुकाबले इस ग्रन्थालय के स्टाफ को कम वेतन दिया जाता हैं।

अतः आई. सी. डब्ल्यू. ए. के इस स्वर्ण ज्यंती वर्ष में इस महान संस्था की गत शानो शौकत को पुनर्जीवित करने का यह अच्छा अवसर है ताकि यह बौद्धिक आदान-प्रदान का मुख्य केन्द्र बन सके। मौजूदा विकल्पों में लंबे समय से चली आ रही सरकार द्वारा इसके अधिग्रहण की कार्यवाही बेहतर प्रतीत होती हैं, और ऐसी कार्यवाही में तेजी लाना ही समयोचित हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती लवली आनंद (वैशाली) : उपाध्यक्ष जी, आज संपूर्ण देश में राजनीतिक हत्याओं का अंतहीन सिलसिला जारी हैं। हर एक हत्या के बाद कुछ दिनों के लिए लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभाओं एवं अखबारों में शोर-शराबे के बाद मामला ठंडा पड़ जाता हैं लेकिन एक राजनेता की चिंता की राख जब तक ठंडी नही पड़ती तब तक देश के किसी दूसरे कोने में एक राजनेता की बलि चढ़ा दी जाती हैं।

आज़ाद भारत में इसकी शुरूआत महात्मा गांधी से लेकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय, डा० राम मनोहर लोहिया, ललित नारायण मिश्र, स्व० प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी, सांसद ललित माकन, राजीव गांधी, महाराष्ट्र के भाजपा प्रमुख स्व० नाइक और न जाने कहाँ-कहाँ, किन-किन लोगों तक जायेगी, कहना मुश्किल हैं।

पंजाब, कश्मीर, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, असम, चाहे कोई प्रांत हो शायद ही इस तरह की हत्याओं से वंचित है। उत्तर प्रदेश और बिहार में आये दिन इस तरह की राजनीतिक हत्याओं का कुछ और ही जोर है।

बिहार में विगत पांच साल मे भाजपा सांसद ईश्वीर चौधरी, कांग्रेस के पूर्व सांसद कामख्या, नारायण सिंह, जनता दल के पूर्व सांसद रामनगीना राय और कांग्रेस (आई) के विधायक हेमंत शाही तथा जनता दल के विधायक अशोक सिंह की हत्याएं इसकी ताजा उदाहरण है।

इतना ही नही चंद माह पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ईमानदार अधिकारी जी० कृष्णैया की हत्या दिन-दहाड़े मुजफ्फरपुर में कर दी गयी। शुरू मे सरकार, प्रशासन और अखबारों ने बताया कि श्री कृष्णैया एक कुद्ध भीड़ के शिकार हुए लेकिन बाद में इस हत्या कांड मे सरकारी साजिश के तहत, मुझे मेरे पति तत्कालीन विधायक, आनंद मोहन, मेरी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अखलाख अहमद, ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती गिरिजा देवी (राजगंज) : अशोक सिंह और कृष्णैया की हत्या में वे लोग शामिल हैं . . . . **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती लवली आनंद : समता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं पूर्व विधायक प्रो० अरूण कुमार सिंहा सहित बिहार पीपूल्स पार्टी एवं समता पार्टी के चौबीस सम्मानित नेताओ को मुजरिम बनाकर जेल में डाल दिया गया।

ठीक इसी तरह इस बार भी जद विधायक अशोक सिंह हत्या कांड मे मेरी पार्टी के सम्मानित नेता और पूर्व विधायक श्री प्रभुनाथ सिंह को इस कांड का मुजरिम बनाकर जेल में डाल दिया गया हैं, विधायक शकुनी चौधरी को हाल में एक हत्या कांड में गलत तरीके से फंसाया गया।

गत विधान सभा चुनाव मे मेरी पार्टी के जहानाबाद से उम्मीदवार अनिल कुमार वर्मा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई।

गायघाट विधान सभा चुनाव क्षेत्र जहां से श्री आनन्द मोहन चुनाव लड़ रहे थे, कमरथू गांव के सात निरपराध नौजवानों को राजनीतिक विरोध के कारण बस स्टॉप से दिन दहाड़े उठाकर बोचहो थाना मे लाकर गोली मार दी गई और इसे पुलिस मुठभेड़ की संज्ञा दे दी गई। शिवहर में मेरी पार्टी के कट्टर समर्थक श्री रघुनाथ सिंह की भी हत्या स्थानीय विधायक एवं मंत्री की साजिश के तहत दिन के उजाले में कर दी गई।

देश भर में घट रही राजनीतिक हत्याओं से न केवल मुझे बल्कि, संपूर्ण सदन को चिंतित होना चाहिए। इसकी रोकथाम और राजनेताओं की जान-माल की सुरक्षा के लिए एक गंभीर और विशेष बहस छिड़नी चाहिए तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि इन घटनाओं का अंतहीन सिलसिला बंद हो सके। इसे राज्य सरकार की जिम्मेदारी कहकर झुठलाया नही जा सकता।

बिहार के ऐसे कई मामलों मे मैं और मेरी पार्टी ने लगातार सीबीआई से इनकी जांच की मांग की है। चाहे मामला हेमंत शाही की निर्मम हत्या से संबधित हो या गोपालगंज के डी एम जी, कृष्णेय और जनता दल विधायक अशोक सिंह की हत्या का सवाल हो। न जाने क्यों राज्य सरकार हर बार इससे भागती रही हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, कि पूर्व विधायक प्रभुनाथ सिंह, अशोक हत्याकांड मे निर्दोष है और वह सरकारी कोपभाजन का शिकार बनकर जेल मे पड़े हैं। मेरा यकीन है कि अगर एक बार भी सीबीआई की जांच से असली मुजरिम पकड़ा जाए और दंडित हो जाए तो राजनीतिक हत्याओं का यह सिलसिला बंद हो और स्थानीय सरकारों का बदनीयत के शिकार हो रहे राजनीतिक विरोधियों को भी त्राण मिले।

आशा है आप इन मामलो को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र सरकार को समुचित कार्यवाही करने का निर्देश देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता हैं, तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती लवली आनन्द : चाहे किसी की भी हत्या होती हो, लेकिन उसकी जांच सी.बी.आई. से होनी चाहिए . . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती गिरिजा देवी : हमें अपने विचार रखने की अनुमति नहीं दी गई हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) **:** उपाध्यक्ष महोदय, यह इनकी कांस्टीट्यूएंसी का मामला है। इसे सुन लिया जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। अगर श्रीमती लवली आनंद किसी के विरुद्ध कोई आरोप लगाती हैं, तो उन सभी को हटा दिया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। सरकार अथवा किसी सदस्य के विरुद्ध अगर कोई आरोप लगाया गया हैं, तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटाया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : ये क्यों नही गए उसकी विधवा को देखने? वह क्या मामला है कि आज तक हिम्मत नही पड़ी कि उसके घर में घुस जाएं? यह कौन-सा मामला है? सीबीआई द्वारा इसकी जांच की जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैने आदेश पारित कर दिया हैं। मैंने विनिर्णय दे दिया हैं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) **:** उपाध्यक्ष जी, पिछले दस सालों से हमारी भारत-नेपाल सीमा पर बाढ़ से लोग तबाह हैं। एक बड़ा इलाका जो 12 दिनो से सड़क और रेल के मार्ग से शेष भारत से कटा हुआ हैं, उन इलाकों की ओर मे मैं सदन में आपके जरिये भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कमला, कोसी, बागमती नदियां जो नेपाल से आती हैं, पानी की कमी से इस साल भी चार महीने तक पूरे नेपाल की तराई का इलाका और मिथिला का इलाका.....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला सभा में उठाया गया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : मैं इसमें सुझाव दे रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से गैरहाजिर होकर वहीं से आ रहा हूँ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सत्य है। उपर्युक्त समय के दौरान यह मामला सभा में उठाया गया था और इसपर चर्चा की गई थी।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, आप इसे समझते नहीं। मैं यही तो बता रहा हूँ। कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई विषय चर्चा के लिए आ चुका है या नहीं, यह देखना पीठासीन अधिकारी का काम है। अगर यह चर्चा के लिए आ चुका हैं, तो फिर नियम इसे दोहराने की अनुमति नहीं देता हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप विषय परिवर्तन कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष जी, किसी साल से ज्यादा पानी नही आया हैं, असाधारण पानी नही आया हैं, साधारण पानी भी नही आया हैं। नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया हैं। कमला नदी ने अपनी पूरी धारा को वदल दिया है। इसलिए थोड़ा पानी पश्चिम की ओर धक्का मार रहा हैं। बागमती का पश्चिम की ओर, कौसी का पूर्व की ओर जा रहा है। हम सूखे से भी तवाह हैं, कभी बाढ़ से तवाह है। इन नदियों के पानी के बारे में नेपाल सरकार से वातचीत के कई दौर हो गए है। झंझारपुर के आगे 7-8 प्रखंड है जहां रेल और सड़क का रास्ता पूरी तरह अवरूद्ध है। वहां लोग जा नही सकते। वहां किसान हाहाकार कर रहे हैं। विहार सरकार के पास वित्तीय अभाव है . . . . **(व्यवधान)** नेपाल भी तैयार है। मेरा कहना है कि आप वहां रोपने के लिए पौधे दें। वहां खाने से ज्यादा उर्वरक की जरूरत है। हमारे यहाँ मिट्टी अच्छी है इसलिए आप धान के पौधे दें। ऐसा करेंगे तो उपज पूरी हो जाएगी, नहीं तो अगले साल भी अकाल रहेगा। इसलिए अगले साल के अकाल से बचने के लिए कुछ राहत दीजिए और भारत-नेपाल वार्ता करके स्थायी समाधान करे ताकि वह कल्पना का स्वर्ग बन सके।

श्रीमती गिरिजा देवी : इसी सदन में औरों को पढ़ने की अनुमति दे दी है और मुझे नहीं दी गई है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख कर रहा हूँ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका क्या तात्पर्य है?

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : सुझाव कल लेंगे सदन के बाहर।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस : इस महीने की छह तारीख को या उसके आसपास अयूयप्पा सेवा समिति तालकटौरा स्टेडियम में श्री के० जे० येसूदास पर एक संगीतगोष्ठी अथवा गाना मेला का आयोजन कर रही थी। वहां एक घटना घटी जिसमें दिल्ली पुलिस के कुछ जवान शो देखने के लिए जबरदस्ती घुसना चाहते थे। ऐसा सुना जाता है कि यह प्रथा बन गई है कि जब संघों अथवा सगंठनों द्वारा इस प्रकार के समारोह आयोजित किये जाते हैं तो पुलिस बल के जवान उसमें चले जाते हैं। उन्होंने उसमें घुसने का प्रयत्न किया लेकिन आयोजक ने उन्हें अनुमति नहीं दी और उसका परिणाम यह हुआ कि आयोजकों अथवा स्वयंसेवकों और पुलिस जवानों के बीच लड़ाई हो गई।

इसका अंत यहीं नही है। लगभग छह दिन के पश्चात् केरल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र से एक आदमी श्री जय कृष्णन का अपहरण कर लिया गया है और वह पिछले 14 दिनों से नहीं मिला है। वह गायव है। गंभीरता से यह संदेह किया गया है कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने यह काम किया है और दुःख की बात यह है कि पिछले 14 दिनों से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हमने माननीय गृह मंत्री को ज्ञापन दिया है। श्री पी० एम० सईद ने तुरन्त कार्यवाही की है। अभी तक कुछ पता नहीं चला है।

मैं माननीय गृह मन्त्री से , जो यहां पर उपस्थित हैं, अनुरोध करता हूं कि वह इस सभा को आश्वासन दे अथवा कम से कम हमें यह बता दें कि इस मामले की क्या स्थिति है क्योंकि पिछले 14 दिनों से हमें इस व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चला है।

दिलशाद गार्डन, जहां से उसका अपहरण किया गया हैं, के निवासियों ने एक रैली का आयोजन किया है जिसमें 3,000 लोगों ने भाग लिया। सिर्फ इसलिए कि वहां समारोह हुआ और पुलिस उसमें प्रवेश करना चाहती थी।

उपाध्यक्ष महोदय : थामस जी, अपहर्ता का पता लगाना ही पड़ेगा। यह कार्य सरकार का है। आप सरकार से शीघ्र उसका पता लगाने का अनुरोध कर रहे हैं। इसी चीज की जरूरत है। आप इसे अनावश्यक रूप से क्यों दोहरा रहे हैं अथवा स्पष्टीकरण क्यों कर रहे हैं? सरकार इसे भली प्रकार समझ सकती हैं।

श्री पी० सी० थामस : सरकार अगर इस पर कुछ बोलें तो उसका स्वागत होगा। माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय को पाँच वजे तक मत चलाईये।

अव श्री मोहन रावले बोलेंगे।

(व्यवधान)

3.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय : रावले जी, आपके विषय पर 24.08.95 को चर्चा की

गई थी। अतः, अब इस विषय को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : 24.08.95 को यह विषय यहाँ उठाया गया था।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सर, मेरी केवल एक ही बात है। कल टैक्सटाइल माडर्नाईजेशन बिल पास किया हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूं, इससे पहले आपको मेरी बात सुननी चाहिये। नियमानुसार मुद्दे को पुनः उसी सत्र में नहीं उठाया जा सकता हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सर शार्टेज आफ काटन का इश्यू है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुम्बई की कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के विषय पर चर्चा की गई थी। विधेयक पारित हुआ था। माननीय मंत्री ने विस्तार से इसका जवाब दिया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन् रावले : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही मांग आपसे करना चाहता हूँ कि जो बिल कल पास किया है उसके अनुसार टैक्सटाईल मिलों को माडर्नाइज करने में डेढ़ साल से ज्यादा लग जाएंगें, तब तक मजदूर बेकार रहेंगें। इसलिए मजदूरों को बेकारी से बचाने के लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि उन्हें मिल चलाने के लिए रा-मटीरियल, काटन दिया जाए। यहाँ मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनसे यही अनुरोध करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री लाईता उम्ब्रे (अरूणाचल पूर्व) : महोदय, जैसा कि आप और साथ ही यह सभा भी भली प्रकार से जानती है कि मेरा राज्य अरूणाचल प्रदेश आज देश के अत्यधिक शांतिपूर्ण राज्यों में से एक है। गड़बड़ी वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसे शांति के द्वीप के रूप में जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से, केन्द्र सरकार के कड़े रूख के कारण इस द्वीप में हाल ही में कुछ गड़बड़ उत्पन्न हो गई हैं। लगभग पांच महीने पहले माननीय प्रधान मंत्री ने मेरे राज्य के अपने दौरें के दौरान लोगों को आश्वासन दिया था। इसलिए सरकार को देश के और साथ ही अरूणाचल प्रदेश के मूल निवासियों के व्यापक हित में इस छोटे परन्तु कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य की समस्या को सुलझाने के लिए साहसिक कदम उठाने चाहिएं।

मुद्दा यह है कि वर्ष 1965-66 में केन्द्र सरकार द्वारा स्थानीय लोगों की सहमति के बिना ही मनमाने ढंग से बंगला देश के चित्तगोंग क्षेत्र से चकमाओं तथा हाजोंग शरणार्थियों के लगभग पांच हजार परिवार अरूणाचल प्रदेश, तत्कालीन नेफा राज्य में लाये गये थे। अब उनकी जनसंख्या 30 वर्षो में बढ़कर पांच हजार से एक लाख हो गई है। अरूणाचल प्रदेश के मूल निवासी लगभग छः हजार हैं और उनमें से अधिकांश आदिवासी समुदाय हैं। इसी काल के दौरान उनकी संख्या शत-प्रतिशत से भी कहीं ज्यादा कम हो गई हैं। मुझे विश्वास है कि अगर उन्हें और अगले दस वर्षो तक राज्य में रहने दिया गया तो मूल निवासी अल्पसंख्यक होकर रह जायेंगें।

इन लोगों को 1873 के आंतरिक जीवन विनियमन अधिनियम के घोर अतिक्रमण के फलस्वरूप लाया गया था। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू की भावनाओं के भी विरुद्ध था, क्योंकि डा० राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने आंतरिक जीवन विनियमन अधिनियम जारी रखने का घोर विरोध किया हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, "नहीं" और कहा कि विकास के नाम पर इन लोगों की वर्षो पुरानी समृद्ध संस्कृति और पहचान नहीं जानी चाहिए। इसी वजह से यह चला आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से इसका उल्लघंन किया गया है।

अब मैं एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात पर बल देना चाहता हूँ। ये चकमा शणार्थी गलत आंकड़ो और मनगढ़ंत जानकारी के आधार पर विश्व मत अपनी ओर करने का प्रयास कर रहे हैं। वे हमारे माननीय सहयोगी सदस्यों के सामने घड़ियाली आंसू बहाकर उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने सहानुभूति के तौर पर अतारांकित प्रश्न और ज्ञापन सभा में रखे हैं। लेकिन मुझे विश्वास हैं, कि उन्हें स्थिति की गंभीरता की जानकारी नहीं हैं। मैं उन्हें अपने राज्य आने और स्वयं स्थिति का निरीक्षण करने के लिए उनका स्वागत करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि दिल्ली किराया अधिनियम के विरोध में कल पूरी दिल्ली का आधा से ज्यादा व्यापार बंद था। आज पूरी दिल्ली बंद है और वह कल भी बंद रहेगी। इस किराया अधिनियम को जल्दी में पास कर दिया गया है जिसमें कुछ कमियां रह गयी है और जिसके कारण पूरे देश के व्यापारियों में और उन नागरिको में जो बहुत पुराने किरायेदार हैं, उनमे काफी रोष हैं। इस विषय में काफी आश्वासन भी दिया गया था कि महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने से पहले इस पर विचार किया जायेगा लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर हस्ताक्षर करवाकर उन व्यापारियों और पुराने किरायेदारो के साथ जो कार्य किया हैं, उससे जनता में काफी रोष हैं।

हमारा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इसके लिए दिल्ली निवासियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर, व्यापारियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे वार्तालाप करके उनमे जो रोष हैं, जो कठिनाइयां हैं, जिसके कारण यहां का व्यापार पूर्ण रूप से बंद होने की स्थिति में आ रहा हैं, के संबंध मे कोई एक रास्ता निकालें जिससे जो बाजार बंद हो रहे हैं, व्यापार बंद हो रहा हैं, उसमें रूकावट आ सके और जन जीवन सामान्य बन सके।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मामले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। जहां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक व्यवस्था की भी टूट हुई है और इस सदन के द्वारा पारित कानून की भी टूट हुई हैं। 1956 के पहले एक डिस्टरली कानून बना था,

जिसमें लाईसेंस देने का काम राज्य सरकार करती थी और उससे संबंधित जितने भी मामले थे, वे भी राज्य सरकार के अधीन होते थे। 1956 के बाद यह कानून बना कि डिस्टरली से संबंधित अल्कोहलिक व लीकर बनाने का लाइसेंस राज्य सरकार न देकर केन्द्र सरकार देगी। लेकिन इसके बाद भी कई राज्य सरकारे उन आदेशो की अवहेलना करते हुए अपने यहां से लाइसेंस देने का और इस कानून का उल्लंघन करने का काम करती आ रही हैं। यह सीधा संघीय व्यवस्था पर एक आक्रमण है इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं तथा संबंधित मंत्रालय को मैंने एक नोटिस भी दिया है कि इस तरह के मामले बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं। बिहार सरकार भी इस कानून की सीमा के अन्तर्गत आती है और 1992 में उसने एक टैंडर आमंत्रित किया है कि अल्कोहलिक और लीकर बनाने का लाइसेंस हमारे यहां से लीजिए। सीवान और गोपालगंज हमारे गफूर साहब के क्षेत्र से संबंधित मामले है और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के संबंधित मामले हैं। टेंडर देने का काम उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है और इस सदन में पारित कानून के भी विरुद्ध हैं।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि संघीय व्यवस्था के द्वारा चलने वाले जिसमें राज्य और केन्द्र के संबंध निश्चित किये गये हैं, उसमें इस तरह से सदन द्वारा बनाये गये कानून का पालन नहीं होता है जबकि उस सरकार को बर्खास्त करने का काम यही संसद करती है। उत्तर प्रदेश सरकार, जहां पहले मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने भी टैंडर आमंत्रित किया था और बिहार ने भी 1992 में एक टैंडर आमंत्रित किया है कि लीकर बनाने का लाइसेंस हमसे प्राप्त करिये। यह सीधे-सीधे कानून का उल्लंघन कर रही है तो बिहार सरकार को बर्खास्त करने का कानून आप क्यों नही लागू करते हैं?

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : यू. पी. और बिहार की सरकार को बर्खास्त कर दीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : यू. पी. और बिहार की सरकार को बर्खास्त कर दीजिए जो भी सरकार केन्द्र सरकार के कानून का उल्लंघन करती है, उसको बर्खास्त कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वीरेन्द्र सिंह जी शराब बनाने के लाइसेंस देने संबंधी विषय राज्य के पास हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : मेरे पास इसके तथ्य हैं, मैं तथ्य के साथ आपसे कहता हूँ कि यह कानून सदन में पारित किया हुआ हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि कोई भी लाइसेंस राज्य सरकार नही दे सकती है और इस सदन के माध्यम से सरकार द्वारा भी कहा गया है कि कोई भी लाइसेंस राज्य सरकार नहीं दे सकती हैं, इसके बाद भी राज्य सरकार लाइसेंस देने का काम कर रही हैं, आमंत्रित करने के काम को कर रही हैं, जो सरकार केन्द्र सरकार के द्वारा पारित कानून का उल्लंघन करती हैं, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं मानती हैं, उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस सरकार में दम नही हैं, यही लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होती हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, मैं भुवनेश्वर स्थित केन्द्रीय जल आयोग की ब्रह्मणी सुवर्णरेखा डिवीजन को मनमाने ढंग से समाप्त करने सम्बन्धी केन्द्रीय जल आयोग के निर्णय के सम्बन्ध में एक अनुरोध करना चाहूँगा। इस संबंध में हमारे राज्य से निर्वाचित सांसद पहले ही जल संसाधन मंत्री तथा माननीय प्रधान मंत्री को इस डिवीजन को समाप्त न करने के लिए अभ्यावेदन दे चुके हैं।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, केन्द्रीय जल आयोग की डिवीजन ब्रह्मणी सुवर्णरेखा का गठन वर्ष 1969 में जनसंख्या को बाढ़ के आगमन से आगाह करने की व्यापक भूमिका अदा करने के लिए किया गया था। उड़ीसा राज्य में प्रति वर्ष बाढ़ आती हैं। अतः यह डिवीजन उड़ीसा के बाढ़ से प्रभावित लोगो की मदद कर रहा था। अतः, हमारी मांग यह है कि इस डिवीजन को समाप्त न किया जाये। मैं माननीय जल संसाधन मंत्री और सरकार से केन्द्रीय जल आयोग की इस ब्रह्मणी सुवर्णरेखा को समाप्त न करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूँ. . . .**(व्यवधान)** आज पूरे देश के ग्रामीण बैंको के कर्मचारी और उनके जो और काम करने वाले लोग हैं, वह सैण्ट्रल ट्रिब्यूनल में अपनी सुविधाओं के लिए केस दिया था कि जिस तरह से वाणिज्यिक बैंको के कर्मचारियों को सुविधा मिलती हैं, वेतन बढ़ता हैं, उसी तरह से हमें भी दिया जाये। सैण्ट्रल ट्रिब्यूनल ने उनकी बात को मान लिया और फैसला उनके पक्ष में हुआ। सरकार ने भी उसी के मुताबिक वेतन वृद्धि और सुविधा देना शुरू कर दिया। लेकिन जब छठी वेतन वृद्धि हुई है तो सरकार उसे नहीं दे रही है, यह कहकर कि बैंक घाटे में चल रहे हैं, इस तरह की बात कहकर उनको रोके हुए है। अगर एक बार सुविधा देना चालू कर दिया तो फिर यह कहकर रोकने का सरकार का क्या औचित्य है?

मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि पूरे देश के जो ग्रामीण बैंक हैं, उनमें यह लोग काम कर रहे हैं, जिनकी 12 हजार शाखाएं हैं। वहां के सभी के सभी लोग आन्दोलन में उतरे हुए हैं। सरकार ने जब ट्रिब्यूनल की बात मान ली और उसके निर्णय को लागू कर दिया तो फिर छठे पुनरीक्षण को भी मान लेना चाहिए और उनके वेतन को बढ़ाकर उनको यह सुविधाऐं मिलनी चाहिए।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम अंतिम स्थान पर हैं। जब उनका नाम पुकारा गया था तो वह वहां उपस्थित नहीं थे।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी गम्भीर समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उत्तर

प्रदेश में बड़े व्यापक रूप से इस समय टिड्डी दल आया हुआ है। उस टिड्डी दल के कारण से करोड़ो रूपये की फसल नष्ट हो गई, विशेष रूप से नैनीताल जिले के बाईपुर, गदरपुर, रूद्रपुर के आसपास करोड़ो रूपये की फसल नष्ट हो चुकी हैं। बड़ी मात्रा में टिड्डी दल आता है और एकदम से पूरे के पूरे खेत पर कब्जा करके उस पूरे खेत को नष्ट कर देता हैं।

वहां के स्थानीय किसानों में इतनी सामर्थ्य नही है कि वे दवाओं का छिड़काव करवाकर उसको रोक सकें। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार हवाई जहाज से दवाओं का छिड़काव कराकर वहां टिड्डी दल को समाप्त करने का कष्ट करे जिससे किसानों की फसल को वचाया जा सके।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मुझे खेद है जो भी नाम सूची में थे वे पुकारे जा चुके हैं। अब सभा पटल पर पत्र रखें जायेगें।

3.16 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुरसतगंज के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रो को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय (अतिरिक्त प्रभार) में राज्य मंत्री (**श्री मल्लिकार्जुन**) : महोदय, श्री गुलाम नबी आज़ाद की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 8073/95]

(3) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1995 की धारा 40 के अंतर्गत राष्ट्रीय विमानपतन प्राधिकरण (कर्मचारी अंशदान भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि) विनियम, 1994, जो 24 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० 9.2.4 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 8074/95]

(4) (एक) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अंतर्गत इंडियन एयरलाइंस के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन एयरलाइंस के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अंतर्गत इंडियन एयरलाइंस के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 8075/95]

वर्ष 1995-96 के लिए भारतीय कपास निगम और वस्त्र मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय (अतिरिक्त प्रभार) में राज्य मंत्री (**श्री मल्लिकार्जुन**) महोदय, श्री जी० वेंकट स्वामी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :-

(1) वर्ष 1995-96 के लिए भारतीय कपास निगम और वस्त्र मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल० टी० 8076/95]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) बर्डस् जूट एण्ड एक्सपोर्टस् लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्डस् जूट एण्ड एक्सपोर्टस् लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल कर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 8077/95]

(4) (एक) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8078/95]

राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय (अतिरिक्त प्रभार) में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, श्री पी० ए० संगमा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8079/95]

भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) (एक) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8080/95]

(3) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 की उपधारा (3) और (5) के अन्तर्गत जारी चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1995, जो 7 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 616 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 8081/95]

(4) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 8082/95]

(6) निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन (खंड-दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8083/95]

31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :-

(एक) श्रवास्थी ग्रामीण बैंक, बहराइच (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 084/95]

(दो) मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8085/95]

(तीन) यावतमल ग्रामीण बैंक, यावतमल (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8086/95]

(चार) जमुना ग्रामीण बैंक, आगरा (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 8087/95]

(पांच) प्रागज्योतिष गांवलिया बैंक, नलबारी (असम)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 8088/95]

(छः) पांड्यन ग्रामा बैंक, सत्तूर (तमिलनाडु)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8089/95]

(सात) श्री राम ग्रामीण बैंक, निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8090/95]

(आठ) नालन्दा ग्रामीण बैंक, बिहारशरीफ (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8091/95]

(नौ) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8092/95]

(दस) मिजोरम रूरल बैंक, आईजोल (मिजोरम)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8093/95]

(ग्यारह) अम्बाला कुरूक्षेत्र ग्रामीण बैंक, अम्बाला सिटी (हरियाणा)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8094/95]

(बारह) कनकदुर्ग ग्रामीण बैंक, गुड़िवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8095/95]

(तेरह) गुडगांव ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय गुड़गांव (हरियाणा)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8096/95]

(चौदह) सरण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8097/95]

(पन्द्रह) बालासौर ग्राम्या बैंक, बालासौर (उड़ीसा)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8098/95]

(सौलह) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गौंडा (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8099/95]

(सत्रह) सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक, सुरेन्द्रनगर (गुजरात)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8100/95]

(अठारह) नेत्रावती ग्रामीण बैंक, मंगलौर (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8101/95]

(उन्नीस) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8102/95]

(2) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिक्का निर्माण ("8 वां विश्व तमिल सम्मेलन, 1995" के लिए निर्मित 82 प्रतिशत लोहा और 18 प्रतिशत क्रोमियम से युक्त एक रुपए के स्मारक सिक्के का मानक वजन और अनुज्ञात गुणों के अंतर की सीमा) नियम, 1995, जो 12 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 386 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8103/95]

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत सेवा कर (संशोधन) नियम, 1995, जो 28 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 524 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8104/95]

(4) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 1995, जो 23 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 460 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 1995, जो 2 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 497 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 1995, जो 12 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 636 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 1995, जो 19 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 644 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 1995, जो 5 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 611 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 1995, जो 12 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 634 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 1995, जो 25 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 667 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8105/95]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा०का०नि० 458 (अ), जो 30 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाये, कतिपय शर्तो के अध्यधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 474 (अ) जो 2 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 16 मार्च, 1993 की अधिसूचना

संख्या 104/93 सी०शु० के कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 475 (अ), जो 2 जून 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात के लिए विशेष मूल्य आधारित अग्रिम अनुज्ञप्ति के विरुद्ध भारत में आयातित सामग्री को कतिपय शर्तों के अध्यधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे मे हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 476(अ), जो 2 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयात और निर्यात नीति के अधीन सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात के लिए विशेष मूल्य आधारित अग्रिम अनुज्ञप्ति के विरुद्ध भारत में आयातित सामग्री को कतिपय शर्तों के अध्यधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 478 (अ), जो 5 जून 1995, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इनमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा०का०नि० 479 (अ), जो 5 जून 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 161/92 सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 480 (अ), जो 5 जून 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय विनिर्दिष्ट माल पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से, जितना 15 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से संगणित राशि से अधिक है, कतिपय शर्तों के अध्यधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 481 (अ), जो 5 जून 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा विनिर्दिष्ट माल को कतिपय शर्तों के अध्यधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 482 (अ), जो 8 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 फरवरी, 1981 की अधिसूचना संख्या 13/81-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) संशोधन नियम, 1995 जो 24 अप्रैल 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 358 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का०आ० 475 (अ), जो 30 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का०आ० 476 (अ), जो 30 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं मे संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का०आ० 586(अ), जो 28 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं मे संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का०आ० 587 (अ), 28 जून, 1995 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं मे संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा०का०नि० 366 (अ), जो 27 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट प्रकार के कापर क्लैड लेमीनेटों पर 25 प्रतिशत की सीमा शुल्क की रियायती दर को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा०का०नि० 367 (अ), जो 27 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रोनिकस संघटको के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट निविष्टयों पर 15 प्रतिशत की सीमा शुल्क की रियायती दर को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा०का०नि० 373(अ), जो 1 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 49/95-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा०का०नि० 387 (अ), जो 12 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 83/90-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सीमा-शुल्क टैरिफ (बैंकाक करार के अध्यधीन माल के स्त्रोत का निर्धारण संशोधन नियम, 1995, जो 22 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 415 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा०का०नि० 416 (अ), जो 11 मई, 1995 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 सितम्बर, 1989 की अधिसूचना संख्या 236/89 सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा०का०नि० 428 (अ), जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त विधेयक, 1995 के अधिनियमित हो जाने के परिणामस्वरूप सीमा-शुल्क की 145 अधिसूचनाओं में 'समाहर्त्ता' शब्द के स्थान पर 'आयुक्त' शब्द प्रतिस्थापित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा०का०नि० 429 (अ), जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 43/95-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा०का०नि० 430 (अ), जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं को विखण्डित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा०का०नि० 484 (अ), जो 6 जून 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 104/86 सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा०का०नि० 486 (अ), जो 7 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 73/94-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा०का०नि० 409 (अ), जो 18 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियों (डायगनोस्टिक टेक्सुट किट् सहित) को उन पर उद्ग्रहणीय मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा०का०नि० 410 (अ), जो 18 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को कतिपय शर्तों के अध्यधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा०का०नि० 411 (अ), जो 18 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है ताकि विनिर्दिष्ट माल पर अन्य बातों के साथ-साथ सीमा शुल्क की रियायती दरें निर्धारित की जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा०का०नि० 412 (अ), जो 18 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें दर्शायी गयी अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा०का०नि० 528 (अ), जो 30 जून 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सूखी फलीयुक्त सब्जियों (दालों) पर मूल्यानुसार सीमा शुल्क की दर को 10 से घटाकर 5 प्रतिशत करना हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्तीस) सा०का०नि० 543 (अ), जो 12 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 26/95 सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा०का०नि० 544 (अ), जो 12 जुलाई 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कम्पलीट ओज़ोन जनरेटरों पर मूल सीमा शुल्क की दर को मूल्यानुसार 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेंतीस) तदर्थ छूट आदेश संख्या 154 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुअन्तपुरम द्वारा कन्डोम के निर्माण के लिए आयात की जाने वाली मशीनों पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा अतिरिक्त शुल्क से छूट देने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) तदर्थ छूट आदेश संख्या 182(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो मैसर्स किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स कम्पनी लिमिटेड, पुणे द्वारा आयात किये जाने वाले तीन प्रोटोटाइप रोड रेलर्स और कलपुर्जो पर सम्पूर्ण उद्ग्रहणीय मूल तथा अतिरिक्त शुल्क से छूट देने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) तदर्थ छूट आदेश संख्या 204 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो मैसर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड द्वारा आमोनिया संयंत्र प्रतिस्थापन परियोजना स्थापित करने के लिए आयात किये जाने वाले आवश्यक संयंत्र और मशीनों पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त शुल्कों से छूट देने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) तदर्थ छूट आदेश संख्या 200, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जिसके द्वारा 21 मई, 1993 के तदर्थ छूट आदेश संख्या 115 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) तदर्थ छूट आदेश संख्या 201, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जिसके द्वारा 21 मई, 1993 के तदर्थ छूट आदेश संख्या 116 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) तदर्थ छूट आदेश संख्या 163, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जिसके द्वारा 21 फरवरी, 1993 के तदर्थ छूट आदेश संख्या 55 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8106/95]

(6) 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदनः-

(एक) अरावली क्षेत्रीय बैंक, सवाई माधोपुर (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8107/95]

(दो) वलसाड डांग्स ग्रामीण वलसाड (गुजरात)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8108/95]

(तीन) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8109/95]

(चार) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8110/95]

(पांच) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8111/95]

(छः) मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मांडला (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8112/95]

(सात) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8113/95]

(आठ) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची (बिहार)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8114/95]

(नौ) सरयु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8115/95]

(दस) भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8116/95]

(ग्यारह) ग्वालियर-दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दतिया (मध्य प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8117/95]

(बारह) हिसार-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिसार (हरियाणा)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8118/95]

(तेरह) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8119/95]

(चौदह) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8120/95]

(पन्द्रह) सोलापुर ग्रामीण बैंक, सोलापुर (महाराष्ट्र)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8121/95]

(सोलह) मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चरू (राजस्थान)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8122/95]

(सत्रह) सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8123/95]

(अठारह) वरदा ग्रामीण बैंक, कुमटा (कर्नाटक)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8124/95]

(7) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1995 की धारा 40 की उपधारा (4) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8125/95]

(8) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) देना बैंक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उनपर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8126/95]

(दो) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उनपर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8127/95]

(तीन) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे मे प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8128/95]

(चार) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे मे प्रतिवेदन, लेखे तथा उनपर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8129/95]

(पाँच) ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उनपर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8130/95]

(9) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० एल० टी० 8131/95]

(10) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण):-

(एक) सा०का०नि० 399, जो 18 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 35/95-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 400 (अ), जो 18 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्राथमिक चरणों से फाइबर और फिलामेंट का निर्माण नहीं करने वाली इकाईयों द्वारा निकाले गये मानव निर्मित फाइबर और फिलामेंट के अपशिष्टों पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत मूल शुल्क निर्धारित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 401 (अ), जो 18 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 402 (अ), जो 18 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा०का०नि० 403 (अ), जो 18 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा०का०नि० 404 (अ), जो 18 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छूट प्राप्त माल के निर्माण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट, पारिंग और स्कैप को, कतिपय शर्तो के अध्यधीन, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 405 (अ), जो 18 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च 1995 की अधिसूचना संख्या 23/95-के०उ०शु० को विखंडित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 406 (अ), जो 18 मई 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 214/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किय गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सांतवा संशोधन) नियम, 1995 जो 18 मई 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 407 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 408 (अ), जो 18 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 5/94 -के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 419 (अ), जो 24 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह उपबंध किया गया है कि ऐसे मामलों में भी छूट दी जायेगी जहां विद्युत की सहायता से आदान सीटें बाहर प्रिन्ट कोट या रोगन की जाती हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 431 (अ), जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1993 की अधिसूचना संख्या 1/93 -के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 432 (अ), जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सहायक समाहर्ता/समाहर्ता के पदनाम को बदलना हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 433 (अ), जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें दर्शाई गई दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा०का०नि० 434 (अ), जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में "समाहर्ता" शब्द के स्थान पर "आयुक्त" शब्द प्रतिस्थापित करना हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा०का०नि० 435 (अ), जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं को विखण्डन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा०का०नि० 436 (अ), जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 19 अप्रैल, 1995 की

अधिसूचना संख्या 82/95-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन करना हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा०का०नि० 437 (अ), जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 2/94-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन करना हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा०का०नि० 439 (अ), जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 79/88-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1995, जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 438 (अ), प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा०का०नि० 500 (अ), जो 13 जून, 1995 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा०का०नि० 454 (अ), तथा सा०का०नि० 455 (अ), जो 29 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धाराओं 11 कक तथा 11 खख के प्रयोजनों के लिए ब्याज की दर क्रमशः बीस और पचास प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की गई हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 1995 जो 31 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 468 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा०का०नि० 464 (अ), जो 30 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 57 जज के प्रयोजनों के लिए बीजकों के विवरण निर्धारित किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 1995, जो 30 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 465 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1995, जो 29 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 526 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सताईस) सा०का०नि० 530 (अ), जो 4 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 36/95 -के०उ०शु० का विखण्डन किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठाईस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1995, जो 21 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 560 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) तदर्थ छूट आदेश संख्या 26/7/95-सीएक्स (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो उसमें उल्लिखित उत्पाद-शुल्क योग्य कतिपय माल को, कतिपय शर्तों के अध्यधीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8132/95]

(11) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी सेवा निवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में नौकरी स्वीकार करने संबंधी (संशोधन) विनियम, 1994 जो 20 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1107 में प्रकाशित हुये थे तथा उसका एक शुद्धि-पत्र जो 10 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी सेवा निवृति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में नौकरी को स्वीकार करने संबंधी (संशोधन) विनियम, 1994 जो 15 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी ओः आईआरडीः 1085/95 संख्या ओए आर-1 में प्रकाशित हुये तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 22 जुलाई 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(12) (एक) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8133/95]

(13) (एक) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 की धारा 29 की उपधारा 5 तथा धारा 31 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8134/95]

(14) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग का अंतरिम प्रतिवेदन (केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम राहत तथा मंहगाई भत्ते का विलय) मई, 1995

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8135/95]

(दो) पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग (पेंशन भोगियों को अंतरिम राहत)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8136/95]

(15) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गांरटी निगम अधिकारी, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गांरटी निगम, मुम्बई के 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुये वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8137/95]

3.19 म०प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1995 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 22 अगस्त, 1995 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नही करनी हैं।"

3.20 म.प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री सूरज भानु सोलंकी (धार) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति को चालू सत्र के दौरान हुई चवालीसवीं और पैंतालीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

3.20½ म.प.

लोक लेखा समिति

107वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के संबंध में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) का एक सौ सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

03.21 म०प०

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

32वां और 33वां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का बत्तीसवां और तैंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

15.22 म०प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

दूरदर्शन और टर्नर इण्टरनेशनल इनकारपोरेटेड (सी०एन०एन०) एटलांटा यू०एस०ए० के बीच करार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं इनसेट 2 बी उपग्रह पर दूरदर्शन के लिए नियत ट्रांसपोंडर का उपयोग करके 24 घण्टों सी० एन० एन० आई० कार्यक्रम सेवा के ट्रांसमिशन हेतु 30 जून 1995 को दूरदर्शन द्वारा टर्नर इंटरनेशनल इन्क, अटलांटा, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए गए गरार के बारे में 22 अगस्त, 1995 को कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन में उठाए गए मुद्दों का उत्तर देना चाहता हूं।

30 जून 1995 को हुए करार की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:-

(1) करार की अवधि 2 वर्ष है।

(2) दूरदर्शन सी० एन० एन० आई० सेवा को अपलिंक तथा डाउनलिंक सुविधाओं सहित इनसेट 2 बी, सी-बैण्ड ट्रांसपोंडर का प्रतिदिन 24 घंटे अबाधित उपयोग करने सम्बन्धी सुविधा प्रदान करेगा।

(3) टर्नर इंटरनेशनल उपग्रह संकेत संप्रेषण एवं अभिग्रहण उपस्कर प्राप्ति (स्वचालित प्ले बैंक मशीनरी) तथा प्रचालन संबंधी संवर्धन में दूरदर्शन की सहायता करेगा।

(4) दूरदर्शन/सी० एन० एन० चैनल पर प्रतिदिन मूल समाचार एवं सामयिक कार्यक्रम के कम से कम दो तथा अधिक से अधिक आठ घंटों के लिए दूरदर्शन द्वारा प्रदान किए गए कार्यक्रम दिखाए जाएंगें।

(5) दूरदर्शन टर्नर इंटरनेशनल को उसके मनोरजंन या सामयिक कार्यक्रमों के लिए डीडी-1, डीडी-2 या डीडी-3 पर प्रतिदिन स्थलीय रूप से न्यूनतम एक घंटे का ट्रांसमिशन समय प्रदान करेगा। यह दूरदर्शन के संपादकीय नियंत्रण के अधीन होगा। इस प्रकार के कार्यक्रमों की स्वीकार्यता या अन्य बातों के संबंध में दूरदर्शन का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(6) टर्नर इंटरनेशनल दूरदर्शन को 1,500,000/- (एक मिलियन पांच सौ हजार डॉलर) अमरीकी डॉलर वार्षिक टेलीकास्ट शुल्क का भुगतान करेगा।

(7) करार पर हस्ताक्षर होने के 10 दिन के भीतर टेलीकास्ट शुल्क के 25% भाग का भुगतान करना अपेक्षित है। (भुगतान पहले ही किया जा चुका है) शेष राशि का तीन तिमाही किश्तों में प्रत्येक परवर्ती तिमाही के अन्त तक भुगतान करना अपेक्षित है।

(8) टर्नर इन्टरनेशनल दूरदर्शन को प्रथम एक मिलियन पांच सौ हजार डॉलर के अलावा कथित उपग्रह चैनल से अतिरिक्त निवल राजस्व के 50 प्रतिशत का भुगतान करेगा।

(9) टर्नर इंटरनेशनल दूरदर्शन को डी० डी०-3 चैनल पर प्रसारित टर्नर इंटरनेशनल के कार्यक्रमों से प्राप्त निवल विज्ञापन राजस्व को 50 प्रतिशत राशि प्रदान करेगा।

(10) टर्नर इंटरनेशनल दूरदर्शन को डीडी-1 तथा डीडी-2 चैनलों पर प्रसारित टर्नर इंटरनेशनल के कार्यक्रमों से प्राप्त निवल विज्ञापन राजस्व की 65 प्रतिशत राशि प्रदान करेगा।

(11) सभी सी०एन०एन०आई० तथा टी० आई० कार्यक्रमों का विपणन टर्नर इंटरनेशनल द्वारा किया जाएगा।

(12) उपग्रह चैनल पर सी०एन०एन०आई० सेवा हेतु एक घन्टे में से 2 मिनट तथा डी. डी. कार्यक्रमों हेतु एक घंटे में से 4 मिनट का समय विज्ञापन के लिए होगा।

(13) डीडी-1, डीडी-2 तथा डीडी-3 पर स्थलीय रूप से रिले किए गए कार्यक्रमों के मामले में टर्नर इंटरनेशनल को एक घंटे के विज्ञापन समय में से 4 मिनट की स्वीकृति होगी।

(14) दूरदर्शन तथा टर्नर इंटरनेशनल का उपग्रह चैनल के एक-दूसरे के कार्यक्रमों पर कोई सम्पादकीय नियंत्रण नहीं होगा। तथापि, सभी कार्यक्रम दूरदर्शन की प्रसारण तथा विज्ञापन संहिता के अनुरूप होंगे।

(15) दूरदर्शन तथा टर्नर इंटरनेशनल एक-दूसरे के कार्यक्रमों में से एक-दूसरे को समाचार, सूचना कथाएं तथा फुटमान उपलब्ध करवायेंगें। टर्नर इस उद्देश्य के लिए दूरदर्शन को अपेक्षित सुपुर्दगी प्रभार अदा करेगा। दूरदर्शन पर इस तरह का कोई सदृश दायित्व नहीं होगा।

(16) टर्नर इंटरनेशनल द्वारा भारत के बाहर अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एकत्रीकरण प्रक्रिया में दूरदर्शन को शुल्क आधार पर सहायता उपलब्ध करवायी जाएगी।

(17) करार भारतीय कानूनों से शासित होगा।

(18) विवादों का अंतिम रूप से निपटान, भारतीय पंचाट अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पंचाट द्वारा किया जाएगा। पंचाट का स्थान नई दिल्ली होगा।

इन मुख्य बातों से स्पष्ट है कि इस करार से किसी प्रकार से भी राष्ट्रीय हितों या सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का अतिक्रमण नहीं होगा। इसके विपरीत, इसे उपग्रह एवं केबल से अत्यधिक प्रसारण के फलस्वरूप दूरदर्शन के लिए प्रतिस्पर्धा को स्थिति में दूरदर्शन के एक व्यावहारिक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। मुझे यह समझ नहीं आता कि एक चैनल जो इस देश में 1989 से उपलब्ध है, दूरदर्शन मंच पर आने से सुरक्षा हेतु खतरा बन सकता है।

प्रारंभ में मैं इस आरोप का खण्डन करना चाहूँगा कि यह करार इसके सभी पहलुओं की जांच किए बिना जल्दबाजी में किया गया है। वास्तव में, यह प्रस्ताव आरंभ में इस मंत्रालय को 1993 में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसकी सरकार में सचिवीय समिति एंव मंत्रियों के ग्रुप के स्तर पर विस्तृत रूप से समीक्षा की गई थी। इस समीक्षा में करार के अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों प्रकार के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में हुई एक बैठक में मैंने सदन में राजनीतिक दलों के नेताओं को भी प्रस्तावित करार के बारे में बताया था।

इस करार से भारत सरकार को 1956 की नीति का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हुआ हैं जोकि जैसाकि सभी सदस्य जानते हैं, प्रिन्ट मीडिया से संबंधित हैं। इस तथ्य की इस चैनल के सिग्नल का डाउनलिंक एक विदेशी उपग्रह से और अपलिंक इनसेट 2 बी उपग्रह से किया जाना दूरदर्शन की अनिवार्य जिम्मेवारी होगी से स्पष्ट है कि टर्नर इन्टरनेशनल को भारत में कार्यक्रमों का निर्माण करने और उन्हें भारत से अपलिंक करने की अनुमति नहीं दी गई है। वास्तव में समानान्तर रूप से, भारत में विदेशी समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की बिक्री की अनुमति दी गई है। साथ ही, जहाँ तक भारतीय भूमि से अपलिंकिंग का संबंध हैं, हीरो कप कवरेज के समय से अब तक मंत्रालय के रूख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसाकि सदस्यों को याद होगा कि उस मामले में न्यायालय के एक आदेश के कारण सरकार और दूरदर्शन को एक विदेशी एजेंसी को अपलिंकिंग सुविधाओं को अनुमति देनी पड़ी थी। मैं यहां यह भी कहना चाहूँगा कि तब भी संसद में और इसके बाहर सरकार और दूरदर्शन के इस रूख की निन्दा की गई थी और इन मैचों को टेलीकास्ट करने हेतु विदेशी ऐजेंसियों को अपलिंक सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन किया गया था।

इस करार से भारतीय कानूनों के उल्लंघन होने संबंधी दावे के विपरीत सच्चाई यह है कि इस करार के परिणामस्वरूप पहली बार कोई विदेशी नेटवर्क दूरदर्शन की कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का पालन करने के लिए सहमत हुआ है। भारत में कुछ अन्य उपग्रह चैनलों पर उपलब्ध कार्यक्रमों से हमारी संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में सदस्यों द्वारा व्यक्त चिन्ता के परिपेक्ष्य में करार में इस प्रावधान का सभी के द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त; यह चैनल पडौसी देशों में दूरदर्शन के अपने समाचारों और सूचना कार्यक्रमों को व्यापक कवरेज प्रदान करने के अलावा विश्व घटनाक्रम पर भारतीय बोध को तथा देश के विकास के मूल्यांकन को विदेश में प्रस्तुत करने में सहायता करेगा।

3.25 म०पु०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

चौबी घंटों दर्शकों को समाचार और सूचना प्रदान करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय चैनल के जुड़ने से, जैसाकि इस समझौते के जरिए प्राप्त किया गया है, दूरदर्शन

के मंच के सुदृढ़ होने के प्रति तरह सहमत होने के लिए मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा, इससे अन्ततः देश को दीर्घकालिक लाभ होने के लिए मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा, इससे अन्ततः देश को दीर्घकालिक लाभ होगा क्योंकि इस मंच पर प्रस्तावित कार्यक्रमों की विविधता ऐसी होगी कि उन अन्य चैनलों के प्रगति दर्शकों के मुड़ने की आवश्यकता नहीं होगी जिनमें से कुछ जैसाकि एक माननीय सदस्य के उल्लेखानुसार आजकल अश्लीलता के मुख्य कर्ता हैं।

दूरदर्शन, सी.एन.एन. से प्रसारण शुल्क के रूप में 15 लाख अमेरिकी डालर की वार्षिक आय अर्जित करेगा। इसके साथ-साथ 15 लाख अमेरिकी डालर के अतिरिक्त विज्ञापनों से प्राप्त होने वाले राजस्व में दोनो बराबर के भागीदार होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 8वीं योजना अवधि के दौरान दूरदर्शन की बजटीय सहायता को काफी कम कर दिया गया है। इसलिए न केवल दूरदर्शन की गतिविधि के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से बल्कि क्षेत्र में कला प्रौद्योगिकी के नवीनतम स्तर को काम में लाने के लिए तैयार रहने के उद्देश्य से दूरदर्शन के लिए राजस्व के अतिरिक्त स्रोतों की खोज करना आवश्यक हो गया है। जहां तक भारत के अन्दर तथा बाहर से विज्ञापनों के राजस्व का संबंध है, दूरदर्शन द्वारा अपने प्रतियोगी चैनलों से निबटने की बजाय अपने चैनलों पर कार्यक्रम भेजने वाले विदेशी चैनलों के साथ सहयोग करने के लिए दूरदर्शन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह आश्चर्यजनक है कि मेरे कुछ साथी इसे विदेशी पूंजी को "क्रिय" के रूप में देखते हैं जबकि उनके दलों द्वारा चलाई जा रही राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री तथा अन्य केवल इसमें होने वाले वाणिज्यिक लाभहेतु भारत में आने के लिए अन्य विदेशियों को आमंत्रित करने, उनको भूमि भी किराए पर देने में व्यस्त हैं।

यह तर्क कि सी एन एन आई कार्यक्रमों की विषयवस्तु पर दूरदर्शन का कोई संपादकीय नियंत्रण नहीं रहेगा तथा सी एन एन आई कार्यक्रमों से सांस्कृतिक हमला होगा, तथ्यों की सही जानकारी की कमी पर आधारित है। आज विदेशी उपग्रह दूरदर्शन चैनल हजारों भारतीय घरों में प्रतिदिन समाचार बुलेटिन तथा सामयिक सूचना का प्रसारण कर रहे हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से संपादकीय नियंत्रण के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। हाल ही में अब तक सी एन एन भी इनमें से एक था किंतु करार हस्ताक्षर के पश्चात वह दूरदर्शन द्वारा अनुसरण की जा रही संहिता का पालन करने के लिए सहमत हो गया है। दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। सी एन एन सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दूरदर्शन नैटवर्क है जिसे विश्व के करोड़ो लोगों द्वारा देखा जाता है। हमारी संहिता का पालन करने हेतु उनकी सहमति न केवल भारत में प्रसारण से संबंधित है, यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए भी है। माननीय सदस्य निश्चय ही इसके महत्व को समझेंगे क्योंकि इस नैटवर्क का यह दृष्टिकोण बिलकुल गलत है और यह नैटवर्क किसी भी करार के तहत किसी भी संहिता अथवा मार्गनिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।

सांस्कृतिक हमले के विषय में जाहिर की गई उत्सुकता भी इसी प्रकार निर्मूल है। सी एन एन भारत में प्रसारण कर रहा है तथा हजारों लोग 1990 से नियमित रूप से इसे देख रहे हैं। इसके बावजूद क्या हुआ? क्या यह हमारी परम्परागत संस्कृति को चुनौती नहीं थी? अकस्मात 1995 में सी एन एन सिग्नल एक अतिरिक्त उपग्रह से प्राप्त होने पर हमारी संस्कृति को चुनौती मिली। क्या इसलिये यह उपग्रह भारतीय है? तत्कालीन यू एस एस आर द्वारा सी एन एन कई वर्षो तक ग्रहण किया गया और सोवियत प्राधिकरणों द्वारा भी विश्व स्तर पर प्रसारित किया गया। उनके साथ क्या हुआ? क्या मेरे मित्रों का तर्क यह है कि यू एस एस आर का विघटन सी एन एन प्रसारण की वजह से हुआ? सी एन एन अपस्टार नामक एक चीनी उपग्रह से चीन में प्रसारण कर रहा हैं जो चीन सरकार का विवेकपूर्ण निर्णय हैं। क्या इससे चीन की सभ्यता के लिए कोई खतरा हुआ? क्या यह चीन के लिये ठीक है और भारत के लिए नहीं? क्या यह इंडोनेशिया के लिए ठीक है जो सी एन एन इंडोनेशियाई सरकार के उपग्रह "पालापा" से ग्रहण करता है, क्या खाड़ी देशों के लिए यह ठीक है जो "अरबसेट" उपग्रह के माध्यम से सी एन एन ग्रहण करते हैं किंतु भारत के लिये यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं पता कि मेरे माननीय साथियों की अपनी सभ्यता और, संस्कृति के बारे में क्या राय है लेकिन मैं यह नहीं मानता कि हमारी हजारों वर्ष पुरानी परंपराएं व मूल्य टेलीविजन की वजह से समाप्त हो जायेंगे। मैं नहीं समझता कि हमारी संस्कृति इतनी कमजोर है और मैं अपने माननीय साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे विश्वास करें कि हमारी संस्कृति बहुत स्थायी है जिसमें आनेवाली अनेक पीढ़ियों के लिए अंखडता के साथ चलते रहने की क्षमता है और राष्ट्रपिता ने कहा था कि वह नहीं चाहते कि भारत पर विदेशी प्रभाव न पड़े, जिसका अभिप्राय था, कि भारत के द्वार सभी संस्कृतियों व सभ्यताओं के लिए खुले होने चाहिए लेकिन इसके साथ उन्होंने यह भी कहा, "मुझे मेरे सिद्धांतों से कोई विचलित नहीं कर सकता।" क्या मेरे माननीय साथियों का यह विचार है कि वे सी एन एन के बारे में चल रही चर्चा से विचलित हो जाएगें? मैं अपने माननीय दोस्तों से आग्रह करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें कि इससे हमारी परंपराओं को धक्का लगता है अथवा उनमें से क्या इन्द्रधनुषीय रंगों में रात्रि को अपने उपग्रह टी0 वी0 चैनल पर पहुंचाता है। महोदय, आज सूचना का बहुत महत्व है और यह सार्वभौमिक है जो सभी तक पहुंचनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि हमें सूचना प्रौद्योगिकी में वही करना चाहिए जिससे इस प्रक्रिया को मदद मिले न कि इसमें रूकावट आए अथवा सूचना प्रौद्योगिकी के सार्वभौम विनियमनों की अनदेखी न हो। यह करार दूरदर्शन द्वारा इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों में से एक है और इससे मेरे मन में एक और प्रश्न उठता है।

यह दूरदर्शन के दैनिक कार्यकलापों का एक अंग है जो उसी प्रकार से किया गया है जैसा कि एक मलेशियाई दूरदर्शन नैटवर्क "मीसेट" एम टी वी तथा अन्यों के साथ किया गया है। भविष्य में ऐसे और करार भी किये जा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि दूरदर्शन का प्रत्येक समझौता संसद में पेश किया जाए। निश्चय ही इस तरह से तो मौजूदा सरकार के कार्यकारी काम-काज संसद द्वारा ही किए जाएंगे और सरकार निरर्थक हो जायेगी। वैसे भी, किसी भी प्रकार से ये कार्य सरकार के समक्ष पेश नहीं किये जाते। इनका संबंध दूरदर्शन से है जो एक व्यवसायिक नैटवर्क है और दूसरे व्यवसायिक नैटवर्क से समझौता कर रहा है। उन्होंने मंत्रालय और मंत्रिमंडल से परामर्श किया तथा संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास में लिया। यह उन्होंने किसी बाध्य की वजह से नहीं बल्कि पर्याप्त सावधानी बतौर किया।

जहां तक इस चैनल को आरंभ करने वाले दिन की घटना का संबंध हैं, चैनल ने भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्प्लावक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए भारत पर एक रिपोर्ट से संबंधित 10 सेकण्ड का मुख्य समाचार प्रसारित किया था। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि "प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिंहराव के अर्थिक सुधारों के ये परिणाम रहे - मुद्रा का संचय 1991 में 1 बिलियन डालर से बढ़कर 20 बिलियन डालर, 1990 में आधा बिलियन से कम से 6.5 बिलियन

डालर तक विदेशी निवेश : प्रति वर्ष 20 प्रतिशत आयात वृद्धि। उक्त रिपोर्ट में दिखाई गई दृश्य क्लिप में बंबई की सड़कों पर कुछ गायों को दिखाते हुए एक क्लिप शामिल है। सी०एन०एन० द्वारा इस क्लिप को शीघ्र हटाया गया तथा लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके द्वारा क्षमा मांगी गई। सी.एन.एन. ने भारत के मानचित्र को गलत रूप में दिखाए जाने संबंधी रिपोर्ट से भी इन्कार किया।

इस करार के कुछ अन्य लाभ इस प्रकार से हैं :-

(1) इसकी वित्तीय शर्तें दूरदर्शन के लिए काफी अनुकूल हैं।

(2) इससे दूरदर्शन की दैनिक सी. एन. एन. कार्यक्रम "वर्ल्ड रिपोर्ट" के माध्यम से अपने पांच मिनट के समाचार कैप्सूल जिसे विशेष रूप से इस उद्देश्य हेतु तैयार किया जाएगा, के लिए विश्व-व्यापी दर्शकों तक पहुंचने में सहायता मिलेगी।

(3) इससे दूरदर्शन को अपने कार्मिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित सी. एन. एन. सुविधाओं में प्रशिक्षण प्रदान करवानें में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, भारत में संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशालाओं से भी दूरदर्शन के अधिसंख्य कार्मिकों को लाभ मिलेगा।

(4) इससे दूरदर्शन को अपने स्थलीय चैनल पर सी. एन. एन. के लोकप्रिय कार्यक्रम उपलब्ध करानें मे सहायता मिलेगी।

मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में इस करार पर परिचर्चा के दौरान व्यक्त विचारों से हमें सोचने के लिए महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हुई है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि हम उनके द्वारा व्यक्त चिंताओ को सरसरी तौर पर नहीं लेगें बल्कि इन पर उचित कार्यवाही करने के सभी प्रयास करेंगे। इस चैनल पर दिखाए जानेवाले कार्यक्रमों में सुधार करने संबंधी सुझावों की भी जांच की जाएगी तथा उन्हें शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा जिससे इस चैनल की क्षमता में वृद्धि की जा सके।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल): महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं

(व्यवधान)

मैं जानता हूं कि नियमों के अधीन, इसकी सभा में अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन इसके लिए पूर्व उदाहरण हैं

(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : हमें स्पष्टीकरण मांगने का हक है . . . . (व्यवधान)

सभापति महोदय : नियम 372 के अधीन इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : पहले हमें कुछ स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जाती थी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चर्चा या किसी अन्य चीज की मांग कर सकते हैं, लेकिन इस स्तर पर स्पष्टीकरण जानने की मांग नही कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : नियमों के अधीन, हमें यह पता है कि इसकी अनुमति नहीं दी जाती हैं, लेकिन पहले कभी-कभी जब ऐसे महत्वपूर्ण वक्तव्य दिये जाते थें, सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जाती थी . . . . (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा और मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा अब कार्यसूची की मद संख्या 13 लेगी। विधेयक पुनः स्थापित किए जाना है।

3.35 म०प०

संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन (दूसरा संशोधन) विधेयक*

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित** करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापति करने की अनुमति दी जायें,"

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाना हैं, (व्यवधान) उनके विधेयक को पुरः स्थापित करने से पहले मैं यह उठाना चाहता हूं (व्यवधान) मेरा मुद्दा यह है कि यह बहुत अधिक असाधारण विधेयक है। हमने ऐसा विधेयक नहीं देखा। कम से कम मुझे तो याद नहीं हैं, मैं गलत भी हो सकता हूं।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2 दिनांक 25 अगस्त, 1995 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अधिनियम और उद्देश्यों और कारणों के कथन में भारी अन्तर है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में, यह उल्लिखित है कि :

"(एक) 1000 रू. प्रतिमाह के वर्तमान कार्यालय खर्च भत्ता की जगह 2,500 रू0 प्रतिमाह का सचिवालय भत्ता,"

यह अधिनियम का भाग नहीं हैं, अधिनियम में केवल यह कहा गया है कि अधिनियम में परिवर्तन के द्वारा जिसकी अनुमति दी जाती थी अब नियमों में परिवर्तन के द्वारा उसकी अनुमति दी जायेगी। इसी का अधिनियम में प्रावधान किया गया हैं। लेकिन उद्देश्यों और कारणों के कथन में, अन्य बातों का उल्लेख किया गया हैं, यह बहुत अधिक असाधारण है मुझे मालूम नहीं है कि किसी विशेष अधिनियम के सम्बन्ध में आपने कभी इस प्रकार का कोई उद्देश्यों और कारणों का कथन देखा है अथवा नहीं।

इसलिए, मैं सुझाव दे रहा हूँ कि उद्देश्यों और कारणों के कथन को अच्छी तरह से तैयार किया जाए जोकि अधिनियम से संगत हो। तत्पश्चात् ही मंत्री महोदय को विधेयक पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये। यह मेरा अनुरोध हैं।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन यदि मंत्री महोदय द्वारा कोई स्पष्टीकरण दिया जाना है तो वह अब दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : उद्देश्यों और कारणों के कथन और विधेयक के उपबंधों के बीच कोई असंगति नहीं है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य के पास इसे ठीक ढंग से देखने का समय नहीं है। इसीलिए, वह ऐसा कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैंने इसे देख लिया है। महोदय, यह बहुत ही आपत्तिजनक हैं। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूँ कि विधेयक में ऐसा उपबंध बिलकुल नहीं है

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब यह विधेयक चर्चा के लिए आयेगा तब आप इसके बारे में वाद-विवाद कर सकते हैं,

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं केवल यह सुझाव दे रहा हूँ

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आरंभिक स्तर पर इसकी अनुमति नहीं दी जाती हैं। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं हैं। क्या डाक टिकटों के लिए 6,000 रू. का प्रावधान हैं? उन्हें इन असाधारण नियमों को उद्धृत करने दें।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह विधेयक जब चर्चा के लिए आयेगा तब मैं ऐसा करूंगा। लेकिन अभी नहीं।

सभापति महोदय : श्री निर्मल कान्ति जी, जब विधेयक चर्चा के लिए आयेगा, तब आप ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा यह मानना है कि माननीय मंत्री महोदय ने यह विधेयक पढ़ लिया है। इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि वह विधेयक का केवल एक ऐसा खंड बताएं जिसमें इन आंकड़ो का उल्लेख किया गया हो जो उद्देश्यों और कारणों के कथन में दिए गए हैं। मैं कहता हूँ कि यह दोषपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह दोषपूर्ण नहीं हैं

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो आप कह रहे हैं वह सच हो सकता हैं। लेकिन इस स्तर पर आप इसे इंगित नहीं कर सकते हैं, विधेयक जब सभा में चर्चा के लिए आयेगा तब आप वाद-विवाद कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं वाद-विवाद नहीं कर रहा। मैं यह कह रहा हूँ कि आरम्भिक स्तर पर यह दोषपूर्ण हैं, इसलिए इसे बिलकुल भी पुरः स्थापित नहीं किया जाये। उन्हें इसमें संशोधन करना चाहिए और एक संशोधित विधेयक लाया जाये।

(व्यवधान)

इसीलिए मैं इस विधेयक के पुरः स्थापन पर आपत्ति कर रहा हूँ

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया, मैं इसे स्वीकार नहीं करता,

प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये",

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूँ।

3.40 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अपर ताप्ती सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए समुचित धन-राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

ठाकुर महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा) : मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के संयुक्त तत्वावधान में निर्मित होने वाली उपर ताप्ती परियोजना को तीन चरणों में निर्माण करने हेतु दोनों प्रादेशिक सरकारों का एग्रीमेंट हैं, जिससे कि दोनो ही प्रदेशों को सिंचाई के लिए संसाधन उपलब्ध होने वाले है।

उपरोक्त परियोजना का प्रथम चरण समाप्त होकर रह गया। शेष दो चरणों के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। यह समूची योजना 303.40 करोड़ रूपये की है। मध्यप्रदेश राज्य की 140.20 करोड़ तथा महाराष्ट्र राज्य की 163 करोड़ रूपए की भागीदारी होगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश में 1,16,727 एकड़ तथा महाराष्ट्र में 1,49,522 एकड़ भूमि में सिंचाई होगी तथा 4.64 मेगावाट बिजली तैयार होने का प्रावधान हैं।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस योजना का द्वितीय एवं तृतीय चरण का अविलम्ब निर्माण किया जाकर महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के किसानों को इसका लाभ दिया जाए।

(दो) महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली जिले में बेहतर दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री शांताराम पोतदुखे (चन्द्रपुर) : महोदय, गढ़चिरौली महाराष्ट्र का जनजाति जिला हैं, इससे आन्ध्र प्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमाएं लगती हैं; इस जिले में मारिया, गौंड और अन्य जनजातियों की प्रधानता हैं। क्षेत्रवार, यह महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा जिला है। इसके 12 ताल्लुक हैं और 60 प्रतिशत वनक्षेत्र हैं। गढ़चिरौली शहर जो कि जिला मुख्यालय भी हैं, क्षेत्र के 12 ताल्लुकों में 10 ताल्लुकों के साथ सम्पर्क नहीं रख पा रहा है। क्योंकि वहां ढांचागत सुविधाओं का अभाव है और टेलीफोन विभाग के रखरखाव कार्य में कमी हैं। यह जिला नकसलवादी गतिविधियों का गढ़ है और वर्ष में तीन से चार महीने तक इसका देश के शेष भाग से सम्पर्क नहीं रहता हैं। दूरसंचार ही लोगों के लिए अन्य लोगों से सम्पर्क करने का एकमात्र साधन हैं, ऐसी परिस्थितियों में इस क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं में सुधार करना न केवल रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अपितु नक्सलवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए भी नितांत आवश्यक है। इस क्षेत्र के लिए उपग्रह द्वारा विशेष दूरसंचार प्रणाली उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदान की गई हॉट लाईने चुनावों की पूरी अवधि के दौरान खराब रहीं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस जिले में टेलीफोन की मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं ताकि सभी तल्लुकों से सम्पर्क कायम हो सकें।

(तीन) हैदराबाद-विशाखापत्तनम जेपोर, भुवनेश्वर विमान सेवा को पुनः आरंभ करने की संभावना का पता लगाने की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : महोदय, लगभग पांच वर्ष पूर्व हैदराबाद से भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम तथा जेपोर होते हुए और फिर सांय हैदराबाद वापसी हेतु एक डोरनियर वायु सेवा चल रही थी जो भुवनेश्वर से हैदराबाद तक दिल्ली की उड़ानो को जोड़ती थी। अब कुछ कारणों से उपरोक्त उड़ान को बन्द कर दिया गया हैं और सरकार द्वारा उसे पुनः चालू किए जाने की संभावना नहीं है। यदि किसी कम्पनी की इस वायुमार्ग पर वायुदूत उड़ान चलाने में रूचि हो तो इससे विजयवाड़ा विशाखापटनम और जेयपोर के यात्रियों को हैदराबाद और भुवनेश्वर से दिल्ली की उड़ान से यात्रा करने में बहुत सुविधा होगी। इसलिए, मैं नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृषित करता हूं कि उक्त उड़ान को पुनः चालू करने के लिए जो पांच वर्ष पूर्व चल रही थी एक निजी कम्पनी को लगाये ताकि यात्री विमान से यात्रा कर सके ओर उसी दिन दिल्ली की उड़ानों में यात्रा कर सके।

(चार) आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद और सिकन्दराबाद में पेय जल की गंभीर समस्या का समाधान करने की आवश्यकता

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : महोदय, हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद में भीषण पेयजल संकट हैं। सात लाख की तत्कालीन जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रारम्भ में 1932 में किए गये पेयजल आपूर्ति प्रबन्धों में और वृद्धि नहीं की गई हैं, यद्धपि जनसंख्या बढ़कर 50 लाख हो गई है। पानी के मुख्य स्त्रोत, अर्थात उस्मान सागर और हिमालय सागर पूर्णतया सूख गये है और हर दूसरे दिन केवल एक घंटे के लिए पेयजल की आपूर्ति की जा रही हैं जो कि पूरी तरह से मंजेरा पर निर्भर है।

इस भीषण पेयजल संकट का एकमात्र स्थायी निदान कृष्णा जल परियोजना है। इस परियोजना के लिए 680 करोड़ रूपये की आवश्यकता है। आन्ध्र-प्रदेश सागर वित्तीय अड़चनो के कारण इस कार्य को पूरा नहीं कर सकी है। संघ सरकार ने कृष्णा जल प्रवाव विपन परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।

हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद जल परियोजना को सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्ते व्यवहार्य नहीं है, और इस शर्त को पूरा नही किया जा सकता क्योंकि इसमें कई वर्ष लगेंगे। इस परियोजना को निजी कम्पनियो को देने के अपने अन्तर्निहित खतरे हैं। इससे जल-दरों में तीन-चार गुणा वृद्धि होने की संभावना है जिससे आम आदमी को कठिनाई होगी। पेयजल समस्या के गंभीर स्वरूप को देखते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह मांग करता हूं कि वे इस परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना समझें और उसे केन्द्र सरकार के माध्यम से वित्त प्रदान किया जाये।

(पांच) देहरादून और दिल्ली के बीच मुरादाबाद होकर एक सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी आरंभ करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डॉ० लाल बहादुर रावल (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, देहरादून से लक्सर होती हुई सहारनपुर-दिल्ली के लिए धीमी रेल सेवा हैं, लेकिन देहरादून से

नजीबाबाद-नगीना-धामपुर वाया मुरादाबाद-दिल्ली के लिए कोई सीधी रेल सुविधा नहीं है। जिससे नजीबाबाद-नगीना-धामपुर और बिजनौर के लोगों को अत्यधिक असुविधा होती है। इसके अभाव में यहां के यात्रियों को देर रात में यां तो लक्सर से रेल पकड़नी होती है या फिर सहारनपुर जाना पड़ता हैं जो कि काफी दूर है। अम्बाला और देहरादून से जो रेल हावड़ा और लखनऊ के लिए वाया मुरादाबाद जाती है उन रेलो से जाने वाले यात्रियों को मुरादाबाद उतर कर दिल्ली के लिए कोई भी लिंक रेल नहीं है।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि हजारों यात्रियों की असुविधा को देखते हुए इस मार्ग पर मुरादाबाद होते हुए दिल्ली के लिए एक सीधी मेल रेल चलाई जाए।

(छः) मणिपुर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मणिपुर राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की अति आवश्यकता है। उच्चतर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, मणिपुर विश्वविद्यालय, जो एक राज्य विश्वविद्यालय है, इच्छुक विद्यार्थियो को प्रवेश प्रदान नहीं कर सकती, मणिपुर विश्वविद्यालय के समक्ष वर्तमान परिस्थितियों में नऐ विषय तथा संकाय प्रारम्भ नहीं किए जा सकते।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं, कि मणिपुर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक कारवाई करें।

3.48 म०प०

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक

नौंवी अनुसूची में संशोधन

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री (श्री जगन्नाथ मिश्र) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक (नौंवी अनुसूची में संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाए"।

सभापति महोदय, इस विधेयक को इस सम्मान्य सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करना मेरे लिए बड़े गर्व की बात हैं।

जैसा कि आपको विदित ही है संविधान का अनुच्छेद 31 "ख" संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों को न्यायिक चुनौती से इस आधार पर संरक्षण प्रदान करता हैं कि वे संविधान के भाग-3 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते है। अनुसूची में विभिन्न राज्य सरकारो और केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए उन कानूनों की सूची दी गई है जो भूमि सहित संपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ अधिकारों और हितों पर प्रभाव डालते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 31 "क" भूमि सुधार कानूनों को इस आधार पर शून्य घोषित किए जाने से संरक्षण प्रदान करता है कि वे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन् करते है अथवा उन्हें सीमित करते है। अनुच्छेद 31 "ग" संविधान के भाग 4 में निहित नीति निर्देशक सिद्धान्तों का पालन करने के लिए राज्यों की नीति को कार्यान्वित करने वाले किसी कानून को किसी भी चुनौती से इस आधार पर संरक्षण प्रदान करता है कि ये अनुच्छेद 14 अथवा 165 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन् करता है अथवा उनको सीमित करता है। इन संरक्षणों को अनुच्छेद 31 (ख) द्वारा पुनः लागू किया गया है जो नौंवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों को संविधान के समय भाग-3 से सम्पूर्ण संरक्षण प्रदान करता हैं।

विगत में जब कभी यह पाया गया कि सार्वजनिक हित में बनाया गया प्रगतिशीली कानून मुकदमेबाजी द्वारा खतरे में पड़ा, तभी नौंवी अनुसूची का सहारा लिया गया। प्रारम्भ में 13 भूमि सुधार कानूनों को संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा इस अनुसूची में शामिल किया गया था तब से लेकर अब तक नौंवी अनुसूची में समय-समय पर संशोधन किया गया है और अब तक इसमें 255 कानूनों को शामिल किया गया है जिनमें से 222 कानून भूमि से संबंधित है।

प्रमुख अधिनियमों के अलावा, नौंवी अनुसूची में कई संशोधन कानूनों को भी शामिल किया गया है। ऐसा करना अनिवार्य हो गया था क्योंकि अधिनियम के संशोधन जिनको पहले से ही उनमें रखा गया है, को नौंवी अनुसूची का संरक्षण स्वतः ही नही मिल जाता और इसलिए ऐसे संशोधन किए जाने वाले कानूनों को भी शामिल करना पड़ा। नौंवी अनुसूची में अंतिम संशोधन 1980 में किया गया था जबकि 55 भूमि सुधार कानून शामिल किए गय थे। तत्पश्चात राज्य सरकारों से कुछ अतिरिक्त प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों की जांच की गई और अंततः नौंवी अनुसूची में 27 भूमि सुधार कानूनों को शामिल करने का निर्णय से तीन कानून अर्थात बिहार जोतों की चकबन्दी और विखण्डन रोकथाम अधिनियम 1956, बिहार विशेषाधिकृत लोक वास भूमि काश्तकारी अधिनियम 1947 और पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिकरण अधिनियम 1961 प्रमुख अधिनियम हैं जबकि शेष 24 कानून संशोधन अधिनियम है। ये कानून मुख्य रूप से कृषि जोतों संबंधी अधिकतम सीमा, हस्तांतरण के विरुद्ध आदिवासी भूमि के संरक्षण जोतो के विखण्डन की चकबंदी और रोकथाम, काश्तकारी सुधार उपाय आदि से संबंधित कानूनी प्रावधानों को कवर करते है।

महोदय, जैसा कि आपको पहले से ही विदित है सरकार विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दे रही है तथा चूंकि भूमि सुधार इनका एक महत्वपूर्ण घटक है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि प्रस्तुत विधेयक की मार्फत इन कानूनों को भी नौंवी अनुसूची का संरक्षण प्रदान किया जायं ताकि इन अधिनियमों के कार्यान्वयन पर मुकदमों के कारण विपरीत प्रभाव न पड़े।

मैं इस सम्मान्य सदन को इसके सर्वसम्मत सहयोग एवं स्वीकृति हेतु इस विधेयक की सिफारिश करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय नियत किया गया है। कांग्रेस दल के लिए 21 मिनट, भा०जा०पा० के लिए 12 मिनट, भा.

क.पा. के लिए 4 मिनट; जनता दल के लिए 3 मिनट तथा प्रत्येक अन्य दल के लिए 1 मिनट का समय है।

हां, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : सभापति महोदय, मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यह ....का एक मामला हैं।

[हिन्दी]

मिनिस्टर साहब सुने तो बात बने।

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या बात करनी है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आप सुनिये कि क्या बात करनी हैं।

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : क्या आप इसका समर्थन कर रहे है अथवा नहीं?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन मुझे जो कुछ कहना है उसे आप अवश्य सुनिए।

महोदय, यह एक ऐसा अनूठे प्रकार का मामला है, जहां एक असक्षम उदासीन और चालबाज सरकार एवं अच्छे मामले में भी धांधली कर सकती है। हम सभी यह चाहते है कि भूमिहीनों को भूमि मिलनी चाहिए। हम सभी यह विगत 47 अथवा 48 वर्षो से चाहते रहे है। लेकिन वस्तुतः परिणाम क्या निकला है? आजादी के 48 वर्षो के पश्चात और भूमिहीनों को इस भूमि को देने की बात हो चुकने के पश्चात यह सरकार अधिकाशं समय 42-43 वर्ष अथवा उसमे लगभग सत्ता में रही है। ठोस परिणाम क्या रहा?

आपने कई विधेयक पारित कर दिये है। आपने कानूनों के बारे में बात की है। लेकिन क्या भूमिहीन को वास्तव में भूमि मिली है? आपने औचित्य की बात की है। यद्धपि आपने भूमि प्रदान की है, फिर भी हम मुकदमेबाजी में उलझ गये। उन मुकद्दमों में भी क्या हो रहा हैं? भू-माफिया तथा बड़े जमींदार मुकद्दमों में हेराफेरी करते हैं, वे मुकद्दमें को समाप्त नहीं होने देते और इसलिए सरकार सायास विचारपूर्वक इनमें एक पक्ष बन जाती है।

[हिन्दी]

आप लोग जानबूझकर उन को उलझाते हैं। जहां लैंड लैस लोग इसमें उलझे हुए है क्योंकि बड़े-बड़े पैसे वाले आदमी इनवाल्वड है।

[अनुवाद]

अतः इस तरह की व्यवस्था शुरू करने से स्वयं सरकार की मंशा पर शक होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप इसको रोके हुये है। इस विधेयक में अंतिम संशोधन 1990 में लाया गया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आप को ये 20 मामले कब मिले। इनमें विलम्ब क्यों हो रहा हैं? अब ऐसा लगता है, मानो यह केवल चुनावी चालबाजी करी जा रही हैं।

आप सब कुछ जल्दबाजी में पारित करना चाहते हैं। अब आप इस विधेयक को भी जल्द बाजी में पारित करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं इस विधेयक पर चर्चा करने के पीछे क्या इरादा हैं। इतनी अधिक बात हो रही है और काफी लोग काफी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित करना है। क्योंकि इस पर चर्चा के लिए नियत किया गया समय केवल एक घंटा है। अतः यह सरकार द्वारा किये जा रहे निष्ठापूर्ण प्रयास की अपेक्षा एक चुनावी चाल अधिक प्रतीत होती है। काफी संख्या में मुकद्दमों के कारण सरकार को यह संशोधन विधेयक लाना पड़ा हैं। इस संशोधन विधेयक को लाने के लिए आपने यही कारण दिया है। आप यह काम करें। इसका औचित्यपूर्ण हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन इस तरह के मुकद्दमों को कैसे निपटाया जाता हैं? उनको निपटाने में कोई रूचि नहीं लेता। अतः ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आप इसके बारे में ईमानदार है।

महोदय, मेरा अगला प्रश्न इस विधेयक को पारित करने के बारे में है। आप इसे पारित करें, यह अच्छी बात हैं। लेकिन क्रियान्वयन भाग के बारे में क्या कहना हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा हैं, यह कानून कई राज्यों में पारित किया गया हैं, लेकिन उन राज्यों में इसके लागू करने की स्थिति क्या है? जहां इसे पारित किया गया है? कितने इलाकों में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि प्राप्त हुई है? कितने स्थानों में लोग मुकद्दमेबाजी कर रहे हैं। ये मुकद्दमे कब से चल रहे हैं? क्या केन्द्र सरकार ने इसका कभी पता लगाने का प्रयास किया है? क्या केन्द्र सरकार ने प्रभावी रूप से परामर्श देने, मनाने, यहाँ तक कि, यदि आवश्यक हुआ, तो इसको लागू करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने के लिए अपनी सत्ता का प्रयोग किया हैं? यह केवल विधेयक को पारित करने तथा यहां-वहां बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करने का ही प्रश्न है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि कानूनों को क्रियान्वित किया जा रहा हैं बहुत घटिया तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि जमींदार अपनी भूमि नही छोड़ना चाहते। वे भू-माफिया हैं वे धनी-व्यक्ति है, और उनके साथ, राजनीतिज्ञ हैं जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरे हैं। वे यह कैसे कर पाते है? वे फर्जी नामों पर बेनामी भूमि लेते हैं। वे इसे नौकरों के नाम पर, अपनी बिल्लियों और कुत्तों के नाम पर प्राप्त कर लेते हैं और बाद में उस जमीन को अपने नाम हस्तांतरित कर लेते हैं। वास्तव में, वह निर्धन लोगों, भूमिहीन लोगों के पास नहीं होती। इसके बारे मे आपने ईमानदारीपूर्वक क्या किया हैं? विधेयक को पारित करना तो ठीक है लेकिन उस आधार पर इसे लागू करने के सम्बन्ध में क्या विचार है? मुझे इस बात का खेद है कि केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया है। अगर आप वास्तव में इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं तो यह पारित हो जायेगा। लेकिन कृपया कोई ऐसा तरीका निकालिये जिससे यह वास्तव में प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों सके और वास्तविक भूमिहीन लोगों को जमीन मिल सके। अगर आप आकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो भूमिहीन लोग हैं, उन्हें भूमि नहीं मिल रही हैं।

महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न इस प्रकार के कानूनों की स्थिति के बारे में है। केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से परामर्श करके एक ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए कि जो कोई भी पुराना मुकदमा हो, उसे शीघ्रता से निपटाया जाये और वह भूमिहीन लोगों को दे दी जाये। अगर वर्तमान प्रणाली कारगर नहीं है तो हमें कोई अलग कानूनी व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ भूमिहीन लोगों से संबंधित ऐसे मामलो को निर्धारित समयावधि में निपटाया जा सके। धनवान लोगों को इस मामले में सरकारी प्रयास में लगातार विलंब करने अथवा बाधा पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। चूंकि समय बहुत कम है, अतः इन्हीं कुछ विचारों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं। लेकिन वास्तव में इस विधेयक को लागू करने और भूमिहीन लोगों को भूमि प्रदान करने में सरकार की ईमानदारी पर मुझे संदेह है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं न केवल इस विधेयक का समर्थन करता हूं बल्कि इसे लाने के लिए मंत्री महोदय को बधाई भी देता हूं।

(व्यवधान)

महोदय, मैं मंत्री महोदय से उनके मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994-95 के लिए तैयार की गई रिपोर्ट का अध्ययन करने का अनुरोध करता हूं। समय बहुत कम है और सभापति महोदय मुझे इसे यहां पढ़ने की अनुमति नहीं देगें। लेकिन यहां सरकार ने स्वीकार किया है कि भूमि इने-गिनें हाथों में ही केन्द्रित है। सरकार ने—उन लोगो ने, जिन्होंने इस रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया है-स्वीकार किया है कि कुछेक लोगों का बहुसंख्यक लोगों पर अधिकार है। आप कृपया रिपोर्ट का अध्ययन कर लीजिये अन्यथा मुझे उसमें से एक पैरा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें यह कहा गया है:

> "भारत में यह अच्छा है, जहां भारतीय जनसंख्या के लगभग 68 प्रतिशत लोग कृषि तथा उससे संबंधित कार्यकलापों से जीविकार्जन करते हैं, वहां ग्रामीण विकास संबंधी सभी गतिविधियों में भूमि सुधार को मूल कार्यक्रम माना जाता है।"

4.00 म.प.

मैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूं। यह अच्छी बात है कि आपके विभाग ने यह स्वीकार किया है कि ग्रामीण विकास की कुंजी भूमि सुधार है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि मंत्रालय ने जिस भावना से प्रारूप तैयार किया है, उस भावना से कार्यवाही नहीं की है। उदाहरण के लिए वर्ष 1967 में डॉ० महालनोबिस समिति ने यह अनुमान लगाया था कि अगर भूमि की अधिकतम सीमा 20 एकड़ निर्धारित की जाये तो लगभग 630 लाख करोड़ भूमि अतिरिक्त होगी। मेरे पास जो रिपोर्ट उपलब्ध हैं, उसके अनुसार अद्यतन आकंडे क्या हैं? अपनी रिपोर्ट में आपने स्वीकार किया है कि अतिरिक्त घोषित जमीन 30.9.94 की स्थिति के अनुसार 72.94 लाख एकड़, कब्जा की हुई भूमि 64.82 लाख एकड़ तथा वितरित क्षेत्र 51.03 लाख एकड़ है। जबकि महालनोबिस समिति ने अनुमान लगाया था कि अतिरिक्त भूमि लगभग 630 लाख एकड़ हैं और आपकी रिपोर्ट के अनुसार अब केवल 73 लाख एकड़ भूमि उपलब्ध है। इस अंतर का तात्पर्य यह है कि उपलब्ध अनुमानित भूमि में कमी हुई है।

आप जानते हैं कि मौजूदा भूमि सुधार अधिनियम में कई कमियां है। जब तक इन कमियों को उचित रूप से दूर नहीं किया जाता तब तक न केवल सरकार को वितरण हेतु फालतू भूमि उपलब्ध नहीं होगी बल्कि आप भी भूमि वितरित नहीं कर सकेंगें और आप लोगों में उत्पादन की प्रमुख इकाईयों का विकेन्द्रीकरण भी नहीं कर पाएगें। अतः, मेरा सुझाव है कि एक कृषि आयोग होना चाहिए जो राज्यों के इस संबंधी मौजूदा कानूनों में पाई जाने वाली कमियों का पता लगाये, उपलब्ध फालतू भूमि का आकंलन करें और इस बात का भी पता लगायें कि उपलब्ध फालतू भूमि की मात्रा कम होने के क्या कारण हैं।

इसके संबंध में बहुत से कानून हैं। मिश्र जी को इसकी जानकारी है। बिहार में एक उपहार अधिनियम हैं। आप अपने जानवर, पालतू कुत्ते तक को कितनी भी भूमि उपहार के तौर पर दे सकते हैं। आज भी वहां ऐसे बहुत से कानून हैं।

डा० जगन्नाथ मिश्र : ऐसा कोई कानून नहीं है। हम ऐसा कानून पारित करेंगें।

श्री चित्त बसु : यह कोई कानून नहीं है, यह तो एक गैर-कानूनी तत्थ है। मैं इसे मानता हूं।

आपका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार करना है। भूमि सुधार का तात्पर्य है स्वामित्व का वितरण। जब तक आप भूमि के स्वामित्व के अधिकार को अर्जित नहीं कर लेते तब तक आप उसका बंटवारा नहीं कर सकते और यह स्वामित्व आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक इन खामियों को दूर नहीं किया जाता। इससें मुश्किल यह है कि यह राज्य का विषय है। आप यह मान सकते हैं कि कृषि और भूमि सुधार राज्य से संबंधित विषय है। लेकिन आप उपलब्ध अनुमानित भूमि में कमी होने के कारणों का पता लगाने के लिए एक कृषि आयोग का गठन कर सकते है। महोदय, इस प्रकार के भूमि सुधारों को एक खतरा सा है। मेरे विचार में माननीय मंत्री को इस तथ्य की जानकारी है कि कुछ राज्य इस दिशा मे आगे बढ़ रहे है। महाराष्ट्र राज्य पहले ही इस दिशा में कार्य शुरू कर चुका है। पंजाब में ......(व्यवधान) ..... जी नहीं, मेरे राज्य में नही बल्कि हमने एक अलग स्थिति बनायी है। भूमि सुधार अधिनियम के तीसरे संशोधन के अंतर्गत परिवार की धारणा परिवर्तित होने जा रही थी। किसी भूमि की प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भूमि का अर्थ भूमि ही है और इसकी कोई विशेषता नहीं निर्धारित की जा सकती। आपने उस अधिनियम को, जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति ली जानी थी, विधेयक को पारित नहीं होने दिया। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वह भूमि भूमि के रूप में ही रहे। पश्चिम बंगाल में कुछ जोतदारों और जमींदारों द्वारा तालाब में मछली पालन, फलोधानों, चाय-बागानों, कंपनियों और सहकारी संस्थाओं के नाम पर जमींनें रखी जा रही थीं।

भूमि सुधार अधिनियम के इस तीसरे संशोधन का उद्देश्य भूमि को भूमि घोषित करना है। फालतू भूमि को प्रति व्यक्ति के हिसाब से न कि प्रति परिवार के हिसाब से वितरित किया जाना चाहिए। परिवार के सदस्यों का क्या होगा . ....(व्यवधान)..... महोदय, आजीविका और उत्पादन मुख्य स्त्रोतों को कुछ चन्द लोगों के हाथों में केन्द्रित न करके उनका वितरण ज्यादा से ज्यादा लोगों में किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य कई राज्यों मे पूरा नहीं किया गया है।

मंत्री महोदय, मुझे एक अशुभ संकेत मिल रहा है। उदारीकरण की नीति के तहत कुछ लोग विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आंमत्रित करेंगे। कुछ राज्य सरकारें मौजूदा भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करने जा रही हैं। उनका कहना हैं "कृषि योग्य भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।", और इस प्रकार कंपनियों को जितनी चाहे भूमि पर अधिकार करने की अनुमति दे रही हैं और कृषक समुदाय और निर्धन लोगों को उनकी जमीन से वंचित कर रही हैं।

महोदय, यह प्रयास भूमि सुधार के मूल विचार के लिए वास्तव में एक चुनौती है। मेरी जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही ऐसे उपाय करना आरंभ कर दिया है। हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे उपायों की शुरूआत की जा रही है और

उदार आर्थिक नीति के तहत अन्य राज्य सरकारों द्वारा ऐसे उपायों पर विचार किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं।

अतः महोदय, आपका अधिक समय न लेते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। लेकिन यह कोई अपने आप में पूर्ण और दृढ़ कदम नहीं है। वास्तव में मैं यह चाहता हूं कि सरकार और विशेष रूप से मंत्री महोदय आवश्यक कार्यवाही करें क्योंकि वह अपने राज्य की भूमि संबंधी समस्या से अवगत हैं और वह राज्य के मुख्य मंत्री भी थे। बिहार के गांवो में क्या हो रहा हैं, यह सभी जानते हैं । अगर वहां भूमि सुधार नहीं किये जाते तो बिहार की स्थिति यही नहीं रहेगी। चूंकि आपको नये कानून, नई नीतियाँ लाने और पुराने कानून में परिवर्तन करने का अधिकार मिला हुआ है, अतः, आपको यह कार्य करना चाहिए, जो लाखों काश्तकारों के हित में है। इसी में भारत का कल्याण है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि मिश्रा जी इस बिल को लेकर सदन में उपस्थित हुए है।

जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में नौ कानून हैं, जिनको नौंवे शैड्युल मे लाने की बात कही जा रही हैं। बिहार प्रिवलैज्ड पर्सन्स फरोम स्टेट टैनैंनसी कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग्स, लेकिन मेरी दिलचस्पी जिस पर कि मैं बोलना चाहता हूं वह हैं, बिहार लैंड रिफार्म्स फिक्सैशम आफ सीलिंग एरिया और एक्विजिशन आफ सरप्लस लैंड तथा दूसरे बिहार लैंड रिफार्म्स अमेंडमेंट एक्ट की मैं चर्चा करना चाहता हूं। इस अमेंडमेंट के जरिये, यह सही है कि अभी तक कानून बनने के बाद भी बड़े-बड़े जोतदार और जमींदार कानून में जो लूपहोल्स रहे हैं, उनका फायदा उठाकर हाईकोर्ट और दूसरी कचहरियों में ले जाते रहे हैं।

इस तरह से जो सरप्लस लैंड का बटवारा है, उसके लिए बटाईदारों को जो अधिकार कानून के अंतर्गत मिलते रहे हैं या होम स्टेट लैंड को जो बंदोबस्त सरकार भूमिहीनों के साथ करती हैं, वह एक प्रकार से कागज पर रह जाता है और उसका बड़ा हिस्सा कचहरियो में मुकदमों में फंसा रहता है और व्यवहार में वह जमीन बड़े-बड़े जमींदारों और जोतदारों के हाथ में रहती है। बिहार की वर्तमान सरकार के मुख्य मंत्री ने लैंड सीलींग एक्ट में लैंड रेफार्म्स के सिलसिले में जो चीजें जमींदारों के पक्ष में जाती हैं, उनमें संशोधन करने की बात कही है, चाहे वह सीलिंग कम करने का सवाल हो, परिवार की परिभाषा बदलने का सवाल हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा सरप्लस लैंड निकाली जा सके या बंदोबस्त करने के लिए सरकार को अधिकार मिलना चाहिए, इस बारे में कारगर कदम उठाने के बारे में बिहार सरकार ने जो आश्वासन दिया हैं, हम लोगो ने और खासतौर से भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने इसका स्वागत किया है। हम लोग बिहार में अभी भूमि सुधार कानून बना रहे हैं, और हर जगह जहां कहीं भी फालतू जमीन लोगों के पास हैं, हम चाहते हैं कि कानून के मुताबिक इसका बंटवारा हो जाए और भूमिहीन को जमीन मिल जाए।

इसमें एक आशंका है कि जो कानून सीलिंग के बने हुए है, अगर हम इसको नाइंथ शैड्यूल में डालते हैं, तो इसका असर यह भी पड़ सकता है कि अगर हम या कोई राज्य सरकार सीलिंग को कम करना चाहे, गरीबों और भूमिहीनों के पक्ष में, इस एक्ट का उस पर क्या असर पड़ेगा। अगर राज्य सरकार को इसमें कोई बंदिश होती है तो उसका उपाय निकालने की जरूरत है। वैसे इस अमेंडमेंट का हम सब लोग स्वागत करते हैं, मैं भी इस आशंका के साथ इसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं। एक बात जो लिस्ट ऑफ बिजनेस में लिखी हुई है कि यह प्रस्ताव भी करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए और एक घंटे का इसमें समय बताया गया है और इसको पास भी करना है। यह संविधान संशोधन विधेयक है और मुझको जानकारी नहीं है कि क्या इस बारे मे सभी पार्टियों से स्पेशल मेजारिटी के लिए बात कर ली गई है या नहीं।

श्री जगन्नाथ मिश्र : सबसे बात कर ली गई है।

श्री नीतीश कुमार : यह संविधान संशोधन विधेयक है और अगर स्पेशल मेजारिटी नहीं जुड़ पाई तो यह बिल फेल हो जायेगा। पता नहीं इसमें कितनी गंभीरता दिखाई है। मैंने अन्य पार्टी के सदस्यों से बात की तो उन्होंने भी इसके बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है और कोई व्हिप भी जारी नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि यह बिल पास हो और जो सदस्य यहां पर मौजूद हैं, वे इस बिल को पास कराने के लिए मौजूद रहें, लेकिन इससे सरकार की गंभीरता का पता चलता हैं।

जगन्नाथ मिश्र जी बधाई के पात्र हैं कि केन्द्र में मंत्री बन कर वे इस संविधान संशोधन को लाए हैं, उनको यह क्रांतिकारी संविधान संशोधन लाने का अवसर मिला है। बिहार में और अन्य राज्यों में भूमि सुधार कानून बने हुए है, लेकिन कोर्ट में उन मामलों को लटका दिया जाता है। इन प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा सके, इसलिए इस एक्ट को संविधान की नौंवी अनुसूची में लाया जा रहा हैं, इसलिए इसका हम समर्थन करते हैं।

लेकिन मुझको समझ में नही आ रहा है कि आपकी नियत क्या है? अब एक तरफ तो चुनाव का साल है। आप इस प्रकार का विधेयक लाने जा रहे हैं जिसका सभी पक्षों के लोग समर्थन करेंगें जिनकी रूचि भूमि-सुधार मे हैं। यह मांग सारे देश मे हो रही है और 1990 में भी 9वीं अनुसूची में लाया गया हैं और कुछ राज्यों के बिल बच गए थे, कानून बच गए थे तो इसमें उनको लाया गया हैं तो वे समर्थन करेंगें। लेकिन मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या सरकार भूमि-सुधार के मामलें में सचमुच गंभीर हैं? एक तरफ तो 9वीं अनुसूची में लाने की बात हो रही है दूसरी तरफ भूमि-सुधार के प्रति सरकार की दिलचस्पी समाप्त हो चुकी है। कृषि नीति पर बहस चल रही थी तो मैंने दो सवाल पूछे थे। कई सदस्यों द्वारा कहा गया था, क्या आपको जानकारी हैं डॉ० मिश्राजी कि होर्टीकल्चर के क्षेत्र में भूमि-सुधार के अन्तर्गत जो लैंड की सीलिंग है जोत की हदबंदी है उसको समाप्त किया जा रहा हैं? क्या कोरपोरेट सैक्टर को फूड-प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के नाम पर उनको कैपटिव फार्म रखने की छूट दी जाएगी और हजारों एकड़ जमीन वे रख सकते हैं, तो इस भूमि-सुधार का क्या मतलब है? एक तरफ आप इसें 9वीं अनुसूची में डालने के लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी सरकार ऐसी नीतियां चला रही हैं और उदारीकरण के नाम पर और विदेशी पूंजी निवेश कराने के लिए, खगोलीकरण के लिए कि यहां भूमि-सुधार नाम की कोई चीज नहीं रह जाए, भूमि-हदबंदी नाम की कोई चीज न रह जाए और यह सवाल हम बार बार उठा रहें हैं, दो साल से उठा रहे हैं और आपकी तरफ से जवाब आता है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इसकी शुरूआत महाराष्ट्र से हो गई और दूसरी

जगहों पर भी कहा जा रहा है। दूसरे जो एन.आर.आई. हैं उनको जब यहां आमंत्रित किया जा रहा हैं, मल्टी नेशनल को तो वे अपनी शर्तें रखते हैं तो उनसे कहा जाता है कि ठीक हैं, आपको इतनी जमीन दी जाएगी। हम आपसे यह सफाई मांगना चाहते है कि चाहे कोई क्षेत्र हो, होर्टीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे फूड-प्रोसेसिंग के नाम पर कैपटिव फार्म रखने का क्षेत्र हो, कोरपोरेट सेक्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कीमत पर उनके मामले में भू-हदबंदी के कानून को और उनके जो प्रावधान हैं उनको क्या शिथिल करने का सरकार का कोई विचार है या इन कानूनों को मर जाने देने का विचार हैं? हम लोगो ने दूसरा सवाल उठाया था और यह कहा गया था कि अब जो भूमि-सुधार की बात है उसको व्यापक संदर्भ में देखिये। व्यापक संदर्भ में देखने के लिए हम लोगो ने कहा कि पूरे देश में जो गैर-हाजिर भू-स्वामी हैं सबसे पहले उनपर हमला कीजिए। डा० साहब हम लोग तो जानते हैं कि आपकी कितनी जमीन हैं, यहां के लोग नही जानते होंगे। बिहार के लोग तो आपको अच्छी तरह से जानते है कि आपके पास कितनी जमीन हैं। हजारों एकड़ जमीन आपके पास है। बलुआ बाजार नामी परिवार रहा है और आप भूमि-सुधार ला रहे हैं। अब पता नहीं इसमें आपकी कितनी नीयत साफ है। अब आप तो बोलने में चतुर हैं और इस बोलने में आप पहचान में नहीं आईयेगा। जब कुछ सदस्यों ने कहा और इस पक्ष की मांग हुई कि गैर-हाजिर भू-पतियों को समाप्त करने के लिए सबसे पहले उसकी जमीन को लिया जाए। आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि यह सब नही होगा। आप यहां पर बैठे हुए हैं तो आपकी जमीन ले ली जाएगी, यह संभव नहीं है। तो आपकी सरकार में कई प्रकार की विचारधारा चल रही है। लोग यह सब बातें आंखो मे धूल झोंकने के लिए लाते है। नारा तो बहुत दिनों से हम लोग सुनते जा रहे हैं कि "जो जमीन को जोते-बोए, वो जमीन का मालिक होए", । अपना अपना छोड़कर के। मतलब मिश्रा जी के पास जमीन बहुत ज्यादा हैं तो उनको छोड़कर।

प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी के बारे में चर्चा है कि उनके पास भी बहुत ज्यादा जमीन है। पता नहीं किस-किस प्रकार से लोग जमीन को छिपाए हैं। क्या करते हैं यह तो आपको मालूम है लेकिन दुनिया जानती है। कृष्णाशाही जी मुस्करा रही हैं। ये भी नामी खानदान की हैं, इनकी भी बहुत जमीन है। कांग्रेस वाले सब फार्म वाले किसान हैं और वही लोग यहां बैठकर कह रहे हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। तो यह चहुना से आंसू बहा रहे हैं गरीबों के प्रति और भूमि सुधार में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर भूमि-सुधार में आपकी दिलचस्पी है तो आप साफ-साफ घोषित कीजिए कि किसी भी कीमत पर भू-हदबंदी से फालतू जमीन किसी को नहीं रखने दी जाएगी।

आप राज्यों को साफ निर्देश दीजिए और सलाह दीजिए। यह कहिए कि जो गैरहाजिर लोग हैं, जमीन पर नहीं रहते हैं उनकी जमीनों को पहले लिया जाए और उसके संबंध में कानून बनाया जाए अगर आप कुछ करना चाहते हैं। तभी माना जाएगा कि भूमि सुधार के मामले में आपकी दिलचस्पी है नहीं तो यह आईवॉश होगा। वैसे भी चुनाव का वक्त है। जैसे लाल किले की प्राचीर से कुछ योजनाएं घोषित की जाती हैं, कुछ योजनाएं पहले घोषित होती हैं जो आगे आने वाले खतरे हैं, उसको देखकर पार्टी के अन्दर जो भीतर का झगड़ा है, उसको भांपकर संकट से मुक्ति के लिए कई प्रकार की घोषणाएं हुई हैं। उसी प्रकार से संभव है कि अंतिम मौके पर आप इस प्रकार का कानून ला रहे हैं कि इसको नवी अनुसूची में डालकर इस बात का परिचय देना चाहते हैं कि हम क्रांतिकारी हैं, प्रगतिशील विचारधारा में विश्वास करते हैं। यदि सही मायने में आपकी आस्था लैण्ड रिफोर्म्स पर है, तो जो उदारीकरण के नाम पर और खगोलीकरण के नाम पर खेती के क्षेत्र में जिस तरह से जो छोटे-मोटे किसान हैं, उनको जमीन से बेदखल करने की जो नीति चल रही है, उसका परिणाम यह होगा कि छोटे-छोटे लोग अपनी जमीन से बेदखल हो जाएंगे। आपसे हम आग्रह करेंगे कि लैण्ड रिफोर्म होना चाहिए और हम लोग ईमानदारी से इसको लागू करने के पक्ष में हैं। जो जमीन पर काम करे वही जमीन का मालिक हो और उस मंशा के साथ यदि कोई भी कदम उठाया जाएगा उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन आपसे यह उम्मीद हमें नहीं है। कुछ समय को छोड़ दीजिए तो केन्द्र में आप लगातार शासन में रहे हैं और राज्यों में भी लोग लगातार आते जाते रहते हैं लेकिन ज्यादा समय कांग्रेस के हाथ में सत्ता रही है। कांग्रेस ने कहा कि हम भूमि सुधार लाएंगे, गरीब लोगों में जमीन बांटेंगे, जो फालतू जमीन है, जमीन्दारों की जमीन लेकर रियासतों की जमीन लेकर बांटेंगे लेकिन वह दिवास्वप्न साबित हुआ है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने विनोबा भावे के प्रभाव में आकर जो भूदान आंदोलन चल रहा था, उनके प्रभाव में बिहार और देश भर में बड़े पैमाने पर लोगों ने जमीन दान की। वह आंदोलन तब आया जब तेलंगाना में कम्यूनिस्टों का आंदोलन चरम सीमा पर था तो उसका नतीजा आ रहा था। उस समय देखा गया कि समाज में जो तनाव पैदा हो रहा था, इस तनाव को दूर करके लोग स्वेच्छा से अपनी जमीन दान करें, इसलिए भूदान आंदोलन चला।। जयप्रकाश बाबू भूदान आंदोलन में लगे। लाखों एकड़ जमीन लोगों की हासिल हुई लेकिन आज वह जमीन जो लोगों ने दान में दी थी वह भी लोगों में वितरित नहीं हो सकी है। किस प्रकार से भूमिहीनों को जमीन मिलेगी? जिन लोगों ने जमीन दी, आप जैसे बड़े लोग हैं। आप ही के नक्शे कदम पर लोग चलते होंगे। जो लोगों ने अपनी जमीन दान दी थी उस जमीन पर लोगों ने फिर से कब्जा कर लिया और आपका बस नहीं चलता है। अगर सचमुच भूमि सुधार में दिलचस्पी है तो सही मायने में भूमि सुधार पर अमल करें। चैरिटी बिगिन्स एट होम। सोशलिस्ट आंदोलन में, कम्युनिस्ट आंदोलन में जो नेता रहे है उन्होंने अपनी जमीनों को दान कर दिया, लोगों को बीच वितरित कर दिया। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के लोग बड़े प्रगतिशील बनते हैं। लेकिन शायद ही ऐसा उदाहरण होगा जिसमें अपनी जमीन को लोगों के बीच वितरित कर दिया हो। बहुत कम उदाहरण हैं। दिखावे के लिए फालतू जमीन है, वेस्ट लैण्ड है, हमारे मंत्री जी कर्नल रामसिंह जी हैं, माथे पर हाथ फेर रहे हैं इनको चिन्ता सता रही है कि लोगों को कैसे जमीन मिले। इनके पास डिपार्टमेंट होगा लेकिन क्या कर पाते होंगे? आप सचमुच जमीन लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं तो हम लोगों के पास जो 9-10 करोड़ एकड़ जमीन है जिसको खेती के लायक बनाया जा सकता है, उसको डेवलेप कीजिए और भूमिहीनों में वितरित कीजिए। इस पर आपकी सफाई हम चाहते हैं। जो जमीन वेस्टलैण्ड के नाम पर पड़ी हुई है लेकिन जो खेती के लायक है, उसको डेवलप करके खेती के लायक बनाने की योजना सरकार की चलती है, आके विभाग से भी उसका संबंध है और राम सिंह जी के विभाग से भी उसका संबंध है। उस प्रकार की जमीन के वितरण की क्या व्यवस्था होगी ? क्या उन जमीनों पर आप कार्पोरेट सैक्टर को ले आएंगे? क्या उन जमीनों पर मल्टीनेशनल्स को ले आएंगे? हॉर्टीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के नाम पर उन जमीनों को किस प्रकार वितरित करेंगे?

हमारी मांग है कि अगर सचमुच आपकी लैण्ड रिफोर्म में दिलचस्पी है तो उस जमीन को और कृषि स्थायी समिति की अनुशंसा है कि उन जमीनों को भी उस तरह से वितरित किया जाए जिस प्रकार से सीलिंग से फालतू जमीन जो सरकार के कब्जे में आती है तो उसको जिस प्रकार से हम लैण्डलैस लोगों को देते हैं, सबसे पहले एस.सी./एस.टी. पापुलेशन को देते है। उनके बाद पिछड़े वर्ग के लोगों को देते है। उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर जो इस प्रकार की जमीनें है जिसको

आप खेती के लायक बना रहे हैं, उनको भी आप उसी प्रकार से वितरित करिये। तब सही मायने में जमीन का बंटवारा होगा, सही मायने में लोगों के पास जमीन आएगी और अपने पैरों पर लोग खड़े हो सकेंगे। जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था और भूमि सुधार के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई, देहात में क्रांति हो, कृषि में क्रांति हो तभी सही मायने में कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी और यह देश तब न सिर्फ अपने को खिलाने में समर्थ होगा, बल्कि दुनिया की बड़ी आबादी को भी खिला सकता है।

जहां एक तरफ हम गांवों में देहात में और कृषि के क्षेत्र में लैण्ड रिफोर्म लागू करना चाहते हैं, वहां यह जरूरी है कि संसदीय लोकतंत्र में एक सामूहिक उत्तरदायित्व हो। आप कहेंगे कि हमारा लिमिटेड स्कोप है और सरकार की तरफ से आप विधेयक रख रहे हैं तो हम मांग करेंगे कि जिस प्रकार से देहात में हमारी जमीन की हालत है, उसी प्रकार से शहरों में भी एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं और दूसरी तरफ लोगों को रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। यह अंतर नहीं चल सकता है। जब तक यह अंतर बरकरार है तब तक देश चैन से नहीं रह सकता है। समाज में जो उफान है उसको रोक नहीं सकता है। अगर आप इस ज्वालामुखी को रोकना चाहते है तो देहातों में क्रांति लाने के लिए जो विधेयक है और सही मायने में फालतू जमीन लोगों को मिले और जो वेस्टलैण्ड है, उसको विकसित करके आप खेती के लायक बना रहे हैं, उसको उन लोगों के बीच वितरित किया जाए। उसी प्रकार से शहरों में भी हदबंदी को लागू किया जाए। यहां जो लोगों की आमदनी में फर्क है, लोगों की संपत्ति का जो फर्क है, इसके फर्क को आप जब तक नहीं मिटाएंगे तब तक सही मायने में देश में बदलाव नहीं आ सकता है। संविधान में हमने प्रिऐम्बल में जो डाला है कि हम एक समाजवादी गणराज्य हैं, वह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए हम इस विधेयक का समर्थन तो करते ही हैं, लेकिन इन बिन्दुओं पर आपसे सफाई चाहेंगे और आपकी अंतरात्मा से भी अपील करेंगे कि आप मुंह से लैण्ड रिफोर्म की बात मत कीजिए। आप सभी कांग्रेस पार्टी के लोग अंदर से भी लैण्ड रिफोर्म की दिशा में दो-चार कदम बढ़ाइए और अपने पास जो आप लोग हजारों एकड़ जमीन रखे हुए हैं, उसको भी वितरित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : सभापति महोदय, लैण्ड रिफोर्म्स पर जो यह बिल लाया गया है, एक भूपति के द्वारा लाया गया है। बिहार में कुछ लोगों के नाम आते हैं कि किन किन के पास हदबंदी की सीमा हद से पार कर गई है। उसमें जो नाम आते हैं, एक नाम यहां भी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

एक माननीय सदस्य : कौन सा नाम ?

श्रीमती गिरिजा देवी : जो ले आए हैं।

श्री जगन्नाथ मिश्र : इस तरह से गैर जिम्मेदारी के साथ जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब मैं पहली बार 1975 में मुख्यमन्त्री बना था उस समय इंदिराजी के 20 सूत्री कार्यक्रमों में भूमि सुधार कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई थी और इस कानून को लागू करते समय पहले हमने अपनी सीमा बांधी और सीमा बांधने पर आप सब 1977 में शासन में आए, उस समय कर्पूरी ठाकुर ने वर्तमान मामलों को फिर से खोल दिया पूरी जांच करा ली। उसके बाद भी वह मामला ऐसे ही रहा और अभी हल में जब लालू प्रसाद जी आए तो इसी तरह से लोग कहते रहे होंगे कि जगन्नाथ मिश्राजी लटके हुए हैं, उन्होंने सारे मामले की पूर्ण जांच करा ली। इसलिए दो-दो विरोधी दलों की सरकार ने इस मामले की जांच कराकर इसको स्थायी रूप से समाप्त कर दिया है इसलिए इस बात की चर्चा अब नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती गिरिजा देवी : श्रीमान, मुझे तो आशा बंधी थी कि इस बिल के आने के बाद कुछ जमीन मिलेगी जो मेरे जैसे भूमिहीनों को मिल जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मेरा कुछ देर बोलने का प्रयोजन क्या होगा?

महोदय, इस लिखित बिल की मंशा बहुत अच्छी है। नीतीश जी ने आंकड़ों की बात कही है। मंत्री जी मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं। हम दोनों एक साथ विश्वविद्यालय में काम भी कर चुके हैं, लेकिन हालात वही है कि एक ही रात को एक ही नक्षत्र में दो बालक जन्म लेते हैं, लेकिन एक राजघराने में और एक झोपड़ी में जन्म लेता है।

महोदय, बिल के इस लिखित प्रारूप का मैं समर्थन करती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस सरकार के बनने बाद चार वर्ष बीत गए हैं जैसे लैंड रिफार्म की बात जनता दल की सरकार ने की चाहे सूबे में, इतनी देर से कही गई, इसी से ऐसा लगता है कि अब चुनाव का वर्ष आ गया है, इसलिए यह केवल चुनावी प्रलोभन बन कर न रह जाए, इसकी मुझे गहन शंका है।

महोदय, बिहार, आंध्र प्रदेश में जहां पर हैव्स और हैव नौट्स के बीच फासला काफी है। जैसे आंध्र प्रदेश में भी है और बंगाल में भी है और कर्नाटक में भी है और अन्य प्रदेशों में भी है, अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ रहा है और दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए चाहे तो खूनी आंदोलन हुए, नहीं तो जय प्रकाश नारायण जैसे साधुपरक आंदोलन भी हुए जिसमें दान के रूप में बहुत लोगों ने दिया है और लैंड सीलिंग एक्ट भी लगा। आज जो इतनी देरी से यहां पर यह प्रारूप ले आया गया, मुझे लोगों की शंका में अभी भी यह शक हो रहा है कि किस तरह से जो लैंड सीलिंग एक्ट पहले बना, उसके अन्तर्गत दी गई जमीनों पर मुकदमा कर रखा गया है। जिनको वह जमीन सीलिंग से अधिक होने के कारण दान में मिली थी, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह मुकदमें के दांव-पेंच में जाकर के, अपनी जमीन को हासिल कर सके और उस पर अपने भोजन के लिए कुछ प्राप्त कर सके।

महोदय, यदि आप करना चाहते है, तो इसे पूरे मनोयोग से करते और इसके कानूनी पक्ष को और स्पष्ट किया जाना चाहिए था। जैसे ही आप उन लोगों के पास से जमीन छीनते हैं, जिनके पास सीमा से अधिक जमीन हैं, जमीन भी दो किस्म की होती है, एक तो नामधारी होती है और दूसरी कुत्ता के नाम पर, बिल्ली के नाम पर, ठाकुर जी के नाम से, फुलवाड़ी के नाम से तुलसीवाड़ी के नाम से हैं औह जहां गड्ढा नहीं है वहां थोड़ा सा गड्ढा खोद कर दो-चार मछलियां वहां बरसात में छोड दी और इनके अतिरिक्त भी जमीन बचाने के नायाब-नायाब तरीके हैं।

महोदय, नीतीश जी ने जो कहा है मेरी भी वही वेदना है। केवल देहाती क्षेत्र में ही नहीं, शहरी हदबन्दी को भी सीमा में लाना चाहिए। दिल्ली के अन्दर जमीन की कौन कहे हमे आसमान भी मयस्सर नहीं होने वाला है, लेकिन यहां पर विशेष घरानों की बेनामी जमीन सैकड़ो एकड़ पड़ी हुई है। हम जाते है, तो वहां की खुली हवा, फूल, पत्तों और पौधों को अपलक दृष्टि से निहारते रहते हैं, कि कहीं यहां हम जैसे गरीब लोगों के लिए भी देह डालने के लिए सुविधा होती। यह दर्द मेरा नहीं है। हम जैसे सकल कारगर लोगों के मन की यह वेदना है।

महोदय, इस बिल के द्वारा जो दांव-पेंच न्यायालय के हैं उनसे भी बचने की मंशा प्रकट की गई है, लेकिन आज तक के जो हालात हैं, जो जमीन गरीबों को वितरित की जाती है, वह कानूनी दांव-पेंच में फंसाई जाती है। क्यों नहीं इस बिल में कानूनी दांव पेच से बचकर उस दायरे से निकलकर आबंटित की जाती है। आज तक जितनी भी भूमि दी गई है वह सब कानूनी दांव-पेंच में फंसाई गई है। क्यों न कानूनी दांव-पेंच से मुक्त कर के एकमुश्त इस भूमि को बांटने का काम किया जाए।

महोदय, हम लोग यह बात मानकर चलते हैं कि "अन्न वस्त्र उपजाएगा, सो कानून बनाएगा, यह भारतवर्ष उसी का है अब शासन वही चलाएगा।" इसलिए धरती उसी की होनी चाहिए, जो जोतदार हो। जोतदार ही मालिक बने। बेनामी जोतदार से जमीन हटाने का प्रावधान कहीं नहीं है। इसलिए फिर वही कुत्ते बिल्ली और ठाकुरजी, देवी जी, देवता जी के नाम से जमीन बचाने का सिलसिला रहेगा।

बचाने के बहुत सारे नायाब तरीके हैं, उन सारे तरीकों का अनवेषण करने में मंत्री महोदय आप सक्षम हैं। आपका यहां तो आंकड़ा बैंक है, उस आंकड़े बैंक में यह भी डाल दिया जाये कि किस नाम से जमीन बचायी गयी और सारे के सारे ईमानदार इससे बाहर करवा दीजिये कि किस-किस नाम से जमीन बचायी गयी और उसे आप ईमानदारी से बाहर करवा लीजिए। विदेश के जो लोग आयेंगे, उन लोगों को खाद्य प्रसंस्करण के लिए हदबन्दी की सीमा में छूट दी जाएगी। एक उद्योगपति घराने को आप हदबंदी सीमा की छूट देते हैं लेकिन जो कृषक है, जो खेती करता है, उसके पास जमीन नही है जिससे कि वह उसे जोत सके। जो पेप्सी घराना है, उसने सैकड़ों एकड़ जमीन जिस कार्य के लिए ली है, वह कार्य नहीं कर रही है। वह खाद्य प्रसंस्करण करके यहां के बाजार में उपजाये गये टमाटर बेचते हैं जिससे गरीब किसान को असली और सही मुआवजा नहीं मिलता है। जितने नायब तरीके हो सकते हैं, उससे नायब तरीका यह है कि लोगों से मुकदमा कराने का, शहरी जमीन की हदबंदी का। इन सारे हदों से ऊपर आकर अब आप चाहे तो जो यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप मन से साफ होंगे तभी आप कानून रख सकेंगे नही तो हो सकता है कि यहां आते-आते आपके बैंक के किसी कर्मचारी ने कोई नया उपाय सुझा लिया हो कि कैसे वहां पर नदी का बैड दिखाकर, घर बाक दिखाकर, अमराई दिखाकर, फूलवारी दिखाकर जमीन बची रहेगी।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूं लेकिन इस निवेदन के साथ कि जितने भी वार भूमिहीनों तक जमीन नहीं जाने के हो सकते हैं, वे शुद्ध मन से होंगे। सारे रास्तों की नाकेबन्दी करके केवल चुनाव का प्रचार प्रसार का मुद्दा नहीं बनाकर बल्कि शुद्ध मन से उनको गरीबों में वितरित होने का रास्ता भी आप प्रशस्त कर दें।

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इसलिए करता हूं क्योंकि जिस राज्य से मैं चुनकर आया हूं, उस राज्य में भूमि सुधार का काम है। वहां सीलिंग के बाहर भी जमीन ली गयी है, ऐसी बात नहीं है। जोतदार, जमीदारों ने आगे जाकर पांखर के नाम पर, बगीचे के नाम पर, बांस झाड़ के नाम पर छुपाकर रखी थी, आज पश्चिम बंगाल की सरकार ने भूमिहीन किसानों में बांटने का बंदोबस्त किया है। इससे ग्रामीण अर्थ नीति में बहुत बड़ा सुधार आया है और इसका नतीजा सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखने से नहीं चलेगा, राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा असर वहां के ग्रामीण इलाकों में भी आयेगा। उन जमीनों के हडपने का हाई कोर्ट के जरिये जो कोशिश चल रही है, उस कोशिश को कम से कम यह बिल रोकेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसलिए मैं जरूर इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन मुझे आशंका इस बात की है कि आज से 40 साल पहले तेलंगाना मुठभेड़ के चलते किसानों में जो विद्रोह को दबाने के लिए उस वक्त सीलिंग एक्ट लाया गया लेकिन पश्चिम बंगाल और जो छोटे-छोटे राज्य हैं, जहां पर भूमि सुधार का काम हुआ, अब तक कहीं पर नहीं हुआ है। चित्त बसु जी ने जो आंकडे रखे हैं, उससे क्या पता चलता है? हिन्दुस्तान में कहीं पर भूमि सुधार का काम हुआ है। जब भी इस भूमि सुधार के काम में बातचीत होती है तो हमारे सामने यह लाते हैं कि यह केन्द्र का सवाल नहीं है; यह राज्य का सवाल है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 1967 से केरल को छोड़कर पहले कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जहां पर कांग्रेस की हकूमत नहीं थी। क्या आपने वहां पर भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने का काम किया है? कई दिन पहले हमारे कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ यह दलील रख रहे थे। और किसी दलील से जहां साफ बताया जाता है, कृषि में परिवर्तन लाने की सबसे पहली चाबी काठ भूमि सुधार है, उसमें भूमि सुधार के बारे में एक भी शब्द, एक भी लाइन नहीं है। हम लोगों ने जब उस बहस में हिस्सा लिया, जब इस बात को उठाया, तो कहा गया कि भूमि सुधार के साथ एग्रीकल्चर पालिसी का कोई सम्बन्ध नहीं है, साफ तौर से यह बात दो दिन पहले उन्होंने कही। इससे क्या पता नहीं लगता है कि आप गुमराह करने के लिए इसे ला रहे है, चूंकि आज इलैक्शन का समय है। जैसे तेलंगाना मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए आप लैण्ड सीलिंग एक्ट लाये थे, उसी तरह आने वाले इलैक्शन में लोगों को गुमराह करने के लिए यह एक्ट तो नहीं ला रहे?

मेरी दूसरी आशंका यह है कि आप जो ग्लोबलाइजेशन के नाम पर विदेशी पूंजी का यहां निवेश करवा रहे हैं हो सकता है कि आप वेस्ट जमीन उनको देने का बन्दोबस्त करें, इसके सैटिलमेंट के जरिये और उनकी रक्षा करने के लिए कहीं आप यह कानून तो नही ला रहे हैं? अगर ऐसा हो तो जैसा सोचकर हम समर्थन कर रहे थे, उसका कोई अर्थ नही रहेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर इस बिल को आप सही दिल से लाना चाहते हैं तो आपको भमिसुधार लागू करना चाहिए, चाहे राज्य का सवाल हो या कुछ हो लेकिन भूमि सुधार के लिए आपको एक पालिसी बनानी पड़ेगी और ऑल इण्डिया बेसिस पर एक सर्वे जरूर होना चाहिए। जिस सर्वे मे पता लगाना चाहिए कि कितनी अतिरिक्त जमीन है, कितनी वेस्ट लैण्ड है। हमारे वहां वेस्ट लैण्ड एग्री लैण्ड से भी ज्यादा है। उसको डवलप करने के लिए डवलपमेंट बोर्ड भी बनाये गये हैं, उस पर करोड़ों रुपया आप खर्च कर रहे हैं। वह रुपया खर्च करके आप एक एकड़ जमीन भी जोत में नहीं ला सके हैं। अगर एक एकड़ जमीन भी लायेंगे तो वह किसके हाथ में जायेगी ? उस जमीन का अगर सही तौर पर बंटवारा नहीं हुआ तो जोतदार जमीदारों के हाथों मे वह जमीन जायेगी। हमारे देश के करोड़ों आदमियों का करोड़ों रुपया खर्च करके किसी जमीन का डवलपमेंट करके एक जमींदार के हाथ में छोड़ देने का काम किया जायेगा तो वह ठीक नहीं होगा।

मैं इसके साथ ही जोड़ना चाहूंगा कि भूमि सुधार वेस्ट लैण्ड का भी हो। उस जमीन को पकड़ा जाय और वेस्ट लैण्ड को उन्हीं किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करके उसपर सही तौर से रुपया लगाने का बन्दोबस्त करें ताकि वह लैण्ड डवलप हो सके और उसपर काश्तकारी का काम हो सके।

हम समझते हैं कि इन शंकाओं को आप जरूर गम्भीरता से सोचेंगे और इन शंकाओं को दूर करने के लिए जो कदम लेने जरूरी हैं, वह लेंगे।

इतना कहते हुए, सभापति जी, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : सभापति महोदय, लगभग 18 वर्ष के अन्तराल के पश्चात भी सरकार भूमि सुधारों को महत्व देने के लिए प्रतिबद्ध है और भूमि सुधारों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए इस माननीय निकाय के समक्ष एक संविधान (संशोधन) विधेयक लेकर आयी है ताकि इन कानूनों को न्यायालयों के समक्ष चुनौती न दी जा सके। सरकार बिहार, केरल, उड़ीसा, राजस्थान तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों द्वारा किये गये वादों के आधार पर ही आगे आयी है, जिन्होंने भूमि सुधार अधिनियम के क्रियान्वित कर अनुभव प्राप्त किए।

मेरे अपने राज्य तमिलनाडु में, जहां भूमि सुधार प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किए गये है, गरीबी अनुपात कम हो गया है। भूमिहीनों तथा गरीबों के पक्ष में परिसम्पत्तियों को अन्तरित करने से वे पंचायतों को सुदृढ़ कर सके हैं, जिससे बदले में भूमि सुधार सुदृढ़ हुए है।

महोदय, जहां तक वर्तमान संशोधन विधेयक का संबंध है, वास्तव में, इस विधेयक का 1994 में प्रारुप तैयार किया गया था, यह 1995 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था और यह विधेयक उन भूमि सुधार विधायकों से संबंधित है जो कोई राज्यों में कई वर्ष पूर्व पारित किए गये थे, महोदय कई मामलों में भू-स्वामी अपने विहित हितों को देखते हुए पहले ही न्यायालयों में चले गये हैं। आपने कानूनों को उचित ढंग से क्रियान्वित करने की अनुमति नही दी है, इसलिए क्षति पहले हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि आप भूमि सुधारों के संबंध में गम्भीर नहीं है।

भूमि की अधिकतम सीमा पर आते हुए, योजना आयोग ने एक दस्तावेज निकाला था जिसमें भूमि की अधिकतम सीमा के संबंध में विधानों के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के कार्य-निष्पादन को दर्शाया गया था। लेकिन भूमि की अधिकतम सीमा विधानों के कार्य निस्पादन की कोई पुनरीक्षा नहीं की गई। जहां तक मेरे राज्य तमिलनाडु का संबंध है, हमने भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों का क्रियान्वयन किया है। भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विधानों में कुछ कमियां हैं। बेनामी भूमि धारिताएं हैं। इन बेनामी भूमि धारिताओं को समाप्त करने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए।

महोदय, मुझे स्मरण है कि 1977 में एक न्यायालय आदेश था कि जब तक संशोधन अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया जाता तब तक उनकी कोई वैद्धता नहीं होगी। तब से काफी संशोधन हुए थे और आपने उनको शामिल नहीं किया है। आप लगभग 18 वर्षो तक सो रहे थे। कम से कम अब यह विधेयक आ गया है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, जहां तक यह विधेयक है मैं अपना और अपने दल की ओर से समर्थन करता हूं। यह बात सही है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में आ जाने से मुकदमों के मामले में कुछ बेहतर हालत हो जायेगी, उन राज्य सरकारों के लिए जो इसको करना चाहती हैं। कुछ दिन पहले कृषि नीति पर बहस हुई थी। हमारे कुछ साथियों ने जिक्र किया है उसमें हदबंदी का जिक्र है, लेकिन सिर्फ जिक्र है, नीति क्या होगी? क्या भारत में बड़े पैमाने की खेती अमरीका, आस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरह होगी या खुद जोत की खेती होगी। जैसे जापान में शुरू किया गया है या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हुआ है, भारत सरकार अभी दुविधा में है। अभी कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्य मंत्री ने एलान किया था। हम ऊपर की हदबंदी की सीमा को तय करेंगे। कुछ राज्यों में भी यह बात चल रही है। उस मामले में 9 वीं अनुसूची में आने से मदद मिलेगी। लेकिन नीति अगर तैयार होती है तो हदबंदी के साथ चकबंदी को मिलाकर किया जाये। क्योंकि यहां पर एक एकड़, दो एकड़ या चार-पांच एकड़ के लघु किसान, सीमांत किसान हैं जिनकी जमीन 10-12 टुकड़ों में है। वे आधुनिक खेती नहीं कर पाते हैं, देखभाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए कानूनन् चकबंदी खेती का रास्ता अपनाया जाये जिससे कम जमीन वालों को जमीन चुनने की इजाजत दी जाये ऐसा न हो कि उनकी कीमती जमीन ज्यादा जमीन वाले ले लें। भारत सरकार की मंशा और नई आर्थिक नीति के जरिये हमारे गले में यह फंदा डाला जा रहा है, यह नीति उस तक ही सीमित है।

देश में अन्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 50वीं ई. में जहां 5 करोड़ टन था, अब हम 19 करोड़ तक आये हैं। उसमें जो थोड़ा भूमि सुधार हुआ, जमींदारी मिटी, कुछ हदबंदी को लागू किया गया, कुछ काश्तकारी कानून को लागू किया गया, लेकिन पूरा कोई नहीं किया इसीलिए कुछ-कुछ प्रगति हुई। अगर भूमि सुधार का काम पूरा कर लिया जाये तो हमारे उत्पादन में और वृद्धि होगी। उसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जनतंत्र के विकास में मदद मिलेगी। बड़े भू-स्वामी जो एक दबाव रखते हैं, सामाजिक अत्याचार करते हैं, आर्थिक अत्याचार करते हैं।

सामाजिक अत्याचार जो तथाकथित उच्च जातियां हैं, वे भी करती हैं। ये पहले भी करती अपने से कम वालों पर। यह पिरामिड की तरह से हमारे समाज का गठन है। इसमें भूमिसुधार को पूरी तरह से लागू कर देने से, इस अत्याचार में भी कमी होगी और जनतन्त्र का भी विकास होगा। बूथ कब्जा वगैरह की जो बीमारी है, उसमें भी कमी आएगी। इसलिए सामाजिक न्याय की तरफ और जनतांत्रिक विकास के लिए इसकी आवश्यकता है। मंडल कमीशन जो पेश हुआ था, उसमें भी भूमिसुधार को लागू करने की बात कही गई थी। हालांकि हमारे बहुत से मित्र सरकारी नौकरियों में आरक्षण को ही सामाजिक न्याय समझते हैं। समाज में जो जमीन की विषमता है, उसको नहीं समझते हैं या नहीं बोलते हैं। इस मायने में भूमिसुधार को कड़ाई से लागू करना केन्द्र की नीति में भी मूल रूप से आता है। यह कहना कि राज्य का अधिकार है, तो यह राज्य का अधिकार है, लेकिन केन्द्र शासित राज्यों में क्या आपत्ति है। जो शासित ईकाइयां है, उनमें क्या आपत्ति है। इसका एलान करने में भारत सरकार आधे दिल से लागू करना आधी राजनीतिक इच्छा शक्ति से इसको लागू करना है।

जहां तक हदबन्दी की बात है, भूदान का भी हुआ था और तेलंगाना में संघर्ष की बात हुई थी, तो जोरदार किसानों के आन्दोलन के चलते भूदान का आन्दोलन भी चला। इसकी मैं आपको एक मिसाल दे दूं। देश का सबसे बड़ी जमींदार दरभंगा राज है। उसने सवा लाख एकड़ भूदान में दिया था। मगर यह जमीन राज्य के दखल में नहीं थी। अधिकतर गरीब किसानों के दखल की जमीन जो कभी नीलाम हुई थी, किसी ने नीलाम को खरीदा नहीं। सब उसने विनोबा जी को दे दी। यहां पर हमें ऐसी नीति अपनानी पड़ेगी, जो बड़े भूस्वामी हैं उनसे छीनी और गरीबों में बांटी। सिर्फ एक एकड़ जमीन और उस पर घर और उसको भी दे दिया भूदान में। इसलिए यह कानून लागू नहीं होगा। इसलिए अभी अभी जो भूदान कानून कुछ राज्यों में है, जैसे बिहार राज्य में या बंगाल की जमीन, सारे

भारत में खास कर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में, बिहार में भी कानूनन जंगली जमीन है, पेड़ एक भी वहां नहीं है, वह जमीन बेकार पड़ी हुई है। जिसको रिश्वत लेकर जंगली अधिकारी किसी न किसी को एक दो साल के लिए दे देते हैं। इसको दायरे में लाकर, जो जंगल के इलाके हैं, अगर जंगली जमीन, उनको आप खास कर आदिवासियों या जो दूसरे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, उनको दे दी जाए।

इसी तरह से मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, सामाजिक सम्पत्ति के रूप में जो जमीन है, सामाजिक सम्पत्ति है, उसका नाश हो रहा है। महन्ताना वहीं था, जमीन वही है, जो मेरी समझ में समाज की सम्पत्ति है, एक व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं है। लेकिन बहुत से महन्तों ने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, उनको भी हदबन्दी मे ला रहे हैं। वे प्रबन्धक थे, वे जमीन के कानूनी मालिक नहीं है, लेकिन वे उनको हड़प रहे हैं, वक्फ भी हड़प रहे हैं। सामाजिक सम्पत्ति है, तो मेरी समझ में जो हदबन्दी है। . . . . (**व्यवधान**) मैं वहीं कह रहा हूं। जो महन्त नहीं है, उनको हटाया जाए। . . . .(**व्यवधान**) हमारे मित्र ने बात उठाई है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ढ़ाई साल पहले यह कायदा बनाया गया कि कम्युनिस्ट की जमीन रहेगी, सामूहिक सम्पत्ति रहेगी। रखने वाला वही होगा, जो शादी नही करेगा और बीवी नहीं रहेगी तथा न ममता होगी। जांतपांत को भी निकाल दिया गया है। महन्त लोगों ने अब शादी कर ली है और बच्चे पैदा कर लिए है और हदबन्दी की बात कह रहे हैं जबकि कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मैं चाहूंगा, मंत्री जी जो बिल पेश कर रहे हैं, वे मुख्य मंत्री भी रह चुके है और जमीन के दांवपेंच को जानते हैं। मैं वक्फ की बात भी कह रहा हूं, महन्त की बात भी कह रहा हूं। हदबन्दी के नीचे जो दुरुपयोग हो रहे है, उनको हटाया जाए। खास कर के जिस महन्त ने शादी कर ली है और बच्चे पैदा कर लिए हैं, उनको हटाया जाए। वे खुशहाल रहें। ऐसे ही एक गांव में सामली जमीन थी, जिसको मुगल काल में गरम जऊ जमीन का नाम दिया गया था।

सामाजिक संपत्ति हड़पी है, करीव 10000 तालाबों और पोखरों पर 30 वर्षों से हम लड़ रहे हैं, हमारे कई साथी शहीद हुए हैं। इसके लिए समाज के हित में इसकी भी रक्षा करने की जरूरत हैं। हम चाहते हैं कि सरकार खुले दिल से इसको लागू करे, यह हमेशा चलता रहे, इसमें कोई अड़चन न आए, चकबंदी करे, केन्द्र शासित क्षेत्रों में इसको पूरी तरह से लागू करें। शहरी भूमि सुधार कानून भी लागू न होने की वजह से शहरों में कई लोग बड़े जमींदारों से भी अधिक बड़ी जमींदारी चला रहे हैं, इसलिए शहरी भूमि कानून को भी नौवीं अनुसूची में लाया जाए और उसको भी कड़ाई से लागू किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय : **मैं संविधान** (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक विशेष रूप से भूमि से संबंधित कतिपय विधानों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित प्रस्तावों का, जिनमें से कुछ बिहार राज्य से संबंधित है, का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि बिहार राज्य से संबंधित भूमि विधान को शामिल करने से बिहार में कतिपय भूमि समस्याएं हो सकती हैं। यह सभी जानते हैं कि निजी भू-स्वामियों के पास निजी सेवाएं हैं और इसी तरह कमजोर तबकों स्वयं किसानों से संबंधित भूमिहीनों का मामला है। वे दल बनाते हैं और कई बार इनमें टकराव, नृशंस हत्याएं होती हैं। जो बहुत बुरी बात है। इस संबंध में मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। ऐसी एक टिप्पणी यह है कि कई राज्यों में कमोवेश कृषि भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विधानों को क्रियान्वित किया गया है। मैं विस्तृत ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के संबंध में जानकारी पहले ही प्रदान की गई थी। यह 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक है। कई बार, यह 100 प्रतिशत भी है। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बड़ी कम्पनियों को निर्यात संबर्द्धन के नाम पर बागवानी फसलें अथवा कृषि फसले उगाने के लिए हजारों एकड़ भूमि खरीदने की अनुमति देने के लिए एक उपाय का प्रस्ताव किया है। मुझे आश्चर्य है कि इस तरह की सुविधा कम्पनियों को क्यों दी जानी चाहिए। आपको यह ज्ञात है कि 1950 तक जमींदार और राजा चले गये थे। उनकी अधिकांश भूमि ले ली गई थी। 1960 तक एक अन्य विधान लाया गया था जिसके द्वारा 50 से 100 एकड़ भूमि तथाकथित बड़े जमींदारों के पास थी। 1972 तक एक अन्य अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम लाया गया था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण अथवा अन्य किसी क्षेत्र में सम्पत्ति के अधिग्रहण के मामले में उचित मुआवजे दिया गया था। केवल कृषि भूमि की अधिकतम सीमा के संबंध में भू-राज्य का 20 से 25 गुणा ही भूमि के मुआवजों के लिए निश्चित किया गया था। अधिकांश किसानों ने उनके दादाओं, पिताओं ने भूमि के विकास के लिए भूमि को समतल करने तथा भूमि को खेती योग्य करने और देश के लोगों के लिए कृषि उत्पादों का उत्पादन करने के लिए काफी कार्य किया था।

5.00 म०प०

मुआवजा न केवल कम था बल्कि कभी-कभी वे कुछ कमियों अथवा प्रशासकीय तन्त्र में कतिपय कमियों से बचने का प्रयास करते थे। ऐसा हुआ था।

मेरा प्रश्न यह है कि क्षेत्र अथवा भूमि की अधिकतम सीमा प्रारम्भ करके आप आय पर भी अधिकतम सीमा लगा रहे है। जबकि यह एक तथ्य है कि टाटा, बिरला, गोयन्का, डालमिया, सिंघानिया जैसे सभी बड़े पूंजीपति, जिनकी परिसम्पतियां स्वतंत्रता के समय 20 करोड़ रुपए अथवा 15 करोड़ रुपए थी, आज उन्होंने 6000 करोड़ रुपए की परिसम्पतियां अर्जित कर ली है। एक व्यक्ति जो एक क्लर्क था, आज उसके पास 6000 करोड़ अथवा 8000 करोड़ रुपयों की परिसम्पतियां उसके नियन्त्रणाधीन है और वह देश में नम्बर एक बनने जा रहा है। वे उससे भी संतुष्ट नहीं है। यह सरकार पन्ना मुक्ता तेल क्षेत्रों को इन बडे पूंजीपतियों को सौप रही है और ऐसा ही के. जी. बेसिन का मामला है जहां सरकार ने पहले ही हजारों करोड़ों रुपयों का निवेश किया है। तेल उत्पादन का कार्य निजी कम्पनियों को दे दिया गया है। बड़ी कम्पनियों के प्रति उनका इतना अधिक प्यार क्यों है, फिर भी, आप बागवानी फसलें उगाने के लिए बड़ी कम्पनियों को हजारों एकड़ भूमि देना चाहते है। मेरा एकमात्र सुझाव यह है कि यदि सरकार उदारीकरण करना, इस खण्ड में कुछ परिवर्तन करना, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अधिक बागवानी उत्पादों का उत्पादन करना आवश्यक समझती है तो आपको किसान के मामले पर भी अवश्य विचार करना चाहिए। उससे भेदभाव मत करिये, इस संबंध में मैं यहीं कहना चाहता हूं।

दुर्भाग्य से भूमि पर किसानों की पूरी क्षमता का उपयोग करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चकबन्दी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ हद तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे कुछ उत्तरी राज्यों में यह की गई है। लेकिन दक्षिणी राज्यों में, इसकी

शुरुआत अभी की जानी है। कर्नाटक ने इस संबंध में कुछ किया है, जबकि आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्य पीछे है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि चकबन्दी में प्रगति अधिक तेज गति से हो आवश्यक उपाय करने चाहिए।

मैं एक बार फिर सरकार को यह सुझाव देता हूं कि ग्रामीण गरीबों की रक्षा करने का यही एकमात्र उपाय नहीं है। आप को यह समझना चाहिए और यह देखना चाहिए कि ग्रामीण उद्योगों, लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों, जो रोजगार प्रदान करने तथा ग्रामीण गरीबों को लिए आय सृजित करने के लिए अधिक निधियां प्रदान की जायें। यह आधारभूत दृष्टिकोण परिवर्तन होना है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और संविधान की नौवीं अनुसूची में इन उपायों को सम्मिलित करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ताकि अधिक से अधिक भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को खेती करने, तथा भूमि का स्वामी बनाने के लिए अधिक भूमि प्राप्त हो सकें।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, सर्वप्रथम मैं विभिन्न विधानसभाओं द्वारा पारित भूमि कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए इक्यासीवां संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं, ताकि इसे न्यायिक चुनौती से संरक्षण मिल सके। भूमि सुधार का नारा, जैसा कि मेरे कई सहयोगियों ने कहा है, आजादी के बाद से ही लगाया गया था लेकिन इसका क्रियान्वयन कम और उल्लंघन ही अधिक हुआ है। हमारा विचार लगभग छः करोड़ एकड़ फालतू भूमि प्राप्त करने का था लेकिन हम इतना प्राप्त नहीं कर पाये। लाखों एकड़ भूमि मुकदमेबाजी में भी फंसी हुई है और करोड़ों भारतीय ग्रामीण निर्धन भूमिहीन ही हैं। हम उनके स्वप्नों को पूरा नहीं कर सके। हम भूमिहीनों में वितरित करने के लिए अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, बंजर भूमि और अन्य भूमि को ले नहीं पाये। भूमि सुधारों का मुख्य विषय यह था कि फालतू भूमि को भूमिहीनों में वितरित किया जाये ताकि सम्पत्ति का बटंवारा हो सके और वे पैदावार का फायदा उठा सकें। इस तरह से, उन्हें क्रय शक्ति प्राप्त होती है और बाजार का आधार विस्तृत होता है और इस प्रकार देश का औद्योगीकरण भी होता है। भूमि सुधार देश के औद्योगीकरण, विस्तार और विकास का आधार है। यही भूमि सुधार का विषय है। लेकिन कांग्रेस की केन्द्र सरकार की राजनीतिक दृढ़ इच्छा के अभाव में इन सुधारों को लागू करना संभव नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए भी नहीं किया गया क्योंकि केन्द्र में अधिकांश कांग्रेस के मंत्री और राज्य में कांग्रेस दल के 90 प्रतिशत मंत्री भूस्वामी हैं, क्योंकि वे लोग भूस्वामी हैं इसलिए वे भू-कानूनों को लागू नहीं करवाना चाहते इसलिए पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़कर देश के अधिकाशं भागों में भू-कानून लागू नहीं हो पाये।

(व्यवधान)

अब यह स्थिति है, लेकिन मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन चुनावों को ध्यान में रखते हुए वे इन सब अधिनियमों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करना चाहते हैं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं पर साथ ही एक प्रश्न भी उठाना चाहता हूं। इतने अधिक कानून बने हैं। लेकिन यदि वे लोगों के पक्ष में हैं तो उन्हें तब तक लागू नहीं किया जाता है जब तक कि लोग इन्हें लागू करने के लिए संघर्ष न करें। हमारा यही अनुभव रहा है। पहले तो हमें कानून बनाने के लिए संघर्ष करना होता है और उसके बाद इसे लागू करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और यही हमारे जीवन का अनुभव रहा है। जहां कहीं भी जबर्दस्त किसान आन्दोलन होता है, इन भू-कानूनों को लागू किया जाता है और जहां कोई किसान आन्दोलन नहीं होता है, इन्हें लागू नहीं किया जाता है। पूरे देश में इन कानूनों की यही नियति है।

सुबह मैं उल्लेख कर रहा था कि काशी के भूतपूर्व महाराजा के पास चार या पांच जिलों में 10 हजार एकड़ बेनामी या अधिकतम सीमा से अधिक फालतू भूमि थी। अभी पिछले ही हफ्ते मैंने वहां का दौरा किया था। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग लगभग, 1500 एकड़ भूमि में खेती कर रहे हैं जो उनके द्वारा वैराय फार्म में गैर-कानूनी ढंग से हथिया रखी है। अब, वह उन्हें बेदखल कर रहे है। उपरोक्त महाराजा के पास भूमि संबंधी कोई रिकार्ड नही है और वे उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं जब वहां गया था मुझे पता चला कि त्वरित कार्रवाई बल और प्रान्तीय सशस्त्र बल ने भू-स्वामी के पक्ष में भूमि के संरक्षण के लिए उस जगह पर कब्जा कर लिया था और कार्यवाही गरीबों के विरुद्ध की गई थी। इस तरह से सरकारें भू-स्वामियों को संरक्षण देती है और भूमि सुधार अधिनियम को क्रियान्वित करने के अवसर समाप्त हो जाते हैं। यही स्थिति है। मैं समझता हूं कि हमें संघर्ष करना है और इन कानूनों को लागू कराने के लिए लोगों को इकट्ठा करना होगा। अन्यथा उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। हमारा यही अनुभव है।

अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब हमने भूमि सुधार अधिनियम पारित किये थे उस समय अधिकांश भूमि 'एक फसल भूमि' थी। इसलिए विभिन्न राज्यों की स्थिति के अनुसार भूमि की अधिकतम सीमा 15 एकड़ या 20 एकड़ थी। अब वह भूमि 'तीन फसल भूमि' या 'चार फसल भूमि' हो गई है। 20 एकड़ की भूमि अब उन दिनों की 80 एकड़ की भूमि के बराबर हो गई है। इसलिए मेरी मांग है कि भूमि संबंधी रिकार्ड की समीक्षा की जाये और भूमि की अधिकतम सीमा को और कम किया जाये। अब भूमि में उत्पादन अधिक होता है, एक फसल की जगह दो तीन या चार फसलें उगाई जा रही हैं। इसलिए भूमि की अधिकतम सीमा को कम किया जाये ताकि और अधिक भूमि उपलब्ध हो सके जिसे करोड़ो भूमिहीनों और गरीब खेतीहर मजदूरों में वितरित किया जा सके जो कि अधिकतर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

इन मांगों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं यह कि सरकार इन अधिनियमों को उचित ढंग से लागू करने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा दिखायेगी,....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब मैं माननीय मंत्री महोदय से उत्तर देने के लिए कहूंगा क्योंकि प्रत्येक दल के माननीय सदस्यों ने आवंटित समय की अपेक्षा ज्यादा समय ले लिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके दल के दो या तीन सदस्यों ने बोला है।

(व्यवधान)

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, कृपया मुझे केवल पांच मिनट बोलने की अनुमति दें

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, कृपया श्री बी. एन. रेड्डी को

बोलने की अनुमति दें। उन्होंने ऐतिहासिक और प्रसिद्ध तेलंगाना आन्दोलन में भाग लिया था . . . . (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इन सदस्यों को इस शर्त पर बोलने के लिए समय दूंगा कि वे दो मिनट से अधिक नहीं बोलेंगे। अब, श्री बी.एन. रेड्डी।

श्री बी० एन० रेड्डी : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं तेलंगाना से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का संसद सदस्य हूं जहां सबसे पहले संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमि सुधार आन्दोलन शुरू किया था और जहां सबसे पहले दस लाख एकड़ भूमि भूमिहीन निर्धनों में वितरित की गई थी। उसके बाद ही भूमि के बारे में यह नारा पूरे भारतवर्ष में फैला था।

इसके फलस्वरूप, विनोबा भावे ने भूदान आन्दोलन शुरू किया था, लेकिन उस समय भूस्वामी अपनी भूमि देने को तैयार नहीं थे जिसके कारण भूदान आन्दोलन विफल हो गया। एक बार मैं प्रधानमंत्री को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि वे तेलंगाना में इस काम में काफी आगे थे क्योंकि उन्होंने स्वैच्छिक रूप से दी गई भूमि पर कब्जा किया था। लेकिन भूमि वितरण का श्रेय लोगों का जाना चाहिए न कि कांग्रेस पार्टी को। वस्तुतः कांग्रेस शासकों द्वारा भूमि सुधार का कार्यक्रम लज्जाजनक बनावटी नाटक बन गया था। लोग पूछ रहे थे कि यह संशोधन इतने विलम्ब से क्यों किया जा रहा है। हमने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के लोग जिन्होंने देश पर शासन किया उनके पास भूमि को बांटने की इच्छा शक्ति नहीं है। इसी कारण, हमने भी कहा कि यह हम सभी का मूल कर्तव्य है कि भू-स्वामियों का प्रभुत्व समाप्त किया जाये तभी फालतू भूमि को निर्धन भूमिहीनों में बांटा जा सकेगा और उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। इसलिए मैं यह मुद्दा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, यह जो संविधान का संशोधन हो रहा है इसका हम तहेदिल से स्वागत करते है। ऐसा लगता है कि यह एक क्रान्तिकारी कदम है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है, सच्चाई कुछ और है। भूमि सुधार की यह बात बार-बार हम उठाते हैं और कभी तो हमें यह कहते हैं कि यह राज्य सरकार का मामला है। हम बहुत दिनों से राजनीति में हैं, हमने यह देखा है कि जब-जब यह सवाल गरीबों ने उठाया है तब-तब एक नई चीज आप ले आते हैं।

1969 में जब बिनोदानंद झा मुख्यमंत्री थे तब गरीबों ने वहां पर आंदोलन किया तो भूमि का एक मसला निकाल दिया कि जो ज्यादा बगीचा लगाएगा उस जमीन को नहीं लिया जाएगा। हम मिश्राजी को कहेंगे कि आपने जो कदम उठाया है, वह रखना चाहिए, क्योंकि जनता पूरी तरह समझ गई है और आप भी जानते है कि जनता को ज्यादा दिन तक अंधकार में नहीं रख सकते। भले ही यह क्रांतिकारी लगता हे लेकिन दुनिया का कौन सा ऐसा पूंजीवादी देश है जिसमें 45-50 वर्षों तक किसी एक पार्टी का राज रहा हो। कांग्रेस पार्टी ने भारत में 50 वर्षों तक राज किया। लेकिन क्यों भूमि हदबंदी लागू नहीं हुई? चार बार आप बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या भूमि हदबंदी लागू करने में कोई कौर-कसर थी? हम तो कहेंगे कि भूमि हदबंदी कानून में जो कमियां हैं उनको सबको बैठकर दूर करना चाहिए ताकि वे कमियां न रहें। हमारी पार्टी ने 1970 में पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चलाया और बड़े-बड़े महंतों की जमीन हासिल की। आज गरीबों के हाथ में वह जमीन है। अभी तक उनको जमीन का कानूनी अधिकार नहीं मिला जबकि आप मुख्यमंत्री थे। जांच करने की बात यह है कि जमीन गरीबों को मिलती है तो क्या उसका नतीजा निकलता है। गरीबों को जमीन मिली तो कई घरों में गरीबी मिट गई। इतनी खुशहाली आ रही है कि 3-4 फसल उसमें पैदा कर रहे हैं। इससे उनकी बेकारी भी दूर होगी और पैदा भी काफी बढ़ेगी और गरीबी भी दूर होगी। लेकिन आप सिर्फ बहाना करना चाहते हैं। आप याद करें, आप मुख्य मंत्री थे और हम एम. एल. ए. थे। लेकिन यह ढोल पीटा, टेलीविजन पर प्रचार हुआ, रेडियो पर प्रचार हुआ कि हम न्यूनतम मजदूरी लागू करेंगे। उसका नतीजा हमारे जहानाबाद में क्या हुआ? वहां पर नक्सली आ गए। वह लागू नहीं हुआ। उग्रवाद ज्यादा बढ़ा और इतनी तेजी से उग्रवाद बढ़ा कि आज भी उसकी वजह से लोग परेशान हैं। यदि इसको लागू करना चाहते हैं, तो इसमें जितनी भी कमियां हैं, उन सबको दूर कर के इसको लागू किया जाए।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस समय भी इनको यह बात याद आई कि इस देश में भूमि सुधार कानून को अभी तक लागू नहीं किया जा सका है और जब तक इस देश में भूमि सुधार कानून को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जाएगा तब तक देश को ठीक ढंग से चलाया नहीं जा सकता है। हालांकि मंत्री जी बिहार के मुख्य मंत्री रहे हैं और वे जानते हैं कि कई हजार एकड़ जमीन हाइकोर्ट में मुकदमों के पेंडिंग होने के कारण बंट नहीं सकी है। मैं चाहूंगा कि अगर आपकी नीयत साफ है, तो नियम 259 में सुधार करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आर्टीकल 226 और 227 में अमेंडमेंट करना होगा। अगर आर्टीकल 226 और 227 का अमेंडमेंट कर दिया जाए, तो कोई भी आदमी इस भूमि के मामले को कोर्ट में नहीं ले जा पाएगा और भूमि को मुकदमें में नहीं उलझा पाएगा। इसलिए इसमें संशोधन जरूरी है। जब तक यह आर्टीकल बरकरार रहेगा, तब तक कोई भी सुधार क्या आप इसमें लाख सुधार कर लें, लेकिन भूमि कानून का सुधार नहीं होगा और लोग मामला कोर्ट में ले जाते रहेंगे।

महोदय, जब तक इस कानून में संशोधन नहीं होता है, तब तक धर्मपुरा के महन्त, बसांव के महन्त, बोक्सा के महन्त और साहपुर के महन्त इत्यादि को आप भूमि बचाने से नहीं रोक सकते हैं क्योंकि वे भूमि के सम्बन्ध में हाइकोर्ट में रिट दायर कर देंगे और फिर वह विवाद में पड़ जाएगी। ये नौवीं अनुसूची में लाने की बात करते हैं, इससे किसी की भूमि निकलने वाली नहीं है।

महोदय, मैंने इनके इस संशोधन के बारे में सोमनाथ चटर्जी से बात की थी कि इससे कितनी भूमि निकलने वाली है कितने पेंडिंग केसों का निपटारा होने वाला है तो उन्होंने मुझे बताया कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है क्योंकि 226 और 227 का सहारा लेकर देश के लैंड लार्ड और पूंजीपति जमीनों को छिपा कर रख लेंगे। हालांकि आप जो बिल लाए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन साथ-साथ आपसे आग्रह करता हूं कि 226 और 227 में अमेंडमेंट लाने के लिए आप सरकार में हैं कानूनी राय लीजिए, अमेंडमेंट कीजिए जिससे गरीबों को राहत मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ मिश्र : सभापति जी मैं बहुत-बहुत आभारी हूं माननीय सदस्यों का कि उन्होंने भूमि सुधार के कार्यक्रमों की चर्चा की है और संविधान की नौवीं सूची में संशोधन करने के लिए इक्यासीवें संशोधन को सम्मिलित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं केवल दो-तीन बातें जो उभरी हैं उनको स्पष्ट करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : सभापति महोदय, एक बहुत जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : नो प्लीज।

श्री जगन्नाथ मिश्र : भूमि सुधार और हदबन्दी के मामले में सरकार का दृढ़ निश्चय है और सरकार की नीति में न कोई परिवर्तन हुआ है और न होने की संभावना है। आर्थिक उदारीकरण की नीति का कोई असर हदबन्दी की सीमा पर पड़ने वाला नहीं है।

महोदय, 1972 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में जो राष्ट्रीय नीति निर्धारित की गई थी वही राष्ट्रीय नीति आज है और सभी राज्यों को तदनुकूल ही हिदायतें दी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है अभी हाल ही में देश के सभी मुख्य मंत्रियों को हमने अलग-अलग पत्र लिख कर कहा है कि हदबन्दी की जो जमीन है उसे तत्कालीन भूमिहीनों में वितरित किया जाए। 10 लाख 64 हजार एकड़ जमीन जो विवादों में है, उस जमीन को तत्काल मुक्त कराया जाए। जहां पर कुछ न्यायालयों में मामले लंबित हैं वहां के लिए हमने कहा है संविधान की धारा 323 बी के आधीन विशेष अभिकरण का गठन करने का प्रावधान है। इसलिए प्रावधान का गठन कर के उन मामलों का निष्पादन किया जाए।

पश्चिम बंगाल ने 1991 के अपने अधिनियम में अधिकरण करने का अधिकार लिया है और उसे भी हम संरक्षण देने जा रहे है। बिहार में 1987 के संशोधन से अधिकरण बनाय गया था लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उस अधिनियम को भी आज हम संवैधानिक संरक्षण देने जा रहे है। इसलिए सरकार की मंशा स्पष्ट है कि भूमि सुधार के कामों में तेजी लाई जाये। कांग्रेस शासन काल में पिछले 49 सालों में सारे देश के भूमि सुधार कार्यों मे गति आयी है। जमींदार उन्मूलन हुआ, 1 करोड़ 12 लाख रियायतें को प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व दिया गया। जो हदबंदी की जमीन अर्जित हुई है उनमें से 51 लाख एकड़ जमीन 49 लाख परिवारों में बांटी गयी है। 17 लाख अनुसूचित जाति व 7 लाख अनुसूचित जनजाति के और दूसरे पिछड़े गरीब लोगों के 26 लाख परिवारों के बीच बांटी गयी है। इसलिए सरकार की मंशा पर या कांग्रेस की पद-प्रतिष्टा पर कोई प्रश्नचिन्ह लगाना न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है। कांग्रेस पूरी तत्परता से अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध है और आजादी के संघर्ष के दिनो में ही कांग्रेस ने भूमि सुधार के कार्यक्रमों के बारे में ऐसी नीति निर्धारित की थी और आजादी के तुरन्त बाद से इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया। 1991 का जो पहला संशोधन था जब बिहार में जमींदार उन्मूलन का कानून पास हुआ तो उस जमाने के मुख्यमंत्री डॉ० सिन्हा तथा के. वी. सहाय के जमाने में उच्चतम न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित किया था। उस वजह से 1991 का पहला संशोधन हुआ और उस संशोधन में 13 अधिनियम को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। बाद में आपके 255 कानूनों को इस नौवीं अनुसूची में सम्मिलत किया गया, उनमें से 222 केवल भूमि सुधार से संबंधित हैं। मई 1990 में 55 कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। उसके बाद जो विधेयक हमारे पास लंबित थे, राज्य सरकार की ओर से उसे आज हम नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार की मंशा स्पष्ट है और जो बातें हमने राज्य सरकारों को कही है कि 4 लाख 56 हजार एकड़ जमीन सार्वजनिक कार्यों के लिए राज्यों में आरक्षित करके रखी गयी है, उन्हें भी हमने कहा है कि हदबंदी जमीन भूमिहीनों के लिए है। वह दूसरे कार्यों में प्रयोग नहीं लाई जा सकती। जिन राज्य सरकारों के पास 4.56 हजार एकड़ जमीन हैं, जिन्हें लोग दूसरे कार्यों में आरक्षित करके रखे हैं, उनसे हमने कहा है कि उसे तत्काल मुक्त कराया जायें और उस जमीन को बांटिये। यह बात सही है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक अधिनियम संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा है कि दूसरे कार्यों के लिए जमीन लीज पर देने की छूट न दी जाये। उस अधिनियम को हमने भारत सरकार की तरफ से अभी अनुमति नहीं दी है लेकिन हमें अफसोस है . . . .**(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा : अनुमति नहीं दी या उन्होंने अस्वीकार कर दिया?

श्री जगन्नाथ मिश्र : यह अभी विचार में है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी एक ऐसा अधिनियम हमारे पास भेजा जिसमें उन्होंने यह अधिकार लाने का प्रस्ताव किया है कि राज्य सरकारों को छूट हो कि वह किसी व्यक्ति को सीमा से अधिक जमीन रखने की छूट दे दें। हमने इसे विचारार्थ रख दिया है। हमारी राष्ट्रीय नीति अनुकूल नहीं है। 1972 में हमारी जो गाइडलाइन्स हैं, जो हमारे देश की निर्धारित की हैं, उसके अनुकूल नहीं है। हमने राज्य सरकारों को कहा है कि हदबंदी के कानून में राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध कोई संशोधन नहीं किया जाये या उद्योगपतियों को या दूसरे लोगों को हदबंदी की सीमा से अधिक जमीन रखने की छूट नहीं दी जाये। जो 1972 की गाइडलाइन्स में छूट का प्रावधान है, उससे ऊपर कोई छूट का प्रस्ताव हमारे विचाराधीन नहीं है। इसलिए हमारी आर्थिक उदारीकरण की नीति का कोई प्रभाव नही पड़ने वाला है। बिहार की भी चर्चा हम करना चाहते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : बंगाल सरकार ने जो छूट मांगी है। अगर वह आपके हो तो वह वाक्य हमें सुना दीजिये।

श्री जगन्नाथ मिश्र : पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव है कि राज्य सरकार की पूर्वानुमति से और राज्य सरकार द्वारा रखी गयी शर्तों के आधार पर किसी धर्म, किसी कम्पनी किसी व्यक्ति, किसी संघ या निकाय द्वारा जमीन का अर्जन करने और स्वामित्व प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करना।

रैयत, पट्टेदार को उतनी ही भूमि रखने की अनुमति प्रदान करना, जितनी राज्य सरकार द्वारा उचित समझी जाय। किसी कारखाने, कारखाना नागरिक क्षेत्र, चायबागान, पौधरोपण, पशुधन, प्रजनन, मुर्गीपालन, डेयरी पालन, बागवानी, जलजन्तुओं के साथ-साथ मछलीपालन, पुष्प खेती, रेशम कीट पालन एवम् ऐसी अन्य गतिविधियों के प्रयोजनों हेतु अधिकतम सीमा से अतिरिक्त सरकारी भूमि के बारे में किसी व्यक्ति, किसी फर्म, किसी कम्पनी अथवा किसी व्यक्तियों, संघ या निकायों के साथ मामलों का निपटारा करना।" यह उनका प्रस्ताव है।

श्री भोगेन्द्र झा : यह अबव सीलिंग का भी है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : यह एबव सीलिंग हो ही गया न।..........**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह उद्योग के लिए है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ मिश्र : इसमें इण्डस्ट्री भी है, सब काम के लिए है, हमने कह

दिया न कि एक काम के लिए नहीं है। इसमें व्यक्ति को भी है, फर्म को भी हैं, कम्पनी को भी है, कारखाने के लिए भी है, हर एक को आपने छूट देने का प्रस्ताव दिया है, यह हमारी 1972 की गाइडलाइंस के विरुद्ध जाता है, इसलिए हमने अभी इसे विचारार्थ रखा है और सरकार इसपर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह सामान्य छूट के लिए मांग नहीं है, यह विशिष्ट मामलों के लिए मांग है।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ मिश्र : हमने कहा कि इसमें हमारे पास केवल दो सरकारों का ही प्रस्ताव आया है और किसी राज्य सरकार ने हदबन्दी की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं किया है, किसी ने दूसरी छूट की बात नहीं की है। हम भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट कर रहे हैं कि हदबन्दी में न कोई छूट की गुंजाइश है, न सीमा घटाने की, न सीमा बढ़ाने की, ताकि गांवों में भूमि के बारे में कोई अनसरटेंटी नहीं रहे। अनसरटेंटी रहने से भूमि सुधार के कार्यों में वृद्धि नहीं होती है, हमने सारे देश के लिए जो नीति निर्धारित की है, उस नीति का अनुकरण, अनुपालन सभी राज्य सरकार करें और हमने कहा है कि अगले साल के मार्च महीने तक हदबन्दी कानून को पूर्ण रूप से पूरा कर दिया जाये।

बहुत दिन हो गये है, हमारे प्रधान मंत्री की इसमें पूरी प्रतिबद्धता है, उन्होंने राजस्व मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और उन्होंने 1971 से 1972 तक एक अभियान चलाया था, जिसके तहत तीन लाख 14 हजार एकड़ जमीन अर्जित भी की गई थी, इसलिए प्रधान मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि गांवों में पूर्ण भूमि सुधार हम करना चाहते हैं, गांवों में जो नई सड़कें हम बनाना चाहते हैं, उसके अनुकूल भूमि विवाद का अन्त करिये, समाप्त करिये, चाहे वह आन्ध्र प्रदेश की बात हो या बिहार की बात हो। यह सारे विवाद जो नक्सल के नाम पर चल रहे हैं, वह जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने बिहार के मुख्य मंत्री से खास तौर से कहा है कि मध्य बिहार में जो विवाद चल रहे हैं, वह सभी जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, जो सामूहिक कत्ल हो रहे हैं, जिनमें गरीबों का कत्ल हो रहा है, दलितों का कत्ल हो रहा है, वह अधिकांश मामले जमीनों के साथ जुड़े हुए है। बिहार सरकार पिछले पांच साल तक भूमि सुधार के मामलों में शिथिल रही है, यह बात भी बिहार के मुख्य मंत्री की जानकारी में हम लाये है कि भूमि सुधार के मामलों को शिथिल मत रखिये, इस काम को पूरा करिये, तभी बिहार में आप शान्ति ला सकेंगे। यह विधि व्यवस्था का सवाल नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार यादव : सीमा घटाने पर आप क्यों रोक लगा रहे हैं?

श्री जगन्नाथ मिश्र : यह जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इससे नैचुरली अनिश्चितता बढ़ेगी, फिर अनिश्चितता बनेगी। अभी सारे देश में 15 लाख एकड़ जमीन दाखिल हुई है, फिर नये सिरे से दाखिल करिये, फिर 10 लाख 64 हजार एकड़ जमीन, जो अभी मुकदमों में फंसी हुई है, बिहार में 95 हजार एकड़ और पश्चिम बंगाल में एक लाख 75 हजार एकड़ जमीन न्यायालयों में पड़ी हुई है। हमने बंगाल के मुख्य मंत्री से कहा है कि आप विशेष तौर पर जो मामलों में पड़ी हुई जमीन है, उसे मुक्त कराने की कोशिश करिये, जो खास तौर से बोर्ड आफ रेवेन्यू में पड़ी हुई हैं, उसे मुख्य मंत्री अपनी मुस्तैदी से मुक्त करा सकते है। उच्च न्यायालय में जो जमीन विवाद में है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाइये, अभिकरण बनाइये, यह प्रस्ताव दिया है, जिस कानून को हम आज नवीं सूची में ला रहे है। पश्चिम बंगाल में उस कानून को नवीं अनुसूची में ला रहे है, जिसके तहत वह अभिरण बनाना चाहते हैं, इसलिए राज्य सरकार आर्टीकल 327 (बी) के तहत अभिकरण बनाकर सारे विवादों को हल करें, अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए यही हम राज्य सरकारों से कह रहे हैं।

जमीन के बारे में जो दूसरी बात उठती है वह यह है कि हमारे लैण्ड रिकार्ड उप टू डेट नहीं है। उसके लिए भी 1987-88 में भारत सरकार ने एक नई योजना बनाई थी कि 50-50 प्रतिशत पैसा खर्च करके लैण्ड रिकार्ड बनाया जाये। उसके अलावा 1988-89 के कम्प्यूटराइजेशन की स्कीम भी भारत सरकार ने दी है, जिसका शत-प्रतिशत खर्चा भारत सरकार देती है। अभी तक 104 करोड़ रुपए लैंड रिकार्ड क्रिएट करने के लिए और 24 करोड़ रुपये कम्प्लीशन के लिए राज्य सरकारों को दिये गये है। इसलिए भूमि विवादों को अंतिम रूप से हल करने के लिए यह काम होना चाहिए। एक बात कही है कि बेनामी और फर्जी जमीन की बहुत शिकायतें आती हैं। यह राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकारें सख्त से सख्त कानून बना सकती है, बनाना चाहिए। लेकिन जो पंचायती राज संस्थायें बन रही हैं हमने अपने मंत्रालय की तरफ से निर्णय लिय है कि भूमि प्रशासन, राजस्व प्रशासन और भूमि सुधार के कार्यों को पंचायतों को स्थानांतरित कर दिया जाये। गांव के लोग चिन्हित करेंगे कि किस के पास फर्जी या बेनामी जमीन है और उसको निकालने का प्रावधान किया जाये।

बिहार के हदबंदी कानून में हमने संशोधन किया था कि जो कोई भी फर्जी जमीन की जानकारी देगा उसको सरकार की तरफ से पुरस्कृत करेंगे। इसका कुछ असर हुआ भी था, कुछ जानकारी हमें मिली थी। लेकिन पिछले पांच सालों में यह काम बहुत धीमा पड़ गया है। सामाजिक न्याय का नारा केवल नारा रह गया। गरीबों को जमीन मिले, जैसा भोगेन्द्र झा जी कह रहे थे, सामाजिक न्याय के काम में तेजी करने का काम करिये। जमीन के विवादों को हल करने का काम करिये। सारी जमीन के विवरण का काम करिये। भारत सरकार का दृढ़ निश्चय है कि इसमें गति लाई जाये। इसके अलावा मैं आपके सुझावों के लिए भी आप सबको धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि सदन इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार करे।

श्री नीतीश कुमार : एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : सबका दे दिया है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुझाव दिया है। सरकार इस बारे में गम्भीर नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वे आयेंगें। परन्तु वे कब आयेंगें और कहां से आयेंगें?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : वोटिंग का क्या होगा? अपको लग रहा है कि यह पास हो सकेगा? यहां कितने लोग हैं, मैंने अपने भाषण के शुरू में कहा था

कि स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है। इस प्रकार से क्या हो जायेगा? आप बड़े हल्के-फुल्के ढंग से संविधान संशोधन ला रहे है। यह गिर जायेगा तो किसकी जवाबदेही होगी?

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : 273 सदस्य नहीं होंगे तो इसको कल तक के लिए स्थगित कर दो, यह फेल नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री कहां हैं? आगे की कार्यवाही आरम्भ करें?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभा को भुलावे में रखा गया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कहां है?

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ मिश्र : सभी पार्टी के लीडर की मीटिंग में तय हुआ था कि इस बिल को पास करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे आदमी हैं, आपके कहां हैं, मंत्री भी नहीं हैं।

श्री नीतीश कुमार : समूची डिबेट इस बिल पर भाषण कराने के लिए हुई है। एक भी सफाई नहीं दी। मारूति उद्योग के पास सैंकड़ो एकड़ जमीन पड़ी हुई है जिसका कोई मतलब नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : विधेयक पर विचार किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर मतदान कराने के पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, इसलिये मतदान मतविभाजन द्वारा कराया जायगा। लॉबी खाली कर दी जायें।

5.35 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

अध्यक्ष महोदय : अब लॉबी खाली हो गई हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मतदान कल 11.00 म.पू. पर कराया जाए ताकि प्रत्येक दल अपने सदस्यों को संगठित कर सके। सभी चाहते हैं कि विधेयक पारित कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई विरोध नहीं करता है और 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित हैं. . . . .

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर ऐसा होता है तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इसको पारित किया जा सकता है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : ऐसा ना हो कि यह पारित न हो पाये। अगर पारित हो जाता है तो अच्छा है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने हमसे सम्पर्क नहीं किया है। उन्होंने हमको सूचित भी नहीं किया है। सरकार बिल्कुल गम्भीर नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसको कल रखा जाए और सरकार को लताड़ा जाए, क्योंकि संसदीय कार्य को निपटाने का सरकार का तरीका ठीक नहीं है। जब बहस शुरु हुई थी, तभी हम लोगों ने कहा था और शंका जाहिर की थी कि स्पेशल मेंजारिटी की आवश्यकता पड़ेगी। हमने पूछा था कि क्या सब पार्टी के लोगों से बात की गई है; तो कहा गया कि बात कर ली गई है और सब ठीक है। लेकिन अब सामान्य दृष्टि डालने पर लग रहा है कि स्पेशल मेजारिटी नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां आप कर सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, संविधान (संशोधन) विधेयक पर मतदान दोपहर 12.00 बजे होना नियत हुआ है, परन्तु विभिन्न कारणों से, जिनको मैं बताना नहीं चाहता हूं, अब मतदान 5.45 म.प. पर होना नियत किया गया है। हालांकि, इस महत्वपूर्ण संविधान (संशोधन) विधेयक पर पूरी सभा एकमत है, परन्तु इस समय अपेक्षित संख्या में सदस्यगण उपस्थित नहीं हैं।-इसलिये, मै अनुरोध करना चाहता हूं कि मत विभाजन कल 11.30 म.पू. या किसी और समय तक के लिये नियत कर दिया जाये ताकि विधेयक को पारित करने के लिये मतविभाजन कराया जा सके, क्योंकि विधेयक पर वाद विवाद पहले ही पूरा चुका है।

कई माननीय सदस्य : हां।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आसन की तरफ से भी कुछ कहा जाना चाहिए, जिस प्रकार से संसदीय कार्य को गैर-गंभीरता से सरकार द्वारा लिया गया है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस अति महत्वपूर्ण विधेयक पर हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। मतविभाजन 11.00 म.पू. अथवा दोपहर 12.00 बजे अथवा किसी अन्य समय कराया जा सकता है। जैसा कि मैने पहले कहा था इस प्रकार के विधेयक के ऊपर हमको कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिये। आप कोई भी समय नियत कर दीजिये ताकि माननीय प्रधान मंत्री जी भी उपस्थित हो सकें। हम चाहते हैं कि वे मतदान करें।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, मतविभाजन कल 11.30 म.पू. अथवा दोपहर 12.00 बजे अथवा अन्य किसी समय के लिये नियत कर दिया जाये। हमको जोखिम नहीं उठाना चाहिये। हम समर्थन करेंगे।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मै ऐसे संविधान संशोधन की आवश्यकताओं के बारे में निवेदन नहीं करना चाहता हूं। मै मतविभाजन को किसी अन्य समय के लिये नियत करने का निवेदन भी नहीं करना चाहता हूं जबकि माननीय सदस्य सभा में उपस्थित हैं।

सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष द्वारा पेश किये गए और उनके द्वारा ही कार्यसूची में शामिल किये गए विधेयक पर सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी है, जबकि हम सब यहां उपस्थित हैं और चर्चा भी पूरी हो चुकी है।

दूसरे, इस पहलू को ध्यान में रखे बिना इसका ख्याल करते हुये कि सरकार अथवा सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी है कृपया इस बात की जांच कीजिए। सभा में चर्चा समाप्त हो चुकी है और फिर भी हम मतविभाजन को कल तक के लिये स्थगित करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह उचित है?

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : आप खुद अनुपस्थित थे। आप कहां थे?

श्री जसवन्त सिंह : आप ठीक है। मै इसको स्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : कल एक घंटा और मिलना चाहिये, इसलिये कल 12 बजे रख लीजिये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं सत्ता पक्ष को दोषमुक्त नहीं कर रहा हूं। परन्तु, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ विषयों पर हमको यहां जिम्मेदारी का प्रदर्शन करना चाहिये। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं। मै दोषमुक्त नहीं कर रहा हूं। आप किसी और की तरह ही खराव हैं।

वे कभी कभी अच्छा कार्य करते हैं। इसको खराब नहीं करना चाहिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हम लोगों का प्रस्ताव है कि इसको कल लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभा एकमत है। अगर इसमें कोई दिक्कत भी है, तो भी मेरे विचार में श्री जसवन्त सिंह हमारे प्रस्ताव से सहमत हैं। इसलिये, यह मान लेना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार पर गंभीरता की कमी का सीधा आरोप बनता है। हमने बहस शुरु होने के समय ही कहा था कि अगर संविधान संशोधन लाने का समय निर्धारित किया है तो विपक्ष के लोगों से बात करनी चाहिए, स्पेशल मेजारिटी के लिए व्हिप इशू करना होगा। इन्होंने कहा कि सब हो गया है, लेकिन अब पता लग रहा है कि स्पेशल मेजारिटी नहीं हो रही है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : लीडर्स मीटिंग में बात हो गई थी।

श्री नीतीश कुमार : शुक्ला जी की बात का तो कोई मतलब होता नहीं है। ये स्वंय कोरम की घंटी बजने के बाद एंटर किए हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : लीडर्स की मीटिंग में नीतीश कुमार जी नहीं जाते हैं, इसलिए इनको पता नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : हमारी पार्टी के लीडर तो जाते हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : सब लीडर्स से बात हुई थी।

श्री नीतीश कुमार : हमने सब पार्टी के व्हिप्स से पूछा है, किसी को पता नहीं है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : लीडर्स मीटिंग में, बीएसी में, सब में बात हुई थी और सब को बोला गया था। सब ने कहा था कि मौजूद रहेंगे। सबके एग्रीमेंट के बाद ही तय किया गया था। हमारे बहुत लोग मौजूद है, इसलिए हमारी तरफ से गंभीरता में कमी नहीं है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमको किसी तर्क-वितर्क में नहीं पड़ना चाहिये। महोदय, आपको याद होगा कि मैने आज की बैठक में भी एक सुझाव दिया था।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपने इस विधेयक को दोपहर 12.00 बजे क्यों नहीं लिया?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विद्या चरण शुक्ल : मै बहस कर के किसी को नाराज करना नहीं चाहता। मेरा यही निवेदन है कि सबकी राय के अनुसार कल इस पर वोटिंग करा ली जाए और अभी लिस्टेड बिजनेस है उसको ले लिया जाए। डिवीजन जो संविधान के लिए आवश्यक है, उसको कल साढ़े 11 या 12 बजे करवा लिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको विश्वास है कि कल 11.30 म.पू. पर अधिक सदस्य उपस्थित रहेंगे?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैने 11.00 म.पू. का सुझाव दिया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात तो सुन ली जाए। मेरी बात को छीन कर संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी बात कह दी। जब तय किया गया था कि 5-6 बजे वोटिंग होगी, तो क्या इसके बारे में सदन में बताया गया था?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वताया गया था, 3-4 बार कहा गया था।

श्री नीतीश कुमार : 5-6 बजें वोटिंग होगी, यह किसी की जानकारी में नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, जैसी सदन की इच्छा है, वैसा ही होगा, उससे अलग नहीं होगा, मगर मै यह कहना चाहता हूं कि आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस को वदल कर गवर्नमेंट विजनेस लिया गया था और मुझे नहीं मालूम कि कल भी मेंबर्स आने वाले हैं या नहीं, क्योंकि कल प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस होने की वजह से मेंवर्स नहीं होंगे। दूसरी वात यह है कि इस हाउस से पास होकर दूसरे हाउस में जाना है, तो वहां भी नहीं होने वाला है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : राज्य सभा में पास हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, राज्य सभा में पास हो गया है।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : अध्यक्ष महोदय, कल मेरा वक्फ अमेंडमेंट विल भी आने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : आई एम वैरी सॉरी, आप ऐसे सब कुछ करना चाहते हैं, जैसे प्रिसाइडिंग आफीसर यहां बैठ कर सव करता है।

श्री सीताराम केसरी : मैने निवेदन किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप सव विल पास कराना चाहते हैं, किसी को यहां रहने का वक्त भी नहीं है, सवको ज्यादा वोलना भी है, शेड्यूल भी वदलना है, ऐसा कैसे होगा। मैं समय कल 12 बजे का फिक्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सुबह देखेंगे कि क्या स्थिति है, इसलिए आप लोगों को दिन भर रहना पड़ेगा, अगर विजनेस पास करना है तो। ऐसा मत करिए जिससे ऐसा लगे कि हम चाहे जो कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग नही आनी चाहिए। आई एम रिअली वैरी सॉरी कि सेशन के फैग एंड में हमको ऐसा करना पड़ रहा है।

ठीक है, आप लोग कहते है तो इसको कल ले लेंगे, लेकिन इस प्रकार से कुछ न हो, जिससे हम लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचे।

[अनुवाद]

इसलिये, अव हम अतिरिक्त अनुदानों की मागें (सामान्य) को लें।

5.50 म०प०

*अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93

और

*अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1995-96

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? अब सभा में वर्ष 1992-93 की अतिरिक्त अनुदानों की मागें (सामान्य) तथा वर्ष 1995-96 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर, जिसके लिए कुछ समय आबंटित किया गया है, चर्चा और मतदान किया जायेगा।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशि भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :- मांग संख्या 14, 15, 18, 22, 25, 33, 75, 95 और 97"

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये :- मांग संख्या 1, 5, 6, 9, 14, 15, 26, 35, 39, 40, 46, 48, 50, 51, 53, 56, 61, 70, 72, 73, 75 से 81 और 83"

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1992-93 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि
1	2	3
1.	**राजस्व से पूरा किया गया व्यय**	
		रुपए
	14. डाक सेवाएं	21,46,46,092
	18. रक्षा सेवाएं-थल सेना	53,23,42,445
	25. आर्थिक कार्य विभाग	4,77,09,052
	33. पेंशनें	15,87,71,514
	97. चण्डीगढ़	1,11,77,128
2.	**पूंजी से पूरा किया गया व्यय**	
	15. दूरसंचार सेवाएं	25,53,86,487
	22. रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21,29,09,329
	75. सड़कें	6,46,16,261
	95. दादरा और नगर हवेली	2,58,912

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1995-96 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

संख्या	मांग का नाम	सदन को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3	4
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	कृषि	120,00,00,000	-
5.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	45,02,00,000	-
6.	उर्वरक विभाग	7,01,00,000	231,50,00,000
9.	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	32,00,00,000	-
14.	दूर संचार विभाग	7,01,00,000	-
15.	रक्षा मंत्रालय	10,00,00,000	-
26.	वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	-	2192,54,00,000
35.	प्रत्यक्ष कर	-	1,00,000
39.	स्वास्थ्य विभाग	1,00,000	1,00,000
40.	परिवार कल्याण विभाग	1,00,000	-
46.	शिक्षा विभाग	817,73,00,000	-
48.	संस्कृति विभाग	10,01,00,000	-
50.	औद्योगिक विकास विभाग	25,00,00,000	-
51.	भारी उद्योग विभाग	55,00,00,000	41,96,00,000
53.	लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग	3,93,00,000	-
56.	श्रम मंत्रालय	10,00,00,000	-
61.	खान मंत्रालय	20,00,00,000	-
70.	ग्रामीण विकास विभाग	550,00,00,000	-
72.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	12,50,00,000	-
73.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग	3,00,00,000	-
75.	इस्पात मंत्रालय	30,00,00,000	-
76.	भूतल परिवहन	22,00,00,000	-

संख्या	मांग का नाम	सदन को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3	4
77.	सड़कें	15,00,000	1,00,000
78.	पत्तन, दीपस्तम्भ एवं जहाजरानी	2,85,00,000	-
79.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	55,00,00,000	107,90,00,000
80.	शहरी विकास और आवास	-	1,00,000
81.	सार्वजनिक निर्माण कार्य	-	2,00,000
83.	जल संसाधन मंत्रालय	5,00,00,000	-
	जोड़	1843,23,00,000	2573,96,00,000

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे अपने कटौती प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे (वर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रसायन और पेट्रो रयायन विभाग (पृष्ठ 2) के संबंध में 45,02,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[भोपाल गैस कांड के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास तथा उनके प्रतिपूर्ति दावों को निपटाने में अत्यधिक विलम्ब।] (1)

"कि स्वास्थ्य विभाग (पृष्ठ 9) के सम्बन्ध में 2,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति तथा महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, वर्धा के कर्मचारियों को कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति, सेवाग्राम के प्रबंधकों द्वारा पेंशन योजना शुरू करने से इंकार।] (2)

"कि शिक्षा विभाग (पृष्ठ 11) के संबंध में 817,73,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[कि सम्पूर्ण देश में अमिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता।] (3)

अध्यक्ष महोदय, यह स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 9 पर है।

"महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसिज़, वर्धा को चलाने तथा उसके रखरखाव संबंधी खर्चों के लिए कस्तूरवा हैल्थ सोसायटी, सेवाग्राम को अतिरिक्त अनुदान सहायता उपलब्ध कराना (1 करोड़ रुपये)।"

[हिन्दी]

इस पर मेरा कटमोशन है। अध्यक्ष महोदय, कस्तूरबा हैल्थ सोसाइटी कस्तूरबा जी के नाम पर स्थापित की गई है। कस्तूरबा जी को हमारे क्षेत्र में राष्ट्रीय माता कहा जाता है। यह महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, यानी महात्मा जी के नाम से वहां पर एक कॉलेज है। इस संस्था का कारोबार जो लोग चलाते है, वे लोग वहां पर बहुत सारी धांधलियां कर रहे है। इस संस्था को, इसके खर्चे का 50 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार की ओर से दिया जाता है और 25 प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिया जाता है। बापू ने कहा था कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए। वे कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे और उस आदर्श से ये हॉस्पिटल और कॉलेज शुरू किये गए। ऐसा लगता है कि इस संस्था के आज के संचालकों का उद्देश्य गरीबों की सेवा करना नहीं दिखता है। 75 प्रतिशत ग्राण्ट सरकार की ओर से मिलने के बाद भी ये मरीजों से कसाई की तरह फीस मांगते है और फीस न देने पर न ऑपरेशन करते हैं और न दवाई देते है। अभी अभी एक महिला जो गर्भवती थी, वहां आई थी। डॉक्टर्स ऐवलेबल नहीं थे, नर्स ऐवलिबल नहीं थे और सण्डास में ही उसकी डिलीवरी हो गई। हमारे एक मित्र हैं जो टेक्सटाइल यूनियन में काम करते हैं। उनकी पत्नी रात के समय में बेहोश हो गई और मर गई क्योंकि वहां कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा इलाज के लिए। कोई नर्स नही पहुंची। इस तरह की अव्यवस्था इस संस्था में है और मैं आपको कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी का नाम भुनाने का काम ही यह संख्या करती है और तरह तरह की ग्राण्ट्स देश-विदेश से मंगाने का काम करती है। अभी अभी सत्य साई बाबा ट्रस्ट ने इसको एक करोड़ रुपया दिया है और इनके पास जितनी ग्राण्ट आती है, उसका हिसाब किसी को मालूम नहीं होता है।

उसका हिसाब किसी को मालूम नहीं रहता है, इसकी जांच की जाए, ऐसा मेरा कहना है। मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर कर्मचारियों के साथ ये लोग किस तरह का बर्ताव करते है। महाराष्ट्र सरकार ने और नागपुर यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों को 1.4.88 से मकान किराया भत्ता दिया जाए, लेकिन वह लागू नहीं किया गया। बार-बार आंदोलन करने के बाद 1.1.93 से लागू किया गया लेकिन एरियर नहीं दिया गया। कर्मचारियों की मांग है कि उनके

लिए पेंशन योजना लागू की जाए जबकि इस संस्था को 75 प्रतिशत ग्रान्ट मिलती है और नागपुर युनिवर्सिटी व महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऐसे निर्देश हैं कि पेंशन स्कीम लागू की जाए, लेकिन मैनेजमेंट लागू नहीं कर रहा है।

दूसरी बात यह है कि इन्होंने गांधीजी के सारे तत्वों को तिलांजली दे दी है। कॉलेज में जितने शिक्षक होने चाहिए, यानी कॉलेज प्राध्यापक जितने होने चाहिएं उतने नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अच्छे-अच्छे डॉक्टर गांधीजी के नाम पर आते थे, लेकिन वे स्पेशलिस्ट्स छोड़कर चले गए। डॉ० त्रिवेदी हार्ट स्पेशलिस्ट थे लेकिन मैनेजमेंट ने इनकी कोई परवाह नहीं की, इनको सुविधाएं नहीं दी और ये चले गए। दूसरे डॉ० आहूजा चले गए। आज स्पेशलिस्ट्स बिलकुल नहीं है। यहां का टीचिंग स्ट्रेन्थ जितना होना चाहिए उससे कम है। एक प्रोफेसर की जगह कई दिनों से खाली है, 5 असिस्टेंट प्रोफेसर कम हैं, 11 रीडर्स और 20 लेक्चरर्स कम हैं। विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के लिए जो आवश्यकता है वह भी पूरी करते नहीं हैं। इनके स्वयं के रूल्स हैं लेकिन वे भी ये पूरे नहीं करते हैं। जो कस्तूरबा सोसाइटी हैं इनके स्वयं के अलग रूल्स हैं। इनके सर्विस रूल्स को नागपुर यूनिवर्सिटी और महाराष्ट्र सरकार ने मान्यता नहीं दी। उसके बाद भी ये कारोबार चला रहे हैं। यानी देश के सारे एम.बी.बी.एस. और डेंटल कॉलेजेज में सरकार की ओर से जो लिस्ट तैयार की जाती है..... **(व्यवधान)** लेकिन यहां पर इनकी पी.एम.टी. परीक्षा अलग चलती है और इन्होंने बहुत गलत तरीके से काम किया है।

इनका जो वर्किंग वीमेन्स हॉस्टल बन रहा था उसके निर्माण के लिए इन्होंने टेण्डर्स मंगाए। वी.एन.कंस्ट्रक्शन कम्पनी, भोपाल ने 32 लाख का टेंडर दिया। एच.बी. कंस्ट्रक्शन कम्पनी, वर्धा ने, जिनका इन लोगों से ताल्लुक है, 32 लाख 92 हजार का टेण्डर दिया। 92 हजार ज्यादा होने पर इन्होंने उसी का टेण्डर मंजूर किया। इस कम्पनी की हैसियत 5 लाख की है और इन्होंने झूठा सर्टिफिकेट बनाया। मैं यह बताना चाहूंगा कि इनको एक करोड़ रुपया जो देना है, पैसा इन्होंने पता नहीं कहां जमा करा रखा है। इसकी जांच की जाए और फिर पैसा दिया जाए। यह पैसा यहां पर गलत ढंग से इस्तेमाल होगा, जैसा कि उन्होंने अब तक किया है।

दूसरा मेरा अमेण्डमेंट था कि हमारे देश के नेता और संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने कहा था कि 10 साल के बाद में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। आज 48 साल हो गए लेकिन अभी तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू नहीं कर सके हैं

6.00 म०प०

अध्यक्ष महोदय, हम पहली चार क्लास तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? आज आप देहात में जाइए। पूरे स्कूल में अकेला एक शिक्षक ही होता है। एक शिक्ष तीन-चार क्लास लेता है। कई जगह पर शिक्षक पहुंचता ही नहीं है और इसका प्रबन्ध न करते हुए चांद पर जाने की बात करना उचित नहीं लगती। कम से कम प्राईमरी शिक्षा तो अनिवार्य बनानी चाहिए। हम वह भी अनिवार्य नहीं कर सके, यह शर्म की बात है। जो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा, उसको सजा मिलनी चाहिए, यह बिलकुल अनिवार्य बना दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, भोपाल त्रासदी 1984 में हुई। आज उसको 11 साल हो गए है, लेकिन इतने समय के बाद भी आज हजारों लोग ऐसे हैं जिनके क्लेम्स सैटल नहीं हुए हैं, जिनको मुआवजा नहीं दिया गया है। आज पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों के बच्चे तरह-तरह की अपंगता के शिकार हो रहे हैं। इसलिए इनके क्लेमों का फैसला जल्दी होना चाहिए, लेकिन 11 साल होने के बाद भी हम ऐसा नहीं कर सके। कोर्ट हमारे पास यदि कम है, तो उनकी संख्या बढ़ाइए ताकि इनको तुरन्त न्याय दिया जा सके। इसी तरह का मोशन मैंने दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कान्ति चटर्जी जी, क्या आप बोलेंगे?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) **:** क्या अब मेरे मित्र बोल सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूछ रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरे विचार में वक्ताओं में मेरा नम्बर तीसरा था।

अध्यक्ष महोदय : आपका स्थान दूसरा भी हो सकता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मुझे अभी भी यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या हम दो अलग-अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे विचार में दोनों पर विचार अभिव्यक्त किये जा रहे है। हालांकि मैने कल इस बात पर आपत्ति उठाई थी फिर भी मैं भी ऐसा ही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात तर्कसंगत है और हम बाद में इसमें संशोधन करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं तो आप दोनों विषयों को ले सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) **:** कार्य-सूची में संशोधन किया गया है। मैं इसका उल्लेख मात्र करूंगा।

जहां तक अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का सम्बन्ध है, बजट पर चर्चा के दौरान मैं सिर्फ एक तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि आंकड़ों के हिसाब से मंत्रालय बजट में हेरा-फेरी कर रहा है। यदि हम आरंभिक बजट-प्राक्कलनों, संशोधित प्राक्कलनों और अंतिम लेखाओं को देखें तो पता चलता है कि बाद के वर्षों के आंकड़े इससे अलग हैं। मैंने बार-बार मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया है। यहां तक कि इस वर्ष के बजट में मुझे संशोधन नहीं दिखता। इसके अलावा यह अतिरिक्त मांगों का मामला है। इसके अलावा गत वर्ष के लिए जिन्हें अंतिम लेखे बताया गया है, इस वर्ष के बजट में उनके लिए अतिरिक्त अनुदानों की मागें हैं। यह बहुत अधिक है और मुश्किल यही आती है। यहां तक कि जब आप यह कहते है कि यह वर्ष 1992-93 में वर्ष 1993-94 के बजट में अंतिम लेखाओं का आंकड़ा है, तो वह भी काफी अधिक है। इसके बारे में सरकार को बहुत अधिक सावधानी से काम लेना चाहिये।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विशेष वर्ष अर्थात् 1992-93 में लोक लेखा समिति ने इसे स्वीकृति दे दी है। जब तक लोक लेखा समिति इस पर स्वीकृति नहीं देती तब तक वे असमंजस की स्थिति में रहेंगे। लोक लेखा समिति में काम करते हुए कई बार मैंने यह महसूस किया था कि हमें इसे पारित नहीं करना चाहिये इसमें इतनी गड़बड़ी थी। लेकिन हर बार हमें मजबूरन इसे पारित करना पड़ता है अन्यथा फिर आपसी सम्बन्धों में कुछ मुश्किलें उत्पन्न हो जाती हैं। लोक लेखा समिति इसकी सिफारिश करती है और उसके बाद यह हमारे पास आता है।

आपकी अतिरिक्त मांगों का मुख्य कारण पेंशन निधि है।

अब मेरी समस्या यह है कि क्या सरकार के लिए केन्द्रीय बजट के सही-सही आंकड़े प्राप्त करना संभव नहीं है? अगर बजट में कुछ सुनिश्चित है तो वह इसलिए है कि वह जानते हैं कि कितने लोगों को सेवा-निवृत होना है और कितनी पेंशन दी जानी है। और अनुपूरक बजट के पश्चात् भी ऐसा प्रतीत होता है कि आप उस धनराशि से भी अधिक खर्च करते हैं, जिसकी स्वीकृति संसद ने दी है। इसके बारे में निश्चित जानकारी देना संभव है। लेकिन उस पर भी आपका ध्यान नहीं जाता है। मेरे विचार में बजट तैयार करने में आपके दृष्टिकोण में कोई चूक है। इसीलिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। जो भी हो, हमने इसे पारित कर दिया है। आप इसे जानते हैं और मैं इसका समर्थन करता हूं।

6.06 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसके पश्चात् इसका एक अन्य पहलू है। मैं इन दोनों को मिला रहा हूं। विशेष तौर पर मैं किसी एक का उल्लेख नहीं करूंगा। अनुपूरक अनुदानों से आपको उन सभी लोगों को, जो सेवा निवृत्त हो रहे है, पेंशन देनी पड़ेगी। यह एक निश्चित बात है। इसमें एक या दो व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। आप इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। लेकिन आप यह जानते है कि कितने लोग सेवा-निवृत्त हो रहें हैं। आपको यह निश्चित रूप से मालूम है कि पेंशन की राशि क्या होगी। आप इसे जानते हैं। आप यह भी जानते है कि इसमें वार्षिक वृद्धि कितनी होगी। इसकी आपको सुनिश्चित जानकारी है और इसके बावजूद भी आप अनुपूरक बजट की गणना करने में असफल रहे है। इस वर्ष की अनुपूरक मांगों में एक दिलचस्प बात है। आप भारी धनराशि अदा कर रहे है। लेकिन विनियोग विधेयक मांग का एक तिहाई है। ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अनिवार्य रूप से खातों में अंतरण का मामला है। यह खाता-अंतरण क्या है? यह अनुपूरक मांगों की महत्वपूर्ण विशेषता है। आप धनराशि की मांग क्यों कर रहे है। आप स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्ति लेने के लिए कह रहे है। सिर्फ इसी बात के लिए आप मुख्य रूप से धनराशि मांग रहे हैं। अन्य मदें उसमें है। मैंने एक का उल्लेख किया था लेकिन कुछ अन्य भी हो सकती है। मेरा विचार था कि आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए धनराशि की मांग करेंगे। आपने इसकी मांग की थी और आपने उसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए नही अपितु स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के लिए धनराशि की मांग की। खाता-अंतरण की आवश्यकता क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास राष्ट्रीय नवीकरण कोष है, जिसे विश्व बैंक से सहायता प्राप्त होती है और जिसे तथ्य के रूप में मान लिया जाता है और इसीलिए इस प्रकार के व्यय के लिए उस कोष से ली गई धनराशि को भी लगभग तथ्य के रूप में मान लिया जाता है। अतः जब आप 4,000 करोड़ रुपये की मांग कर रहे है तो आपका विनियोग विधेयक 1,200 करोड़ रुपये के लिए होगा।

मैं इस प्रकार के आंकड़ो पर नहीं जा रहा हूं। अब वास्तव में मुझे इससे दुख होता है। इस सत्र में चर्चा के दौरान हमने बार-बार इस तथ्य पर जोर दिया है कि जब आप राजकोषीय घाटे को सीमित करने का प्रयास करते हैं, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ओर ध्यान दीजिये। आपके योजना के मध्यावधि आंकड़े बताते है कि आप सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा कर रहे है। योजना आयोग के उप सभापति सारे देश को यह बता रहे है कि वह सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं और यहां तक चाहते है कि सरकारी क्षेत्र अर्थव्यवस्था के उच्चतम शिखर तक पहुचें। लेकिन आप उनको सुदृढ़ करने के लिए धनराशि की मांग नहीं कर रहे है।

मैं सरकारी क्षेत्र के ऐसे बहुत से उपक्रमों को जानता हूं जिन्होंने मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। जब उन्होंने मजदूरी का भुगतान कर दिया है तो उन्हें कार्यकारी पूंजी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। आपने बजट से कोई भी सहायता प्रदान करने से इंकार कर दिया है। मुझे शंका है कि आप बैंकों को भी मुश्किल में डालना चाहते हैं ताकि बैंकों से जो धनराशि आती है, वह भी न आये। इसके स्थान पर वे सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए धनराशि की मांग कर रहे है। इसी उद्देश्य के लिए आप अनुपूरक बजट लाये है। मैं इस पर विस्तार से नहीं बोलना चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसी कारण मैं इस अनुपूरक मांग का समर्थन नहीं करता।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सप्लीमेंटरी बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें 231.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है, जो उर्वरक मंत्रालय द्वारा फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया को ऋण के लिए यूरिया खाद के लिए दिया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि हर वर्ष यहां लोक सभा में बड़ी डिबेट होती है कि खाद के क्षेत्र में कमी है और किसानों को जब यूरिया खाद की जरूरत होती है, उस समय यूरिया नही मिलता है। सरकार का यह विचार है, ऐसी इनकी व्यवस्था दिखाई देती है कि समय से इनको यह भी पता नहीं रहता है कि हमारे देश में कितने यूरिया की आवश्यकता होगी, कितना हम पैदा कर रहे है या विदेशों से मांग रहे है या क्या इन्तजाम कर रहे हैं। समय से इन्तजाम नहीं करने से ही देश में खाद की कमी होती है, खाद की चोरबाजारी होती है और किसानों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इसमें दो और मांगे है, जिनमें से एक शिक्षा की है। जैसा अभी हमारे पूर्व सदस्य ने बताया, इसमें शिक्षा पर जो 611.71 करोड़ दोपहर को, मध्य में न्यूट्रिसियस फूड देने के लिए रखा गया है, यह स्कीम तो ठीक है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो, जिन गरीब बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए यह व्यवस्था की जाय, वहां यह पहुंचनी चाहिए, इसके लिए सरकार की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। गांवों में देखा जाता है, यह बरतन पहले आ जाते है, भोजन पकता भी है, लेकिन फिर दो चार दिन के बाद पूरा सैट गायब हो जाता है और कुछ नहीं मिलता है।

इसी प्रकार से जो अभी अतिरिक्त मांगे पुरानी दिखाई गई हैं, उसमें इन्होंने 25 करोड़ रुपये के संचार विभाग में केबल ज्यादा खरीद लिये, मैं इस सम्बन्ध में पूछना चाहूंगा कि यह जो केबल खरीदे गये, यह ज्यादा क्यों खरीदे गये, यह अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं हुए, इसके बारे में कोई विवरण जरूर देना चाहिए, लेकिन यही लिखा है कि मांग से ज्यादा केबल खरीद लिये गये, जितनी आवश्यकता नहीं थी, उससे ज्यादा सामान खरीदकर एक्सेस क्यों किया गया?

इसी के साथ-साथ यह भी पूछना चाहूंगा कि यह जो 550 करोड़ रुपया राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के नाम पर लिया जा रहा है और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली गांव की वृद्धाओं की पेंशन वगैरह के लिए है, इसका सही-सही उपयोग होना चाहिए। यह स्कीम तो ठीक है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है।

हर गांव में कई जगह लोग प्रदर्शन और धरने पर बैठे हैं क्योंकि 6-6 महीने की पेंशन नहीं मिली है, वृद्धावस्था की पेंशन नहीं मिली है, यह जो सिस्टम है, इस पर विचार होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : एक संवैधानिक प्रश्न पैदा हो गया है। जो खबर मैंने अभी देखी है; और लोगों ने भी सुनी होगी, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के खिलाफ बहुमत विधायक हो गये हैं, उन्होंने उसके बाद विधान सभा भंग करने की सलाह कैबिनेट से पास कराकर गवर्नर को दी है। मेरी समझ में बहुमत खो देने के बाद किसी मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री के सुझाव पर विधायिका को भंग नहीं किया जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी से आप कहें कि राज्यपाल को इस सदन की राय भी भेज दें कि जिसका बहुमत खत्म हो गया है, उसके फिर विधान सभा भंग करना उनकी सलाह पर नहीं होना चाहिए। ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले पर एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हमारे सामने यह विषय वस्तु नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, यह मुद्दा श्री भोगेन्द्र झा जी ने उठाया है। आंध्र प्रदेश में स्थिति बहुत संवेदनशील हो गई है और पूरा राष्ट्र आंध्र प्रदेश की ओर देख रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बुद्धिमता की दाद देता हूं और आपसे यह पूछता हूं कि "आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं वह खड़ा होकर पूछ सकते हैं? इसके लिए एक विशिष्ट प्रावधान और नियम है। आपको उस नियम का पालन करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। आंध्र प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता है और वहां पर बहुत कुछ हो रहा है। मैं कल हैदराबाद में था और आज ही यहां आया हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब काल्पनिक बातें हैं।

(व्यवधान)

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, विधान सभा भंग नहीं की जानी चाहिए थी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब काल्पनिक बातें हैं। यह हमारे समक्ष नहीं है। राज्यपाल वहां है, सरकार वहां है और राष्ट्रपति मौजूद हैं, वे इस का ध्यान रखेंगे। मैं आप से जानना चाहता हूं कि जब कोई विषय विशेष लिया जाता है और उस पर आधी चर्चा हो चुकी होती है तो क्या हम कोई दूसरा विषय ले सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, श्री भोगेन्द्र झा जी ने जो कुछ भी कहा है। मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछली पटनम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह शून्यकाल नहीं है जो व्यवस्था का प्रश्न हो।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अन्य पक्षों की ओर से प्रश्न सुनने के बाद सत्तापक्ष की बात सुनना क्या औचित्यपूर्ण नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में यह अत्यधिक अनौचित्यपूर्ण और अनुचित है।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, हम इसी सभा में इसी तरह से उत्तर प्रदेश के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए ताकि मैं अपना निवेदन कर सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह कहते हुए खेद है कि जब श्री पाणिग्रही जी बोल रहे थे तो एक वरिष्ठ सदस्य श्री भोगेन्द्र झा अचानक उठे और उन्होंने कुछ जानकारी इस महान सभा को दी। श्री दत्तात्रेय और कुछ अन्य सदस्यों ने इसका पुरजोर समर्थन किया था।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : कृपया मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध है कि हमें सभा में कतिपय नियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम हमने बनाए हैं और यदि हम ही इन नियमों का उलंघन करेंगे तो सभा के हितों की रक्षा कौन करेगा?

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, चूंकि सभा ने दो माननीय सदस्यों के विचार सुन लिए हैं अतः मुझे भी दो शब्द कहने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब कभी हमारे सामने ऐसा संकट आता है तो हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक सिद्धान्तों को दिन-प्रति-दिन क्षीण किया जा रहा है। यह भारतीय लोगों का संकल्प है और यह सभा में अन्यत्र भी मान्य सिद्धान्त है कि चाहे बहुमत हो या अल्पमत हो इस बात को सभा में सिद्ध किया जाना चाहिए, महोदय, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री एन.टी.रामाराव ने आज 10 बजे मंत्रिमण्डल की बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल ने विधान सभा को भंग करने का समर्थन कर दिया है। उन्होंने यह निर्णय लिया और राज्यपाल को सौंप दिया। महोदय, दो राज्यों के बीच कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए। लोग हम पर नजर रखे हुए हैं। केवल अपने फायदे के लिए कदम मत उठाइए। जहां कहीं स्थिति आपके फायदे में होती है आप कोई एक रूख लेते हैं और जब स्थिति आपके फायदे की नहीं होती है आप दूसरा रूख अपनाते हैं। अतः मैं इस सभा से इस तथ्य को ध्यान में रखने का अनुरोध करता हूं और हमें इन लोकतांत्रिक सिद्धान्तों को और क्षीण नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, श्री रेड्डय्या जी ने जो कहा है

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दत्तात्रेय जी, आपका यह कहना उचित नहीं है आपके सामने यह विषय वस्तु नहीं है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इन सब बातों पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आप दीर्घाओं में जाने के स्वतंत्र हैं और वहां पर आप इन पर गहराई से चर्चा कर सकते हैं, सभा में नहीं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : श्री के. पी. रेड्डूया यादव गुमराह कर रहे हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : यदि सरकार अपने ही दबाव और विरोधाभाष के नीचे दब रही है तो कौन सहायता कर सकता है?

श्री रामकृष्ण कोंताला (आनकापल्ली) : यह तेलगू देशम पार्टी का अंदरूनी मामला है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं क्रम संख्या 16 से 20 के आगे दर्शाई गई मदों का समर्थन करता हूं जिनका संबंध वर्ष 1992-93 के अनुदानों की अतिरिक्त मांगे (सामान्य) और उस उद्देश्य के लिए विधेयक और चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों से है और साथ ही मैं उस उद्देश्य के लिए संगत विनियोग विधेयक का भी समर्थन करता हूं।

हमारे देश जैसे विशाल और विविधता वाले देश जिसे. एक उप महाद्वीप कहा जाता है उसके लिए वार्षिक बजट बनाते समय हर एक बात की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः अनुपूरक मांगे इत्यादि पारित करवाने के लिए लोक सभा के समक्ष आने की आवश्यकता पड़ती है और हमारी कम से कम दो बार बैठक होती है, एक बार मानसून सत्र के दौरान दुबारा, बजट सत्र के अलावा, शीतकालीन सत्र के दौरान और इन सभी अवसरों पर हम देखते हैं कि अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जाती है उस पर चर्चा होती है उसे पारित किया जाता है।

जब अनुपूरक मांगों से इनकार नहीं किया जा सकता है तो उन पर चर्चा करने के लिए तीन वर्ष का अन्तराल क्यों होता है? मैं स्वयं को इस विचार से सहमत नहीं कर पाया हूं। अनुदानों की अतिरिक्त मांगे इत्यादि हैं। इन सभी खातों की लेखापरीक्षा होनी चाहिए और एक वर्ष के अन्तर्गत अंतिम स्थिति दी जानी चाहिए कम से कम उस वित्तीय वर्ष विशेष के बाद वाले में यह तस्वीर दे दी जानी चाहिए। हम अगस्त 1995 में वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान बजटीय प्रावधानों के अतिरिक्त व्यय किए गए कुछ खर्चों को पारित कर रहे हैं और वह भी कोई थोड़ी धनराशि नहीं है। यह राशि 149.78 करोड़ रुपए हैं। दूसरे पैरे पर वित्त मंत्रालय को गौर करना चाहिए था ताकि इस तरह की स्थिति कम से कम उत्पन्न हो।

अनुपूरक मांगों का बजट 29 अनुदानों से संबंधित है जिसकी निवल राशि 1,672.89 करोड़ रुपए है। जैसा कि मैंने अभी-अभी कहा है कि यह व्यय अज्ञात था। हर एक बात की कल्पना नहीं की जा सकती है। अज्ञात खर्चे हो सकते हैं और एक लोक तांत्रिक सरकार अपनी बुद्धिमता से यह पता लगा सकती है कि लोक कल्याण के लिए कतिपय नई परियोजनाओं को लिया जा सकता है और उसके लिए इस तरह की अनुपूरक मांगों में व्यवस्था करनी होगी। यहां पर मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत 550 करोड़ रुपए के एक व्यय की मद का जिक्र कर सकता हूं। वह 550 करोड़ रुपए का एक अनुदान मांग रहा है। यह बात एक दम स्वागत योग्य है। मैं इसके लिए सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। इस खर्चे के बारे में ब्यौरे में जाने पर मैंने देखा कि इसे आने वाले समय में व्यय किया जाएगा। जैसा कि मैने देखा है उन्हें इस धन की आवश्यकता वृद्धावस्था पेंशन के लिए है। कुछ दिन पहले 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधान मंत्री जी ने गरीबी दूर करने के लिए कतिपय बहुत अच्छे कार्यक्रम शुरू करने की घोषण की थी, कतिपय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की घोषण की थी जो गरीब लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए बनाई गई है। वृद्धावस्था पेंशन उन बेसहारा लोगों को दी जाती है, जो बहुत बूढे हो गए हैं जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हो गए हैं और जिन कुछ लोगों की आयु 65 वर्ष से अधिक हो गई है। इन लोगों को वित्तीय सहायता देना राष्ट्र का नितान्त परम कर्तव्य है। 550 करोड़ रुपए की यह खर्च की मद नितान्त स्वागतयोग्य है। इसी तरह से उर्वरक मंत्रालय के मामले में फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया और हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन के लिए यूरिया के अधिक उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, रोकड़ हानि इत्यादि सहित, गैर योंजना ऋण 231.50 करोड़ रुपए बनता है। आप जानते हैं कि कुछ समय पहले मेरे विद्धान मित्र श्री निर्मल कान्ति चटर्जी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रूग्णता का जिक्र कर रहे थे। वह इस समय यहां पर नहीं हैं। वह कहीं चले गए हैं। विदेश मंत्री जी जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था सार्वजनिक क्षेत्र को मुख्य भूमिका निभाने की अनुमति दी जाएगी जैसी कि इससे अपेक्षा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह एक अच्छी बात है। कुछ लोगों ने यह भ्रम फैलाने की कोशिश की कि यह सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध है। उपाध्यक्ष के रूख ने इस बात को निर्मूल कर दिया है। फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया और हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन की बहुत सी इकाइयां हैं और वे रुग्ण हो गई हैं और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड उनके मामले पर विचार कर रहा है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इन दो संगठनों द्वारा नियंत्रित इकाइयों के संबंध में पुनरूद्धार योजना को अंतिम रूप दे दिया है और उसे मंजूर कर लिया है। उसके लिए भी धन की आवश्यकता है। मैं फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के अन्तर्गत तालचेर में एक उर्वरक संयंत्र के लिए मंजूर किए गए 500 करोड़ रुपए के अनुदान का दृष्टान्त दे सकता हूं।

यह भारतीय खाद्य निगम की एक इकाई है। इसके लिए 500 करोड़ से भी अधिक धनराशि की जरूरत है। इस प्रौद्योगिकी को बदल दिया जायंगा। इससे पहले, इस इकाई कोयले पर आधारित प्रौद्योगिकी से चलाया जाता था। भविष्य में इसे नापथा आधारित प्रौद्योगिकी पर चलाया जायेगा। अतः इस तरीके से, विपक्ष की यह दलील कसौटी पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध है।

जैसा कि मैंने कहा ही है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। तालचेर में परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संयत्र है। उस क्षेत्र को विक्रमपुर कहा जाता है। एक ही प्रांगण में दो संयत्र-उर्वरक संयत्र तथा भारी पानी संयत्र स्थित हैं। भारी पानी संयत्र उर्वरक संयत्र से जुडा हुआ है तथा इसी पर आश्रित है, क्योंकि यह उर्वरक संयत्र से आदान प्राप्त करता है। अनेक कारणों से एवं उर्वरक संयत्र में रुग्णता आ जाने के कारण, अंततोगत्वा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित भारी पानी संयत्र को बंद करना पडा। मैं भारत सरकार का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने अन्ततः वहां स्थित उर्वरक संयत्र का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है। अब, भारी पानी संयत्र को बंद करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा तथा संसदीय कार्य मंत्री महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि एक संयत्र जो कि एक संयत्र से सम्बद्ध है—के बारे में सहायता

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

करें। जब उस मुख्य संयंत्र को पुनर्जीवित किया जा रहा है, तो अन्य संयंत्र अर्थात, भारी पानी परियोजना को क्यों बंद किया जा रहा है, जिसके कारण इसमें काम करने वाले कामगार बेकार हो जायेंगे तथा उनके लिए अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो जायेगा। इससे स्थानीय लोगों में भी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है।

उर्वरकों पर राजसहायता तथा अन्य बातों का जहां तक संबंध हैं, मेरे विचार से इन्हे बुआई मौसम के काफी पहले घोषित किया जाना चाहिये। दूसरी बात यूरिया प्रोमोर के संबंध में है। उड़ीसा में इसकी कमी नहीं है। जैसा कि हम उर्वरकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और जैसा कि अनुपूरक मांगों में उल्लेख किया गया है, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस राज्य में सभी प्रकार के उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा में उचित मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करें अन्यथा, इस क्षेत्र में हमेशा कालाबाजारी की आशंका बनी रहती है।

जैसा कि मैंने कहा ही है, अनेक स्वागतयोग्य मदें भी हैं, जिनके लिए कि धनराशि दिये जाने की आवश्यकता हैं तथा इनका उल्लेख अनुपूरक मांगों में किया गया है। मैं इनका हार्दिक समर्थन करता हूं तथा मुझे बोलने का जो अवसर प्रदान किया उस के लिए मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

डॉ० एस० पी० यादव (सम्भल) : माननीय, उपाध्यक्ष जी, यह जो सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड्ज़ फौर ग्राण्ट्स माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत की हैं, मैं इसका जमकर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं कि यह सरकार किसान की नीतियों का विरोध करती है, किसान विरोधी है। यह सरकार अगर इंपोर्ट ड्यूटी को घटा सकती है या कार बनाने की पॉलिसी को लिबरलाइज़ कर सकती है तो क्या किसान के लिए कुछ नहीं कर सकती है? किसान के लिए केवल इतना किया है कि बुआई के समय पर किसान जिस डीएपी खाद का प्रयोग करता है, उसका रेट 1991 में 265 रुपए प्रति बैग था, 1993 में 430 रुपए था और 1995 में उसे बढ़ाकर 492 रुपए किया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसान के लिए आपके पास अगर कुछ नहीं हैं तो कम से कम हर खेत के लिए पानी पहुंचाने का काम ही अगर आप कर दें तो किसान के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। इसके अतिरिक्त गन्ने का समय आने वाला है। मैं बताना चाहता हूं कि गन्ने से सरकार के लिए बहुत लाभ होता है। एक क्विंटल गन्ने से 10 किलो चीनी बनती है। उसका शीरा बनता है, फिर खांड मिलती है। लेकिन किसान के लिए 70 रुपए प्रति क्विंटल रेट दिया जाता है। मैं मंत्री जी अनुरोध करता हूं कि आप इतना विरोध मत करिये और चुनाव का समय आने वाला है, इसलिए किसान को 100 रुपए प्रति क्विंटल का रेट दिलाने का काम कीजिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आप हर चीज़ को डीलाइसेसिंग कर रहे हैं, लेकिन शुगर मिल को डी लाइसेसिंग करने की बात नहीं सोच रहे है। अगर आप इसको कर देंगे तो शुगर मिल्स में पूरे देश का गन्ना अच्छे तरीके से पिलकर चीनी का भारी मात्रा मे उत्पादन हो सकता है। इस समय किसान के लिए जो रेट शुगर मिल्स देती हैं, उसमें कई तरह की बारगेनिंग होती है और कुछ मिल मालिक हैं, कुछ बिचौलिये है जिनकी वजह से किसान को एक्चुअल प्राइस से बहुत कम पैसा दिया जाता है। किसान के साथ सबसे बड़ी समस्या यह हो रही है कि अगर उत्तर प्रदेश या बिहार का किसान है तो वह अपने उत्पाद को अपने राज्य में ही बेच सकता है जबकि हर प्रदेश में गेहूं का रेट अलग अलग है। इसलिए किसानों को हिन्दुस्तान में छूट होनी चाहिए कि वह अपना उत्पाद कहीं भी ले जाकर बेच सकें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, दूसरा सवाल इसमें शिक्षा का है। शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमने देखा कि प्रधान मंत्री जी ने हरियाणा में भजन लाल जी के साथ स्कूलों में दोपहर का भोजन देने का उद्घाटन किया था। यह फ्रॉड बाते हैं। प्राइमरी स्कूलों में बच्चे कम है और टीचर पढ़ाने नहीं जाते है। जो शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उनको देहातों के प्राइमरी स्कूलों की तकलीफ का पता नहीं है कि वहां क्या स्थिति हैं।

अगर चार टीचर्स है तो एक टीचर जाता है बाकी के नही जाते हैं।

एक और ज्वलंत समस्या प्रौढ़ शिक्षा की है। सरकार प्रौढ़ शिक्षा पर काफी धन दे रही हैं लेकिन देखते हैं कि वह प्रौढ़ शिक्षा की जगह फ्रॉड शिक्षा हो गई है और उस प्रौढ़ शिक्षा में जो धन दे रहे है उसका दुरुपयोग हो रहा है। आपके ब्यूरोकेट्स जमकर खा रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइये, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में देखते है कि उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए मेरा अनुरोध है कि आप इसको बंद कर दीजिए और इसके पैसे को प्राथमिक स्कूलों और जो जूनियर स्कूल्स हैं, जिनकी जर्जर हालत हो गई हैं उनमें सुविधा मुहैया कराने के लिए लगाएं।

ग्रामीण विकास के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जवाहर रोज़गार योजना का जो पैसा है उसका आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरह से उपयोग में लेती है और आधे पैसे को वह ग्रामीण विकास के लिए भेजती है जबकि जवाहर रोज़गार योजना का पैसा केन्द्र सरकार देती है। आपको यह देखना चाहिए कि जे.आर. वाई. के पैसे का दुरुपयोग प्रदेशों में नही होना चाहिए।

भूतल परिवहन के संबंध में आपने देखा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति दयनीय हो गई है। दिल्ली से लखनऊ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह बहुत ही जर्जर अवस्था में है और आए दिन उसमें दुर्घटनाएं होती हैं।

जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई में पिछले साल 6495 करोड़ रुपया आपने 1994-95 में लिया है। लेकिन आज पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बाढ़ की भयंकर स्थिति है। गंगा का कटाव हो रहा है। वहां पैसे का दुरुपयोग हुआ है। उस पैसे को कहां लगाया? सप्लीमेंट्री डिमाण्ड के जरिये आप और पैसा मांगने जा रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि आप जो पैसा लेते है उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए आपको देखना चाहिए। आपका दायित्व तब पूरा होता है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाई गुड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

कुल 149.78 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अनुदानों की मांगे पेश की गई हैं, क्योंकि वर्ष 1992-93 के दौरान 10 अनुदानों में अतिरिक्त व्यय किया गया है। इन्हें इस सभा के समक्ष पारित करने हेतु रखा गया है।

(व्यवधान)

अधिक व्यय को हमेशा अप्राधिकृत व्यय माना जाता है। ऐसा वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण होता है। विद्यमान मशीनरी इस अतिरिक्त व्यय को उक्त अवधि में नियंत्रित करने में पूर्णतया विफल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभागों पर कोई वित्तीय एवं बजटीय नियंत्रण तथा वित्तीय अनुशासन नहीं है।

दूरसंचार सेवाओं के मामले में, वर्ष 1992-93 के दौरान अनुदानों की अनुपूरक मांगे 0.01 करोड़ रुपये तथा अतिरिक्त मांगे 25.53 करोड़ रुपये थी। अतिरिक्त व्यय अनुपूरक अनुदानों की तुलना में 2500 गुणा अधिक है। ऐसा

कैसे सम्भव हो सकता है? सड़कों के मामले अर्थात् मांग संख्या 75 में जहां कि देश भर में कोई सुधार नहीं हुआ है—अनुपूरक अनुदान 13.65 करोड़ रुपये था, जबकि अतिरिक्त व्यय 6.46 करोड़ रुपये था। यहां अतिरिक्त व्यय अनुपूरक अनुदानों के आधे से भी अधिक है।

डाक सेवाओं के मामले में—जोकि बहुत अलोकप्रिय हो चुकी है तथा जिनका स्थान व्यावहारिक रूप से कोरियर सेवाओं ने ले लिया है—अतिरिक्त व्यय लगभग 21.46 करोड़ रुपये है। यह भी देखा गया है कि 19 अनुदानों अथवा वर्ष 1992-93 के दौरान विनियोगों में से प्रत्येक अनुदान में 100 करोड़ से अधिक रुपये की बचत है। इस प्रकार के अतिरिक्त व्यय तथा बचतों दोनों ही से यह सुस्पष्ट संकेत मिलता है कि बजट प्रावधान दोषपूर्ण हैं तथा सार्वजनिक धनराशियों का दुरुपयोग करने की अवांछित प्रवृत्ति विद्यमान है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे बजट नियंत्रण को इस तरह से बनाये रखना चाहिये कि इन बातों की पुनरावृत्ति न हो।

वर्ष 1995-96 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के लिए 4417.19 करोड़ रुपये का प्रावधान अनुदानों की अनुपूरक मांगों के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा इसमें वर्ष 1995-96 के लिए प्रस्तुत हमारे मूल बजट से लगभग 2.5 प्रतिशत की वृद्धि है।

उर्वरक विभाग के मामले में, 238.51 करोड़ रुपये अनुपूरक अनुदान के रूप में रखे गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि बजट में राशि बढ़ाये जाने के बावजूद किसानों को सस्ती दर पर उर्वरक उपलब्ध क्यों नहीं हो रहे हैं? सरकार हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाले उर्वरक उद्योगों को क्यों बंद करने की कोशिश कर रही है? सरकार उर्वरकों पर से राजसहायता क्यों कम कर रही है?

दूरसंचार के लिए, 7.01 करोड़ रुपये अनुपूरक अनुदानों के लिए रखे गये हैं। लेकिन हमारे देश में दूरसंचार की क्या स्थिति है? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दूरभाष सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तथा देश के लगभग सभी स्थानों पर लगे वर्तमान दूरभाष सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। उत्तरी बंगाल में, दूरसंचार की समस्या अति विकट है। यदि सरकार की नीति दूरसंचार की मूल सेवाओं का निजीकरण करने की है, तो इस बजट की आवश्यकता ही क्या है? मुझे इस के बारे में जानकारी नहीं है।

शिक्षा विभाग के मामले मे, 817.73 करोड़ रुपये अनुदानों की अनुपूरक मांगो के रुप में रखे गये हैं। इसमें से अधिकतर धनराशि प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करने के कार्यक्रम हेतु नियत किये गये हैं। यह योजना अपने आप में बहुत अच्छी एवं लुभावनी है। लेकिन हमें इस धनराशि के उचित उपयोग के बारे में बिल्कुल संदेह है तथा यह भी संदेह है कि इस योजना को सही दिशा में लागू किया गया है अथवा नहीं। उच्च शिक्षा के निजीकरण के उद्देश्य से बजट में इसकी उपेक्षा की जा रही है। मैं सरकार का ध्यान उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त बजट-प्रावधान की ओर दिलाना चाहता हूं।

ग्रामीण विकास विभाग के मामले में, 0.04 करोड़ रुपये अनुदानों की अनुपूरक मांगों के रूप में रखे गये हैं। यह अनुदान गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना कार्यान्वित करने हेतु हैं। लेकिन इस धनराशि का सही उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि यह देखा गया है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यहां तक कि जवाहर रोज़गार योजना के अंतर्गत भी आबंटित धनराशि का मात्र 14.3 प्रतिशत राशि ही गरीब लोगों तक पहुंच पाती है।

संचार (सड़क) विभाग के मामले में, 20 करोड़ रुपये राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण-कार्यों के लिए नियत किये गये हैं। हमें दिये गये पेपरों में पांच अथवा छः ऐसे राज्यों का उल्लेख किया गया है।

महोदय, आप जानते ही हैं कि उत्तरी बंगाल में हाल ही में आई बाढ़ के दौरान, अनेक पुल ध्वस्त हो गये तथा सड़क संचार भी अस्तव्यस्त हो गया है। इस बारे में भारत सरकार को अनेक पत्र लिखे जा चुके हैं, परन्तु आज तक उनका कोई उत्तर नहीं मिला है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करे।

महोदय, इनमें से एक राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा है, जोकि लगभग केन्द्रीय सरकार के अधीन है। अतः सरकार को क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत से संबंधित कार्य तत्काल शुरू करने चाहियें, ताकि सड़क संचार-व्यवस्था पुनः चालू हो सके, जोकि इस क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

लगभग सभी विभागों में, सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने के लिए अत्यंत कृत संकल्पित एवं इच्छुक है। लेकिन सरकार इस देश की मूल समस्याओं को हल करने के बारे में चुप है। मैं इन मूल समस्याओं की आपको जानकारी देना चाहता हूं। ये समस्याएं हैं : (1) बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है; (2) भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने में लापरवाही बरती गई है; (3) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने में लापरवाही बरती गई है; (4) बाढ़ नियंत्रित करने तथा सुखे का सामना करने के लिए कोई व्यापक आधारभूत योजना तैयार नहीं की गई है; (5) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बजट में कोई योजना नहीं बनाई गई है; तथा (6) रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाने और बंद उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए कोई सच्चा प्रयास नहीं किया गया है।

अतः, महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस देश की जनता की इन मूल समस्याओं का समाधान करने के लिए बजट में नए सिरे से प्रावधान किये जायें।

[हिन्दी]

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं अतिरिक्त मांगों की अनुदान एवं सप्लीमेंटरी डिमांडस के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। वर्ष 1992-93 के लिए इसमें अतिरिक्त डिमांड्स की गयी है। यह पुराना पाप हम आज भोगने जा रहे हैं और उसमें भी उन्होंने संचार विभाग के लिए 25 करोड़ की मांग की है जो केवल खरीदने के लिए है।

माननीय सभापति जी, पिछले समय में मैंने केबल चोरी के बारे में एक प्रश्न किया था और उसमें यह पाया गया कि उस चोरी में अधिकारी भी शामिल हैं। क्या मिल-जुलकर केबल की चोरी करवाकर कोई धंधा किया जा रहा है? इसी तरह इन्होंने अतिरिक्त भुगतान मांगा है। जो पूरक मांगें यहां पर रखी हैं, मैं जानना चाहता हूं कि ये हालत क्यों पैदा होती है? हमारे संसदीय कार्य मंत्री विद्याचरण शुक्ल जी हैं। कहते है कि हमारे पथरिया गांव में इनके गुरू बसते हैं। ये हर पंद्रह दिन में वहां हैलिकाप्टर से जाते हैं। दो वर्ष से लगातार ऐसा चल रहा है कि बरसात के मौसम में वहां पंहुचते हैं। एक बार तो सारे प्रशासन की गाड़ियां वहां पहुंच गई और वहां बहुत वर्षा हो गई। नदी पर एक पुल बह गया जिसके कारण सारा यातायात जाम हो गया। वहां के कलेक्टर श्री भट्ट थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप बताइए कि मैं क्या करूं, किस गरीब के दरवाजे पर जाऊं, कौन सा काम

देखूं? सारे के सारे वाहन फंसे हुए हैं। मैं उनके गुरू से भी मिला। वे कहने लगे कि हम तो अपने शिष्य से खुद ही परेशान हैं। यहां बार-बार आते हैं और इनके साथ रूसी पठान आदि लोग भी आते हैं। जो इनके और शिष्य हैं, वे सब डरकर भाग गए। अब उनके पास कोई नहीं है। बमकांड में ये लोग शामिल थे। क्यों न इस तरीके से ये सारी की सारी अतिरिक्त मांगे बढ़े।

कई ऐसे कारण है। अब यह कहते है कि महंगाई के कारण हमें यह पैसा मांगना पड़ा, यह जो पेंशन देनी पड़ रही है, तो महंगाई कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी? हालात यह हैं कि भूख से तड़पते इन्सान को रोटी न मिल पाये, भटकते नौजवान को रोजी नहीं मिले, तुम्हारी सियासी तकरीरों को चाटें, भाई नंगे को अगर लंगोटी नहीं मिले? यह हालात हैं।

यह कृषि की बात करते हैं, कृषि की इन्होंने नई नीति बनाई है। जाखड़ साहब कहते हैं कि हम हर जिले के भीतर कृषि विज्ञान केन्द्र खोलेंगे, लेकिन कृषि विज्ञान केन्द्र उन्होंने केवल उन्हीं स्थानों पर खोले हैं, जहां पर उनके प्रभावी लोग हैं, बाकी जहां पिछड़े हुए जिले है, जैसे पन्ना, दमोह, छतरपुर, वहां नहीं खोले, यह हालात हैं।

अनुदान किसको देना चाहिए, किसान को देना चाहिए, गौ संवर्धन के लिए देना चाहिए। अभी यहां एक विधेयक हदबन्दी का आया था, एक तरफ तो हम छोटी जोत की बात करते हैं और जो बैल से खेती करते हैं, जो कि गौ संवर्धन से पूरी की पूरी जुड़ी हुई है, उनको नहीं देकर फर्टिलाइजर के उद्योगपतियों को आप दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। अब यह सब पूरा का पूरा अच्छा खेल हो रहा है। भारत का मूल धन्धा तो कृषि है, कृषि का यदि आपको उत्पादन बढ़ाना है, उसको सक्षम करना है, तो आपको उसके मूल तत्व को समझना पड़ेगा और इसलिए यह आवश्यक है कि गौ संवर्धन के लिए यह रुपया अनुदान में देना चाहिए ताकि कृषि के लिए बैल मिलें, उसके लिए गोबर मिले। यह गोबर गैस के लिए अनुदान देते तो हम इनको बहुत बधाई देते। आज गांवों में जलाऊ लकड़ी की समस्या है, लोगों को जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध नहीं है। पण्डित नेहरू बहुत दूरदर्शी थे, वह विदेश से जाकर आइपोनिया बेसरन को लेकर आये थे, वह जानते थे कि हमारे मित्र लोगों के मारे जंगल तो बचने ही नहीं हैं और गरीबों को रेटी के लिए केवल वह बेसरन की लकड़ी ही काम आयेगी, वह बहुत दूरदर्शी थे, इसलिए वह आइपोनिया लाये। उसकी जगह-जगह फेंसिंग बनी हुई हैं, उसी से गरीब लोग काट काटकर रोटी बना रहे हैं, यह हालात हैं। यह गौबर गैस को अनुदान देते तो हम इनकी प्रशंसा करते।

इसी तरह स्कूल के बच्चों के खाने के लिए, भोजन के लिए इन्होंने प्रावधान किया है। आप गांव में चलिये, वहां स्कूल नहीं हैं, छप्पर नहीं हैं, पेड़ के नीचे बच्चे बैठ रहे हैं, शिक्षक नहीं हैं, इसके बावजूद भी आप पैसा किसको दे रहे हैं? आप पेड़-पत्तों को खिलायेंगे? यह पैसा उन लोगों की जेब में जाने वाला है, जो इसके ठेकेदार हैं, जिनको यह सप्लाई करने का लाइसेंस मिलेगा, वह सब इसको हड़प जायेंगे। यह अब तक होता रहा है, इसकी अभी तक समीक्षा नहीं की गई, कई बार इसके प्रश्न भी उठाये गये हैं, बहुत सी बातें हैं, जिनके कारण हमें ऐसा लगता है कि यह भारत के विकास के लिए नहीं हैं, ग्रामीण विकास के लिए नहीं हैं। आज वहां आने जाने के लिए रास्ते नहीं है, एप्रोच रोड नहीं हैं, सड़कें नहीं है, पीने का पानी नहीं हैं, गरीब लोग केवल इसलिए बीमार हो रहे हैं कि उनको शुद्ध पेयजल नही मिल रहा। हमारे क्षेत्र में एक गांव में 10-15 लोगों की पेयजल के कारण मृत्यु हो गई। उनको हैजा ओर मलेरिया हो गया, इसलिए वह लोग मर गये। आज मलेरिया की कोई रोकथाम नहीं हैं, मैं खुद मलेरिया से पीड़ित हूं, मेरी आवाज नहीं निकल रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यहां भी आप लोगों को सुविधा नही जुटा पा रहे हैं तो गांवो और गरीबों के लिए आप कैसे काम करेंगे, इसकी कोई चिन्ता नहीं है। पैसे का पूरा दुरुपयोग हो रहा है।

सिचाई की कोई योजना नहीं है, इसमें आपने प्रावधान किया है, लेकिन किसके लिए किया है, वर्षों से अंग्रेजों के जमाने के डैम बने हुए हैं, उनकी नहरें टूट गई हैं, उन नहरों को जोड़ने के लिए, उन नहरों को ठीक करने के लिए, ताकि सीपेज रुके।

पानी सीधे किसान के खेत में जाये, इसका कोई प्रावधान नहीं है। ये ग्रामीण विकास की बात कर रहे है। पुलिया नहीं है, गांव में आवागमन के साधन नहीं है। शुक्लजी जानते हैं कि कैसे नदी के ऊपर पानी आ गया और पुल नहीं होने के कारण वहां वाहन जाम हो गये थे, वह अत्यंत पिछड़ा हुआ इलाका है। पन्ना, छत्तरपुर जिले अविकसित जिले हैं, यहां कोई आवागमन के साधन नहीं है।

शिक्षण संस्थाये ठीक नहीं हैं। शिक्षकों की पूर्ति के लिए रुपया लगता, स्कूल बनाने के लिए रुपया लगता तो इस पैसे का उपयोग होता। मैं एक विचित्र बात आपको बताना चाहता हूं। कृषि के सम्बन्ध में अभी वाटरशेड योजना चली है। हमारे क्षेत्र में एक विकसित खंड में दो करोड़ रुपए की योजना है। उसका उद्देश्य यह है कि जमीन का कटाव रुके, पानी रुकने की क्षमता बढ़े।

6.56 म०प०

[अध्यक्ष महोदय-पीठासीन हुए]

किसानों को सिचाई के साधन उपलब्ध हों, लेकिन ये क्या कर रहें हैं। ये केवल उन तमाम जगहों पर खस लगा रहे है। पूरे का पूरा खस हर साल बह जाता है, हर साल लगाया जाता है। दो करोड़ रुपये में ये लगभग 75 प्रतिशत रुपया खर्च हो गया है, लेकिन वाटरशेड में कोई कमी नहीं हुई है। मेरा सुझाव है कि सबसे पहले आप बुलडोजर्स से जमीन को समतल करे ओर उसका कटाव रोका जाये। जो वाटरशेड में पिछड़े इलाके आते है उनको समतल करें। सिचाई के साधन मुहैया कराये जायें। यदि कोई नहर है, बांध है वहां लिफ्ट के द्वारा पानी खेतों में दिया जा सकता है........

अध्यक्ष महोदय : आप किस मुद्दे पर बोल रहे हैं, इसीलिए समय लगता है। हमें सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर बोलना है और एक्सेस डिमांड्स पर बोलना है।

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : जो पैसा बेकार जा रहा है, जो अतिरिक्त पैसा मांग रहे है उस पर बोल रहे है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए समय नहीं बचता और काम पूरा नहीं होता। आप किस डिमांड पर बोल रहे हैं?

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : कृषि पर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर में अगर पानी के लिए पैसा रखा है तो उसके लिए बोल सकते है।

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : उसी पर बोल रहे हैं, अगर इरोजन हुआ है तो उस पर बोलना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : वह कहां हैं? आप सारे बजट पर नहीं बोल सकते।

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : यह हालत इन्होंने पैदा कर दी हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया.......

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं। मिनिस्टर को भी आब्जेक्शन नहीं है, जैसे बजट पर बोल रहे हों। दूसरा बिजनेस कैसे होगा।

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : हालत यह है कि :

जोर से और जुल्म से शुरू होती है, किसी गरीब के रोने से शुरू होती है।

भस्म होते है तख्त-ए-ताउस श्रीमन्, जब आग किसी कोने से शुरू होती हैं।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हरि किशोर सिंहजी, आपको कुछ बोलना है। अगर बोलना हो तो किसी खास डिमांड पर बोलें। सप्लीमेंटरी बजट पर या एक्सेस बजट पर जिस मुद्दे पर पैसा मांगा है उसी पर कह सकते है और किसी पर नहीं। पूरे बजट पर नहीं बोलना है। अगर कोई मुद्दा है तो मैं आपको अलाऊ करूंगा।

7.00 म० प०

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : सप्लीमेंटरी डिमांड पर बोलना है, जो पैसा मांगा जा रहा है, उस पर कुछ कहना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य लगता है कि सरकार किस गति से चल रही है। इसका एक नमूना है कि अंदाज नहीं है पैसा कहां खर्च होगा और कहां नहीं होगा। मै नहीं समझता कि सरकार को ज्यादा पैसा देना चाहिए। क्या इसलिए ज्यादा पैसा देना चाहिए कि देश में बेकारी बढ़ रही है, क्या इसलिए ज्यादा पैसा देना चाहिए कि श्रमिक वर्ग में असंतोष है?

क्या सरकार को इसलिए ज्यादा पैसा देना चाहिए कि देश में और खास कर बिहार में जो बाढ़ की स्थिति आई है, उत्तर प्रदेश में भी आई है, जिसमें हजारों एकड़ जमीन का नुकसान हुआ है और किसान प्रभावित हुए हैं। यह सरकार कुछ करने में असमर्थ है और उसने सिंचाई के लिए प्रावधान किया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों? बिहार में हर दूसरे तीसरे साल बाढ़ का सिलसिला चालू रहता है। यह सिलसिला नेपाल में आई बारिश के कारण होता है और नुकसान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को होता है। केन्द्र सरकार से बार-बार आग्रह किया है कि वह नेपाल सरकार से बात करके इस संबंध में कोई नीति अपनाए। कोई नीति अख्तियार करके बाढ़ पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, जिससे किसान को नुकसान न हो। लेकिन इस दिशा में सरकार कुछ नहीं कर रही है और ऐसा लगता है कि सरकार की कोई नीति नहीं है।

महंगाई बढ़ रही हैं और (डी. ए) बढ़ाने की मांग हो रही है। इन्फलेशन का रेट सिंगल डिजिट हो, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। जब महंगाई बढ़ रही है, तो क्या इसका असर फ्रीडम फाइटर पर नहीं हो रहा है, उनके लिए महंगाई नहीं बढ़ रही है। फ्रीडम फाइटर के लिए भी डी.ए. क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि उनके लिए भी कोई फार्मूला निकाला जाना चाहिए, ताकि फ्रीडम फाइटर की पेंशन में वह सुविधा दी जा सके।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं, शिक्षित बेरोजगारों को सरकार कोई रोजगार नहीं दे पा रही है, तो कम से कम उनको महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए और मेरे विचार से कम से कम 500 रूपये दिए जाने चाहिएं। पिछले दिनों सरकार ने कई घोषणायें की है, जिनमें मिड-डे-मील की योजना भी है, जिसकी हम सराहना करते है, लेकिन इस योजना का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल होगा, क्योंकि इस का भी काफी कटु अनुभव है। इसलिए सरकार इस योजना पर विचार करे और जो पैसा इन योजनाओं से बचा सके, उसको स्कूलों की मरम्मत के लिए दें। खास कर यह पैसा महिला शिक्षा के विकास के लिए दिया जाना चाहिए।

एक और योजना है, जो बहुत चर्चित है, वह है प्रौढ़ शिक्षा योजना। लेकिन उसका जिस तरह से अनुपालन हुआ है और उस पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उस के बारे में हमारे श्री एस. पी. यादव जी बता चुके हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। यह सारा पैसा बेकार चला जा रहा है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा योजना पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उसको देखा जाए और वह पैसा स्कूल के प्राइमरी, माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च किया जाए, जिससे देश में ज्यादा शिक्षा का प्रसार हो। हमें इस तरह का क्रैश कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे देश में कोई अशिक्षित न रह जाए।

सरकार की नई आर्थिक नीति आई है, उससे जो प्रगति होगी, उसमें सरकार को भी संकोच हो रहा है। आठवीं योजना के मध्य में जो समीक्षा होती है, वह भी सरकार करने में अपने को असक्षम पा रही है। कुछ कटु सत्य आ रहे हैं, जो सरकार की नीति और सरकार की घोषणाओं के खिलाफ जा रहे है। एक सबसे बड़ी चीज जो सामने आ रही है, वह है क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ रहा है। जो पूंजीनिवेश हो रहा है, वह भी सिर्फ तीन चार सूत्रों में हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, आन्ध्र में हो रहा है और हरियाणा में तो जापानी सिटी बन रही है।

अध्यक्ष महोदयः ऐसा नहीं है। इसका इससे संबंध नहीं है।

श्री हरि किशोर सिंहः एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की अपनी कुछ नीति हो और वह उस पर पुनर्विचार करे। मैं यह नहीं कहता कि सरकार की नई आर्थिक नीति गलत है। लेकिन नई आर्थिक नीति की वजह से विषमता देश में बढ़ रही है, क्षेत्रीय असन्तुलन देश में बढ़ रहा है। जो पिछड़े इलाके हैं, उनमें पूंजीनिवेश नहीं हो रहा है। उसके संबंध में सरकार विचार करे। इस तरह से मैं चाहता हूं कि सरकार कार्पोरेट टैक्सेस में से राज्यों को सही अनुपात से हिस्सा दें, एक्साइज ड्यूटी में से राज्यो को हिस्सा दें। सरकारिया कमीशन की अनुशंसा के अनुसार आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाए, ताकि सभी राज्यो का संतुलित विकास हो सके और अगली शताब्दी में शक्त और क्षमता से निःसंकोच आगे बढ़ सके।

श्री चुन चुन प्रसाद यादव (भागलपुर) : मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कौन सी डिमांड पर बोलना चाहते है?

श्री चुन चुन प्रसाद यादव : जो डिमांड्स रखी गई हैं उन पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा-थोड़ा बोलने का क्या मतलब है? क्या आपने डिमांड्स को देखा है?

श्री चुन चुन प्रसाद यादव : हां मैंने देखा है।

अध्यक्ष महोदय : तो बताइये किस डिमांड पर बोलना चाहते है तभी में अलाऊ करूंगा।

श्री चुन चुन प्रसाद यादव : मैं बता रहा हूं कि किस पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जिस विषय में डिमांड्स रखी गई है, उन्हीं पर बोल सकते है, अन्य विषयों पर बोलने का अधिकार इस समय नहीं होता। जिन विषयों में पैसा मांगा गया है उनके बारे में बताइये कि किस में कम पैसा मांगना चाहिए, किस में ज्यादा पैसा मांगना चाहिए।

श्री चुन चुन प्रसाद यादव : मैं वहीं बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता निर्मल बाबू ने अतिरिक्त डिमांड एवं सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर जो अपने विचार प्रकट किये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। पहले बजट प्रस्तुत किया गया, उसके बाद सप्लीमेंटरी बजट आया, फिर से अब अतिरिक्त डिमांड्स रखी गई है, जोकि उचित नहीं है। मैं इनका विरोध करता हूं। इस मार्च में बजट के समय जो वादे किये गये थे, नई आर्थिक नीतियों पर विचार प्रकट किये गये थे, बड़ी-बड़ी कम्पनीज को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन सबका लाभ सिर्फ संसाधन सम्पन्न लोगों को मिलने वाला है, गरीब लोगों को मिलने वाला नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। लघु उद्योग जोकि किसानों और गरीब लोगों से सम्बन्धित है। जिनमें पढ़े-लिखे बेरोजगार युवक काम कर रहे है, अधिक लोग इसमें लगे हुए हैं और भारी उद्योगों में कम लोग लगे हुए हैं। लेकिन मांग संख्या 4 में लघु उद्योगों के लिए 3.93 करोड़ रुपया मांगा गया है और बड़े उद्योगों के लिए 96.96 करोड़ रुपया मांगा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र की कितनी उपेक्षा की गई है। किसान जो समूचे देश का पेट पालता हैं क्षुधा दूर करता है, लेकिन आज हालत यह है कि वह अपने बाल-बच्चों का पेट पालने में असमर्थ है। सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण किसान की यह हालत हुई है। पहले हम लोग पढ़ा करते थे-उत्तम खेती-मध्यम बान, निखद चाकरी-भीख निदान। लेकिन आज स्थिति यह है कि सरकार की नीतियों के चलते खेती का जो उत्तम स्थान था वह भीख निदान के स्थान पर आ गया है। भिखारी तो दिन भर भीख मांगकर अपना पेट पाल लेता है, परन्तु किसान की स्थिति उससे भी बदतर हो गई है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी सरकार शिक्षा पर जोर दे रही है।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, एग्रीकल्चर में सिर्फ मार्केटिंग के लिए पैसा मांगा गया हैं।

श्री चुन चुन प्रसाद यादव : एक मिनट में समाप्त करूंगा। पुरातन काल में देश में तीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे।

तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। विक्रमशिला में खुदाई की गई तो काफी कीमती सामान निकला। हमने एक प्रश्न भी किया था और उसके जवाब में कहा गया था कि उसपर शेड बना दूंगा। मैं चाहता हूं कि सरकार उसपर म्यूजियम बनाए। जो सामान बाहर भेजा है उसको वापस ला करके म्यूजियम में रखें क्योंकि यह भागलपुर का बहुत प्रसिद्ध और पुराना विश्वविद्यालय था और इसके चलते भागलपुर का नाम बहुत उजागर शुरू से हुआ है। मैं चाहता हूं कि सरकार सामान वापस मंगाकर वहां पर म्यूजियम बनाये। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सर, मैं बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस पर बोल रहे हैं। मैं सबको समय दूंगा। आप बताईये।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, 1992-93 में जो अधिक खर्च किया है और विनियोग विधेयक 1995 में जो मांग की गई है उसपर मैं बोलूंगा और शिक्षा पर मैं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होता है। जिस काम के लिए उन्होंने ज्यादा पैसा मांगा है उसके लिए बोल सकते है। आप किसके लिए बोल रहे हैं, बताएं?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : 1992-93 में जो अतिरिक्त खर्च किया है जो वित्तिय अनुशासनहीनता का परिचय दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नही कह सकते हैं। यह रूल्स कहते हैं कि एक्सेस डिमांड और सप्लीमेंट्री डिमांड जब होती है तो जिसके लिए उन्होंने ज्यादा पैसा मांगा है, वह गलत मांगा है या सही मांगा है उसके लिए बोल सकते है। कौन सा है, अब आप बताइये?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : ग्रामीण विकास पर 4 लाख रुपये बढ़ाया जाये। इन्होंने मांगा हैं। इस पर हमारा कहना है कि और भी पैसा.... बढ़ाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : किसके लिए?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : ग्रामीण विकास पर मांगा हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, ठीक है। बताईये?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्योंकि गांव पिछड़े हुए हैं इसलिए वहां पर स्कूलों की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई है दोपहर में खाना देने की लेकिन जब विद्यालय ही नहीं होगा तो आप कैसे खिला सकते है। गांव से आदमी भाग रहा है इसलिए शहरो में दबाव बढ़ रहा है। आपको इसमें ज्यादा पैसा रखना चाहिए था जिससे ग्रामीण विकास हो सके। दूरसंचार में ज्यादा पैसा इन्होंने मांगा है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की चलाई हुई यह योजना है कि गांव में हम बेहतर दूरसंचार की सुविधाएं दे। इन्होंने जो अरबों रुपया खर्च करके ये मशीनरी एम.ए.आर.आर.पी.सी.ओ. गांव में ले गए है वह खराब है। जहानाबाद में जिस क्षेत्र से मैं आता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर आप जांच करवाएं तो सारी की सारी मशीनरी खराब है। सरकार ने भी कबूल किया था कि खराब मशीनरी दे दी गई है और हमने उसको रोक दिया है, उनको ब्लैक-लिस्टिड कर दिया है। लेकिन अभी तक उसको हटाया नही गया है। जिससे कोई लाभ नही है उसकी योजना की क्या जरूरी है? इसको कौन देखेगा। अध्यक्ष जी, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं और इसी का मैंने विरोध किया है।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सर, मैं बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया केवल टैक्सटाईल पर ही बोलिये।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : एजुकेशन पर।

अध्यक्ष महोदय : एजुकेशन की किस डिमांड पर बोल रहे हैं बताइये? पैसा किस लिए मांगा है, इसी पर आपको बोलना है। सब तरफ नहीं बोलना है।

श्री मोहन रावले : ठीक है, सर।

अध्यक्ष महोदय : आप शिक्षा पर बोलना चाहते हैं, तो बोलिए।

श्री मोहन रावले : धन्यवाद, महोदय।

महोदय, टैक्सटाइल में माड्रनाइजेशन का बिल कल पास हुआ, लेकिन अभी भी माड्रनाईजेशन होने के लिए डेढ़ साल लग जायेंगे। मिल के लिए पूरा कपास और वर्किंग कैपिटल देने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। वह एन.टी.सी. मिल में उसका प्रावधान करे। शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने दोपहर में जो खाना दिया है, वह अच्छी बात है। लेकिन खाने के साथ-साथ अच्छी शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। महोदय, आंगनवाड़ी में पांच लाख महिलायें सीखाती है। उनको वेतन दस-बारह साल से सिर्फ चार सौ रुपया दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि उन महिलाओं को परमानेंट करना चाहिए।

उन्हें परमानेंट करना चाहिये और उनका वेतन ठीक होना चाहिये।

लड़कियों को जिस तरह से शिक्षा मुफ्त दी जाती है उसी तरह से लड़कों को भी शिक्षा मुफ्त दी जानी चाहिये। संविधान में भी इस बात का प्रावधान है कि सातवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दी जायेगी लेकिन इसका पूरी तरह से इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है। लड़कियों को मुफ्त खाना देने की जो योजना बनायी गई है, उसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसमें लड़के का कोई दोष नही है। उसे भी मुफ्त खाना दिया जाना चाहिये। गरीबी जैसे लड़की के घर में होती है, वैसे ही लड़के के घर में भी होती है।

यूरिया के बारे में इसमें लिखा हुआ है। यूरिया के दाम इंटरनेशनल मार्किट में जब 202 डालर थे, उस समय यूरिया खरीदा नही गया। जिस पार्टी ने 29 अप्रैल 1995 को कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसने 1 लाख 60 हजार टन यूरिया सप्लाई करना था, वह उसने सप्लाई नहीं किया। जब उसके दाम 245 डालर हो गये, तब यूरिया खरीद कर सप्लाई किया गया। इससे आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गये। यही हाल चीनी का था। जब उसके दाम इंटरनेशनल मार्किट में 450 डालर हो गये, तब उसे खरीद लिया गया। इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। फर्टिलाइजर पर भी सबसिडी देनी चाहिये।

इतना ही मुझे निवेदन करना था। आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बी० राज रविवर्मा (पोल्लाची) : मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : किस मांग पर आप बोलना चाहते है? ठीक है, आप बोल सकते है।

श्री बी० राज रवि वर्मा : महोदय, इस अनुपूरक अनुदानों की मांग में बजट के वित्तीय भ्रमों को ठीक करने के लिए हमारा बार-बार किये गये अनुरोध पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया गया है। घाटे को पूरा करने के लिए वित्तीय स्थिति का ध्यान रखने का वित्तमंत्री का वचन खोखला निकला है। 7 जुलाई को, केन्द्र का बजट घाटा बढ़कर 18953 करोड़ रुपये हो गया था जिससे घाटा पूरा करने के लिए किया गया केन्द्र तथा भारतीय रिजर्व बैंक का समझौता बेकार हो गया था। यह वर्ष 1995-96 के लिए लक्षित वर्ष के अन्त के बजट घाटे से लगभग चार गुना अधिक है। मूल लक्षित घाटा केवल 4000करोड़ रुपये था। अभी हमारे पास सात माह का समय है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वर्ष के अन्त में घाटा कितना होगा।

सरकार यह ढिंढोरो पीटती है कि उसके पास 17.6 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। हॉं, यह अभी निकट भविष्य के आयातों के लिए पर्याप्त है। लेकिन सरकार के अनुसार, नई आर्थिक नीति आश्चर्यजनक ढंग से कार्य कर रही है और इसलिए निवेश तथा औद्योगिक विकास में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप आयात की मांग अधिक होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह नीति के मुद्दों पर नहीं है।

श्री बी० राज रवि वर्मा : इससे संसाधनों की अत्यधिक कमी हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन की समस्या हो सकती है। अतः, मैं माननीय वित्तमंत्री से सभा को इस बात से अवगत कराने का अनुरोध करता हूं कि सरकार इस समस्या से कैसे निपटेगी।

केन्द्र सरकार राज्यों को महिमामण्डित नगरपालिकाएं बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केन्द्र राजनैतिक रूप से संविधान के संघीय स्वरूप के विरुद्ध विधान के माध्यम से राज्यों की शक्तियों को हड़पकर रही है। आर्थिक क्षेत्र में, जबकि राज्यों को केन्द्र के वित्तीय दण्ड की पद्धति को सहन करना पड़ता है, करों आदि के माध्यम से प्राप्त राजस्व में राज्यों को उचित भाग प्रदान नहीं किया जाता है।

अध्यक्ष महोदयः इसे रिकार्ड कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जा रहा है। कृपया ऐसा न करें, इसमें बताया गया है कि इसका इन मांगों में कोई संबंध नहीं है।

श्री बी० राज रवि वर्मा : महोदय, क्या मैं अपने राज्य के बारे में कुछ शब्द कह सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। आप ने अभी बोला है। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइयें।

मंत्री महोदय, आप केवल उन प्रश्नों का ही उत्तर देंगे जो आपकी अतिरिक्त तथा अनुपूरक मांगो में अन्तर्विष्ट है, अन्य प्रश्नों का नहीं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति): मैं प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आज हम वर्ष 1992-93 की अतिरिक्त अनुदान की मांगों तथा वर्ष 1995-96 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहें है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है।

सर्वप्रथम, मैं अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा करना चाहता हूं। वर्ष 1992-93 में विनियोजन के लिए 94 अनुदानों में से दस अनुदानों में कुल 149.79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय था। इस परिव्यय की लोक लेखा समिति द्वारा जांच की गई है और उन्होंने अपने प्रतिवेदन में इसे नियमित किया है। इस अतिरिक्त परिव्यय को नियमित करने का कार्य अब इस सदन का है। व्यय की अतिरिक्त मांगों के प्रमुख क्षेत्रों में से एक क्षेत्र रक्षा सेवाओं का था जो लगभग 53.23 करोड़ रुपये हैं और जो मुख्यतया विगत वर्ष की आगे लाई गई देयताओं, विनिमय दर विभिन्नताओं, सीमाशुल्क में कमी, बोनस की अदायगी तथा जल तथा

विद्युत के लिए टेरिफ दरों में अत्यधिक वृद्धि के कारण है। दूरसंचार दर लगभग 25.5 करोड़ रुपये मुख्यतया केवल खरीदने पर खर्च किए गये हैं और डाक प्रभार दर 21.46 करोड़ रुपये का अधिक परिव्यय मुख्यतया अधिक पैंशन मामलों के निपटान के कारण किया गया था। इसमे अतिरिक्त रुपये की......

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: आप अपनी पैंशन संबंधी मांगों का पूर्वानुमान क्यों नहीं लगा सके। यह बहुत विचित्र बात है। आप ऐसा क्यों नहीं कर सके? यह निश्चित थी।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : पैंशन के संबंध में, पैशन प्राप्त करने वालों की संख्या में वृद्धि तथा मंहगाई भत्ते में वृद्धि तथा अधिक पैंशन योजनाओं की प्राप्ति के कारण 15.88 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने स्पष्ट कर दिया है।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : यहां तक कि भविष्य निधि अनुदान तथा ई.एस.आई. जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों तथा कर्मचारियों के कानूनन देय हैं, को भी मांग में सम्मिलित नहीं किया गया है। मुझे पैंशन के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन उन देय राशियों के बारे में क्या कहना है जिनको पैंशन में शामिल नहीं किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : हम उन मांगों पर चर्चा कर रहे है जो उन्होंने की है, उन पर नहीं जो उन्हें करनी चाहिए थी। इसमें यह अन्तर है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति: यह केवल पैंशन योजनाओं के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय: आपने इसको पूरी तरह से तथा सही स्पष्ट किया है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति: अब मैं वर्ष 1995-96 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों को लेता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: उन्होंने इसे सही स्पष्ट नही किया है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसे सही ढंग से स्पष्ट कर दिया है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति: शिक्षा विभाग में प्रमुख मांग प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहायता का कार्यक्रम है जो हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम्भ किया गया है। इसमें सभी सरकारी, स्थानीय निकायों तथा प्राइवेट-सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों के लिए खाने का प्रावधान है और चालू वर्ष के लिए यह उनकी आवश्यकता है। इस पर लगभग 611.79 करोड़ रुपये का व्यय होता है। इसके लिए पूरी तरह से वित्त पोषण केन्द्र सरकर द्वारा दिया जायेगा। अन्य प्रमुख मांग ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। यह लगभग 500 करोड़ रुपये है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के क्रियान्वयन के लिए है जिसमें वृद्धावस्था पैंशन, पारिवारिक सुविधाएं, गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों के लिए जच्चा-बच्चा सम्बन्धी सुविधाएं देने का प्रावधान है।

तीसरी उर्वरकों के बारे में है। इसके लिए पहले 231.5 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह यूरिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी संचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय उर्वरक निगम तथा हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के गैर योजना खर्च के लिए है। वस्त्रों के लिए गैर योजना खर्च के लिए लगभग 107.9 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह सब बकाया है। मेरे विचार से इस पर कोई आपत्ति नही है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : यह वेतन तथा मजदूरी के भुगतान पर होने वाले व्यय की अदायगी के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप केवल उठाए गये प्रश्नों के ही उत्तर दीजिए।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : एक माननीय सदस्य ने तीन कटौती प्रस्ताव रखे है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कटौती प्रस्तावों को वापस लें तथा अतिरिक्त अनुदानों तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: अनुदानों की अनुपूरक मांगों में स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई बात है?

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति: मेरे पास जानकरी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह कह रहे है कि उस धनराशि की मांग की जानी चाहिए थी?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: नहीं, नही। विभिन्न बातों के अन्तर्गत अनुपूरक मांगों में, जहां तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का संबंध है, स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना प्रमुख है। मैंने इसी बात का उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय: यह कहां है? किस मांग के अन्तर्गत है?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इसको इस तरह से रखता हूं। स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के लिए मांग है। यह विनियोग विधेयक में इस करण से नहीं आ रहा है क्योंकि इसे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण निधि से वापस लिया जाता है। इसलिए, आप के द्वारा की जा रही मांग में तथा विनियोग विधेयक में बहुत बडा अंतर है, जो अधिकांशतया स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के कारण है।

अध्यक्ष महोदय: विनियोग विधेयक में इसका प्रावधान नहीं है। इसलिए वे धनराशि वापस भी नही ले सकेंगे।

मैं, अब वर्ष 1992-93 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों(साधारण) को मतदान के लिए रखता है। प्रश्न यह है कि :

> "कि कार्य सूचि के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य सूची से स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें– मांग से 14, 15, 18, 22, 25, 33, 75, 95, तथा 97"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.28 म०प०

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक*, 1995

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्तिः मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"31 मार्च,1993 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई राशियों, जो उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"31 मार्च,1993 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई राशियों, जो उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत की कई राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेदक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं** :

"कि 31 मार्च ,1993 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई राशियों, जो उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है,

"कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई राशियों, जो उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदयः अब हम विधेयक पर खण्डवार चर्चा प्रारम्भ करेंगे। प्रश्न यह है: "कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गये।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्तिः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं,

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

7. 31½ म०प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें(सामान्य) 1995-96—जारी

अध्यक्ष महोदयः अब हम 1995-96 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार आरम्भ करेंगे। यदि श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे यह इच्छा प्रकट नहीं करते कि उनमें किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से प्रस्तुत किया जाए तो मैं अब बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों के संबंध में प्रस्तावित सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1, 2 तथा 3 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब अनुपूरक अनुदानों की मांगों(सामान्य), 1995-96 को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ में मांग संख्या 1, 5, 6, 9, 14, 15, 26, 35, 39, 40, 46, 48, 50, 51, 53, 56, 61, 70, 72, 73, 75,

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 25.8.1995 में प्रकाशित

** राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत, पुरःस्थापित।

से 81 और 83 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए था के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी अनुपूरक राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.32 म०प०

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक*, 1995

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक को पुरः स्थापित** करता हूं।

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :**

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्रधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कल्पिय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्रधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिएं भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्रधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं

---

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो, खंड-2 दिनांक 25 अगस्त, 1995 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित प्रस्तुत।

माननीय सदस्यों, स्टाफ के सदस्यों और प्रेस के सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि रात्रिभोज 9 बजे तैयार हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, अब हमारे पास पांच विधेयक पारित किये जाने के लिए हैं। क्या आप आज ही सबको पारित करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : दिक्कत यह है कि दरअसल आज हमने सदस्यों को 3 बजे तक इनका उल्लेख करने की अनुमति दी थी।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा इसलिए क्योंकि आज आखिरी दिन है और ये कुछ आवश्यक विधेयक हैं। कृपया सहयोग करें ताकि ये आज पारित किये जा सकें। यदि इन पर आप सहमति है तो 'मैं सहमत हूं' कहने में कोई हर्ज नहीं है। प्रत्येक सदस्य खड़ा हो कर यह कहे कि 'मैं सहमत हूं' इसकी आवश्यकता भी नहीं है।

यदि आप चाहें तो रिकार्ड रखने के लिए कोई सदस्य जो विधेयक का समर्थन करना चाहता है, वह खड़ा होवे और कहे कि 'हां' मैं विधेयक का समर्थन करता हूं, इससे हमें राहत होगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : कल वे इस बारे में सहमत थे कि ये विधेयक आज ही पारित किए जायेंगे ताकि उन्हें राज्य सभा को भेजा जा सके।

श्री मुकुल वासनिक : निर्मलदा, आपका धन्यवाद।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : यह एक अलग मुद्दा है किन परिस्थितियों के अन्तर्गत यह सहमति हुई थी . . . . .**(व्यवधान)**

7.34 म०प०

*वक्फ विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि सभी सदस्यों ने इसे पढ़ लिया है। आप अपने भाषण की प्रति सभा पटल पर रख सकते हैं।

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि वक्फों के बेहतर प्रशासन और उनसे संबंद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

मान्यवर, वक्फ विधेयक जो है राज्य सभा से पारित होकर लोकसभा में आया है। मैं सदन के सामने आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सदन इस पर विचार करे और मैं अपनी स्पीच की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं।

भाषण का पाठ

मैं प्रस्ताव करता हूं कि वक्फों के कुशल प्रशासन और उससे संबंधित या अनुरूप विषयों का प्रावधान करने वाले विधेयक को जिसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है, विचारार्थ लिया जाए।

1991 के लोक सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) के चुनाव घोषणपत्र में हमने वायदा किया था कि हम वक्फ अधिनियम की समीक्षा के बाद इसमें संशोधन करके इसे और भी कारगर बनाएंगे। 1991 में कल्याण मंत्रालय का कार्यभार लेते ही मैंने इस दिशा में कार्रवाई शुरू करके इस मुद्दे पर माननीय मुस्लिम सांसदों, केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मुस्लिम सदस्यों तथा मुस्लिम समुदाय के अन्य गणमान्य नेताओं के साथ व्यापक विचार विमर्श किया।

मान्यवर, मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को वक्फ अधिनियम, 1954 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। वक्फ अधिनियम, 1954 का मूल प्रयोजन देश में वक्फ संपत्तियों को कुशल प्रशासन प्रदान करना था। फिर भी, 1954 के अधिनियम को लागू होने के तत्काल बाद ही इसके विभिन्न प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिवेदन एवं आपत्तियां आनी शुरू हो गई। इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए इस कानून में 1959; 1964 एवं 1969 में संशोधन किए गए। वक्फ संशोधन विधेयक, 1969 पर विचार विमर्श के दौरान संसद में जोरदार मांग की गई कि देश में वक्फ प्रशासन के समग्र कार्यकरण की एक समिति द्वारा गहराई से अध्ययन किए जाने की जरूरत है। अतः सरकार ने इस प्रयोजन के लिए दिसम्बर, 1970 में श्री सैयद अहमद की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी समिति का गठन किया। इस समिति ने 1973 की अपनी अंतरिम रिपोर्ट एवं 1976 की अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से अनेक अनुशंसाएं की।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस सदन में वक्फ संशोधन विधेयक, 1984 लाया गया। मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि जब इस विधेयक पर विचार विमर्श हो रहा था तो कुछ माननीय सदस्यों ने इसके प्रावधानों पर घोर आपत्तियां दर्ज की थी, जिनमें वक्फ कमिश्नर को वक्फ बोर्ड के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार न होने एवं राज्यों को वक्फ बोर्डों के कार्यों में दखलंदाजी न करने का सुझाव दिया गया उनकी स्वायत्ता बरकरार रह सके। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक, 1954 इस सदन द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इसके सिर्फ दो प्रावधानों को ही लागू किया गया।

अतः वक्फ कानून के प्रावधानों को सर्वसम्मत बनाने के उद्देश्य से 1980 के दशक में एक गहन प्रयास शुरू किया गया। कल्याण मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मैंने इस दिशा में माननीय मुस्लिम सांसदों तथा मुस्लिम समुदाय के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ विस्तृत वार्ताएं तथा इस संबंध में राज्य सरकारों में वक्फ के प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन जून, 1992 में आयोजित किया।

मुझे प्रसन्नता है कि इस संदर्भ में विस्तृत बातचीत के फलस्वरूप हम कुछ ठोस निष्कर्षों पर पहुंचे और इसी के आधार पर यह विधेयक बनाकर इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में वक्फ कानून को एकसमान रूप में लागू करने का प्रावधान किया गया है।

इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों का सारांश संलग्न 'उद्देश्यों एवं कारणों' के विवरण में देखा जा सकता है। फिर भी, मैं इस विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

बोर्डों को और अधिक लोकतांत्रिक बनाना है। वक्फ बोर्डों के अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन संबंधित निर्वाचकमंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, राज्य अधिवक्ता परिषद और मुतवल्लियों के सदस्यगण शामिल होंगे, जिनकी आय एक लाख रुपये वार्षिक अथवा इससे अधिक होगी।

हम केन्द्रीय वक्फ परिषद में अखिल भारतीय मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय ख्याति के प्रशासक और आर्थिक मामलों में सक्षम व्यक्ति, लोक सभा एवं राज्या सभा के मुस्लिम सांसदगण, तीन वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों में से एक बारी बारी से, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों आदि को नामित करेंगे, जिससे यह परिषद सुविस्तृत निकाय बनकर मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सके।

मान्यवर, वक्फ कमिश्नर एवं वक्फ बोर्ड की शक्तियों को लेकर बहुत विवाद रहा है। अतः हमने इस विवाद को खत्म करने के लिए विधेयक में उपयुक्त प्रावधान किया है। अब वक्फ कमिश्नर की जगह चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा और उसे ज्यादातर मामलों में वक्फ बोर्ड के अधीन रखा गया है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि अधिकांश वक्फ बोर्डों की माली हालत बहुत कमजोर है। वे अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में भी नहीं हैं। इसलिए इस विधेयक के पारित होने के पश्चात मुझे आशा है कि वक्फ बोर्डों की माली हालत में सुधार होगा।

इस विधेयक में वक्फ़ ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रावधान किया गया है ताकि वक्फ संपत्तियों से संबंधित दीवानी विवादों का शीघ्रातिशीघ्र निपटारा हो सके और वक्फ संपत्तियों को बेवजह की मुकदमेबाजी का शिकार न होना पड़े। इस विधेयक के पारित होने से वक्फ संपत्तियों का लेखाजोखा भी व्यवस्थित ढंग से संभव हो सकेगा।

मान्यवर, हमने इस विधेयक में यह भी प्रावधान रखा है कि यदि किसी कारणवश राज्य सरकार वक्फ बोर्ड को निरस्त करती है तो छः महीने के भीतर वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करना होगा, इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि नाजायज कब्जे से वक्फ सम्पत्तियों को मुक्त करने के लिए लिमिटेशन का कानून लागू नहीं होगा। मैंने इस विधेयक की मुख्य मुख्य विशेषताओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया है। माननीय सदस्य विधेयक पर चर्चा के दौरान जो भी रचनात्मक सुझाव देंगे, उनका स्वागत है। मैं माननीय सदस्यों को पुनः आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस विधेयक को विस्तृत चर्चाओं एवं विचारों के आदान प्रदान के पश्चात बनाया गया है और जहां तक संभव था, हमने इसमें सर्वसम्मत सुझावों को शामिल किया है ताकि इस कानून के माध्यम से हम वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को बेहतर बनाकर वक्फ बोर्डों को समृद्ध बना सकें। मुझे विश्वास है कि वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रशासन और सदुपयोग से वक्फ बोर्डे की आय में इजाफा होगा, जिससे मुस्लिम समुदाय का विकास संभव हो सकेगा।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का निवेदन करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वक्फों के बेहतर प्रशासन और उनसे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कल्याण मंत्री की इस विधेयक को पारित कराने के लिये जिस प्रकार सतत चेष्ठा की है, की प्रशंसा करना चाहूंगा। उन्होंने पर्याप्त शक्ति, काफी समय लगाया और हमें आम सहमति के लिए वाध्य कर दिया। मैं समझता हूं कि उनकी न केवल लगन की अपितु अध्यवसाय की भी प्रशंसा करनी चाहिए।

महोदय, वक्फ विधेयक को 1980 के दशक में संशोधित करने का प्रयास किया गया था। इसे जल्द बाजी में संशोधित किया गया था। पूरे समुदाय ने इसका विरोध किया और सरकार द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सका। अब 11 वर्षों के बाद, आखिरकार हम एक विधेयक तैयार कर पाये हैं जो मेरे विचार से भारत के अधिकांशतः मुस्लिम समुदाय की आमसहमति को प्रतिनिधित्व करता है।

महोदय, मुस्लिम समुदाय के मामलों में वक्फ की महत्ता को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। वस्तुतः, यदि मैं यह कहूं कि केवल एक कारण है जिस पर मुस्लिम समुदाय का भावी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास निर्भर करता है, तो यह वक्फ की परिसम्पत्तियों का प्रबंधन है। ये वक्फ बहुत दयनीय स्थिती में है। उन पर अधिकृत कब्जा है और उनका गैरकानूनी उपयोग हो रहा है और जिस समुदाय को इसका लाभ मिलना चाहिए उसे वस्तुतः इनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है।

महोदय, आगे बोलने से पहले और माननीय कल्याण मंत्री की प्रशंसा करने के बाद, मैं इस विधेयक की तीन प्रमुख कमियों की ओर संकेत करता हूं, जिन्हें मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय ने दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन कतिपय संवैधानिक और विधिक कठिनाइयां थी जिन्हें हम समझते हैं लेकिन फिर भी हम महसूस करते हैं कि सरकार इन तीनों पहलुओं के लिए उपचारात्मक उपाय ढूंढ लेगी।

मेरा पहला मुद्दा यह है कि कम से कम सार्वजनिक वक्फों से गैरकानूनी, अवैधानिक और अहितकर कब्जों को खाली कराने के प्रयोजनों के लिए, इन्हें सार्वजनिक परिसर का दर्जा दिया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि सार्वजनिक परिसरों और न्यासों, विश्वविद्यालयों, नगरपालिका परिषदों, बन्दरगाह न्यासों से सम्बन्धित परिसम्पत्तियों को खाली कराने की एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है और अधिकांश सार्वजनिक परिसम्पत्तियां उस अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत आती हैं। महोदय, वक्फ दो प्रकार के होते हैं हम केवल सार्वजनिक वक्फों को कवर करने की मांग कर रहे हैं और मैंने एक बार माननीय मंत्री महोदय को बताया था कि यदि वे वह हमें यह दे देते हैं तो कदाचित वक्फ परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हो जायेगी। लेकिन मैं जानता हूं कि इसमें कठिनाइयां हैं, इसीलिए यह एक मुद्दा अभी भी उनकी कार्यसूची में बांकी है।

महोदय, इन वक्फों की कुछ परिसम्पत्तियां राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार, अर्द्ध-सरकारी निकायों और यदा-कदा सरकार के सम्बद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के कब्जे के अधीन होती हैं, मुझे पता है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों को अपने हस्ताक्षर से एक निजी स्तर पर परिपत्र भेजा था कि वे यह देखें कि विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के कब्जे वाली वक्फ की परिसम्पत्तियों को कम से कम खाली तो कराया जाए और यदि उन पर कोई निर्माण कार्य कराया गया है तो उन्हें मुवावजा प्रदान किया जायें। दुर्भाग्यवश, उक्त निर्देश

को लागू करने की किसी ने परवाह नहीं की और स्थिति अधिकांशतः जैसी की तैसी ही है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय कम से कम स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए निदेश के क्रियान्वयन की तरफ ध्यान देंगे।

महोदय, दूसरा मुद्दा वक्फों के संसाधनों के बारे में है जिसकी हमें चिन्ता है। हम संसाधनों को अधिक से अधिक बढाना चाहते हैं। मुस्लिम कानून के अनुसार, वक्फ की परिसम्पति की आय पर पहला दायित्व वकीफ की इच्छाओं, इरादों को पूरा करने का होता है, जिसने वक्फ का सृजन किया है। लेकिन उसके बाद भी कोई अधिशेष रह जाता है तो उसका उपयोग किसी धमार्थ प्रयोजन के लिए किया जा सकता है और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मुस्लिम समुदाय का भविष्य अधिशेष के उपयोग पर निर्भर करता है। अधिशेष कैसे रहेगा। अधिशेष इस तरह रहेगा, उदाहरणार्थ, यदि वक्फ परिसम्पत्तियों को किराया कानून से छूट दी जाती है। महोदय, आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि वक्फ परिसम्पत्तियों को 2 रु०, 3 रु० प्रतिमाह पर किराए पर दिया जाता है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कई राज्य सरकारों ने वक्फ परिसम्पत्तियों को किराये से छूट दे दी है, जबकि कई राज्य सरकारों ने अभी ऐसा नहीं किया है। मैंने माननीय मंत्री महोदय को सुझाव दिया है कि इस मुद्दे पर कोई केन्द्रीय निदेश का केन्द्रीय विनियम होना चाहिए।

इन वक्फों के लिए संसाधन जुटाने का दूसरा तरीका यह है कि वक्फ परिसम्पत्तियों के भू-भाग को कम से कम भूमि सुधार कानूनों से निर्मुक्ति प्रदान की जाये।

महोदय, उदाहरणार्थ मेरे राज्य बिहार में यदि किसी मंदिर या मस्जिद के पास इसके रखरखाव के लिए कोई सम्पत्ति है तो मंदिर प्रत्येक देवता या देवी के नाम पर एक-एक हिस्सा ले लेते हैं जबकि मस्जिद में केवल एक अल्लाह होता है। इसलिए वे इसका केवल एक ही हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रकार मस्जिद के पास भूमि का केवल एक ही हिस्सा रह जाता है जबकि इस मामले में मंदिर अच्छे फायदे में रहते हैं। अब मैं धर्मशास्त्र को नहीं बदल सकता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि कई महंतो द्वारा यही चाल चली जाती है। लेकिन मैं इस सब में नहीं पड़ना चाहता। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यदि सार्वजनिक वक्फों को—मैं निजी वक्फों के बारे में नहीं बोल रहा हूं—भूमि सुधार कानूनों की प्रायोज्यता से छूट दी जा सकती है जिनकी आय का उपयोग सार्वजनिक, धर्मार्थ और शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किया जायेगा और यह मुस्लिम समुदाय जैसे वंचित समुदाय की भलाई के लिए होगा।

महोदय, इसके अतिरिक्त हम यह महसूस करते हैं कि सभी वक्फ परिसम्पत्तियां नहीं, अपितु वे परिसम्पत्तियां जिनकी धर्मिक महत्ता है; या यों कहिए कोई स्थल जहां मस्जिद बनी है, इमाम बाड़ा बना हुआ है, वह धर्मनिरपेक्ष परिसम्पत्तियों की वक्फों की भूमि के टकड़े से भिन्न प्रकार की होती है जिनकी आय से मस्जिद का रखरखाव होता है। इन दोनों के बीच अन्तर होना चाहिए और धार्मिक प्रकृति की वक्फ परिसम्पत्तियां को अधिग्रहण कानून से छूट दी जानी चाहिए। इससे सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हमारे जैसे धार्मिक समाज में धार्मिक परिसम्पत्ति, जहां हम ईश्वर की अर्चना, नमन करते हैं जिस पर हमें भरोसा है, छीनी नहीं जानी चाहिए और इसलिए जो कानून औपनिवेशिक काल में बनाया गया था, छूटों का उपबन्ध करने के लिए उसमें विनियमों द्वारा संशोधन किया गया था। उदाहरण के लिए हम दिल्ली के चारों तरफ कुछ छोटी-छोटी मस्जिदें देखते हैं क्योंकि भूमि तो अर्जित की गई थी लेकिन स्थलों को प्रतिरक्षित रखा गया था।

अब कोई कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि धार्मिक संपत्तियों - मैं भूमि और भवनों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिनसे वक्फ को आमदनी होती है अथवा जो मस्जिदों की आय का साधन हैं- के अभिग्रहण से संबंधित कानूनों के दायरे से मुक्त रखा जाए और यह देश की सभी धार्मिक संपत्तियों पर लागू होना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता है कि मंदिर और गिरिजागृह का अभिग्रहण किया जाए। यह सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होना चाहिये।

महोदय, मैं तीसरी बात सृजित किये गये साधनों के उपयोग के संबंध में कहना चाहता हूं। मुस्लिम समुदाय की मांग है कि इनको समुदाय के शैक्षिक विकास और आर्थिक उद्धार के लिये प्रयोग किया जाना चहिये और इसका माननीय मंत्री महोदय भी पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और तो और उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से एक न्यास निधि की स्थापना भी की है जिसमे पहला अंशदान सरकार ने ही किया हैं। परन्तु, मैं आशा करता हूं कि अगर वक्फ के साधन उपलब्ध हो जाते हैं तो मौलाना आज़ाद न्यास निधि और अन्य इसी तरह की न्यास निधियों को समुदाय के आर्थिक उद्धार और उनमें शिक्षा के प्रसार हेतु देश के विभिन्न राज्यों और भागों में अधिक धन उपलब्ध हो जायगा। समस्या यह है कि अतिरिक्त साधनों का निश्चित प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने हेतु कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इस विधेयक में यही एक छोटी सी खामी है।

जैसा कि मैने कहा, विधेयक की उत्कृष्ट विशेषताएं हैं और इसलिये हम इसका समर्थन करते हैं। फिर भी ऊपरी तौर पर कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिये, हमने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है और महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन पर संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप संशोधनों को पेश कर रहे हैं?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय हां। मैं अपने नाम में दर्शायें गए सात संशोधनों को प्रस्तुत कर रहा हूं।

पहला संशोधन अनुच्छेद 3, परिभाषा अनुच्छेद से संबंधित है, जिसमें वक्फ में अभिरूचि रखने वाले व्यक्ति का वर्णन है। हम यह कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर अनधिकृत कब्जा रखता है तो उसको वक्फ में अभिरूचि रखने वाला व्यक्ति नहीं माना जाना चाहिये। इसलिये यह किया जाना चाहिये और "कौन है" शब्दों के पश्चात "जो वक्फ सम्पत्तियों का गैर कानूनी अथवा हानिकारक कब्जा रखता है" शब्दों को जोड़ा जाए।

दूसरे, इसमें यह व्यवस्था है कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित बोर्ड को सलाह दे सकत है कि प्रस्तावित कतिपय कार्य कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं हैं। इसमें यह भी उल्लिखित है कि अगर इसे लागू किया जाता है तो इससे दंगें हो सकते है। अथवा शांति भंग हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने एक स्पष्ट निर्णय यह भी दिया है कि ऐसी आशंका पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिये जिम्मेदार प्राधिकारियों को देखना चाहिये और इस आशंका के आधार पर ही किसी भी जायज मांग को रोका नहीं जा सकता है। इसलिये, इस बात का ध्यान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों को रखना चाहिये और वक्फ प्राधिकारियों को इस पर विचार नहीं करना चाहिये। इस पंक्ति विशेष को हटा देना चाहिये।

पृष्ट 18 में प्रावधान है कि किसी स्थिति विशेष में वक्फ बोर्ड, बड़े वक्फ के मामले में, एक कार्यकारी अधिकारी और सहायतार्थ कर्मचारियों के पदों का

सृजन कर सकता है इसमें उनके कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि कार्यकारी अधिकारी और सहायतार्थ कर्मचारियों की नियुक्ति के समय ही नियुक्ति पत्र में उनके कार्यकाल का उल्लेख होना चाहिये।

साधारणतः, मुतावली वक्फ का प्रबंधक होता है। मुतावली और कार्यपालक अधिकारी के होने के कारण सम्भवतः संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिये अगर सरकार इनका उचित रूप से प्रबंध करना आवश्यक समझती है और मुतावली वक्फ कार्य ठीक से नहीं कर रहा है तो मेरे विचार में इस आशय का एक संशोधन किया जा सकता है कि मुतावली असक्षम है और उसको हटाया भी जा सकता है अथवा मुतावली के नाबालिग होने पर और दिमागी रूप से अस्वस्थ होने पर किसी अवधि विशेष हेतु विशेष शर्तों पर कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भी की जा सकती है। इसलिये मैंने कहा है कि :-

"प्रावधान किया जाता है कि कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब मुतावली नाबालिग हो अथवा दिमागी रूप से अस्वस्थ हो अथवा किसी अन्य कारण से मुतावली की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिये असक्षम हो।"

पृष्ठ 25 पर एक छोटा सा संशोधन किया जाना है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि वक्फ की संपत्ति की संरक्षा की जानी चाहिये। यह कहा गया है कि संपत्ति वक्फ बोर्ड की स्वीकृति के बिना हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। यह एक उत्तम प्रावधान है। परन्तु एक परन्तुक में उल्लिखित है कि किसी भी मस्जिद, दरगाह अथवा खानकाह का हस्तांतरण कानून के अनुसार ही किया जा सकता है। इससे यह धारणा बनती है कि मस्जिद, दरगाह अथवा खानकाह का हस्तांतरण किया जा सकता है। कुछ मुतावलियों ने मस्जिदों, कब्रिस्तान और इमामबाड़ों को बेच दिया है। इसमें मस्जिद, दरगाह और खानकाह का उद्धाहरण तो है, परन्तु मेरे शिया साथी चाहते हैं कि इसमें शब्द 'इमामबाड़ा' जोड़ा जाए क्योंकि यह उनके लिये समान रूप से महत्वपूर्ण है।

दूसरे सभी कानून वर्तमान लागू कानूनों के अध्यधीन हैं। इसलिये, वह अन्य प्रावधान कि वर्तमान लागू किसी भी कानून के अध्यधीन होना बिल्कुल अनावश्यक है और इसे हटा दिया जाना चाहिए।

अंततः पृष्ठ 55 पर बजट प्रक्रिया के बारे में प्रावधान हैं। वक्फ बोर्ड बजट तैयार करता है और उसे निश्चित समयावधि में सरकार को अनुमोदन के लिये भेजता है और सरकार बजट को सुझावों सहित बोर्ड के विचारार्थ वापस भेज सकती है। परन्तु सरकार के लिये सुझाव देने हेतु कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। इसलिये, सरकार बिना कुछ किये पूरे वर्ष तक वक्फ बोर्ड के बजट को रोक सकती है। प्रारंभिक भाग में कुछ सप्ताह के समय का उल्लेख किया गया है, अर्थात सरकार को बजट भेजने के पश्चात चार सप्ताह के अन्दर राज्य को वक्फ बोर्ड के विचारार्थ बजट को अपने सुझावों सहित वापस भेजना चाहिये, सरकार का मत अंतिम होता है। कम से कम यह प्रक्रिया होनी चाहिये।

हमको ये कुछ विचार प्राप्त हुए हैं और हमने आपस में और माननीय मंत्री जी के साथ विचार विमर्श भी किया है तथा मुझे विश्वास है कि वह अपने उत्तर में अपने विचार जरूर व्यक्त करेंगे क्योंकि आज समय कम है और वास्तविक चर्चा नहीं हो सकती है। मै आशा और प्रार्थना करता हूं कि इस संबंध में माननीय मंत्री जी ऐसा कोई आश्वासन देंगें कि मेरे द्वारा उठाए गए पहलुओं पर आगे विचार किया जायगा और जरूरत पड़ने पर भविष्य में इस आशय के कुछ और संशोधन भी किये जा सकते हैं।

मैं प्रसिद्ध कवि सौद की एक पंक्ति उद्धरित करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

"ये तो नहीं कहता हूं कि सचमुच करो इन्साफ,

भूठी भी तसल्ली हो, तो जीता तो रहूं मैं।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमको पांच विधेयक पारित करने हैं। कृपया उन माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका दीजिये जो चुपचाप बैठें हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह एक अति महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि वास्तव में संसद में यह विधेयक 25 अगस्त, 1993 को पुरःस्थापित किया गया था। अब इस विधेयक पर विचार हो रहा है। मुस्लिम कानून द्वारा धार्मिक, धर्मपरायण और धर्मार्थ प्रयोजनों हेतु वक्फ बोर्ड के चल और अचल सम्पत्तियों का स्थायी स्वामित्व दिया गया है, धार्मिक पहलू के आलावा, वक्फ सामाजिक/आर्थिक उद्धार के लिये भी साधन स्वरूप है, क्योंकि वक्फ से जरूरतमंद व्यक्ति लाभान्वित होते है और इनसे उनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास होता है। इस विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में एक समान रूप से लागू होगा। यह इसमें उल्लिखित है, यह एक आपत्तिजनक बात है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह संवैधानिक है, उस पर हम बहस नहीं करना चाहते। जिसकी चर्चा नहीं हो सकती, उस पर क्यों कर रहें है।

[अनुवाद]

कृपया यह समझिये कि एक संवैधानिक प्रावधान है। इसके पूर्व संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कृपया उसे छोड़िये।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : इस विधेयक का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू संपत्ति है। कई शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सम्पत्तियां सूचीबद्ध हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में बडी संख्या में सम्पत्तियां हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में भी-प्रतिवेदन में उल्लिखित है और विधान मंडलों में भी चर्चा हो चुकी है-भूमि के लेन-देन में बड़ी संख्या मे दुर्विनियोग हुये हैं। हालाकि, बोर्ड को शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी वे उचित देखभाल नहीं कर पाये हैं। इसलिये, इस विधेयक में मंत्री महोदय ने कार्यकारी अधिकारियों को बहुत अच्छा सुझाव दिया है। यह स्वागत योग्य हैं क्योंकि कई स्थानीय निकायों में वे इस आशय का संकल्प पारित करते हैं। जब विशेष अधिकारी होता है वह देखता है कि संकल्प उचित है या नहीं है। इसलिये, कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति स्वागत योग्य है। इसको वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों की संरक्षा हेतु कड़ाई से लागू किया जाना चाहिये। उपलब्ध साधन गरीब और जरूरत मंद व्यक्तियों को दिये जाने चाहिये। वक्फ बोर्डों की कई सम्पत्तियों से कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसलिये उन्होंने इसका यहां उल्लेख किया है।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात पर आपत्ति उठाना चाहता हूं। यह खण्ड 20 के बारे में हैं जो अध्यक्ष को हटाने संबंधित है। अध्यक्ष एक निर्वाचित पद धारी होता है। इसलिये, अन्य निकायों की भांति उसको हटाने का भी प्रावधान होना चाहिये। इसके लिये अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था होनी चाहिए। दो-तिहाई सदस्यों द्वारा विरोध में मतदान किये जाने पर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इसलिये, दुर्विनियोग, गैर-कानूनी गतिविधियों और इसी तरह की अन्य गतिविधियों के मामले में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अध्यक्ष को हटाने के बारे में इस उपबंध में संशोधन करना पड़ेगा। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको मैं उठाना चाहता हूं।

एक अन्य महत्वपूर्ण खण्ड है- खण्ड 77, जिसमें संशोधन किया जाना है। मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी तलाक शुदा मुस्लिम स्त्री को 'इद्दात' की अवधि की समाप्ति के पश्चात अगर उसके निकट संबंधी उसका पोषण नहीं करते हैं, तो मजिस्ट्रेट संबंधित वक्फ बोर्ड को उसका भरण पोषण करने के लिये आदेश दे सकता है। प्रस्तावित वक्फ अधिनियम में इस आशय का संगत प्रावधान किया जाना चाहिए। जिसके तहत राज्य वक्फ बोर्ड के लिये मुस्लिम तलाकशुदाओं के लिए एक निधि विशेष का गठन करना अनिवार्य हो और मुस्लिम स्त्री अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित रकम को उनको दिया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई स्त्रियों को अन्याय के कारण पीड़ा भोगनी पड़ रही है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा केन्द्रीय वक्फ बोर्ड परिषद का है। यह भी स्वागत योग्य है। नियुक्ति के संबंध में कुछ बातों का उल्लेख किया गया है क्योंकि कई मुस्लिम संगठनों ने केन्द्रीय सरकार से इसकी नामावली और नियुक्ति के बारे में अभ्यावेदन किये हैं जिनमें उन्होंने यह बात उठाई है। माननीय मंत्री जी को इसके लिये प्रयास करना चाहिए। परिषद में पांच मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये और तीन सुविख्यात मुस्लिम विधियों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह पहले ही मौजूद है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : यह नहीं है। मैं इसको शामिल करने का पक्ष धर रहा हूं। मैं खण्ड 64 के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। उन्होंने मुतावली को हटाने के कारणों को स्पष्ट कर दिया है। इस खण्ड में एक अन्य कारण जोड़ना चाहिये "अगर ऐसा मुतावली" भी संशोधन किया जाना चाहिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या आपने कोई संशोधन की सूचना दी है?

अध्यक्ष महोदय : बंडारू जी, अगर आप विधेयक में संशोधन का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप संशोधन की सूचना दे सकते हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मै श्रम संबंधी स्थामी समिति का सदस्य हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब विधेयक पर सभा में चर्चा होना नियत होगा तब आप प्रस्तुत विधेयक में बदलाव हेतु संशोधनों की सूचना दे सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन पहले ही मौजूद है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैने समिति में इस को उठाया था और मैंने सोचा था कि विधेयक में इसको शामिल कर लिया जायगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने के पूर्व संशोधनों की सूचना देनी होगी। संशोधन प्रस्तुत किये बिना आप नहीं बोल सकते हैं। आप संशोधनों को प्रस्तुत किये बिना विधेयक में संशोधन का दावा नहीं कर सकते हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, मैं समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छी बाते कहीं हैं और निस्सदिह मंत्री जी उनको देखेंगे।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : जैसा कि मैंने कहा विधेयक में तलाकशुदा स्त्रियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। मैं कुलमिलाकर यही समझता हूं कि यह विधेयक स्वागत योग्य है और इसको तत्काल पारित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले, कृपया दो या तीन वाक्यों में अपनी बात समाप्त करियें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बाई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, माइनोरिटी और मैजोरिटी में फर्क क्यों करते हैं। धारा 44 में एक ही कानून होना चाहिए। बन्डारू जी ने जो बात कही है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रासंगिक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बिल मस्जिद की प्रापर्टी के बारे में है।

श्री मोहन रावले : महोदय, बन्डारू जी ने जो कहा है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। जब डाइवोर्स होता है, तो कानून के मुताबिक उसको कम्पैंसेशन मिलना चाहिए, पूरे हिन्दुस्तान में जो मुस्लिम ला है, पर्सनल ला है, बर्ल्ड में जो पर्सनल ला है, वह अलग है क्या?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका इससे कोई सरोकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष महोदय : यूनुस साहब, आपने कहा था, इसको पास करने के लिए। मदद करने का तरीका भाषण करना नहीं है, सपोर्ट करना है।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : अध्यक्ष महोदय, मै समझता हूं कि न सिर्फ इस हाउस में, बल्कि मैं कहता हूं कि शायद पूरे मुल्क में अब कोई ऐसा आदमी नहीं है, जिसका वक्फ के कानून से इतना गहरा और करीबी ताल्लुकात हों, जितना कि मेरा है। 1954 में जब मो. अहमद काजमी ने इस बिल का ड्राफ्ट पहली दफा

इस पार्लियामेंट में पेश किया था, जिसकी मीटिंग 1953 में जमीतुलबा के दफ्तर में होती थी और मुझे हैदराबाद से बुलाया जाता था, उसमें ....

अध्यक्ष महोदय : इस सब को आप छोड़ दीजिए। इसके लिए समय नहीं है, प्लीज। अभी पांच बिल हैं, जिनको पास करना है।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। वैसे भी मैं बहुत कम बोलता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप तो बोलते ही नहीं है, लेकिन आज वक्त कम है।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : मैं जो अर्ज कर रहा हूं, वह एक रिकार्ड की चीज है। मैं यह बता रहा हूं कि यह बिल क्यों आया हैं, वह चीज आपके सामने आनी चाहिए।

मैं जब डिप्टी मिजिस्टर था और वक्फ का इन्चार्ज था। तो मैंने राज्य सभा में यह एलान किया था कि मौजूदा वक्फ एक्ट में नकायस हैं और उनमें तरमीम होनी चाहिए। चुनांचे, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। जिसके मरहूम सयैद अहमद साहब उसके चेयरमैन थे। कमेटी ने दो रिपोर्टें पेश की थी। उनके आधार पर एक माडल एक्ट बनाने का प्रयास किया गया। उसकी बुनियाद पर कई मीटिंग्स हुई और 1984 में एक्ट पास किया गया था। उसकी बुनियाद पर कई मीटिंग्स हुई और 1984 में एक्ट पास किया गया। उसमें जो कुछ बाकी रह गया, उसके बाद कई दौर बदले। उसमें जो मीटिंग के मुख्तलिफ दौरों में उसमें शिरकत करने का मुझे मौका मिला। मैं सीताराम केसरी जी से मुख्तसर कर रहा हूं, इस वक्त जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने तमाम तवज्जह और दिलचस्पी से इस एक्ट को मुकम्मिल करने की कोशिश की, जहां तक हो सका, जिससे ज्यादा से ज्यादा शिकायतें लोगों की रफा हो सकें।

8.00 म०प०

कई मीटिंग्स में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। अब यह बिल की शक्ल में आया है और राज्य सभा से पास होकर आया है। जो तरमीमें पेश की गई हैं, वे शहाबुद्दीनजी की और मेरी मुशतरका हैं। शहाबुद्दीनजी ने हर तरमीम के बारे में बता दिया है। मैं उन बातो को नहीं दोहराऊंगा। परन्तु एक दिक्कत है, ये कानून जब कोर्ट के सामने जाते हैं तो इनका ऐसा इंटरप्रिटेशन कर दिया जाता है कि हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। चुनांचे जो तरमीमें पेश की गई हैं, पेज नं. 2 लाइन नं. 36 में देखिये-पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ्स, परन्तु एक हाई कोर्ट ने तपसरा कर दिया।

[अनुवाद]

वक्फ में अभिरूचि रखने वाला इस तरह से जो जबर्दस्ती वक्फ की जायदाद पर काबिज होता है उसको भी इंटरेस्टेड पर्सन मान लिया जाता है इसलिए इसमें तरमीम की जरूरत पड़ी। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और यह कह दिया कि मस्जिदों के जो इमाम हैं उनके मुआविजों का इंतजाम भी वक्फ बोर्ड करेगा। इस तरह से मसाइल पैदा होते हैं और कानूनों को लागू करने में दिक्कत आती है। इन तमाम चीजों के बारे में सीताराम केसरी जी ने बड़ी खुशसुलूकी, लियाकत और काबलियत के साथ एक तस्वीर पेश की है, इमामों के मसले में भी हम लोग एक समझोते निर्णय पर पहुंच चुके हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ इस बिल की ताईद करता हूं। यह बिल राज्य सभा से पास हो चुका है, यहां पर भी इसको पास किया जाए।

جناب محمد یونس سلیم (کیٹھہار) : ادھیکش مہودے۔ . . . . .

ادھیکش مہودے : یونس صاحب آپ نے کہا تھا اس کو پاس کرنے کے لئے۔ مدد کرنے کا طریقہ بھاشن کرنا نہیں ہے۔ سپورٹ کرنا ہے۔

جناب محمد یونس سلیم : ادھیکش مہودے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس ہاؤس میں بلکہ میں کہتا ہوں کہ شاید پورے ملک میں اب کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا وقف کے قانون سے اتنا گہرا اور ٹھوس تعلق ہو جتنا کہ ہوا ہے۔ ۱۹۵۴ء میں جب محمد احمد کاظمی نے اس بل کا ڈرافٹ پہلی بار اس پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا جس کی میٹنگ ۱۹۵۳ میں جمعیتہ العلماء کے دفتر میں ہوئی تھی اور میں حیدرآباد سے بلایا جاتا تھا اس میں . . . . .

ادھیکش مہودے : ان سب کو آپ چھوڑ دیجئے۔ اسکے لئے سمے نہیں ہے پلیز۔ ابھی پانچ بل ہیں جنکو پاس کرنا ہے۔

جناب محمد یونس سلیم : مہودے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں ویسے بھی بہت کم بولتا ہوں۔

ادھیکش مہودے : آپ تو بولتے ہی نہیں ہیں لیکن آج وقت کم ہے۔

جناب محمد یونس سلیم : میں جو عرض کر رہا ہوں وہ ایک ریکارڈ کی چیز ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بل کیوں آیا ہے وہ چیز آپ کے سامنے آنی چاہیئے۔

میں جب ڈپٹی منسٹر تھا اور وقف کا انچارج تھا تو میں نے راجیہ سبھا میں یہ اعلان کیا تھا کہ موجودہ وقف بورڈ ایکٹ میں نقائص ہیں اور ان میں ترمیم ہونی چاہیئے۔ چنانچہ اس کے لئے ایک کمیٹی بنائی گئی مرحوم سید احمد صاحب اس کے چیرمین تھے کمیٹی نے دو رپورٹیں پیش کی تھیں۔ ان کے آدھار پر ایک ماڈل ایکٹ بنانے کا پرستاؤ کیا گیا تھا۔ اس کی بنیاد پر کئی میٹنگیں ہوئیں اور ۱۹۸۴ء میں ایکٹ پاس کیا گیا۔ اس میں جو کچھ باقی رہ گیا اس کے بعد کئی دور بدلے اس میں جو

میٹنگ کے مختلف دوروں میں اس میں شرکت کرنے کا مجھے موقع ملا۔

میں سیتارام کیسری جی سے مختصر کہہ رہا ہوں۔ اسوقت جو منسٹر ہیں انہوں نے تمام توجہ اور دلچسپی سے اس بل کو مکمل کرنے کی کوشش کی جہاں تک ہو سکا۔ جس سے زیادہ سے زیادہ شکایتیں لوگوں کی دفع ہو سکیں۔ کئی میٹنگوں میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا۔ اب یہ بل کی شکل میں آیا اور راجیہ سبھا سے پاس ہو کر آیا ہے۔ جو ترمیمیں پیش کی گئی ہیں وہ شہاب الدین کی اور میری مشترکہ ہیں۔

شہاب الدین جی نے ہر ترمیم کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے میں ان باتوں کو نہیں دہراؤں گا۔ ورنہ ایک دقت ہے یہ قانون جب کورٹ کے سامنے جاتے ہیں تو ان کا ایسا انٹرپریٹیشن کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے لئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جو ترمیمیں پیش کی گئی ہیں۔ ۲ لائین نمبر ۲۶ میں دیکھئے۔ پرسن انٹرسٹیڈ ان وقف میں پرنتو ایک ہائی کورٹ نے تبصرا کر دیا کہ شربیباسرکھی پرسن انٹرسٹیڈ میں داخل ہے اس طرح سے جو زبردستی وقف کی جائداد پر قابض ہوتا ہے۔ اس کو بھی انٹرسٹیڈ پرسن مان لیا جاتا ہے اس لئے اس میں ترمیم کی ضرورت پڑی۔ حال میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور یہ کہہ دیا کہ مسجدوں کے جو امام ہیں انکے معاوضوں کا انتظام بھی وقف بورڈ کریگا۔ اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور قانون کو لاگو کرنے میں دقت آتی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں سیتارام کیسری جی نے بڑی خوش اسلوبی لیاقت اور قابلیت کے ساتھ ایک تصویر پیش کی ہے۔ اماموں کے مسئلے میں بھی ہم لوگ ایک سمجھوتہ پر پہنچ چکے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتا ہوا اس بل کی تائید کرتا ہوں یہ بل راجیہ سبھا سے پاس ہو چکا ہے یہاں پر بھی اس کو پاس کیا جائے۔

— ❖ —

अध्यक्ष महोदय : मसूदल हुसैन जी, बिल्कुल संक्षेप में बोलिएगा, यदि आपका कहीं आब्जेकशन है तो बोलिए, सपोर्ट हैं तो बस कह दीजिए कि सपोर्ट हैं।

सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : मैं तो बहुत कम बोलता हूं, जब भी बोलता हूं, प्वाइंट पर बोलता हूं।

अध्यक्ष महोदय : समय कम हैं, और भी बिल पास करने हैं।

सैयद मसूदल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा 1-2 बातों पर विरोध है। मैं वैस्ट बंगाल से हूं और वैस्ट बंगाल में भी एक वक्फ एक्ट हैं, जो बहुत अच्छा एक्ट है, यू. पी. में भी एक वक्फ एक्ट हैं, लेकिन एक एक्ट के पास होने के बाद स्टेट वक्फ एक्ट समाप्त हो जाएंगे। वैस्ट बंगाल का जो बहुत अच्छा एक्ट हैं, वह भी आप खत्म कर रहे हैं, आप क्लाज दो का प्रोविजन देखिए :-

[अनुवाद]

बशर्ते यह अधिनियम दरगाह रवाजा साहिब अजमेर पर लागू, नहीं होगा जिसपर दरगाह खाजा साहिब अधिनियम 1995 लागू होता है।

[हिन्दी]

सवाल ख्वाजा साहब की इज्जत का नहीं हैं, सवाल एक्ट का है। अगर दरगाह ख्वाजा साहब के अलहदा एक्ट का, यह स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट नहीं है।.

(व्यवधान)

जब आप कहते हैं कि वह एक्ट भी रहेगा, अगर एक ही एक्ट बनाना था तो उसको आप हटा देते, जब नहीं हटाया तो पहले से जो एक्ट है स्टेट का, वह एक्ट भी रहना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : यह एक्ट बनाने से स्टेट एक्ट सुपरसीट होता है, स्टेट का बनाया हुआ एक्ट खत्म हो जाता हैं। ऐसा आप समझ रहे हैं?

सैयद मसूदल हुसैन : हां वही हो जाएगा। .

[अनुवाद]

यह जम्मू और कश्मीर के अलावा सभी स्थानों पर लागू होता हैं।

[हिन्दी]

यह क्लियर लिखा हुआ है, वैस्ट बंगाल का, गुजरात के एक पोरशन के लिए, यू. पी. का एक्ट, सब खत्म हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : इससे यू. पी. के, बंगाल के बनाए हुए एक्ट सुपरसीट हो जाते हैं?

सैयद मसूदल हुसैन : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : आई डॉट थिंक। जहां पर कोई कंफ्लिक्ट होता है।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद युनुस सलीम : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं!

यहाँ आपको पता चलेगा कि पूर्व अधिनियम जिसे इस संसद ने 1954 में पारित किया था, के भी यही शब्द हैं, 'जम्मू और कश्मीर के सिवाय यह संपूर्ण भारत में लागू होता हैं। इसे अधिनियम के बावजूद भी पश्चिम बंगाल अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिनियम आदि महाराष्ट्र अधिनियम लागू रहेंगे। ऐसा इसलिए किया गया हैं क्योंकि यह समवर्ती सूची का विषय हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह जो हैं यह संवैधानिक प्रोविजन हैं। सैंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट अगर बनता है उसकी कैसे व्याख्या करनी चाहिए। अगर दोनों एक्ट में कोई कंट्राडिक्शन है तो सैंट्रल एक्ट प्रवेल करता है।

[अनुवाद]

आप कृपया इसके बारे मे मत बताइये। वह एक सांविधानिक उपबंध है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : उद्देश्यों तथा कारणो के कथन में कहा गया हैं :

"इस समय, वक्फ अधिनियम, 1954 उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र के भाग तथा कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रयोज्य नहीं है। इस विधान के प्रत्यावर्तन से, जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर, पूरे देश में वक्फ प्रशासन में एकरूपता होगी"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, इसके अंदर आप मत जाइये। यह संविधान का प्रोविजन है और संविधान कहता है कि पहला एक्ट यू.पी. और बिहार को लागू नहीं था तो अब लागू होगा। मगर यू.पी. और वैस्ट बंगाल में दूसरा एक्ट है और इसमें और उसमें कोई कंट्राडिक्शन नही है तो

[अनुवाद]

वह भी लागू होगा।

आप कृपया इसे छोड़ दीजिए। यह एक सांविधानिक मामला है।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : ठीक हैं, आप उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : नही-नही, कुछ रिप्लाई देने के लिए नहीं है। इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। मैं मिनिस्टर साहब को रिप्लाई देने के लिए नहीं कह रहा हूँ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : और एक-दो प्वाइंट हैं। पेज 3 में वक्फ की जो परिभाषा दी गई है उसमें और थोड़ा सैक्यूलर करेक्टर होना चाहिए।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : इस विधेयक को राज्य सभा ने पारित किया हैं। अगर अब आप किसी खंड की शब्दावली में संशोधन करना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं। अगर अब सिर्फ इसी प्रकार कहते रहेंगे कि इसकी भाषा रोषपूर्ण हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा महोदय, मै। कुछ अलग कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करता हूँ। उसके पश्चात् भी मैं उन्हें संक्षेप, में अपनी बात रखने की अनुमति दूँगा।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : "वक्फ" की परिभाषा का तात्पर्य हैं"

[हिन्दी]

सिर्फ मुसलमान ही डैडिकेट करेंगे। इस तरह की पांबदी सैक्यूलर करेक्टर के खिलाफ है, यह नहीं होनी चाहिए। कोई हिंदू अगर खुशी से कोई सम्पति दे तो उसमें रुकावट डालने की कोई वजह हो यह मैं नही समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कहां है

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : पेज 3 हैं।

[अनुवाद]

वक्फ का मतलब है इसलाम को मानने वाले व्यक्ति की पूर्ण निष्ठा, मैं निवेदन करूंगा कि इसलाम शब्द को हटा दिया जाये।

[हिन्दी]

अगर कोई हिन्दू खुशी से कोई सम्पति दे तो यह इसमें होना चाहिए। पेज 6 में जो सैंट्रल वक्फ कौंसिल जिस तरह से आपने रखी है मैंने अमेंडमेंट नही दिया हैं फिर भी मैं शहाबुद्दीन साहब ने जिस उम्मीद से कहा है जिसको आप बाद में भी कोट करते हैं मैं उसी उम्मीद से कह रहा हूँ कि इस बारे में आप सोचिये। कौंसिल जो बनेगा, उसके एक्स-औफिशिओ चेयरमैन होंगे वक्फ मिनिस्टरी में और वे मिनिस्टर होंगे। सीताराम केसरी जो मुस्लिम नहीं हैं हिंदू हैं। मैने इस बात को इसलिए छेड़ा है कि कौंसिल के चेयरमैन को छोड़कर जितने भी मैम्बरस होंगे सबके साथ में आपने मुस्लिम बात को जोड़ा है।

सिर्फ चेयर पर्सन को छोड़कर बाकी जितने मुस्लिम रखे है, उनको रिमूव करना चाहिये। मैं इसको रिमूव इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि क्योंकि आखिर में लिखा है कि

[अनुवाद]

तीन व्यक्ति, जो मुस्लिम विधि के विख्यात विद्वान हैं।

[हिन्दी]

इसको आपने मुस्लिम कर दिया हैं। अगर मुस्लिम लॉ में कोई हिन्दू ऐमिनैंट हो तो आप उसको कैसे ले लेंगे? कौंसिल जो कॉन्स्टीटयूट हो रही हैं।

[अनुवाद]

"निम्नलिखित सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा मुसलमानों में से नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात ...."

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इसको छोड़ दें। मुस्लिम लॉ हिन्दू भी जानने वाला है तो वह नियुक्त होगा।

[अनुवाद]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : महोदय, खंड 9(2) (ख) का कथन है : तीन व्यक्ति, जो मुस्लिम विधि के विख्यात् विद्वान हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप वकीलों की तरह इंटरप्रिटेशन मत करिये।

[अनुवाद]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : महोदय वक्फ विधेयक, 1995 का खंड 9(2) (ख) कहता हैं :

निम्नलिखित सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा मुसलमानों में से नियुक्त किए जाएगें, अर्थात:-

(1) तीन व्यक्ति अखिल भारतीय और राष्ट्रीय महत्व के मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए,

(2) राष्ट्रीय स्तर के विख्यात चार व्यक्ति, जिनमें से दो व्यक्ति प्रशासनिक एंव वित्तीय विशेषज्ञ होंगे,

(3) तीन संसद सदस्य जिनमें से दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से होगा,

(4) तीन बोर्डो के अध्यक्ष चक्रानुक्रम से,

(5) दो व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों,

(6) राष्ट्रीय स्तर का एक विख्यात अधिवक्ता,

(7) एक व्यक्ति, ऐसे वक्फों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनकी सकल वार्षिक आय पांच लाख रूपये और उससे अधिक हैं:

(8) तीन व्यक्ति, जो मुस्लिम विधि के विख्यात विद्धान हैं।

[हिन्दी]

अगर किसी मुस्लिम स्कॉलर को आने से रोका जाये तो सीताराम केसरी को भी यह हालत जाननी चाहिये। सैंटर में मुस्लिम मिनिस्टर अगर रह सकते हैं तो एमिनेंट स्कॉलर दूसरी कम्युनिटी से भी आने चाहिये।

पश्चिम बंगाल में वक्फ ऐक्टके मुताबिक आफिशियल मुतवल्ली भी नॉन मुस्लिम हो सकता है। आफिशियल मुतवल्ली जो कि वक्फ बोर्ड से नियुक्त होंगे, वे नॉन मुस्लिम हो सकते है। इसमें सैकुलर कैरैक्टर भी आना चाहिये। बोर्ड में हिन्दू आने नहीं पायेगें और दूसरी कम्युनिटी आने नहीं पायेगी। वक्फ बोर्ड के पैसे से स्कूल बनेगा, उसमें हिन्दी लड़का जा नहीं सकता है जोकि एक अजीब बात है। इसका ओवर ऑल कंट्रोल, सुपरविजन, मेनटेनस होना चाहिए। यह माइनॉरिटी कम्यूनिटी की प्रापर्टी है और इसका हक है। इसलिए वह उनके हाथ में होनी चाहिए। दूसरी कम्यूनिटी के साथ मिलना-जुलना, सलाह मशविरा करना बंद कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं होगा।

पेज 8 क्लॉज 14 में यह बताया गया है

[अनुवाद]

एक और दो ज्यादा राज्य सरकार द्वारा नामंकित व्यक्ति जो प्रसिद्ध संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हों।

[हिन्दी]

मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन का क्या मतलब है? सैकुलर मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन हो सकता है, कम्युनल मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन भी हो सकता है। आपको क्लिअर कट बोल देना चाहिये कि पॉलिटिकल पार्टी का होगा। जहां तक मुस्लिम कम्युनिटी में जाने का प्रावधान है जिस कमेटी का मैं चेयरमैन था, वहां झंझट हो गया कि मुस्लिम लीग का एम.एल.ए. ही जायेगा, वह मुस्लिम कम्यूनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है। मुस्लिम लीग से जो जीतकर आया है वही मुस्लिम लोगों को रिप्रज़ेंटेटिव है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 60 प्रतिशत मुस्लिम हैं और मैं कम्यूनिस्ट पार्टी से जीतकर आया हूं तो मेरा कोई क्लेम नहीं हैं? यह जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आप कहना चाहते हैं, इसकी डेफिनिशन साफ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ होगी। मैंने अमेंडमेंट इसलिए नही दिया क्योंकि इधर पहले कनसंन्सस हो गया और मेरा अमेंडमेंट आप ऐक्सेप्ट नहीं करेगें। आपकी तरफ से जो अमेण्डमेंट आएगा वही माना जाएगा। इसलिए मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मैंने कहा है अगर वह आपने समझा है तो आपको इसे मानना चाहिए और आपकी तरफ से अमेण्डमेंट आना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि ये मुस्लिम प्रोपर्टी बहुत भारी प्रोपर्टी है। पूरी दिल्ली में प्रोपर्टी हैं, पूरे भारत में प्रोपर्टी है। इनका ओवर ऑल कंट्रोल मुस्लिम कम्यूनिटी के हाथ में रहे, मैं इसके खिलाफ नही हूँ। ऐसा होना चाहिए। ऐजुकेशनली, इकोनोमिकली मुस्लिम कम्यूनिटी बहुत पीछे हट गई है। इससे अगर कुछ ठीक हो सके तो अच्छा है। जैसे वैस्ट बंगाल मे हर जिले में मुस्लिम गर्ल्स होस्टल बनाए है। पांच जिलो मे वक्फ बोर्ड के पैसों से बनाए है। बाकी जिलो में भी बनाएगें। आप ऐसे काम करे लेकिन वक्फ प्रोपर्टी के बारे मे अगर आप कहें कि दूसरे संप्रदायों के साथ संपर्क नही रहेगा, उनकी प्रोपर्टी नहीं लेंगे, न देंगे और इंस्टीटयूशन में उनको आने नहीं देगें लेकिन मैं खुद उस कमेटी का चेयरमैन बनूं, तो उस दोहरी नीति के मै खिलाफ हूं। इसको आप बदलिए और जहां तक हो सके इसको सेक्यूलर रूप में बनाइए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कहूंगा कि आपने बहुत अच्छी स्टडी की हुई नज़र आती है। रिपील प्रोविजन में आने के बाद स्टेट ऐक्ट रिपील कर दिये गए है। तो आपका कहना दुरुस्त हो जाता है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : इसी का तो रोना है कि ये लोग भी नहीं समझते है और आप भी मुझे गलत समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन यह है कि अगर स्टेट लॉ हो और सेन्ट्रल लॉ हो तो दोनो चल सकते है। अगर उसमें कांट्राडिक्शन है तो सेन्ट्रल लॉ प्रीवेल करता हूँ। मगर इन्होंने सारे स्टेट लॉज़ रिपील क्लॉज़ में 112 क्लॉज़ में निकाल दिये हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : इसलिए मैंने कहा कि हम जो बात कहते हैं कम कहते हैं लेकिन ठीक कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने अच्छा कहा। हम आपकी स्टडी को मान रहे हैं। आपको गलत कहां कह रहे हैं?

केसरी जी, आप कह दें कि सब अच्छे पॉइंट्स हैं और आप इन पर कुछ करेंगे, तथा इसे पास कर दें तो अच्छा हो जाएगा।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, शहाबुद्दीन जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, मैं इस सदन में आश्वासन दूंगा कि उन प्रश्नों को मैं देखूंगा और उन्होंने जो एक कविता पढ़ दी, उसमें उन्होंने झूठ और सच कहा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और उसके लिए आप इत्मीनान रखिए और चूंकि यह आप लोगों से संबंधित हैं, इसलिए फिर कभी आपके सामने सारी चीजें रखूंगा।

दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य ने जो नौन मुस्लिम की बात उठाई, ऐसी बात नहीं है। क्लीज़ 104 में 50 पेज में है कि गैर-मुस्लिम भी वक्फ के रूप में कोई सम्पति समर्पित कर सकते हैं।

ये सारी चीज है। मैं विस्तार में जाने के बजाय आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना अमेंडमेंट वापस लें और इस बिल को पास करें।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : आपके इस एश्योरेंस के बाद जो अमेण्डमेंट हमने और शहाबुद्दीन साहब ने मुस्तरफा पेश किया है उस पर आप गौर करेंगें और उसके बाद एक मुनासिब बिल लाएंगे तो हम वापस लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इतना एश्योरेंस मत माँगिए।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : ऐसा उन्होंने दे दिया।

अध्यक्ष महोदय : दे दिया तो बहुत अच्छी बात है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : डेफिनेशन का क्या है, वह तो बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठकर थोड़ी सी बात भी कीजिए। अब यह राज्यसभा में जाना हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : राज्य सभा से पास हो गया हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो अगर यह अमेण्डमेंट होता तो फिर राज्य सभा को जाना पड़ेगा। बाद में कीजिए आप।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वक्फों के बेहतर प्रशासन और उनसे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक खंडवार विचार करेंगे।

यूनुस जी, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : जी नहीं महोदय।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : जी नहीं महोदय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 से 113 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 से 113 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री सीताराम केसरी : मै प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8.21. म०प०

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, माइनोरिटी कमीशन, जिसको 1992 में हमने ज्युडिशियल पावर उसको दिया उसके अंतर्गत चूंकि चेयरमैन माइनोरिटी कमीशन में मुख्यतः मुसलमान होने की बात थी। इसलिए वाइस चेयरमैन सिक्ख हो, चाहे क्रिश्चियंस हो या कोई भी हो, चेयरमैन की एबसेंस में मैं वाइस चेयरमैन के लिए प्रस्ताव करता हूँ, विचार करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

"राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्षजी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसा में सोच रहा था माननीय मंत्रीजी ने वैसी ही बात कही है। ऐसा लगता है कि चुनाव निकट हैं, उसको ध्यान में रखकर सब पक्षों को साथ लेकर चला जाए और मंत्रीजी ने अपने मुंह से कहा भी है कि सिक्ख हो, ईसाई हो। लेकिन वोट इन वातों से नहीं मिलते है। यह समझना चाहिए कि वोट मिलने का तरीका कुछ और है। आपने उपाध्यक्ष जोड़ा हैं । जब शुरू में 1992 में यह लाये थे तब ही आप उपाध्यक्ष शामिल कर लेते। इस बात को ध्यान में रखकर तो कोई बात नहीं होती। हमारा देश ही ऐसा है जो सर्व धर्म समभाव की बात करता है।

और उसके बाद हम इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर वास्तव में अल्पसंख्यकों की बात देखें, तो महिलाएं अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आती है। उनको ऊपर उठाने की जरूरत है। उनको बढ़ाने की जरूरत है। संविधान में 73 और 74 वें संशोधन हमने इसीलिए किए है। । विमेन कमीशन है। सारी बातें है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अल्पसंख्यक आयोग की आवश्यकता नहीं है। मानवाधिकार आयोग होना चाहिए और मिली जुली बातें होनी चाहिए।

महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए, इस विश्वास के साथ कि मंत्री जी जो कुछ कर रहे हैं वह राजनीतिक दृष्टि से आगे के चुनाव में उनके खिलाफ जाएगा क्योंकि देश की जनता इन बातों को समझ रही है और उसके हिसाब से काम भी करेगी, ऐसा मैं समझता हूं। वहरहाल आप इस बिल में उपाध्यक्ष जोड़ने के लिए संशोधन लाए हैं, जोड़िए हमें कोई आपत्ति नहीं है।

महोदय, मैंने अल्पसंख्यक आयोग के गठन के सम्बन्ध में इस क्लाज में लिखा है कि यह आयोग एक अध्यक्ष और छः सदस्यो से मिलकर बनेगा जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा विख्यात, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे, तो मेरा सुझाव यह है कि इस लाइन पर भी अमल किया जाए। किसी को तुष्टिकरण के आधार पर न रखा जाए, यह मेरा सुझाव है। सचमुच ज्ञान के आधार पर, जहनियत के लगाव से, विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा० वसंत पवार (नासिक) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन विधेयक), 1995 का समर्थन करता हूं।

मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूँ और यह समस्या महाराष्ट्र राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है क्योंकि वहां मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यक जनसंख्या का 16.47 प्रतिशत है। अनुच्छेद 29 और 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों की एक निश्चित परिभाषा की गई है। अब यह संशोधन उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लाया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूं। वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति सरदार अली खान हैं .... (व्यवधान)... मुझे खेद है, अध्यक्ष कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में एक समस्या है।

स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अल्पसंख्यकों के उत्थान, सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए तथा उनमें आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए एक 15-सूत्री कार्यक्रम बनाया था। इस अधिनियम के अनुसार, 10 राज्यों ने राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन किया है। गुजरात और राजस्थान ने भी इन आयोगों का गठन किया है और वे बड़ा अच्छा काम कर रहे है। लेकिन महाराष्ट्र की वर्तमान संयुक्त सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग का भंग कर दिया है। ऐसी व्यवस्था है कि मुख्य अधिनियम की धारा 16 (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को इसके विनियमन और क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति प्राप्त है लेकिन केन्द्र सरकार ने यह काम नहीं किया है। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक -विरोधी रूख अपनाया है। यह संविधान और संसद विरोधी दृष्टिकोण है। अतः, मेरा माननीय मंत्री से इसे गंभीरता से लेने और इस मामले में कार्यवाही करने का अनुरोध है।

मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि जैन समुदाय ने अनुरोध किया है कि उन्हें अल्पसंख्यकों में शामिल किया जाये। इसका समुचित अध्ययन और जांच-पड़ताल की जाये और जैन समुदाय के साथ न्याय किया जाये।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

तथापि, मैं सभा को और विशेष रूप से मंत्री जी को यह तथ्य बताना चाहता हूँ कि यद्यपि वर्तमान आयोग कानून के तहत 1992 में गठित किया गया था, फिर भी अल्प संख्यक आयोग 1978 से विद्यमान था जबकि एक कार्यकारी आदेश के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, वह अपने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता रहा है जिन्हें सभा में भी रखा गया। तथापि, मुझे यह कहते हुए खेद और क्षोभ है कि इन सत्रह वर्षो में एक भी रिपोर्ट पर सभा में चर्चा नही की गई है। अतः अल्पसंख्यकों की समस्याएं इन प्रतिवेदनों के पन्नो में बंद हो कर रह गई। मैं चाहता हूँ कि सरकारी काम काज के बारे में निर्णय करते समय मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदनों पर चर्चा करने के लिए एक वर्ष में कम से कम एक घण्टे का समय आवंटित किया जाए। अन्यथा अल्पसंख्यक आयोग महज कागजों पर बना संगठन बनकर रह जाता हैं और उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है।

मेरा दूसरा प्रश्न महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में जिसका जिक्र किया गया है। मेरा एक सुझाव है। अल्पसंख्यक आयोग का एक सुझाव बहुत पहले से सरकार के पास विचारार्थ लंबित पड़ा हुआ है कि अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यक आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय होने चाहिए। यह सुझाव सरकार के पास लंबित है। महाराष्ट्र में स्थिति में सुधार लाने का एक तरीका यह होगा कि अल्पसंख्यक आयोग को अपना क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम जोन में तत्काल स्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए और कार्यालय बम्बई में खोला जाना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक समुदायों की यदि कोई शिकायत या समस्या है तो वे आसानी से अल्पसंख्यक आयोग में जा सकें।

महोदय, यह कहते हुए मै यह भी जानता हूं कि संसाधनों के अभाव के कारण यह आयोग पंगु बनकर रह गया हैं। उसके पास अभी तक पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं हैं। 1992 से जब से मंत्री जी ने उसे कानूनी शक्तियां दी हैं, उसके पास किसी भी स्थिति की गहराई से जांच करने किसी गवाह को बुलाने अथवा न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक विधि होगी, तब से उसे केवल संसाधनों की कमी के कारण पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं दिए गए हैं। अतः वास्तव में जरूरत इस बात की है कि बजट मे वृद्धि की जाए। मरे

दाहिने तरफ के मेरे मित्रों का अल्पसंख्यक की अवधारणा में ही विश्वास नहीं हैं। वे अल्पसंख्यक आयोग को अनावश्यक खर्च मानते हैं जिसे किसी भी दिन त्यागा जा सकता हैं। यदि आप वास्तव में अल्पसंख्यकों के कल्याण में विश्वास रखते हैं और यदि आपके पास एक अल्पसंख्यक आयोग है तो कृपया उसे पर्याप्त संसाधन दीजिए, उसे आवश्यक कर्मचारी दीजिए। आपने उसे आवश्यक शक्तियां दी हैं लेकिन उसके पास समुचित मात्रा में कर्मचारी होने चाहिए।

इस संबंध में मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपको यह देखने की शक्ति है कि हर एक राज्य का शासन संविधान और कानून के अनुसार चले। हमने 1992 में इस सभा में एक कानून पारित किया था। हमने सुझाव दिया था कि यद्यपि यह बाध्यता नहीं है कि हर एक राज्य में अल्पसंख्यक आयोग हो, यदि कोई राज्य सरकार अपनी बुद्धिमता से वर्तमान आयोग को समाप्त करती हैं तो मैं समझता हूँ कि इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत आपको हस्तक्षेप करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

अंत में मैं अपने उन सभी मित्रों के तर्कों का खण्डन करता हूं जिन्होंने कहा है कि यह एक राजनीतिक चाल हैं। यदि यह एक राजनीतिक चाल है तो चार अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिन्हें सम्मिलित किया गया है और मंत्री महोदय को सभी अन्य समुदायों को संतुष्ट करने के लिए उपाध्यक्ष के चार पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव लेकर हमारे सामने आना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपनी बुद्धिमता के अनुसार कहा था कि आयोग के कार्य का विस्तार किया गया हैं, इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार किया गया है। अतः इसे इस उपाध्यक्ष की आवश्यकता है। महोदय, अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी महाराष्ट्र के बारे में इन्होंने बात की, महाराष्ट्र में माईनोरिटी इसलिए बर्खास्त की गयी क्योंकि हमने यह कहा कि सब बराबर हैं। मैजोरिटी हो या माईनोरिटी हो, हम सब भारतीय हैं। यह सब हमने मानवता की दृष्टि से कहा है। एक मुस्लिम लड़की हमारी बहन है। जब उसकी शादी होती है तो उससे तीन बार पूछा जाता है कि उसको शादी मंजूर है लेकिन जब तलाक दिया जाता है,......**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या हैं?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : हम किस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या हम मुस्लिम पर्सनल लॉ या समान नागरिक संहिता पर चर्चा कर रहे हैं? . . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय करना हैं।

मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को सही ठहराता हूँ। कृपया संशोधन तक ही सीमित रहिए। इसका समान नागरिक संहिता से कुछ लेना-देना नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में इसलिए इसे खत्म कर दिया गया कि सभी लोग बराबर हैं। सभी लोगों की एक भावना होनी चाहिए। मैंने इससे पहले भी कहा था कि यह जो मुस्लिम हैं, जो कमीशन बनाते हैं, बोर्ड बनाते हैं, सबकी एक ही भावना होनी चाहिए कि हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक समान है। इसलिए हमने उसको बरखास्त किया।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सिर्फ वाइस प्रैजीडेन्ट बनाने का सवाल हैं।. . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले बहुत अच्छा भाषण दिया।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने जब कहा तो इतना ही कहता हूँ कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। जो वाइस प्रैजीडैन्ट की पोस्ट बनाई गई हैं, इसमे चूंकि जहां चेयरमैन मुस्लिम है तो वाइस चेयरमैन किसी भी हालत में मुस्लिम न हो, दूसरी माईनोरिटी कमीशन का हो, दूसरी माईनोरिटी में जो सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, उनमें से लिया जाए। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, माइनौरिटी के कमीशन का जो ऐतराज किया गया हैं, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि 1978 में जब यह कमीशन पहली बार बनाया गया तो उस समय की जो जनता सरकार थी, उसमें मेरे जनसंघ के दोस्त भी शरीक थे और यह उनकी रजामन्दी से बनाया गया था।

جناب محمد یونس سلیم (کٹیہار) ادھیکش مہودے۔ مائنارٹی کمیشن کا جو اعتراض کیا گیا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ۱۹۷۸ میں جب یہ کمیشن پہلی بار بنایا گیا تو اس سمے کی جو جنتا سرکار تھی اس میں جن سنگھ کے دوست بھی شریک تھے اور یہ ان کی رضامندی سے بنایا گیا تھا ختم شد

[अनुवाद]

श्री सी० श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : अध्यक्ष महादय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, इस विधेयक में आयोग की कुल सदस्य संख्या में बिना किसी परिवर्तन के सदस्यों में से ही एक उपाध्यक्ष मनोनीत करने की व्यवस्था हैं। महोदय, अल्पसंख्यकों की बहुत सी समस्याएं है। लेकिन इन सभी समस्याओं को हल करने से संबंधित कार्यो को पूरा करने के लिए आयोग का आकार बहुत छोटा है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सदस्यों की वर्तमान संख्या दुगनी करके आयोग के आकार को बड़ा किया जाये। एक बड़ा आयोग अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नीतिगत मुद्दो पर ध्यान ही नही देगा बल्कि यह अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समुचित रूप से निगरानी करेगा।

महोदय, अल्पसंख्यक भारत के ताज पर मणि के समान हैं।. . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह विधेयक केवल उपाध्यक्ष के एक पद के सृजन के लिए हैं।

श्री सी० श्रीनिवासन : मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आवश्यक नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको केवल इस संशोधन तक ही सीमित रहना है।

श्री सी० श्रीनिवासन : मैं यह मांग करता हूं कि सरकार को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए तत्काल एक संसदीय समिति नियुक्त करनी चाहिए ताकि सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित सभी मुद्दों के लिए इस महान सभा के प्रति उत्तरदायी हो सके।

सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में कानूनी आरक्षण का प्रावधान किया है।

मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि वह अल्पसंख्यको विशेषतः मुसलमानों में साक्षरता के स्तर का पता लगाने और अल्पसंख्यकों की शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए तरीके सुझाने के लिए एक कार्यबल का गठन करें। एक केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण निधि . . . . **(व्यवधान)** . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सब बातों को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। यह विधेयक आसान सा है।

श्री सी० श्रीनिवासन : महोदय, मैं तमिलनाडु अल्पसंख्यक आयोग का जिक्र करना चाहता हूं। महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक हैं।

श्री सी० श्रीनिवासन : हमारे कुछ सहयोगी पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि कुछ राज्यों ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। महोदय, तमिलनाडु ने हमारे नेता के बुद्धिमतापूर्ण नेतृत्व के अन्तर्गत राज्य में अल्पसंख्यक आयोग गठित करने की विशिष्टता प्राप्त की है। जबकि महाराष्ट्र सरकार के समान कुछ राज्य सरकारें अल्पसंख्यक आयोगों को विघटित कर रही हैं। महोदय, आपको यह सुनकर अच्छा लगेगा कि एक ईसाई इस आयोग के अध्यक्ष हैं और मुस्लिम महिला इसकी उपाध्यक्ष हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग में तेलगू, कन्नड़ और मलयालम बोलने वाले भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की तमिलनाडु सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है। राज्य सरकार **(व्यवधान)**. . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सी० श्रीनिवासन : महोदय, हाल ही में स्थापित किए गए वित्त एवं विकास निगम को भी इस कार्य में लगाया जाना चाहिए। महोदय, मैं इस महान सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि केवल तमिलनाडु में ही वर्तमान पिछड़ावर्ग वित्त विकास निगम का पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के रूप में पुनर्गठन किया हैं। इस प्रकार तमिलनाडु संविधान के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को विशेष सहायता पहुँचाने और उनके विशेष अधिकारों और हितों की रक्षा करने में किसी से पीछे नहीं है। दूसरी ओर केन्द्र में सरकार द्वारा किए गए उपाय अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भोगन्द्र झा: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और यह सुझाव देता हूं, जैसा कि श्री शहाबुद्दीन जी ने कहा हैं, कि सरकार को अगले सत्र में आयोग द्वारा अब तक प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों में से कुछ बातें निर्धारित करनी चाहिए कि कौन से सुझाव स्वीकार या कार्यान्वित किए गए हैं और कौन से सुझाव स्वीकार्य नहीं हैं, उसके बाद हम अगले सत्र में उन पर चर्चा कर सकते हैं। **(व्यवधान)**. ...

अध्यक्ष महोदय : यह शून्यकाल है इसमें कोई विषय नहीं उठाया जाना चाहिए। मंत्री महोदय, आप अपनी बात कहिए।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, मैं एक ही बात कहूंगा। शाहबुद्दीन साहब का यह आरोप है कि हमने माइनोरिटी कमीशन को पूरी तरह से पैसा नहीं दिया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारी रैस्पोंसिबिलिटी दोनों हैं, हमने उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत बढ़ोतरी कर दी है।

दूसरी बातों का जवाब दिये बगैर मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल पर विचार किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैः

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैः

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूंः

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8.42 म०प०

बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के संबंध में सांविधिक संकल्प और बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 24 और 25 पर एक साथ विचार आरंभ करेगी।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 जुलाई, 1995 को प्रख्यापित बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का 4) का निरनुमोदन करती हैं।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं, सरकार की अध्यादेश लाने की नीति का विरोध करता हूं। इसलिए और करता हूं कि माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा नौ जुलाई को इसपर हस्ताक्षर किये गये, जबकि पांच जुलाई को सदन आहूत हो चुका था और 15 दिन बाद लोक सभा का सत्र बैठने वाला था, उसके बाद भी यह अध्यादेश लाया गया।

मैं इस संदर्भ में बहुत ज्यादा नही कहूंगा। वास्तव में 1993 में जब 1600 से 2500 की सीमा की गई थी, तभी इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए था, पर लगता यह है कि यह अध्यादेश भी सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखकर लाने का प्रस्ताव किया हैं। अब इसको 2500 से 3500 किया है। राज्य सभा से यह बिल पास होकर आया है। वहां पर बहुत सारी बातें मंत्री जी को बताई गई, जिनमें मुख्य रूप से सीलिंग को हटाने की बात थी। मेरी जानकारी में यह भी आया है कि ट्रेड यूनियंस से बात करके भी उनकी बात को नहीं माना गया। यह बात जरूर है कि ट्रेड यूनियंस से बात की गई पर उनके सुझावों पर गौर नहीं किया गया। मैं इस अध्यादेश का तो विरोध करता हूं पर इस बिल की जो भावना हैं उसका समर्थन करता हूं।

मैं चाहता हूं कि यह सरकार केवल अध्यादेश की ही सरकार बनकर न रह जाय। आप स्वयं इस बात को समझते हैं कि इस चार वर्ष के कार्यकाल में कितने अध्यादेश आये और वास्तव मे इस सदन का एक मखौल बनाने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। भविष्य में आने वाले जो इस लोक सभा के कुछ दिन रहे हैं, उनमें ऐसी नौबत न आये और सदन के अन्दर पहले प्रस्ताव आये, उसके ऊपर फिर कार्यवाही हो।

[अनुवाद]

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि बोनस संदाय अधिनियम 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापरित पर विचार किया जाय।"

महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपना आरंभिक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

बोनस को अस्थगित वेतन माना जाता हैं। कामगार पिछले दो वर्षो से आंदोलन कर रहे हैं कि एक तरफ वेतन संशोधन और दूसरी तरफ जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि के कारण बोनस संदाय के लिए पात्रता सीमा के साथ-साथ गणना सीमा बहुत कम हैं। केन्द्रीय मजदूर संगठनों ने हाल ही में अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस मुद्दे पर कई बार हड़ताल करने का नोटिस दिया हैं। तथापि, श्रम मंत्री के स्तर पर हस्तक्षेप के माध्यम से मजदूर संघो को इस वायदे के साथ आंदोलन रोक लेने के लिए राजी कर लिया गया था कि सरकार इस मामले पर शीघ्र ही कोई निर्णय लेगी।

अध्यादेश प्रख्यापित करने की जल्दी इसलिए पड़ी कि गणेश चतुर्थी, ओणम और दशहरा जैसे राष्ट्रीय त्यौहारो के संदर्भ में जो अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर के आरंभ में मनाए जाते हैं, यह अनुमान लगाया गया था कि देश के विभिन्न भागों मे औद्योगिक कामगार बोनस अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों से ऊंची दरों पर बोनस संदाय की मांग कर सकते हैं। औद्योगिक उद्यमों में प्रबंधनों और कामगारों के बीच लम्बी वार्ता आमतौर पर बोनस के लिए त्यौहारों से पहले रखी गई मांगो के आधार पर होती है। बोनस दरों के संदर्भ में कामगार बोनस अग्रिम भुगतान की भी मांग करते हैं। पात्रता और गणना सीमा को बढ़ाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करने का मुद्दा समय पर तय न हो पाने के कारण औद्योगिक शांति के गंभीर रूप से बिगड़ने और परिहार्य उत्पादन दिवसों की हानि की संभावना रहती हैं।

तदनुसार 9 जुलाई 95 को अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था और बोनस के लिए 1 अप्रैल 93 से पात्रता प्रति वर्ष 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये और गणना सीमा 1600 रुपए से 2500 रुपए प्रतिवर्ष की गई थी। इस अध्यादेश को अब बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन के लिए विधेयक पारित करके बदला जाना हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 9 जुलाई, 1995 को प्रख्यापित बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।"

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापरित, पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, संगमा जी जो प्रपोजल लाये हैं, मैं उसका स्वागत कर रहा हूं। लेकिन यह लिमिट सीलिंग की बढ़नी चाहिए। पहले यह लिमिट 1600 थी, वह आपने 2500 कर दी। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वह लिमिट 4500 होनी चाहिए, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हू, परन्तु इसका पूर्णतः समर्थन नहीं करता क्योंकि लगभग सभी केन्द्रीय मजदूर संघ लम्बे समय से यह मांग करते आ रहे हैं कि कामगारों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले बोनस के बारे में कोई अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिए। यहां, यह सीमा 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दी गई है।

काफी समय पहले जब यह सीमा लगाई गई थी, तो उस समय मूल्य सूचकांक क्या था और कितने समय के बाद यह सीमा बढ़ाई गई है? अब मूल्य सूचकांक क्या है? जब यह सीमा निर्धारित की गई थी तथा अब जबकि यह सीमा बढाई जा रही है, इसके बीच कितना अरसा बीत गया है?

मेरे विचार से, इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी कामगार बोनस पाने के पात्र हैं। हम यह देखते हैं कि कुछ उद्योग यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयाँ भी रुग्ण है तथा उनके बारे में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को लिखा गया है। इन रुग्ण उद्योगों के कामगारों को बोनस से वंचित रखा गया है। कई बार कामगारों एवं उनके संघों को बोनस प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाना पड़ता है। बोनस संदाय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, जहां कहीं किसी ईकाई अथवा उद्योग में 20 से अधिक कामगार नियुक्त हैं, उस ईकाई अथवा उद्योग के कामगार एवं कर्मचारी बोनस प्राप्त करने के पात्र हैं।

बड़ी संख्या में कामगार दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं। उन्हें बोनस देने से इन्कार किया जाता हैं। ऐसे सभी श्रेणियों के कामगारों तथा कर्मचारियों को भी बोनस संदाय अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों, निमार्ण-कार्यो तथा यहां तक कि कृषि क्षेत्र में लगे कामगारों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन श्रेणियों के कामगारों को बोनस संदाय अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया हैं।

रुग्ण घोषित किये जा चुके तथा घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों को भी बोनस के भुगतान से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, हाल ही में 19 जुलाई, 1995 को मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया हैं, जिसमें वेतन-संशोधन के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के वेतन में भी परिशोधन किया गया है. . . . . (व्यवधान) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जो कामगार कार्यरत है, उनके वेतन में परिशोधन किया गया हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किये गये ज्ञापन के अनुसार. . . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं यह सदंर्भ से बाहर है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह बिल्कुल इसके सगंत बात हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस वैध बात को फिर कभी रखना।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अत्यंत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। मैं अपना भाषण एक अथवा दो मिनट में समाप्त कर दूगा। . . . (व्यवधान). . . यह बात इस विषय से बिल्कुल संबंधित है। यदि ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों - जिनके बारे में कि औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निमाण बोर्ड को लिखा जा चुका है को भी वेतन -संशोधन से इन्कार किया जाता हैं जैसे कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन. . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसी बातों की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*....

अध्यक्ष महोदय : इन बातों को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने एक संशोधन का प्रस्ताव किया हैं कि बोनस के लिए आय सीमा को 3500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया जाये।

मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, सरकार बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1995 लाई हैं। उसमें बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा-2 के खण्ड 13 और धारा-12 में संशोधन करना चाहती है। उसके द्वारा पात्रता की सीमा 2500 से 3500 और परिकलन की सीमा 1600 से 2500 करना चाहती है। यह संशोधन, अध्यक्ष महोदय, नाकाफी हैं और मजदूरों तथा वेतन भोगी कर्मचारियों को कोई खास राहत देने वाला नहीं हैं।

महंगाई दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और इस सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाना संभव नहीं दिखाई देता है। सन् 1991 के जब चुनाव हुए थे, तब सरकार ने कहा था कि वह सौ दिन में महंगाई खत्म कर देगी।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द तोमर : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय व्यवसाय संघों, व्यक्तियों और विभिन्न संगमों ने समय-समय पर वेतन बढ़ाने की मांग की थी। बोनस की पात्रता की सीमा बढ़ाने और उसे हटाने की मांग की थी। जिस तरह से बोनस संदाय अधिनियम में संशोधन श्रम मंत्री जी लाए हैं, वह नाकाफी है। मैं चाहता हूं कि बोनस संदाय संशोधन विधेयक जो आया है, उसकी पात्रता की सीमा को

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

खत्म कर देना चाहिए और जो परिकलन की सीमा हैं, वह 2500 से बढ़ाकर 4000 तक कर देनी चाहिए। यह व्यवस्था करनी चाहिए कि बोनस मजदूरों और वेतन भोगी कर्मचारियों को समय पर मिलें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा-10, जिसमें न्यूनतम बोनस की सीमा 8.33 परसेंट हैं, उसको बढ़ाकर 15 परसेंट और धारा-11 में अधिकतम बोनस की सीमा 20 परसेंट से बढ़ाकर 25 परसेंट करने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में यह कमी है कि यह विधेयक मजदूर संघ आन्दोलन में लगे कर्मचारी वर्ग के न्यायसंगत मांग को पूर्णतः पूरा नहीं करता, इसके बावजूद मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन विधेयक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सात लाख कर्मचारियों एवं निजि क्षेत्र के 24 लाख कर्मचारियों को लाभ नही मिलता हैं तथा कुल वार्षिक लाभ लगभग 800 करोड़ रुपये होगा। अतः यद्यपि यह विधेयक अनेक कारणों से अपर्याप्त हैं, फिर भी मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

मैं एक मामूली सा सुझाव यह देना चाहता हूं कि किसी विधेयक पर आप जो कोई मौद्रिक सीमा अथवा आय सीमा लगाते हैं, तो विधेयक ऐसी स्थिति में अप्रचलित हो जाता हैं, जब हमारी अर्थव्यवस्था को मंहगाई के दौर से गुजरना पड़ रहा हैं। अतः ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिये कि जब बोनस दिया जाता हैं, तो हर वर्ष तब ऐसी सीमाओं के सूचकांकों में मंहगाई के अनुसार स्वतः कर दी जाये। अतः, यह एक ऐसा सुझाव है जिसपर कि मैं उम्मीद करता हूं मंत्री महोदय विचार करेंगे क्योंकि ऐसा करने से उन्हें हर कुछ वर्षो के बाद हमारे समक्ष किसी नई आय सीमा और नई मौद्रिक सीमा के लिए प्रस्ताव नहीं रखना पड़ेगा तथा इसमें मंहगाई के अनुसार स्वतः वृद्धि कर दी जायगी। महोदय, मैं जानता हूं कि ऐसा अनेक देशो में किया जा चुका हैं। मैं भी यहाँ इस प्रावधान का स्वागत करता हूं कि यह प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से, 1.4.93 से लागू होगा। अतः, इसका कुछ अतिरिक्त लाभ होगा।

मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा दिये गये सुझाव का समर्थन करना चाहता हूं तथा इस पहलू को मंत्री महोदय के विचारार्थ रखना चाहता हूं कि हमारा सम्बंध मात्र संगठित क्षेत्र के श्रम से ही नहीं है। हमारी प्रमुख चिंता असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों से हैं, जिसकी देखरेख वास्तव में न तो राजनैतिक दलों द्वारा की जा रही है और न ही मजदूर संघो द्वारा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय अपने विवेकानुसार उनके हितों की भी देखभाल करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें एक ही संशोधन दिया था और इसके बारे में कुछ खास कहने के लिए भी नहीं है। यह श्रमजीवियों के लिए बिल लाया गया हैं, उनके जीवनस्तर को सुधारने के लिए लाया गया है। इसमें हमने संशोधन दिया था कि बोनस सीमा को बढ़ा कर 5000 किया जाए तथा पृष्ठ 1, पंक्ति 10 में 2500 के स्थान पर 5000 किया जाए। क्योंकि जब यह सीमा निर्धारित की गई थी, तब और अब के मूल्य सूचकांक में बहुत अंतर आ गया हैं, इसलिए मैंने यह संशोधन दिया था। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : अध्यक्ष महोदय , मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं। श्री शहाबुद्दीन जी मैं आपको बिल्कुल सुस्पष्ट तौर पर यह बताना चाहता हूं कि मैं आपसे सहमत हूं क्योंकि मैं स्वयं भी इस बात से संतुष्ट हूं। मैं चाहता हूं कि यह सीमा हटाई जाये अथवा इस समस्या को भविष्य में भी उठाया जाये। लेकिन, प्रश्न यह उठता हैं कि हमें देश की समूची अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखना हैं। हमें उद्योगो की दशा को भी ध्यान में रखना हैं। हमें उद्योगों की भुगतान-क्षमता का भी ध्यान रखना हैं। इस विषय पर सभी केन्द्रीय मजदूर संघों से अनेक दौरों में बातचीत हो चुकी है। तथा हालांकि हम किसी करार पर नहीं पहुँच सके हैं, फिर भी हम एक ऐसे समझौते पर पहुँच पाये हैं, जिसके आधार पर यह विधेयक अब लाया गया हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने मूल्य वृद्धि के बारे में विचार व्यक्त किये हैं। वास्तव में, इसका मूल्य वृद्धि से कोई सम्बध नही है। महगांई अथवा मूल्य वृद्धि अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की भरपाई के लिए, हमने एक सूत्र प्रणाली अपनाई हुई हैं, जिसमें महंगाई को ध्यान में रखा जाता हैं। अतः बोनस संदाय अधिनियम का मूल्य वृद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि इसकी भरपाई हेतु हमारे पास एक और सूत्र, अर्थात मंहगाई भत्ता गणना सूत्र हैं।

जैसा कि श्री शहाबुद्दीन जी ने यह सही ही कहा है, कि हम इससे कुछ ज्यादा दे सकते थे। लाभार्थियों की कुल संख्या 26 लाख हैं तथा कामगारों को 800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि और मिलने वाली है। अतः मैं समूची सभा से इसके समर्थन हेतु अनुरोध करता हूँ तथा उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक को पारित कर दें.......(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : असगंठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के बारे में क्या स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात इस विधेयक के अर्न्तगत नहीं आती।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव वापिस लेने के लिए मुझे इतना ही कहना है कि उदारीकरण की नीति आ रही हैं, इस विषय पर सरकार पूरी तरह से विचार कर रही है, इसलिए वेजेज बढ़ाने और बोनस पालिसी आदि सब में संशोधन की जरूरत है।

9.00 म०प०

मुझे ऐसा लगता है कि अभी दो साल बाद इसको लेकर आये है। इसके बारे में अगले साल फिर सोचना पड़ेगा और परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी। एक सम्पूर्ण पालिसी बनानी चाहिये। आपके विचार और नीयत अच्छी लग रही है।

महोदय, मैं अपना सॉविधिक संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा यह चाहती है कि श्री संतोष कुमार गंगवार

द्वारा प्रस्तुत संकल्प वापिस लिया जाये?

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पी० सी० सगंमा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापरित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खडंवार विचार आरम्भ करेंगे।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह जी, क्या आप इस विधेयक के खंड 2 एवं 3 में अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं मूव नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, चूंकि इस विधेयक में कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं किये गये हैं, अतः अब मैं इस विधेयक के खंड 2 से 4 को सभा के मतदान लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि 2 से 4 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री पी० ए० संगमा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9.02 म०प०

नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन संबंधी प्रस्ताव

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विधेयक, 1995 तथा अनुसंधान और विकास उपकर (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार तथा पारित किये जाने के प्रस्ताव पर, जहां तक ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तु का लागू होना निलम्बित करती है"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विधेयक, 1995 तथा अनुसंधान और विकास उपकर (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार तथा पारित किये जाने के प्रस्ताव पर, जहां तक ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का लागू होना निलम्बित करती है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9.03 म०प०

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विधेयक
तथा
अनुसंधान और विकास उपकर (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सभा चर्चा हेतु मद संख्या 27 और 28 को एक साथ लेगी।

***वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) :** महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि देशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोजन का प्रयत्न करने वाले या व्यापक घरेलू उपयोजनों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी अंगीकार करने वाले औद्योगिक समुत्थानों को साधारण पूंजी या किसी अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के लिए एक बोर्ड के गठन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

***वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1994-95 को केन्द्र सरकार का बजट प्रस्तुत करते हुए यह घोषण की थी कि प्रौद्योगिकी विकास और उपयोजन के लिए एक नई विधि की स्थापना की जायगी जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकार में होगा।

नई विधि में वृद्धि करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया कि प्रौद्योगिकी के आयात पर 5 प्रतिशत उपकर लगाकर वसूल की गई राशि का, जो कि पहले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा व्यवस्थित उद्यम पूंजी निधि को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु उपयोग मे लाया जाता था, अपवर्तन किया जाय।

इस प्रकार की निधियों का प्रौद्योगिकी विकास और उपयोजन निधि में अतंरण को सुविधाजनक बनाने हेतु यह प्रस्ताव किया गया कि अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986, में संशोधन किया जाये।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक में, उद्यम पूंजी निधि के लिए राशि जारी करने के स्थान पर प्रौद्योगिकी विकास और उपयोजन हेतु प्रस्तावित निधि का विन्यास करने का प्रावधान हैं।

इस विधेयक में प्रौद्योगिकी विकास और उपयोजन निधि का संचालन करने की जिम्मेदारियां नवगठित प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड को सौपने की भी व्यवस्था हैं, जिसे इसके पूर्व उद्यम पूंजी निधि के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा संचालित किया जा रहा था।

वर्ष 1986 के अधिनियम में भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग पर उपकर के भुगतान का प्रावधान हैं। इस प्रस्तावित संशोधन की सीमाओं में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समझौतों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के स्वतः अनुमोदन के अन्तर्गत आने वाले विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग भी आ जाएंगे।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विधेयक का उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास और उपयोजन निधि को व्यवस्थित करने हेतु प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की स्थापना करना है। यह बोर्ड औद्योगिकी समुत्थानों अथवा अन्य अभिकरणों को, जोकि विकास के लिए प्रयत्नशील है और जो व्यापक घरेलू उपयोजन के लिए आयातित प्रौद्योगिकी का अंगीकर करने के लिए प्रयत्नशील है, साधारण पूंजी अथवा अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा। बोर्ड अथवा औद्योगिक समुत्थानों द्वारा आयातित प्रौद्योगिकी का अंगीकार करने में सहायक अनुसंधान और विकास संस्थानों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाएगा।

दोनों विधेयक संसद की स्थायी समिति को सौंप दिये गये और स्थायी समिति ने कतिपय संशोधनो की सिफारिश करते हुए इन विधेयकों का अनुमोदन किया इसमें अब वे कतिपय संशोधन लाये गये हैं।

इन शब्दो के साथ, मैं सभा के विचारार्थ इन विधेयकों की, जोकि पूरक हैं सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि देश प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोजन का प्रयत्न करने वाले या व्यापक घरेलू उपयोजनों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी अंगीकार करने वाले औद्योगिकी समुत्थानों को साधारण पूंजी या किसी अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के लिए एक बोर्ड के गठन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, यहाँ हमारे समक्ष दो विधेयक हैं। दोनों विधेयक अच्छे है। लेकिन इन दोनो विधेयकों पर अपने विचार व्यक्त करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि इन्हे दूसरे क्रम में लिया जाना चाहिए था। पहले उपकर अधिनियम में संशोधन लाना चाहिए था और उसके बाद ही बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए था। यदि आप बोर्ड का गठन पहले करना चाहते हैं और उसके बाद उपकर अधिनियम में संशोधन लाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उचित क्रम मे नहीं हैं।

अतः मैं पहले अनुसंधान और विकास उपकर (संशोधन) विधेयक के बारे में बोलूंगा। विधेयक अच्छा है और वास्तव में इसमे बहुत पहले संशोधन लाया जाना चाहिए था। मैं नही जानता कि वर्ष 1986 से, जबकि यह विधेयक लाया गया था तब से यह आज की व्यवस्था में कैसे चल रहा है? मै समझता हूं कि यह व्यवस्था इसलिए जटिल है क्योंकि धन पहले किसी बैंक अथवा किसी उद्यम पूंजी निधि में चला जाता हैं और उसके बाद वे निर्णय लेते हैं कि धन को कैसे भेजा जाए और इसका उपयोग कैसे किया जाये। अनुसंधान और विकास विधेयक जैसे विधेयक में इस प्रकार की जटिलता वांछनीय नहीं है लेकिन उद्देश्यों और कारणों के कथन में संशोधन की औचित्यता दर्शाते समय सरकार ने अपने विचारों को स्पष्ट एवं ईमानदारी पूर्वक ढंग से व्यक्त नहीं किया। आप ऐसा क्यों कर रहे है। यह दर्शाने के लिए आप शब्दों का जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वर्तमान में, वर्ष 1986 से 1995 तक, जिन कठिनाईयों का सामना किया जा रहा हैं, यदि आपने इनमें से कुछ के बारे में पहले ही चर्चा की होती तो यह संशोधन लाने का प्रबल कारण बन गया होता इसके साथ ही, जैसा कि मैंने पहले ही कहा हैं, विचार अच्छा है और इसे बहुत पहले किया जाना था। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

जहां तक प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का संबंध है इसपर अनुवर्ती कार्रवाई ठीक है। मुझे केवल यही टिप्पणी करना है कि आपके पास एक अध्यक्ष है जो एक पदेन सचिव भी है। मैं समझता हूं कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव है। इसके अतिरिक्त अन्य चार सचिव इस बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे और आपने अन्य चार लोगो का प्रावधान भी रखा है। ये पदेन सचिव एक न्यूनतम सीमा तक अपना योगदान दे सकेंगे और वह भी अधिकांशतः उनके अपने विभागों तक सीमित होगा। तब भी सदस्यों के रूप में वे ठीक है। परन्तु मैं समझता हूं कि अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जोकि पूर्णरूप से और हर तरह से अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में लगा हुआ हो। सचिव को और बहुत से काम करने होते है। और यदि आप उसे पदेन अध्यक्ष बना देते हैं तो प्रवन्ध निदेशक का कोई काम नहीं रह जाता। आप ने जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है वह केवल दिखाने के लिए है। अध्यक्ष को प्रभावपूर्ण ढंग से काम करना होता है और मैं नही समझता कि वह कैसे काम कर पायेंगे क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव होने के नाते उनको पहले से ही कई जटिल कार्य करने होते है। मैं समझता हूं कि यह एक कठिन कार्य होगा। निःसदेह आपने और चार लोगो का प्रावधान रखा है जोकि तकनीकी रूप से दक्ष और अनुसंधान तथा विकास विशेषज्ञ होंगे।

महोदय, यद्यपि मैंने कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया हैं फिर भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर ध्यान दें। इस समय मैं केवल यही सुझाव दे सकता हूँ कि इस पर ध्यान देने के बाद यदि आप पाते है कि यदि इस व्यवस्था से काम ठीक नही चल रहा है तो कृपया इस विकास बोर्ड के लिए पूर्ण-कालिक अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में विचार करें।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक (मथुरा पुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरा संशोधन विधेयक के पूरे नाम के संदर्भ में है। पूरे नाम के अनुसार :

"देशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोजन का प्रयत्न करने वाले या व्यापक घरेलू उपयोजनों के लिए आयतित प्रौद्योगिकी अंगीकार करने वाले औद्योगिक समुत्थानों को साधारण पूंजी या किसी अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के लिए एक बोर्ड के गठन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु।"

मेरा संशोधन यह था:

"मूल विज्ञान पर मौलिक अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक संस्थानों को तथा देशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोजन का प्रयत्न करने वाले और व्यापक घरेलू उपयोजनो के लिए आयातित प्रौद्योगिकी का प्रयत्न व अंगीकार करने वाले औद्योगिकी समुत्थानों को साधारण पूंजी या किसी अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के लिए एक बोर्ड के गठन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु।"

पूरे नाम के सन्दर्भ में यह मेरा संशोधन था और मैं कुछ कारण बताना चाहता हूं जिसके लिए मैं उपयुक्त संशोधन प्रस्तुत करना चाहता था। मेरी यह राय है कि प्रौद्योगिकी का विकास मूल रूप से विज्ञान के विकास पर निर्भर करता है। जब तक मूल विज्ञान मे विकास नहीं होता है तब तक प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हो सकता और हम अन्य देशो के प्रौद्योगिकी का नकल तो कर सकते हैं पर इससे हमारी प्रौद्योगिकी में कोई सुधार नहीं होगा। एशियाई हस्तियां कही जाने वाले कुछ एशियाई देशों ने विज्ञान में विकास करके प्रौद्योगिकी का विकास किया है। लेकिन हमारी प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए हमें अपने वैज्ञानिक क्षेत्रों में विकास करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : हमने विज्ञान के विकास के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं एंव विश्वविद्यालय बनाए हैं।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : ऐसा हो सकता है। ऐसी प्रौद्योगिकियों है। मैं यह प्रमाणित करने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ कि इन प्रौद्योगिकिओं को कही और से निधियां मिल रही है। लेकिन इस एकत्रित निधि का कुछ भाग इन मौलिक अनुसंधानो पर खर्च किया जाना चाहिए जहां हम देखते है कि वैज्ञानिक खोजों के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आविष्कार किये जा सकते हैं। जब तक प्रौद्योगिकीय आविष्कार वैज्ञानिक खोजों पर आधारित नहीं होते हैं तब तक नकल की गई प्रौद्योगिकियां अधिक होगी और नवीन प्रौद्योगिकियां कम होगी। कुछ ऐसे देश हैं जिन्हे एशिया के दिग्गज कहा जाता है और जो प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक विकसित है क्योंकि वहां वैज्ञानिक खोजों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। मेरे तर्क के समर्थन में मै श्री जवाहरलाल नेहरू ने "राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति" के बारे मे जो कहा था उसे उद्धृत करता हूं। श्री जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा के अनुसार :-

"वस्तुतः, यह उत्कृष्ट होगा यदि औद्योगिक प्रणाली देश में ही विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित हो, लेकिन पूंजीगत वस्तुओं का अभाव और देश में अनुसंधान और विकास क्षमताओं की भारी कमी होने के कारण यह अति विस्तृत और समय लेने वाली प्रक्रिया हैं, जबकि भारत अपने औद्योगिकीकरण को आगे बढ़ाने में इतंजार करने वाली स्थिति में नहीं मैं पुनः उद्धृत करता हूं:-

"1982 में मैसूर में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 1969 के अधिवेशन का विषय था मूलभूत अनुसंधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आत्मनिर्भर आधार को अधिक घटक है। विज्ञान कांग्रेस में मूलभूत अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार-विर्मश किया गया था। अपने अध्यक्षीय भाषण मे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो. एम. जी. के. मेनन ने कहा था: 'आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और राजनीतिक दृढ़ इच्छा की आवश्यकता है और इसमें कई पहलू जैसे प्रौद्योगिकी नीति, प्रबन्धन और तकनीकी कौशल आदि शामिल है। लेकिन ऐसे विश्व में जिसकी अर्थव्यवस्था और जीवनशैली वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति द्वारा प्रभावित होती है। उसमें आत्मनिर्भरता का निर्णायक तत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आत्मनिर्भर आधार होना चाहिए। यह आधार तब तक तैयार नहीं किया जा सकता है जब तक कि महत्वपूर्ण मूलभूत अनुसंधान का कार्य नहीं किया जाता क्योंकि यही मूलभूत समझ पैदा करने का तरीका है जो किसी एक क्षेत्र के विशिष्ट ज्ञान तक सीमित नहीं है लेकिन एक विस्तृत धरातल पर समस्याओं को सुलझाने की योग्यता प्रदान करता है और इसी योग्यता के कारण ही मूलभूत अनुसंधान, किसी अन्य बात से ज्यादा, उच्चतम स्तर तक विकास करती है।"

इस प्रकार प्रो.एम.जी.के. मेनन सरीखे व्यक्ति और हमारे प्रधान मंत्री ने भी मूलभूत अनुसंधान का समर्थन करने और इसे सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। यदि हम केवल प्रौद्योगिक पहलुओं पर ही लगे रहते हैं तो यह केवल नकलची वाला काम हो जायेगा जो हम अब भारत में कर रहे हैं। परन्तु यदि हमें विश्व के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए आविष्कार करने हैं तो हमारे पास प्रौद्योगिक विकास के लिए वैज्ञानिक आधार होना जरूरी है।

कुछ समय पहले मैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक श्री जोशी से मिला था, और इसके बारे में बात की थी। मैं दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला भी गया था। मैं डॉ. ए. बी. नारलिकर जो अतिसंवाहकता सुपरकंटकटिविटी पर कार्य कर रहे थे और वैज्ञानिकों के एक दल से मिला था। दो प्रौद्योगिकिया मौजूद हैं—कार्बन फायबर प्रौद्योगिकी और प्यूज़न प्रौद्योगिकी एवं सुपर कनडक्टिविटी। मैंने इन दो चीजों को एकत्र किया है। यह स्वदेशी कार्बन फायबर से संबंधित प्रति है। एक आयातित कार्बन-फायबर है और दूसरा स्वदेशी कार्बन फायबर है। स्वदेशी फायबर आयातित फायबर से काफी निम्नकोटि का है . . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसे इस तरह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : यह केवल आपको प्रभावित करने के लिए ही है। जब तक प्रौद्योगिकी का विकास वैज्ञानिक क्षेत्र में खोजों पर आधारित नहीं होता है तब तक हम नवीन आविष्कार नहीं कर सकते हैं और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकते है। इस संशोधन में मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय ने अभी वक्तव्य देते समय एक बात सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली है। आपने प्रस्तावना में निम्नलिखित जोड़ दिया है :

"... .विकास का प्रयत्न करने वाले औद्योगिक समुत्थानों और अन्य अभिकरणों को . . . . ."

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने "विकास और वाणिज्यिक उपयोजन का प्रयत्न करने वाले अन्य अभिकरणों शब्द जोड़ दिए हैं। अब आपने औद्योगिक समुत्थान जोड़ दिया है। "अन्य अभिकरणों से आपका क्या तात्पर्य है? मैंने वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि के बारे में स्पष्टरूप से उल्लेख किया है। वक्तव्य देते समय आपने उसकी जगह विकास का प्रयत्न करने वाले औद्योगिक समुत्थान और अन्य अभिकरणों जोड़ दिया है। अतः यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे यह स्पष्ट करें कि "अन्य अभिकरणों से उनका तात्पर्य क्या है। मैं समझता हूं कि अस्पष्टता से बचने के लिए "वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं और वैज्ञानिक संस्थानों" शब्दों को जोड़कर इसे मंजूरी देने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि यह जोड़ दिया जाता है तो यह और स्पष्ट हो जायेगा और उसमें कोई अस्पष्टता नहीं रहेगी। "अन्य एजेंसियों आदि" की परिभाषा क्या है? सदस्यों को परिचालित मद संख्या 4 में पूरे नाम के अनुसार आपने यह जोड़ा है :

पृष्ठ 3, पंक्ति 21 से 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

"(क) देशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोजन का प्रयत्न करने वाले औद्योगिकी समुत्थानों और अन्य अभिकरणों के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियमों द्वारा अवधारित की जाये साधारण पूंजी या किसी अन्य वित्तीय सहायता का उपबन्ध कर सकेगा।"

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आपके संशोधित पूरे नाम का यह तात्पर्य है तो अन्य एजेंसियां अर्थात् "वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं और वैज्ञानिक संस्थान, विश्वविद्यालय आदि" जोड़ा जाना चाहिए। पूरे नाम में, मंत्री महोदय ने "....विकास का प्रयत्न करने वाले अन्य अभिकरणों" शब्द जोड़े हैं। मद संख्या 4 में आपने 'औद्योगिक समुत्थान और अन्य अभिकरणों' शब्द जोडे हैं।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, एक मिनट। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। उस मामले में क्या स्थायी समिति का कोई सदस्य ....**(व्यवधान)**

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : मैं स्थायी समिति का सदस्य नहीं हूं। **(व्यवधान)**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : यह वित्त संबंधी समिति के सदस्य हैं।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : मंत्री महोदय द्वारा यथा उल्लिखित संशोधित पूरे नाम के अनुसार संशोधित पत्र की मद संख्या 4 में आपको विकास और वाणिज्यिक उपयोजन का प्रयत्न करने वाले अन्य अभिकरणों को रखना है।

आपने विकास शब्द को हटा दिया है। यदि आप विकास शब्द को हटा देते हैं तो इस सबका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यहां विकास का तात्पर्य उन अभिकरणों से है जो अनुसंधान की ओर अग्रसर हैं और आपने इस पूरे नाम को संशोधित कर दिया है। संशोधन में संगति होनी चाहिए। आपको मद संख्या 4 में, विकास का प्रयत्न करने वाले अन्य अभिकरणों जोड़ना है।

अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि विधेयक में, विविध के अंतर्गत अध्याय 5, खंड संख्या 15, उप-खंड 2 देखें "बोर्ड किसी अधिकारी को उपधारा (1) में उल्लिखित किसी औद्योगिक समुत्थान या संस्थान का इस धारा के अन्तर्गत दिए गए विवरण की यथार्थता की जांच करने के लिए किसी भी समय दौरा करने हेतु प्राधिकृत कर सकती हैं।" इस "किसी भी समय" के बारे में मेरा संशोधन यह था कि "किसी भी समय" के स्थान पर यह "कार्य समय के दौरान कभी भी" होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : "किसी भी समय" का तात्पर्य . . . .

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : "किसी भी समय" का तात्पर्य कार्य समय के दौरान और "किसी भी समय" का तात्पर्य देर रात 12 बजें आधी रात या 1 बजें रात्रि में नहीं।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसे शब्दों का तर्कसंगत अर्थ रखते हैं।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : "किसी भी समय" से आपका क्या तात्पर्य है?

अध्यक्ष महोदय : उपयुक्त समय, एकदम अर्ध-रात्रि का समय नहीं।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : महोदय, यह स्पष्ट होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : साधारण खंड अधिनियम इस पर लागू होता है। कृपया इसके बारे में चिन्ता न करें।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : मेरा दूसरा संशोधन बोर्ड के गठन के बारे में था। मैंने बोर्ड में लोक सभा और राज्य सभा से चुने गए दो संसद सदस्यों को शामिल करने के लिए संशोधन दिया था। बोर्ड में तीन सदस्य होने चाहिएं-दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से। इसलिए मैं समझता हूं कि उस संशोधन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मेरा विचार है कि मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्यों को बोर्ड में शामिल करने के संबंध में मैं यह उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता हूं कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली के दौरे के समय मैं वैज्ञानिकों के एक दल से मिला। मैं कई सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों से मिला उनमें से एक था डा० ए० वी० नारलिकर जो अतिसंवाहकता पर कार्य कर रहे हैं। अतिसंवाहकता पर चर्चा करते समय यह जिक्र किया गया था कि अतिसंवाहकता के मूल्यांकन पर अनुसंधान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का

कोई यंत्र नहीं है। महोदय, आप जानते हैं कि यह एक बहुत जटिल विषय है। यदि हम उच्च ताप की अतिसंवाहकता को प्राप्त कर लेते हैं तो इससे कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में क्रांति आ जायेगी और विद्युत संप्रेषण प्रणाली और फयूज़न प्रौद्योगिक के संबंध में कई अन्य मदों में भी क्षति न्यूनतम हो जाएगी। मैंने उनसे कुछ नोट देने के लिए अनुरोध किया था ताकि मैं स्थायी समिति के माध्यम से मंत्रालय से अनुरोध कर संकू। उन्होंने स्वयं मुझे कोई नोट नहीं दिये। कुछ नोट लेकर मैंने मामले को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के समक्ष रखा लेकिन उसके बाद अधिकारी और वैज्ञानिक भी मुझसे सहमत थे। उसके बाद अब वैज्ञानिकों को धनराशि प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। केवल 45 लाख रुपये का प्रश्न है पत्र ये हैं। यह सारे पत्र वैज्ञानिकों से आये हुए हैं। यह एक ऐसी दयनीय स्थिति है, जिसमें सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक नारलिकर भी शामिल हैं। ये पत्र उनसे प्राप्त हुए है। वे परेशानी में हैं। कदाचित, उन्हें धनराशि मिल जाये ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मुद्दों की अनुमति नहीं है। हम व्यक्तिगत मामलों पर बहस नहीं कर सकते।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : महोदय, मैं किसी व्यक्तिगत मामले की वकालत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा मत बोलिए।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : मैं किसी व्यक्तिगत मामले की वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि कोई संसद सदस्य वैज्ञानिक की सहायता करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। आप सभा में ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहां पर हम नीतियां बनाते हैं। हम यहां किन्हीं व्यक्तियों के वकील नहीं है।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : मैं केवल यह कह रहा हूं . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बारे में मत बोलिए।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : मैं केवल यह वकालत कर रहा हूं कि लोक सभा और राज्य सभा के संसद सदस्यों को बोर्ड में शामिल किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है, यह न्यायोचित मुद्दा है।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : मैं केवल इसकी वकालत कर रहा हूं। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं आप पर यह दबाव डालना चाहता हूं और आपके जरिए मंत्री महोदय पर कि जब तक हमारे पास मूलभूत विज्ञानों पर आधार भूत अनुसंधान के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नहीं होंगे तब तक हमारे प्रयास व्यर्थ साबित होंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस मुद्दे को भी छोड़िए। हमने विज्ञान की प्रगति के लिए पहले ही लगभग 230 संस्थान स्थापित किए हुए हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए हमारे पास संस्थान नहीं हैं। इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। मैं चार वर्षो तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री रहा हूं। मैं जानता हूं कृपया . . . .(व्यवधान)

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : आप आसानी से समझ सकते हैं। ये संस्थान मौजूद तो हैं लेकिन अनुसंधान कार्य के लिए इन्हें अपेक्षित धनराशि नहीं मिल पा रही है। इस विशेष बोर्ड से भी कुछ धनराशि मिलनी चाहिए। यह मेरा अनुरोध है। आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। मुझे पता है कि आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमारे यहां पर्याप्त वैज्ञानिक संस्थान हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी संस्थान नहीं हैं। इसलिए, वे प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना कर रहे हैं।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : लेकिन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इस बोर्ड से भी धनराशि मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह बात कह दी है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने इसे समझ लिया है। हम भी यह समझ गए हैं।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : कदाचित, उन्हें यह समझ में आ गया हो। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभिकरणों से उनका क्या तात्पर्य है? मुझे स्पष्टीकरण चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने संशोधन में विकास का प्रयत्न करने वाले अन्य अभिकरणों को जोड़ दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया है या उनका कुछ और विचार है। वे इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं जैसा कि समय बहुत थोड़ा रह गया है ओर आप गुस्से में है, इन शब्दों के साथ...... ।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। मैं गुस्से में नहीं हूं। मैं आपको केवल यह इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि हमारे यहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी क्षेत्र कमजोर है न कि विज्ञान।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : मुझे यह मालूम नहीं यहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री महोदय मौजूद हैं। विज्ञान के विकास के बिना प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हो सकता है। मैं यह बात समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस सिद्धान्त को मानते हैं। वे आपके सिद्धान्त का आदर करेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि हमारे यहां विज्ञान के विकास के लिए कुछ संस्थान मौजूद हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी विकास के लिए हमारे यहां पर्याप्त संस्थान मौजूद नहीं हैं, जो वे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धान्त में कोई विवाद नहीं है।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : मैं पर्याप्त प्रौद्योगिकी संस्थान न होने की पैरवी नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह पैरवी कर रहा हूं कि इस उपकर अधिनियम के तहत एकत्र की गई कुछ धनराशि को इस उद्देश्य हेतु खर्च किया जाना चाहिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, विश्व में बढ़ते हुए सहयोग को देखते हुए मैं महसूस करता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्पूर्ण मानवता की एक समान धरोहर हैं। हम विकास के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां प्रौद्योगिकी में आत्म निर्भरता नहीं हो सकती है। कोई भी देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। इसी कारण से मैं विधेयक में इस द्विवचन धारणा का स्वागत करता हूं कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास और आयातित प्रौद्योगिकी का अनुयोजन एक साथ किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित बोर्ड का कार्य भी इसी प्रकार से परिलक्षित किया है।

मैं विधेयक के पूरे नाम की तीसरी पंक्ति में, मेरे विचार से, छपाई की गलती को उठाना चाहता हूं। प्रयोग किया गया शब्द 'एडोप्टिंग' के स्थान पर 'एडेप्टिंग' होना चाहिए। जैसा कि विधेयक में अन्दर-प्रयोग किया है सही शब्द 'एडेप्टिंग'

होना चाहिये।

मुझे दो बातों के बारे में शंका है। उनमें से एक है बोर्ड का गठन। बोर्ड के अधिकांश सदस्य नौकरशाह हैं। बोर्ड में भारत सरकार के पांच सचिव होगें जो कि हो सकता है शिल्पविज्ञानी न हों, हालांकि, इसमें भारत सरकार द्वारा मनोनीत किये गए चार व्यक्तियों से संतुलन बिठाया जाएगा। परन्तु जब किसी भी बोर्ड में भारत सरकार के पांच सचिव होगें तो शिल्पविज्ञानियों की अपेक्षा उन्हीं की बुद्धि और इच्छा प्रबल रहेगी। इसलिये, मैं महसूस करता हूं कि बोर्ड असंतुलित है। इसमें शिल्पविज्ञानियों के पक्ष में बहुमत नहीं है जैसा कि होना चाहिये। मेरी यही एक आशंका है।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। वैज्ञानिक विभाग के सभी सचिव वैज्ञानिक हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, हमेशा नहीं। वे वैज्ञानिक नहीं भी होते।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं सभी। लगभग सभी हैं। उनकी सहायतार्थ अपर सचिव हैं, जो प्रशासन में दक्ष होते हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, तो ठीक है.....(व्यवधान) अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। हमने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसकी पूरे देश में राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं, का विकास प्रौद्योगिकी के विकास हेतु किया है जैसे कि बुनियादी विज्ञान के विकास हेतु विश्वविद्यालय हैं। मुझे भविष्य में संभावना नजर आती है कि सी.एस.आई.आर., जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और बोर्ड, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा, के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए। मेरी आशंका है कि किसी विशिष्ट स्थिति में संघर्ष पैदा हो जाये। मैं माननीय मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि आरम्भ से ही बोर्ड के सुचारू कार्यकरण हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जाए ताकि संघर्ष की स्थिति पैदा ही न हो पाये।

महोदय, मैं एक और बात उठाना चाहता हूं। यहां पर एक बात कही गई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विधेयक के खण्ड 6 का प्रारूप बहुत अच्छी तरह किया गया है। इसमें तीन प्रयोजन उल्लिखित हैं। पहला औद्योगिक प्रतिष्ठानों से संबंधित है, जिनके पास प्रौद्यिगिकी है और वित्त पोषण किये जाने की आवश्यकता है ताकि इसका उत्पादनार्थ प्रयोग किया जा सके और दूसरा अनुसंधान और विकास संस्थाओं से संबंधित है, जिनका कार्य प्रतिष्ठानों के लिये प्रौद्योगिकी का विकास करना है। इसलिये, बोर्ड का एक कार्य प्रतिष्ठानों से संबंधित है और दूसरा कार्य अनुसंधान और विकास संस्थाओं से संबंधित है ताकि जैसी भी जरूरत हो अनुयोजन अथवा घरेलू प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सके। इस प्रकार मेरे माननीय साथियों की शंकाओं का समर्थन करने का कोई औचित्य मुझे नज़र नहीं आता है।

एक तीसरा सामान्य कार्य भी है कि यह केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों को पूरा करे। मुझे जानकारी नहीं है कि माननीय मंत्री जी किस प्रकार प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग निधि के लिये साधन किस प्रकार संचित करेंगे। वर्तमान में प्रौद्योगिकी विकास अत्यधिक खर्चीला है और हमको बड़े देशों जैसे जर्मनी, जापान, अमरीका, और इंग्लैण्ड से स्पर्धा करनी पड़ती है। आपको कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ देना पड़ता है। इसमे एक तरफा रास्ता नहीं हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि इसके लिए बडी मात्रा में साधन जुटाये जायेंगे। इस संदर्भ में मेरे पास आकलन उपलब्ध नहीं है इसलिए मेरे लिए यह कहना सम्भव नहीं है कि ये हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होंगे या नहीं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी कुछ स्पष्टीकरण जरूर देंगे।

इन टिप्पणियों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय के भाषण का आरम्भिक नहीं सुना है। परन्तु मैं जानता हूं कि इन संशोधनों पर स्थायी समिति में चर्चा हो चुकी है। इन संशोधनों के बारे में वे सर्वसम्मति से इन निष्कर्षों पर पहुचे हैं।

आपने सचिवों के बारे में जो कुछ भी कहा वह बिलकुल ठीक है। हम भी महसूस करते हैं कि यह नौकरशाही व्यवस्था है। उपस्थित वैज्ञानिक सचिवों ने हमको बताया था कि वह सब वैज्ञानिक हैं, हालांकि वे सब विभाग में सचिव भी हैं। परन्तु फिर भी हमने संशोधन पुरःस्थापित किये हैं क्योंकि अतंतः हम प्रौद्योगिकी का अनुप्रयुक्त कर रहे हैं। इस सम्बंध में आवश्यकता संबंधी दृष्टिकोण भी है। आप कतिपय क्षेत्रों के लिये धन आवंटित करते हैं। कतिपय प्रौद्योगिकी को अनुप्रयुक्त करने हेतु कतिपय क्षेत्रों में आवश्यकता महसूस की जाती है और कुछ आवश्यकताओं में संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिये, उपभोक्ता विभाग और उनके सचिवों को भी उसमें होना चाहिये। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण विभाग के सचिव को बाहर से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले अन्य व्यक्तियों के अलावा नामनिर्दिष्ट किया जाए।

मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। मेरे साथी श्री प्रमाणिक ने अन्य एजेन्सियों इत्यादि का सुझाव दिया है। वास्तव में उनका आश्रय विश्वविद्यालयों और संस्थाओं इत्यादि को अन्य संस्थाओं के अंतर्गत शामिल किये जाने का था। किन्तु यह नहीं हो सका है। इसलिये, हमने यह प्रावधान संशोधन के रूप में किया है जो कि मूल विधेयक में नहीं था। यह स्थायी समिति का सुझाव था। उपकर विधेयक के साथ एक कठिनाई थी। मुझे मालूम नहीं है कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे। मैने उपकर विधेयक से संबंधित कोई संशोधन नहीं देखा है। इसमें कठिनाई यह है कि उपकर किस के ऊपर लगाया जायगा? क्या यह प्रौद्योगिकी आदान है? हमने एक समस्या के विषय में चर्चा की थी कि मशीनरी में प्रौद्योगिकी सम्मिलित है। प्रस्तावित प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई समझौता हो सकता है। आयातित मशीनरी में प्रौद्योगिकी सम्मिलित है। क्या इस पर उपकर लगाया जायगा? सिर्फ इसी प्रकार से बड़ी मात्रा में निधि बनाई जा सकती है जिसका यहां प्रयोग किया जा सकता है।

हमने उस प्रश्न पर भी चर्चा की थी लेकिन यह सरकार पर छोड दिया गया था कि किसी तरह से वे इस विचार को शामिल करेगें क्योंकि यह विचार शामिल नहीं था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मंत्री जी ने इस पर प्रतिक्रिया की है अथवा नहीं। यदि नहीं की है, तो मै उनका ध्यान इस प्रश्न की ओर आकृष्ट कर रहा हूं। श्री भोगेन्द्र झा के सुझाव के अतिरिक्त, हमारा सुझाव सर्व सम्मति से था। प्रारम्भ में मेरा संशोधन यह था कि संसद सदस्यों को भी उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर हमने यह भी महसूस किया कि चूंकि यह निकाय कार्यकारी स्वरूप का है, जो निधियों का नियतन करता है, इसलिए बोर्ड में संसद सदस्यों को शामिल करने का लाभ नहीं होगा।

उसने एक असहमति टिप्पण दिया और हमारे सहकर्मियों ने यह भी महसूस किया कि संसद सदस्य भी इसमें शामिल किए जाने चाहिए। लेकिन उस समय हमने यह महसूस किया कि यह कार्यकारी स्वरूप का है और मैंने एक संशोधन दिया। फिर काफी चर्चा के पश्चात मैंने इसे वापस ले लिया। स्थिति यह है। मैं

केवल टिप्पणी करना चाहता था क्योंकि मैं स्थायी समिति की भावनाओं और जो चर्चा हुई और इस समस्या को उठाना चाहता था जो आप कृपया स्पष्ट करें।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा गया था और उन्होंने इस पर चर्चा की है और बोर्ड विधेयक में कतिपय संशोधनों की सिफारिश की थी। संशोधनों में मौटे तौर पर सचिव, ग्रामीण विकास को बोर्ड के भाग के रूप में शामिल करना, बोर्ड में सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले चार सदस्यों की विशेषज्ञता के क्षेत्र को विस्तृत करना, प्रौद्योगिकी विकास, बैंकिंग तथा वित्त, कृषि, ग्रामीण विकास तथा उद्योग में अनुभव शामिल है। विधेयक के पूरे नाम में भी संशोधन है। स्थायी समिति ने संसद सदस्यों को शामिल करने के बारे में भी चर्चा की लेकिन उन्होंने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। अतः महोदय, सरकार ने किसी संशोधन कर प्रस्ताव नहीं किया है।

माननीय सदस्य श्री खंडूरी ने कहा था कि बोर्ड का सचिव एक वैज्ञानिक होना चाहिए। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव इस बोर्ड के चैयरमैन होगें। बोर्ड विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन होगा, वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं। श्री प्रमाणिक अन्य एजेंसियों के बारे में स्पष्ट करना चाहते थे।

महोदय, अन्य एजेंसियों को स्थायी समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया है। अतः अन्य एजेंसियों का निर्णय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा किया जायेगा, जो उनकी राय में प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में जानकारी देंगी।

समिति में 11 सदस्य होंगे जिसकी अध्यक्षता सचिव, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जायेगी।

जैसा कि सुझाव दिया गया है, वैज्ञानिक अनुसंधान के संवर्द्धन के लिए कुछ अन्य योजनाएं है। जहां तक श्री प्रमाणिक के संशोधनों का संबंध है, मै उनसे अनुरोध करता हूं वे कृपया अपने संशोधनों को वापस लें और इस विधेयक का समर्थन करें। स्वाभाविक रूप से निधियां प्रौद्योगिकी के आयात के भुगतान पर निर्भर करेगी। दो वर्षो के लिए एकत्रित की गई धनराशि लगभग 45 करोड़ रुपए है। हमने शुरूआत की है। अतः मैं माननीय सदस्य से इस विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : इक्विटी पूंजी औद्योगिक कम्पनियों को प्रदान की जानी चाहिए। पूरे नाम के लिए मेरा संशोधन वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तथा वैज्ञानिक संस्थाओं को शामिल करना था। उत्तर देते हुए, माननीय मंत्री ने अभी-अभी यह बताया है कि जो संशोधन परिचालित किया गया है, वह अन्य एजेन्सियों को शामिल करने के बारे में है। उन्होंने यह भी बताया है कि इसे स्थायी समिति के सुझाव पर लाया गया था।

अतः मैं स्पष्टीकरण चाहता था। इसका कारण यह है कि मेरा संशोधन वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को शामिल करने के संबंध में था। उन्होंने अभी-अभी यह बताया है कि उनका संशोधन स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार था फिर मैं अन्य एजेन्सियों का अर्थ जानना चाहता हूं। परिभाषा बोर्ड के सदस्यों द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। इसे यहां विधेयक में स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने अन्य एजेन्सियों का अर्थ स्पष्ट नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते है कि सहकारी समितियों के पास औद्योगिक इकाइंया है, कुछ व्यक्तियों के पास औद्योगिक इकाइंया है, और यदि आप औद्योगिक अनुसंधान संस्थाओं के नाम बताएगें तो लचीलापन समाप्त हो जायेगा।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : महोदय, इसी वजह से मैं 'अन्य एजेन्सियों के अर्थ को स्पष्ट करवाना चाहता था।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैने इस प्रश्न को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इसका निर्णय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह सही है।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : इसी कारण से मैने आपके माध्यम से यह अनुरोध किया है, कि अन्य एजेन्सियों की अपेक्षा इसे वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, वैज्ञानिक संस्थाएं, विश्वविद्यालय आदि कह कर और अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी मुख्यतया वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तथा वैज्ञानिक संस्थाओं को शामिल करने में बहुत संकोच क्यों कर रहे हैं?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सूची खुली है। वे इसका निर्णय कर सकते हैं। जिसे भी वे समझें कि उसके पास उन्नत प्रौद्योगिकी है, वे उन्हें शामिल कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इसे मतदान के लिए रखेंगें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक समर्थकारी खण्ड है। कुछ कारणों से बोर्ड यह महसूस करता है कि एक ऐसी संस्था है जिसकी सहायता की जानी चाहिए वे निर्णय करके वह सहायता प्रदान कर सकते है। यदि आपका उपबन्ध बहुत कठोर है।

(व्यवधान)

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : नहीं महोदय, इसी कारण से मैं यह कह रहा हूं कि 'अन्य एजेन्सियों की अपेक्षा' आप वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, वैज्ञानिक संस्थाएं, विश्वविद्यालय आदि को शामिल कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसमे सभी कुछ शामिल है। प्रारूप तैयार करते समय, साधारणतया, यदि आप उनको केवल उन प्रश्नों तक ही सीमित नहीं करना चाहते हैं, जिनका उल्लेख किया गया है, और यदि आप उनको कुछ सुरक्षित स्थान प्रदान करना चाहते है तो आप सामान्तया 'अन्य एजेन्सियां' कहते है।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : यह 'और आदि' को सुरक्षित स्थान प्रदान नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा में मतदान के लिए रखूंगा। वे उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि आप चाहते है तो मैं इसे सभा के मतदात के लिए रखूंगा।

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक : महोदय, उन्होंने 'अन्य एजेन्सियां' को शामिल करने को स्वीकार कर लिया है। वे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, तथा वैज्ञानिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा आदि को शामिल करने में संकोच क्यों अनुभव कर रहे है?

अध्यक्ष महोदय : अब, मै आपके संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि देशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोजन का प्रयत्न करने वाले या व्यापक घरेलू उपयोजनों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी अंगीकार करने वाले औद्योगिक संस्थाओं को साधारण पूंजी या किसी अन्य वित्तीय सहायता के संदाय के लिए एक बोर्ड के गठन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में खण्डवार विचार प्रारम्भ किया जायगा।

खण्ड 2—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

प्रो० आर० आर० प्रमाणिक (मथुरापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3, —

"संक्षिप्त नाम" के पश्चात "विज्ञान और" अंतः स्थापित किया जाये। (9)

पृष्ठ 1, पंक्ति 12, —

आरम्भ में "मूल विज्ञान पर मौलिक अनुसंधान और" अंत स्थापित किया जाये। (11)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री आर. आर. प्रमाणिक द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या (9) और (11) को सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन संख्या 9 और 11 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3—बोर्ड का गठन और निगमीकरण

किये गए संशोधन :

पृष्ठ 2,— पंक्ति 29 से 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

"(च)" ग्रामीण विकास से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक भारत सरकार का सचिव—पदेन,

(छ) चार से अनधिक उतनी संख्या में व्यक्ति जो विहित की जाए, जो प्रौद्येगिकी विकास और उपयोजन, बैंककारी और वित्त, उद्योग, कृषि तथा ग्रामीण विकास में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे; और

(ज) बोर्ड का सचिव - पदेन;" (2)

पृष्ठ 2, पंक्ति 33, में

"(च)" के स्थान पर "(छ)" प्रतिस्थापित किया जाये (3)

(श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)

अध्यक्ष महोदय : श्री आर.आर. प्रमाणिक—उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3" संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि खण्ड 4 और 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खण्ड 6 — बोर्ड के कृत्य

किया गया संशोधन

पृष्ठ 3 —

पंक्ति 21 से 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

"औद्योगिकी समुत्थानों और अन्य अभिकरणों के लिये ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियमों द्वारा अवधारित की जाए साधारण पूंजी या किसी अन्य वित्तीय सहायता का उपबंध कर सकेगा;" (4)

(श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० आर० प्रमाणिक — उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 7 और 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 और 8 विधेयक में जोड़ दिये गए।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० आर० प्रमाणिक – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 10 से 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 और 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० आर० प्रमाणिक – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 से 20 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16 से 20 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खण्ड 21 – नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 6, –

पंक्ति 38 में, "(च)" **के स्थान पर** "(छ)"

प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

(श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)

अध्यक्ष महोदय :

"कि खण्ड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 22 – बोर्ड की विनियम बनाने की शक्तियां

किये गए संशोधन :

पृष्ठ 7, –

पंक्ति 18 **के पश्चात** निम्नलिखित **अंतः स्थापित किया जाए** :-

"(ख) वे शर्तें, जिनके अधीन बोर्ड द्वारा धारा 6 के खण्ड (क) के अधीन साधारण पूंजी का उपबंध किया जा सकेगा;" (6)

पृष्ठ 7, पंक्ति 19 में,

"(ख)" **के स्थान पर** "(ग)" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (7)

(श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 22, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 और अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

विधेयक का पूरा नाम

किया गया संशोधन

पृष्ठ 1, विधेयक का पूरा नाम में, -

"देशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोजन का प्रयत्न करने वाले या व्यापक घरेलू उपयोजनों के लिये आयातित प्रौद्योगिकी अंगीकार करने वाले औद्योगिक

समुत्थानों को" **के स्थान पर** "देशी प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यिक उपयोजन का प्रयत्न करने वाले या व्यापक घरेलू उपयोजनों के लिए आयातित **प्रौद्योगिकी** अंगीकार करने वाले औद्योगिक समुत्थानों और अन्य अभिकरणों को" किया जाये **प्रतिस्थापित** को।" (1)

(श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम संशोधित, रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9.53 म०प०

अनुसंधान और विकास उपकर (संशोधन) विधेयक

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड वार विचार प्रारम्भ करते है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव पेश कर सकते है 'कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं 'कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9.56 म०प०

परिवहन तथा पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं अंतर्देशीय जलमार्गों के संबंध में परिवहन और पर्यटन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सभी माननीय सदस्यों को आज सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को अत्यधिक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं लोक सभा सचिवालय के सुरक्षा कर्मियों और अन्य कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छी बात है।

9.57 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा शनिवार, 26 अगस्त, 1995/4 भाद्र, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।